

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

हिन्दुस्थानका

कानून दिवालिया

अर्थात्

प्रान्तिक कानून दिवालिया

एक्ट नं० ५ सन १९२० ई०

प्रेसीडेन्सी टाउन्स कानून दिवालिया

एक्ट नं० ३ सन १९०९ ई०

Provincial Insolvency Act 5 of 1920.

AND

Presidency Towns Insolvency Act 3 of 1909.

सर्वाङ्गपूर्ण व्याख्या और सन १९३० ई० तकके समग्र

संशोधनों व नज़ीरों आदि सहित

लेखक. —

बाबू रूपकिशोर टण्डन

पस० ए०, एलए.न० वी०, पस० झार० ए० पस० एडवोकेट

प्रकाशक: —

पं० चन्द्रशेखर शुक्ल

सन १९३० ई०

मुद्रित
कानून प्रेस, कानपुर

सर्वाधिकार सुरक्षित

मूल्य
५१ रुपया प्रति

भारत

कानून दिवालीया

प्रान्तिक कानून दिवालीया (एक्ट ५ सन १९५० ई०)
प्रेसीडेन्सी टाउन्स कानून दिवालीया (एक्ट ३ सन १९०६ ई०)

इस समय भारतवर्षमें प्रत्येक प्रचलित कानूनका हिन्दी भाषामें होना आवश्यक है क्योंकि इस भाषाको जानने व समझने वालोंकी संख्या बहुत है तथा वह दिन बदिन बढ़तीही जाती है। प्रचलित कानूनोंका ज्ञान भी जनसाधारणके लिये किसी हद तक परमावश्यक है क्योंकि उनकी पारदर्शीसे वह लोग बच नहीं सकते हैं। समझदार व्यक्तियोंका यह कर्तव्य है कि यह ऐसी बातोंको अवश्य जानते रहें जिससे किसी समय भी अनायास हानि पहुँचनेकी सम्भावना हो अथवा जिनके आधार पर वह अपने स्वार्थोंकी रक्षा कर सकते हों। मनुष्यकी अग्रगण्य स्वभाव एकसी नहीं रहती है कभी उसे लाभ होता है तथा कभी हानि, परन्तु वही मनुष्य अपनी स्थिति को समयानुकूल सँभाल सकता है जिसे प्रचलित नियमोंका यथा सम्भव ज्ञान होवे। ऐसे नियमों का जानने वाला व्यक्ति केवल अपना ही भला नहीं कर सकता है किन्तु वह अपनी सलाहसे दूसरोंको भी लाभ पहुँचा सकता है।

देशमें व्यापार फैलाने तथा लेनदेनका काम विस्तृत रूपसे हो जानेके कारण इन कामोंसे सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियोंमें अनायास ही हानि पहुँचनेके अवसर आजाते हैं। चालाक व्यक्ति प्रचलित कानूनोंका अनुचित लाभ उठा कर दूसरे लोगोंको जो उन कानूनोंसे अनभिज्ञ होते हैं तब तरहकी हानियाँ पहुँचा दिया करते हैं। कानून दिवालीयाका प्रयोग अब बहुतायतसे किया जाने लगा है इस कारण उक्त कानूनका ज्ञान लेना हर व्यक्तिके लिये आवश्यक नहीं होता है जिससे कि वह अपने स्वार्थोंकी रक्षा कर सके तथा जहाँ तक होसके हानियोंसे भी बच सके। इसी प्रकारकी आवश्यकताको प्रतीत कर कानून दिवालीया हिन्दीमें प्रकाशित किया गया है।

यह पुस्तक सरल हिन्दी भाषामें लिखी गई है। प्रत्येक दफाका अनुवाद समझने योग्य भाषामें दिये जानेके अतिरिक्त उसकी व्याख्या भी पूर्ण रूपसे की गई है। व्याख्यामें दफाओंका अर्थ भली भाँति समझानेका प्रयत्न किया गया है तथा उन सब उल्लेखनीय मुकदमोंका भी

हवाला दिया गया है जो भिन्न भिन्न हार्दकोर्टों तथा चीफकोर्ट द्वारा अवतक तय किये गये हैं। यह पुस्तक दो भागोंमें विभक्त है एकमें प्रान्तिक कानून दिवालिया (एक्ट ५ सन १९२० ई०) का पूरा वर्णन है तथा दूसरेमें प्रेसीडेन्सी टाउन्स कानून दिवालिया (एक्ट ३ सन १९०६ ई०) का उसी प्रकार विवरण दिया हुआ है।

ब्रिटिश भारतमें कानून दिवालियाका चलन इंग्लैण्डके बैंकपसी एक्टको देख कर हुआ है तथा उसी एक्टके नियमोंका अधिकतर प्रयोग पहिले होता रहा है अब भी कानून दिवालियाके सम्बन्धकी बहुतसी बातोंका अर्थ लगाते समय बैंकपसी एक्टका सहारा लिया जाता है तथा अङ्ग्रेजी अदालतों द्वारा तय किये हुए फैसलोंका उल्लेख हार्दकोर्टके जज अपनी तजवीजोंमें किया करते हैं। प्रान्तिक कानून दिवालिया (एक्ट ५ सन १९२० ई०) के लागू होनेसे पहिले प्रान्तिक कानून दिवालिया सन १९०७ई० (एक्ट ३ सन १९०७ई०) प्रचलित था। इससे पेशतर इस एक्टके स्थानमें जो नियम लागू थे उनका उल्लेख संग्रह जायता दीवानी (Code of Civil Procedure) में मिलता है अर्थात् संग्रह जायता दीवानीमें दिवालिके सम्बन्धमें दिये हुए नियम मुकदिसलमें लागू थे। इस प्रकारके नियमोंका हवाला सबसे पहिले सन १८५६ई०के संग्रह जायता दीवानीमें मिलता है इसके पश्चान् सन १८७३ई० व १८७६ ई०के संग्रह जायता दीवानीमें भी ऐसे नियमोंका उल्लेख है। संग्रह जायता दीवानीमें जिन नियमोंका हवाला मिलता है उनका सम्बन्ध केवल उन कर्जखानोंसे है जो स्वयंकी वसूलीके सम्बन्धमें डिक्री हासिल कर चुके हैं तथा उन मद्दियूनोंका है जो गिरफ्तार हुए हों या जिनकी जायदाद कुर्के की गई हो। इस प्रकार उन नियमोंसे सब प्रकारके कर्जखानों के कर्जोंकी रक्षा नहीं हो सकती थी और न उनसे कर्जदारोंका ही पूर्ण वचाव था। उन नियमों को अपर्याप्त समझ कर तथा उनको संग्रहीत करनेके लिये एक्ट ३ सन १९०७ई० (प्रान्तिक कानून दिवालिया १९०७ई०) बनाया गया था जो पहिली जनवरी सन १९०८ई० से लागू हुआ था। यह एक्ट सन १९१४ ई० में कुछ संशोधित किया गया था और लगभग १० साल तक इसका प्रयोग जारी रहा। इस दर्मियानमें बहुतसी न्यूनतायें इस एक्टमें दिखलाई दीं जिनके दूर करनेके लिये भिन्न भिन्न अवसरों पर जजों बकीलों व व्यापारियों आदिने अपनी रायें प्रकट कीं। उन्हीं न्यूनताओंको दूर करनेके लिये प्रान्तिक कानून दिवालिया सन १९२०ई० (एक्ट ५ सन १९२०ई०) बनाया गया इसके अनुसार धोखा देने वाले कर्जदारको उचित दण्ड दिया जासकता है। अदालत दिवालिया धोखा देने वाले दिवालियाके बहाल होनेमें रुकावट डाल सकती है तथा उस रोक भी सकती है। इस कानूनमें अज्ञात दिवालियाके अधिकार जो उसे वाक्याती या कानूनी मसलोंको तय करनेके सम्बन्धमें हैं भली प्रकार दिखला दिये गये हैं। सरसरीमें सुने जाने वाले मामलोंको नियमबद्ध कर दिया गया है इसी प्रकारकी और भी बहुतसी बातें बढ़ा दी गई हैं तथा संशोधित कर दी गई हैं जो एक्ट ३ सन १९०७ ई० में नहीं थीं। इस एक्टमें भी सन १९२० ई० के बाद कुछ संशोधन हुए हैं जिनका हवाला संक्षेपमें दे दिया गया है। सन १९२६ ई० के संशोधनके अनुसार अर्थात् एक्ट ६ सन १९२६ के अनुसार प्रान्तिक कानून दिवालियाका प्रयोग करावी टाउन पर नहीं रहा है इससे पहिले यही एक्ट उस टाउनके लिये प्रयोग किया जाता था। अब प्रेसीडेन्सी टाउन्स इन्सलवेन्सी एक्ट उस टाउन (Town) के लिये लागू है। इसी प्रकार संशोधनके अनुसार अदालत दिवालिया फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेटके पास इस एक्टके अनुसार किये हुए जुर्माना इस्त-

मासा भेज सकती है पहिले वह स्वयं उन जुर्मोंकी सुनती थी और इधर भी बहुतसे संशोधन हुए हैं जिनका हवाला इस पुस्तकमें यथा स्थान दिया गया है ।

प्रेसीडेन्सी टाउन्स इन्साल्वेन्सी एक्ट (एक्ट ३ सन १६०६ ई०) केवल प्रेसीडेन्सी टाउन्स (कलकत्ता, बम्बई व मद्रास), रंगून व कराचीके लिये लागू है इस एक्टसे पहिले इसके स्थान पर दि इण्डियन इन्साल्वेन्ट एक्ट सन १८४८ [Indian Insolvent Act 1848, (11 & 12 Vic. C. 21)] लागू था परन्तु वह एक्ट केवल प्रेसीडेन्सी टाउन्स व रंगूनके लिये लागू था । यह एक्ट अर्थात् एक्ट ३ सन १६०६ ई० भी केवल इन्हीं शहरोंके लिये लागू था । परन्तु सन १६२६ ई० के संशोधनके अनुसार इस एक्टका प्रयोग कराची शहरके लिये भी किया जाने लगा है । प्रान्तिक कानून दिवालियाके अनुसार प्रेसीडेन्सी टाउन्स कानून दिवालियामें भी संशोधन हुए हैं जिनका हवाला इस पुस्तकमें यथा स्थान दे दिया गया है ।

जहां तक हो सका है इस पुस्तकमें कानून दिवालिया सम्बन्धी सभी बातों पर प्रकाश डालनेका प्रयत्न किया गया है । प्रान्तिक कानून दिवालिया (एक्ट ५ सन १६२० ई०) अर्थात् पहिले भागके अन्तमें कुछ नमूने भी दे दिये हैं जिनके अनुसार दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें दरदवास्तें दी जा सकती हैं । नमूनोंके अतिरिक्त कानून दिवालियाके सम्बन्धमें बनाये हुए भिन्न भिन्न हार्डकोटोंके नियम भी लिख दिये गये हैं । इस पुस्तकको पढ़ कर कर्जदार अधिक कर्ज हो जाने पर अपनी रक्षाका विधान कर सकता है तथा इसी प्रकार कर्जपवाह भी दिवालिया कर्जदार से अपना कर्ज बसूल करनेके तरीकोंका प्रयोग कर सकता है, धोखादेहीसे किये हुए सौदोंको रद्द करा सकता है, किसी कर्जदारको दिवालिया करार दिला सकता है तथा भोखेबाज दिवालियों को अदातत द्वारा सज़ा दिला सकता है और उनको हमेशाके लिये दिवालियेके गढ़में दकेल सकता है ।

आशा है कि पाठकगण इस पुस्तकको अपश्य अपनायेंगे जिससे लेखक व प्रकाशक अन्य कानूनी अर्थोंको भी इसी प्रकार उनके सम्मुख रखनेका प्रयत्न कर सकें । जो त्रटियां पुस्तकमें रह गई हों पाठकगण उन्हें भी बतलाने की कृपा करें जिससे वह आनन्द सुधारी जा सकें ।

निवेदक:—

रूपकिशोर टण्डन

दस,	विषय	पेज
—	जायदाद वगैरा वगैरा दिवालयियों में ही या नही है अमान्य तय कर सवेगी	७
—	कीन इतहाउ जायदादका मसूयोंके जाविन्द है यह पेशवा करत समय गिरीवरती बात गिरी ममानता चाहिसे	७
—	विही जायदादके इतहाउकी बातकी समझी तोरसे किमत न समझ चाहिसे	७
—	जब सिवाब रोई जायदाद दिवालयियों मानवर बचना चाहता हा तो अमन्य पाउक उन् कर सकता है	७
—	अमन्य मादिक जायदादका दावाना अदाउतदं भा दावा कर सकता है मज रिमीकर न मनि	७
—	विषयिक दिवालयिया बगैरा दिवे जात पर उभके लखने अनन्य हक रिमीकरसे उम नक्त से मकेमे जव वे मादित कर दें कि मापने बेहादुनी कर्षे गिये	८
—	हक सम्म वी प्रदल किम समद नक न तय विमे जाय चाहिसे	८
—	जायदाद परिके हकके तय कये वा लखाया आ फामला	८
—	दिवालयिया अदायामे इकर पैसलमें 'जब नतवीन न' (Re-judicata) माना जाभकेगा	८१०
—	हुकमों वा इजाजत उभा तरह होगी जैसे जायता दावानामें बयाव कये हैं	९
—	नयो दिवालयिके मामले वी दफा ७२ व अनुसार हागों कब जानुनी बागोंके विषयमें मालती हो	९
—	इजायता हाईकोर्टमें माना इकि कौमला मुगनेसे इन्कार नमनपर, इकागी थी अयाउ हाइकोर्टमें हो सकता है	९
—	जब वीरे इतहाउ जायदादका दिवालयिया इलमे दा बर्ष पादिने हुआ हो उसत बायमें जायदाद हाईकोर्टनी बाय	९
५	अदालतके साप्रावण अधिकाय	१०
—	दिवालयिया अमान्यता, जगजत दीवानाके अधिकाय प्राप्त है	१०
—	जब कोई मादवाइ गिरावने सामने होती हाता अमान्य दावानाके अधिकाय नहीं होगी	१०
—	गिरावर दाय जायदाद वेचे जाने पर दावानाके अधिकार नहीं प्राप्त हांग	११
—	अदालतके अधिकाय ह कि लिखनेकी किमी जल्दी हो हाता	११
—	जब नेवनीपतामें दिवालयिया बननेकी लखामत न दी गई हो तो यह खारिज हो जावगी	११
—	जायदामे गेजवत अधिकाय अदालतके ह वर दूरपर व सीकहाहा अमान्य चयता हो	११
—	नहिनी दावानात खारिज होने पर दूमरी दाखलअन दिवालयिया बनता दा जाभकती है	११
—	अजा लतेक बाएथमें लोन नो अदालतके सब आपात बायमें काने जायम	११
—	अमान्य दिवालयिया अपने हुकमकी लखरमानि कर सकती है	११
—	विषय जम या हाईकोर्ट, अर्पाठ उमा तरह मुनेकी जेमे दावाना वा एवी माने है	११
—	जायत बननेमें, गिरावनेकी व म अतीत मनेहा अधिकाय प्राप्त है	११
—	दिवालयिया मायके कौ अर्पाठ दिनी नैमिस्तेम भी वी जाभकता है	११

दूसरा प्रकरण

दिवालयियोंके कामोंसे लेकर बहाल हाने तककी कारवाइ

६	दिवालयियोंके काम	१२
—	जय दायमें जनाए हुए बागोंके अथवा दिवालयिया बनने की अता नदी दी जायती	१२
—	दिवालयिया बनना जेमे दिवालयिया और उमों व जेम्बाह इत्येक हा द मकेने है	१२

दफा	विषय	पेज
—	गौनमे काम दिवाण्डियेके नाम नहीं है—१	१३
—	कर्मदारमे जब अपने महाजन या उनके एजेण्टों पर सूचना दी हो कि मैं दिवाण्डिया हू	१३
—	जब मालधर्ममे माल खरीदा जावे और उसे बेच कर दूसरा नया चुगाया गया हो	१३
—	जब कर्मदारमे मजूर किया हो कि मुझे शता नई देना है मगर इन वक्त सुभतान नहीं दे सक्ता है ...	१३
—	गौनमे काम दिवाण्डियेके काम हैं—१	१४
—	जब कर्मदारमे सब जायदाद दूसरे किसी को दे दी हो कि वह उसका सब कर्जा चुकावेगा	१४
—	जब कर्मदारमे दिवाण्डिया बननेकी अर्जी दी हो और चाहे वह अर्जी स्वीकृत भी हो गई हो	१४
—	जब कर्मदारके दरखवास्त देनेके तीन महीनेके अन्दर कर्मदारमे यह प्रकट किया हो कि वह कर्जा नहीं चुका सकेगा	१४
—	दूरियोंके सुपुर्त जायदादना किया जाता	१४
—	जब ब्याह अपनी जायदाद इस इरादेसे हटा दे कि उसमे ब्याहलाह लाभ न उठा सके	१५
—	एक कर्मदारको दूसरे कर्मदारके मुनाबिलेमें फायदा पहुँचाया हो	१५
—	दिवाण्डिये पर उस अदालतमें दरखास्त दिवाण्डियेके बनने कीदी जायगी जहाँ बन्द रहना हो या धरना करता हो	१४
—	कर्मदार अपनी जायदाद चला जावे, छिप जावे, भग जावे या गिरे भासने चला जावे	१५
—	हत्या, भागना, छिपना आदि इस मशारे हो कि कर्मदारको कृपा मारनाये या देर बसूरतमे हो	१५
—	कर्मदारमे चोरी, दिवाण्डियेके इन्कार किया हो और कोई बड़ा काम हटा दी हो	१५
—	जब कर्मदार नाम ल्या और एक बखिल मूर्ख के जरतार एक महाजन उस बखिलसे कृपा ले	१५
—	पादरी अर्जी दिवाण्डिया बननेकी अपर रखिन हो जय तो दूसरी जर्जी दूसरे कोई हर्जी नहीं पडेगा	१६
—	किसी कायना डिकरीके कर्मदारकी जायदाद भिन्नजाय तो माया जायगा कि वह दिवाण्डियाका काम है ..	१६
—	जब शागवता नारदार हो और एक आदमीकी जायदाद डिकरीमें बिचे तो दूसरे दिवाण्डिया दिवाण्डियान माने जायगे	१६
—	जब कर्मदारमे दिवाण्डिया बननेका अर्जी दी और वह नामजूर हो यहाँ पाँच उरुन फिर दी तो यह काम दिवाण्डिया का काम समझा जासकता है	१६
—	कर्मदार अपने किसी कर्मदारको जब नोटिससे उसने कर्जा देना बन्द कर दिया है	१६
—	एक शर्तदारके पैसा नोटिस देने पर कि वह कर्जा नहीं चुका सक्ता तो दूसरे शर्तदारों पर अंतर नहीं पडेगा	१७
—	कर्मदारके मुनाबिले या एजेण्ट का किया हुआ काम कर्मदारका किया हुआ काम समझा जायगा	१७
—	मुनीम या एजेण्टका काम अभी तक मालिकों पर बन्द रहेगा जब उसने अपने अधिारके अन्दर काम किया हो	१७
७	दरखास्त और दिवाण्डिया करार दिया जाता	१७
—	कर्मदार और कर्मदारके नाम को आँवना ह कि दिवाण्डिया करार दिये जाने की अर्जी दे सके	१७
—	दिवाण्डियेकी अर्जी देनेमे पहिले कोई न बन्द काम दिवाण्डियेका जकर होना चाहिये	१७
—	जब कानूनकी दफा ५ और १० मे उन नतीजा निक हें गिनना ध्यान अर्जी देने समय रखना चाहिये	१८
—	जब कर्मदार सिर्फ अर्जन कर्मदार पर अर्जी दे सक्ता है कर्मदारके जागिर पर नहीं दे सक्ता	१८
—	जब कर्मदार की दिवाण्डिया बननेकी अर्जी दी गई हो और वह मर गया हो तो अर्जी स्वीकृत न जायगी	१८
८	समा आदिक दिवाण्डिये की कार्यवाहीसे बरी होना	१८
—	गौनमे सुदा समा या कर्मनोके सिर्फ दिवाण्डिया बनने की अर्जी नहीं दी जासकती	१८
—	एगोप्रिपेशन, कार्पोरेशन आदि कर्मनी या फरक	१८

क्ष	विषय	पृ
	—बिभी फर्मके खिलाफ दिवालियेमें अर्जी दी जासकती है	१९
	—नावालिग, निवालिग करार नहीं दिया जासकता	१९
	—शांति शराक हिंदू कुटुम्बके अब वालिग इस्तेमाल निवालिग बनाने में नहीं तो नावालिगकी जायदाद रिहीतर अपन काममें नहीं आता	१९
६	कर्जद्वाराके दरखास्त देने की शर्तें	१९
	—उपर दखल ६ में बताया हुए काममें से कर्जदारने कोई एक काम छू मानक अब दर किया है।	२०
	—कर्जदारने याना अना देने वात वा कर्जी ५००) कथाम धम न हो	२०
	—कर्जदारने १० कर्जद्वाराके कथाम २ करार किया है तो अदातत उस दामदर तय करेगा	२०
	—बादमें अलगमें यह जाव करी कि कर्जदारने कर्जा ५००) ६० या ५०० है या नहीं	२०
	—उपर अमला हाना चाहिये और उसकी जिम्मेदार कर्जदार पर हाना चाहिये	२०
	—नव कर्ज किसा शायिल काम हिंदू पावार पर तो ता असकाल्य कोई ध्यान दिवालय बनाना जासकताह	२०
	—कर्जद्वाराके लिये जन्मी नदी है कि वह दिवालिगाना हुकम हान तक कर्जदार न बना रहे	२०, २१
	—अगर कर्ज वसूल कराने लिये दावा किया जातुगा हो तो भी उस कर्ज आधार पर दिवालिगिया अना दा जासकता	२०
	—एक या बह एक मिलकर कर्जद्वारा, कर्जदारकी दिवालिगिया बनानकी दरखास्त दे सकते हैं	२०
	—नव कर्जक पानके कई एक कर्जदार हैं तो उमेंसे एक दिवालिगिया बनाने की अर्जी नहीं दे सकते	२०
	—बकीर्त तादाद खास और तय का हुई तादाद हाना चाहिये	२१
	—होमो रजमता कर्जी १०० मानकर दिवालिगियेका अर्जी नहीं दे जासकता	२१
	—कर्जद्वारा, दिवालिगियेका जस कामके आधार पर अर्जी दे वह काम अर्जी देनेकी तागिलस ३ मासके अंदर हाना चाहिये	२१
	—अगर अर्जी गलत अदालतमें दा गई हा तो सही अदालतमें अर्जा दनक लिये बह मियाद नहीं मिलेगा	२१
	—तागिलस या कर्जकी कर्जदारका दिवालय बनानकालमें अर्जी दे सकता है	२१
	—अर्जी दिवालिगियेके काम या काम का पूरा निकर होना चाहिये चलताऊ न हाना चाहिये	२२
	—चाह दूसरे बहुतत काम दिवालयके दिवालय गय हैं मगर इस कानूनके एक भाग न हो ता अर्जी नहीं चलगा	२२
	—महकूब कर्जद्वारा भा दिवालिग बनानकी अर्जा दे सकता है मगर चंद शर्तोंक साथ	२२
१०	वह शर्तें जस कि कर्जदार दिवालिग करी दरखास्त दे सकता है	२२
	—प्रमाण सा अउनमें चाइ वह दिवालय करार दिया गया हा तो भायत १०० अउम लानु हागा	२३
	—कर्जदार दिवालिग बनानक अना उस दराम दे सकता है जब वह कर्ज अदा न कर सकता हा	२३
	—१० कर्जदारके कर्ज ५००) से कम न हा और उकी बड़ अर्जा न कर सकता हा	२३
	—नव कर्जदार किमा डिफॉर्म गिम्पनर हो गया हो आर डिफॉर्म कथाम अदा न कर सकता हो	२३, २४
	—नव डिफॉर्म कर्जदारका जयदाद तुके हा थई हा आर वह अदा न कर सकता हा	२३
	—कर्जदारकी एसा अना नेवापताम और मच्चा हाना चाहिये नामादक फावण उठाकर लिये न हा	२३
	—कर्जदारका पावना, कर्जमें बादा हा ता अदाता दिवालिगिया नहा बनवनी	२३

दफा	विषय	पन्ना
	—जजदार जब गिफ्तार किया गया हा और छेड़ दिया गया हा ता वह दिवालिया बननी असा नहीं दे सकता	२४
	—धार्मिकीक पावारम बाप आर दा लडकोंके हान पर दिवालिया बननका प्रश्न	.. २४
११	वह अदालत अहम दिवालिया की दरखास्तें दी जावें	.. २५
	—अनी दिवालिया की वहा दी जायगी जहा पर जजदार उपादा तर रहता हो उस जगहका अदालतमें	... २५
	— दिवालियानी अजा वहा भी दा जायगा जहा कजदार व्यापार करता हो	... २५
	—जहा पर कर्जदार परफना हुआ हो वहा का अदालत भा दिवालिया अनी दा जायगी	.. २५
	—मन कि चलत अदालतमें आग पेश की गई हा ता उअ बहुत अरद करना जरुरा है	. २५
१२	दरखास्तकी तस्दीक	.. २७
	—ज वहा दाव नीकी तरह दिवालिया अनी का भा तस्दीक का जायगा	. २७
१३	दरखास्तमें दिखलाई जाने वाली बातें	.. २७
	—उन कर्जदार कजास जुगास न दे सकता हा तब वह दिवालिया अजा दे सकता है	... २८
	—साथ कजदक रखना बचाया जो कर्जदारक निम्न न का हा वह रजा समझा जायगा	.. २९
	—अनीम कर्जदारहा नाम व उनका पता व कर्जा आद साफ साफ बताना चाहिये	... २९
	—कर्जदारको अपनी सब जायदाद व लइना व प्रावाड ड फण आदि बताना चाहिये	... २९
	—अनी देनक बाद दिवालियाकी सब जायदाद रसमवरक सिपुई हा जाना	२९
	—बुदलखड लखड एलनशा एकड व प्राविड ड फड एक्की जायदाद मुक व नालम न हो ही	. २९
	—दिवालियाका दरखास्तके अने तान वान निहायन जरुरी है, रयाच, बाप, आर कर्ज	... ३०
१४	दरखास्तका वापिस लिया जाना	.. ३०
	—अनी दनेक बाद, फिर वई बिना अदालतका आह्राके अर्ज वापिस नहीं ल सकता	.. ३०
	—जब सब मामल तर हा गये हो तो भा अदालतकी अधिकार है कि अर्ज वापिस न देके	.. ३०
१५	कई दरखास्तों दने में अदालतका अधिकार	... ३०
	—वह कर्जदारहा दिवालिया करार दनगी दरखास्तें दा हो तो वे सब साथही सुनी जावगी	... ३१
	—शामिल हा कि हा दु दानदानके खिलफ उसी समय दिवालियाकी दरखास्त दा जायगा जब शामिल हा उस प्रकारके काम ही	... ३१
१६	कार्यवाहीका तर्ज बदलनका अधिकार	.. ३१
	—अदालतका अधिकार दूसरका बदलवाह मान लेनका जब उसका कर्जा भा ५००) ५०० स कम न हो	.. ३१
	—करारवाह दरखास्त दने क बाद अगर दिवा लिपसे मिल जात तो अदालतके अधिकार	. ३१
	—जब कर्जदारहा अता दने के बाद परवी करना छड दिया हा	... ३१
१७	कर्जदारके मर जाने पर कार्यवाहीका चालू रहना	.. ३२
	—दिवालियाकी कार्यवाही खतम हुनस पहिल अगर कर्जदार मर जात तो उसके लगे अपना हक नहीं प्राप्त सकते	३२
	—कजदारक मर जान पर भा उस अदालत दिवालिया करार द सकता हा	... ३२

पृष्ठा	विषय	पृष्ठा
१५	१५ दरवास्तोंके लेनेका तरीका	३२
	—दावाना अदालतमें जिस तरह अर्जों दाव लिये जाते हैं उसी तरह दिवालिया की अर्जों भी ली जायगी	३२
१६	१६ दरवास्तों ली जानेके बाद की कार्यवाही	३२
	—अर्जों लाने के बाद अदालत उसके सुन जानेके लिये कोई तारीख नियत करेगी	३३
	—नियत की हुई तारीख का सूचना कर्जदारानको दी जाना चाहिये	३३
	—टाक द्वारा गिरफ्तारी भी पूरी सूचना बदलाव भन सकती है, यानी वार पर तारीख होना जरूरी नहीं है	३३
	—कर्जदारको इस सूचनाकी तारीख उसी प्रकार होना चाहिये जैसे दौखानाके समझकी होती है	३३
	—कर्जदारका बिना नामिन पहुँच यौ कार्यवाही को व्यर्थ सन बेकारगार होगी व मसूख हो जायगी	३३
२०	२० दरमियानी रिस्वीवरको नियुक्ति	३४
	—दिवालियकी जयदाद पर पानन चम्पार कर लेनेका अधिकार अदालतकी प्राप्त है	३४
	—अगर कर्जदार द्वारा अर्जों दा गईं तो दादमयभा रिस्वीवर जल्द नियुक्त किया जाना चाहिये	३४
	—दादमयानी रिस्वीवर अधिकार नहीं होगा जो ब्यापार गवाहों द्वारा नियत किया हुए रिस्वीवरके हात है	३४
२१	२१ कर्जदारके रिप्लाय दरमियानी कार्यवाही	३५
	—समाप्त दिवालियेसे ली जायगी अगर अदालत उसे अचित समझे	३५
	—दिवालिया बंधार दिये जावते पड़ेके जाम्ना दावानाके अनुसार उसकी जयदाद करी हो सकती है	३५
	—जा चाले दूसरे कानूनसुत हुए व बोलाम यहाँ हा सवतीं के दस कानूनसे भी न होंगी	३५
	—ग्रांटेड फंड कर्ज व नौअम नों किया जासकता	३५
	—कर्जदारका गिरफ्तार कर लेन व छेड देने व जमानत पर रिहा कर देनेका अधिकार अदालतकी है	३५
२२	२२ कर्जदारके कर्तव्य	३६
	—यहां सारा सब, दिवालिया की अर्जोंके सापटी अदालतमें दाखिल कर देना जरूरी है	३६
	—पेइसिड व उदनाम चिह्न व कर्जों खर्च सब दाखिल करना चाहिये	३६
	—बही जाना व मिसाव दाखिल करनेके बाद भी दिवालियाको रिस्वीवर या अदालतके हुकम पर हाजिर होना चाहिये	३६
	—दिवालिया अदालत निर्माण २०० सालसे ज्यादा भी जायदाद अमदक जरूरीके लिये तलब कर सकता है	३६
	—दिवालियको चाहिये कि रिमाकरो, मरदद, सब समझान, वार नह जा चाड उस मरद करे	३६
	—अगर कर्जदार, दिवालिया, रिस्वीवर अदालतके हुकमका न मान ता गन्ना होगी	३६
२३	२३ कर्जदारको रिहाई (छुटकारा)	३७
	—बिनी लिखामे मि फार कर्जदारको अदालत छेड सकता है या दूसरा हुकम दे सकता है	३७
	—अदालत किरते गिरफ्तार करके जल, दिवालियका भेज सकता है	३७
२४	२४ दरवास्तोंके सुने जानेका तरीका	३८
	—अदालत पहले यह देखगी कि सायमका अर्जों देनेका हक है या नो ?	३८
	—अर्जों पेड होनेके समय अगर कर्जदार दिवालिया माजद हो तो अदालत उसका बगान जयर लेके	३८
	—कर्जदारके बगान लनका उदर यह है कि कर्जदार जल्द दिवालियका जायदाद अदालतको मादम हा जाय	३८

दफा	विषय	पेज
—	अगर कर्जदारका लक्ष्मी कर्जे अयादा हों तो भी कर्जा चुगानेकी अवमर्यता वही जससेगी ...	४०
—	अदालत सरसरी जाच करेगी, पूरी तोसे बाधक जाच करने की जरूरत नहीं है ..	४०
—	अदालत, दिवालिया गे जायदादकी कीमत का तारीख पर ध्यान रखेगी और देनेकी कि उससे कर्जे चुगाने जायकेगे?	४०
—	कर्जे सही माने जायगे जब तक वे कर्जा न साबित हो जावें ...	४१
२५ दरखास्तका होना	..	४१
—	नायत दिवालियेभी उस समय देखी जायगी जब उसके बहाल होनेका हुक्म होने वाला हो	४१
—	दिवालिया करार देते समय, दिवालियेकी नीयत क्या थी यह देखना जरूरी नहीं है	४१
—	जब अर्जा खारिज की जाय तो अदालत सब कारण हुक्ममें लिख देगी	४२
—	दिवालियाभी अर्जा दिन दिन करणोंमें स्वाग्नि हो जायगी ई उनका म्योरा	४२
—	दिवालियेकी अर्जा देनेके बाद जब कर्तदारने किसीको कसबा चुगाना हो तो हर्जा नहीं पड़ सकता	४३
२६ हरजेका मिलना	...	४३
—	कर्जेका ह दाय दी हुई अर्जा खारिज हो जाने पर (१००) रु० तक हरजा कर्जदारको मिल सकता है	४४
—	हार्ने गेट में इस दफ्तारी अरील हा सकेगी	४४
२७ दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म	...	४४
—	जब दरखास्त दिवालिया खारिज न हो तो अदालत जरूर दिवालिया करार देगी	४४
—	मोहतरफ अर्जा दी जासकती है कि तारीख आगे बढ़ा दी जाय	४५
—	अदालतका कर्तव्य है कि दिवालिया करार देने पर बहाल होनेकी तारीख जरूर बना देवे	४५
२८ दिवालिया करार दिये जाने वाले हुनमका अक्षर	...	४५
—	दिवालिया करार दिये जाने पर कर्जदार सब बजोसे मुक्त हो जाता है मगर जेलमें नहीं होता	४५
—	सब जायदाद कर्जदारके रिश्वरके जिम्मे पूरी तौरसे हो जायगी और उसमें कमी नष्टा जायगा	४६
—	कोई लखनदार कुछ भी कारवाही न कर सकेगा	४६
—	किसी कर्मके दिवालिया करार देने पर उस कर्मके सब साक्षीदार दिवालिया माने जायगे	४६
—	दिवालियाका हुक्म होने पर टिकीदार कर्जदारको अदालतकी इनामतरफे गिफतदार व कैद रग सकता है	४७
—	शासितदगीक दि कुटुम्बके बालिय मंत्रियोंके दिवालिया होने पर उनके हक रिश्वरको प्राप्त हो जाने है	४७
—	दिवालिया बन जाने पर कर्जदार किसी महाजनको कसबा न दे सकता रिश्वर दे सकता है	४७
—	जब किसी कर्मके कुछ हिस्सेदार दिवालिया हों तो रिश्वरको यह हक नहीं है कि उस कर्म का जायदाद पर अनेके सबकी तरफसे कब्जा करे	४७
—	मिताधारों के दि कु परिवारके पितके दिवालिया होने पर उसके लडकों की जायदाद भी पाबन्द होती है और रिश्वरके कब्जेमें दी जा सकती है	४८
—	शासितदगीक कुटुम्बके मनेजरके दिवालिया होनेकी सूखनेमें रिश्वरके हक व अधिकार	४८
—	मालगुजारके दिवालिया होने पर उसकी सारी जमीन रिश्वरके कब्जेमें जावेगी मगर मीरुसी कानन नई जावेगी	४८
—	हासामी या रेलवे प्रांक्टिड कब्जकी रकम पर दिवालिया ना कोई अंतर नहीं पड़ता	४८/४९

सम	विषय	पंज
	—आपस देनेकी एवम् अलग अलग का हो सका है ...	१८
	—जब दिवालयमें अपने कर्तव्य विधी करनेके दे दिया हो तो हम पर रिटोवका हक नहीं रहता ...	१९
	—एयर अगार दिवाली एने कभी कब दे दिये हो अर कथना न किया हा तो दे दिवालयके नामक जादिये ...	१९
	—दिवालय होनेके बाद बजदारी अमदनी या नमनाइके सिमा रिमेको रिगार से सका है ...	१९
	—ना जायदाद कानूनमे कुर्क नहीं हो सकती बल्कि दिवालीदिकी भी न होगी ...	२१
	—मुद्राखण्डमे जगअद पैदा हातो भी धारदो कुर्क नहीं हो सकती तो हम कानूनमे भी न होगी ...	२१
	—ए वृत्त बजदारी पर हम दफता अदर नहीं एकाक बल्कि अपना बरा दफत बर सकता है ...	२१
	—असा रिश जान की तारीखमे दिवालय माना जायगा ...	२१
२६	बालू कार्रवाईयों का भेका जाना ...	२२
	—जिनकी अदायगीमें कोई मामला दिवालय पर या दिवालयकी तरफमें चलता होगा तब बंद हो जायेगा ...	२०
	—बजदारी अगार चाहे तो अपना भागो काट आ रख सकता है ...	२०
	—ए वृत्त बजदारीमें तर्कार या आदिशत रिगार का क मुकदमा बनाया जाना कहेवे ...	२०
	—दवालयकी आपदाके तर्कारको सब हक सगो ही हक बजदारीमें न पैदा होना ...	२०
	—दवालय दिवालीका कर्तव्य उग बल न बन्द होनी जबाददारीदाल अर्जा दी हो मगर कगार न दिया गया हो ...	२१
३०	दिवालयिया करार देने घाले हुएफकी सुदतदारी ...	२३
	—दिवालयिया करार दिये जाने पर तरफनी चखडमें नाम, पना, पैसा, प्रवाशिा येया जायगा ...	२३
दिवालयिया करार दिये जानेके बादको कार्रवाई		
३१	दिवालयिकी रचाका हुकम ...	२६
	—पादिके कानूनमे दिवालयिया करार देने हो बजदारी जेलखण्डमे की हो जाया हा पर अर नहीं होता ...	२२
	—बजदारीको जेम्मे बचनेके लिये दुपान अर्जा निवारके अदर देना जरूरी है ...	२२
	—जब तक बजदारी दिवालयिया करार न दिया जाय तब तक जेम्मे हुकमकी अर्जा नहीं दे सकता ...	२२
	—अदालत मजदूर नहीं है कि बजदारीको जलखण्डमे बचनेका हुकम अदर ही दे दे ...	२२
	—जेददारीको पूरा हक है कि बजदारीको जेम्मे हुकमका एने की अर्जा पर उत्र करे, सुदत दे ...	२२
	—मरवाशिा बजदारी लिये जेम्मे हुकमका बजदारीका हुकम नहीं होगा ...	२३
३२	दिवालयिया करार दिये जानेके बाद गिरफ्तारीके अधिकार ...	२३
	—दिवालयिया करार देनेके बाद अर जलखे रचाका हुकम देनेमे परने अदालत बजदारी गिरफ्तार कर सकती है ...	२३
	—अदालतको अधिकार है कि बजदारीको ३ नाम जेम्मे रखे ...	२३
३३	कर्तव्यकारकी सूची ...	२३
	—जेददारी अपना बजो उम बल भी सदिन बर सकती जब दिवालयिया हुकम हो जाय ...	२३
	—बजदारीकी सूची तैयार करता अदालतका कर्तव्य है ...	२३
	—सूची बजदारीको कभी तैयार होगी जेम्मे क्या रखा जायगा, कब बनेगी, कान बजायेगा ! ...	२३

दफा	विषय	पृष्ठ
	—अगर किसी का कोई कर्ज साबित करनेसे छूट गया हो तो वह भी सचिन किया जासकता है ...	५४
	—सब कर्ज कर्जदारके बहाल (जल्से छूटने) होने तक सूचीमें दर्ज हो जाना जरूरी है ...	५४
	—अगर कोई जेहनदार दूसरे जेहनदारका कर्ज खत बराय तो अदालत इस मामलेको तय कर देगी ...	५४
	—अगर कोई कर्जवाइ मर जावे तो उसके वारिसों को नोटिस दिया जाना चाहिये ...	५५
२४	वह कर्ज जो इस एक्टके अनुसार साबित किये जासकते हैं ...	५५
	—वे कर्ज नहीं दिलाये जायज जिनकी कीमत वा अदाना अदालत नहीं लगा सकती ...	५६
	—जेहनदारके कर्ज वही मान जायगे जो जेहसे छुटफार पानेसे पहिले साबित कर दिये गये हैं ...	५६

दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मंसूखी

३५	दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मंसूखीके अद्वितीयार ...	५६
	—जब अदालतकी रायमें दिवालिया करार न दिया जाना चाहिये ...	५७
	—जब सब कर्ज पूरे पूरे जेहनदार लेहनदारों को चुका दिये जावें ...	५७
	—दिवालिया करार देनेके हुक्मकी मसूखी की दरखास्त कर्जदार खुद भी दे सकता है ...	५७
	—अगर कर्जदारने लेहनदारोंके चौथाई अरि कर्ज चुकाना मजूर किया हो तो हुक्म मसूख न होगा ...	५७
	—कर्जदारके कर्ज हुक्म आदमी भी अदा कर सकना है, यह जरूरी नहीं है कि कर्जदार ही अदा करे ...	५८
३६	एक साथ दिये हुए दो दिवालियेके हुक्मको मंसूख करनेका अधिकार ...	५८
	—जब दूसरी अदालतमें दिवालियेकी कार्रवाई चलती हो तो एक अदालत बन्द कर देगी ...	५८
	—कर्जदारके कर्जके बाधनेमें जहासे सहूलियत हो वहा पर कार्रवाई होना चाहिये ...	५८
३७	मंसूखीके यादकी कार्रवाई ...	५९
	—कर्जदारके समयमें जायदाद कब बोनिस मिल जावेगी ...	५९
	—बहालकी दरखास्त न देने पर दिवालियेके हुक्मकी मसूखी होना ...	५९
	—मसूखीके हुक्म मरकाती गजटमें प्रकाशित किया जायगा ...	६०

तस्फीया तथा तय करनेका तरीका

३८	तस्फीया तथा तय करनेका तरीका ...	६०
	—कर्जदार अपने लेहनदारोंसे दरफीया कर सकता है कि वे कम राया लेकर पूरे कर्जकी भरपाई कर दें ...	६१
	—कर्जवाइको भी मॉर्टिगेकी जायगी और जो तीन चौथाईते कम न हों या उनके प्रतिनिधि हों ...	६१
	—जिस कर्जवाइकी सूचना न मिली हो वह मॉर्टिगेकी कार्रवाईका पाबन्द न होगा ...	६१
	—कर्जवाइको भी मॉर्टिगेमें वही शरीक होंगे कि जिनक कर्ज सूचीमें दर्ज हो चुके हैं ...	६१
	—कर्जदारने जब रिहाबरेसे जितनाकर किसी जेहनदारको रुपया दिया हो तो क्या फल होगा ...	६२
३९	मंजूर करने पर हुक्म ...	६२
	—समझौतेकी कार्रवाई कहीं कर्जदारों पर लागू होगी जिनका कर्ज सूचीमें दर्ज हो चुका है ...	६२

वक्र	विषय	पृष्ठ
४०	कर्जदारको फिर दिवालिया करार देनेका अधिकार ...	६२
	—समझौतेके सुताविक किसी अदायगी ठीक तौर पर न हो या घोस दिया गया हो ...	६३
बहाल होना (जेलखानेसे छुटकारा पाना)		
४१	बहाल होना ...	६३
	—किसी मियाद तक अदालत बहाल होनेका हुकम मुलगी कर सकती है ...	६४
	—जेलखानेसे रक्षाका हुकम अदालत बहुत सोच समझ कर देगी ...	६४
	—अदालत बहाल होनेमें शर्तें लगा सकती है जिससे कर्जदारका आपदनी आगे भी लड़नेदारोंका बाधा जाय ...	६४
४२	पूर्ण रूपसे बहाल होनेका हुकम अदालत द्वारा न दिये जानेके कारण ...	६४
	—जब लड़नेमें आधा कर्जा भी न चुकाया जासकता हो ...	६५
	—हिस्साब किताब कर्जदार ने न रखा हो या ठीक न रखा हो ...	६५
	—रिपोर्टमें कर्जदारके व्यवहार, चाल चलन आदिमें खराब रिपोर्ट दी हो ...	६५
४३	बहालकी दरखास्त दिये जाने पर दिवालिया करार दिये जाने वाले हुकमकी संसूची ...	६६
	—कर्जदारका इनामत लेन देस हुकमकी अपील कर सकता है ...	६७
४४	बहाल होनेके हुकमका असर ...	६७
	—बहाल होनेसे कर्जदार उन सब कर्जोंसे छूट जावेगा जो सूरीमें दर्ज हो चुके होंगे ...	६८

तीसरा प्रकरण

कर्जोंके साधित करनेका तरीका (जायदादका प्रबन्ध)

४५	आश्चर्या अदा होने वाले कर्ज ...	६९
	—जब कोई कर्जा आपदा वाजिबक अदा हो तो वह पहिले ही साधित हो जायगा ...	६९
४६	आपसका ब्योहार या मुजरार ...	६९
	—अगर दिवालिया और महाजन दोनोंका एकदमसे लेना देना हो तो मुजरार होकर रकम निश्चित न होगी ...	७०
	—हिस्साब होकर बाद रकमकी मुजरार होंगी, पहिले नहीं ...	७०
	—दोनोंके हिस्साब प्रस्ताव देने पर जिसके किये बाकी निकले वह उस रकमका देनदार होगा ...	७०
४७	महफूज कर्जलेखाह ...	७०
	—जब किसी चीज की कमानत पर रक्का दिया गया हो तो वह रक्का पूरा मिलेगा ...	७१
	—जब कि कुछ रक्का कमानत पर हो कुछ न हो तो क्या हालत होगी ? ...	७१
	—कमानतमें ज्यादा रक्का जब लड़ना निकलता हो तो साधित करमा होगा ...	७२
	—महफूज कर्जदारका कमानत ठीक तौर पर है, उसकी रक्का पर निर्भर है ...	७२

वर्ग	विषय	पेज
४८	सूद (ब्याज)	७१
	—नव सूदही दर ठहरी न हो तो ६) रुपया सैरका सालनाकी दरसे सूद लगाय जायगा	७२
	—सूद, दिवालिया करार दिये जानेके हुकमना तारीख तक दिलाया जायगा	७२
	—पहिले सूद तय न हुआ हो पांजे नोटिस दी गई हो तो नोटिस लिखी हुई होना चाहिये.	७२
	—महसूज करीखाहनी सूद, कर्जा वसूल होनेकी तारीख तक मिल सकेगा	७२
४९	साबित करनेका तरीका	७२
	—करी किस प्रकार साबित करना चाहिये उसका तरीका	७३
	—जैसे दूसरे कसे साबित किये जाते हैं, वैसे यह भी होंगे	७३
	—इल्फनामेंके द्वारा कर्जोंका तफ्ताल आदि दाखिल करके कर्जा साबित हो सकता है	७३
	—वह कागजात या बहीखाता पेश होंगे जिनसे कर्जा साबित होता है	७३
५०	सूचीके इन्तखावकों नामंजूर करना या घटाना	७३
	—अदालतका अधिकार है कि सूचीके कर्जों को हटा सके, बदल सके आदि	७३
पहिले किये हुए सौदों या कारखाइयों पर दिवालिया असर		
५१	इजरायमें कर्जखाहानके हकोंमें रुकावट	७४
	—दिवालियेकी अर्जो देनेके बाद उसकी जायदाद एक आदमी नीलाम न करा सकेगा	७४
	—नीलाम चाहे हो गया हो मगर रुपया वादमें वसूल होगा तो वह रिसीवरका होगा।	७५
	—जसदारन रु रुपया दे दिया पीछे दिवालियाकी अर्जा दी गई तो सब रुपया रिसीवरके वक्तेमें गया	७५
	—रुपया कर्जखाहनी मिलनेसे पहिले यदि दिवालियेकी अर्जा दे दी गई हो तो वह रुपया रिसीवरका है	७५
	—जब खसदारको यह न मालूम हो कि वह दिवालियाकी जायदाद है और नकनीयतीसे ले ली हो	७६
५२	जायदादके खिलाफ डिक्री इजराय कारमें अदालतके कर्तव्य	७६
	—दिवालियाकी जायदादसे सब कर्जखाहोंको लाभ पहुंचानेका उद्देश्य	७७
	—अदालतको नोटिस मिलना तथा बौन जायदादको, वच नीलाम किया जाय	७७
५३	अपने आप किये हुए सौदोंकी मंजूरी	७८
	—दिवालियेके पहिलेके इन्तकायात्र कब किस दशामें मसूज हो सकेंगे	७८
	—अदालतके अधिकारसे पहरेकी जायदादका इन्तकाल भी मसूज हो सकता है	७९
	—वैम, कैसे, किस तरहके व तिम इन्तकालके इन्तकाल मसूज होंगे	७९
	—दो सालके अन्दर किये हुए इन्तकाय ही रह हो सकेंगे	८०
	—दो सालके बियाद अर्जो देनेकी तारीखसे न ली जायगी बल्कि हुकममें ली जायगी	८०
	—कोई भी इन्तकाल उसी समय मसूज होगा जब दिवालियाकी कारवाई चलती हो	८१
	—रिसीवर किसी इन्तकालके प्रश्नको तय नहीं कर सकता	८१
	—इन्तकाल मसूज की कारवाई उससे तोरसे नहीं की जायगी	८१

क्र.	विषय	पेज
५४	कुछ मामलोंकी की हुई तरतीह की मंजूरी	८२
	—दिवालिया करार दिने जान बाल हुलमका असर निवृत्त सौदों पर क्या पड़ता है	८२
	—तीन महानेके सौदों पर असर पड़ता है इससे पहिलेके सौदों पर नहीं पड़ता	८२
	—वह कौनसे सौदे हैं जिन पर दिवालयका असर पड़ता है	८२
	—वर्षानेके पदा हानि पर छोदे रद्द हो जायेंगे	८३
	—सौदोंके सम्बन्धमें दिवालयके की शर्तकी जान करना जरूरी है	८३
	—सौदोंका मसूदा की अर्जों दिवालयका कारवायई जतम होनेसे पाहल दा जायगी	८३
	—वर्षाने सादे कब नहीं मसूदा समझ जायेंगे	८४
	—जब दबाव या धारे या आलते कोई सौदा किया गया हो जतमका असर	८४
	—जब कोई कप एसा किया गया है जितम एक आदमीके लाभ होना हो दूसरके नहीं	८५
	—कर्मदारने जब न लिखत बचने आर दशा छि लेके लिखे जायदाद देहन कर दी हो	८५
	—गिळ कर्जे आर कुछ रुपये हुकर दानाने बदल जब जायदाद देहन कराई गई है	८६
	—नालयस जायदाद बचानका गरजस जब जायदाद देहन कर दी गई हो	८६
	—बजहाने निजी कपया याद किमा साधमें दिया है तो वह उसे बचिस भासकेगा	८६
	—बजहानेके कपया खर्चेके लिखे जस इत्यतम पहिल जमा कमा लिया जायगा	८६
	—सामोंके वारमें सम्भवा कारवायई नहीं होगी बडा जलब की जायगा	८७
५४ (घ)	मंजूरीकी दरखास्त फौन खोग दे सकते हैं	८७
	—सौदों की मसूदी करानेकी अर्जों कौन २ लोग दोगे तथा परिणाम	८७
५५	नेकनीयतीसे किये हुए सौदों की रक्षा	८८
	—फौन सौदे इस कानूनके अन्तगार रद्द नहीं किये जायेंगे	८८
	—फौसे जोर कब वे सौद रद्द होंगे	८९
	जायदादका बसूल करना	
५६	रिसेवरकी नियुक्ति	८९
	—दिवालिया की कारवायईक तैयारमें अदालत रिसेवरके नियुक्ति उसनी सब जायदाद दे दर्ता है	९०
	—आसावक बचमें जायदादका हाना, अदालतक बचमें होना माना जायगा	९१
	—अदालतको अधिकार है कि किसी आदमी को भी रिसेवर नियुक्त कर दे	९१
	—निजी बजहानेका, दिवालयकी जायदाद पर रिसेवर नियुक्त न करना चाहिये	९१
	—जहा तक हो कानून बातोंके जानन बाला ही आदमी रिसेवर नियुक्त किया जाय	९१
	—रिसेवरको अदालत न मानना चाहिये, वह अदालतका अङ्गस मात्र है	९१
	—सुवानोंके मामलोंमें नियुक्त किये हुए रिसेवर और दिवालयका रिसेवरक अधिकारोंमें फरक है	९१
	—रिसेवर द्वारा बची हुई जायदादके धरीदारको, कब हानि होगी और कब नहीं	९२
	—रिसेवरमें अदालत जमानन से सक्ती है रिसेवर दायित्व कय सक्ती है	९३

दफा	विषय	पेज
	—रिसेवरकी फीस, कमीशन, तनखाह अदायत तय कर सकनी है	१२
	—दिवालियाकी अर्जा खारिज भंग हो जावे तो भी रिसेवरकी वह फीस मिलेगी जो अदालतने तय की हो	१२
	—बन्धुमें ५) सैकड़से ज्यादा रिसेवरको नहीं मिलता	१३
	—रिसेवरके अधिकार, वर्तव्य, जायदाद पर बन्धा आदिमा होना	१३
	—खराब काम करने पर रिसेवरको अदालत सजा दे सकती है	१३
५७	सरकारी रिसेवरको नियुक्त करनेके अधिकार	१४
	—आफिशल रिसेवर बन, कैसे किस दशामें नियत किया जावेगा	१५
	—अधिकार, वर्तव्य, जायदाद पर कब्जा लेना, उसकी फीस आदि	१५
५८	अदालतके अधिकार जब कि रिसेवर नियुक्त न किया गया हो	१५
५९	रिसेवरके कर्तव्य व अधिकार	१६
	—रिसेवर मुकदमों करनेवा सभन, अधिकार, वर्तव्य, ओहदेमा वर्धन	१७
	—जायदाद बेचना, समझौता करना, इन्तजाम करना, कर्जा वसूल करना, और नालिशें करना	१८
	—रिसेवर मुकदमोंमें, रिसेवा कर्जदार पर दावा कर सकता है	१९
५९ (ए)	दिवालिये की जायदादके सम्बन्धमें हाल दर्यापत करनेके अधिकार	१००
	—गौर आदिमयोंक बन्धे की जायदाद, दस्तावेजात, बागजात आदिमा तलब करना	१०१
	—जब कोई शरअ, तलब किया गया हो, न शरि या वह चीज श्रांखुल न कर तो वाण्ट जारी होगी	१०१
	—जिसे इस मतलबके लिये तलब किया जायगा उर्जा दिया जायगा	१०१
६०	गौर मनकूला जायदादके लिये खामस नियम	१०१
	—सरकारी टैक्स देने वाली जायदाद या जमीन वास्तवी रिसेवर नहीं बेंच सकता है	१०२
	—अदालत बौन शर्तोंका फटिले निर्णय करेगी	१०२
	—कलक्टरके द्वारा चीन जायदाद किम कायदेसे बेची जायगी	१०३
	—जब कि डिब्री किसी मुआहिदेके अजुतार नहीं दी गई है	१०३
	—डिब्रीकारको नोटिस दिया जाना और उनको जो जायदादमा दावा करने हों	१०३
	—डिब्रीका फना खाना निश्चित करना और जायदाद गौरमनकूला मुहैया करना	१०३
	—जब जिले वा अदालतने नोटिस जारी कर दिया हो	१०४
	—अदालतका फैसला करकेनके बीच एक प्रकरीवा डिब्री समझा जायगा	१०४
	—क्या वसूला तरीका और बिचार जायदादको सुरक्षित रखते हुए	१०४
	—कलक्टरकी हिसाब देनेकी जिम्मेदारी अदालतकी	१०५
	—जायदाद बेचनेका तरीका और सट्टलियन तथा लाभ का ख्याल	१०६
	तकसीम जायदाद	
६१	कर्जाका पेपरत बुकाया जाना	१०७

धारा	विषय	पेज
—	—दिवालिपेके रीतते कजे पहिले बुकये जावगे उनका चलन ...	१०७
—	—सगद्या कर्जा और उसके बाद २०) से कम कर्जाचिर्घोका क ते अरु बुकया जावगा ...	१०७
—	—कौन कजे पू बुकये जावगे और कौन कर्जोमें हिरसा रकदा दिश जावगा ...	१०८
—	—घरके वा वस्तुघाचोमें पडे हो कष्ट जिये जावगे ताम सुद भा बुकया जावगा ...	१०८
६२	डिवीडेन्ड, हिस्सा रस्दीका सगाया जाना ...	१०८
—	—कौन कजेमें हिस्सा रसदी कया वाप जावगा, तरीका, कथेच्य और अधिकार ...	१०९
६३	डिवीडेन्ड जाहिर किये जानेसे पहिले जिस कर्जेरुवाहने कर्जे साधित नही किया है उसके हक ...	१०९
—	—जब लदनदारने, कया कर्जोसभ कसेके बाद अपना कर्जे साधित किया हो तो उसे कुछ न मिलेगा ...	१०९
—	—जब लदनदारने, पहिला कया कर्जोसभ होनेके बाद कर्जे साधित किया हो तो दूसरे बार उसे कया मिलेगा ...	१०९
—	—अगर लदनदारने देवे अपना कर्जा साधित किया तो उसका हक धारा नही जावगा ...	११०
६४	आखिरी डिवीडेन्ड ...	११०
—	—रिसीवरका कर्जोप मोहित देनेका उन लोगोके जिनका कर्जे साधित नही हुआ ...	१११
—	—आखिरी कया उन सबको नष्ट जावगा जो बंधनेके समय कर्जेरुवाहोकी सूचीमें दर्ज हो चुके हैं ...	१११
६५	डिवीडेन्डके लिये कोई दावा नहीं हो सकता ...	१११
—	—अगर रिसीवर कया न दे और उसका नाम सूचीमें हो तो उसे अर्जे देने पर कया मिल जावगा ...	१११
६६	दिवालिपेके द्वारा इन्तज़ाम और उसका भत्ता ...	१११
—	—कनेदार दिवालिपेको भा उसकी जायदादका प्रबन्ध सुदरे किया जानकना है ...	११२
—	—जो रोनया चलत हो उस दिवालिपे कायम रह सकता है और प्रबन्ध कर सकता है ...	११२
—	—दिवालिपेके प्रबन्धते जो कया नमा होमा या लाभ होमा सब कर्जेरुवाहोमें नाश जावगा ...	११२
—	—दिवालिपेकी तनस्वाह, या कर्पोसभ अशकत दिशा कर्ती है ...	११२
६७	घंघे हुए दिवालिपेके अधिकार ...	११२
—	—पूरा कर्जा, सुद, घरके सुधारे जाकेके बाद जो कुछ बचे वह दिवालिपेके निक जावेगा ...	११२
६७ (घ)	जांचकी कमेटी ...	११३
—	—रिसीवरके कामो को जांचके लिये अदातत एक कमेटी नियत कर सकता है, न अधिकार ...	११३
रिसीवरके ट्रिब्युनाल अदाततमें अपील		
६८	रिसीवरके ट्रिब्युनाल अदाततमें अपील ...	११४
—	—रिसीवरके निर्मा काम या हुकमसे जिसको हाजि पहुंची हो वह उसकी अपील अदाततमें कर सकता है ...	११४
—	—अरीदार गौलाम दिन सुनोमें अपील कर सकता है ...	११४

दफा	नियम	पेज
—	अपीलकी मियाद २१ दिनकी है इसके बाद रितीवरके किसी काम या हुक्मकी अपील न होगी	११४
—	अदालतके हुक्मकी भी अपील दूसरी अदालतमें की जासकती है	११५
—	अगर किसीने २१ दिनोंके अन्दर अपील न की हो तो वह दीवानोंमें दावा दापर कर सकता है	११५
—	रितीवर यदि किसीका कर्जा मजूर न करे तो वह अदालतमें अपील कर सकता है	११५
—	रितीवर अगर दूसरे आदमी को जायदाद, दिवालियाकी जायदाद समझ कर ले लेवे	११६
—	दूसरे आदमी की जायदाद पर अगर रितीवर कृपा कर लेवे	११६
—	इस दफाके अनुसार अपील करने पर उसे अलग दावा, दीवानोंमें दापर करेका हक नहीं रहेगा	११६

चौथा प्रकरण

दण्ड (सजा)

६९	दिवालियेके जुर्म	११८
—	क्रायेके अनुसार काम न करने पर जो बसूर है वे इस दफामें बतारे गये है	११९
—	दिवालियेने जान बूझ कर जायदाद पर क्रमदा रितीवरको न दिया हो या काम न किया हो	११९
—	जब कि कर्जदारने धोखा देने की नियतसे काम किये हों	११९
७०	दफा ६६ का जुर्म लगाने पर कार्रवाई	१२०
—	जब दफा ६९ के जुर्म दिवालियेने किये हों तो मजिस्ट्रेटके पास मुकद्दमा भेजा जायगा	१२१
७१	बहाल होने या तस्फीया हो जानेके बाद फौजदारी मामलोंकी ज़िम्मेदारी	१२३
—	दिवालियेकी अर्जा मजूर होने पर और बहाल होने पर भी वह सजा पायेगा अगर जुर्म दफा ६९ के हों	१२३
७२	बिला बहाल किया हुआ दिवालिया श्रमकर कर्ज लेवे	१२३
—	दिवालियेने ५० से ज्यादा कर्ज लिया हो वाद कि वह बहाल नहीं हुआ तो जुर्म है	१२३
—	ऐसा दशमं दिवालिया कौनदारी सिपुर्द निया जायगा और सजा होगी	१२४
७३	दिवालियेकी असुविधायें (रुकावटें)	१२४
—	कौन्सिलका मेम्बर नहीं हो सकता जब तक कि बहाल न हो गया हो-	१२५
—	नावालियाकी जायदादका बली नहीं हो सकता, हो तो हथिया जायगा	१२५

पाँचवां प्रकरण

सरसरी कार्रवाई

७४	सरसरी कार्रवाई	१२५
—	छोटे २ मामले जल्द फैसल कर दिये जायगे ताकि दिक्कत न बढ़ने पावे	१२५
—	५०० से कम कीमतमें जायदादके सम्प धर्म हैं सरसरी कार्रवाई की जासकेगी	१२०

दफा	विषय	पेज
छठवां प्रकरण		
अपील		

७५ अपीलें	१२८
—दिवाणिया अदालतके हुक्मकी अपीलें जिनकी अदालतमें सब हो सकती है	१२८
—जजकी अज्ञातकी नियमनी हाईकोर्टमें होगी जो शिड्यूल १ में बताई गई है	१२८
—जावता दीवानी की दफा १०० के अनुसार हाईकोर्टमें अपीलें, व मामलोंकी क्रिया	१२९।१३०।१३१

सातवां प्रकरण

विविध सुतफारिक

७६ खर्चा	१३४
—दिवाणियेकी जेजखानेमें रखना खर्चो दिलाता अदालत पर निर्भर है	१३४
—दीवानी अदालतमें जिक्रादारको खर्चो देना पड़ता है मगर इदवाणियामें नहीं देना पड़ेगा	१३४
७७ अदालतमें एक दूसरेको मदद देवंगी	१३४
—एक अदालत, दूसरी अदालतकी दिवाणियेके काम करनेके लिख सकती है	१३५
७८ मियाद	१३५
—अपील करनेकी मियादमें कानून मियादकी दफा ५।१२ लागू होगी	१३५
७९ नियम बनानेके अधिकार	१३७
—भारत सरकारकी आज्ञासे कलकत्ता हाईकोर्ट और स्थानी सरकारकी आज्ञासे अन्य हाईकोर्ट नियम बना सकते हैं	१३७
८० सरकारी रिखीवरको अधिकारोंका दिया जाना	१३९
८१ प्रान्तिक सरकार द्वारा कुछ नियमोंका प्रयोग कुछ अदालतके लिये रोका जाना	१४०
८२ बचत (Savings)	१४०
८३ मंजूरी	१४१

सूची (शिड्यूल) और हाईकोर्टोंके बनाये रूलस

सूची नं० १ यह फैसले व हुक्म जिनकी अपील दफा ७५ (२) के अनुसार हाईकोर्ट में हो सकती है	१४२
सूची नं० २ ऐक्टके वह नियम जिनका प्रयोग प्रान्तिक सरकार द्वारा रोका जासकता है	१४३
सूची नं० ३ यह सूची रिपीलिंग ऐक्ट सन् १६२७ ई के द्वारा छटा दी गई है	१४३

दफा	विषय	पेज
	कलकत्ता हाईकोर्ट रूल्स	
	कलकत्ता हाईकोर्टके बनाये हुए नियम कानून दिवालियाके सम्बन्धमें ...	१४४
—	वायदे दिवालियाकी अर्जीसे लेकर अन्त तककी कार्रवाईके सम्बन्ध तक ...	१४४
—	रिसीवरकी नियुक्ति, अधिभार, कर्तव्य और अन्य सब बातोंका वर्णन ...	१४५
—	कजोंके साक्षित विषये जानेके सम्बन्धमें पूरी कार्रवाईका किया जाना ...	१४६
—	दिवालियेकी परमनकूला जायदादका बेचा जाना ...	१४७
—	हिस्सा रसदोना दिया जाना और अन्य बातें ...	१४७
—	सरसरी कार्रवाई किन किन मामलोंमें कैसी की जायगी ...	१४८
—	नमूना, कर्जदार दिवालियाकी दरखास्त का (अर्जी) ...	१४८
—	दिवालियाकी दरखास्त सुने जानेका नोटिस जो कर्जतवाहोंको दिया जायगा ...	१४९
—	दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म ...	१५०
—	नमूना उस कर्जतवाहकी दरखास्तका, नोटिस जिसका नाम सूचीमें दर्ज नहीं है ...	१५०
—	दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मको मसूखोंका हुक्म ...	१५१
—	तस्वीया या तय करनेकी रसीम पर और करनेके लिये जो तराख शे उसकी सूचना देना ...	१५१
—	उन कर्जतवाहों की फेइरिस्त जो तरकीया या तय करते समय रसीममें शामिल हों ...	१५२
—	कर्जतवाहोंको बहाल होनेकी दरखास्तकी सूचना ...	१५२
—	आददा होने वाली आमदनी या मिश्ने वाली जायदादमें शर्त पर बहाल होनेका हुक्म ...	१५३
—	कजों साक्षित विषये जानेका आम तराका ...	१५३
—	रिसीवरकी नियुक्ति का हुक्म ...	१५४
—	अन्तिम हिस्सा रसदोना देनेका नोटिस जो कर्जतवाहोंको दिया जायगा ...	१५४
—	कर्जतवाहोंको सरसरी कार्रवाईका नोटिस ...	१५५

इलाहाबाद हाईकोर्ट रूल्स

	इलाहाबाद हाईकोर्टके बनाये हुए नियम कानून दिवालियाके सम्बन्धमें ...	१५६
—	वायदे दिवालियाकी अर्जीसे लेकर अन्तिम कार्रवाईके सम्बन्ध तक ...	१५६
—	रिसीवरकी नियुक्ति, अधिभार, कर्तव्य, और अन्य सब बातोंका वर्णन ...	१५७
—	कजोंके साक्षित विषये जानेके सम्बन्धमें पूरी कार्रवाईका किया जाना ...	१५८
—	दरखास्तें व नोटिस ...	१६०
—	दिवालियेकी परमनकूला जायदादका बेचा जाना ...	१६०
—	सरसरी कार्रवाई किन किन मामलोंमें कैसी की जायगी ...	१६१
—	नमूना—जनरल टाइटल का लिखा जाना ...	१६२
—	कर्जदारकी दरखास्तका लिखना ...	१६२
—	कर्जतवाहानको दिवालियेकी दरखास्त सुने जानेका नोटिस ...	१६३

दफा	विषय	पेज
—	दिवाणिया करार दिये जानेका हुक्म	१६३
—	रितीवरती नियुक्तका हुक्म	१६३
—	कर्मका मानिन किया जाना आम तरीका	१६४
—	मजदूरोंका कर्म साबित किया जाना	१६४
—	तरफिया या तय होनेकी रफिम पर कर्जम्बाहोंके नाम नोटिस जारी किया जाना	१६५
—	उन कर्जम्बाहोंकी फेह्रिस्त जो तरफिया या तय होने वाली रफिमके समय बनाई जावे	१६५
—	दफा ६४ के अनुसार दिया जाने वाला नोटिस	१६६
—	दिवाणिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मसूखी का हुक्म	१६६
—	कर्जम्बाहोंकी बहालकी दरखास्तका नोटिस	१६६
—	आमदनी व चारमें आने वाली जागदारके सम्बन्धमें लगाई हुई शर्तोंके साथ बहालीका हुक्म	१६७
—	कर्जम्बाहोंके नाम नोटिस सरकारी कार्रवाईमें	१६७
—	वेत्ते कर्जम्बाहोंकी दरखास्तका नोटिस जिसका नाम सूचीमें दैन नहीं है	१६८

बम्बई हाईकोर्ट रूलस

बम्बई हाईकोर्टके धनाथे हुए नियम कानून दिवाणियाके सम्बन्धमें	१६८	
—	शर्तके दिवाणियाकी अर्जमें लकर आनाम कीर्तवाई तर	१६८
—	कजोंम साबित किया जाना पूरी शर्तवाई	१६९
—	रितीवरती नियुक्ति, अधिकार, कर्तव्य और अन्य बातोंका वर्णन	१७०
—	दस्ता रसदी और बहाल होना	१७२
—	हर एक दफाके अनुसार किस तरह नोटिस जारी किया जायगा	१७३
—	मरसला शर्तवाई जिन जिन मामलोंमें वेत्ते की जायगी	१७४
—	मुआयना और बहीखोंकी शीम आदिका वर्णन	१७६
—	नमूना आम उनका	१७६
—	कजोंम द्वारा दी जाने वाली दिवाणियाकी दरखास्त	१७७
—	कर्जम्बाह द्वारा दी जाने वाली दिवाणियाके दरखास्त	१७८
—	कर्जम्बाहानको दिवाणियाके दरखास्त सुने जानेकी शर्तोंका नोटिस	१७९
—	दिवाणिया करार दिये जानेका हुक्म	१७९
—	रितीवरती नियुक्तका हुक्म	१८०
—	कजोंम सुवृत (आम तरीका दफा ४९) के अनुसार	१८०
—	मजदूरोंके कर्जोंम सुवृत	१८१
—	तरफिया या तय होनेकी रफिमका नोटिस जो कर्जम्बाहोंकी दिया जाना चाहिये	१८१
—	कर्जम्बाहोंकी फेह्रिस्त जो तरफिया या रफिम पर विचार करते समय बनाई जाय	१८२
—	अन्तिम दस्ता रसदी बोधनेसे पहिले कर्जम्बाहोंकी दिया जाने वाला नोटिस	१८२
—	दिवाणिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मसूखीका हुक्म	१८३

दफ्तार	विवरण	पेज
—	बहाल होनेकी दरखास्त नोटिस जी कर्जवाहोंको दिया जाना चाहिये ...	१८३
—	सरसरी धारवाहोंका नोटिस दफ्तार ७४ के अनुसार ...	१८३

मान्तिक कानून दिवालियाके अनुसार नमूने

नमूने का फार्म न०	१ कर्जदार द्वारा दिवालिया करार दिये जानेकी दरखास्त	...	१८४
" " न०	२ कर्जवाह द्वारा दिवालिया करार दिये जाने की दरखास्त	...	१८५
" " न०	३ दरखास्त वास्ते बापिल खने मुकदमा	...	१८६
" " न०	४ कर्जवाहान द्वारा दरखाला दमियानों रितावरके मुकदम करानेके लिये	...	१८७
" " न०	५ नोटिस वास्ते दरखास्त दिवालियाके सुने जानेकी	...	१८८
" " न०	६ कर्जदारके मुक्त किये जानेके लिये दरखास्त दफ्तार २३ के अनुसार	...	१८८
" " न०	७ प्रोटेक्शन ऑर्डर मिन्वकी दरखास्त	...	१८९
" " न०	८ क्षमानतनाम	...	१९०
" " न०	९ अर्जी मिन्जानिम कर्जदार बाबत दिमागे जाने हुनी दफ्तार २६ के अनुसार	...	१९१
" " न०	१० दरखास्त वास्ते गिरफ्तार किये जाने दिवालियाके दफ्तार ३२ के अनुसार	...	१९१
" " न०	११ कर्जा साबित कानकी दरखास्त	...	१९२
" " न०	१२ दिवालिया करार दिये जाने वाके हुनम की मसूचीके लिये कर्जदारकी दरखास्त	...	१९३
" " न०	१३ दरखास्त कर्जवाह वास्ते मसूची हुनम दिवालिया	...	१९३
" " न०	१४ तरकीया या रजामे पेस करनेका दरखास्त	...	१९४
" " न०	१५ दरखाल वास्ते बहाल निय जानेके	...	१९५
" " न०	१६ दूसरा नमूना दरखास्त वास्त बहाल किये जानेके	...	१९६
" " न०	१७ बहालका दरखालके बिाघमें दी जाने वाली दरखास्त	...	१९६
" " न०	१८ दरखाल वास्त मसूचा इन्फाल जायदाद	...	१९८
" " न०	१९ धोखादेहीसे तरकीब देने वाक इन्फाल की मसूचीका दरखास्त	...	१९८
" " न०	२० दरखास्त कर्जवाह वास्त मसूची बन्तकाल जायदाद	...	१९९
" " न०	२१ दरखाल वास्त तद्दीकात जर्म दिवालिया	...	२००

शब्दार्थ सूची

अ

अदालत-कचेहरी, न्यायालय
 अभिप्राय-मतलब, आशय
 अहंता-प्रदेश, सूचा
 अनुसार-मुताबिक
 अलहदा-भिन्न, अलग
 अर्थ-मतलब, मानी
 अधिकतर-बहुतायतसे, अक्सर
 अपिकार-अफ़यार
 अदालत एकीभा-रमाल काजकोर्ट
 अवश्य-जरूर
 अनिश्चित-अलावा
 अर्जों-दरखवास्त
 अम्र-आत
 अम्रतजवीजमुदा-जिन वासका फैसला हो
 गया हो
 अदमपैरवी-पैरहाजिरीमें
 अपील-हुकमके विरुद्ध अर्जों
 अद, यगी-देना
 असर-प्रभाव
 अदुत्या-अधिकार
 असुविधा-अइचन
 आकिशल पसायनी-सरकारी रिसेवर
 आवश्यकता-जरूरत
 आगरा टनेन्की पकट-कानून लगान आगरा
 व अवध
 आधिपत्य-प्रधानता

इ

इन्तकाल-हस्तान्तरित
 इस्तकारिया-किसी दफ्तरके मान लिये जाने
 के लिये

इनकारी-न मानना
 इन्सालवेन्सी-विद्यालिया
 इजराय डिक्री-डिक्रीका जारी करना
 इजराय-जारी करना
 इन्तख़ाब-संदिप्त
 इन्तार्हुन्म-हमेशाके लिये हुकम जारी होना
 इन्तज़ाम-प्रबन्ध

उ

उदाहरण-मिसाल
 उल्लेख-जिकूर
 उपदका-दफ्तरके अन्दरका अंक
 उचित रूपसे-जायज़ तरीक़से
 उपस्थित-मौजूद

ए

एडीशनल-संस्करण, जुड़ा हुआ
 एकतर्फ़ा-एकहीपक्ष
 एतराज-आपत्ति
 एक्ट-कानून

क

कमिश्नरी-सूवेकी बड़ी अदालत
 कर्जदार-लेखनदार जिन लोगोंका रुपया
 कर्जदार पर बाकी हो
 कर्जदार-हो जिस पर बाकी है, (विद्यालिया)
 कर्ज-करजा, ऋण
 क़रार देना-मान लेना, तय कर देना
 कम्पनी-जमात
 कर्तव्य-कर्त
 कर्मती-समाज, क्षमा
 क़ाज़-अन्दर या ऊपरकी दफ्तर या अर्क के
 कानून इन्तकाल जायदाद-ट्रान्स्फर आफ़
 प्रापर्टी

कारवाई-काम करना, कारगुजारी

कारण-सबब

कास अपील-अपील करने पर दूसरा पक्ष भी जो अपील कर दे

ख

ख्याल करना-मान लेना

खफीफा की अदालत-स्माल क्लाज़ कोर्ट

खबर-सूचना

खास-विशेष

खानदान मुश्तक़ा-शामिल शरीक परिवार

खारिज-रद्द कर देना

खुलासा-सारांश

ग

गिरफ्तारी-कैदके लिये पकड़ना

गिरफ्तार-कैदके लिये पकड़ लेना

गैरहाजिर-न उपस्थित होना

गैरमनकूला-अचल जायदाद, स्थावर

घ

घटना-वाकिया

घोषणा-सूचना, खबर

घोषित-प्रकाशित

ज

ज़मानतदार-जिसने जमानत की हो

जमाअमानत-मांगतेही मिलने वाली वस्तुका रखना

जराअत काइतकारी

जागीरें-सरकारसे इनाममें पाई हुई जायदाद

जागीरदार-इनामदार, मालगुजार

जायदाद-सम्पत्ति

जायता दीवानी-सिविल प्रोसीजर कोड

जायता फौजदारी-क्रिमिनल प्रोसीजर कोड

जाती-निजी

ज़िक-उल्लेख, बयान

ज़ुर्म-अपराध

ट

टापू-जिस ज़मीनके चारो तरफ जल हो
टाउन्स-कलकत्ता, यम्बई, मद्रास, करांची

ड

डिफ़ीदार-जिसके हकमें फैसला हुआ हो

डिफ़ी-अदालतका फैसला मुद्देके पक्षमें

डिबीडेन्ड-निश्चित समयमें बांटने वाली रक़म

त

तय-फैसला, टीक

तस्दीक-क़ानूनके अनुसार मंजूरी

तजवीजगुदा-जिसका फैसला हो गया

तहरीर-लिखित

तहरीरी-लिखी हुई

तस्फीया-भामलेका नय हो जाना

तस्वीयानामा-फैसलानामा

तज़े-प्रकार, किस्म

तज़ेअमता-बर्नाथ की किस्म

तरीफ़ा-तरह, रीति

तर्जीह-भेद्यता

तक़दीम-बढ जाना

तजवीज़खानी-हुक़मके विचारके लिये अज़ों

तात्पर्य-मतलब

द

दरमियान-मध्यमें, बीचमें

दरअसल-वास्तवमें

दस्तूर-कायदा

दस्तन्दजी-आपत्ति करना

दफा-घारा

दरखवास्त-अज़ों, प्रार्थना पत्र

दरमियानी-बीचमें

दस्तावेज़-लिखतें जो स्टाम्प पर हों

दएड-सज़ा

दाखिल होना-पेश होना

दाया-नादिल

दिवालिया-कर्मदार
दिवालियेके काम-जिन कामोंसे दिवालिया
बताया जा सके

दीवानी अदालत-दीवानीकी फोर्ट
दख्खरल-सम्हाल, निगरानी

ध

धन-रुपया
धनराशि-रुपयोंकी शकलमें
ध्यान रखना-खयाल रखना

न

नज़रसामी-फैललेके लिये दुवारा विचार
कराने की अर्जी

नाबालिग-अज्ञान
नावाक़िफ-न आनने वाला, अज्ञान

निम्न-ज़ैल, नीच
निर्धारित-मुकरर
निश्चित-कसई तय कर देना

नियम-क़ायदे
नियत-मुकरर
निजीतौर पर-घरेलू

नियुक्ति-मुकररी
नियुक्त-मुकरर
नीयत-ईमान

नैकनीयती-शुद्धाचरण ईमानदारीसे
नोद्विस-सूचना

प

परिमाया-खास अर्थ का मान लेना

परिशिष्ट-तितम्भा

प्र-न्तु-लेकिन
परवाह-मानना, ज़रूरत
प्रधान-मुख्य

प्रसङ्ग-सम्बन्ध
प्रयोग-इस्तेमाल
प्रकरण-बैफ़्टर

प्रकाशित-ज़ाहिर

प्रश्न-सवाल

प्रबलित-राय ज है

प्रतिनिधि-एवजोमें, स्थानापन्न

प्रांत-ज़िला

प्रांशिक-सुबेका

प्राप्त-मिल गया

प्राचिडेन्ड फंड-काट काट कर जो रुपया जमा
किया जाता है

पूर्यातया-पूरी सरहले

पेंशा-धंधा

पेंशतर-पहले

प्रेसीडेन्सी-सुबा

प्रेसीडेन्सी टाउन्स-कलकत्ता, बम्बई, मद्रास,
करांची रंगून

पेंशन-नौकरी के बाद की तनखाह

पोलिटिकल पेंशन-राजनैतिक पेंशन

फ

फर्म-दुकान, कोठी

फर्म-तरीका, छपा हुआ कागज़

फोसदी-लकड़ें पर

फैसला-तय हो जाना, निश्चित हो जाना

फैसल-तय होना

फैलाव-विस्तार

ब

बयान लहरीरी-अवाबदावा

बहुमत-कसरतराय

बहाल होना-ज़ैलसे रखा पाजाना

बरी करना-छोड़ देना

बहोसियत-इज्जतके मुताबिक

बयनामा-बैचा नामा

बयबात-बेहनमें यह शर्त होती है

बचत-बकाया

बार सुबूत-सुबूतकी ज़िम्मेदारी

बिदिश-अङ्ग्रेज़ी

ब्रिटिश भारत-अङ्ग्रेजीराज वाला भारत
 बुन्देलखण्ड लैन्ड एलीमिशन ऐक्ट-बुंदेलखंड
 का ज़मीन लेने सम्बन्धी क़ानून
 घेनामीदार-फ़ार्जी नाम वाला व्यक्ति
 वंजा लाभ-अनुचित लाभ
 वंजा-नाजायज़

भ

भसा-सूचा
 भौति-तरह, प्रकार

म

मध्यप्रदेश-सो० पी० प्रंत
 मद्रियून-जिस पर डिकरी हो
 महफूज-रेहन रखने वाला
 महफूज कर्जब्याह-ज़मानत पर जिसने रुपया
 दिया है

मनकूला जायदाद-जंगम जायदाद, जो
 जायदाद चल सकती है

मतलिवा-कीमत
 मामला-मुकद्दमा
 मातहत-वशीभूत
 मात्रबल-पहलें
 मालकियत-हकीयत
 भिताक्षरा-धर्म शास्त्रका मान है
 मुतफरिक्-फुटकल
 मुनाफा-लाभ
 मुन्तकिज़-इस्तान्तरित करना
 मुन्तकिलअलेह-जिसके पास हटादी जाय
 मुआहिदा-इकरार
 मुग्तहरी-घोषित की हुई
 मुकरर-नियत
 मुहय्या-होसिल की गई
 मुर्तहन-जिसने रेहन रखा हो
 मोहसी-पैतृक
 मंसूखी-रद

र

रक्षा-महफूज
 रह-मंसूख
 रसदी-हिन्सेके मुताबिक
 राय-मत
 रिसेवर-अदालतका एक अफसर
 रिह,है-हुटकारा पाना
 रिपीलिंग ऐक्ट-जिसके द्वारा अन्य क़ानून
 रद हों
 रुकावट-अड्डयन
 रुस-कायदे
 रस्पान्डेड-जिसके खिलाफ अपील हो

ल

लागू-सम्बन्ध
 लाभ-फ़ायदा

व

व्यवस्थापक-कायम करने वाला
 व्यवस्थापिका सभा-जहाँ पर क़ानून बना
 जाते हैं
 व्यक्ति-शख्स
 व्यवहार-तज़ाअमल
 वाक्य-अल्फ़ाज़
 वाक़ियाती-जो क़ानून सम्बन्धी न हो
 वारिस-उत्तराधिकारी
 वारंट-गिरफ्तारीका हुक्म
 व्याख्या-हशरीह
 विस्तार-तशरीह
 विपरीत-ख़िलाफ़
 विविध-मुख्तलिफ़
 व्यौरा-तफसील

श

शब्द-लफ़्ज़
 शर्त-पाबंदी

शुद्ध-व्यक्ति
श्रीकृष्ण-हिस्सेदार
शामिल श्रीकृष्ण खानदान-मुश्तरका परिवार

स

सरसरी-साधारण
सीमा-हद
साधारण-सरसरी
सूची-फेहरिस्त
सूचना-इत्तलाह
खद-न्याज

संशोधित-तरमीम किया हुआ
संदिप्त-मुश्तरका
संगीन-मुश्किल, कठिन

ह

हकीकतमें-दरअसलमें
हक-स्वात
हस्तक्षेप-मुश्किल होना
हक शीका-हक दूसरेसे पहले अपना
हस्य-अनुसार
हिस्सा रसदी-हिस्सेके अनुसार


अङ्ग्रेजी नजीरोंकी सङ्केताक्षर सूची

A या All.	इन्डियन लॉ रिपोर्ट्स इलाहाबाद सीरीज
A. I. R. (All.)	आल इन्डिया रिपोर्ट्स नागपुर (इलाहाबाद सीरीज)
A. I. R. (Cal.)	आल इन्डिया रिपोर्ट्स नागपुर (कलकत्ता सीरीज)
A I R (Mad)	आल इन्डिया रिपोर्ट्स नागपुर (मद्रास सीरीज)
A. I. R. (Bom)	आल इन्डिया रिपोर्ट्स नागपुर (बम्बई सीरीज)
A. I. R. (Pat)	आल इन्डिया रिपोर्ट्स नागपुर (पटना सीरीज)
A. I. R. (Rang.)	आल इन्डिया रिपोर्ट्स नागपुर (रंगून सीरीज)
A I. R. (Pr.)	आल इन्डिया रिपोर्ट्स नागपुर (प्रिन्सी कौन्सिल सीरीज)
A. I. R. (Nag)	आल इन्डिया रिपोर्ट्स नागपुर (नागपुर सीरीज)
A. I. R. (Sindh)	आल इन्डिया रिपोर्ट्स नागपुर (सिंध सीरीज)
A I R. (Lab.)	आल इन्डिया रिपोर्ट्स नागपुर (लाहौर सीरीज)
A. L. J.	इलाहाबाद लॉ जर्नल
A W. N.	इन्डियन वीकली नोट्स
B. या Bom.	इन्डियन लॉ रिपोर्ट्स बम्बई सीरीज
B H. C.	बंगाल हाईकोर्ट रिपोर्ट्स
B. L. R.	बम्बई लॉ रिपोर्ट्स
Bur L. R.	बरमा लॉ रिपोर्ट्स
C. या Cal.	इन्डियन लॉ रिपोर्ट्स कलकत्ता सीरीज
C. L. J.	कलकत्ता लॉ जर्नल
C. W. N.	कलकत्ता वीकली नोट्स
F. B.	फुलबैच
I. C.	इन्डियन केसेज लाहौर
L. B. R.	लोअर बरमा रिपोर्ट्स
M. या Mad.	इन्डियन लॉ रिपोर्ट्स मद्रास सीरीज
P. L. J.	पटना लॉ जर्नल

प्रेसीडेन्सी टाउन्स कानून दिवालिया

एक्ट नं० ३ सन् १९०६ ई०

[कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, बंगलूर और कराची शहरोंके लिये]



सर्वाङ्ग पूर्ण व्याख्या और हाल तककी नज़ीरों सहित दफावार सविवरण सूची

पन्ना	विषय	पृष्ठ
१	नाम व प्रारम्भ	१
	—ता० १ जनवरी सन् १९१० ई० से यह कानून लागू होगा	१
	—प्रेसीडेन्सी टाउन्स (कलकत्ता, बम्बई, मद्रास) के अलावा भी यह कानून ऐक्ट न० ९ सन् १९२६ ई० के अनुसार स्थान और वयस्कीमें भी लागू किया गया है	३
	—प्राथमिक कानून दिवालिया और इस कानूनका भेद	२
	—इस ऐक्टका पहलेके कानूनों पर प्रभाव क्या पड़ता है	२
२	परिभाषायें	२
	(ए) 'कर्जलवाह' (Creditor) शब्दके अन्दर कौन लोग शुमार किये जायेंगे	७
	(बी) 'कर्जा' (Debt) और कर्जदार (Debtor) शब्दोंका अर्थ	२
	(सी) 'आधिकारक एसायने' (Official Assignee) शब्दका मतलब	२
	(डी) 'निर्धारित किये हुए' (Prescribed) शब्दका अभिप्राय	२
	(ई) 'जायदाद' (Property) का अभिप्राय और मतलब	२
	(एफ) 'नियमों' (Rules) का अर्थ और अभिप्राय	२
	(जी) 'सुरक्षित कर्जलवाह' (Secured Creditor) का मतलब व अर्थ	२
	(एच) 'अदालत' (The Court) शब्दका मतलब	२
	(आई) 'इन्तकाल जायदाद' (Transfer of Property) शब्दका अर्थ व अभिप्राय	२
	—किसी बेनामीदारको कर्जलवाह नहीं समझना चाहिये	६
	—अगर कोई शायी दरअसल व हर हालतमें अदा करनेका है तो वह कर्ज है	६
	—उधार देने वाले और उधार लेने वालेपर सम्बन्ध क्या है	६
	—जब किसीने कृपा दूसरेको दिया कि वह तीसरे आदमीको देदे तो सम्बन्ध क्या होगा	६
	—इस कानूनके पारिभाषिक शब्दोंकी व्याख्या वहीं होगी जो अन्य कानूनोंमें दी गई है	४
	—इस कानूनके सम्बन्धमें इंगलिश कैम्बले सत्र लागू हो सकते हैं	४

वध

विषय

पेज

पहिला प्रकरण

अदालतों की व्यवस्था व उनके अधिकार

अधिकार सीमा

३	वह अदालतें जिनको दिवालयिके अधिकार प्राप्त हैं	४
	—बलवत्ता, प्रदास, जर्जर और नर्मा हार्डवेर तथा सिन्धेके हार्डवेर टिड्ढल	४
४	अकेला एकही जज इस एक्टके अधिकारोंको चरत सकता है	५
	—हार्डवेर या चीफ कोर्टके चीफ जस्टिसको अधिकार है कि किछि एक जनका दिवालयिके कामके लिये नियत करे	५
५	कमरेमें जजोंका काम करना	५
	—जनको अधिकार है कि वह चाहे खुली अदालतमें मामला सुने या कमरेमें	५
६	अदालतके अफसरोंको अधिकार प्रदान करना	५
	—चीफ जनका अधिकार है कि वह दिवालयिके मामलोंके सुननेका अधिकार किसी अफसरको देदे	६
	—जिस अफसरको दिवालयिके मामला सुननेके अधिकार मिले हों वह पूरे होंगे	६
	—अधिकार प्राप्त अफसरको तौहीन अदालतके मामलोंके संबन्ध न होया	६
७	दिवालयिके सम्यग्रमें पैदा हुए सब प्रणोंको तय करनेके अधिकार	६
	—आदिवात प्रसाधनो आदिके बीचके मामलोंके तय करनेका अधिकार	७
	—दिवालय अदालतके हुकमनो रद करनेके लिये कोई मुकदमा दीवानोंमें दापर न किया जायगा	७
	—अधिकार सीमाके बाहर किसी जायदादके बारेमें अदालत हुकम दे सकती है	७
	—कानूनकी पाब दी करनेके लिये अदालत भी दिवालयिके मामलोंमें बाध्य है	७
	—कौनों पैशन अदायगीके बारेमें जो प्रश्न होंवे सब दिवालयिका अदालत तय करेगी	७
	—२०० डॉलर ज्यादा दूफिके आदमीको भी कब अदायत तलब करेगी ?	७
	—नब दूरा गवाह पछ हो तो अत सब सुविधोंमें मिलेगी जो दूसरोंमें मिलती है	७
	—चाहे शल्स गवाही देनेके इन्कार नहीं कर सकता	८

अपील

८	दिवालयिके मामलों की अपील	८
	—अदालत दीवालयिका अपने हुकमों पर दुबारा विचार कर सकता है	८
	—नजाराखी (Review) उसी शक्तिके सामने होगी जिसने हुकम दिया हो	८
	—अगर बदल गया हो या दूरा हाजिर आया हो तो उसक सामने भी नजाराखी होगी	८
	—जिस हुकमकी अपील जिस ताह कश पर की जायगी और कश पर नहीं	९
	—दीवानोंकी अपीलका तरह वान मामलोंमें अपील की जासकेगा	९

दूसरा प्रकरण

दिवालि येंके कामसे लेकर बहाल होने तककी कार्रवाई

दिवालियेके काम

६ दिवालियेके काम	५
—दिवालियेके काम कौन कौनसे होते हैं और कौन नहीं	५
—जिस पर डिफरी हो गई हो दिवालियाका काम है	५
—“ कर्जदार ” शब्दके अन्तर कौन लोग होते हैं, साधारण अर्थ माना जाता है	५
—किसीके देनेको जो कपया लिया जाय तो देने वाला कर्जदार नहीं माना जायगा	५
—परमल्लका रहने वाला आदमी भी दिवालिया करार दिया जासकता है	५
—जो व्यक्ति सक्षी मुआहिदा कर सकते हैं वह दिवालिया करार दिये जासकते हैं	१०
—दिवालियेके अपनी सब जायदाद दे देना चाहिये चाहे जहा पर वह ही	११
—अगर कर्जदारमें कपया मारनेके लिये सब या कुछ जायदाद इत्यादी हो	११
—जब कर्जदारने किसी खास लड़नदारको कपया चुकया हो दूसरोंका नहीं तो ऐसे मामलोंका विचार	११
—जब कर्जदार अङ्गरेजों भारतसे बाहर चला जावे या मृत हो जावे, भाग जाव	१२
—किसी फर्मका एक डायरेक्टर जब बाहर चला जाव तो फर्म दिवालिया न होय	१२
—कर्जदारके अधिकतर रहनेकी जगह बोन समझी जायगी	१२
—कैसला आरती आर अदालतकी डिफरेंस फारक	१३
—जब कर्जदारने लड़नदारको यह नोटिस दिया हो कि कपया नहीं चुकया आवेगा	१३
—किसी डिफरेंस कर्जदार जब रुक कर लिया गया हो तो वह काम दिवालिया है	१३

दिवालिया करार दिये जानेका हुकम

१० दिवालिया करार देनेके अधिकार	१३
—अर्ज देने पर भी दिवालिया करार देना अदालतको इच्छा पर निर्भर है	१३
—इस क्लॉकमें दिवालिया बन जाने पर भी हिदुस्थानमें दिवालिया बनया जासकता है	१४
११ अधिकारोंमें रुकावट	१४
—किन किन दशाओंमें अदालतको दिवालिया करार देनेका अधिकार नहीं है	१५
—कर्जदारका दीनानी की जेलमें होना और एक साल तक अदालतकी मांगमें रहना	१५
—जब किसी फर्मके दिवालिया बननेकी अर्ज दी जाव तो उस फर्मको एक साल बहा होना चाहिये	१५
—दिवालिया बननेके लिये किसी एकही शर्तका पूरा करना काफी होता है सबका नहीं	१५
—कमीशन लेकर काम करने वाला, एजेन्ट नहीं कहा जाता है	१६
—जैसे मुनीम, गुप्तारना, मुखरवार आदि जो उसी मालिकका ही बड़ा काम करते हैं एजेन्ट हैं	१६

धारा	विषय	पृष्ठ
—	निवास स्थान कर्जदारका एक साल तक जिस अदालतकी सीमामें हो—मतभेद ...	१५
—	भूखर्च रहना भा अदालतके अधिभार सीमाके अन्दर माना जायगा ...	१५
—	पुरोहित ४ मास तक बम्बईमें शिपोंके पास रहा तो उसका बम्बईमें रहना नहीं माना जायेगा ...	१६
—	धूमने जाना, सैरके जाना, निवास स्थान नहीं माना जायेगा ...	१६
—	हिन्दू परिवारका कर्ता जहा काम करता हो तो यह न माना जायगा कि दूसरे लोग भी बड़ा रहते हैं ..	१६
१२	यह शर्तें जिनके अनुसार कर्जद्वारा दिवालिया क्रमपर दिवालिकी दूरस्थास्त दे सकता है	१६
—	कर्जद्वारा कन, जिस दशामें, कर्जदारके विरुद्ध दिवालिया की अर्जी दे सकता है ...	१६
—	(५००) ६० वा कर्जा होना एक लड़नदारका या कई लड़नदारोंका होना जरूरी है ...	१७
—	तीन महीनेके अन्दरके वे फाय होना चाहिये जिन कामसे दिवालिया बनाया जाता हो ...	१७
—	प्रायदिन (जिसके पास जायदाद रहन हो) रहनका हक छोड़ कर अर्जी दे सकता है ...	१७
—	प्रायदिन जब अपनी रहनकी जायदादका अर्धांश खर्चा दे तो दूसरा चौथा उसे खतना दे सकता है ...	१७
१३	कर्जद्वाराकी दूरस्थास्त पर कार्रवाई तथा उस पर हुकम	१७
—	कर्जद्वारा द्वारा अर्जी देने पर कौन कार्रवाई आवश्यक होगी ...	१८
—	कर्जद्वारा जब दिवालिया बननेकी अर्जी दे तो उसे हलकनामा दाखिल करना होगा ...	१८
—	वे बातें सब साबित करना पड़ेगी या अर्जमें लिखी गई हैं ...	१९
—	अदालतको अधिकार है कि कार्रवाई करनेके लिये तारीख बदा दे ...	१९
—	सूत्र सुननेके बाद अदालत यदि समझे तो अर्जा खारिज कर सकती है ...	१९
—	कर्जदार, कर्जमें अदा कर सकता हो, या उसने वे बातें न की हो तो अर्जा खारिज होगी ...	१९
—	समन मिलने पर अगर कर्जदार न आवे तो अदालत उसे दिवालिया बना सकती है ...	१९
—	कर्जकी तादादमें छगडा हो तो अदालतको जमानत मागनेका अधिकार ...	२०
—	कर्जद्वारा अपनी अर्जी बिना अदालतकी मजूरीके वापिस नहीं ले सकता ...	२०
१४	यह शर्तें जिनके अनुसार कर्जदार दूरस्थास्त दे सकता है	२०
—	(५००) ६० कर्जा हो या गिरफ्तार किया गया हो या जायदाद कुर्के की गई हो ..	२०
—	जिम्मेदारके द्वारा पुर्नी रूपमें अदालतके लिये होना चाहिये ...	२०
१५	कर्जदारकी दूरस्थास्त पर कार्रवाई च उस पर हुकम	२१
—	अदालत पहले यह देखेगी कि उसके समातके शोध यह अर्जी है या नहीं ..	२१
—	अर्जी उभी समय तक वापिस हो सकती है जब तक दिवालियाका हुकम न हो गया हो ...	२१
१६	दरमियानी रिसीवरकी नियुक्तिके लिये अदालतको स्वतन्त्र अधिकार	२१
—	अदालत बीचमें जायदाद पर रिसीवर नियत कर सकती है यह बात उसकी इच्छा पर है ...	२२
—	अर्जी देनेके बाद और दिवालियाका हुकम होनेसे पहले रिसीवर नियत किया जासकता है ...	२२
—	रिसीवर आगिशल एसायरी नियत किया जायगा ...	२२
—	दरमियानी अफिशल एसायरीकी जयता दीनार्नाके आर ४० के हक होगे ...	२२

दफा	विषय	पेज
—	जायता दानाना ऐक्ट न० ५ सत १९८ ई० वा आर्दर ४० ...	२२
—	अदालत आ फिशल एमायना का फाँस नियत कर सकता है ..	२२
—	रिडीवरसे जमानत ली जासकता है, और हुक्मोंका मानना उरुका कतल्य होगा ..	२३
—	अगर रिडीवर शिक्षा न दारिख कर या रुपया अदा न करे या चलती करे .	२३
—	अदालत कम्पटर साइबरका भा राखार नियत कर सकता है जब मालगुजारी की जायदार हो ...	२३
१७	दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मका प्रभाव .	२३
—	दिवालियाकी अर्जो देने पर कोई कर्जनाह अर्हदा मालिश नहीं कर सकता ..	२४
—	जब जाला कायन दाखिल किये गये हों तो अदालतसे आज्ञा लकर दावा हा सकता है ...	२४
—	देहन रखने वालका सामान्य बद नहीं कया जासकता उस स्वतंत्रता रदगी ..	२४
—	शामिल शराक परिवारके बाबका जायदारमें लडकों, पातोंका हुक शामिल रहेगा ...	२४
—	जब कोई मुकदमा दायर हो पीछ फराक दिवालिया हा जाय ता जब तक उसका फाँसला न हो मुकदमा न चलेगा	२४
१८	कार्रवाईका रोक जाना	२४
—	दिवालिया अदालत दूमरा अदालतका हरिवायाम राक सकता है .	२५
—	मानका हुक्म डारक जरियत भना जासकता है या नकरक भनी जासकती है ...	२५
—	बाई मामला चाह दिवालिया करार दनक बाद भी चलता हा ता या रका जासकता है ...	२५
—	कलकता हाईकोर्टका राय है क जाला अनकी कार्रवाई रदगालिया, टाउसु चारुके राकी नहीं जासकती	२५
—	टाउसु इ सालत हा अदालत, जिलाकी दिवालिया अदालतकी कार्रवाई नहीं राक सक्ती ..	२५
१९	विशेष मेनेजरकी नियुक्तिके अधिकार ..	२५
—	विशेष मेनेजर तब नियत किया जावे जब कर्जदारका जायदार विशेष प्रकारकी हो ..	२६
—	आकिराक एमायना आर विशेष मेनेजरका फरक ..	२६
—	विशेष मेनेजरसे जमानत ली जायगी उसे सब हुक्मोंकी तामाल करना हागी .	२६
२०	दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी घोषणा ..	२६
—	दिवालिया करार दिये जानकी घोषणा सरकारी रुजुमें की जायगी ..	२७
दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मंसूखी		
२१	कुछ मामलोंमें दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मंसूखीके अधिकार ...	२७
—	या ता उसे दिवालिया करार दिया हा न जाना चाहिये भा या कर्जोका चुकाया जाना	२७
—	नहनदाराक कुछ कर्जे चुका दिये गये हों तथा दिवालियाका व्यवहार आरद ..	२७
—	दिन सूतोंमें कर्जोकी अदायगी मान ला जायगी—अदालतका एयाक ..	२८
२२	अगरजी अदालतोंमें साथ साथ कार्रवाईका होना ...	२८
—	जब रद अदालतमें कार्रवाई चाडू हो ता उस अदालतमें होगी जिसमें रहूलियत हो ...	२८

धारा	विवरण	पृष्ठ
२३	मंसूखी पर होने वाली कार्रवाई	२८
	—मसूखीके हुक्मके पहलके काम सब सहा मान जावेंगे जो अदालतने किये हैं	२९
	—मसूखीके बाद कर्जदार जेलमें भजा जासकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है	२९
	—मसूखीके हुक्मकी जापना सरकारी गजटमें अवश्य की जायगा	२९

दिवालयी करार दिये जाने वाले हुक्मके होने पर कार्रवाई

२४	दिवालयी द्वारा दी जाने वाली सूची	३१
	—जर्जदार से सूची अपने हलफनामके साथ दाखिल करना जरूरी होगा	३०
	—सूची कैसे बनाई जायगी, कब दाखिल होगी और उसका असर क्या होगा	३०
	—किसीकी दाखिलनाम पर अदालत जर्जदारके कसूर पर सजा दे सकती है	३१
	—कर्जदारने अगर सूची न बनाई व न दाखिल की तो आर्किशल एसायनी बनवेगा	३१

२५	रक्षाका हुक्म	३१
	—जर्जदार अपनी गिरफ्तारी और जेल जानेसे कैसे रक्षा कर सकता है	३१
	—रक्षा जेल जानेसे उन्हीं कर्जोंके दायरेमें हो सकेगी जो सूचीमें बताया गये हैं	३१
	—कर्जदारके अदालतमें दिवालयीकी रक्षा करनेके हुक्ममें उद्धार कर सकता है	३१
	—कर्जदारके लिये जलसे रक्षाका हुक्म देनेमें अदालत खूब विचार करेगी	३१

२६	कर्जखुदाहोंकी मीटिंग	३२
	—अर्जों देने पर अदालत सब लहनदारोंकी मीटिंग करने व मामलात तय करनेका हुक्म देगी	३२

२७	दिवालयीका खुली अदालतमें बयान	३२
	—जर्जदारका बयान उसके मर्तब, व्यवहार व जायदादके सम्बन्धमें अदालतमें होगा	३२
	—सूची कर्जोंकी दाखिल करनेके बाद जल्द बयान दिवालयीका हाना चाहिये	३२
	—आर्किशल एसायनी बयानके समय भाग लेगा तथा कोर्ट प्रश्न पूछ सकती है	३२
	—जर्जदारका बयान, लिखा जायगा, सब कैदन्दार उसे देख सकेगा, बयान हलफम होगा	३३
	—जब जर्जदार पागल हो या बेगुना हो या नाबालिग हो या अशक्त हो	३३
	—किन हालतोंमें व किनसे अदालत बयान लेनेसे बचा कर सकती है	३३

तस्फीया तथा तय किये जानेकी स्कीम

२८	प्रस्तावोंका पेश किया जाना तथा उनका कर्जखुदाहों द्वारा स्वीकार किया जाना	३४
	—कर्जदारका आधिकार, स्वीकारके पेश करनेका, व तय करनेका, प्रस्ताव पेश करनेका	३४
	—एसे प्रस्तावकी नकलका कर्जदारके पास भजा जाना और वसूली करना	३४
	—प्रस्तावका सञ्चालन, और कर्जखुदाहोंका अधिकार मजूर करनेका	३४
	—कर्जदारका द्वारा प्रस्तावकी मजूर कब पानी जायगी	३५

दफा	विषय	पंज
६४	—कर्मत्याह अपनी राय लिले पर १ दिन पहले आंफिशल एसायनोंके पास भेज सकते हैं	३५
६६	अदालत द्वारा प्रस्तावकी स्वीकृति	३५
	—कर्मत्याहोंके मजूर करने पर अदालतमें दगवास्त दी जायगी	३५
	—फोन बर्जवाह विशेष कर मरता है, तब पर सन्ता दी और जैसे करेगा	३५
	—प्रस्तावकी मजूरीके पहले आंफिशल एसायनोंकी रिपोर्टका अदालतमें पठोया जाना	३५
	—किन बातोंके होने पर अदालत प्रस्तावकी मजूरीको रद्द कर दगी और फोन उत्र करेगे	३५
	—मजूरोंकी बार्बाईमें अदालतकी आज्ञा लेना मामला तय किया जासकता है	३५
	—अदालत प्रस्तावका मामला तब तक मजूर न करेगी जब तक कम्पे कम रुपयेमें खार आशा अशु न हो	३६

३०	प्रस्ताव स्वीकार किये जाने पर हुकम	३७
	—आपनी समझौता बर्जदार और लेहनदारके बीचका तरकीबा नहीं समझा जायगा	३६
३१	दिवालियोंको दुबारा दिवालिया करार देनेका अधिकार	३८
	—अगर बर्जदार तरफियोंसे किन्तु ठीक वक्त पर अदा न करे तो दुबारा दिवालिया नयाया अससकेगा	३८
	—अदालतके अधिकार जब बर्जदार शर्तें पूरी न करे	३८
	—दुबारा दिवालिया करार देनेकी अर्जी देने पर सब बर्जें सानित किये जायेंगे	३८
३२	तस्वीय या स्कीमका प्रभाव	३८
	—फोन बर्जे तरकीबा हो जाने पर भी जैसेके तैसे बने रहेंगे उन पर इसका असर न पड़ेगा	३८

दिवालियोंकी ज्ञात व जायदादके सम्बन्धमें अधिकार

३३	जायदादके बतलाने या उसको बसूल करानेके सम्बन्धमें दिवालियोंके कर्तव्य	३९
	—बर्जदारको, लेहनदारोंकी मीटिंगमें शामिल होना जरूरी होगा	३९
	—बर्जदार अपनी जायदादकी फेहरिस्त देवे, हकिरत हो, दस्तावेज लिले आदि	३९
	—बर्जदार, रुपया बसूलमें मदददे, या हुकमकी तामील न करेगा तो सजा दी जायगी	३९
३४	दिवालियोंकी गिरफ्तारी	४१
	—जब, किस दशार्म, कैसे, दिवालिया गिरफ्तार किया जायगा और जेल भेजा जायगा	४१
	—जब दिवालिया भाग जाय, या भागने वाला हो, या भागनेमें उल्लखन टालना चाहे	४१
	—यदि यह मादूम हा कि बर्जदार अपनी जायदाद हटाने काग है या हटा दी है	४१
	—यदि बिना आज्ञा आंफिशल एसायनोंके ५०) से ज्यादा वाला जायदाद हटा दी हो	४१
	—यदि बर्जदारने अपनी दस्तावेजों, मही खाता अदिकी छिपा लिया हा	४२
३५	खुर्साका बूसरी जगहोंके लिये भेजा जाना	४२
	—कर्मदारके नामके मनीआर्डर, पासबल, खत, बंभा आदि सब आंफिशल एसायनोंके दिने जायेंगे	४२
३६	दिवालियोंकी जायदादका पता लगाना	४२

दफा	विषय	पेज
	—अदालत ऐसे व्यक्तियोंको तलब कर सकती है जिनके कन्जेमें दिवालियेकी जायदाद हो ...	४३
	—वह श्रुत बाण्टसे गिरावारा होगा या अदालतने हुकम पर न आवे या दरवानेजे न दे ...	४३
	—दिवालियेका कजा जितो पर साकिन इने पर उधिन टगसे वसूल निया जावेगा ...	४३
	—दिवालिया अदालतके हुकमोंकी तागील जावना दीवानेकी डिवालीकी तरह तागील होगी ...	४४
	—जावता दीवाने एक्ट न० ५ सन १९०८ का आर्डर २१ रूल २०३१:३५:१२६ ...	४४
४७	कमीशन जारी करनेके अधिकार ...	४६
	—गवाहोंके बयान लेनेके लिये कमीशन भी जारी निया जासकता है ...	४६
	—गवाहोंका कमीशन जावता दीवानेकी जायदादके मुताबिक जारी होगा ...	४६
	—जावता दीवाने एक्ट न० ५ सन १९०८ का आर्डर २६ रूल १ से ८ और १५ से १८ ...	४६
दिवालियेका बहाल किया जाना		
४८	दिवालियेका बहाल किया जाना ...	४८
	—दिवालिया, बयान देनेके बाद जेकसे लुप्तप्राय पानेकी दरखास्त दे सकता है ...	४८
	—जेकसे रक्षाकर हुकम देनेसे पहले अदालत आफिसरल एसायनेसे रिपोर्ट मांगी ...	४८
	—अदालतके अधिकार दिवालियेको जेलम रखा करनेके सम्बन्धमें ...	४८
४९	वह मामले जिनमें पूर्ण रूपसे बहाल किये जाने वाले हुकम देनेसे इनकार कर देना चाहिये ...	४९
	—जिन दशाओंमें दिवालियाको जेल जानेसे रखा अदालत नहीं देगी ...	४९
	—जब दिवालियेने तासीरातदिन्दकी दहा ४२१ से ४२४ के जुर्म निये हों ...	५१
	—दिवालियेके अपराधोंका बर्णन जिनके सबसे जेठ जानमें रखा नहीं मिल सक्ती ...	५१
	—अदालत तीन तीन बातें पहले देतीगी जब जेठसे कर्जदारी रखा हुकम देगी ...	५१
५०	बहालकी दरखास्तका मुगा जाना ...	५३
	—बहाल होने अर्थात् जेल जानगी रक्षाका हुकम होनेकी घोषणा ठीक रीतिसे की जावेगी ...	५३
५१	बहाल होनेकी दरखास्त न देने पर दिवालिया जरार देने वाले हुकमकी मंजूरी ...	५३
	—यदि दिवालियेने बहालकी अर्जी न दी, या शक्ति न हुआ तो पहले अर्जी खारिज हो जायेगी ...	५४
	—पहली अर्जी खारिज होने पर कनेदार जेठ भेना जासकता है ...	५४
५२	बहाल होनेकी दरखास्तका हुयारा दिया जाना ...	५४
	—दुसरा दरखास्त बहाल होनेकी सिवादके बाद नहीं दी जायेगी तथा न सुनी जायेगी ...	५४
५३	बहाल किये हुए दिवालियेका जायदाद वसूल करानेके सम्बन्धमें कर्तव्य ...	५५
	—जब दिवालिया जेकसे रखा पानेके बाद भी कर्जा वसूलीमें मदद न दे तो सचा दी जायेगी ...	५५
५४	धोखेदेहीसे किये हुए सौदे ...	५५
	—दिसायेने जायदाद जब अपनी ओरत या लड़कोंके नाम लिख कर हटा दी हो ...	५५
	—तोई ऐसा घुआसिरा जिसमें जायदाद दिवालियेके कानूमे आने वाला होंगे ...	५५

दफा	विषय	पेज
४५	घहातके हुकमका प्रभाव	५६
	—जेवमे रखा पात्रनेका हुकम किल बातो पर अहर नहो करता उनका वर्णन ...	५६
	—हरबाये कर्जा, धोखेके मामले, जाना चौकदारिको दफा ४८८ के मामलो पर प्रभाव न पड़ेगा ...	५६

तीसरा प्रकरण

कर्जोका साबित किया जाना

४६	दिवालिघेके सम्बन्धमें साबित किये जाते योग्य कर्जे	५७
	—दिवालिघेके परिनाईमें कौन कर्जे साबित होंगे कौन नहीं उनका वर्णन ...	५८
	—मुआदिदे, दस्तावेजों, भागों, जमानतों, गिनती कीमत निश्चय न हो, जिम्मेदारियों आदि का वर्णन ...	५९
४७	आपसमें व्यवहार व उसकी मुजररई	५९
	—जब एक दूसरेका पावना एक दूसरे पर हो तो दोनोंमें मुजररई हो जायगी ...	६०
	—देहनादके पावनाको कर्जदार मजूर न करता हो तो आकिदाल पलायनी उसका कर्ता न मानेगा ...	६०
४८	कर्जों साबित करनेके नियम	६०
	—ऐसे कर्जे साबित गिये जावें देलो दूसरी सूची का न० १ से ६ ...	६०
४९	कर्जोंका एक बूसरेसे पहिले श्रदा किया जाना	६१
	—दिवालिघेके कर्जोंमेंसे कौन कर्जे पहले चुराये जावेंगे और कौन उसके बाद ...	६१
	—हरबायी कर्जे मोकरोनी तनख्वाह, मजूरोंका दाम, मजानका किराया आदि पहले चुराये जायेंगे ...	६१
	—साक्षके कर्जोंके चुराये जानेका तरीका, व बचनके रूपये देना तरीका ...	६१
	—भित्तने कर्जे साबित हो चुके हैं उन पर हिस्सा रसदी मिलनेका तरीका ...	६२
५०	दिवालिघिया क्रारर दिये जानेसे पहिलेका किराया	६२
	—पहलेका किराया कर्जा मानकर हिस्सा रसदी चुकाया जायगा ...	६३

वह जायदाद जिससे कि कर्जे चुकाये जासकते हैं

५१	दिवालिघेकी कारयरीका सम्बन्ध	६३
	—दिवालिघेके समयका प्रारम्भ दिवालिघेके नाम होनेसे अदालतमें माना जायगा ...	६३
	—तीन सालके अन्दर जो कस सबसे पहले हुआ हो वससे दिवालिघेका समय माना जाना ...	६३
५२	जो जायदाद कर्जखवाहोंमें बांटी जासकती है उसका विवरण	६४
	—अमानतकी जायदाद, निमातकी औजार, पहननेके कपड़े वरतन नहीं बांटे जावेंगे ...	६४
	—जिस सब छोड़े जले वाटे सामानकी कीमत ३००) ६०) से ज्यादा न हो तो वह बाय जायगा ...	६४
	—कौन जायदाद कर्जखवाहोंको बांटी जायगी उसका वर्णन ...	६५
	—प्रामेसरी नोट जो उस दिवालिघेके पास अमानतमें हों ...	६५

वर्ण	विषय	पृष्ठ
—	नो सोमा जेवर बनानेको दिया गया हो और इसके पहले वह दिवालिया हो गया हो ...	६५
—	दिवालियेके पास जो जायदाद बतौर अमानतके हो या ट्रस्टीके वह उसकी न होगी ...	६५
—	गवर्नमेण्ट प्रोपर्टी को अमानत पानाने पर मददात वसत ..	६५
—	इसके अलावा पाठिसां दिवालियेके कारिगरोको दिये गये हैं ...	६५
—	डिब्टीके कौनसे रूपके पर लेहनदार डिब्टीसराफा पूरा हूब माना जावेगा ? ...	६५
—	तनखाह भी पैदा की हुई जायदादमें शामिल की जासकती है ...	६६
—	जबकि गादायमें माल भंग हो और चार्ज कर्जदारके पास कुछ समय रहती हो ...	६६
—	जो माल दिवालियेके नीकर या सिडुरेदारके कब्जे हो तो वह उसीका सम्पत्ता जायगा ...	६६

पिछले सौदों पर दिवालिया होनेका प्रभाव

५३	इजराके सम्बन्धमें डिब्टीदारके अधिकारोंमें रुकावट ...	६६
—	जब लेहनदारमें दिवालिया बात न मालूम हो और डिब्टीका रूपया नमूल करले ...	६६
—	लेहनदी जायदाद पर उन रुकावट प्रभाव कुछ भा नहीं पड़ सकता है ...	६६
—	नीजाममें पहले दिवालिया बन गया हो तो खर्चदार जायदादका उसमें हक नहीं होगा ...	६७
—	यदि गदियून हाजिर न हो और रूपया जमा किया गया तो डिब्टीदारको मिलेगा ...	६७
—	अगर किसीने नेफनीयतीमें यह बात बिना जाने कि वह दिव लियाकी है खरीदी हो ...	६७
५४	इजराय करमें काली अदालतोंके दिवालियेकी जायदाद सम्बन्धी कर्तव्य ...	६७
—	अगर अदालतकी दिवालियेकी खबर मिल जाय तो इनकी कार्यवाही रोक देवेगी ...	६७
५५	स्वयं किये हुए इन्तकाल जायदादकी भेखड़ी ...	६७
—	काली इन्तकाल जायदादकी दो वर्षके अन्दरके मसूल हो जासकते हैं ...	६८
५६	कुछ मामलोंमें तरजीहका रद्द किया जाना ...	६८
—	बन्दासमें जब किसी एक लेहनदारको सब रूपया उतारा हो दूसरोंको न दिया हो ...	६८
—	नेफनीयतीमें जब कोई कर्जा चुगाया गया हो, बेईमानीका इरादा न हो ...	६८
—	कर्जदारके सौदे किये हुए उस समय रद्द होंगे जब वह अपने रूपयासे अन्य कर्जों न चुगा सके ...	६८
—	वेसे सौदे और मामले कर्जदारके किये हुए रद्द होंगे और काम कर न होंगे ...	६९
५७	नेकनीयतीसे किये हुए सौदोंकी रद्दत ...	६९
—	सैसां दशममें कर्जदारके किये हुए सौदे सही माने जावेंगे और रद्द न होंगे ...	६९

जायदादका वसूल किया जाना

५८	आफिशियल एग्जायनी द्वारा जायदाद पर कब्जा लिया जाना ...	७०
—	निजती एग्जायनीसे आफिशियल एग्जायनी दिवालियेकी जायदाद पर कब्जा करेगा ...	७०
—	आफिशियल एग्जायनीके अधिकार और हक तथा कर्तव्योंका वर्णन ...	७१

दफा	विवरण	पन्ना
५९	दिवालियेकी जायदाद पर क़ब्ज़ा लेना	७१
	—दिवालियेके कर्म, मकानम घुम कर तलाशी लेने आदिका हुकम व अधिकार	७२
	—दिवालियेके लिये कौन कौन सामान छाड़ दिया जासकता है	७२
	—दिवालियेकी जायदाद जब किमा दूसरक पन्म हो या क़स्ममें हो तो वारण्ट जारी होगा	७२
६०	दिवालियेकी तनख़्वाहका कर्ज़ख़ाहोंके लिये लिया जाना	७२
	—सर्जामे नाक़ीरी तनख़्वाह दिवालियेकी लेखनशामें बायी जावेगा	७२
	—दिवालियेकी आमदना आद बेस, बानमी, कब लइनदारोंका नाग जायगा	७३
६१	जायदादका एकके पासले दूसरेके पास जानत या एकच दूसरेको मिलना	७३
	—एक अफिशल एसायनेके हाथत दूसरे अफिशल एसायनाके हाथमें जायदाद जासकगा	७३
६२	विला लाभको व भारी वार वाली जायदादका छोड़ दिया जाना	७४
	—जिस जायदाद पर ज्यादा क़मा लदा हा या बेइ इगदना हा वह छाड़ना जासकती है	७४
	—१९ मामक अन्दर भारी वार वाली या उल्लानकी जायदाद छेप जासकती है	७४
	—अफिशल एसायनेके छाड़ देने पर उस जायदादमें दिक्कतियांका इक न हागा	७४
६३	ठेकोंका छोड़ जाना	७५
	—दिवालियेके ठेका अदालतमे मज़गते अफिशल एसायनी छाड़ सकता है	७५
	—खतमें नदइ हुई चानों आदक लिये छाड़ जानमें प्रालय	७५
६४	अफिशल एसायनी द्वारा जायदादका छुड़ाया जाना	७५
	—भगर २० इन्क अदर जायदाद छाड़नेकी नाबत तय न हो ता फिर नहीं छाड़ा जासकती	७५
	—अदालत २० इन्क मियादमा अपने हुक्ममें नडा सकती है	७६
६५	अदालत द्वारा मुआहिदोंके छोड़े जानेका अधिकार	७६
	—मुआहिदा पूरा न कतेक कारण अदालत इरना लाल्या सकता है	७६
	—जस मुआहिदेमेंसे लाभ हाता हो उसका अर्जा पर अदालत उस मुआहिदे पर विचार करगी	७६
६६	छोड़ी हुई जायदादके सम्बन्धमें सिपुर्दगीका हुक्म देना	७६
	—छाड़ा हुई जायदादके मिलनेके लिये जब किसान चर्को अदालतमें दा हो	७७
	—एसा अजामें अपना आवकम, इक आद जाहिर करना जरुर है	७७
	—अदालतका अधिकार शों लगानेका, मपुर्द करत तथा दनकी	७७
६७	छोड़ी हुई जायदादसे जिस हानि पहुंचती हो वह साबित कर सकता है	७८
	—छाड़ा हुई जायदादत जो शानि हो वह बतौर बर्जेके दिवालियामे वसूल का जावेगी	७८
६८	जायदादकी वसूलीमें अफिशल एसायनीके कर्तव्य व अधिकार	७८
	—मितीने मल्दा हो संके दिवालियेकी शय्या वसूल करता वतय होगा	७८

क्रमा	विषय	पृष्ठ
	--जायदाद या हिस्सा बेचना, बपया वसूल करना, व्यापार चलाना, धुकहना लड़ना, रेंट करना आदि ...	७९
	--चर्च फलदा करना, वसूली बपयेको रसीद देना, अदालती कार्रवाई करना आदि ...	७९
	--आफिसर एसायनीके अधिकार, हक और बर्तव्याका वर्णन ...	७९

जायदादका घाटा जाना

६१	हिस्सा रसदीका पलान व उसका घाटा जाना ...	८०
	--पहिछा हिस्सा रसदी एक सालके अन्दर पलान करके बाया जाना चाहिये ...	८०
	--दूसरा हिस्सा रसदी जहा तक हो ६ मासके अन्दर बाया जाना चाहिये ...	८०
	--हिस्सा रसदी बाटे जानेके पहिले सूचना सब लेह्नदारोंको भेजी जावेगी जिनके नाप दर्ज है ...	८०
७०	संयुक्त तथा अलगकी जायदाद ...	८१
	--जुदागाना कर्जे जुदागाना जायदादसे पहिले चुकाये जावेगे पीछे अन्य कर्जे ...	८१
७१	हिस्सा रसदीका अन्दाजा लगाया जाना ...	८१
	--बुद्ध बपया रोक कर बाकी बपया हिस्सा रसदीमें आफिसर एसायनी काट देगा ...	८२
	--जायदादका इन्तजाम करनेके लिये जो खर्च पड़े उसके लिये बपया रोका जासकता है ...	८२
७२	उस कर्जरचाहका हक जिसमें हिस्सा रसदीके पलानसे पहिले, अपना कर्ज साबित न किया हो ...	८२
	--उन कर्जरचाहोंको हिस्सा मिल सकेगा जो रसदीके बाद अपना कर्ज साबित करे ...	८२
	--साबित होनेके बाद जो बपया दुबारा बटेगा उसमें उनको हिस्सा रसदी मिलेगा ...	८२
७३	अन्तिम हिस्सा रसदी ...	८२
	--आखिरी बपया बांटेने पहिले उन लेह्नदारोंको सूचना देना जिन्होंने कर्ज साबित नहीं किया ...	८३
	--नोटिसकी प्रयादके अलावा लेह्नदारको मोहजत भी मिल सकेगी ...	८३
७४	हिस्सा रसदीके लिये कोई दावा नहीं हो सकता ...	८३
	--जिस हिस्सा रसदी न मिले वह अदालतमें अर्जी दे सकता है अगर दावा नहीं कर सकता ...	८३
	--अदालत, रोके हुए समयका प्यान और अर्जाका खर्चा भी दिना सकता है ...	८३
७५	दिवालिये द्वारा जायदादका इन्तजाम कराया जाना तथा उसे उसके पयजमें क्षमफल मिलना ...	८४
	--दिवालियेसे जायदादका प्रबन्ध, ध्याधारका इन्तजाम आदि करगा जासकता है ...	८४
	--अदालत दिवालियेसे काम लेनेके बदलेमें उसे उनपर दे सकती है खर्चके लिये ...	८४
७६	बचे हुए हिस्सेको पानेका हकदार दिवालिये है ...	८४
	--जब सब लेह्नदारोंका बपया अदा हो जाय तो बाकी सब जायदाद दिवालियेको मिलेगी ...	८४

दफा	विषय	पृष्ठ
चौथा प्रकरण		
आर्क्षिकल एसायनी		
७७	दिवालियेकी जायदादके लिये आर्क्षिकल एसायनीकी नियुक्ति तथा हटाया जाना ...	८५
	—कलकत्ता, बंगई, मकान, बरामों आर्क्षिकल एसायनीकी नियुक्ति कैसे होगी ...	८५
	—आर्क्षिकल एसायनीके कर्तव्य, अधिकार और हकोंका वर्णन ...	८६
७८	हलफ देनेके अधिकार ...	८६
७९	दिवालियेके व्यवहारके सम्बन्धमें कर्तव्य ...	८६
	—दिवालियेके कामों व व्यवहार पर भी पूरा विचार दिया जायगा ...	८६
	—जेलसे छुटकारा पानेके समय दिवालियेके व्यवहारोंकी रिपोर्ट मांगी जायगी ...	८७
	—जब कर्जदात्रने धोखेके काम जालसानी, बेईमानी आदि की हो तो अदालत विचार करेगी ...	८७
८०	कर्ज एसायनीकी फेहरिस्त दाखिल करनेका कर्तव्य ...	८७
	—लेहनदारोंके अधिसार दिवालियेके लेहनदारोंके फेहरिस्त देनेका ...	८७
८१	धमकल-मेहनतकी फीस ...	८७
	—आर्क्षिकल एसायनीकी फीस अदालत निर्दिष्ट करेगी देखो नियम ११२ (५) ...	८७
८२	आर्क्षिकल एसायनीकी ब्रेउनयानी ...	८७
	—अदालत, आर्क्षिकल एसायनीकी यलनी आदिसे पैदा हुई शानिकी पूर्ति करा सुवनी है ...	८८
	—अदालतका कर्तव्य है कि वह आर्क्षिकल एसायनीमें घलताके बारेमें जवाब तलब करे ...	८८
८३	किस नामसे द्वावा दायर किया जाना चाहिये या द्वावा उत्तर पर होना चाहिये ...	८८
	—सब बार्बार्ड “ दिवालियेकी जायदादका आर्क्षिकल एसायनी ” इस नामसे की जायगी ...	८८
८४	दिवालिया होने पर आर्क्षिकल एसायनी अपनी जगहसे हट जावेगा ...	८८
	—अगर खुद आर्क्षिकल एसायनी दिवालिया हो जाय तो वह अपने पदसे कौत हटा दिया जायगा ...	८८
८५	मीटिंग आदि करनेके कर्तव्य तथा उसकी पाबन्दी ...	८९
	—लेहनदारोंकी मशा जाननेके लिये मीटिंग करना उचित माना गया है ...	८९
	—मीटिंगमें पास हुए परतब पर अमल करना जरूरी होगा ...	८९
	—आर्क्षिकल एसायनीको जायदादके प्रबन्धमें पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त रहेगी ...	८९
८६	अदालतमें अपील ...	८९
	—आर्क्षिकल एसायनीके प्रत्येक काम और हुक्मकी अपील अदालतमें ही सकेगी ...	९०
	— इस कानूनकी दफा १०१ के अनुसार २० दिवके अन्दर अपील करना चाहिये ...	९०
८७	अदालतका द्वाघ ...	९०

बर्ग	विषय	पृष्ठ
—आफिशल एसायनाके खिलाफ कार्रवाई की जायगी जसा उसने जोई तिलका काम किया हो	...	९०
—एसायनाके हिसाबका जाल वा जासवती है, जबाब पूजा जासवता है	...	९०

पांचवां प्रकरण

जांच कमेटी

८८ जांच कमेटी	९१
—लेहनदारोंकी एक जांच कमेटी, एसायरीके कार्रवाई जाचके लिये बनाई जासवती है	९१
—कीन लोग मेबर होंगे, कमेटी क्या करेगी, कैसे बनगी तथा इक क्या होंगे	९१
८९ जांच कमेटीके, अधिकार, आफिशल एसायनीकी जांचके सम्बन्धमें	९१
—कमेटीको जो अधिकार दिये गये हैं उनमें क्या प्रयोगमें नहीं लाये जासवते	९१

छठवां प्रकरण

कार्यक्रम

९० अदालतके अधिकार	९२
—दिवालयके सुननेमें सब कार्रवाई, जसना दीवानीकी तरह की जावेगी	९२
—अदालतके अधिकारोंका वर्णन, जहाज आदिक सम्बन्धमें कार्रवाई	९२
९१ पिटीशनोंका एक साथ शामिल किया जाना	९२
—एकही वर्जदारके अनेक लेहनदारोंकी अनेक अभिया एकात्ममें शामिल होगी	९२
९२ एमर्क स्थानमें दूसरे कर्जकर्त्ताह द्वारा कार्रवाईका किया जाना	९४
—जिसन दिवालयी बदलेकी अर्जा दी हो और ठीक पगवी न करेता बदल दिया जायगा	९४
९३ कर्जदारके मर जाने पर भी कार्रवाईका चालू रहना	९४
९४ कार्रवाईको रोकनेके अधिकार	९४
९५ किसी शरीकदारके विरुद्ध दिवालयको दरखवास्तका दिया जाना	९४
—नारायणामें कर्च लिया हुआ व्यक्ति नाश्रि हाने पर दिवालयी नहीं बनाया जासवता	९५
९६ कुछ टेम्पान्डेन्सुके विरुद्ध दरखवास्तका सारिज किया जाना	९५
—अनेक दिवालयामें जब कुछको अदालत परी करेता नाशरीक बग न मान जायेंगे	९५
९७ शरीकदारोंके विरुद्ध जुदागाना पिटीशनोंका दिया जाना	९५
—एक मामलते सम्बन्ध सुनने वाले जब अनेक मामलें हों तो मुद्दों अदालत सुनेना	९५

क्रमांक	विवरण	पेज
६८	ऑफिशियल एसायनी तथा दिवालियेके शरीकदार द्वारा चलाये जाने वाले मुकदमे ...	१६
	—एक सार्वजनिक दिवालिया नगनेमें दूसरे सार्वजनिक उद्देश कर सकते हैं ...	१६
६९	सम्पत्तियों के नामसे मामलोंका चलाया जाना ...	१६
	—जिस नामसे दूकान चलती हो उस नामसे दिवालियेकी कारोवाई चल सकती है ...	१७
	—किसी फर्मका नामालिख सार्वजनिक दिवालिया करार नहीं दिया जा सकता ...	१७
१००	अदालत दिवालियेके चारण्ड ...	१७
	—कायदा औचकतीके न्यायिक नियम इस दिवालियेकी फरियादोंमें लागू होंगे ...	१७
	—कायदा फेरिदादीकी दफा ७७ (२), ७९, ८२, ८३, ८४, तथा १०२ का वर्णन ...	१८

सातवां प्रकरण

भियाद

१०१	अदालतके लिये भियाद ...	१९
	—एसायनीक काम या हुजमगी अगिल २० दिनोंके अन्दर हो सकती है ...	१९
	—सर्वेक लिये जमानत हा मासवती है अगर अदालत मुनासिब समझ ...	१९

आठवां प्रकरण

दण्ड

१०२	बिला बहाल किया हुआ दिवालिया यदि कर्ज लेवे ...	१९
	—बहाल होनेके पहिले ५० रु० से ज्यादा कर्ज लिया हो तो १ मासकी जेलकी सजा जरूर होगी ...	१००
	—वैसी दशमें सजा न होगी अगर वैसा हालमें अपराध न माना जायगा ...	१००
१०३	कुछ जुर्मोंके लिये दिवालियेका सजा दिया जाना ...	१००
	—जब दिवालियेने बड़ी सत्ता न पेश किया हो, धोखा दिया हो या छिपाया हो या जाल बनाया हो ...	१००
	—पूरा जमानत किया हो, सिखाती न हो, या बदल दिया हो या ऐंमेही अन्य काम किये हों ...	१००
	—अपना लहना छिपाया हो, जायसद बचाई हो, या फीस किया हो, धोखा दिया हो ...	१००
	—किसी एक लेहनादारकी सव दे दिया हो दूसरोंको कम या कुछ न दिया हो ...	१०१
	—ऊपरके जुर्मोंके साबित होने पर २ साल जेलखानकी सजा दिवालियेकी दी जायगी ...	१०१
	—प्राविन्ड फूडका बपया उठा लेना जुर्म नहीं माना गया वह बपया दिवालियाका ही है ...	१०१
	—सजा देनेके लिये मुद्देकी, दिवालियेकी सत्यत साबित करना चाहिये ...	१०१
	—दिवालियेकी कारोवाई जारी रहते समय फेरिदादी मामला चलाया जा सकता है ...	१०१
	—इस दफाके अनुसार दिवालिये पर जमानत नहीं दीया बल्कि जेलकी सजा होगी ...	१०१

दफा	विषय	पेज
१०४	दफा १०३ के जुमोंके लिये कार्यक्रम	१०१
	—अफिशल एसायनीमे रिपोर्ट बनवा चाहिये कि दिवालियेने अवक अफगन किया है	१०२
१०५	बहाल होनेके बाद या नरक्षीया होनेक बाद भी जिम्मेदारी	१०३

नवां प्रकरण

दिवालियेकी छोटी कारवाइयां

१०६	छोटे मामलोंमें सरसरीकी कारवाइयां	१०३
	—जब दिवालियेकी जायदाद ३०००) ६० से ज्यादा न हो तो सरसरी कारवाइ की जावेगी	१०४
	—मामूली कारवाइमें अमील तब होनी जब फीजे अफील करनेका हुनम मिल जाव	१०४
	—सरसरी कारवाइमें इच्छा क्वाय बंग दिया जावेगा, रिस्ता रसदीकी जरूरत नहीं है	१०५

दसवां प्रकरण

विशेष नियम

१०७	कारपोरेशन आदिका दिवालियेकी कारवाइसे बरी होना	१०५
	—रिजिस्ट्रीशुदा फर्म या कम्पना दिवालिया नहीं बनाये जासकेगे	१०५
	—एगोसिद्शन, कारपोरेशन, रजिस्टर्ड कम्पनी लिक्विडेशनमें जाती है	१०५
१०८	दिवालियेकी हालतमें मरने वाले कर्जदारकी जायदादका दिवालियेकी कारवाइके सम्बन्धमें प्रबन्ध	१०५
	—कर्जदारके पर जाने पर भी उसके जायदाद दिवालिया अदालतके अधिकारमें जासकती है	१०५
	—किन शर्तों पर इए कर्जदारके खिलाफ दिवालियेकी अर्जा दी जासकती है	१०६
१०९	जायदादका मिलना तथा उसके प्रबन्धका तरीका	१०६
	—जब परे इए कर्जदारके दिवालिया बनानेकी अर्जा हो तो उसकी कारवाइका तरीका	१०६
११०	क्लान्न्नी वारिस द्वारा रुपयेकी अदायगी या जायदादका अलहदा किया जाना	१०७
१११	एटमिनिस्ट्रेटर जनरलके अधिकारोंकी रक्षा	१०८

भ्यारहवां प्रकरण

नियम (रूलस)

११२	रूलस (कायदे बननेके अधिकार अदालतोंको)	१०९
	—इस कानूनके बयोंको बामे लानेके लिये समय समय पर अदाने नियम बना सकती है	११०
	—किन किन बयोंके सम्बन्ध रूलस बनाना चाहिये उनका बयान	११०

दफा	विषय	पृष्ठ
११३	हलसके लिये स्वीकृति मिलना ...	११०
	विवाय कलकत्ता हार्बरके अग्य अदायतमें रुसकी मञ्जरी प्रान्तिक सरकारसे लेनी ...	१११
११४	रुसका प्रकाशित किया जाना ...	११०
	—जो रुस बनाये आयेगे वे सब सरकारी गजटमें छापे जावेंगे ...	१११

वारहवां प्रकरण

११५	इस एक्टके अनुसार किये हुए इन्तकाल आदिका स्टाम्प या करसे बरी होना ...	१११
	—दिवाणिया अदालतके बैठाया, देहनाया, मोबसी, आदिके कापडोंमें स्टाम्प बरौरा नहीं लगेगा ...	१११
	—आफिशल एसायनीका अर्वा आदिमें भी कोई स्टाम्प नहीं लगेगा ...	१११
	—एसायनीका तरफसे काम करने वालोंकी भी कोई स्टाम्प आदि नहीं लगेगा ...	१११
११६	गजट शहादत होगा ...	११२
	—सरकारी गजटमें जो प्रकाशित होगा वह शहादतमें काम आ सकता है ...	११२
११७	हलफनामोंकी तस्दीक ...	११२
	—हलफनामों, वहाँ पर किस अकसर द्वारा कैसे तस्दीक किये जायें उसका वर्णन ...	११२
११८	व्यवहारिक पलतीके कारण कारवाहियां रद्द नहीं होनी चाहिये ...	११३
	—लिखने आदिही पलती होने पर वह कारवाहियां रद्द नहीं हो जावेगी ...	११३
	—व्यवहारिक गालगी, बेतरतीबीके सबबसे वह काम रद्द नहीं हो जावेगा ...	११३
११९	ट्रस्टीके दिवालिया होने पर दूसरे पेंचटका लागू होना ...	११३
	—अगर ट्रस्टी सुद दिवालिया हो जाय तो वरद दिया जावेगा ...	११४
१२०	सरकारको पाबंद करने वाले कुछ नियम ...	११४
	—बर्जका एक दूमेसे पहले अदा किया जाना, तरकीया, आदिकी पाबंदी सरकार पर भी है ...	११४
१२१	मुलाकात के अधिकारोंकी वचन ...	११४
१२२	उन हिस्सा रसदीका सरकारको मिलना जिनका कोई दावेदार न हो ...	११४
१२३	दफा १२२ के अनुसार सरकारमें दिये हुए रुपये पर दावे ...	११५
	—देनदारके रुपया न लेने पर जब सरकारमें जमा हो जावे तो कैसे वापिस मिलेगा ...	११५
१२४	दिवालियेकी किताबोंका मुआयना व कब्ज ...	११५
	—दिवालियेके नही सातों पर सबसे पहले क्रमता एसायनीका होगा ...	११५
१२५	फीस व.....फीस कैकड़ा ...	११५
१२६	अदालतमें एक दूसरेकी सहायक होगी ...	११६
१२७	कानूनोंकी मसूझी ...	११६
	—तीसरी सूचीमें जो कानून बनाये गये हैं वे सब मसूझ कर दिये गये हैं ...	११६

पहिली सूची (First Schedule)

कर्म-कृत्याहों (लेहनदारों) की भीटिंग

१	कर्म-कृत्याहों की भीटिंग	...	११७	१३	कर्म-कृत्याहों से कामानन छोड़ देनेके लिये कहने का अधिकार	...	१२०
२	भीटिंगका पुनराया जाना	...	११७	१४	कर्म-कृत्याहों से सुदूत	...	१२०
३	भीटिंगके नोटिस	...	११७	१५	पुनरायाके अधिकार कर्ता साबिन माननके कारण	...	१२०
४	दिनालियेका अन्याय	...	११८	१६	श्रीकृती	...	१२१
५	नोटिस न पहुँचने पर भीटिंगकी कार्यवाहीका रद्द होना	...	११८	१७	श्रीकृत्याहों दस्तावेज	...	१२१
६	नोटिसके जारी होनेका सुदूत	...	११८	१८	श्रीकृत्याहों आम अधिकार	...	१२१
७	भीटिंगका खर्च	...	११८	१९	भीटिंगकी तारीखसे १ दिन पहले श्रीकृत्याहों दायित्व किया जाना	...	१२१
८	चेयरमेन	...	११९	२०	आधिकार पुनरायाका स्वयं श्रीकृती होना	...	१२१
९	वोट देनेके अधिकार	...	११९	२१	भीटिंगका बन्दा दिया जाना	...	१२१
१०	कुछ कर्म-कृत्याहों के हस्त-पत्रों वोट नहीं दिये जानेके लिये	...	११९	२२	कार्यवाही विवरण	...	१२१
११	महसूज कर्म-कृत्याहों	...	११९				
१२	उन दस्तावेजोंका सुदूत जो कानून तलाशिलेके हैं	...	११९				

दूसरी सूची (Second Schedule).

कर्म-कृत्याहों के सुदूत

१	सुदूत दायित्व करनेका समय	...	१२२	१५	जबकि कामानन बादमें लपूत हो तब सशोधन	१२५	
२	सुदूत दायित्व करनेका तरीका	...	१२२	१६	हिंसा रसरीसे कवित रहना	...	१२६
३	इलफनामा दायित्व करनेका अधिकार	...	१२२	१७	पानिनी हद	...	१२६
४	इलफनामोंमें कपट वान दिखलाई जाना चाहिये	...	१२२	(लेहनकी जायदादका हिंसाय ध धेवना)			
५	इलफनामोंमें कामाननका जिक्र होना	...	१२३	१८	लेहनमें आदिकी तदुकाशात	...	१२६
६	कर्म-कृत्याहों से कानून का खर्च	...	१२३	१९	दस्तावेज इन्तहाल	...	१२७
७	सुदूत देतने न उतना मुआहदा करनेका हक	...	१२३	२०	विकाका कथना	...	१२७
८	सुदूतों बट्टेका घटाया जाना	...	१२३	२१	तदुकाशात पर कार्यवाही	...	१२८
(महसूज कर्म-कृत्याहोंका सुदूत)				२२	समय समय पर कपटकी आमदनी	...	१२८
९	जबकि कामानन वसूली का सुदूत हो	...	१२३	२३	सुदूत	...	१२८
१०	जबकि कामानन छोड़ दी गई हो	...	१२४	(कुछ कर्म-कृत्याहों जो भविष्यमें सदा होना चाहिये)			
११	दूसरे मामलोंमें सुदूत	...	१२४	२४	भविष्यमें सुदूत जाने वाले कर्म-कृत्याहों	...	१२९
१२	कामाननकी कीमतना लगाया जाना	...	१२४	२५	सुदूतकी मान लिया जाना व सारिन होना	...	१२९
१३	कीमतमें सशोधन	...	१२५	२६	बेकायदा सुदूतका खारिन होना	...	१३०
१४	जगदां वसूत हो जाने पर लीया दिया जाना	...	१२६	२७	सुदूतके बारेमें अदालतके अधिकार	...	१३०

तीसरी सूची (Third Schedule).

—मसूज, विधि ३९ एक्ट (कानून) १३१

प्रान्तिक कानून दिवालिया

एक्ट नं० ५ सन १९२० ई०

Provincial Insolvency Act,
No. 5 of 1920.

भारतके समस्त प्रातोंमें प्रचलित
सर्वाङ्गपूर्ण व्याख्या और हाल तककी समग्र
नज़ीरों एवं उदाहरणों तथा अन्य
कानूनोंके पूरे हवालों सहित

लेखक :-

वाचू रूपकिशोर टाडन

एम० ए०; एलएल० बी०; एम० आर० ए० एल० एडवोकेट

प्रकाशक :-

पं० चन्द्रशेखर शुक्ल

मुद्रित :-

कानून प्रेस, कानपुर

The Provincial Insolvency Act.

Act No. 5 of 1920.

प्रान्तिक कानून दिवालिया

एक्ट नं० ५ सन् १९२० ई०

भारत व्यवस्थापिका सभा (The Indian Legislative Council) द्वारा
पास किया हुआ और

ता० २५ फरवरी सन १९२० ई० को गवर्नर जनरल महोदय
द्वारा स्वीकृत किया हुआ

यह एक्ट प्रेसीडेंसी टाउनस (Presidency Towns) तथा रगूत को छोड़कर शेष ब्रिटिश भारत (British India) की अदालतों में प्रयोग किये जानेवाले कानून दिवालिया को समझात तथा संशोधित करने के लिये बनाया गया है।

शुक्ति यह आवश्यक प्रतीत होता है कि दिवालिया सम्बन्धी कानून जिनका प्रयोग प्रेसीडेंसी टाउनस तथा रगूतको छोड़कर ब्रिटिश भारतकी शेष सब अदालतोंमें होता है समझीत तथा संशोधित किया जावे अतः नीचे लिखा हुआ कानून बनाया जाता है।

दफा १ संक्षिप्त नाम और विस्तार

(१) यह एक्ट सन् १९२० ई० का प्रान्तिक कानून दिवालिया (The Provincial Insolvency Act 1920) कहलायेगा।

(२) सूचीमें दिये हुए जिलों (The Scheduled Districts) को छोड़कर यह एक्ट समस्त ब्रिटिश भारत में लागू होगा।

व्याख्या—

यह कानून कदां पर लागू नहीं होगा और विस्तार—यह प्दान रहे कि यह कानून प्रेसीडेंसी टाउनस (बलकत्ता, बम्बई, मद्रास के शहरों) और विराची, रगूत तथा नीचे सूचीमें दिये हुए स्थानोंमें लागू नहीं होगा बल्कि अंगरेजी भारतके सब हिस्सोंमें लागू होगा।

सूची में दिये हुए जिले जिनमें यह कानून लागू न होगा—सूचीमें दिये हुए विजापूर अधिपत्य उन जगहोंमें है जो सन् १८७४ ई० के शिन्धुन डिस्ट्रिक्ट एक्ट नं० १४ (The Schedule District Act XIV of 1874) की पहली सूची (The First Schedule) में दी हुई हैं वरन् जगहें यह हैं उन जगहोंमें यह कानून लागू न होगा।—

बङ्गाला प्रेषिडन्स (Bengal Presidency)—कलकत्ता अर दार्जिलिङ्ग की परिभाषा, चटगाँवके पहाड़ी विभाग (The Hill Tracts) तथा चूटा नागपुर पर विहाली है (The Chota Nagpur) की परिभाषा तथा अंग्रेज का प्रदेश ।

बम्बई प्रेषिडन्स (Bombay Presidency)—दिया, अंग, मद्रास सदा के कुछ भाग ।

मध्य प्रदेश (The Central Provinces)—बोधा बलनासठ तीपिनाराया तथा डिंडिया का जमीर ।

मद्रास प्रेषिडन्स (Madras Presidency)—पनामके मद्रास, नेपुली सिमीयने तथा और मद्रास व गुता आर विनयापट्टम। कन्नडा मद्रासिया गा. लवय विनय मद्रासालुम तांलुमा तथा तथा विभाग, हिन्दू मद्रासगाँव क लकाईय दारु मि. म. म. विहा दारु भी शामिल है ।

संयुक्त प्रदेश (United Provinces)—बम्बई, मद्रास, राजपुर, बारासि, जयपुर, कट्टु, तिलगुयानानमठ व विन्हा नामी तारीके पाने, दामदूत सिन्धे पुठ लण्ड, मितापुर जि. के कुछ भाग ।

नीर्मान प्रदेश (N W F Provinces)—इलाहा, पेशावर, मोशर, चन्ड, डेय इत्यादि राँ ।

पञ्जाब—देहा-नाला, लाल व स्थानिक वि. ।

मुनफरिङ्गि—बुग शर्ती, आठमान व नाके चार दारु अगवेर प्रा. तः ।

आन्ध्र प्रदेश—जामन व पण्डा सिन्धे, मानपुर व गवा ।

प्रजासत्ता श. ड. न. (Presidency towns)—इन्हीं परिभाषा जनरल क्लॉजस ऐक्ट (General clauses Act) की द्वा. के क्लॉज ४३ म. दी हुई है ।

काराची (Karachi)—वहल पर एक अन्तर्राष्ट्रिक कानून दिवाना क्लॉजस ऐक्ट या पण्डा चक्र नहीं है । आन्ध्र जस्टिस कमीटी (Civil justice committee) का रिपोर्ट पर क्लॉज ४३ म. दी हुई है । अन्ध्र जस्टिस कमीटी (Civil justice committee) का रिपोर्ट पर क्लॉज ४३ म. दी हुई है । अन्ध्र जस्टिस कमीटी (Civil justice committee) का रिपोर्ट पर क्लॉज ४३ म. दी हुई है ।

प्रयोग—इस ऐक्ट म. यह कर्ती पर भी नहीं दिया हुआ है कि यह ऐक्ट कबले लागू होगा पण्डा क्लॉज ४३ म. दी हुई है । अन्ध्र जस्टिस कमीटी (Civil justice committee) का रिपोर्ट पर क्लॉज ४३ म. दी हुई है । अन्ध्र जस्टिस कमीटी (Civil justice committee) का रिपोर्ट पर क्लॉज ४३ म. दी हुई है । अन्ध्र जस्टिस कमीटी (Civil justice committee) का रिपोर्ट पर क्लॉज ४३ म. दी हुई है ।

ब्रिटिश भारत (British India)—ब्रिटिश भारत का अधिपत्य का सम्बन्ध है भी क्लॉज ४३ म. दी हुई है । अन्ध्र जस्टिस कमीटी (Civil justice committee) का रिपोर्ट पर क्लॉज ४३ म. दी हुई है । अन्ध्र जस्टिस कमीटी (Civil justice committee) का रिपोर्ट पर क्लॉज ४३ म. दी हुई है । अन्ध्र जस्टिस कमीटी (Civil justice committee) का रिपोर्ट पर क्लॉज ४३ म. दी हुई है ।

दफ्ता २ परिभाषा

(१)—स. ऐक्ट में जेव तक कोई बात विषय या प्रकल्प के विपरीत न पढ़ती हो तब तक किन्हीं स्थिति में क्लॉज ४३ म. दी हुई है । अन्ध्र जस्टिस कमीटी (Civil justice committee) का रिपोर्ट पर क्लॉज ४३ म. दी हुई है । अन्ध्र जस्टिस कमीटी (Civil justice committee) का रिपोर्ट पर क्लॉज ४३ म. दी हुई है । अन्ध्र जस्टिस कमीटी (Civil justice committee) का रिपोर्ट पर क्लॉज ४३ म. दी हुई है ।

- (ए) कर्जदार (Creditor) का अभिप्राय डिब्टीहोल्डर (Debtor) से भी है, कर्ज (Debt) का अभिप्राय मतादरता डिब्ट (Judgment debt) सभी है, कर्जदार (Debtor) का अभिप्राय महपून (Judgment debt) भी है ।
- (बी) अदालत जिम्मा (District court) से अभिप्राय उन न्याय न्यायाधीश अदालतों है जिन्हें न्याय अधिकार किसी विशेष सीमाके लिये प्राप्त है परन्तु उन सीमाके अन्तर्गत प्रेसिडेंसी टाउन्स (Presidency towns) व शहरी सीमा प्रथक समझना चाहिये ।
- (सी) अनुमानित (Presumed) का अर्थ उक्त वाक्य से है जो इन प्रायके अनुसार बनये हुए विषयों द्वारा निर्धारित की गई है ।
- (डी) जायदाद (Property) से अभिप्राय उक्त जायदादने है जिसको या जिसके मुनाफेको अदालत करणका अधिकार या जिसके स्वयं कामकाजका अधिकार किसी व्यक्तिको प्राप्त हो ।
- (ई) महपून कर्जदार (Secured creditor) से अभिप्राय उन व्यक्तिसे है जिसके पास बतौर जमानतके कर्जदार न्यायिक जायदाद या उनका कुछ हिस्सा रहेन हो या उसपर उसका काम हुचता हो या उसे उसके षेकके का हक हो ।
- (एक) अन्तर्गत जायदाद (Transfer of property) से अभिप्राय जायदादके किसी हकको अदालत करणसे है तथा उन जायदाद पर जिस हकके पदा कर देनेसे भी है ।
- (२) जिन शर्तों व बाधकोंकी परिभाषा इसमें नहीं दी गई है उन शर्तों व बाधकोंके अर्थ एही समझना चाहिये जो अर्थ उनका अनु १९०८ ई० का अनु २ द्वारा दायता में है यदि उक्तमें उनका अर्थ दिया हुआ है ।

व्याख्या—

इस दफा में, ऐव में प्रयोग किये हुये कुछ शर्तों व बाधकोंकी परिभाषा दी हुई है तथा यह भी बताया गया है कि यदि किसी शर्तों या बाधकोंकी परिभाषा इसमें नहीं है परन्तु वह शब्द या वाक्य जायदादके अर्थमें प्रयोग किया गया हो तो उक्त अर्थ नहीं समझना चाहिये जो जायदाद दायतामें दिया हुआ है ऐसा करनेसे ऐवमें दफाओं का ठीकरा समझना में बाधा समझना प्राप्त होगी तथा किसी शब्द वा वाक्यके अर्थ लगेय जाकी कर्म सम्भारना होगी ।

शब्दाज (ए) कर्जदार (Creditor) शब्दों काई विशेष परिभाषा इस दफा में नहीं दी गई है हा इतना अवश्य बताया गया है कि डिब्टीहोल्डरों भी कर्जदार समझना चाहिये । डिब्टीहोल्डरके अतिरिक्त और भी बहुत से कर्जदार (Creditor) होते हैं । कर्जदार शब्द प्रतिदिनके प्रयोगका शब्द है और उक्त अर्थ भी यही है जो लोग मामूली तौरसे समझा करते हैं परन्तु सभी विचारदातद अदम्य अनुभव है और उन लोग अज्ञानत यह निर्णय करतकदा है कि किसी शब्द विशेषमें क्या आशय है और क्या निर्णय करन (प्रमाण) बननपर माननय होना है जैसे कि वेदमन्त्रानुसार २० C W N 995 में यह लिखन हुआ था कि कर्जदारके अर्थमें कर्जदारके अर्थ समझना चाहिये फलतः अहं ऐव गदप हाता है कि यह शब्द समझिये होना है जैसा कि चौधरी गुप्तानन वनाम विवेकनद ईडि 43 C.1 866 में प्रकट होता है ।

कर्ज (Debt) - शब्दकी प्रति दिवके प्रयोग । शब्द है और अधिकतर उक्त अर्थ भी वही है जो लोग समझ

करते हैं परन्तु इस ऐक्टमें इस सम्बन्ध अर्थ केवल ऊर्ध्व कर्जों (Debts) से सम्बन्धना चाहिये जो इस ऐक्ट की दफा ३८ के अनुसार स्थापित किये जा सकते हैं ।

बल्ल्याज़ (सी) इस बल्ल्याज़में अदालत जिला (District Court) की परिभाषा दी गई है । पुराने ऐक्टमें कोई शब्दही परिभाषा दी गई थी परन्तु इस ऐक्टके अनुसार कार्य करनेका अधिकार अदालत जिला (District court) की प्राप्त है और इसी शब्द (District court) का प्रयोगभी ऐक्टमें किया गया है इस कारण इसकी परिभाषा दे दी गई है ।

अच्छाज़ (सी) इस बल्ल्याज़में प्रयोग किये हुये नियमोंका उल्लेख दफा ७९ व ८० तथा परिशिष्ट (Appendix)में मिलेगा ।

बल्ल्याज़ (डी) (Property) 'जायदाद' शब्द की पूरी परिभाषा इस ऐक्टमें नहीं दी गई है । इस शब्द का प्रयोग जायदाद मनकूला, (Movable), और मनकूला (Immoveable) तथा उन दावों के लिये (Actionable claims) किया गया है जो क रियल नाचिज है ।

मेसर्स वाई भाई इरायल जो छोटािया 11 Ind Case 14 में यह निश्चित हुआ था कि अगर कोई माल किसी अदालतके सुप्रीममें बेचनेके लिये दिया गया हो और अदालतके उस मालके अग्रहदा बनना अधिकार हो तो कानून दिवाला (Insolvency Act) के अनुसार वह माल अदालतके जायदाद (Property) समझी जावेगी और वसूली भीषमें विसावर अपने कर्जमें ले सकता है ।

ऐसा ही मान रिषष बनान इलाहाबाद बैंक 23 All. 131 में निश्चित की गई है ।

अमानदास बनाम विनायक 10 Ind. Cas 698 में यह निश्चित हुआ था कि लाठी कर्माई भी जायदाद सम्बन्धना के लिये । रामचन्द्र बनाम शाभाचाम 19 C L J. 83 में यह तय हुआ था कि तनख्वाहर्षी जायदाद है । अमिन्कानन्दन त्रिबवास 3 Cal 434 के मामलेमें यह तय हुआ था कि कानून दिवालयमें सपथमा जायदाद सम्बन्धना चाहिये । अनन्तमिह बनाम बालवासिंह 48 Ind Cas. 526 में यह तय हुआ था कि अविन्यक्त वित्तधारा हिन्दू धरानमें दिवालयिया का बिल मया हुआ हिसा जायदाद न समझी जाना चाहिये ।

इरायलराय सुन्दराल बनाम श्यामोहन 54 Ind. Cas. 93 में यही निश्चित हुआ था कि यदि किसी वित्तधारा हिन्दू धरानमें वित्त दिवालयिया करार दिया जावे और जिन वर्जोंके लिये वह दिवालयिया करार दिया गया हो निर्मित कार्योंके लिये न लिए गए हों तो उस दिवालयियमें जायदाद तथा उसके आधिपत्य वर्जोंका हिसा सब रिवावर (Receiver) की सुप्रीममें आ जावेगा । वरदलालाचामी 2 Mad. 15 के मामले में यह तय हुआ था कि ट्रास्टी जायदाद दिवालयियकी जायदाद नहीं मानी जावेगी क्योंकि उस जायदादकी अपने क यदेके लिए अग्रहदा बननेका अधिकार ट्रास्टी दिवालयियाकी नहीं है ।

झाज़ (ई) इस वर्जोंमें महफूज व बिल महफूज वर्ज स्वामिनका शिक है । महफूज (Secured) वर्जस्वाहरे तात्पर्य इस वर्जस्वाहरे ह जिनसे अपने वर्जोंके लिए कोई जमानत ले ली हो अर्थात् वह अपने वर्जोंकी वर्जदारकी जायदादमें वसूल कर सकता हो चाहे जायदाद वर्जोंके हाथमें हो या उसने किसी दूसरेको दे दी हो और इसे वर्जस्वाहरे हक और बिल महफूज (Unsecured) वर्जस्वाहरेके हकमें पहिले होगा अर्थात् बिल महफूज वर्जस्वाहरे या तो वर्जदारकी जायते जगगा वर्जों वसूल कर सकते हैं या उस जायदाद से वसूल कर सकते हैं जो महफूज वर्जस्वाहरेके वर्जें छूफ जाने पर बचे ।

वर्जस्वाहरेका वर्जें जिस जायदादके लिये स्थापित किया जाता है उसे जमानत (Security) कहते हैं ।

झाज़ (दफ) स्तकाल जायदाद (Transfer of property) का अर्थ केवल जायदादकी हतकाल कर देने, लिख देने वा दे देनेमें नहीं है बल्कि जायदादके हक व उधरे धनार्थको हतकाल कर देने, लिख देने व दे देने से है ।

उपदफा (२) बहुतमे ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग इस ऐक्टमें किया गया है परन्तु उनकी कोई परिभाषा इस ऐक्टमें नहीं दी गई है। गो उनकी परिभाषा जानता दीवानोंमें दी गई है उन शब्दोंका अर्थ वही समझना चाहिए जो जानता दानातोंमें दिया हुआ है उदाहरणस्वरूप हुक्म (Order), गनकूला जायदाद (Moveable property) डिक्री (Decree) आदि शब्दोंकी परिभाषा जानता दीवानोंमें दी गई है परन्तु इनकी परिभाषा इस ऐक्टमें नहीं है इत्यादि।

पहला प्रकरण

अदालतका सङ्गठन तथा उनके अधिकार

(Constitution & Powers of Court)

दफा ३ दिवालेकी कार्रवाईके लिये अधिकार की सीमा

(१) अदालत ज़िला (District Court) को इस ऐक्टके अनुसार कार्य करनेका अधिकार प्राप्त होगा:—

परन्तु प्रान्तिक सरकारको अधिकार है कि वह सरकारी गज़ट द्वारा घोषणा प्रकाशित करके अदालत जिलाकी मातहत किसी दूसरी अदालतको, किसी खास किस्मके मामलात करनेका अधिकार दे सके और इस प्रकार जिस मातहत अदालतको अधिकार दिया जावेगा वसको अपने अधिकारकी सीमामे वही अधिकार प्राप्त होंगे जोकि अदालत जिलाके इस ऐक्टके अनुसार प्राप्त है।

(२) इस ऐक्टके लिये अदालत खकीफाभी अदालत जिलाकी मातहत समझी जावेगी।

ध्याख्या—

क्लाज (१) अधिकारकी सीमा (Jurisdiction)—अदालत जिला प्रधान दीवानों अदालत है जिनको मूल अधिकार प्रेजिडेन्सी टाउन्स व गूलनो छोड़कर अन्य जगहोंमें प्राप्त है और अदालत जिलाके हाकिम को जिला जज (District Judge) कहते हैं। इसलिए जिला जजनी अदालतको दिवालेकी दम्बधार्ते सुनने का अधिकार है।

अदालत जिला उसी समय दूसरी अदालतोंकी कार्रवाई इनकाय डिस्ट्रिमें इस्तखेफ कर सकती है जसकि वह इस ऐक्टके अनुसार काम करती है आर दूसरी सूतमें उसे ऐसे इस्तखेफ करनेका अधिकार नहीं है अर्थात् जब मदयून डिक्री दिवालिया बना दे दिशा गया है या उसकी जायदादके लिए रिडीवर हुक्मर कर दिया गया है उस समय बदैस्तियत अदालत दिवालियाके अदालत जिलाको दूसरी अदालतोंकी इनकाय डिस्ट्रिगे कार्रवाईमें इस्तखेफ करनेका अधिकार प्राप्त है देखो—अध्याकरण बनाम केशोदात 39 All. 547.

सहकारी जिला जज (Additional District Judge)—सहकारी जिला जजके उन कामोंकी करेंगे जिन्हें जिला जज उनके सिपुर्दे करे और उन कामोंके करनेमें उनकी वही अधिकार प्राप्त होंगे जो जिला जजके प्राप्त है।

सहकारी जिला जज—जिला जजका मातहत नहीं है, देखो—माखनगल बनाम श्रीपाल 34 All. 382; 9 A. L. J. 371. ऊस दिए हुए मामलेमें अफीवके समय यह भी प्रश्न उठा था कि बूकि (एबीकनल)

सदस्य विद्या जगतो इत्यनेके मामले सुनना अधिकार प्राथमिक सरदार द्वारा नहीं दिया गया है न उसका प्राधान्य ही नहीं है। इस नए उमरो इत्यादिमें मसल सुनिहा अधिकाही नहीं था परतु उक्त मामले में यह तय हुआ कि अत्यान्त विद्याम दिगन्त मामले सुनेना अधिकार है और सदस्यी विद्या जगत विदिल कां सुधारी कानून क अनुशासन कायों को कोना जा अदालत विद्या उनके सुधारे तया उन सांकोर ननों उरो कही अ प्रकार प्राप्त हों जो प्रत्यन्त निकल है। कृकि इस मामलेमें विद्या जगत ने यह कन सदस्यी विद्या जगतो सुनना या इत्यान्त सदस्यी विद्या जगतो इस मामले विद्या जगतो सुनना अनुशासन दिया था और उमरो वैदमित्त विद्या जगतो उक्त मामले सरना एक था था उम सदस्यी विद्या जगतो अधिका प्राप्त था आर उमने अपने अधिकार हीमें के अदस्यी माम लिया है। परतु जब एकात्मक जन प्राथमिक सरदार द्वारा घोषित भिय हुए इत्यान्त आधार पर काम करता। जो ता उप समय उस दना ७-(१) के अनुसार मातत अत्यान्त ही समझना उचित प्रतीत होता है।

अज्ञ (Proviso) — प्राथमिक सरदारको यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपना विद्या मान्यत अदालतको जोकि अदालत नज गयी मातहत दा दिवाविद्याया काम कनेहा साधार द सरनी परतु इस प्रकार अधिकार देनेकी अज्ञ प्राथमिक सरदार गणमें प्रसारितता जाना चाहिण और गणमें प्रशासन कीहुई इन प्रकारका प्रयोगमें यह भी प्रसत विद्या जगत चाहिण कि किस प्रकारके मामले सुनना जायकार उम मातहत अत्यान्तको दिया गया है।

बुकि (Proviso ५) Class of cases (जिस नियमके प्रवचन) का उच्छेख है इतमे यह प्रकृत होता है कि प्राथमिक सरदार मान्यत अदालतको दिवाविद्याया मामले सुनना अधिकार देते समय यह बना सती है कि अत्यान्त मान्यत जिस किन्तक प्रकृतमे सुनेगी परतु वह उसके अधिकार माममें परिवर्तन नहीं कर सकती है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इसका गी उच्छेख Proviso (शर्त) में अवश्य विद्या जाता—तद्वर्षा यह है कि अत्यान्त मान्यत इस ऐकाके लिय प्राथमिक सरदार द्वारा प्राप्त अधिकारोंका केवल अपा अधिकार सीमा में ही प्रयोग कर सरना है उसके बाहर नहीं।

निती मान्यत अत्यान्त (Any Subordinate Court) से अधिकार यह है कि एक्किमे भी दिवाविद्यायाके मामले सुननेका अधिकार दिया जा सकया है।

यदि, निती अदालतका विद्यमान दायित्व करते समय उमरे सुनेना अधिकार प्राप्त न हो, परतु उक्त निर्णयके फैसलेमें प्राथमिक अधिकार प्राप्त हो जाय तो ऐसा अत्यान्त फसला उचित फैसला प्रशासना, देती द्यप्रभाद बनाम स्पन्दारे 6 A L J 483, 2 I C 228

दफा ४ दिवालेके सब प्रदनोंको तय करनेके लिये अदालतके अधिकार

(१) यदि अदालत के सामने चांई दिवालेका सामला हो तो उसमें जो प्रदन अदाप्रतके सामने आवे या जिन प्रदनोंको निश्चित करना अदालत पूरे न्यायके लिये अथवा जायदादको पूर्ण रूपसे चांउने के लिये उचित या आवश्यक समझे तो उन सब प्रदनों को तय करनेका पूर्ण अधिकार अदालतको होगा यदि वह प्रदन कानून हो या चाकिपाती या चाहे वह दिक्रियत क ही या दुरु माकृञ्च (Priority) के ही या और किसी किसके ही परन्तु साथ साथ इस ऐक्टके नियमोंका ध्यान रखना आवश्यक है।

(२) इस ऐक्ट के नियमोंका ध्यान रखते हुए तथा किसी दूसरे प्रचलित कानूनकी परवाह न करते हुए जो निर्णय अदालत परेगा वह अन्तिम निर्णय होगा तथा यह निर्णय उन सब बातोंके लिये माननीय होगा जो कर्जकुबाह या उधारी जायदाद और इनका या इसके हकदारों या हकदारों के हकदारोंके निर्णयमें पैदा हों।

(३) जब कि अदायत किसी ऐसे प्रदत्त जिनका उद्देश्य पहिली उपपत्ता में है तब फरमा उचित था कि उक्त न ख-ले पान्तु उसे विश्वास हो कि कर्जदारका देखने का एक किसी जापदाद में पहुँचता है तो ऐसी सुरतमें अदायतों अधिकार है कि वह बिना अधिक जांच पताचान किये हुए जित प्रकार के जिन शर्तों के साथ चाहे कर्मदार के ऐसे एक को देख सकती है।

उदाहरण—

इस दस्तके अनुसार अदायत दिवालिवाको पहिली रिस्तु अधिकार प्राप्त है। अदायत दिवालिया, एक या हम प्रदत्तों कि जानता एक पहिले पहुँचता है तब कर सकती है। इसके अतिरिक्त उसे यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी विरामक मामलों चाहे वह कानूनी हो या चाहे वह वाक्यादी हो तब कर सकती है जो कि किसी दिवायके मामलों उसके सामने आवे या जिसे वह उन मामलों के ठीक तौर से समझ करती तब करना उचित समझ।

यह प्रश्न नीचे दिये हुए मामलोंमें तब किये जा चुके हैं—

होचन्द बनाम सोनीता 48 All. 411, 24 A. L. J. 495; मरदाना कुवर बनाम उदिय 46 All. 16, 21 A. L. J. 737, आफिशय रिनीवर बनाम तीपदान 97 I. C. 321; राम स्वामी बहियर बनाम राम रामी अयगर 43 M. L. J. 185

यदि अदायत दिवालियामें उचित रूपमें हम दस्तके अनुसार दरवाजा तब गई हो, तो उसे अधिकार है कि वह इन तर्कोंको जो कि अया जायदाद दिवालिय की है या नहीं है तब कर सकती है, देखो—चितामय बनाम पोन्नू स्वामी 60 M. L. J. 180, 92 I. C. 573.

इसी प्रकार अदायत दिवालियाको अधिकार प्राप्त है कि वह इन दोनों प्रश्नों को एक साथ तब कर सकती है यह कि दिव लिख वाचिन किय जाने वाले व्यक्तमें क्या देना है तथा उसकी मालकीयत क्या तक है, देखो—बन्नीर सिंह बनाम जननीदास A. I. R. 1926 Lab. 679.

जब कि अदायत दिवालियाके सामने दस्त ५३ कायूत द्वायत उपपत्तके अनुसार यह प्रश्न उपरिष्ठ हेतु कि कोई अन्यथा जायदाद वाचिन मसूदा है तो उसे चाहिये कि वह ऐसे प्रश्नोंको जित करती तब कर सकती है पूर्ण रूपमें नहीं न मात्र के बरिक्त ऐसे प्रश्नों, यहाँ कानूनक अनुसार हीनकर तब करे, देखो—सिनीयदाद बनाम अमीन अली 44 All. 71; 19 A. L. J. 862.

दस्त ५३ कायूत इतकाय जायदादके अतिरिक्त हुए प्रदत्तों सरतरीमें तब नहीं करना चाहिये किन्तु उसे हम दस्तमें बतलात हुए नियमोंके अदायत दय काना चाहिये, देखो—सुरता बनाम मोदर A. I. R. 1925 Oudh. 109.

इस दस्तक अनुसार अदायत तीमर शकतक इकना अगलियत तब करती है, पूर्ण अधिकार प्राप्त है, देखो—गज्ज पर बनाम सोनीर 61 I. C. 589

इस। उपरिष्ठ यह है कि जब रिनायत किसी जायदादको दिवालिवाकी जायदाद केर देकर नैवना चांगी हो तो तीमरे अदायतमें अतिरिक्त एक बरिष्ठ हम दस्तके अनुसार अदायत जिलामें अर्पना एक उक्त जायदादके लिखे पत्र कर सकती है; देता—बेल्पा वाचिय बनाम समनायन वाचिय 17 Madras 446, A. I. R. 1924 Mad 529, उदय्या बनाम मामयक 2 Lab. 147; 61 I. C. 332.

परंतु हम तागे सा है कि यह भी उपरिष्ठ है कि वह अपनी एक उक्त जायदादके लिए मजिब कर देकर लिए रिनीयतके जिल्याक दूसरी देवनी अदायत भी देता दस्त कर सकता है, देखो देवराब बनाम विहू A. I. R. (1925) 3 N. 363, हरनाम बनाम नानाद A. I. R. 1923 Lab. 224

जबकि किसी दिव्द गिताने दिवाणिया करार दिए जाने पर रितीवर उसकी कुल खानदानी जायदाद पर कब्जा कर लेवे और उसके कब्जे इत बिना पर नि पिनाके बर्जे गर कानूनी थे, व बदचलनीके लिए, लिए गए थे पुराज करे तो अदालत दिवाणियाको अधिकार है कि वह ऐसे प्रसनों तय कर सकती है, देखो सन्तप्रसाद बनाम शिवदत्तसिंह 2 Pat. 724.

हकके प्रदान किस समय तक नहीं किये जाना चाहिये—जो कि इस दफ्तेके अनुसार। अदालत दिवाणिया की हर प्रकारके हक आदिके मसले तय रखनेका पूर्ण अधिकार प्राप्त है किन्तु जहां इस प्रकारके गहन प्रसन या अस्वाभाविक उत्पन्न आ जावे वहां अदालतको चाहिए कि वह कबिनेसे ऐसे मसलेकी सलाहदा दवा दयर करवे तय कर देनेकी वद देवे, देखो—राधाविहारी बनाम आकिसाल एमथनी 25 O. W. N. 852, फूलकुमारी बनाम तिरौड 31 C. W. N. 502, 44 Mad 524, 66 I. C. 863 (All).

अदालत दिवाणियाको चाहिए कि वह उस समय हकके प्रसनोंको तय करनेकी कोशिस न करे जबकि उसको माहूम हो जावे कि ऐसे प्रसनोंको तय कर देने पर भी वह जायदाद पर कब्जा रखने वाले शासके कब्जा न दिया सकिगी क्योंकि दिवाणियेको खुद भी उस जायदादमें मोझडा हक ऐसा नहीं है कि जिसमें वह कब्जा रखने वाला व्यक्ति इयाय आ सके, देखो—आकिसाल रितीवर बनाम परबल विन्दर A. I. R. 1924 Mad. 87.

मामलोंको तय करनेका तरीका—हक आदिके प्रसन तय करनेमें अदालत दिवाणियाको चाहिये कि वह मामूली अदालत दीवानीके नियमोंका प्रयोग करे। अर्थात् अदालतके सामने दम्ब्यासमें वह तय बर्ते दिवाणियां जाना चाहिये जोकि अनौदाबामें दिखलाई जाती हैं और तब दूसरे फीकको उठगी जवाबदेही करना चाहिये। इसके बाद तनकीं कीमाय चाहिये और तब जाबता दीवानी व कानून शाराके अनुसार उन प्रसनोंका फैसला होना चाहिये देखो—विद्वांसल बनाम कोन्दुसादी 49 Mad 762, शिर्कप्रसाद बनाम अजीजखली 44 All 71-19 A. L. J. 862.

अप्र तजवीज हुदा (Resjudicata)

उपदका (२) का अभिप्राय है कि अदालत दिवाणियाके फैसले अप्र तजवीज हुदा (Resjudicata) समझना चाहिए देखिये मिथीलाल बनाम रनेयालाल A. I. R. 1922 All 128. दफा २२ जाबता दीवानीमें अप्र एजवीज हुदा (Resjudicata) का उल्लेख है। यह कहा जासकता है कि उस दफाके अनुसार वही अप्र तजवीज हुदा समझ जायेंगे जिनके हुने जानेका अधिकार पहिली अदालतको रहा हो और यही बात अदालत दिवाणियाके लिए मा कदा जासकती है कि उसे अदालत दीवानीके मामलोंको सुननका अधिकार प्राप्त नहीं है इसलिए उसका फैसला अप्र तजवीज हुदा (Resjudicata) नहीं समझना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है। इस दफाके अनुसार किया हुआ अदालत दिवाणियाका फैसला आखिरी फैसला है और हर एक कबिनेके लिए माननीय है और वह फैसला द्वारा किसी अदालत दीवानीमें नहीं उठया जासकता हे देखो—बहा बेराय बनाम शेनाराल A. I. R. 1923 All 293

परन्तु वह बात, जिसका फैसला नहीं किया गयाहो अप्र तजवीज हुदा (Resjudicata) नहीं समझा जायिया देखिए नीरा बनाम नवाब सुल्तमद 64 I. C. 523 (All) अगर किसी कर्जलेवाहने यह प्रसन अदालत दिवाणियाके सामने उठया हो कि दिवाणियेका कोई इतकाठ जायदाद, पोसादेहीका था और वह प्रसन उसके विरुद्ध तय किया हो तो उसको अधिकार नहीं है कि वह द्वारा उस प्रसनोंको उठा सके कि वह इतकाठ जायदाद, कर्जा व पोसादेहीका था पहिला फैसला अप्र तजवीज हुदा (Resjudicata) ऐसे मामलोंके लिए समझा जायेगा देखो—मथेशन बनाम हादत्तसद 16 N. L. R. 201.

इस दफाके आधार पर अदालत दिवाणियाका एजवीज फैसलाभी उस सूत्रमें अप्र तजवीज हुदा (Resjudicata) समझा जायेगा जबकि रितीवरने दफा ५३ के अनुसार दिवाणियेके किसी इतकाठ जायदादको कर्जा कर देनेकी कख्सातरी हो और उसकी इतरा मुत्किसलेह (Transience) को हो जावे ऐसी सूत्रमें वह मुत्किसलेह

(Transferee) द्वारा इस्तकामिया मुकदमा इस अन्तर् लिखे बायर नया कर सकता है नि वह इनका मारदार सही या और उस न्यायदाना वह मालिक ह दफा—कमीज्जा विमा न्याय न्यायनसिंह 24 A. L. J 897.

अदालत दिवालयियाके हुजूमोंकी इजराय—अदालत दिवालयियाके हुजूमोंकी इजराय दफा ५ में लिखे हुए नियमोंके अनुसार होंगी अर्थात् अदायत दिवालयियाके इजरायके सब धर्मों बड़ी अधिकर प्राप्त होंगे जो उसे मू पू दीवानोंके अपिसारोंको वरें में प्राप्त हैं, दफा—ममरानी चौधुरि न्याय अफिसार रिनीवर मद्रा 43 M L J 185, 651 C 334.

अपील—इस दफाके अनुसार लिखे हुए कैमरेकी पहिली अपील इतिहासमें दफा ७५ (२) तथा सुबं न० १ (Schedule 1) के आस पर हो सकती है। यदि इस दफाके अनुसार निमी मादशन अदालतने कैम ग किया हो तो उसकी दूसरी अपील (कानूनी मसले पर) इतिहासमें दफा ७५ (१) के आधार पर की जा सकती है। दूसरी अपील या ता दीवानोंकी दफा १०० में लिखे हुए नियमोंके अनुसारकी ही आसकेगी अर्थात् (१) उस समय जवाब बाई कानूना मन्तय तय होनेमें होंगे (२) उस समय जबके कोई नक़्द तननीद तय होनेमें रू गई हो (३) जबकि कोई इतरेप चलती या बरफदारी मामलेके सुननेमें बोगई हो। मियाद अपील दफा ७५ (४) में दी हुई है, दफा—सेठ विनयाक बनाम गिरधारीकांड A I R 1924 Nag. 361, 19 A L J 862.

जबकि अदायत दिवालयिया उपदफा (३) के अनुसार बर्तिकाईकी हो तो अदालतकी आज्ञा लेने पर अपीलकी जायकती है देखो—दफा ७५ (३)

चुकि अदालत दिवालयियाके कैमलेकी अपीलकी जायकती है, इस कारण यदि अदालत कैमरे से इनकर कर न तो उस इनकरकी भी अपीलकी जायकती है, जैसाकि नयनन्याय बनाम सम्बन्ध 52 Cal. 662. में तय हुआ है। यह तय कलकत्ता इतिहासमें है दूसरे किसे इतिहासमें राय इस नियममें अनौत्तक कुछनी नहीं है और न दायरे पड़नेकीसे यह तय प्रायः दाना है।

जब कि बेरा मुद्देयाके देवरक सिरलाफ किसी मुकदमोंमें कोई जयदाद कर्त की गई हो और मुद्देयाका आर्डर २१ कू ५८ जाबना दीवानोंके अनुसार एनगजरी दरगाना देने और उमरक बाधक उतका बंद देना इत्यादि का कर दिया जावे तथा रितीवर उम देवरकी जगह करीक मुकदमा बन जावे और मुद्देयाके दुबारा एनगजरी दरगाना दो पर वह दरकवारत नामकर होगई हो और इसके बाद मुद्देयाने मालिश, आपना हक समित करनेके लिये दावरकी हा ता यह तय पाया कि जदा त दिवालयियाका कैमरा जिसम कि उनने मुद्देयाके एतराजकी तय किया हो दफा ४ के अनुसार नती कनया सपझना चाहिये और दुबारा उसके लिय कोई नया मुकदमा नहीं दायर किया जायकता है। यह भी तय हुआ कि अउर २१ कू ५८ के अनुसार दिया हुआ हुकम कनई हुकम नहीं है और उसके लिय नया मुकदमा दायर करना जायकता है देखो—तमरानी बवा मिहान बनाम जवाहिरलाल मदनलाल A I R 1228 All 158

कानून दिवालयियाकी दफा ४ (१) का प्रथम नियमित मुकदमोंके अनुसार तय किया जाना चाहिये अपील तय फर्गनेम की सूचना दी जाना चाहिये तथा उनके नयान तदारीत आदि देखिल होने चाहिये उनके कागजात देखिल करके गाना चाहिये तथा उनकी शहदाद सुनी जाना चाहिये देखो—गनीमुग्ग बनाम दीनाभाव पुरी 108 I C. 602, A I R 1928 Lah. 556

इत्यादिकार इतिहासके सामने दो प्रश्न हूट करके लिखे रखते गये थे उनमेंसे पहिले प्रश्नको उत्तर दिया गया था पन्नु दूसरे उत्तरकी आवश्यकता नहीं मगझी गई थी पहिले यह कि यदि कोई इतराज न्यायदाना दिवालयिया केर दिव जानने दो सात पहिले हुआ हो और उस इतराजके लिये इका प्रश्न उपस्थित हो तो क्या अदायत दिवालयिया की कानून दिवालयिया की दफा ५३ के अनुसारका ध्यान रखते हुए ऐसे प्रश्नको तय करके बाहर प्राप्त है। हाँकि, क नयाने बहुनने यह तय किया था कि अदायत दिवालयियाका एमे प्रश्न तय नगोत अरिहा प्राप्त है।

इस प्रश्नको तय करते हुए बहुमत वाले जजोंने इस बात पर भी प्रकाश डाला था कि यदि कोई मापका किसी अनमनीके खिलाफ भी अदालत दिवालिया से तय कर दिया जावे तो अदालत दीवानी उस फैसलेके विरुद्ध नहीं जायेगी अर्थात् दफा ११ कायदा दीवानों लाय समझी जायेगी जैसा कि A. I. R. 1926 All. 470; A. I. R. 1927 All. 66 आदि में तय किया गया है।

दफा ४ में अधिकारका वर्णन है और उसके बाद दूसरी दफाओंमें जो अधिकारोंका उल्लेख है उनका ध्यान रखते हुए दफा ४ में वक्त आये हुए अधिकारको समझना चाहिये। दफा ५३ व ५४ में अदालत दिवालियाके अधिकार सीमाका वर्णन नहीं है उनमें केवल यही बतलाया गया है कि अदालतमें उपस्थित होने वाले खास २ प्रश्नोंको तय करते समय किन नियमोंका ध्यान रखना उचित है इस प्रकार उन दफाओंका कोई प्रभाव दफा ४ पर नहीं पड़ता है जो दफा ५६ का प्रभाव अवश्य पड़ता है अदालत दिवालियाके अधिकार हैं कि वह ऐसे प्रश्नोंको तय कर सके कि दिवालियाका हक किमी जायतद पर पहुँचना है या नहीं परन्तु ऐसे प्रश्नोंको तय करते समय दूसरा कौनकी भी यथाचित अवसर उस दफा-नालके सम्बन्धमें जवाब देदी करनेके लिये देना चाहिये। देवो—A. I. R. 1929 All 105.

दफा ५ अदालतके साधारण अधिकार

(१) इस एक्टके नियमोंका ध्यान रखते हुए अदालतको इस एक्टकी कार्रवाई वसी प्रकार करना चाहिये जिस प्रकार वह दीवानोंके मूल अधिकारोंको करने में करती है।

(२) ऊपर लिखे अनुसार हाईकोर्ट व हाइलूट जिलाको अपनी मातृदत्त अदालतके कानूनोंके लिये वही अधिकार होने और वसी प्रकार बतें जायेंगे जो अधिकार उनकी दीवानी मामलोंमें प्राप्त है व जिस प्रकार उनमें बह बतें जाते हैं।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार अदालत दिवालियाके उन नियमोंके अनुसार भी कार्य करनेका अधिकार प्राप्त है जिन नियमोंका प्रयोग अदालत दीवानी किया करती है अर्थात् जहाँ दीवानोंमें दिये हुए नियमोंके अनुसार अदालत दिवालिया भी कार्य कर सकती है केवल विरोधता यह है कि अदालत दिवालियाके चाहिये कि इस एक्टमें दिये हुए नियमोंका उल्लंघन न करे अर्थात् यदि इस एक्टमें बनाया हुआ कोई नियम जानना दीवानोंमें नतलाये हुए किसी नियमके विरुद्ध पड़ता हो तो अदालत दिवालिया ऐसी सूत्रमें इस एक्टमें बढिये हुए नियमोंके अनुसार कार्यवाही करेगी। जानना दीवानोंके नियमोंको उस समय कोई पर्वोड न करेगी परन्तु जहाँ पर इस एक्टमें किसी कार्यके करनेके लिये कोई विशेष नियम न दिया हुआ हो वहाँ पर कार्यवाही दीवानोंमें दिये हुए नियमोंके अनुसार ही कार्य किया जावेगा इस प्रकार अदालत दिवालियाको इस एक्टमें दिये हुए नियमोंके अतिरिक्त उन सब अधिकारोंके बढिये हुए अधिकार प्राप्त है जो अदालत दीवानोंके बढिये हुए प्रयोग कर सकती है।

इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि ऊपर कहे हुए अधिकार केवल उन्हीं कार्यवाहियोंके लिये प्राप्त होंगे जो इस एक्टके अनुसार ही जानेनी हैं अर्थात् इस एक्टमें जिन कार्यवाहियोंको करनेका अधिकार अदालत दिवालियाको दिया गया है उन्हीं कार्यवाहियोंको करनेमें वह उक्त नियमोंका प्रयोग कर सकती है। देवो—चालांको बनाम अदुल 15. C. W. N. 253; नील्मनी बनाम दुर्गाचरण 22. C. W. N. 704, 16. I. C. 377.

इस दफाके इस एक्टके अनुसार कार्यवाहीके अनिश्चित उक्त कार्यवाही है जो किसी अदालतमें कीजाने अर्थात् यदि इस एक्टके अनुसार कोई कार्यवाही किसीके सम्बन्धमें हो रही हो तो उसमें जानना दीवानोंके नियमोंके प्रयोग लिये जानना अतिशय नहीं दिया गया है। देवो—वेदागल बनाम लक्ष्मणराव 39 All 267, 37 I. C. 830, निडुलीपट्टी बनाम महापट्टी 47 I. C. 33, 24 M. L. T. 106

इसी प्रकार यह भी तय हुआ है कि रिसेवर द्वारा दिवालियेकी जायदाद बेच जान पर जानना दीवानाके नियम लागू नहीं है। देखो—टुमेनी बनाम मुहम्मद बख्श 26 O C 319=74 I. C 802, रिसेवर द्वारा रिहा जायदादका बेचा जाना दफा ५ (१)के अनुसार भी कार्रवाई नहीं है और इसी कारण ऐसे बेच जानेमें जानना दीवानाके आर्डर २१ रू ८९ के नियम लागू नहीं है। देखो—A. I. R. 1928 Ran 60, 5 Rang 788.

इस दफने अनुसार अात दिवालिया तथा उसकी अर्थात् सुननवाग अदालत उस अधिकारका प्रयोग कर सकती है जो जानना दीवानाकी दफा १५१ म दिया हुआ है। इस प्रकार वह सिधे का किसी घातकी सुधार करने में देता—सामयिक बनाम मजहर हुसैन ०1 I C 55 (All) का वाक्य लिये रिहा आवश्यक आज्ञाकी दे सकती है देखो—अशुभ बनाम मदीनहान 14 C. W. N. 586.

इसी प्रकार जब मित्र का कार्रवाई का गई हो या नकलीयाने दिवालिया बननेके लिये दम्ब्यान्त नहीं दी गई हो तो अदालत ऐसी दरखास्त को इसी बात पर खारिज कर सकती है। देखो—गिरवारी बनाम अयनगयन 32 All 645

प्राप्त उपर से हुई बातोंसे यह न समझ लेना चाहिये कि अदालत इच्छामुता पर जब चाहे जिस हुम्मी मसूल कर सकती है अर्थात् किसी हुम्मी को उसी समय बंद खारिज करगी जबकि कानूनन उभरो उसका खारिज करना अधिकार प्राप्त होगा। देखो—इनेरी आर सिध 32 I C 575.

दफा ५ के अनुसार अदालत दिवालियाकी बर्ही अधिकार प्राप्त है जो जानना दीवानाके अनुसार मामूली दीवाना अदालतोंको प्राप्त है और इसी कारण यदि दो कर्जदारोंमें किसी जायदादके लिये सगुना चयन रहा हो तो जबतक वह सगुना तय न हो जाये तब तक सिधे अदालत दिवालिया एक कर्जदारकी उभ जायदादके नीयाम कानूने रोक सकती है। देखो—A I R 1928 Rang 241

इस दफके अनुसार जानना दीवानाके आर्डर ९ में दिये हुए नियमका प्रयोग भी दिवालिया की कार्रवाईमें किया जा सकता है इसलिये अगर कर्जदार दिवालिया की दरखास्त सुने जानेके समय खारिज न होये तो वह दरखास्त खारिज कर दी जायेगी। दिवालिया की अधिकार है कि वह या तो फिर उसी दरखास्तके सुने जानेके लिये दरखास्त दे या वह नहीं दरखास्त दिवालिया बननेके लिये दे सकता है। लेकिन जब नहीं दरखास्त दिवालिया बननेके लिये दी जाये तो उभमें यह दिखाना चाहिये कि दरखास्त किस कारण खारिज हुई थी और अदालतसे दफा १० (२) के अनुसार दुबारा दरखास्त देने की आज्ञा प्राप्त करना चाहिये। अगर अदालतमें खारिज की हुई दरखास्तके क त व नम्बर कायम होने की दरखास्त मजहर न की जाये तो इससे यह न समझना चाहिये कि नहीं दरखास्त भी नहीं दी जासकता इ अर्थात् वादे कानूनन नहीं दरखास्त देने का हक प्राप्त है तो ऐसी दरखास्त नाममात्र होने पर भी दुबारा नहीं दरखास्त दिवालिया बननेके लिये दी जा सकता है। देखो—अशुभ अजीन बनाम हवीद सिद्दी 49 I. C 228.

इस एक्टके अनुसार कुकारी कार्रवाई करनेमें अदालत दिवालियाको बर्ही नियम प्रवर्तना चाहिये जो जानना दीवानाकी अनुसार दीवानाके मूल अिखारोंका बतनेमें लिये जाते हैं। देखो—इसमत कीर्त बनाम अयनगयन 36 All 65

अगर कानूना लेनेका वाद रिसेवर या उसके किसी खर्गदारके हकम सिधे प्राप्त तो उसके प्रयोग करनेमें बर्ही तरीका इस्तेमाल किया जायेगा जो दीवानाके मूल अधिकारों की बर्तनेमें किया जाता है। देखा—समयकाई इन्डिय बनाम आफिसिय रिसेवर मद्रा 45 Mad 434

इस दफके अनुसार अदालत दिवालिया (Insolvency Court) अपने हुम्मी की नकलाना (Reveu) भी कर सकती है जैसा कि आर्डर ५७ कानूना दीवानाके दिया हुआ है। देखो—51 M L J 60, 46 Mad 405, 44 All 605

उपदफा (१)—इस उपदफामें यह प्रकट है कि जायदादावलीके अनुसार हाईकोर्ट व जदालत जिला मामलत सदाउन न अपऑको ठीक उसी प्रशर सुन सकती है जमईन दावानी की अपलें सुने जलिया विषम ह अपॉद आडर ४१ जावन दावामें दिसे दुए नियमके अनुसार अपॉले वा जातरनी ह व सुनी जासकती है ।

इस उपदफाके आरार पर जावना दावानीके आर ४१ क्ल ५ के अनुसार हाईकोर्टको अधिकार है कि वर फिली मामल की सुनवाईमा बद करनका हुनम दे । देखो—नागिनदास बनाम वेणुमार्ई 56 I C 449

इयागियारे मामले की अपॉल सुनने समय नियम जगतें वडा अधिकार प्राप्त है जो उमे मामली दावानीके भागमें अपॉल सुनमें प्राप्त है । देला मनुआल बनाम कुनविहारी 44 All 605=A L R 1922 All 206

इ मालवेंनी (Insolvency) की अपॉल हेले पा गियाण्ट की नाम अपॉल (Cross objection) अपॉल ४१ क्ल २२ जावना दावानीके अनुसार कमेंके अधिकार प्राप्त है । देखो—41 Mad 904.

त्रियागियारे मामले की अपॉल बिना राजीसल (Privy Council) में भी की जासकती है क्योंकि एक्टमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे ऐमा अपालका न हो सकना पाया जाव । देला—छयात बनाम खड्गसिंह 40 Cal. 680; 14 Cal 535

दूसरा प्रकरण

दिवालिके कामोंसे लेकर वहाल (Discharge) होने तककी कार्यवाहियां

दफा ६ दिवालिके काम

(१) नीचे लिखे हुए कामोंके क्रमसे यह मानलिया जावेगा कि कर्जदारने दिवालिके काम का काम किया है.—

(ए) जबकि ब्रिटिश भारतमें या दूसरी जगह कर्जदारने अपनी कुल जायदाद या करीब २ सजायदाद किसी तीसरे शरखके सुपुर्द करदी हों जिससे कि उसके सब कर्जवाहोंको ताम न होसके ।

(बी) जबकि ब्रिटिश भारतमें या दूसरी जगह कर्जदारने अपनी जायदाद या उतका कोई हिस्सा इस इरादेसे अलहाद कर दिया हों कि जिससे उतके कर्जवाहोंका कर्जा बसल न होसके या उसके बसल होनेमें देर हों ।

(सी) जबकि ब्रिटिश भारतमें या किसी दूसरी जगह कर्जदारने अपनी जायदाद या उतका कोई हिस्सा इस प्रकार अलहाद कर दिया हों जो इस एक्ट या किसी अन्य प्रचलित एक्टके अनुसार उनके दिवालिया होने पर धांसका सौदा (Fraudulent preference) मान कर नाजायज (Void) क़ारर दिया जावे ।

(डी) यदि कर्जदार अपने कर्जवाहोंका रुपया मारने या उनका कर्जा बसल होनेमें देर कामकी बजहसे —

- (१) वह ब्रिटिश भारतसे चला जावे या बाहर रहे
- (११) वह अपने सङ्गनती मकान या रोजगारकी जगहमें चला जावे या और किसी प्रकार घरहाजिर हो जाव, अथवा
- (१११) वह छिप जाव जिसमें कर्जवाहकी उसकी छुवर न मिल सके ।
- (ई) जबकि कर्जदार की कोई जायदाद उसके कर्जमें इजराय डिक्री द्वारा आविक गई हो (यफ) जबकि वह इस एक्टके अनुसार दिवालिया बनाय जानिकी दरखवास्त देवे ।
- (जी) जबकि कर्जदार अपने किसी कर्जवाहका यह नाटिस देव कि वह अपना कर्ज अदा नहीं करवा या उसकी अदायगी बंद करने वाला है ।
- (यच) जबकि कर्जदार किली अदालत द्वारा स्पयकी अदायगी न करने पर इजराय डिक्री में गिरफ्तार हुआ हो ।

खुलासा (Explanation)—इस एक्टके अनुसार कार्याई करनेके लिये कारपरदाज़ा (Agent) का काम मालिकका काम माना जासकता है ।

व्याख्या—

दिवालेके काम (Acts of Insolvency)—इस दफाम दिवालेके कामोंकी कोई विशेष परिमाणा नहीं दी हुई है किंतु इसमें ऐसे मामला उल्लेख हैं जिनका वन वा होनेसे यह माना गया जावगा कि कर्जदारने दिवालेका काम किया है । अगर इन मामों बतलाये हुए दिवालेके कामोंमें से कोई भी काम किया जाव ता कर्जदारको स्वयं या उसके किसी भी कर्जदारका दफा १ व २० क नियमानुसार न्याय रतते हुए दिवालयी दरखवास्त देना इक हो जावेगा जैसा कि दफा ७ व बतलाया गया है अथवा कोई न्याय क्रम दिये जाने लिये दरखवास्त नहा दा जानकता है ।

जिन कर्जदारका प्रयोग इस दफाम दिन तक काम चल नमें किया गया है उनका शब्दिक अर्थ जसेका तैसाहा टिके तारने समझना चाइये क्योंकि एसा काम कराना उ न्याय के लिये बहुसमी असुविधाय उपरिपत हा जाती है । देना—39 Mad 250 परंतु जब दिवालिया स्पयकारवान्त देवे आरवतमें यह प्रकृत कर कि वह अपने कर्जका अदा नहीं कर सक्ता है या वाकिये तस यह एक्ट हा कि कर्जदार स्पयशी दिवालिया बनना चाहता है तो एसा दशाम यह आवश्यक नहीं है कि दिवाली क काम ही बका चलवान की जावे दत्रो—A. L. R 1925 Mad 483

कौनसे काम दिवालियाके काम नहीं हैं—कर्जदार काम किसी कर्जदार है या उनके एजेंटको केवल यह सूचना देना कि वह दिवालिया है दिवालियेशा काम नहा समझना चाइये । देखो—मलकायल बैंक बनाम आदितियर एसडना 30 Mad 230.

आर किसी एक कर्जदारसे सोना खरीदा जाव व वह मीदा फुलमें दूसरोंमें बेचा जाव और विक्रमके समयसे दूरे कर्जदारका कर्ज चुकाया जावे ता एसे कामको दिवालेका काम नहा समझना चाइये दसा—दुर्गाशम बनाम हरकिशन 23 A. L. J 536=A. I R 1925 All 564

किसी आदमको दिवालिया करार देना काज एक बला समान काम है इस कारण अदालतका चाइिय कि दिवालिया करार देनेमें पहिल भला भाति खनरीन नर लेव और यह देख लेवे कि कानून पूर्णतया लागू है याद कोई कर्जदार नम बनना न काम कर लेव कि उसे किन्ना कर्ज वा भा काया दता है और वह उन कर्जको अदा नहीं कर सक्ता है तथा इसक पश्चात् उस कर्जकी घुना देना वा केवल इतनाही काम यह है मान लिया जावेगा कि उस कर्जदारन दिवालयी काम

गिया है और न एसा काम दफ्तर के मिल २ वजोंमें बताये हुए कामोंमें आता है। देलो—A. I R 1928 Mad 393 यदि कोई कर्जदार अपने कर्जदाराओंकी भाग होने पर यह प्रश्न करे कि वहने अपनी सब दत्तावेजों किसी तीसरे शब्दिक कन्वैन्टमें देदा है जिसमें कि वह शब्द उसकी सब जायदादका बंध तक और उसके वजोंका निपटा सक ता उसका यह काम दिवालिया काम समझा जावेगा। देलो—A. I R 1928 Mad. 903.

यदि कोई कर्जदार दिवालिया बननेके लिये दरख्वास्त देने तो चाहे उसका पेटीशन खारिज भी हो जावे तब भी यह समझना चाहिये कि उसने इत दाता क श्राव (यक) के अनुसार दिवालिया काम किया है। देलो—A. I R. 1929 Lah. 72 (1)

जबकि कर्जदाराशुनके दरखास्त देनेके तीन माहके अन्दर कर्जदारने यह प्रकट किया हो कि वह अपने कर्जोंका नहीं उखा सकता है तथा साथ २ यह भी अपने कर्जदाराशुनमें कह दिया हो कि वह अपना कर्ज एक साथभी उखावेगा अलददा २ नहीं चुकावेगा तो इस प्रमाण कहना इत दाताके कानून (जी) के अनुसार साक तारीस नोडिस देनेके बराबर है। देला—A. I. R. 1929 Lah 136

बलात्त (ए) कर्जदारोंके लाभके लिये दस्तियोंके सुपुर्दे जायदादका किया जाना इत कानूनके अनुसार दिवालिया काम है। देलो—हरहावल बनाम कौटामल 19 I C 443

ब्रिटिश भारत (British India) का परिभाषा जगल क्लासेस एक्ट (General Classes Act X 1897) की दफा ३ (७) में दी हुई है अर्थात् इसका अभिप्राय वस सब देशसे है जो गवर्नर जनरल हिन्द या उसके मातहतों द्वारा शासित किया जाता है।

दिवालिया काम चाहे ब्रिटिश भागमें किया जावे चाहे उसके बाहर किया जावे दिवालिया दरख्वास्त कर्जदारके विरुद्ध ही जातनी है परन्तु दिवालियाकी दरखास्त उसी अदालतमें दी जाना चाहिये जिसकी अधिकार सीमामें कर्जदार अधिकतर रहता हो या अपना ध धा करना हो, यदि कोई कर्जदार अपना तासक्या करनेके लिये दरखाने (Composition deed) जिले तो यह दिवालिया काम समझना चाहिये। देलो—डालचद घुशालदास बनाम हुतेनिया A. I. R. 1927 Sindh 78.

ककाज़ (बी) इत उपदकके अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि कर्जदार अपनी कुल जायदाद या लगभग सब जायदाद हटा देवे इसके लिये यदि वह अपनी जायदादका मोक्षता भी दिखाया देवे तो यह उदरका लागू हो सकेगी परन्तु यह बात अवश्य सापित होना चाहिय कि कर्जदारने अपनी जायदाद इस कारण हटाई है कि जिसमें उसके कर्जदारोंके उस जायदादमें न पावें या बनना कर्जा बसूल हानमें कवायद पड़े न दे सके। कानून (ए) के अनुसार जायदाद किसी तीसरे व्यक्ति के नाम की जाना चाहिय परन्तु इस कानूनके अनुसार जायदाद किसी कर्जदारके नामकी कर्जा जासकती है। इसलिये यदि कोई कर्जदार अपने किसी एक कर्जदारके हकमें अपना जायदाद या उसका कोई हिस्सा इस मशारे लिख देवे कि उसके दूने कर्जदारोंका वह जायदाद न मिल सके या उनके कर्जों बसूल करने में देर हो ता भा यह काम दिवालिया काम समझा जावेगा।

कलाक (सी) इस कानूनके लिये यह आवश्यक नहीं है कि कर्जदार अपना कुल जायदाद की अलहदा करे जैसा कि कानून (ए) के लिये आवश्यक है और न यह आवश्यक है कि इतकाल जायदाद कर्जदारोंको कर्जे इतमा करने या उनके बसूल होने में देर लाजनेकी वनदस किया गया हो, यह भी आवश्यक नहीं है कि इतकाल किसी तीसरे शब्दिक दकमें किया जावे अर्थात् इस कानूनके लिये चाहे कुल जायदाद या उसका कोई भी भाग हटाया गया हो या किसी भी शब्दिक दकमें हटाया गया हो आर किसी भी शब्दिक हटाया गया हो तुम्ह

यदि वह इतकाल जायदाद, कानूनन दिवालिया होने पर इग्निसा पर नामावज करार दिया जासके कि वह धोखेसे फारदा देनेके लिये (*Fraudulent preference*) किया गया हो तो एमे इतकाल जायदाद के होने पर दिवालेका काम मानलिया जावेगा । 'Fraudulant preference' धोखेसे फायदा पहुँचानेका अर्थ यह निकसता है कि 'निर्मा एक कर्जेव्वाहको दूसर कर्जेव्वाहके मुकामिने फायदा पहुँचाना' इस प्रकार इतकाल जायदाद उसी कर्जेव्वाहके हकमें दाना चाहिये परन्तु वह इतकाल उस कर्जेव्वाहको फायदा पहुँचानेके लिये स्वयं उसके हकमें किया जायजना है तथा और भी तीसरे कर्जेव्वाहके हकमें किया जायकना है निम्नसे उम कर्जेव्वाहको फायदा पहुँच सरे जिते वह फायदा पहुँचाना चाहता है ।

ऐसे इतकाल जायदाद होनेमें यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी दन वसे बरपाया गया हो क्योंकि तर्जाह (*Preference*) शब्दही इस बातका यातर है कि इतकाल जायदाद करने वालेने अपनी इच्छाम जानबूज कर एक कर्जेव्वाहको दूसर कर्जेव्वाहके मुकामने फायदा पहुँचानेकी इच्छामे उस कामको किया है । देखो—*ट्रॉप ब्रनाथ बनाम आण्टोप 21 C. L. J. 167; मीलवर्न बनाम तेजमल 11 A. L. J 545*

परन्तु यदि ऐसा इतकाल जायदाद दबाव ही वजहसे किया गया हो तो उसमे यह प्रश्न होगा कि कर्जेदार की मशा हमीज यह नहीं थी कि वह एक कर्जेव्वाहको दूसरेके मुकामिले अधिक लाभ पहुँचानेकी इच्छा रखता हो और फिर यह प्रश्न लागू नहीं रह जावेगा अब दबावका अम ब होनाही इस प्रश्नकी मशाने लिये माना गया है ।

फलाज (डो) इस प्रश्नको कार्यरूपमें परिणत करनेके लिये यह बात मानिन होना आवश्यक है कि कर्जेदारने इस मशाने कि उसके कर्जेव्वाहानका हज्जी वस्तु न किया जासके या उसके वस्तु हानमें दान लग इस प्रश्नकी तीनों उपदशाओंमें इन्तर्द हई कर्जेव्वाहकी हो अर्थात् यदि ऊपर बनावे हई मशाने त्रिटिस भारतके बाहर रहना हो या चला जावे अथवा अपने हाने या व्यापार का जगहसे हट जावे अथवा अपने कर्जेव्वाहानमे लिप जावे तो यह मान लिया जावेगा कि उसने दिवालेका काम किया है ।

इस प्रश्नके आधार पर किसी कर्जेदारकी दिवालिया करार देनेमे पहिले यह निश्चित करलेना चाहिये कि आया कर्जेदार दरअसल इस नीयनसे कि उसके कर्जेव्वाहानका मपदा मारा जावे या उसके वस्तु हानमें देर हो, हट गया है । देखो—*अबूहाजी बनाम हाजीमान 8 Bom L R 684.*

चूँकि हटना, कर्जेव्वाहानका मपदा मारने या उसके वस्तु होनेमें देर करनेकी मशाने होना चाहिये इस कारण यदि कोई व्याज व्यापारके सम्बन्धमें चला जावे तो उसका आना दिवालिका काम इस प्रश्नके अदुमार नहीं समझा जावेगा । देखो *1816 Holt (N P) 175*

जबकि किसी कर्जेदारने अपना हिसाब किताब कर्जेव्वाहानको दिवालियेमे इनगार कर दिया हो और एक लम्बी रकम इस मशाने लेन भपने व्यापारकी जगहसे हट गया हो कि मिसमे वह कुर्न न मरई जासके तो अदालतका यह मानलेना कि वह कर्जेदार अपने कर्जेव्वाहानका मपदा हपद करन या उसके वस्तु होनेमें देर आनेकी मशाने हट गया है उचित होगा । देखा *21 Bom. 297.*

यदि कोई मशाने अपने व्यापारकी जगहको छोड़ जावे व बहा एक बेगिण दस्तखत अपने कर्जेव्वाहका लगा जावे कि कर्जेव्वाहान उस बरौजसे अपने कर्जेके निवृत्त लितापटी करे तो यह समझ लेना चाहिये कि ऐसे कर्जेदारने दिवालिका काम किया है । देखो—*दीवालाल शिवनरायन 97 I C. 446*

गावसे केवल कुछ समयके लिये रोम्हासिन होना इस प्रश्नके अदुमार रोम्हासिन होना नहीं समझना चाहिये । देखो—*23 A L. J. 536—A I R 1925 All 564*

जबकि वर्ज्यदात्री दाम्बास्त दिवाल्या वानके लिये खारिज हो गई हो और एन वर्ज्यदात्री दम्ब्वान भा इन्ही तौर पर खारिज हो गई हो और इसके बाद कोई दूसरा बच्चावाह दिवाल्या करार देनेके लिये दम्ब्वानत दब तो यह तय हुआ है कि पहिली दरखास्तका खारिज होना अत्र तनवीज मुदा दफा ११ जाबना खीयानीके अनुमार नहीं समझा जावेगा यदि वह दूसरा वर्ज्यदात्री भी पहिली दरखास्तमें फरीक रहा हो अर्थात् दूसरे वर्ज्यदात्री की दरख्तस्त वाले करार देने दिवालयिक सुनी न ना चाहिये । देखो—चौथमल वनाम खेमभनदास A. I. R. 1228 Pat 116

वलाज (ई) यदि वर्ज्यदात्री जायदादा कोई हिंसा इन्तगय डिक्रीमें नो कफीके लिये हो निरन्तर तो इस दफाके अनुमार यह मानलिया जावेगा कि उसने दिवाल्या काम किया है । जायदाद दलाखत निक जाना चाहिये देवल उसका नीलाम पर चटना काफी नहीं है । देखो—दोन्तदाम का मामला 56 I C 158

अगर कई दिखदारोंने ऊपर राजगार शयकनाके शयक धमें कोई डिफरी होये और किसी एक हिंमेदारा अत्रहदा हिंसा नीयम होनाये तो यह नहीं म ना जावगा कि अगर हिंसेदारोंने भी दिवाल्या काम किया है । देखो—A. I. R. 1926 Mad 976

फलाज (एफ) जबकि वर्ज्यदार स्वयं दिवाल्या करार दिये जायेके लिये दरखास्त देने तो उसका यह काम दिवाल्या काम समझा जावेगा और अवगत कि कोई बजह उसके खारिज किये जनिना न दिखलाई जावेगा अनारी वह दरखास्त मजूर होकर वह दिवाल्या करार दिया जाना चाहिये । देखो—A. I. R. 1926 Mad 494

जबकि निवा अत्रा करार देनेका हूतम मपूख तय किया गया हो और दिवाल्या किं दरख्तान दिवाल्या निशानेकी देवे ता उसको इस दरखास्त की प्रकरीक त्रिय एक नया दिवाल्याके काम इस क्राउरे अनुमार दिखलाना चाहिये । देखा—जमा खान वनाम खिलखारदयाल 109 I C 578 (2)

फलाज (जी) यदि वर्ज्यदार अपने किसी वर्ज्यदार इसो यह नोटिस देने कि उसो अपना कर्जे देना बंद कर दिया है या वह अपना वाजवार बंद करनेवाला है तो यह समझना चाहिये कि उसने अपना ताफमे दिवाल्या काम किया है । देखो—वनासीदास वनाम न दवदास A. I. R. 1920 Oudh 222

यदि नोटिस किसी बचीउके माफत भी दिया गया हो तो वह परांत है । देखो—A. I. R. 1926 Sind 18 पर तु नरिख साफ श देमें क ठार होने चाहिये और उससे यह बात समझ प्रस्ट होना चाहिये कि वह कर्जोके अदायगी बंद करना चाहता है या उसने अदायगी बंद करदी है । उस नोटिससे उसकी यह साफ मझा टाचना चाहिये कि वह बज देना बंद करने वाला है या कर्जे देना बंद कर दिया है नोटिस देवल इस बातका कि वर्ज्यदार दिवाल्याकी हालतमें है काफी नहीं है और ऐसे नोटिसके देखने यह नहीं माना जावेगा कि वर्ज्यदारने दिवाल्या काम किया है । देखो—39 Mad 250, नगमनदास वनाम चिमनलाल 25 A. L. J. 219

इस बातक अनुसार जो नोटिस देना बालाया गया है उगमे मझ उस नोटिसका है जो वर्ज्यदार अपने ही उतुसार देने और वर्ज्यदारका यह इच्छा मामलेके वाक्यात्मके समझी जासकता है । यह बात कि आप कोई नोटिस इस दफाके अनुमार काफी है या नहीं हर मामलकी और सब बातोंकी भी देखकर समझा जानकना है अगर किंसा कर्जवाहमे यह प्रथना की जाय कि जबतक बाजारकी दशा सुधार न जावे वह अपना कर्जे वसूल करनेके लिय कर्जे देवान न बाल ना समझे इस प्रकार का प्रस्ताव किया जावे कि वह अपने कर्जका कुछ हिस्सा पूरे कर्जोके अदायगीमें देलव ता इस प्रकारका नोटिस इस दफाके लिय काफी नोटिस समझा जावेगा । देखो—A. I. R. 1926 Sind 246,

अगर कोई एक वर्ज्यदार (Partners) इस प्रकारका नोटिस देवे कि वह कर्जोके अदायगी नहीं करेगा तो

ऐसा नोटिस दूसरे शरीकदारों (Partners) के लिये दिवाने का नाम नहीं समझा जावेगा। देखो—देवेन्द्र बन्धन परमोत्तम 55 I C. 186

इस क्रांति के लिये फंक्चल रूपसे ही अदापत्तों की बंद कर देनेसे विनाय सुखानमत पैदा नहीं होती है सिन्तु इस बंद करने का नोटिस देनेसे विनाय सुखासिमत पैदा होती है और उनी समयसे मियाद खानाना चादिप। देखो—भोजानल नानाम एत उमाखा A I R 1928 Sind 177.

हुलासा (Explanation)—एजेन्ट का किया हुआ काम मालिक का काम समझा जावेगा। इस प्रकार यदि कोई ब्यापारी बलबन्ता हाईकोर्टकी अधिकायरी मासि बाहर रहना हो परन्तु उसका एजेन्ट (युमास्ता) नरुनलेमें नाम बना हो और वह युमास्ता बर्गोरी अदापत्ती बंद कर दख तथा अपनी दुखान छोड़ देने या कोई ऐसा काम करे जिसे यदि ब्यापारी स्वयं करता तो वह दिवालिया करार दिया गया जाता तो एजेन्टके ऐसे काम करने पर उसका मालिक दिवालिया करार दिया जासकेगा। देखो—हर्षचन्द्र 5 Cal 605. छेदिन यह राय इसके बाद कोले सुब्दमें इम प्रकार नहीं रखी गई थी यानी यह तय पाया था कि यदि मालिककी रायसे कोई काम किया जावे तो उसकी ही पावरी उस पर ही सरेगी। देखो—धूपतसिंह 20 Cal 771.

एजेन्ट का काम उनी वक्त मालिकको बंध सकेगा जबकि वह अपने अधिकायके आदर (नतीर एजेन्टके) काम करेगा। देखो—20 Cal. 771, 23 Cal 26 (I C)

दफा ७ दरखास्त और दिवालिया करार दिया जाना

शगर कोई कर्जदार दिवालियेका कोई काम करे तो उसका कोई कर्जदार या कर्जदार स्वयं ही दिवालिके दरखास्त इस एकदम दिव्य हुए शरायतके साथ दे सकती है और अदालत ऐसी दरखास्त पर कर्जदारका दिवालिया करार देनेका हुकम देसकती है इकी आर्डरका दिवालिया करार देनेका आर्डर (Adjudication order) कहते हैं उदाहरण (Explanation)—कर्जदार का स्वयं दरखास्त देना इस दफाके अनुसार एक दिवालियेका काम है और अदालत ऐसी दरखास्त पर दिवालिया करार देनेका हुकम दे सकती है।

व्यख्या—

दफा ७ में कर्जदारके उन कामोंका उल्लेख है जिनके करने या होनेसे यह मानलिया जावेगा कि उस कर्जदारने दिवालियेका काम किया है इस दफामें यह बतलाया गया है कि दिवालियेका नाम होने पर उसका पारणाम क्या हा सता है अर्थात् इस दफामें यह बतलाया गया है कि जब कोई दिवालिया काम किया गया हो तो कर्जदार तथा स्वयं ब्यापारी दोनोंके अधिकाय है कि वह अदालत दिवालियेका उम कर्जदारको दिवालिया करार दिये जानेका दरखास्त पैदा कर सक और एतों दरखास्तके आकार पर यह कर्जदार दिवालिया करार दिया जावके।

इस दफाके साथ जो व्याख्य (Explanation) दी हुई है उमकी अन्तरत इस बातने पती कि जिनमें कायदे का अम दूर हो तके कौनो दिवालिया करार दिये जानेकी दरखास्त दी जानेसे पहिले कोई न कोई दिवालियेका काम अन्वय होना चादिगे। दफा ६ क्राज (एक) के अनुसार यदि कोई दिवालिया बन्धकी दुग्बाल दी जावे ता यह मानलिया जावगा कि दिवालियेका काम हुआ है इस बावध कर्जदार द्वारा कोई दुग्बाल दिने जानते पहिले एक बेगोरी दरखास्त दी जा चुकना चादिगे इम अन्वय दूर करनेके लिये तथा किञ्चुकी पावरीके बन्दके लिये यह व्याख्या गाबना गई है जिनमें अनुसार कर्जदारका स्वयं दरखास्त देना दिवालिया काम माना गया है तथा अदालतको ऐसा दरखास्त पर दिवालिया करार देनेका अधिकार प्राप्त है।

इस दफाके अनुसार अदालत दिवालयिया कया देनेके लिय सप्य नहीं है किन्तु उक्तमे इच्छा पर दिवालयिया कया देना निरभर है यन्तु इस दफाका अर्थ यह नहीं है कि अदालत मनमानी जैसा चाहे बना करे उस उचित है कि कानूनी मामलोंमे प्यानमें एक्टो हुए अपनी इन इच्छाओं प्रयोग करे और उमे नियमोंके अनुसार कया करना चाहिए । दफा—
 हावससहाय बनान भोगेप्रवाद 5 Cal. 209

दफा ९ व १० में उन सब बातोंमें उल्लेख है जिनका प्यान दख्खालत लेवे सप्य रखना आवश्यक है यतः उन दफाओंमे उल्लेख है प्रतीति पूरा होना भी दाख्खालत भङ्गान परी अवश्य है और अदालतके इसका भी विशेष रूपसे प्यान रखना उचित है ।

कर्जदारक इन दफाके अनुसार केवल अपने कर्जदारोंके खिलाफ दख्खालत दे सकता है । कर्जदारके नामके खिलाफ विवालयियेकी दख्खालत किसी कर्जदार द्वारा उठ जात कर नहीं जा सकता है । यह उक्त है उन कर्जदारके व वारिधके साथके कर्जदारके व कर्जदारका सम्बन्ध स्थापित न हो गया हो । दफा—दिवालयियेकी 85. L R 93=25 I. C. 930

जबकि किसी कर्जदारके खिलाफ विवालयियेकी दख्खालत न हो सके तब कर्जदार उक्त दख्खालतकी सुधारके परितो न करे तो वह दख्खालत प्राप्त रखना जायगा जिसमे कि बनका ज्ञापनके बसुली जायके तथा बाण ज्ञानके ज्ञानके दफा २० में बतलाया गया है ।

अदालतको यह अधिकार नहीं है कि वह दिवालयिया कया देने कया दूसरे देनेके साथ २ दिवालयिया कया देने हुए सप्यताओंकीमे समुद्र बनका इवम दे देवे । दफा—कर्जदारके नाम लियेका 45 Mad 189=A I R. 1922 Mad. 246

दफा ८ सभा आदिका दिवालयियेकी कार्यवाहीमे भरी होना

किसी जमाअन (Corporation) या किसी प्रचलित एक्ट द्वारा गिस्ट्रीकी हुई सभा या कम्पनीके खिलाफ कोई दिवालयियाकी दख्खालत नहीं दी जायेगी ।

व्याख्या—

इन दफाके अनुसार एजिडू गुदा सभा (Association) व कम्पनीके खिलाफ विवालयियेकी दख्खालत नहीं दी जायसकती है तथा किना कम्पन (Corporation) व कम्पनीके नाम दाख्खालतके लिये (Corporation) के लिये गिस्ट्री गुदा होता आवश्यक नहीं माना होता है तथा कम्पनीके एकमे 'Against' सप्यता प्रयोग का कया किया गया है और विच्छे 'Against' गदर व 'Association' व सप्यता कया है किन सप्यता 'Registered' (गिस्ट्री गुदा) सप्यता कया है ऐसा सप्यता यह प्रवाद होता है कि केवल सभा (Association) व कम्पनी (Company) का गिस्ट्री गुदा होना आवश्यक है ।

यदि इन दफाके अन्तर्गत दफा ११ सप्यता प्रयोगके अन्तर्गत जमाअन (Corporation) सभा (Association) व कम्पनी (Company) नाम यह प्रवाद होता है कि उन नामके अन्तर्गत सप्यता कया ज्ञापनके खिलाफ दिवालयियेकी दख्खालत दा जायसकती है तब यह भी नहीं माना जायसकती है कि जब तो ना दफा उक्तके अन्तर्गत कोई सप्यता कया दृष्टानके नामके लिये तो उनके खिलाफ विवालयियेकी दख्खालत ना जायसकती है जो यदि सप्यता इन दफाके चाहे नाम अन्तर्गत नहीं लिया है तो है इन एकमे उल्लेख नहीं है कि कम्पनी (Firm) व सप्यता दिवालयियेकी दख्खालत दा जायसकती है और साथ साथ उहाँ यह भी नहीं बतलाया गया है कि (Firm) का अन्तर्गत दिवालयियेकी

दरखास्त नहीं दी जासकती है ऐसी दशांश इस दफा का प्थानम रखत हुए तथा दफा ७९ (२) तीं पर दृष्टि डालते हुए यदि यह मान लिया जाव कि फर्म (Firm) के विरुद्ध दिवालयकी दरखास्त दी जासकती है तो अनुचित न होगा । बर्बरदि दिवालिया फर्म (Firm) के नामस की जासकती है गो अदावतभा दिवालिया करार देनेका हुकम उस फर्मके सब शराकदारी (Partners) के लिये लागूना चाहिये ।

नावालिया—इस एक्टमें नहीं पर यह नहीं बतलाया गया है कि नावालिया दिवालिया करार दिया जासकता है या नहीं परन्तु अधिन्तर वह व्यक्ति भी कानून प्रवृत्ति कर सता है दिवालिया करार दिया जासकता है बूकि नावालिया (Minor) सुआदिदा नहीं कर सता है इस कारण वह दिवालिया भी नहीं करार दिया जासकता है । इस प्रकार यह तप हुआ है कि किसी फर्म (Firm) का नावालिया (Minor) शरीकदार (Partner) निजीतौर पर (Individually) दिवालिया नहीं करार दिया जासकता है । देखो—सभ्यासीचरन बनाम असन्तोश पोप 42 Cal. 225, जानकाप्रसाद बनाम गिरधारीलाल 16 O. O. 68.

कानून प्रवृत्ति (Contract Act) की दफा २४७ का प्थान रखते हुए किसी नावालिया शरीकदार (Partner) का दिवालिया घोषित करना अनुचित है । देखो—जममोइन बनाम गिरीश बाबू 42 All 515

अनकि किसी स्युक्त हिंदू परिवारके बालिया (Adult) मेमरमें दिवालिया करार दिये गए हों तो उस परिवारके नावालिया (Minor) मेमबरका दिमा रीक्षारकी सूर्शगीमें नहीं जावेगा और रीक्षारकी उस पर हस्तक्षेप करनेका अधिकार नहीं है । देखो—A. I. R. 1924 Mad. 791

दफा ९ कर्जखाहके दरखास्त देनेकी शर्तें

(१) कोई कर्जखाह किसी कर्जदारके खिलाफ दरखास्त उस वक्त तक न देसकेगा जय तक कि:—

- (ए) कर्जदारका कर्जा जो उसे दरखास्त देने वाले कर्जखाहको देना है या उन सब कर्जाका जाड़ जो उमे उन सब कर्जखाहको देना है जिन्होंने एक साथ दरखास्त दी हो पांच सौ रुपय न हो । और
- (बी) वह कर्ज निश्चित धन राशिके रूपमें या तो फौरम अदा होना चाहिये या भविष्य में किसी समय अदा किया जाना चाहिये । और
- (सी) दरखास्त में दिवालिया करार दिये जानेके लिये जो दिवालियेका काम दिखलाया गया हो वह दरखास्त दिये जानेके तीन महीनेके अन्दर हुआ हो ।

(२) अगर दरखास्त देने वाला कर्जखाह एक महफूज कर्जखाह है तो उसे अपनी दरखास्तमें दिखलाना पड़ेगा कि अगर कर्जदार दिवालिया करार दिया जावेगा तो वह अपनी जमानत दूसरे कर्जखाहको फायदके लिये छोड़ देगा या वह अपनी दरखास्तमें जमानतकी क्रीमतका अन्दाजा देगा । जबकि वह दरखास्तमें अपनी जमानतकी क्रीमतका अन्दाजा देगा तो वह उतने रुपयके लिये दरखास्त देने वाला कर्जखाह समझा जावेगा जितने रुपय उसके कर्जेमेंसे जमानतकी अन्दाजा लगाई हुई क्रीमत घटा देनेसे बचेगे और उस बचाया रुपयके लिये वह बिला महफूज कर्जखाह समझा जावेगा ।

व्याख्या—

इस प्रकार से यह कि इनका यह है किने दोस्त करे जाइया अपने कर्मचारिके जिलाक दिवालयीन दम्बाला देना-विचार प्रथ है। उपर्युक्त (१) के भाग (ए), (बी) व (सी) में निम्न बातोंका उल्लेख है वह नभ बाते उपयोग होना नहिं होनी कर्जकारके दम्बालात मन्त्रकी जायकनी है अंग साथ २ बजेका डाग किया हुआ दिवालयका धाम (Act of Insolvency) की भावित होना चाहिये अर्थात् कर्जकारके दम्बालात पर कोई कर्जना उनी मन्त्र दिने लिखा जा र दिया जायेका जबकि यह सिद्ध होजाये कि उनने दम्बा ६ में बतगये हुए किसी दिवालयके कामके शरवात मिये जमेके ताल चाहें अदर दिया हो तथा उन पर दम्बालात देने वालोंका बत ५००) इया या उभेके अधिक हो जाते वह बनीं उनी समय या आगदा रिनी समय लम्बित धनगतिके कर्म अंग किया जाने वाला हो।

कर्जकारके द्वारा कर्जदारके दिवालयका करार दिये जानेकी दम्बालात दिये जाने पर अदालतका पर्यवे है कि वह इन बातोंका जाच करे कि आधा दम्बालात देने वाले कर्जकारके (Creditor) का बत ५००)२० या इससे ज्यादा है या नहीं और उमे अधिकतर दम्बा ४ में बतगये हुए विधायका पालन करना चाहिये। देखो—सायू बतम प्रथम दम्बालीर A. I R. 1926 Lah 638 (2).

जबकि कर्जकार दम्बालात देने वाले कर्जकारके कर्ममें हम्मा करे तो अदालत दिवालयीय इस शर्तके लिये तर्कता है। देखो—दम्बालात बतम दम्बालात 7. Lah. L. J. 201.

जबकि दिवालयीय धाम दिवालयीय भाग होनी अदालतके चाहिये कि पहिले यह इन बातोंका यकीन करके कि आधा दम्बालात देने वाला कर्जकारके दम्बालात करने समयका कर्जकार है या नहीं नैमाकि उसने दम्बालातमें दिवालयीय है किन्तु कि उसे दम्बालात देनेका एक पैसा न भ हो अर्थात् आधा कर्जकारके दम्बालात देनेका इच्छाकर है या नहीं है। देखो—तामषद बतम सुपरीनियोर 46 All. 713

कर्ज (Debt) - कर्ज जमना होना चाहिये तथा उनकी अदायगीके लिये कर्जदारकी स्वयं जिम्मेदार होना चाहिये जैसाकि देखो, एवकीकृतका बतल अंगे दम्बालातके कामकीके सम्बन्ध बाते कर्जके लिये दिवालयीय करार नहीं दिने कामना है।

बाकि किसी कर्जकारके कर्म किसी मनुक हिन्दू परिवार पर होने तो ऐसे कर्जके लिये उन परिवारका कोई भी व्यक्ति जो दिवालयीय करार दिना जासकना है दिवालयीय करार दिना जासकेगा जैसाकि वह कर्ज उधीना होये। देखो—उपस्थान बतम सिधमान 49 Mad. 217=A. I. R 1926 Mad 132

इस प्रकारके अन्तगम यह आवश्यक नहीं है कि दम्बालात देनेवाला कर्जकारके उम बत नभ कर्जकारके बत रहे जब तक कि दिवालयीय करार दिये जानेका इच्छम न हो गये। यदि दम्बालात देते समय भी वह कर्जकारके है तो वह कर्ज दम्बालात में उभेके लिये परत सम्बन्ध चाहिये। देखो—बेधायका बतम सुपरीनियोर (1926) M. W. N 946.

यदि कर्जकी सम्पत्त कर्जके लिये प्रकृतका दायर का दिया गया हो तो भी उमे कर्जके जाग्रा पर दिवालयीय करार देने पर दम्बालात चल सकती है। देखो—A. I R. 1926 Cal. 234.

बूके कर्म का या मंगे अधिक नभे जाइया कि कर्ज उभेके यह प्रकृत होना है कि एक या एके अधिक कर्जकारके लिये दिवालयीय करार देनेका दम्बालात दे सकते हैं उनी प्रयाज जबकि मनुक हिन्दू परिवारका कर्म हो तो इस परिवारके मंगे मंगर म गिजरा कर्जकारके विकर दिवालयीय करार देनी दम्बालात देसकते हैं।

जबकि किसी बतों में पायेके लिये एके अधिक व्यक्ति इच्छाकर हो परन्तु उनमेंसे एकही बतम उन मनुक कर्जके अंगर म दिवालयीय करार देनेके दम्बालात देवे तो एसी दम्बालात उभेके अर्थके अर्थके दम्बालात देना नहिं हक नहीं है। देखो—A. I. R 1926 Cal. 234.

निश्चिन धन राशि (Liquidated Sum)—बर्जनी तादाद एक खास व तय्यी हुई तादाद होना चाहिये जिसे कि अक्षरतः उसी तादाद न निश्चिन करना पड़े। टॉर्ट (Tort) या मुआहदा शिर्कीके आधार पर होने आदि का दावा एक अनिश्चित (Unliquidated) बर्जनी है इसलिये ऐसे दावोंके आधार पर दिवालियाकी दारखास्त नहीं दी जासकती है जो यह बर्जनी दूसरे बर्जनीके प्रति दफा ३४ (१) के अनुसार सापित किया जासकता है।

तीन महीनेके अन्दर—बर्जनीका जिस दिवालेके मामलेके आधार पर अपनी दारखास्त देने वह दिवालीया काग हावके बाद ठार ता माहके अन्दर दिवालीया करार दिये जानेकी दारखास्त देना चाहिये करना इसके बाद देनेमें वह दारखास्त बाद मियाद सगरी जावनी और उस दिवालीयेके मामलेके आधार पर वह दारखास्त काबिल चलनेके नहीं सगरी जावनी। देखो—A I R. 1925 Oudh 222.

यह तीन महीनेका समय अग्रेकी महीनोंके हिसाबमें गिनना चाहिये जैसाकि जनरल क्लोज एक्ट (General Clauses Act) की दफा ३ में बरलया गया है यदि आखिरी दिन छुट्टियोंमें पड़ जाय तो छुट्टियोंके समाप्त होने ही जिस दिन कचहरी खुले उस दिन दारखास्त दाखिल की जासकती है जैसाकि जनरल क्लोज एक्टकी दफा १० में बरलया गया है क्योंकि कानून मियाद (Limitation Act) की दफा ५ व १२ की छोटकर आ निर्ममेके लागू होनेका तिक दफा ७८ (१) में या कानून दिवालीया (Insolvency Act) का निर्मा अथ दफा में नहीं है देखो—42 Mad 13.

यदि दारखास्त निर्मा गणत अदालतमें देदी गई हो तो वह समय जेके गणत अदालतमें लग गया हो दुबारा दारखास्त देने समय छुजे नहीं मिलना देखो—39 Mad 74. यदि दारखास्त ठार समयके अन्दर दे गई परतु उसमें कोई गलती रह गई हो तो वह गलती आयन्दा ठारकी जासकती है और उस गलतीकी बजहसे वह दारखास्त मियाद बाहर नहीं सगरी जावनी कि तु वह दारखास्त ठार समयमें दी हुई ही मनी जावनी।

कर्जखवाह (Creditor)—इसकी परिभाषा दफा २ (१) (ए) में दी हुई है अगिन्तर कर्जखवाहसे अगिनाय उस ब्यक्ति है जो कि फौरन अपने बर्जनीके वसूल करनेका हकदार हो और जो उस बर्जनीके चुकतेकी रमीद देसकता है परतु इस एकके अनुसार पैसाभी कर्जखवाह दारखास्त देसकता है जो अपने बर्जनीसे उसी समय वसूल कर लेना हकदार न हो कि तु मलियममें उसके पनेका हकदार हो।

यह आवश्यक नहीं है कि दारखास्त देने वाला कर्जखवाह उस समयभी कर्जखवाह बना रहे जबकि दिवालीया करार दिये जानेका हुकम दिया जाने अनगरी पर्यस होना कि वह कर्जखवाह दारखाल देने समय कर्जखवाह था। देखो—51 M. L. J 680—A. I R 1927 Mnd 153

जबकि किसी रजे बहन अपने बर्जनीका दिवालीया करार दिये जानेके लिये दारखाल दी हो तो वह कर्जखवाह अपना बर्जनी इवालेकी कार्नामें सापित कर सका है उसमें सापित करनेके लिये अगहदा मामला हायर कर्टेकी जरूरत नहीं है देखो—A. I R 1923 Rang. 21. यदि बर्जनी तादादके लिय कोई झगडा हो तो अदालत दिव लिया की अधिकार है कि वह ऐम सगके तय कर सकती है देखो—A I R 1925 Lah. 436, A. I. R. 1926 Lah 638.

जमाखत (Corporation) व कानूनी बर्जनीका दिवालीया करार दिये जानेके लिये अपने बर्जनीके खिलाफ दारखास्त देसकती है जबकि किसी बर्जनीय अपने मन् बर्जनीके लिये तयकीयानामा (Deed of arrangement) लिखा हो और कोई कर्जखवाह उस तरकीयामे शामिल हो या वह कर्जखवाह उस त तयकीयानामा दिवलन काग करार देकर उस बर्जनीके खिलाफ दिवालीया करार दिये जानेकी दारखाल नहा देसकता है देखा—5 Mad 294—A. I. R. 1924 Mad 839.

कि उसको विश्वास न हो जावे कि कर्जदार किसी विशेष कारण वश बहाल होनेकी दरखास्त नहीं दे सकता था या उसकी पैरवी नहीं कर सकता था। या इस कृपवी दरखास्तमें कोई भिन्न कारण दिखलाया गया हो जो पहिल दिवालिया करार दीजानवाली दरखास्तमें नहीं दिखलाया गया था।

दयाख्या—

इ सालमेंही एक्ट २२ सन् १९२७ ई० [Insolvency (Amendment act) XI of 1927] के अनुसार कानून (२) में (Made under this act) क रवान पर 'Who three made under the Presidency Towns Insolvency Act 1909 or under this act' कर दिया गया इ इस सराबरेन का अंतर यह होता इ कि यदि कोई व्यक्ति प्रसादेता डाउंस इ सालमेंही एक्ट के अनुसार भा दिवालिया करार दिया गया हो तो भी उस पर इस दफामें बतलाये हुए नियम लागू होंगे।

कर्जदार दिवालिया करार देने जानिकी दरखास्त उम २३ अं देनकना है जबकि वह अपन कर्जेका अदा न कर सकता हो तथा उसके साथ २ बलाज (१) क (ए) (बी) व (सी) में बतलाई हुई बातोंमें कोई बात उपस्थित हो। यह आवश्यक नहीं है कि वह सप्त बातें सा २ उपस्थित हों अथात् (i) कर्जदार यदि अपन कर्जोंको अदा न कर सकता हो व उसक कर्जे ५००) २० स कम न हाव ता वह दिवालिया बन सकता है, (ii) इसा प्रकार जबकि वह अपने कर्जोंका अदा न कर सकता हो और भिन्न इतराय बिक्राम विपणन होता भी वह दिवालिया बननेका हकदार है, (iii) उस सूत्रमेंभा जबकि वह कर्जे अदा न कर सकता हो और उसकी वापस इतराय बिक्राम पुरु हो गई हो वह दिवालिया करार देने जानिकी दरखास्त दे सकता है।

यदि ऊपर बतई हुई शर्तोंमें कोई भा शर्त उपस्थित न हावे ता अदातन एसा दरखास्तना खारिज कर सकती है देखो—69 I C 622, 40 Bom 707 दिवालियाकी दरखास्त पत्नीबनासे व सजा हागा चांभिये वह कबल अदातनेसे बेना फाएदा उदारेकी मशारे ही न होना चांदिदे। दख—30 All 2 0, 44 Cal 899

यदि दिवालिया इस एक्टमें बतलाई हुई शर्तोंका पूरा कर दव तो अदातनकी कानूनन दिवालिया करार देनेस हुकम देना पहगा अदातल उस दराम पत्नी इच्छ तुमर एसा हुकम दनेसे इनकार नहीं कर सकता इ। दख— 44 Cal 505; 15 A. L. J 87; 36 All 250; 41 All 486, A. I R 1926 (1) 905

जबकि कोई कर्जदार अपनी दरखास्तमें वह बात दिखलावे जिसक आधार पर वह दिवालियाकी दरखास्त दे सकता है तो अदातनकी चांभिये कि वह दफा २५ में बतलाये हुए नियमों पर कानूनन शा करे आर तब या ता उसकी दरखास्त खारिज कर दव या उसे मजूर करे। दख— लक्ष्मणगयन नराम वृ लाल 40 All 665

अपन कर्जोंको अदा नहीं कर सकता है—इसमें अभिप्राय यह है कि अदातन दरखास्त पर हुकम देनेमें पहिले यह समझ लव कि आधा दरखास्त दन बोले कर्जोंका लक्षणा जा नमूत किया जासकता इ उमक कर्जोंके बादा तो नहीं है यदि उसका लक्षणा (Assets) उमक कर्जोंसे ज्यादा समझ पाई ना एभी दशामें कर्जदार दिवालिया करार देने जानका हकदार नहा है। विच्छे एक्टके अनुसार इस प्रकारका बंधन नहीं था, हा दरखास्तमें यह कह दना आवश्यक था कि वह कर्जे अदा नहीं कर सकता है पर हु इस एक्टके अनुसार अलातनो इम बातका विश्वास दिखाना आवश्यक इ कि वह अपने कर्जोंको अदा नहीं कर सकता है। इम बातमें साविन दमक भिये कि वह कर्जोंको अदा नहीं कर सकता है कोई बहुत सुपुत्रकी आवश्यकता नहीं है केवल उतनाहा सुपुत्र खजा हागा जिननेसे अदातनकी विश्वास हा जाव कि अदालत वह अपन कर्जोंको अदायगीना प्रव व नहीं कर सकता इ। दख—A I R 1923 Mad 680

यः वक्तुं किं कर्त्तव्यं अनेके, जैवो अथा कर्त्तव्ये तत्रैकं नती है अदात्त क्लामून तत्र करे और इस मामले पर अदात्त अन विचार प्रथम का दूने । देखो— A. I. R. 1924 All 800.

उपद्रव (१)

फलाज (ए) इस कलाकर्म उक्त कर्त्तव्य तादाद ब्रह्मर्षि गई जिसका कर्मण कर्म होना आवश्यक है जब कि उसकी दरख्वास्त मजिस्ट्रेट की जासकेगी अर्थात् कोई कर्त्तव्य अथ कर्त्तव्योंके साधन किसी कर्त्तव्य अदाकर्त्तव्यता विधेदा हो और वह कर्त्तव्य सवस या अनभेदे विधीते वस्तु क्रिया वास्तकता हो तो ऐसी दशामें वह कर्त्तव्य उक्त कर्त्तव्ये साधारण दिवालिया कला दिये जानेकी दरख्वास्त देसस्ता है । देखो—गणराज बनारस रामचन्द्र 20 I. C. 259, गुडामर्षिदर बनारस मंगलनेन देसतान A. I. R. 1926 Lah. 235

जबकि दिवालिया कला दिये जानेकी दरख्वास्त दी गई हो और उसमें तादाद कर्त्तव्य (५००) इतनेत क्व हो उनके बाद दूसरा कर्त्तव्यवह उक्त कर्त्तव्ये पूरा करनेके लिये शामिल क्रिया गया हो तो जित तागिजने यह दूसरा कर्त्तव्यवह शामिल किया गया हो उक्त हाकीखते दिवालिया कला दिया जानेवाला हुक्म काममें लाया ज सजेगा । देखा—26 A. L. J. 941.

फलाज (बी) इस कलाकर्म अनुसार दिवालिया दरख्वास्त देने समय कर्त्तव्यवह क्व या दिवालिया होना आवश्यक है यह पर्याप्त नहीं है कि वह गिरफ्तार किया गया था । इस प्रकार जबकि कोई कर्त्तव्य किसी इलाक्य किर्त्तव्य गिरफ्तार किया गया हो परन्तु उसके कुछही घटौ बाद छोड़ दिया गया हो ऐसी दशामें इस गिरफ्तारके आधार पर वह कर्त्तव्य दिवालिया बननेकी दरख्वास्त नहीं देसस्ता है । देखो—25 All. 209.

इसी प्रकार दरख्वास्त देनेसे पहिले ही उसकी गिरफ्तारी हो जाना चाहिये यह पर्याप्त नहीं होगा कि वह दरख्वास्त दिये जानेके बाद गिरफ्तार किया गया हो और तब वह इन गिरफ्तारीके आधार पर दिवालिया बनना चाहे । देखो—दिनमल बनारस सदास मल A I R 1927 Lah 38 इस कलाकर्म नरुमी बाबु आरु रत्ने केरु है कि एअरमें 'Arrest' व 'Imprisonment' दोनों शब्दोंका प्रयोग किया है कि य गिरफ्तारीकी हाअने तथा जेअमें बंद होने पर दोनों दशाओंमें कर्त्तव्यवह क्व तादाद देनेका हुक्म है ।

फलाज (सी) इस कलाकर्म अनुसार जायदादकी कुर्त्तव्य किसी कर्त्तव्ये डिक्लीन (For payment of money decree) म होना चाहिये । दिवालिया दरख्वास्त देते समय जायदाद डिक्लीन हुई होना चाहिये यह नती कि वह कुर्त्तव्य छूट गये हो या वह डिक्लीन हुई हो ऐसी दोनों हाअनोंमें जायदाद छूटे नहीं समझी जानेगी और यह कुर्त्तव्य कर्त्तव्यवहकी जायदादकी होना चाहिये । देखो—उपार्थ बनारस सुहमद अजीमअरी 25 All 204

जबकि किसी इष्टत दिग्दु परिवारों एक विदा तथा दो पुत्र होने और यह दिखलया गया हो कि कर्त्तव्य उन पुत्रोंमेंने एकने लिया था तो उस वक्त तक विदा तथा दूसरा पुत्र ऐसी कर्त्तव्ये आधार पर दिवालिया कला नहीं दिया जलगा जब तक कि यह साबित न जा जाक कि कर्त्तव्य परिवारका आवश्यकताके लिय दिया गया था । देखो—गणराज बनारस अर्धोत्तर A. I R 1926 Lah 354

यदि दिवालिया कला दिये जानेकी पहिली दरख्वास्त अदादत पेश न करनेकी वगहमें खनिज हो गई है तो दूसरी दरख्वास्त दी जानेका कर्त्तव्य पहिली दरख्वास्त पर कोई अन्तर उक्तो सच्चा, आदिके कारणों नती किया गया था व इति काय वद अत्र तत्रांत सुसा (Re-judicata) दशा ए आस्ता दिवालियाके अनुसार नहीं माना जावेगा । देखो—इसनेदीन बनारस कृप राम A I R 1928 Lah 374

उपदफा (२)—इस उपदफाकी बनाकर यह कोशिशकी गई है कि जिसमें कोई कर्जदार अदालतको बेना दगते परेशान न करे अर्थात् यह कि आज किसी कर्जोल्वाहसे परेशान होकर वह दरखास्त देने व इसके बाद उस कर्जोल्वाहसे समझता हो जाने पर बहाल होनेके लिये कोई पैवो न करे या नवाहकी दरखास्त याँही लागू होमाने देवे उसके बाद दुबारा फिर जब कोई दूसरा कर्जोल्वाह अपने कर्जके लिये उसे परेशान करे तब फिर दरखास्त अदाकतमें देवे या इसी प्रकारके और किसी तर्गकेसे अपना बेना फायदा व अदाकतकी बेना परेशान करनेकी कोशिश करे। कर्जदारको मनमानी कारीबारीसे रोकनेके लियेही यह उपदफा बनाई गई है कि जिसमें नेकनीयतीसे काम करने वालेही कर्जदारको इस एक्टके अनुसार लाभ उठानेका अवसर प्राप्त हो सके।

इसालके ही एमेन्डमेन्ट एक्ट ११मर्च १९२७ई० (Insolvency Amendment Act XI of 1927) के अनुसार इस उपदफामें यह भी बदा दिया गया है कि यदि प्रेसॉडेन्सी टाउन इन्साल्वेन्सी एक्टके अनुसार भी कोई शास्त्र दिवालिया करार दिया गया हो तो उसके लिये भी यह उपदफा लागू होगी।

जबकि कोई व्यक्ति दिवालिया करार दिया गया हो तब उसको यह हुकम दिया गया हो कि वह छ. माहके अन्दर बहाल होनेकी दरखास्त देने और उसके जायदाद व लहना आकिसिवाल रितीवर वं सुपुर्दगीमें छे लिये गये हों तथा उस जायदाद आदिके दाम भी रितीवरके हाथ आगये हों परन्तु किसी कर्जोल्वाहने अपना हिस्सा रसदी न लिया हो और न दिवालिये ने बहाल होने की दरखामन द्य हो तथा ऐसी दशम दिवालिया करार देनेका हुकम मसूख कर दिधा गया हो तो दरखास्त देने वालको हक होगा कि वह दुबारा नई दरखास्त दिवालिया करार देनेके लिये दे सकता है। यह तय हुआ था कि घूके जायदाद आकिसल रितीवरकी ही सुपुर्दगीमें है और इसी कारण दिवालियाको सुगकिन है यह स्थाल रहा हो कि जब तरु रितीवरके दशम कर्जोल्वाहानकी रूपया न बट जाने तब तक उसे बहाल होनेकी दरखास्त देनेकी आवश्यकता नहीं है अतः इस दशम अदालतको चाहिये कि उसे दुबारा दरखास्त देनेकी आज्ञा प्रदान करे। देवो—A. L. R. 1928 Lah 452.

दफा ११ वह अदालत जहां दिवालेकी दरखास्तें दीजावेंगी

हर एक दिवालेकी दरखास्त उस अदालतमें दी जावेगी जिसके अधिकार सीमामें कर्जदार अधिकतर नियास करता हो या ब्यवहार करता हो या लाभके लिये कोई कार्य करता हो और अगर वह गिरफ्तार किया गया हो या कैदमें हो तो उस अदालतमें जिसके अधिकार सीमामें वह हिस्सामें (घन्दी) होवे। परन्तु अगर उस अदालतमें जिसमें कि दरखास्तकी सुनवाई हुई है जल्दीसे जल्दी कोई एतराज इस बातके लिये न किया जावे कि दरखास्त किस जगह देना चाहिये और और जगह दरखास्त देनेके कारण कोई अन्याय न हो गया हो तो अपील या निगरानीमें कोई इस प्रकारका एतराज न माना जायेगा।

ब्याख्या—

हर एक दिवालेकी दरखास्त चाहे उसे कर्जोल्वाह देवे या वह कर्जदार द्वारा दी गई हो उस अदालत दिवालियामें दी जाना चाहिये जिसके अधिकार सीमामें दिवालिया करार दिया जाने वाला व्यक्ति अधिकतर निवास करता हो या व्यापार करता हो या फायदेका और कोई काम करता हो। परन्तु जबकि दरखास्त देने वाला कर्जदार गिरफ्तार हुआ हो तो वह उस अदालतमें दरखास्त देनहता है जिसके अधिकार सीमामें वह बन्दी होवे।

अधिकार सीमाके लिये एतराज जिनकी जल्दी हासके किया जाना चाहिये अर्थात् जिन अदालतमें दरखान्तकी सुनवाई हो रही हो, उसी अदालतमें भर्दोसे जल्दी एतराज करना चाहिये वरना बाद फैसला दरखास्तके इस प्रकारका एतराज अदालत अपील या निगरानीमें उस वक्त तक न सुना जावेगा जबतक कि जलत जगह सापअत देवेकी वजहसे कोई विशेष हानि न पहुँची हो तथा अधिकतर सीमाका एतराज अदालत मानहूतमें जल्दीसे जल्दी न उठाया गया हो।

अधिकतर रहता हो या व्यापार करता हो—अधिकतर रहनेसे अभिप्राय यह समझना चाहिये कि जहां पर यह व्यक्ति खाता हो पीता हो या सोता हो या जहां उसका परिवार या नौकर खाता पीता या सोता हो। किसी आदमीके रहनेकी जगह वह मानना चाहिये जहां खासतौरसे उसका मकान रहने व सोनेका होवे देखो—38 Cal. 394. यह व्यवस्था नहीं है कि बहुत दिनोंमें वहां रहता हो यदि थोड़ा समयमें भी व मिला खास कामकी वसूलीमें भी वह वहां रहता हो तो यह मान लिया जावे कि वह उमके रहनेकी जगह है और अदायतकी सुननेका अधिकार हो जायेगा। देखो—17 C. W. N. 405, A. I. R. Mad. 585

यदि बहुतसे जगह फायदा उठानेकी यासके अपने अन्तर्ग रहनेकी जगहको छिया कर दूसरी दूसरी जगह दिवालिया बनने की घोषणा करते हैं जिसमें अन्तर्ग मुखाधिकार (विरोधक) सामने न आसके या उन्हें सामने आनेमें परेशानी उठाना पड़े इसलिये एकदम यह रख दिया गया है कि जहां अधिकतर वर्षोंपर निवास करता हो वही दरखास्त दाखलना चाहिये। अदायतकी दरखास्त सुनने समय यह विस्वास कर लेना चाहिये कि दरखास्त दते समय दिवालियाने उमके अधिकतर सीमाके अन्दर अपनी सकुनत कायम काली थी। इसी प्रकार जबकि कोई व्यक्ति अपने सिनेदारोंके साथ थोड़े समयमें रहने लगा हो तो ऐसे रहनेमें अदायत दिवालियाने उमकी दरख्वास्त सुननेका हक है देखो—39 I. C. 453.

जगर कमी २ वह जगह रहनेकी जगह छोड़कर चला जाता हो तो यह नहीं समझा जायेगा कि वह लगातार उस जगह पर नहीं रहता है। परन्तु ऐसेमें यह न मान लेना चाहिये कि यदि कोई शकस जनायासकी अपने किसी सिनेदारके यहां ठहर जावे तो उसका इस प्रथाका उल्लंघन नहीं रहनेके बराबर मान लिया जावेगा देखो—18 C. W. N. 1050

यदि कोई व्यापारी भिन्न २ जगहोंमें रहकर व्यापार करता हो तो वह उम अदायत द्वारा दिवालिया करार दिया जासकता है जिसकी अधिकार सीमामें उसका पुसना मकान व जमीन होवेगी देखो—(1925) M. W. N. 797. रहनेकी जगहका सर्वाथ एक वाक्यतो सर्वाथ है और अधिकतर वह जगह जहां वह सात भर नगर मिल सके उसके रहनेकी जगह मानना चाहिये उन व्यापारियोंके लिये जो जगह बचकर व्यापार करते हैं रहनेकी जगह वही समझना चाहिये जहां वह अपना तेजानावा काम करते हैं व जीविका उपार्जन करते हैं। देखो—22 A. L. J. 457.

जबकि कोई व्यक्ति निगो व्यापारमें सम्बन्ध रखता हो और उसके कार्योंमें भाग लेता हो और उसकी वी नफा में शामिल हो तो यह मान लिया जावेगा कि वह उन व्यापारको करता है और ऐसे व्यापारकी जगहमें वह दिवालिकी दरखास्त देसकेगा देखो—19 A. L. J. 696. किसी व्यापारका चाह रहना उन वक्त तब समझा जावेगा जबतक कि उसके वसे न रहने और उसका लहना बसूल करनेका बना रहे (यदि देखो—48 Mad 798

व्यापारके लिये यह आवश्यक नहीं कि कर्जदार स्वयंही उस व्यापारको करता हो किन्तु यदि व्यापार उसका, एजेंट या माला या नौकर करता हो तो यह समझिया जावेगा कि वही उस व्यापारको करता है देखो—A. I. R. 1922 All. 337. इस प्रकार यदि किसीके खास व्यापारकी जगह दूसरी हो परन्तु जहां परगी वह व्यापार करता हो वहां ही अदायत उसे दिवालिया करार देसकी है। देखो—A. I. R. 1926 Sind 18=97 I. C. 446.

• यह शब्द कि 'स्वयं या किसी एजेंटके ज़रिये' (Either personally or through an agent) इस कारण रखे गये हैं कि जिससे अदालत दिवालियाने अधिकार सीमाके अन्दर काम करने वाले बाहरी व्यापारियोंके साथ भी प्रम जाता रहे यदि वह एजेंटके ज़रिये या मनजोंके ज़रिये जो खासकर काम करनेके लिये नियुक्त किये गये हैं काम करते हैं परन्तु इसमें उस कथ विक्रयकी गणना नहीं होगी जो किसी कमीशन एजेंट (अदायत) के ज़रिये किया जाव देता—A. I. R. 1929 Sindh. 24.

दफा १२ दरखास्तकी तस्दीक

हर एक दिवालियेकी दरखास्त लिखकर दीवानेगी और उस पर हस्ताक्षर व तस्दीक उसी प्रकार होगी जिम प्रकार जाबता दीवानोंमें दिये हुए नियमोंके अनुसार अर्जों वावा पर हस्ताक्षर व तस्दीक होंती है ।

व्याख्या—

यैसा कि आबता दीवानेकी आर्डर ६ रूल १४ में दिया हुआ है दिवालिया करार दिने जाने वाली दरखास्त पर दस्तखत दरखास्त देने वालेके तथा उसके बकीयके होना चाहिये यदि दरखास्त देन वाला अपनी पौरुषाधिकी या किसी खास कालबतब उपरिमत न हो तो उसका नियमपूर्वक निपुण किता हुआ एजेन्ट उसकी तफसे दस्तखत कर सकता है इसी प्रकार आर्डर ६ रूल १५ के अनुसार दरखास्तके नीचे दरखास्त कुमिन्दा की तस्दीक इनात द्वारा होना चाहिये या किसी ऐसे व्यक्तिके द्वारा होना चाहिये जो उन सब बातोंकी जानता हो । यदि कोई दरखास्त बाकाबतब तरदीककी हुई नहीं होवेगी तो उस पर दिवालिया करार दिया जाने वाटा हुकम नहीं दिया जावेगा । यदि दरखास्तमें या तस्दीक इनातमें कोई गलती हो जावे तो उसका ससोधन बादमें क्रिया मानकता देय—22 All 55.

दफा १३ दरखास्तमें दिखलाई जानेवाली बातें

- (१) कर्जदारकी दी हुई दरखास्तमें यह बातें दिखलाई जाना चाहिये :—
- (ए) यह बयान कि कर्जदार अपने कर्जे अदा करनेके योग्य नहीं है ।
- (बी) यह कि वह अधिकतर कहाँ रहता है या कहाँ रोजगार करता है या कामके लिये काम करता है और अगर गिरफ्तार हुआ हो या कैद हो तो वह किस जगह हिरासतमें है ।
- (सी) किस अदालतके हुकम द्वारा वह गिरफ्तार या कैद हुआ है या किसके हुकम द्वारा उसकी जायदाद कुर्ककी गई है इसके साथ २ उस डिक्लीफा हालमी देना चाहिये जिसके सिलसिलामें अपरका आर्डर दिया गया हो ।
- (डी) अपने कर्जोंकी तादाद व उनकी तफसील व उनके साथ २ कर्जब्याहोंके नाम व पते जहाँ तक उसको मालूम हों या जहाँ तक वह अवित परवाह व प्रयत्न द्वारा जान सके ।
- (ई) अपनी कुल जायदादकी तादाद और उसका हवाला और उसके साथ साथ
 - (i) रुपयेके अतिरिक्त जो जायदाद हो उसका मूल्य
 - (ii) वह जगह व जगहें अहाँ वह जायदाद हो
 - (iii) इस इच्छाकी घोषणा कि वह अपनी कुल जायदाद अदासतके सुपुर्दे करने को प्रस्तुत है केवल उन घस्तुओंकी छोड़कर जो जाबता दीवाने व अन्य किसी प्रचलित कानून द्वारा कुर्क या नीलाम नहीं होसकती हैं परन्तु इन घस्तुओंमें हिसाबकी किताबें नहीं हूट सकती हैं ।

(एक) इस बातका ध्यान कि आया उसने दिवालिया बननेकी कोई दरखास्त पहिले कभी दी है या नहीं और अगर दी है तो

(i) अगर यह दरखास्त खारिज हुई है तो उसके खारिज होनेका काय क्या था, या

(ii) अगर कर्जदार दिवालिया करार दिया जा चुका है तो उस दिवालिका संक्षिप्त विवरण देना चाहिये जिसमें यह भी दिखलाया जावे कि आया पहिले दिवालिया करार दिये जाने वाला हुकम मंजूर हुआ है या नहीं और अगर मंजूर हुआ है तो किन कारणोंसे

(२) जबकि दिवालिकी दरखास्त कर्जस्वाह या कर्जस्वाहों द्वारा दी जावे तो उसमें कर्जदारके बारेमें वह सब बातें दिखलाई जावेंगी जिनका उल्लेख (१) (बी) में है और यह भी दिखलाया जावेगा कि—

(ए) कौनसा दिवालिका फाम हुआ है और कर्जदारने उसे किस तारीखमें किया है ।

(बी) कर्जस्वाहोंके खिलाफ दरखास्तें देने वाले कर्जस्वाह या कर्जस्वाहोंके कर्जकी क्या तादाद है ।

ध्यास्या—

यह दफा दो उपदफाओंमें विभक्त है उपदफा (१) में उन बातोंका उल्लेख है जिनका दिखलाया जाना कर्जदार द्वारा दो हुई दरखास्तमें चाहती है तथा उपदफा (२) में वह बातें बतलाई गई हैं जो कर्जस्वाह द्वारा दी हुई दरखास्तमें दिखलाई जाना चाहिये । पहिली उपदफामें १ शब्द है और उन शब्दों बारेमें जो ठीक ठीक बात हो दरखास्तमें दिखलाई जाना चाहिये दूसरी उपदफामें यह बतलाया गया है कि पहिली उपदफाके प्राच (बी) की बातें होना चाहिये तथा उनके अतिरिक्त दोबारा और होना चाहिये जो उपदफा (२) के प्राच (ए) व (बी) में बतलाई गई हैं ।

इसके अन्तर्गत एचम (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया है इसमें यह स्पष्टता चाहिये कि जिन बातोंका ज्ञान इस दफामें दिया गया है वह अवश्य दिखलाई जाना चाहिये परन्तु यदि कोई कर्जदार अपनी दरखास्तमें कर्जकी एकतोल चलत दिखलाई अर्थात् कर्जें बतलाए का काम दिखला देने या अपनी प्रापदादकी छिपा जावे तो इस बिना पर उसकी दरखास्त नामन्सूरी की थी जावेगी अर्थात् यह चलतिया होवे हुए भी यदि खानापूर्वी हुकूम हो तो यह दिवालिया करार दे दिया जावेगा परन्तु यदि वह चलती भूलते हो गई हो तो हुकूम कराई जासकती है या अगर वह चलतिया जानबूझकर की गई है तो उस कर्जदार पर कानून दिवालिकामें बतलाया हुआ खर्च लागू होगा और उसकी उस खर्चके साबिन होने पर उसके अनुसार दंड दिया जासक्ये यदि सब दरखास्तमें न दिखलाया गया हो तो इस बिना पर दिवालिया करार दिया जानेका हुकूम नहीं घिस जावेगा दोले—A. I. R. 1922 Bom. 80.

उपदफा (१)

कलान (ए) जबकि कर्जदार अपना कर्जा जमा नहीं कर सकया हो तभी वह दिवालिया बननेकी दरखास्त देसकता है ।

दफा १० में इसके बारेमें काफी मित्रा जाचुका है इस बातकी आवश्यकता नहीं है कि कर्जा न जमा कर सकनेका प्रश्न पूर्णरूपसे साबित किया जावे केवल इतनाही साबिन कर दिया जाना कि आदिग वह कर्जदार अपना कर्जें नहीं चुका सकया है इस शककी आवश्यकताके पूर्ण करनेके बिने परीत होया ।

फलाज (बी) अधिकार करने की जगह आदि का उल्लेख इस कानून में किया गया है दफा १२ में इसके बारे में काफी कहा जा चुका है उसमें देखने से इस कानून का अभिप्राय साफ हो जावेगा ।

फलाज (सी) इसमें गिरफ्तारी व कैद आदि का उल्लेख है इसके बारे में भी दफा ११ में काफी लिखा जा चुका है उसमें देखने से इस कानून का अभिप्राय भला भ्रष्ट प्रकट हो जावेगा । दरखास्त देने समय गिरफ्तारी या कैद की दशा कायम होना चाहिये ।

फलाज (डी) इस शब्दों में बतलाने हुए सब दावों में अभिप्राय उन सब दावों व फर्कों का है जो इस एक्ट के दफा ३४ (१) के अनुसार साबित किये जा सकने हैं । यदि दरखास्त में किसी कर्जदार का कर्ज दिखला दिया जावे तो वह दिखलाया जाना उस कर्जदार इकबाल दफा १९ कानून मियाद के अनुसार संप्रदाय जावेगा देता— 16 C. W. N. 346, रोटी कर्ज के खर्च का नकाया जो कर्जदार के सिधे वाली हो उसका कर्ज संप्रदाय जावेगा और वह कर्ज भी कर्ज की सूची में दिखलाया जाना चाहिये, देखो—5 Cal. 536. कर्जों के साथ सब कर्जदारों के नाम जहां तक मामूली होम के उनका पूरा पता भी दरखास्त में बदलाना चाहिये जिसमें उनको सुविधा पूर्वक सूचना दी जा सके तथा वह दरखास्त में बतलाये हुए कर्जों का सचाई व सुठाई का समझ कर अपना एतयाज पेश कर सके व अपना ठोक कर्ज साबित कर सके ।

फलाज (डी) इस कानून के अनुसार कर्जदार को अपनी सब जायदाद व छहना बतलाना चाहिये यदि कर्जदार को प्राविडेंट फंड (Provident Fund) से रुपया मिलने वाला हो तो उस रुपये को भी छहना में दिखलाना चाहिये । देखो—10 Bom. 913,

उपफलाज (१) में रुपये के आदि कि मो जायदाद होने उसको कौमका अन्दाजा भी दिया जाना चाहिये ।

(II) के अनुसार उन जगहों की बतलाना चाहिये जहां पर कि यह सब जायदाद होने, तथा

(III) के अनुसार एक जाबने का ऐलान कर देना आवश्यक है कि वह अपनी सब जायदाद को अदायत की सुपुर्दा में देने में प्रस्तुत है, जो ऐसा ऐलान चाहे किया जावे या न किया जावे दिखलाया करार दिये जाने का हुकम होने पर सब जायदाद अदायत या रितीवर की सुपुर्दा में आजाती है अर्थात् उनको उस पर फरमा कर लेने का अधिकार हो जाता है इस कानून में यह भी बतलाया गया है कि वह चीजें जो जावना दीवानी या अन्य किसी प्रचलित कानून के आधार पर कुर्क या मीटाम नहीं हो सकती हैं उनके सुपुर्दा का सवाल पैदा नहीं होता है परन्तु हिनाबकी क्लिजों को जानता दीवानी के अनुसार कुर्क नहीं की जा सकती है इस एक्ट के अनुसार कुर्क की जा सकेंगी और कर्जदार को वह कितना अदायत या रितीवर की सुपुर्दा में देने को तैयार रहना चाहिये ।

अन्य किसी प्रचलित एक्ट से अभिप्राय वन एक्ट से है जो प्रचलित है तथा गिनके नियमों के अनुसार कोई जात जायदाद कुर्क या मीटाम मामूली कानून तर्जिकेसे नहीं की जा सकती है जैसे कि बुन्देलखण्ड लैन्ड एलियेशन एक्ट (Bundel Khand Land Alienation Act) तथा प्राविडेंट फंड एक्ट (Provident Fund Act) आदि ।

नज़ (एफ) यदि दफा १० के कानून (१) के अनुसार उन दिवालीयों के लिये इकायट रक्ती गई है जिन्होंने विधेते दिवालीयों की दारवाँई या उनमें पैरारी नेवनीयता में नहीं की है इस कारण दरखास्त पेश करते समय ही यह बात प्रकट कर देना उन लोगों के लिये आवश्यक समझा गया है जिसमें आयदा की उल्लेख जाई रहे व कोई शपथ अस्तछी मामूली के क्लिजों को खोज दे सकें । इस कानून में दोनो दारवाँकी तफरीख

उपरोक्त गैर ई अर्थात् याद कोई दिन निर्दिष्ट प्रकरण की गई होनी आया वह जमान हुई है या मध्य दशा आरिग होने व मध्य होने दोनोंकी दृष्टिको भी दर्शाया गया है ।

यदि कोई प्रकरण पारके आरिग या मध्य या पुर्ण होना उनमें अलग उत एक पक्ष है जबकि उर्ध्व व्यापार पर दुराग प्रमाणोंके दृष्टिकोण का ज्ञान परन्तु यदि दुराग दृष्टिकोण किसी दूमेकी कारण हुआ है तबकी धर्मकी अत्र नहीं पकटा है ।

उपरोक्त (2)—कर्मकारकी दृष्टिकोणमें तीन गैर आरिगीमें नियत ज्ञान प्राप्ति (1) या कि कर्मकार पक्ष अर्थात् यदा या व्यापार करता है, कर्म प्रमाणों का उपाय है तथा कदा उभयों गिनतकी गई है (2) यह कि कर्मकारने धर्ममा प्रियतिवका काम किया है तथा कब किया है क्योंकि एमें वाचक, 6 माहके अदा म विन होना आवश्यक है (3) यह कि कर्मकी सादर क्या है क्योंकि कर्म ५००) २० से कम न होना चाहिये । एसा मान्य होता है कि यदि दृष्टिकोणमें दिवालिपकी वाचन न दिव्यता ज्ञाने तो वह दृष्टिकोण अर्थात् होगी, दोनों—50 Bm 624.

दृष्टा १४ दरखास्तका वापिस लिया जाना

दोनों में दृष्टिकोण चाहे उभे कर्मकारने दिया हो या वह कर्मकारने द्वारा ही गई हो, बिना अदालतकी आज्ञाके वापिस नहीं ली जायेगी ।

व्याख्या—

दिवालिपकी दृष्टिकोण चाहे वह कर्मकार द्वारा या कर्मकार द्वारा ही गई हो बिना अदालतकी आज्ञाके वापिस नहीं ली जायेगी है, दोनों — A. I. R. 1925 Mad 242. पालक यह कि अदालत की आज्ञा लीजाने अदालतके मामलेके दुराग बतलाना चाहिये तथा उभेके माने वापिस लेनी होनी चाहिए निम्ने अदालत उन पर विचार करके अपना गण ग्रहण कर सके । केवल इसी विना पर कि कर्मकारने अपने कर्मकारने सनसोका का लिया है वापिसकी इलाजत नहीं देना चाहिये ।

जबकि दृष्टिकोण उभे वाचन कर्मकारने अपना मान्य दिवालिपके रूप कर लिया हो और वह अदालतमें इसके बाद वापिसकी दृष्टिकोण देते तो अदालतकी आज्ञा है कि वह वापिसकी आज्ञा न देते तथा वह कर्मकारकी दिवालिपका ज्ञान देते दोनों—A. I R 1925 Mad. 242. जबकि कर्मकार दिवालिपका ज्ञान दिया जायका हो जान कर वह वत परकि दृष्टिकोण कर्मकार द्वारा ही गई हो तो दिवालिपकी दृष्टिकोणके वापिसका हुन नहीं दिया जाना चाहिये । दोनों A. I. R 1925 Rang. 351.

दृष्टा १५ कई दरखास्तें देनेमें अदालतका अधिकार

जब कि दो या दोसे अधिक दिव्यानिपके दृष्टिकोणमें किसी एकही कर्मकारके खिलाफ की गई हो या जबकि संयुक्त कर्मकारोंके खिलाफ भिन्न भिन्न दृष्टिकोणमें की गई हो तो अदालतकी अधिकार है कि वह जिन शर्तोंके साथ चाहें उन रूप या किसी कारणोंको एक साथ कर सका है ।

व्याख्या—

एत दृष्टिकोण यह प्रक है कि एक निम्न केवल एकही वाचन किया गया है कि निम्ने अदालतका बहुवचन समय परकी मानकेके अर्थ नष्ट न हो जावे तथा एकही मामलेके सम्भवे कर्मकारके खिलाफ अर्थात् नहीं न होवे । यह दृष्टा केवल कर्मकी दृष्टिकोणके रूप धर्म है जो कर्मकार (Creditors) द्वारा ही जावे इनमें उन दृष्टिकोणोंमें अदालत नहीं है जो

कर्जदार द्वारा दी गई हैं। इस प्रकार जब एचडी कर्जदारके विरुद्ध कई कर्जस्वाहोंने दिवालिया करार देनेकी दरखास्तें दी हैं तो वह सब दरखास्तें एकही साथ सुनी जा सकती हैं या जबकि संयुक्त कर्जदारोंने जिलाफ भिन्न दरखास्तें दी गई हैं तो ऐसी दरखास्तोंकी सुनवाई भी एचडी साथ होना चाहिये। यह आवश्यक नहीं है कि ऊपर बतवाई हुई सभी दरखास्तें एक साथ अवश्य सुनी जाना चाहिये अदालतको आधिकार है कि जिन शर्तोंके साथ व जिन दरखास्तावा वह साथ सुना चाहे सुन सकती है अर्थात् जिन दरखास्तोंको सुविधापूर्वक एक साथ सुना जा सकता है उनकोही साथ सुना चाहिये। एचडी हाईकोर्टने A. I. R. 1925 Rang. 36 में यह तय किया था कि एक वर्गानितासी व उसकी स्त्री दोनोंके खिलाफ दिवालिया करार दिये जानकी संयुक्त दरखास्त दी जा सकती है जबकि वह दोनों कर्जस्वाहोंके क्रमा द्वारा तथा उन दोनोंने दिवालियाका काम किया है।

इसी प्रकार मद्रास हाईकोर्टने 44 Mad 810 में यह तय किया था कि संयुक्त हिंदू परिवारके मेम्बरोंके खिलाफ संयुक्त दरखास्त दिवालिया करार दिये जानेके लिये उस समय दी जा सकती है जबकि उन्होंने संयुक्त दिवालिया काम किया है। परन्तु त्रिपुरा हाईकोर्टने A. I. R. 1926 Lab. 235 में यह तय किया था कि कई एक मद्रपून मिलकर एक साथ दिवालिया करार देनेकी दरखास्त नहीं देखते हैं।

दफा २६ कार्रवाईका तर्ज बदलनेका अधिकार

जबकि दरखास्त देने वाला कर्जस्वाह अपनी दरखास्तकी पैरवी उचित प्रयत्नके साथ न करता हो तो अदालतको अधिकार है कि वह उसका स्थानपर किसी ऐसे दूसरे कर्जस्वाहको दरखास्त देने वाला मानके जिसका कर्जा कर्जदार पर उस तारीखके अनुसार हो जो एक्टमें दरखास्त देने वाले कर्जस्वाहके लिये बतलाई गयी है।

व्याख्या—

इस दफा द्वारा अदालतको अधिकार दिया गया है कि वह एक कर्जस्वाहकी जगह किसी दूसरे कर्जस्वाहको दरखास्त देने वाला मानले बशर्ते कि उस कर्जस्वाहका कर्जा वह कर्जदार होवे तथा उसके भी कर्जारी तारीख ५००) से कम न होवे। यह अधिकार इस कारण दिया गया है जिसमें दिवालिया दरखास्तकी पैरवी भली भाँति हो सके तथा दूसरे कर्जस्वाहोंको निधी प्रकारकी हानि न होवे क्योंकि एक कर्जस्वाह द्वारा दरखास्त दिये जानना अधिनायक यह झंटा है कि वह केवल अपना ही कामार्थे दरखास्त नहीं देता है किन्तु उसकी दरखास्तमें सब कर्जस्वाहानका काम उठानेका अवसर प्राप्त होता है। इसलिए यदि बाद दरखास्त दिये जानेके दरखास्त देने वाला कर्जस्वाह अदालतमें मिल जावे और पैरवी दरखास्त न करे अथवा नोटिस आदिना खर्च न दाखिल करे तो दूसरे कर्जस्वाहोंको मोका दिया जासके जिसमें यदि वह चाहे तो कर्जदारके दिवालियाके फायदे लाभ उठा सके तथा उस दिवालिया करार दिलाकर अपना व दूसरे कर्जस्वाहोंका नुकसान न हान देवे।

दूसरे कर्जस्वाहको दरखास्त देने वाला मान लेनेसे वह दरखास्त उसी कर्जस्वाहकी दरखास्त समझना चाहिये तथा उसी तारीखसे समझना चाहिये जिस तारीखने पहिली दरखास्त दी गई हो और इसीलिये यह पर्याप्त है कि इस दूसरे कर्जस्वाहका कर्जा उस पहिली तारीख पर साबित किया जासकता था। जबकि किसी कर्जस्वाहने दिवालिया करार दिये जानेके लिये दरखास्त दी हो तथा नोटिस दूसरे कर्जस्वाहानके नाम जारी किये गये हों परन्तु इसका बाद अर्थात् दरखास्त देने वाला पैरवी छोड़ दे तथा अदालतने दूसरे कर्जस्वाहको पैरवीकी आज्ञा दे दी हो और यह साबित होकि इस दूसरे कर्जस्वाहका कर्जा इस शर्तमें हाने वागे तालख पर तयतक अन्तर न आता हो तो यह तय किया गया कि उस कर्जस्वाहका शामिल किये जानेका हकम ठीक है और उस कर्जस्वाहका द्वारा ऐसी दशम साबित किया जासकता है, देखो—A. I. R. 1928 Mad 608

दफा १७ कर्जदारके मर जानेपर कार्रवाईका चालू रहना

अगर कोई कर्जदार जिसने दिवालिकी दरखास्त दी है या जिसके खिलाफ दिवालिकी दरखास्त दी गई है मर जाये तो उस सूरतमें जबकि अदाकार कोई खिलाफ हुक्म न दये कार्रवाई उस हद तक चालू रखी जायेगी जिस हद तक कि उसकी जायदादको बसूल करने व वांटनेके लिये आवश्यक हो।

व्याख्या—

यह दफा उन दोनों प्रकारकी दरखास्तोंके लिये लागू है जो चाहे कर्जदार द्वारा या चाहे कर्जदार द्वारा दी गई हों। इस दफाके अनुसार कर्जदार (दिवालिया) के मर जानेपर भी दिवालिकी कार्रवाई चालू नही रहेगी अर्थात् रिसीवर या अदाकारको अधिकार होगा कि वह दिवालिकी मरनेके पश्चात् भी उसकी जायदाद या उसके अर्धके अर्धके बसूल करने व वांटनेके लिये आवश्यक हो।

दिवालिकी कार्रवाई समाप्त होनेसे पहले यदि कर्जदार मर जाये तो उसके लड़के रिसीवरसे अपना एक नामा लिखनी मांग सकते हैं यदि रिसीवर उनके हुक्मके बावजूद भी उनको ले सकता हो। देखो—A. I. R. 1926 Mad 994.

अभिप्राय यह है कि दिवालिकीके मरनेपर रिसीवरके हाथमें सुप्रीमि हई जायदाद नहीं निकल सकती है। देखो—गोविलसिंह बनाम सिवराग A. I. R. 1925 Lah 306.

अदालतने अधिकार है कि कर्जदारके मर जानेके बादभी उसे दिवालिया प्रारंभ देवे। देखो—A. I. R. 1928 Mad 476 (2); A. I. R. 1928 Mad. 480.

यदि दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके खिलाफ अपील भी गई हो और अपील सुने जानेसे पहले दिवालिया मर जाये तो यह अपील उसके मरनेसे समाप्त हो जायेगी। देखो—नारायणसिंह बनाम श्यामसिंह A. I. R. 1928 Lah 119 (1).

दफा १८ दरखास्तोंके लेनेका तरीका

जिस प्रकार सन् १९०८ ई० के ज्ञायता दीवानिके अनुसार अर्थात् दावे लिये जाते हैं उसी प्रकार दिवालिकी दरखास्तें जहां तक उनका सम्बन्ध होगा ली जायेगी।

व्याख्या—

हा दफामें जायदादीनकी किसी खात दफाका उल्लेख नहीं है केवल यह बतलाया गया है कि जिन नियमोंवा ज्योग अर्थात् दावेके लिये जानेमें क्रिया जाता है उन्हीं नियमोंवा प्रयोग दिवालिकी दरखास्तोंके लिये जानेमें भी किया जायेगा अर्थात् जिन प्रकार दीवानिकी नालिशोंके दाखिले आदिमा रजिस्टर कराया जाता है उसी प्रकार दिवालिकी दरखास्तोंके दाखिले होनेवा भी रजिस्टर कराया जायेगा तथा उनमें तारीख दाखिले नामर हुक्मका आदिमा इन्दगन भी उसी प्रकार होगा इस प्रकार दीवानिकी नालिशोंका होता है दरखास्त दिवालिया चाहे कर्जदार द्वारा दी जाने चाहे कर्जदार द्वारा दोनोंमें ऊपर बतलाया हुआ नियम बर्तना चाहिये।

दफा १९ दरखास्तें लीजानेके बादकी कार्रवाई

(१) जबकि अदालतने कोई दिवालिकी दरखास्तको खोलीया हो तो यह उसके सुननेके लिये कोई तारीख नियत करनेका हुक्म देगी।

(२) दफा १६ (१) के अनुसार दिये हुए हुक्मका नोटिस कर्जद्वाराहानको नियत किये हुए ढंग पर दिया जावेगा ।

(३) जबकि कर्जदारने स्वयं दिवालीकी दरखास्त नहीं दी हो तो दफा १६ (१) के अनुसार दिये हुए हुक्मकी सूचना कर्जदारको उस ढंग परदी जावेगी जिस प्रकार सम्मन दिये जाते हैं ।

व्याख्या—

कलाज (१)—यह क्रांति अनुसार उस समय जबकि दरखास्त लेई गई हो अदालतका कर्ज्य होगा कि वह अपनी आज्ञा द्वारा उस दरखास्तके सुननेके त्रिष कोई तारीख नियुक्त करे । दरखास्तका लिया जाना उस समय समझना चाहिये जबकि इस एवमें बतलाये हुए नियमोंके अनुसार दरखास्त लिखी गई हो तथा उसी टीक दसते अदालतमें दाखिल की गई हो ।

कलाज (२)—यह क्राज कर्जदार व कर्जद्वाराह दोनों द्वारा दी हुई दरखास्तोंके लिये लागू समझना चाहिये देखो—A. I. R. 1926 Lah. 360.

नियतरी हुई तारीखकी सूचना कर्जद्वाराहानको दी जाना चाहिये उस समय जबकि किसी कर्जद्वाराहाने दरखास्त दी हो तो शर्की कर्जद्वाराहानके सूचनादी जानी चाहिये । नियत किये हुए दसते अधिप्राय यह है कि इस एवमें बतलाये हुए नियमोंके अनुसार इस प्रकारकी सूचना दी जाना चाहिये यह नहा कि कोई निभांतीर पर कर्जद्वाराहको सूचना देवने । सूचना कर्जद्वाराहके ऐसे एजटको भी दी जासकती है जिनके हुक्म गुस्तारनामा आम हो, देखो—कल्यानना बनाम बैंक आफ मद्रास 39 Mad. 693

इस उपदफाके अनुसार दिये हुए नोटिसके लिये यह आवश्यक नहीं है कि उसकी जाती तामील होवे । यह सूचना रजिस्ट्री द्वारा खतके आये भी दी जासकती है यदि दाखलानके जरिये या खास कर रजिस्ट्रीते ठीक पने पर सूचना भेजी जावे तो यह मान लिया जावे कि सूचना ठीक प्रकारसे दी गई है । जबकि रजिस्ट्री द्वारा पत्र छेड़ जावे और उस पर लिखा हो कि लेनेमें इन्कार है तो यह मान लिया जावेगा कि जिसके नाम वह रजिस्ट्री गईभी उसको सूचना मिल गई है, देखो—गिरीशचंद बनाम विश्वेरीमोहन 23 C. W. N. 319.

इस उपदफाके अनुसार दिये हुए नोटिस दरखास्तके सुने जानेसे पहिलेही कर्जद्वाराहानके पास पहुँचना चाहिये जिसमें यदि वह चाहे तो अपन एतशास आदि पेश कर सके ।

कलाज (३) यह क्राज केवल उहाँ दरखास्तोंके सम्बन्धमें है जो कर्जद्वाराहान द्वारा दी जावे इस क्राजके अनुसार नोटिस उस प्रकार नहीं दिया जाना चाहिये जिस प्रकार क्राज (२) में कर्जद्वाराहोंके लिये दिया जाना बतलाया गया है किन्तु इस नोटिसकी तामील कर्जदार पर टीक उभी प्रकार होनी चाहिये इनत प्रकार सम्मनकी तामील होती है अर्थात् जावता दवांनिके आर्डर ५ में बतलाये हुए नियमोंके अनुसार ऐसे नोटिस की तामीलकी जाना चाहिये ।

दफा २५ (१) के अनुसार अदालतको अधिपार दिया गया है कि यदि उसकी रायमें कर्जदार पर नोटिसकी शर्की तामील नहीं हुई हो तो वह ऐसी दरखास्तको खारिज कर देवेगा इस प्रकारकी बात कर्जद्वाराहोंके नोटिसके सम्बन्धमें नहीं कही गई है कारण इसका यह प्रतीत होता है कि कर्जद्वाराहान नोटिसका पहुँचना बहुत आवश्यक है तथा उसके पास बिना नोटिस पहुँचे हुए जो कार्रवाई की जावेगी वह सब बकायदा समझा जावेगी वें कर्जदारको एकतरफा की गई कार्रवाई को मसूदा करानका भी हक होगा इत्यादि ।

दफा २० दरमियानी रिसेवरको नियुक्ति

अदालतको अधिकार है कि वह दिवालको दरखास्त लिये जानेका हुकम देते समय व खास कर उस समय जबकि कर्जदारने स्वयं दिवालको दरखास्त दी है जरूर कर्जदारकी कुल जायदाद या उसके कुछ हिस्सेके लिये दरमियानी रिसेवर (Interim Receiver) नियुक्त करे जो कि उस जायदाद या उसके किन्हीं खास हिस्सेका क्रय फौज लाले और ऐसी सूत्रमे उस दरमियानी रिसेवरको अदालत द्वारा दिये हुए वह अधिकार प्राप्त होंगे जो सन १९०० ई० के जायदाद बीधानके अनुसार रिसेवरको प्राप्त होसकते हैं । अगर इस प्रकार कोई दरमियानी रिसेवर नियुक्त नहीं किया गया है तां भी अदालतको अधिकार है कि दिवालिया करार देनेसे पहिले किसी दूसरे समयमे दरमियानी रिसेवर नियुक्त कर देवे और उसकी नियुक्तिमेने इस दफाके नियमोंका उपयोग किया जायेगा ।

व्याख्या—

इस दफा द्वारा दिवालियेकी जायदाद पर फौज कब्जा कर लेनेका अधिकार अदालतको प्राप्त है अर्थात् जिन समय दरखास्तक लिया जाने मजूर किया जाव उही समय रिसेवर जायदाद पर कब्जा लेनेके लिये नियुक्त किया जायकता है इससे दो बातोंकी सुविधा होजाती है एकतो यह कि जायदाद बरबाद होनेमे बच जाती है दूसरे वह कर्जदार जायदादको दग्व्यास्त देनेके बाद अलहदा नहीं कर सकेगा और सब कर्जदारोंको जायदादसे पूरा फायदा उठानेका माका मिल सकेगा ।

यदि कर्जदार द्वारा दरखास्त दी गई हो तो दरमियानी रिसेवर अवश्य नियुक्त किया जाना चाहिये अर्थात् इस दशांमे अदालतका कर्तव्य होगा कि वह रिसेवर नियुक्त करे परन्तु जब कर्जदार द्वारा दरखास्त दी गई हो तो अदालतकी अधिकांश है कि वह चाहे रिसेवर, दरखास्त लिये जाने समय नियुक्त करे या उस समय न करे जहा आवश्यकता अदालतकी उस समय सम्झ पड़े—इसका कारण यह भी हो सकता है कि कर्जदारका दरखास्त देनाही दिनालेका काम बतलाया गया है इस कारण उसके दरखास्त देतेही अदाउत यदि रिसेवर नियुक्त करे तो कोई आयुक्ति न होनी परन्तु कर्जदारकी दरखास्त कभी २ नेशा दबाव डालने व फौजान कर्मेकी गरतसर्मा दी जायकती है इसलिये उस पर दरखास्त लिये जाने समयही रिसेवर नियुक्त कर देना एक प्रकारसे कर्जदारके ऊपर ज्यादा होगी और इसीलिये बाद समात होने व आवश्यकता समझने ही पर रिसेवर नियुक्त किया जाना चाहिये ।

दरमियानी रिसेवर (Interim receiver) के अधिकार—दरमियानी रिसेवरको बड़ी अधिकार दिये जा सके है जो अजब दरमियानीके अनुसार नियुक्त किये जानेकेले रिसेवरको प्राप्त हो सकते हैं ।

अदालत दिवालियाकी अधिकार है कि वह दरमियानी रिसेवरको उसा समय दिवालियाकी जायदाद पर कब्जा ले लेनेका हुकम दे देत या मिन्दी शक्ति साथ न जा लेनेका हुकम देवे अदालत दरमियानी रिसेवर मुकत करनेका हुकम देते समय उस हुकममे उन अधिकारोंका उल्लेख कर सकती है जो वह उस समय उस रिसेवरको दिया चाहती हो, देखो—42 Cal 280 दरमियानी रिसेवर तथा खास रिसेवरमे अंतर है क्योंकि दरमियानी रिसेवरको जायदाद पर कब्जा ले लेनेकी अधिकार होता है तथा वह अधिकार उसे प्राप्त नहीं होत है जो अदालत उसके लिये अपन हुकम द्वारा अदा न करे परन्तु खास (Regular) रिसेवर दिवालिया क्रम दिये जानेके बाद होता है और दिवालियाकी सब जायदाद उसकी सुपरीसमी आजाती है तथा वह सब जायदाद उसकी सम्पत्ती माना चाहिये । इस एकके अनुसार जो रिसेवर नियुक्त किया जाव उसे (Public Officer) मानना संभवताकी दफा २ के अनुसार समझना चाहिये तथा उसके विरुद्ध कोई शिका करले पहिले दफा ८० अनुसार दीवानेके अनुसार नोटिस दिया जाना आवश्यक है, देखो—50 I. C. 411.

दफा २१ कर्जदारके खिलाफ दरमियानी कार्रवाई

दिवालेकी दरखास्तके लिये जानेका हुकम देते समय या उसके बाद दिवालिया करार देनेका हुकम देनेसे पहिले अदालतको अधिकार है कि वह स्वयंही या किसी कर्जस्वाहके दरखास्त देने पर नीचे दिये हुए हुकमोंमेंसे एक या एकसे अधिक हुकम देसकती है:—

(१) कर्जदारको उसकी उस चककी हाजियेके लिये उचित जमानत देनेका हुकम देसकती है जबतक कि दिवालेकी दरखास्त पर आखिरी हुकम न हो जावे ।

(२) कर्जदारके कर्जे या उसकी हुकमतमें जो जायदाद हो उस सबको या उसके किसी हिस्सेको बजरिये हुकम कुर्कीके कब्जा लेनेका हुकम देसकती है लेकिन इससे वह सब चीजें अलावा हिसाब किताबकी किताबोंके बरी हैं जो सन् १९०६ ई० के ज्ञाधता दीवानी या किसी अन्य प्रचलित एक्ट द्वारा कुर्की व नीलामसे बरी हैं ।

(३) कर्जदारकी गिरफ्तारीके लिये जमानती या विला जमानती धारण्ट निकाल सकती है और यह हुकम देसकती है कि वह दीवानी जेलमें उस चक तक कैद रखा जाये जबतक कि दिवालेकी दरखास्तकी समात (सुनवाई) न हो लेवे या वह जमानत आदि उन मुनासिब शर्तों पर छोड़ दिया जावे जो उचित व आवश्यक प्रतीत हों ।

परन्तु बलाज (२) व (३) के अनुसार अदालत उस समय तक हुकम न देगी जब तक कि उसको यकीन न होजावे कि कर्जदार अपने कर्जस्वाहोंकी वसूलीमें देर करने या उनके कर्जोंको मानेकी इच्छासे या अदालतके सम्मन न सामील होने देनेकी इच्छासे:—

- (i) अदालतकी अधिकार सीमामें छिप गया है या भाग गया है या छिपने या भागने वाला है या बाहर बना हुआ है, या
- (ii) उसने ऐसे कार्रगोंको जो समात मुकदमोंमें कर्जस्वाहोंके लिये फायदेमंद साबित होंगे छिपा दिया है, या बरबाद कर दिया है या दूसरोंको दे दिया है या अधिकार सीमामें हटा दिया है या छिपाने वाला है, या बरबाद करने वाला है या दूसरोंको देने वाला है या सीमामें हटाने वाला है, या ऊपर बताई हुई चीजोंको छोड़ कर अपनी कोई जायदाद इस प्रकार हटाई हो ।

व्याख्या—

इस दफामें अदालतको वह अधिकार दिये गये हैं जिनका प्रयोग वह दिवालिया करार दिये जानेका हुकम देनेसे पहिले कर सकती है इन अधिकारोंका प्रयोग चाहे दरखास्त कर्जदार द्वारा दीगई हो चाहे कर्जस्वाह द्वारा दोनों दशाओंमें किया जासकता है । अदालत स्वयंही या किसी कर्जस्वाहके दरखास्त देने पर इस दफामें बतलाये हुए अधिकारोंका प्रयोग कर सकती है । इस दफामें बतलाये हुए अधिकारोंका प्रयोग करनेसे दरखास्तके सुन जानमें सुविधा रहेगी तथा कर्जदार कार्रवाईमें लगबग या बाधा नहीं डाल सकगा और कर्जदारका हाजियावा इत्यादि कर्जवट होनेकेगो वधाके या तो उसे हाजियेके लिये जमानत देती पड़ेगी या फिर वह दावामी जेलमें बंद रखा जानकेगो जैसी आवश्यकता समयानुसार समझें जावेगी ।

इस दफामें बतलाये हुए अधिकारोंका प्रयोग हा तो दरखास्त लिखे जाने केपत्र के दिनांक के ३० दिनों के अन्दर ही प्रयोग किया जायगा ।

दिवालिया क्रम दिये जाने का हुक्म देदिये जानेके बाद इस दफ्तरे बतलये हुए नियमों का प्रयोग नहीं हो सकता है क्योंकि उसके बाद यदि आवश्यकता समझी जावे तो दफा २२ के नियमों का प्रयोग किया जासकता है ।

क्लाज़ (१) उचित मामलतके निर्णय अदालतके करना चाहिये अर्थात् अदालत वाकिफातके समझकर तथा विचार कर जो जमानत देना निश्चित करे वही उचित जमानत समझना चाहिये परन्तु जमानत बहुत अधिक भी न होना चाहिये कि निसबा प्रबंध दिवालिया करदी न सके व उसे जेलखीमें रहनेके लिये बाध्य होना पड़े । जमानत लेनेवा अभिप्राय यह है कि उसे हाजिर होनेके लिये बाध्य होना पड़े यह अभिप्राय हीनो नही है कि उस जमानतके हुकमसे दिवालियेको परेशान किया जावे ।

क्लाज़ (२) इस क़ानूनमें दिवालिया क्रम दिये जानेका हुक्म दिये जानेसे पहिले दिवसलियेकी जायदाद कुर्क किये जानेका उल्लेख है । इस दफ्तरे अनुसार कुर्कका जो हुक्म दिया जावे वह जायदादीवालीमें दिये हुए नियमोंके अनुसार दिया जाना चाहिये देखो—इरमतरनीकी नगम भगवानदास 36 All 65

जिस जायदादकी कुर्कका हुक्म दिया जावे वह जायदाद बर्जदारके कब्जे या उसकी हुक्मतरमें होना चाहिये ।

जिन चीजोंकी कुर्क जायदादीवानों या अन्य किसी प्रचलित एक्टके अनुसार नहीं की जासकती है उन चीजोंकी कुर्क इस एक्टके अनुसार भी नहीं कीजानेका कबल हिताव विधानकी रितावे इस एक्टके अनुसार कुर्ककी जासकती है जो यह क़ानून लागूता दीवान्तके अनुसार कुर्क नहीं की जाना चाहिये अंसा कि जानना दीवानती दफा ६० में दिया हुआ है ।

प्राक्डेण्ट फ़ाउ कर्जदारके बहने पर कुर्क नहीं किया जासकता है इसी प्रकार न तो रिसेवर न कॉट बर्जदारके दिवालियाके रेलवे प्राक्डेण्ट फ़ाउकी कुर्क कर सक्ता है देखो—56 Ind Cas 450, 24 C W N. 288.

क्लाज़ (३) इस क़ानूनके अनुसार अदालतको अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयंही या किसी कर्मकारके दरवास्त देने पर दिवालिया क्रम दिये जानेका हुक्म देनेसे पहिलेही बर्जदारको गिरफ्तार कराने व उसको कैद करके साथही साथ अदालतको यहभी अधिकार प्राप्त है कि वह बाद गिरफ्तारी जमानत तंजर बर्जदारको छोड़करा देने अर्थात् इस क़ानूनका अभिप्राय यह है कि यदि बर्जदारको उपरिपत्ति इतराजियेकी दरवास्त सुनी जाते समय आवश्यक समझ पड़े या यदि उसकी जायदाद पर अधिकार करने आदिके लिये उसकी मददकी आवश्यकत प्रतीत हो और साथही साथ यह भी जान पड़े कि वह बर्जदार इस प्रकार उपरिपत्त न होगा या वह इस प्रकारकी सहायता प्रदान करनेसे हटगा तो अदालत अपने इस ज्ञानमें दिये हुए अधिकारका प्रयोग कर सकती है तथा यह विज्ञात हो जाने पर कि वह उचित समय या अवसर पर हाजिर होनेसे नहीं हटगा उसे छोड़नी सक्ती है हाजिरके लिये जचिन जमानत लेने पर अदालतकी ऐसा विश्वास हो सक्ता है । परन्तु अदालतको एसी गिरफ्तारीका हुक्म बहुत सोच समझ कर देना चाहिये अंसा कि एक्टके नियमोंसे प्रकट होता है क्योंकि बर्जदार को ऐसे हुक्मसे बचा पड़ पहुँचनेकी आसना है ।

दफा २२ कर्जदारके कर्तव्य

जब कि दिवालेकी दरवास्त लिये जानेका हुक्म हो जावे तब कर्जदारको हिस्सावकी सब क़ितायें पेश करना पड़ेगी और उसके बाद कितीभी समय अपनी जायदादकी फेहरिस्त देना पड़ेगी व अपने कर्जदारहों व उनके कर्जोंकी तादाद तथा अपने कर्जदारों व उनसे लिये जाने वाले कर्जोंकी तफ़सील भी देना पड़ेगी और अपनी जायदाद या कर्जदारहोंके वारेमें जांच करना पड़ेगी और अदालत या रिसेवरके सामने हाजिर होना पड़ेगा दरतावेज लिखना पड़ेगी और अधिकतर वह सब काम व पाते अपनी जायदादके सम्बन्धमें करना पड़ेगी जो अदालत या रिसेवर नियमके अनुसार उससे क़रना चाहेंगा ।

व्याख्या—

इस दफा में कर्जदारके कुछ कर्न योंका बर्धन है और इन कर्न योंका अधिकतर सम्बन्ध अदालतके साथ है अर्थात् यदि इस दफा में बतलाये हुए नियमोंके अनुसार दिवालिया काम न करे ता उमरा यह काम अदालतके विरुद्ध समझना चाहिये न कि किमी कर्मखान्दके देखो—54 I C 740.

इस दफाम बतलाये हुए कर्तव्योंका न करना एक प्रकारसे अदालतके निर्धारित नियमोंके विरुद्ध काम करना समझना चाहिये किन्तु उसे कोई कौजदारीमा जुर्म न मानना चाहिये, देखो—39 All 171

हितावकी क्रियाके दरख्वास्त दिवालियाके लिये जते समय दाखिल करदी जाना चाहिये तथा उसके पश्चात् कर्त-
खान्दोंको फेरिस्त कर्जोंकी तादाद व उनका व्योरा आदि भी दाखिल करना आवश्यक है परन्तु यह बात दरख्वास्त लिये
जानेके बाद भा किसी समय दाखिल की जासकती है चूँकि बिना हिताव क्रियाके देख कर्जों आदिके बारेमें पूर्ण ज्ञान नहीं
हो सकता है इस कारण उनका दाखिल होना प्राग्भवीने अति आवश्यक समझा गया है परन्तु हिम वकीलानोंने दाखिल
ही जानेहीसे काम नहीं चलेगा कर्जदारको उसके पश्चात् अपनी जायदादकी तकमील कर्जोंकी फेरिस्त तथा उनका व्योरा
आदि भी दाखिल करना पड़ेगा अर्थात् अपने कर्तखान्दों तथा कर्जदारोंके नाम व उनसे बमूक किया जाने वाला या उनको
दिया जाने वाला कर्त तथा उमसे सम्बन्ध रखनेवाली जानने योग्य सब बातोंका व्योरा दाखिल करना आवश्यक है ।

क्रियाके व कर्जों आदिका व्याप दाखिल होजानके बाद भी अदालत या रिसेवर जब चाहे कर्जदारको हिताव
सम्झनेके लिये तथा कर्जों आदि की असली हालत जाननेके लिये बुला सकता है और उस समय कर्जदारका कर्तव्य होगा
कि वह अदालतके व रिसेवरको उन सब बातोंके समझनेमें सहायता प्रदान करे तथा उन सब बातोंका उत्तर दे जो उनसे
पूछा जावे या उन सब कामोंको करे जो अदालत या रिसेवर उस सम्बन्धमें उनसे कराया चाहे ।

अदालत दिवालियाके अधिकार है कि वह किसी ब्यक्तिको २०० मीलस अधिक फामलेसे भी उतकी जायदाद
आदिके सम्बन्धमें जाच करनेके लिये बुला सकती है देखो—13 Bom 114, 33 Bom 462

इस दफाके अनुसार कर्तव्य करानेके लिये अदालत दिवालिया या रिसेवर कर्जदारको बाध्य कर सकता है । यदि
रिसेवरकी नियुक्ति दरख्वास्त लिये जाते समय होजावे तो कर्जदारका कर्तव्य होगा कि वह रिसेवरने भिन्ने व रिसेवरको तब
चाहिये कि उमसे जानने योग्य सब बातोंकी फेरिस्त दाखिल कराले तथा कर्जदारने अपनीभी वह सब बातें समझते भिन्ना
समझना आवश्यक प्रतीत हो । अदालत या रिसेवर जब चाहे इस दफा में बतलाये हुए कर्तव्यके पालनके लिये कर्जदारको
बुला सकते हैं यह आवश्यक नहीं है कि कर्जदार जितित आता बाराही बुलाया जावेया । देखो—युगमल ननाम आफिशल
एसाइनी 47 Cal. 56

इस दफा में बतलाये हुए नियमोंका पालन न करने पर कर्जदार दण्डका भागी होगा यदि जानबूझ कर कर्जदार
नियमोंका पालन न करेगा तो उसे दफा ६९ के अनुसार दण्ड दिया जासकेगा गिमके अनुसार एक वर्ष कागनास तकका
दण्ड दिया जासकता है ।

दफा २२ कर्जदारकी रिहाई (छुटकारा)

(१) जबकि कर्जदार किसी इजराय डिक्लीमें स्पयेकी घबूलीके लिये जेल या हिरासतमें
होवे तो अदालतको अधिकार है कि दिवालेकी दरख्वास्तके लिये जानेका हुक्म देते समय या
उसके बाद दिवालिया करार देनेसे पहिले कर्जदारको जमानत आदिकी शर्तों पर जो उसे
धचित व आवश्यक प्रतीतहो छोड़ देवे ।

(२) अदालतको अधिकार है कि वह किसी ऐसे व्यक्तिको जिसे उसने इस दफाके अनुसार छोड़नेकी आज्ञा दी है उसे फिर गिरफ्तार करवा लेवे या फिर उसे हिरासतमें भेजदे अर्थात् वह मुक्त किया गया था ।

(३) इस दफाके अनुसार हुकम देते समय अदालत अपने हुकम देनेका कारण लिख कर बतलावेगी ।

व्याख्या—

इस दफा द्वारा अदालत दिवालियाके अधिकार प्राप्त है कि वह दिवालिया करार दिये जानेवाले हुकम दिये जानेसे पहिलेही कर्जदारके जेल या हिरासतसे मुक्त कर सके यदि वह कर्जदार किसी रुपयेके वसूलीकी डिक्लीके आधार पर गिरफ्तार किया गया हो । इस अधिकारका प्रयोग करना न करना अदालतके हाथमें है परन्तु जिस समय अदालत कर्जदारको जेल या हिरासतसे जमानत लेवनी छोड़नेसे इनकार करे तो उसे वह कारण लिखकर देखलाना पड़ेगे कि जिनकी वजहसे वह कर्जदार का छोड़ा जाना उचित नहीं समझी है । देखो—A. I. R. 1924 Pat. 559.

कर्जदारको छुटकारा केवल रुपये वसूलीकी डिक्लीमेंही मिल सकता है वह डिक्ली चाहे जिस अदालत द्वारा दी गई हो पान्तु छोड़े जानेका हुकम देनेसे पहिले अदालत उचित जमानत कर्जदारसे लेवती है । अदालत दिवालियाका इस दफाके अनुसार हुकम बतला देवेगा जब कि कर्जदार गिरफ्तारीकी हालतमें होवे अर्थात् या तो वह दीवानीकी जेलमें होवे या हिरासतमें लिया जा चुका हो । इस दफाके अनुसार हुकम उन्हीं कर्जदारोंके सम्बन्धमें दिया जावेगा जो इस एक्टके अनुसार साबित किये जा सकते हैं । देखो—हायानाल ब्रानम तुलमीयम 80 I. C. 946

इस दफाके बलाज (२) में अदालतको यहभी अधिकार दिया गया है कि वह कर्जदारके जेल या हिरासतसे मुक्त करनेका हुकम देनेके पश्चात् उसे जब चाहे फिरसे गिरफ्तार करवाले पान्तु अदालत ऐसा हुकम किसी विशेष कारणके उपस्थित होनेकी पर देवेगी इस बलाजकी भाषासे यद्यपि प्रकट है कि अदालत दिवालिया करार देनेके पश्चात् भी कर्जदारके गिरफ्तारीका हुकम दे सकती है पान्तु वह दिवालियाके बलाज हो जानेके बाद इस प्रकारकी गिरफ्तारीका हुकम नहीं देवेगी क्योंकि यह बात न तो इस दफाकी भाषासे प्रकट होती है न एक्टमें और किसी जगहही इस प्रकारका उल्लेख मिलता है, बलाज हीनानके बाद यदि दिवालियाकी कोई अनुचित कार्रवाई साबित हो तो दफा ७१ के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाईकी जासकती है ।

बलाज (३) के अनुसार अदालत नाथ है कि वह बलाज (१) या (२) के अनुसार हुकम देते समय उन धारकोंके सहित वह आने हुकमको लिखे ।

दफा २४ दरखास्तके सुनेजानेका तरीका

(१) दरखास्तको सुननेके लिये नियतकी हुई तारीख पर या उसके बाद यद्दार्हि हुई तारीख पर अदालत नीचे दी हुई बातोंका सुवृत्त लेवेगी—

(ए) यह कि कर्जद्वारा या कर्जदारको जिसने दरखास्त दी हो दरखास्त देनेका हक है या नहीं पान्तु जबकि कर्जदार दरखास्त देने वाला व्यक्ति है तो वह इस बातको साबित करनेके लिये कि वह अपने कर्जोंको अदा करनेके योग्य नहीं है केवल उतनीही शहादत देगा कि जिसमें अदालतको यकीन होजावे आदिरा तौर पर कर्जदारका कहना ठीक है और अदालतको जब यह यकीन हो जावे तो वह इस बातके लिये और शहादत लेनेके लिये बाध्य नहीं है ।

(बी) जबकि कर्जस्थान्तके दरखास्त देने पर कर्जदार हाजिर नहीं हो, तो यह साबित होना चाहिये कि उसके पास दरखास्तके लेलिये आनेके हुक्मका नोटिस पहुँच चुका है।

(सी) यह कि कर्जदारने दिवालिका काम किया है जिसका करना उसके लिये बताया जाता है।

(२) अगर कर्जदार हाजिर होवे तो अदालत उसका भी वयान उसके घर्तब, व्यवहार व जायदादके सम्बन्धमें उन कर्जस्थान्तोंके सामने लेंगी जो उस पेशी पर मौजूद हों और कर्जस्थान्तोंकी अधिकार होगा कि वह कर्जदारसे उन बातोंके सम्बन्धमें प्रश्न कर सकें।

(३) अगर पर्याप्त कारण दिखलाया जावे तो अदालतको अधिकार होगा कि वह कर्जदारया किसी कर्जस्थान्तको उस शहादतको देनेके लिये अपसर देवे जो उसकी रायमें दरखास्तका ठीक २ फौसला निर्णय करनेके लिये आवश्यक प्रतीत हो।

(४) कर्जदारके वयानों तथा वूसरी जयानी शहादतके सारका लेखा अदालत रक्खेगी और वह लेखा मुकदमेकी कारवाईका भाग समझा जायेगा।

व्याख्या—

इस दफाँ उन नियमोंका वर्णन है जिनका प्रयोग दिवालियारी दरखास्त सुने जाने समय किया जाना चाहिये चाहे वह दरखास्त कर्जदारने दी हो या वह दरखास्त उसने किसी कर्जस्थान्त द्वारा दी गई हो इस दफामे यह भी बतलाया गया है कि किस प्रकारका सूत्र दरखास्तकी गतिवत करनेके लिये आवश्यक है। सबसे पहिले अदालत यह देखेगी कि आया दरखास्त देने वाले कर्जदार या कर्जस्थान्तकी दरखास्त दिवालिया पेश करना हक है या नहीं यदि दरखास्त देने वाला कर्जदार है तो उसका हक दरखास्त दिवालिया देनेवाले वत समय समाप्त नहोगा जबकि वह अपने कर्जोंकी जदा न कर सकता हो तथा उसके साथ साथ या तो उसने कर्जोंकी तादाद ५०० से अधिक हो या वह किसी रूपके बन्धुकी डिक्कीके सम्बन्धमें गिरफ्तार किया गया हो या उसकी लायदाद कुर्की गई हो। कर्जदारको यह बात साबित करनेके लिये कि वह अपने कर्जोंकी जदा नहीं कर सकता है केवल इतनाही सूत्र देना पड़ेगा जिससे अदालतकी यह विश्वास हो जावे कि वह प्रकट रूपमें कर्ज जदा नहीं कर सकता है अदालत इससे अधिक सूत्र इस बातके साबित करनेके लिये सुननेकी राय नहीं दे।

फन्तु यदि दरखास्त देने वाला कोई कर्जस्थान्त है तो उसका हक दरखास्त दिवालिया पेश करनेका उस समय समाप्त नहोगा जबकि वह साबित करे कि कर्जदारने वह दिवालियेका काम किया है जिसका उल्लेख दरखास्तमें किया गया हो तथा कर्जोंकी तादाद ५०० से अधिक हो और जिन कर्जोंका उल्लेख दरखास्तमें है वह बसूल किये जासकते हैं साथही साथ वसूली दरखास्तका नोटिसकी कर्जदार पर नियम पूर्वक तामील हो जाना चाहिये। ऊपर बताई हुई बातोंका वर्णन उपदफा (१) में किया गया है।

उपदफा (२) में यह बतलाया गया है कि यदि दरखास्त दिवालिया सुने जावे समय कर्जदार मौजूद हो तो अदालतका मतलब है कि वह कर्जदारका वयान अवश्य लेवे और कर्जदारका इस प्रकार वयान होने समय उसके कर्जस्थान्तोंको हक है कि वह उससे निरह कर सकें अर्थात् दरखास्त चाहे कर्जदार द्वाराही गई हो या उसके किसी कर्जस्थान्त द्वारा ही अदालत दोनों दशाओंमें कर्जदारके मौजूद होने पर उसके वयान अवश्य लेवेगी तथा कर्जस्थान्तोंकी कर्जदारसे प्रश्न करनेका अधिकार इसी प्रकार प्राप्त है कर्जदारका वयान अवश्य होना चाहिये चाहे उस समय और किसी गवाहोंके वयान लिये जावे या न लिये जावे देता—बनारसी बनान बनारसी 9. A. L. J. 239; A. I. R. 1926 Lah. 508.

इस दफ्तरमें बनलये हुए नियम ऐसे नहीं हैं कि नितनी अवहेलना की जासके अर्थात् उनके अनुसार अदालत कार्य करनेकी भाष्य है इसलिये कर्जदारकी उपस्थितिमें उमका नयान लिये बिना यदि कोई हुकम दे दिया जावे तो वह हुकम ठीक नहीं समझा जावेगा देखो—39 I C 745, A I R. 1927 Cal 32.

कर्जदारका इस प्रकार जो आम बयान लिया जावेगा वह केवल उसकीके खिलाफ प्रयोग किया जासकेगा किसी दूसरेके खिलाफ नहीं प्रयोग किया जावेगा। इन प्रकारका बयान लिये जानेका तात्पर्य यह है कि नितनी जल्दी होसके कर्जदारकी सब जायदाद गालूम होठके तथा वहभी मालूम होसके कि कर्जदारने अपनी जायदादके सम्बन्धमें क्या क्या किये हैं जिससे कि कर्जदारका या रितीवर दिवालियाकी सब जायदादका ठीक पता पारर उभे समेट सके तथा बहाल होनेकी दरखास्त पेश होवे समयभी कर्जदारका इस प्रकारकी बातोंको जानकर उसकी बहालकी दरखास्तका विरोध कर सके है। देखो—गिरधारी बनाम जयनारायन 32 All. 645.

उपद्रफा (३) में पर्याप्त कारणसे तारपर्यं उन कारणोंसे समझना चाहिये जो जावता दीवानीके आर्डर (XVII) १० क्ल १ के अनुसार पर्याप्त कारण माने जासकते हैं। शहादत जवानी या लिखित दोनोंहीसे तात्पर्य है तथा दोनोंहीके देनेके लिये मौका लिया जासकता है। गवाहान व सुधूतके वागजात उसी प्रकार तलब किये जासकते हैं जिस प्रकार जावता दीवानीके अनुसार तलब किये जासकते हैं।

[- **उपद्रफा (४)** में शहादत लिये जानेका उद्देश्य है शहादत उस प्रकार खोजानेकी आवश्यकता नहीं है जैसा कि दीवानीकी, अदालतमें खोजती है इसमें उस प्रकार खोजासकती है जैसा कि सरसी परवाई करनेमें खोजना चाहिये परन्तु जो शहादत खोजानेकी उसको लिखा जाना चाहिये तथा उसकी अस्तुती सब बतों अदालतकी नोट कर लेना चाहिये वह अदालतकी दिसिमें शामिल रहेंगा।]

यदि कर्जदारके लहनेका मूल्य कर्जोसे अधिक हो तो कर्जदारका इस बिना पर यह नहीं कह सकता है कि कर्जदार अपने कर्जोंको चुकानेमें असमर्थ नहीं था देखो—हरनाम सिंह बनाम गोपालदास देसराज 109 I C 370, यदि अदालत किसी कर्जदारकी दरखास्त इस बिना पर खारिज कर देवे कि उमें दरखास्त देनेका कोई हक नहीं था तो अदालत का यह हुकम और कर्जदारकोके खिलाफ अन्न तनवीज शुदा (Resjudicata) नहीं समझा जावेगा। केवल इनके पास नोटिस पहुँच जानेहीसे यह नहीं मानलिया जावेगा कि वह हर भागके लिये फीक हुकदमा बना लिये गये हैं। देखो—110 I. C 730 (2)=A I R 1928 Sindh. 121.

यदि दिवालियेकी दरखास्त किसी कर्जदारने दी हो तो दिवालिया करार देनेका हुकम देने समय अदालतके लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह पूर्णरूपसे दरखास्तमें दिलखिये हुए कर्जोंकी छानबीन करे या उन गानोंकी खोज करे जिनसे कर्जदारका जायदाद छिपाना या धोखादेहीसे जायदादका हटाया जाना साबित हो। ऐसी बातोंकी छानबीन दिवालिया करार दिये जानेके बाद तथा उस समयकी जाना चाहिये जबकि दिवालियेकी जायदाद रितीवर या अदालतकी सुधूधर्ममें आजावे। देखो—109 I. C. 652.

दिवालिये करार देनेकी दरखास्त पर विचार करते समय अदालतकी चाहिये कि वह जायदादकी मौजूदा कीमतका जिनसे कि उसके कर्ज चुकानेमें आवेगे ध्यान रखे तथा यह देखे कि आदा दफा २४ (९) का ध्यान रखते हुए कर्जदारने अपने कर्जोंको न अदा कर सकनेकी बात साबित करदी है या नहीं देखो—A. I. R 1928 Nag-226.

कर्ज न अदा कर सकनेकी बात साबित करनेके लिये यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि कर्जदारका लहना उसके कर्जोंके कम है क्योंकि यदि कर्जदार अदालतको निस्वात दिल दे कि गो उसका लहना उसके कर्जोंके कम नहीं है किन्तु वह अपने कर्जोंको चुकानेके लिये अपनी सब जायदाद प्रयुक्त कर देने परभी असमर्थ है तो अदालतकी यह मानना

चाहिये कि वह कर्जदार अपने कर्जों को चुकानेमें असमर्थ है। देखा—109 I C 552=A I R 1929 Lah. 87. इसी मामलेमें यह भी तय हुआ था कि दिवालयिकी दरखास्त देने वाले कर्जदार का कर्तव्य है कि वह अदालतके सामने पेश हो तथा उपरिधत्त कर्जदारोंके उनके पत्र पर अपनी जायदाद तथा बर्जों आदिके बारेमें पूरा हाल बतलाव। यदि कोई कर्जदार यह बयान करे कि वह कर्जों अदा नही कर सकता है तथा यदि उसका जायदादमें तत्काल कपया वस्तु नही होमकना है तो कर्जदारका यह कर्तव्य कि वह अपने कर्जोंको अदा नही कर सकता है अवश्य ठीक मान लेना चाहिये कर्जदार कि यह सचिन न हो जाये कि उसके सब दर्जे कर्जों हैं या उसने कितना दूध हा उदारने दिवालय दरखास्त दी है केवल इस बातसे कि कर्जदारके पास बहुतसी जायदाद है यह न समझ लेना चाहिये कि वह अपने कर्जोंको अदा कर सकता है। A I R. 1928 Mad 1193.

दफा २५ दरखास्तका खारिज होना

(१) जबकि दिवालयिकी दरखास्त कर्जतबाहद द्वारा दी गई हो और अदालतको यह यकीन न हो कि उसे दरखास्त देनेका हक है या इस बातका यकीन न हो कि दरखास्तके लिये जानके हुक्मका नोटिस कर्जदारको पहुँच गया है या बताया हुए दिवालयके कामका यकीन न हो या कर्जदार इस बातका यकीन दिला देव कि वह अपने कर्जोंको अदा कर सकता है या कितनी दूसरे मुनास्बिय कारणसे यह सम्बन्धमें श्राव कि कोई हुक्म न दिया जाना चाहिये तो अदालत दरखास्तको खारिज कर देगी।

(२) जबकि दरखास्त दिवाला कर्जदारने दी हो और अदालतको यह यकीन न होय कि कर्जदारको दरखास्त देनेका हक है तो वह उस दरखास्तको खारिज कर देगी।

व्याख्या—

इस दफा उन बातोंका उल्लेख है जिनसे कर्ज दरखास्त दिवाला खारिजका शक्तता है यह दफा, समझना बनाई गई है किम्ब कि कर्जदार अपने कर्जोंमें बचने या गिरफ्तारसे बचनेका शक्तसे दरखास्त दिवालयिका देना वना कर्जदार न उठा सके देवे—A I R. 1924 All. 800

इस दफाके आधार पर दरखास्त खारिजनी जाने पर डायरी अर्जी हाईकोर्टों की जानकगी है देखिये दफा ७५ (२) गीके दफा २४ के अनुसार कर्जदारका बयान होते समय उसमें उसकी जायदाद आदिके सब वस्तु पत्र निय मामने है परन्तु फिर भी दफा २५ में यह नहीं बतलाया गया है कि यदि कर्जदारकी बदनामी स्पष्ट हो तो वह दिवालयिका कारण नहीं दिया जाना चाहिये जर्जि बदनामी अर्जिके कारण कर्जदार दिवालयिका बनन नही रोका जायता है किन्तु बदाय हानिकी दरखास्त देने समय उसकी बदनामी आदिके पत्र उपरना निय जानकन है गौर उनमें लाभ उठ या जासकता है। दला—गिम्बर गरी बनाम जनगदन 32 All 40, 60 I C 818

इसी प्रकार यह भी तय हुआ है कि इन दफा अनुसार तर्ककत करने समय इस प्रश्नका तय करनेकी आवश्यकता नहीं है कि कर्जदारने अपनी सब जायदाद ठीक ठीक दिवालय दे दिया है या न। सम प्रकृतता गलतियाँ किये जानेका हुक्म दिये जानेका बाद तय किया जासकता है देखो—46 Bom 107. दिवालयिकी जायदाद पत्र उन वस्तु उठन होता है जब कि बदाय हानिकी दरखास्त देने उसमें पत्रिके नहीं दावे—A I R. 1926 Mad 494.

इन बातोंसे यह न समझ लेना चाहिये कि गुप्तमें कर्जदारने उसकी नया चर्चि सम्बन्धमें कोई प्रसङ्ग नहीं पूछे जासकते है गौर इन प्रसङ्गों निरापय शुकम नही किया जाना चाहिये किन्तु कि भी ऐसे प्रश्न निरनना जाय हो सके

पुढाग चाहे विषय जेवने जेवनी कर्जासके समन्वयी टांग बाबोना पना छप सके तथा भक्तिपप उनस उचित छाप उठाया जासके । देखो—36 Mand 402.

रिना मा दख्खाने दिवालिखा खागिन कनेने पहिले अदालतका कसैने ही कि बह मामने के पूर्ण रूपने सजने के बादिब बरे तथा दम्बालन खागिन करेके कारणनी अपने हुकममें दिवलाग अलाहाबाद हाईकोर्टने पहिलेग चाफ जस्टिस (Acting Chief Justice) वास (J Walsh) माहमा कजना भा पि यद दफा उन जजाफ लिय जो मामला नी मजहानमा प्रथम नदी कसने हे एक प्रकारमा गाल हे देखी—तायानन्द बनाम हनुवलिहोर 46 All 71-22 A L J 684.

दरबुवास्त दिवाला खागिज क्रिये जानेके कारण यह हो सकत है:—

(१) उभ समुप जवकि किमी कर्जेखाहेने दख्खान दी हो—

- (अ) यदि कर्जेखाहेको दिवालिखेनी दख्खान देनेका हक दफा २ के अनुसार प्राप्त न हो
- (बा) यदि कर्जेखा या दिवालिखेनी दख्खानन शुनरलक नाटिमने तामल न हुई हो
- (गां) यदि दिवाखारवमें दिवलाया हुआ कर्जेखाके दिवालिखेमा काम सावित न होवे
- (ग) यदि कर्जेखा यह सावित करे कि वह अपन कर्जेखे जन्दा कर सकता हे
- (हे) यदि दख्खानने नाममा करके लये दर्यास लाग्य होवे ।

(२) उन समय जबकि कर्जेखाने खप दिवालिखेनी दरबान दी हो—

- (ए) यदि कर्जेखाका दफा २० के अनुसार दख्खान देनेका हक प्राप्त न हो फेवल कर्जेखाही इस बिना पर लख सकना हे कि बह अपने कर्जेखी खुचानेमें असमर्थ नही हे दूसरा कोही मथल इत बिना पर नही लख सकता हे जमे पि यदि कर्जेखाने सिधके हकमें जायनाद कर ग हा ता सिधक हकमें जायनादुर्षे गहे हे बह सम भत पर महा लख सकत हे कि कर्जेखा दिवालिखाया दम्बान दिखे जाने समय अपन कर्जेखा चुका सकता था । तथा—A. I. R 1929 Lah. 79

यदि दख्खानन परम्बान उरगे था गई हो तो भी बह सम बिना पर खरिनी जासकती हे कि कर्जेखा अपने कर्जेखे अदा कर सकता हे अथवा नहीं । अर्थात् कर्जेखे हाग दी हुई दख्खानन पर यह मानिन जाने पि कि बह अपन कर्जेखा अदा कर सकता हे यह जावनाक नर्ण हे कि दख्खानन दशा बिना पर खागिन परदा जावे देखो—गिगधगा बनाम जयनरायन 32 All 647, 41 I C. 850, 73 I C 74

खसारी कग बहा ज्ञापका हे कि कर्जेखाका दख्खानन कबल हमहा बिना पर खारिनी जासकती हे पि उनके दख्खानन दिवालिखा पेस गगना हक पन महा हे कर्जेखाके दख्खानने दिवालिखा पेस मगनका उखब दफा १० में हे आर यदि दफा २० में बनलागे हुए निगमोका पाठन पूर्ण रूपन महा शशत हे तो कर्जेखाको दख्खानन दिवाला खपानकी जासकता हे । पानु यदि दफा २० म नपनाप हुए अनपेकाल पाठन पूर्ण रूपने हुआ ह तो दख्खानन दिवाला अवश्य मज्जु के जाना चाहिये । अदालतके विषयमे नेश कायदा उखनेकी बिना पर दख्खानने दिवालिखाके खारिन क्रिये जानेमा उखे इग दरमि नही हे ।

इस दफाके हाईकोर्टने बहुधा महा निवेदन किया था कि यदि दख्खानन अदालतके निगमाका बेना पनाग उठावेनी मगाम दी गई हो ता एसी दख्खाननका अदालत इना बिना पर खागिन कर सकता हे पानु 44 Cal. 535 में पिनी काजाकला इद्वान अंगेन यह छप का दिखे हे कि दख्खानन कबल इपी बिना पर खागिन महा कर देना चाहिये कि बह

अदालत नियमों में वेना कायदा अंशों की सरतसे दाखिले यदि इस प्रकार बतलाये हुए सब नियमों का पालन किया गया हो। कर्जदार की दरखवास्त दिनांक इस तबना पर खारिज नहीं की जायेगी कि उसने अपनी दरखास्त में कुछ जायदादों का जिक्र किया है या अपना जायदाद वारिसों के नाम पर खारिज किया है या अपने कर्जों का ठाक र ध्याय नहीं दिया है दावे—दायत बनाम साइनलाल 8 I C 1119; 38 I C, 822.

इसी प्रकार यदि कर्जदार का कायदा दिनांक किनाह नहीं खना हो तो इसका बिना पर उसकी दरखास्त दिनांक नाममात्र नहीं की जा सकती है देखो—A I R. 1927 Lah 27 दरखास्त इस बिना पर भी खारिज नहीं की जा सकती है कि कर्जदार व कर्जदारका भाई मुजरत है और वह भाई सामान्य दरखवास्त नहीं किया गया है देखो—40 All 75 दिवालियाका दरखास्त इस बात पर खारिज नहीं कनाया चाहिये कि कर्जदारने बददीयता का काम लिया है तथा वसते घोषणापत्रों का जयदादों अलग कर दिया है देखा—12 C L, J 400, 40 All 665

दरखास्त दिनांक इस बात पर भी खारिज नहीं की जा सकती है कि कर्जदारने दरखास्त देने के बाद तथा उसके सुने जानेसे पहिले किसी कर्जदारको अपनी अदायगी की है देखो—तागचद बनाम उदुलकिकोर 46 All. 713 दरखास्त इस बिना पर भी खारिज नहीं की जा सकती है कि कर्जदारने उमम कुछ कला कर्म दियेलाय हैं देखा—मुहालास बनाम मगवानदास 26 I C 24, 37 All 252

केवल इस बिना पर कि नजर एक नईमान आमी है उसकी दरखवास्त दिनांक खारिज नहीं की जा सकती है जो उसके महाल होने समय इस बात पर पूर्ण रूपसे खारिज किया जाना चाहिये देखा—मिगमीलल बनाम अयोध्याप्रसाद 37 I. C 391.

अदालत इस दावे में बतलाये हुए किसी दावे पर्याप्त कारणों के आधार पर केवल उसी दरखास्तों को खारिज कर सकती है जो कर्जदारने दावा की है या अर्थात् कर्जदारने दावा दाखिले दरखास्तों को ऐतिहासिक दावे पर्याप्त कारणों के आधार पर खारिज नहीं करेगा दूसरे पर्याप्त कारण यह प्रकारके हो सकते हैं जिनका निगण करना असाध्यतक साम्य है असाध्यतक स्वरूप यदि कर्जदार यह दिखलावे कि उसके कुछ मित्रगण उसके तब कर्जदार पूर्ण रूपसे अदायगीय प्रकृत कर देंगे ता यह पर्याप्त कारण समझा जा सकता है इस प्रकार कर्जदारका यह सबिद करना कि उसके कुछ मागों चल रहे हैं तथा उनके तब होने नद अपने सन कर्जों को चुका सकेगा पर्याप्त कारण समझा जा सकता है देखा—तागचद बनाम उदुलकिकोर 46 All 713

दफा २६ हर्जका मिलना

(१) जबकि कर्जदारने द्वारा दी हुई दरखास्त दफा २६ (१) के अनुसार खारिज हो जाये व अदालतको यह यकीन होजाये कि दरखास्त फिजूल है या परेशान करनेकी गरजसे दी गई थी तो कर्जदारके दरखास्त देनेपर अदालतको अधिकार है कि वह दिवालियों की दरखास्त देने वाल कर्जदारहस्ते १०००) एक हजार रुपये तक तैसाकि वह मुतासिब समझे बतौर हर्जके कर्जदारको उन्के खर्चे मुकदमा व नुकसानके बावत जो उस उस दरखास्त दिवालाके सम्बन्धमें उठाना पडा है दिलावे और यह हर्जा बतौर सुमानिके वसूल किया जासकता है ।

(२) इस दफाके अनुसार यदि कोई हर्जा दिला दिया जायेगा तो उस दरखास्त दिवाला या उसकी कार्यवाहियोंके सम्बन्धमें कोई हर्जकी नालिश नहीं चलेंगी ।

व्याख्या—

जब दफाके अनुसार अदालत दिवालियोंको अधिकार प्राप्त है कि वह १०००) एक हजार रुपये तक बतौर हर्जके

कर्मचारियों को हार्नेबाले रजिस्ट्रारके दिवाला मरे । इस आपस का प्रयोग उस समय होगा जबकि अदालतको विज्ञापन होना कि दरखास्त युक्त है तथा रजिस्ट्रारको पेटेन कानून मशाले का गई है । रजिस्ट्रारको निश्चित करना अदालतके अधिनियमों के तथा इस दिवाले दिने हुए अनपगत लाभ उठाकर पेशवा रजिस्ट्रार फिर रजिस्ट्रारके अदालतमें होनेका दावा करनेवालेके विरुद्ध न्याय कर सकता है ।

इस दिवाले प्रयोग करनेवाले द्वारा दी हुई दरखास्तके सम्बन्धमें नाचे नत गई हुई दोनों शर्तोंकी पूर्ति होने पर किया जावगा अर्थात् (१) यह कि वह दरखास्त दिवा २५ (१) के अनुसार सारित करदी गई हो तथा (२) यह साबित होना कि दरखास्त युक्त है या पेशान करवना मशाले का गई है अदालत इस दिवाले सम्बन्धमें हुए अधिनियमको प्रयोग करी समय रजिस्ट्रारके पेशवा रजिस्ट्रारके लिये दरखास्त देवेगा ।

इस दिवाले बननाया हुआ रजिस्ट्रारको उसके स्वयं या उसके नुकसानके बदलेमें दिवनाया जावेगा अतः अदालत होनेके लिये निश्चित करने समय उत्तम अर्थों में उक्तानुसार विचार करने हुए अपनी बुद्धिसे अनुमान होनेकी सम्भवा निश्चित करेगी । इस प्रकार दिवनाया हुआ रजिस्ट्रारको रजिस्ट्रारके बसूय किया जानेगा अर्थात् या तो उसकी आपदाद करके वीरताय करके बसूय किया जावेगा या जावता दीवानाके अनुसंधानके लिये बसूय किया जावेगा ।

यदि इस दिवाले दिने हुए अधिनियमोंका प्रयोग करके अदालत रजिस्ट्रारको रजिस्ट्रारके दिवनादि तो फिर रजिस्ट्रारकी मायले के सम्बन्धमें दूबारा दिवाला दावा नहीं कर सकेगा यह बात उपदिना (२) में साफ करदी गई है इस दिवाले अनुसंधान दिने हुए हुकमी अधीन रजिस्ट्रारके रजिस्ट्रारकी है । देना—दिवा ७५ (२) तथा सूची नं० १ (Schedule 1)

दिवा २७ दिवालिये करार दिने जानेका हुकम

(१) अगर अदालत दरखास्तको सारित नहीं करे तो वह दिवालिया करार देनेका हुकम देवेगी और उस हुकममें यहभी बतलावेगी कि दिवालिया कितने समयके अन्दर बहाल होने की दरखास्त दे सकेगा ।

(२) यदि कार्रवाई बजह दिखलाई जावे तो अदालतको अधिकार है कि वह बहाल होनेकी दरखास्त देनेका समय और बड़ाई और ऐसी दशामें वह इस हुकमीकी सूचना जिस प्रकार उचित समझे प्रकाशित करेगी ।

ध्याख्या—

पिछले एम्के अनुसार अदालतको बड़ाई होनेका दरखास्त देनेका समय निश्चित करनेकी आवश्यकता नहीं थी न उपदिना (२) में बतलाया हुए नियमों अनुसार उस समयको बढानेका नहीं उद्देश्य था इस प्रकार यह दिवा एक प्रकारसे गई बनी गई है । इस दिवाले यह बतलाया गया है कि यदि अदालत दिवा २५ के अनुसार किसी दरखास्त दिवालियाको सारित न करे तो उसे रजिस्ट्रारको अवश्य दिवालिया करार देना पड़ेगा अर्थात् अदालत रजिस्ट्रारको दिवनाया बनानेके लिये उस समय का यह होगा वह अपनी इच्छानुसार इस प्रकार चाहे उस प्रकारका हुकम नहीं देवेगी ।

दिवालिया करार दिने जानेके हुकमके साथ यह समय भी बतला दिया जावेगा किनके अर्थात् दिवालिया, बहाल होनेकी दरखास्त देवनाया । बुकि भारतका रजिस्ट्रारके अन्तर्गत जाव पढतात दिवालिया करार दिने जानेका हुकमी होनेके पेशवा अधिनियमोंकी है न विशेष का रजिस्ट्रारके समय हीनी है जब कि दिवालिया बहाल होनेकी दरखास्त देने इसलिये समयका निश्चित कर देना आवश्यक समझा गया था अर्थात् दिवालिया अर्थात् अर्थात् दरखास्त बहाल होनेका दे सके और

उसके दायवास्त देने पर उमक वार्थों भली प्रकार जांच होनेसे पश्चात् इस एकमे वतन्त्य- हुए दिनांशिक अन्याय क्लेश दण्डना थाी तद्वशा आसक यदि उसन कोई ऐसा कार्य किया हा। 17- ज्यिकालर भी एउ प्रकारका सुत्रथा हा गई है वयोकि बड़े भा। न गीत मयके अंदर बहाम्नी दाखलान देकर अपने विगड हुए पिउल नामने छुनाग पामकगा यदि बसने बदनीयतामे दाखलान नहीं दी है या उमने कोई अनियमित कार्य नहीं किया है ता अदालत उसे अवश्य महात्पर देगा उपदफा (२) के अनुसार बहाल होनेसा दाखलान देनेसा मयम, अवसर तथा आवश्यकताके अनुसार बढाण भी पामकता ह इस प्रकार समय हुक्ममें वतन्त्य हुए समयके समाप्त हो जानेके पश्चात् भी बढाया जासकता है दली—A I R 1924 Cal 777, A I R 1926 Sind 94, A I R 1929 Nag 11 (१).

समय बढानेकी दाखलान चर्चदार व कर्सेलवाह दोनों हा दे सकत है क्याकि इस दफामें जामतारमे यह नहीं वतन्त्यया गया है कि दाखलान किस दना च दिये। दली—A I R 1928 Lah 82, A I R 1927 Lah. 763 (1); गोपालाम वगाम मगनीगाम (A. I. R. 1928 Pat 378) में यह तय हुआ था कि अदान्तक करान्य ह नि बड अपने हुक्मम बहाल होनेसा समय अवश्य दिखना दवे। याद हुक्मम वतन्त्य हुए समयके अंदर बहाल होनेकी दाखलान न दी गई हो तो भी अदालतने उस समय तक आर समय बडा देनाका अधिकार है अब तक कि दिनांशिया बगाम दिये जानेका हुक्म ममूल न किया गया हो। हुक्ममें दिये हुए मयक समाप्त हा जानेक पश्चात् दिनांशिया बगाम देना हुक्मम अपन आप ममूल नहीं हो जाता है।

दिनांशिया बगाम दिये जानेके हुक्मकी अपील हाईकोर्टमें की जासकती है परन्तु यदि उपदफा (२) के अनुसार समय न बढाया गया हा ता एउ हुक्मकी अपील नहीं हा सनेगा देखा—A I R 1926 Oadh 186 तथा 105 M L J 837

दफा २८ दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मका असर

(१) दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मक होजाने पर दिवालिया अपनी शक्ति भर अपनी जायदादके वसूल होने तथा उसकी कीमत कर्जकारोंमें ठेक तौर पर बटनेमें मदद देगा।

(२) दिवालिया करार दिये जाने चल हुक्मके होने पर दिवालियेकी सब जायदाद अदालत या किसी विलीवरकी जैसा कि आंग दिया हुआ है समझी जावगी और उसके बाद इस एन्टमें दिये हुए अचलकों हाँड़कर दिवालियेके किसी कर्जकारको किसी ऐसे कर्जेके सम्बन्धमें जो इस एन्टके अनुसार साबित, किया जासकता है दिवालकी कार्यवाईके दौरानमें दिवालियेकी जायदादक खिलाफ किसी कार्यवाईके करनेका हक न हाँगा और विला अदालत की आशाके या उसकी शर्तके खिलाफ कोई मुकद्दमा या दूसरी अदालती कार्यवाई करमेंका हक भी न हाँगा।

(३) दफा २८ (२) के लिये घट सब मल दिवालियेका समझा जावेगा तारीखके दिन जिस पर कि हुक्म दिया गया हो दिवालियेके कब्जे, हुक्मत या निगरानीमें उसने व्यापार या कारोबारके सिलसिलेमें असली मालिककी रजामन्दी व इजाजतके साथ ऐसी शकलमें हागा कि लॉग उसको उस मालका मालिक समझत हों।

(४) दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके बाद बहाल होनेसे पहिले जो जायदाद

दिवालयिया पैदा करेगा या पावेगा वह अदालत या रितीवरकी समझी जावेगी और उस जास-जदक सम्बन्धमें दफा २८ (१) के नियम लागू होंगे ।

(५) इस दफाके अनुसार वह सब चीजें 'द्विसायकी किताबधौकी छोड़कर' जो ज्ञावता दीव नी या किसी दूसरे प्रचलित कानूनके जरिये छुकी व नीलामसे बरी है दिवालियेकी जायदाद नहीं समझी जावेगी ।

(६) यह दफा महफूज कर्जवहाहके उन अधिकारोंमें कोई बाधा नहीं डालेगी जो उसे अपनी जमानत वसूल करने या जमानतके लिये और कोई कार्रवाई करनेके लिये प्राप्त हैं और यह उसी प्रकार कार्रवाई कर सकेगा जिस प्रकार वह इस दफाके न होते हुए कर सकता था ।

(७) जिस तारीखकी दिवालिकी दरखास्त दी गई हो उसी तारीखसे दिवालिया करार देने वाला हुकमका सम्बन्ध समझा जावेगा और उसी तारीखसे वह कार्यरूपमें परिणित होवेगा ।

व्याख्या—

उपदफा (१) यह उपदफा बिल्कुल नहीं है इसमें दिवालिया करार दिये जानेके बाद दिवालियेका जो कर्तव्य है वह बतलाया गया है जसा कि दफा २२ में दिवालिया करार दिये जानेका हुकम दिये जानेसे पहिले दिवालियाका कर्तव्य बतलाया गया है ।

दिवालिया करार दिये जानेका हुकम (Adjudication)—ये जमिनाय उम हुकममें है निम्के द्वारा कोई कर्जेदार जिसने या तां स्वयं दिवालियेका दखलत दी हो या निम्के विरुद्ध दिवालियेकी दरखास्त दी गई हो अदालत द्वारा दिवालिया घोषित किया जावे अर्थात् अदालत यह स्वीकार करेले कि दरअसल वह कर्जेदार कानून अपने कर्जोंका अदा करनेमें असमर्थ है और ऐसे हुकमका प्रभाव यह होगा है कि वह कर्जेदार अपने कर्जोंकी सिम्मेदारिसे मुक्त हो जाता है तथा उस हुकमके बाद उसकी सब जायदाद व एहना अदालत या अदालत द्वारा नियुक्त किये हुए रितीवरके अधिकारमें आजाती है जिसमें कि उसके लहनेका वसूल करके उसके कर्जेदारोंमें हिस्सा रसदीके हिसाबसे बांटा जायने । साथही साथ इस उपदफाके अनुसार दिवालियेका भी यह कर्तव्य बताया गया है कि वह ऐसे हुकम होनेके बाद अपनी शक्ति भर अपनी जायदादकी बसूनी तथा उसके उचित रूपमें विभाजित होनेमें सहायता प्रदान करे ।

उपदफा (२) इस उपदफामें दिवालिया करार दिये जाने वाले हुकमका जो कानूनी व्यतर पैदा होता है उसका उल्लेख है पहिले नाममें यह दिखलाया गया है कि इस हुकमके बाद क्या २ होवेगा तथा दूसरे नाममें यह बतलाया गया है कि क्या २ काम न हो सकेगे । दिवालिया करार दिये जानेका हुकम होते ही दिवालियेकी सब जायदाद अदालत या अदालत द्वारा नियुक्त किये हुए रितीवरकी सुपदेशोंमें संपन्न जावेगी और वह जायदाद दिवालियेके कर्जेदारोंमें बांटी जावेगी ।
देखा— A I R. 1922 All 448.

तथा कोई कर्जेदार जिसका कर्ज इस एक्टके अनुसार साधित किया जायकना है अपने कर्जेके लिये दिवालियेकी जायदादके विरुद्ध कोई दूसरी कार्रवाई उस समय तक नहीं कर सकेगा जब तक कि वह दिवालियेका मामला समाप्त न हो जावे और न अदालत दिवालियाकी आज्ञा बिना लिये हुए कोई मुकद्दमाही चला सकेगी ।

जबकि कोई फर्म (Firm) दिवालिया करार दी गई हो तो उस फर्मका हर एक साझेदार दिवालिया समझना चाहिये और इसी कारण उस फर्मके किसी भी साझेदारों विरुद्ध बिना अदालत दिवालियाकी आज्ञाके कोई दावा नहीं किया जासकता है । देखा—100 I C. 112

- चूँकि दिवालियेकी जायदाद दिवालिया करार दिये जाने बाड़े हुवनमें अनुसार रिसेवरके आचकारमें उम समयमें समझी जाती है जबसे कि दिवालिया करार दिये जानेकी दारखास्त दी गई हो इसलिये उम जायदादकी अतर्फी हानन भी उसी तारीखहमें समझना चाहिये और यदि उस जायदाद पर उस तारीखके बाद कोई बार हो जावे चाहे वह किसी अदालतकी जिकीर अनुसार पैदा हुआ हो या और किसी प्रकार पैदा हुआ हो तो उसमें पाव ही रिसेवर पर नहीं मपझी जावेगी देखो— A. I. R. 1928 Lah. 798. (A. I. R. 1928 Lah. 258) में यह तय हुआ था कि जिकीर दिवालिया मद्दतकी गिफतनामके लिये इजाजत द्यात करवावे उम तक तक नडा कर सक्या है जब तक कि वह अगान दिवालिया रकीटन न होवे । बिना अदालतकी आज्ञाके दिवालिया करार दिये जानेके बाद दिवालियेके बरकद मुकदमा नहीं चल सकता है देखो—A. I. R. 1928 Lah. 28

यदि कोई सयुक हिंदू परिवार गारप करता हो तथा उस परिवारमें एक या इमने अधिक नाबालिग होंमें आर उम नाबालिगोंका बिना मनजर (कर्ता) न हाव तथा उम परिवारक सब बालिग बभर मय मेनेजर (कर्ता) के इत्नाजिया करार दे दिये गये हों तो सयुक परिवारकी जायदादमें व्यापार सम्बन्धी कर्तोंके अदा करनेके लिये अग्रददा करनेके ज्ञ अधिकार मेनेजरका प्राप्त है वहा अधिकार रिसेवरकी प्राप्त हा जानगे आर रिसेवर नाबालिगके हिस्साके पावन्द कर मझ्या । देखो—55 M. L. J. 721—A. I. R. 1929 Mad. 166

यदि अदालत दिवालियाके अनिरित किसी दूमर अदालतमें दिवालियेके विरुद्ध किसी बामके करनेके लिये (Specific performance) बिसक बरनडा बादा उसन दिवालिया करार दिये जानेसे पहिले किया हो दावा दखर किया गया हो तो उस अदालतमें यह तय करनेका अधिकार नहीं है कि दिवालियेमें किसी एक कर्तौल्वाइको दूसरेके मुकामल पावा दखर लग्य पहुँचानेका प्रयत्न किया है देखो—A. I. R. 1928 Mad 860.

यदि अदालत दफा ४२ के अनुगर दिवालियाको बहाल होनेका हुवन न देवे ता उमसे यह नहीं समझा जावेगा कि दिवालियाकी कारवाई समाप्त हो गई है और बिना अदालतकी आज्ञाके जैमाकि दफा २८ (२) म बतलया गया है कोई मुकदमा दिवालियेके विरुद्ध दखर न किया जासकेगा देखो—A. I. R. 1928 Rang 109 यदि अदालतकी आज्ञा लिय बिना कोई मुकदमा चलया गया हो तो वह चल नहीं सकता है देखो—110 L. C. 386 (1)

दिवालियेकी दारखास्त दिये जानेके पश्चात् दिवालिया अपने निमी कर्तौल्वाइका उचित रूपमें कर्तै अरु नहीं कर सकता है आर यदि इस प्रकार कर्तै कपया दिया गया हो ता उमका कोई प्रभाव रिसेवर पर नहीं होया देखो—78 L. C. 16.

दिवालियेकी जायदाद रिसेवरके अधिकारमें आजानेके पश्चात् रिसेवरही दिवालियेके कर्तोंको चुका सकता है । यदि दिवालियेमें या उसकी तरफसे किसी दूसरे व्यक्तिने कोई कपया रिसेवरम छिपाकर कर्तौल्वाइकी दिया हो तो यह कारवाई निक्कुल बेक्यायदा है और इस प्रकार जो कपया दिया गया हो वह रिसेवरको वापिस दिया जाना चाहिये पश्चर इतके कि अदालत आपसमें तसकिया (Composition) करनेके इजाजत देने देखो—A. I. R. 1926 Mad 1166

यदि दिवालिया निम्न बरयेषार दामकर्तौमें साझादार होवे तो उसके उस बरयेषार शराकताके हिस्सेपा रिमावका अधिकार समझना चाहिये देखो—A. I. R. 1924 Mad. 223.

जबकि किसी फर्मके शरीकदारोंमेंसे कुछ दिवालिया करार दे दिये जावें तथा कुछ दिवालिया करार न दिये गये हों तो रिसेवरका यह अधिकार नहीं है कि वह उस फर्म शराकतीके कुल माल पर अकेले ही कपया बर लेवे किन्तु वह दिवालिया न करार दिये हुए शरीकदारोंके साथ माल शराकतीका मालिक होगा और यदि रिसेवर चाहे तो दिवालिया करार दियो हुए शरीकदारके हिस्सेमें उत कर्मसे लेसकता है देखो— 42 Cal. 225 तन्वाहा भी इस दफाके अनुसार जायदाद मझन चाहिये देखो—21 L. C. 950

यदि किमी मिय द्वारा परिवारों। पिता दिवालिया करार दिया गया हा तो रिमीवर उस परिवारके समुक्त नावामिय लडकोंकी जवाबदारी पर भा ओर सर सत्ता है बर्नो नि पिताम कण व्यापार आदरे लिय न किया गया हो देखा— 44 All 310, 47 All 263; A. I. R 1926 Mad 52.

इसी प्रकार यह बात हुआ है कि यदि किमी समुक्त दिदू परिवारका कोई मन्वर दिवालिया करार दे दिया जावे और उसमें म म जायदाद हा व में उसने लडके व पारोका भा हक पत्रवता से तो रिमावर उस जायदादको उभा प्रकार आहूदा कर सक्ता। मम प्रकार वह मावर स्वयं अपने लामे लिय अहदा कर सक्ता था देवे—A I R. 1925 Pat. 127, A I R 1924 Mad 550 (A I R 1925 Pt) P 39) में यह तय हुआ था कि गो लडकेकी जवाबदारी परने दिदू लिखा कण लिखे जाने पर रिमीवरकी नर्मे समझा चाहिये कि तु किमी रितीवरको अधिार है कि वह वा कृपण जाणगणों लडकेके लिखे पर भी व ता यह समझने दृष्ट करते कि वापरा कर्ते सुसना लडकेका भी कर्ते है इतन मिय और भा देना—48 All 400, A I R 1926 All 262

ममान हाईकोर्टी पुनर्वचने यह तय किया है कि दिवालियेक लडकेका अधिमन हिमम रिमीवरकी सुपुर्दागमें नहीं जाता है। तु उसकी सुपुर्दागमें वापरा वह अधिवर आता है जो उते अपन लडकेकी जायदादका आहूदा करनेके लिखे गले हैं और इसी प्रकार रितीवर समुक्त दिदू परिवारकी कुल जायदाद देव सक्ता है देखा—A. I. R 1926 Mad 994, A. I. R. 1927 Mad 1

सीर व मौहसी काइत—किसी मालगुजारके दिवालिया करार दिने जाने पर उसकी सीरकी समीन रिमीवरके तहतम आजाता है कि तु उसमें मौहसी काइत नहीं आवेगी देखो—A. I R. 1924 Nag. 15b इस दफाके अन्तम दिवालियाकी मामकी (Occupancy holding) मान रितीवरकी सुपुर्दागमें नहीं जाती है आर अदायत दिव लिखामें उमके आहूदा करने आदिवा अधिार प्राप्त नहीं है देखो—43 All 510.

सरकारी या रेलवेके प्राविडेन्ट फण्ड—मे जा रकम मननरन दालिल कर्से जाती है वह जायदा दीजानीके अनुसार काल कुर्त नहीं है और इहालिय को गिावर भी जो इस एक्के अनुसार नियत किया गया हा ऐसी रकम पर अधिार कनेका हकदार नहीं है देखो—सेक्सेपी आफ स्पेड बनाम राजकुमार 50 Cal. 347.

इसी प्रकार पोलिटिकल पण्डन (Political Pension) भी अदायत या रिखेवरके अधिारमें नहीं जासक्ती यदि ऐसी पण्डनका कुछ हिस्सा अदा करनेका हुनम दिवालियाकी दिया जावे तो यह कानून अच्छा नहीं है देखो—4 I. C 145, 20 A. L. J 172

यदि कोई कर्त ऐसा दे जो इस एक्के अनुसार मायित नहीं किया जासक्ता है या कोई जायदाद ऐसी है जो दिवालियेकी नहीं है ता एमें कर्ते या जायदादके लिखे यह दफा लागू नहीं होगी देखो—39 All 204, 1925 A. I R Nag 77

उपदफा (२) अगम टेने सा एक्ट (Agra Tenancy Act) के लिखे लागू नहीं है इमलिखे लगान का दावा किया जासक्ता है आर उसकी डिमी इनायत कर्से जासक्ती है कि ता इस बात पर ध्यान दिव कि कोई परिवारके अदायत दिवालियामें है या नहीं देखो—L R 3 A. 339 (Rev) 44 All. 296.

उपदफा (२) में यह नहीं पतगया गया है कि कर्ताव्य कबल उर्ही कर्तावाहोके मिय होगी मिनतो मायिम पहुँच चुका हा या मय कर्तावाहोके मिय पण्डु अवधमें एक मामलेम यह तय हुआ है कि कर्ताव्य उर्हा कर्तावाहोके मिये सपक्षना चाहिये नि इ नोमिम हा चुका है उन ज्योगों मिये नहीं जिहे मायिम नहा मिया है देखो—25 I. C. 708.

उपदफा (३) कुर्कनी जान वाली जायदाद करीदारका देबोलेस व जाभिलियन हालन चाट्टिमे बरना वह दिवालिपि की जायदाद नहीं समझी जायगी अते कि यदि दिवालिपिया अपना कोई कर्ता रिता दुमोके हुकमे कर देवे आर वह दुसरा व्यक्ति दिवालिपिये कजेदारको कर्ता अपन हुकम होवेगी सूचना देन दो ऐसा सूचनासे दिवालिपिया आधिपत्य उम कजेस चला जायगा देखो—पुनि र बच् नमम भाष्य 25 Mad 406 इतो प्रका यदि दिवालिपिया कोई माल करी शकमे पाम मेजे तथा रेलेजे रलीद उसे ददेवे तो वह माउ दिवालिपिये कजे व जाभिलियन न समझा जायेगा देखी—पारलिपिया बरनाम धनम 38 Mad. 664.

यदि दिवालिपिये अपने शर्यत (Shares) किमी दूसरेके नाम कर दिने हा परंतु कोई बधनामा न उलिा गया हो या कयनका जापिस न दया गया हो तो वह शर्यत (Shares) दिवालिपियेके जाभिलियन समजे जावेगे आर उनके दिवालिपिया कयार दिने पर आधिकार एसायना (Official assignee) की सुदरगमे जायवेगे देखो—2 Bom 542.

उपदफा (४) इन उपदफामे अनुसार वह सब जायदाद भी जो दिवालिपियेके दिवालिपिया करार देनेके हुकमेके बाद तथा बहाल हालत पहिले प्राप्त होगी अर्थात् या रिहावरकी सुदरगमे जानविधि आर वह उपदफा २ के अनुसार नो जायवेगी देखो—दुसराद फाणिमा बरनाम सुम्पद मारु 44 All. 617. और भी दखा—कल्याचन्द बरनाजी बरनाम जगनाथ 101 I C. 442

इस उपदफाके आसार पर अजगल या रिहावरको अजिहार है कि वह दिवालिपिया करार दिने जानके बाद दिवालिपियेकी आमदनी या तनख्वाहाका कउ हिस्सा कयनखानके लामार्थे लनकर देलो—देवाणयाद बरनाम उ 40 All 213

उपदफा (५) इस उपदफामे यह बतयाया गया है कि वह सब चाने भा कानूनर हुके नहीं हा जासकती हैं, इन दफाके अनुसार जायदाद न समझा जायगी यदि वह अर्थात् या रिहावरकी सुदरगमे न आसकेगी परंतु हिंसायतन किनासे इस प्रकार बचित नहीं हैं ।

एके बुन्देलखण्ड लैंड एर्पीशन एक्ट (Bundelkhand Land Alienation Act) की दफा १६ के अनुसार जगलत पेसाक अदमीकी जायदाद हुके नहीं हा जायवेगी इसलिये वह रिहावरकी न होगी देखो—दुसराद बरनाम हुयनसयन 42 All 142, तेनादि बरनाम गयनसयन A I R 1920 All 467 मूजे आरधम गोलिया कान रिहावरकी न होगी और अर्थात् दिवालिपियेकी उत का हालतन पहिलेकी अवस्था न होगा दखा—अलकामरत सयन गच्छति 43 All 510.

सत्तसि या रेवेन्ये म प्रविडट फंड (Provident Fund) रिहावरकी सुदरगमे न जावेगा ।

उपदफा (६) मरुदूत करीदार पर इन दफामे कोई प्रभाव नहीं पढता अथवा अजिहार है कि वह पिन प्रकार चाहे अपना कामान वमूल न सता है देखो—अनसुद व बरनाम नदराम 43 All 555

उपदफा (७) इस उपदफामे कयाया गया है कि दिवालिपिये करार दिने जान वाले हुकमेका प्रभाव उन तीजिन समझा जावेगा जिन तलाकको दिवालिपियेकी दरखारत दा गई हो अत दिवालिपियेके दरखारत दिने जानेके बाद दिवालिपिया कोई अधिकात अपना जायदाद अजहिदा करवेना नहीं रह जाता देखो—गिननाथ बरनाम सु 42 All 433.

दफा २९ चालू कारवाइयाँका रोका जाना

अगर किसी अशकलतमें दिवालिपियेके खिलाफ कोई मुन्द्मा या कोई दूसरी या चाई चल रही हो और यह ज्ञात हो जावे कि इन एक्टके अनुसार दिवालिपिया करार देने वाला हुकम

हो चुका है तो वह या तो उस कार्यवाहीको बंद कर देगा या उन शर्तों पर चालू रखेगी जो उसे मुनासिब मालूम होंगे ।

व्याख्या—

यह दफा नहीं है हमसे पहिले यह बतलाया जा चुका है कि दिवालियोंके विरुद्ध कोई नया मुकदमा नहीं चलाया जायेगा इस दफामें यह बतलाया गया है कि यदि कोई मामला या मुकदमा पहिलेसे चल रहा हो न उसके परन्तु दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म दिया गया हो तो ऐसे हुक्मकी सूचना मिलने पर उस मामलेकी सुनने वाली अदालत या तो उसका सुनना बंद कर देगी या उचित शर्तोंके ऊपर उसकी समाप्त करती रहेगी । अदालत उसी मामले या शर्तोंकी गणना करता है या उस पर शर्तें लगा सकती है जो उसके मामले पर हों तथा उसी समय ऐसा करेगी जब यह धारित कर दिया जावे कि दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म दिया जा चुका है देखो—A. I. R. 1925 Mad 1051-48 Mad. 750.

यदि किसी कर्जकी बसुलाका मामला चल रहा हो और मुकदमा दिवालिया करार दे दिया जावे तो यह अर्जेंट होना कि वह मामला रोक दिया जावे तथा कर्जकारकी अपना कर्ज अदालत दिवालियामें साबित करनेके लिये छोड़ दिया जावे देखो—34 All 106.

इस दफाके अनुसार मामलेको रोक देनेसे यह अभिप्राय है कि जिसमें कर्जकारकी अदालत दिवालियामें अपना कर्ज साबित करनेका अवसर मिल सके परन्तु कर्जकार अथवा ऐसा चाहे तो कर सकता है वरना यदि न चाहे तो उसी मामलेको चालू रखनेके लिये अदालतसे बंद सकता है देखो—उपर उगीक वनाम अवालियाद A. I. R. 1924 Nag. 300

जबकि कोई फीक दिवालिया करार दे दिया जावे तो अदालतकी चाहिये कि दूसरे फीकमें हुक्म देवे कि आक्रिय रितीवारको वह 'फीक मुकदमा' बना लेवे और यदि आक्रिय रितीवार फीक मुकदमा न बनना चाहे तो अदालत निन शर्तों पर चाहे मुकदमोंको सुन सकता है देखो—A. I. R. 1926 1146.

दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म होनेके परन्तु यदि दिवालियोंकी जायदार दावानीकी किमी इतराव किमी द्वारा बंधी गई हो और उसकी सूचना रितीवारको न दी गई हो तो ऐसी इतरावने नीजाममें खरीदने वाला कर्ज इकठ्ठा न होगा और रितीवारको अज्ञान है कि वह अदालत दिवालियामें दफ्तारात देकर ऐसे बंधे जानेका मसूदा क्या देवे । देखो—44 Mad. 524.

इस दफाके अनुसार परन्तु केवल उन्हीं मामलोंके लिये नहीं की जावेगी जो दिवालिया करार दिए जातेसे पहिले दायर किये गये हों किन्तु उन मामलोंके लिये भी की जावेगी है जो उसके बादमें दायर किये गये हों परन्तु इतना दरअसल कोई इस दायर करते समय न रहा हो । देखो—A. I. R. 1924 Nag 300.

इस दफामें यह साफ तौर पर प्रकट है कि मामलोंको समाप्त आदिना कोई प्रथम उस समय तक टकराये न होनेका खन तक कि दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म न दे दिया जावे देखा—A. I. R. 1926 Mad. 432. इस तौर पर यदि कोई दिवालियोंकी दरदवास्त देदी गई हो परन्तु उस पर दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म न दिया गया हो तो केवल इतनी बातसे एतया विकीकी कारवाही बंद नहीं की जातेगी देखो—A. I. R. 1924 All. 707.

इस दफामें यह साफ नहीं किया गया है कि अदालत किस प्रकारके मामलोंकी समाप्त रोक देगी तथा किस प्रकारके मामलोंको चालू रखेगी यह बात अदालतकी इच्छा पर ही छोड़ दी गई है तथा जिस प्रकारका मामला हो या किसी सूत्र अथवा अवसर पर समझ पड़े विला करेगा अधिकार अदालतके पास है इस प्रकार अदालतके मामलों या हुक्म एतना अधिक

मामलेमें चाहू रखनेका हुक्म देनाही उचित प्रतीत होता है जर्चें जानगी (Maintenance) का दवा बत वक्त घुसालेहके विरुद्ध चाहू रखा जासकता है जबकि रिपीवर भी घुसालेह बना लिया जाये देयो—A. I. R. 1927 Mad 403. इस दफामें जो दूसरी बार्निवाईका चिक है उससे तात्पर्य उस बार्निवाईसे समझना चाहिये जो घुसालेहके तौर पर हांवे या ना किसी घुसालेहके दौगानमें कीगई हो देखो—A. I. R. 1928 Cal. 782 (F. B).

दफा ३० दिवालिया करार देने वाले हुक्मकी मुश्तरी

१ दिवालिया करार देने वाले हुक्मका नोटिस सरकारी प्राप्तिक गजटमें या अन्य किसी नियत किये हुए रूपमें प्रकाशित किया जावेगा और उस नोटिसमें दिवालियेका नाम, पता व पेशा रहेगा तथा उस मियादका भी उल्लेख रहेगा जिसके भीतर दिवालियेको अपने बहालकी दरखास्त दे देना चाहिये और उसमें उस अदालतका भी नाम होगा जिसने उसे दिवालिया करार दिया हो ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार दिवालिया करार दिये जानेके पश्चात् इस हुक्मका सरकारी गजट या अन्य किसी निर्धारित रूपसे प्रकाशित किया जाना आवश्यक बनलया गया है तथा यह भी बतलया गया है कि वक्तमें निम्न लिखित गतें प्रकाशित की जाना चाहिये ।

- (१) दिवालियेका नाम पता व पेशा
- (२) दिवालिया करार दिये जानेकी तारीख
- (३) वह मियाद जिसके अन्दर दिवालियेको नहाल होनेकी दरखास्त देना चाहिये, और
- (४) उस अदालतका नाम जिसने कि दिवालिया करार दिया हो ।

नोट —यदि दिवालिया करार दिये जाने वाला हुक्म गजटमें प्रकाशित होनेसे रह जावे तो यह बेबल बनतीकी सम्झना चाहिये तथा इसकी वजहसे दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म रह नहीं समझा जावेगा या उसका अमर नहीं जाता रहेगा देखो—10 P R. 1900.

दिवालिया करार दिये जानेके बादकी कार्रवाई

दफा ३१ दिवालियेकी रक्षाका हुक्म

(१) दिवालिया करार दिये जानेके बाद दिवालिया अपनी रक्षाके लिये अदालतमें दूर घुसालत देसकता है और अदालत उस दरखास्त पर दिवालियेको कैद व हिरासतसे बचानेका हुक्म दे सकती है ।

(२) रक्षाका हुक्म कर्जदारके सब कर्जोंके लिये या उसके किसी एक कर्जोंके लिये दिया जासकता है जैसा कि अदालत उचित समझे और यह हुक्म उस वक्त व उतने समयके लिये लागू होगा जिसके लिये अदालत हुक्म देवे और अदालत उस हुक्मको रह कर सकती है या और बढ़ा सकती है ।

(३) जिन कर्जके सम्बन्धमें रक्षाका हुक्म दिया गया हो उसके लिये दिवालिया अंल या हिरासतमें नहीं रहेगा और अगर कोई दिवालिया ऐसे हुक्मके विरुद्ध क्रैद किया गया या रोका गया हो तो वह छोड़ दिये जानेका दफ्तार होगा ।

परन्तु शर्त यह भी है कि इस क्रिमका कोई हुक्म जबकि वह मंजूर कर दिया गया हो या जबकि दिवालिया करार देने वाला हुक्म रद्द कर दिया गया हो कर्जखवाहके अधिकारोंके प्रयोगमें रुकावट नहीं डाल सकेगा ।

(४) हर कर्जखवाहको अधिकार है कि वह हाजिर होकर रक्षाके हुक्मकी मंजूरीकी सुखालिफत करे ।

व्याख्या—

पिउले एक्टके अनुसार दिवालिया करार दिये जातेहैं दिवालिया विना किसी दरवास्त आदिके दिये हुए ही हिरासत आदिने बचनम इन्हारा हो जाना था परन्तु इस एक्टके अनुसार दिवालिया करार दिये जानेके बाद दिवालियाके दरवास्त देने पर यदि अलाउ चार्जे ती उरारी रक्षा हुक्म दे सकता है । इस दफ्तार प्रयोग दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म है आनेक पश्चात् ही लिया जावेगा देखो—A I R 1924 Mad 893

इस प्रकार दिवालिया करार दिये जानेके बाद दिवालिया अपनी रक्षाके लिये अदालतमें दरवास्त दे सकता है ।

ऐसा स्पष्ट होता है कि इस एक्टके अनुसार रक्षार्थ इमानई हुक्म नहीं दिया जासकता है जो दफा २३ के अनुसार कर्जदार दिवालिया करार दिये जानेमें पड़िले ही क्रैद या हिरासतसे छूट किये जानना अनिर्णीत है । देखो—A. I. R. 1926 Cal 1011 में यह तप हुआ था कि जब तक दिवालिया प्रारंभ दिये जानेका हुक्म होनासे तब तक रक्षाके लिये हुक्म दत्तनाई नहीं जारी लिया जासकता है ।

इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि अदालत दिवालिया करार दिये जानेके बाद रक्षार्थ हुक्म देनेके लिये नाप नहीं है अपितु वह अपनी इच्छानुसार हुक्म दे भी सकती है तथा उसके देनेसे दत्तार भी कर सकती है । रक्षार्थ हुक्म देने समय अदालतको चाहिये कि उपस्थित अवस्था तथा दिवालिया दाय क्रिये हुए कार्योंम ध्यान रहे और यदि दिवालियेने बेईमानी व बर्नीयतीसे किचल खर्च आदि करके अपनी यह दशा करली हो तो अदालत ऐसी दशामें रक्षार्थ हुक्म नहीं देवेगा देखो—40 Bom 461.

उपदफा (२) अदालतको यह भी अधिकार है कि वह रक्षार्थ हुक्म किसी एरही कर्जके सम्बन्धमें देवे या दिवालियाके सब कर्जोंके सम्बन्धमें दे देवे अदालतको अपने हुक्ममें यह दिखना देना चाहिये कि रक्षार्थ हुक्म सब कर्जोंके लिये दिया गया है या किसी खास कर्जके लिये दिया गया है यदि हुक्ममें कोई ऐसा बजेट न हो तो यह समझना चाहिये कि रक्षार्थ हुक्म सब कर्जोंके लिये है ।

अदालतको यह भी अधिकार है कि वह रक्षार्थ हुक्म किसी खास शिपार्देके लिये देवे तथा यह भी निश्चित कर देवे कि कप्तने वर रक्षाके हुक्मका प्रयोग समझना चाहिये अदालत अपने रक्षाके हुक्मको रद्द भी कर सकती है व साथही वदा भी सकती है । रक्षार्थ हुक्म जो दत्त दफ्तारके अनुसार दिया जावेगा वह केवल उन्हीं कर्जोंके सम्बन्धमें हो सकता है जो इस एक्टके अनुसार स्थापित किये जासकते हैं देखो—हीरालाल ननाम तुम्सीराम A. I. R. 1925 Nag 77.)

उपदफा (३) कर्जखवाहको अधिकार है कि वह रक्षार्थ हुक्म देवे समय उपस्थित होकर उस हुक्मके देनेमें विरोध करे । इस उपदफामें यह बात स्पष्ट है कि रक्षार्थ दरवास्त पर विचार करनेसे पहले उसकी सुचना उम कर्जखवाहको

भी हो जाना चाहिये जिनका उन दरवाजाने समर्थ है देखो—25 C L J 456, 25 C. L J. 149. कन्यावाहन रखाया दरवाजाना विषय उस पर हुक्म होनेसे पाइबेरी कर सन्ने है हुक्म होमानक परवान् वह हाजिर होकर उदरा विरोध नहीं कर सक्के ।

अदालत दिवालियाओ तरफसे कर्जे (Crown debts) के सम्बन्धमें रखाया हुक्म देनेका कोई अधिकार नहीं है देखो—A. I. R. 1928 Rang 81=109 I C 145

दफा ३२ दिवालिया करार दिये जानेके बाद गिरफ्तारीके अधिकार

अगर दिवालिया करार दियेके बाद कोई कर्जदारगृह या रिसीधर इन बातकी दरखास्त देवे कि दिवालिया छिप रहा है या अदालती अधिकार सीमाले बाहर इस इरादेसे चला गया है कि जिसमें वह अपने कर्तव्यकी पूर्तिके लिये बाधित न किया जासक या इस एक्टके अनुसार कोई कार्रवाई उसके बिच्छ न की जासके और अदालतकी एसी दरखास्त पर यकीन हो जाये तो उसे अधिकार है कि वह दिवालियाकी गिरफ्तारीके लिये वारण्ट जारी कर सकती है इसके पश्चात् दिवालियाके हाजिर होने पर या उसके गिरफ्तार होने पर अगर यकीन हो जाय कि वह छिपा हुआ था या ऐसी इच्छासे भागा हुआ था तो उसे जमानत आदि की उन शर्तों पर छोड़ सकती है जो उचित व आवश्यक प्रतीत हों और अगर जमानत न दी जाये तो यह हुक्म दे सकती है कि वह दीवानीकी जेलमें रखा जाय लेकिन यह हुक्म तीन महीने तकके लिय दिया जा सकता है ।

टिप्पण्य—

दिवालिया करार देनेके बाद अदालत आज्ञाप्रता प्रतीत होने पर दिवालियाको गिरफ्तार कर सकता है तथा उसे जेल दीवानीमें भी तीन माह तक रख सकती है परन्तु यह कार्रवाई अदालत उर्मा समय कमी जबकि गिरीवर या कोई कर्जदार उसके लिये या भागनके सम्बन्धमें दरवाजाने देते तथा अदालतको भी विगम हो जाये कि दामन दिवालिया उसके अधिकार सीमाले बाहर जाना चाहता था जिसमें वह अपने कर्तव्योंकी पूर्तिके लिय वाध्य न किया गामके तो अदालत उसके गिरफ्तार होनेका हुक्म देलगी परन्तु गिरफ्तार हानके बाद भी अदालत जमानत देकर या किसी दूसरे दफते यह विवदात होजाने पर कि दिवालिया भागेगा नहीं किन्तु अपने कर्तव्योंका पूर्तिके लिय प्रस्तुत रहगा उसे मुक्त कर सकती है ।

अदालत इस दफाके अनुसार कार्रवाई करनेके लिये वाध्य नहीं है किन्तु वह अपनी इच्छानुसार समयानुसृत हुक्म दे सकता है जिसमें कि दिवालेज कार्रवाइमें भी कवायद न पड़े तथा दिवालियाको भी गिरी गफार बना तथाकेसे परेशान न हाना पड़े

दफा ३३ कर्जखानहानकी सूची

(१) जबकि इस एक्टके अनुसार दिवालिया करार देनेका हुक्म दिया जाचुका है तब यह सब कर्जखान जो इस एक्टके अनुसार अपने कर्जे साधित कर सकते हैं अपने अपने कर्जोंके लिये सुवृत्त पेश करके कि उनका कितना कर्जा है व किस क्रमका कर्जा है और अदालत अपने हुक्म द्वारा यह निश्चित करेगी कि कौन २ लाँगोंने अपनेको कर्जदार साधित किया है और उनका कितना कितना कर्ज है इन लोगोंकी व उनके कर्जकी एक सूची तैयार करेगी । परन्तु अगर अदालतकी रायमें किसी कर्जकी सदाई डीरु तौरपर निश्चित नहीं की जासकती है तो अदालत इसी क्रमका हुक्म लिख देगी और इस पर वह कर्ज सूचीमें सम्मिलित नहीं किया जावेगा ।

उपद्रफा (१) इस प्रकारके अनुसार दो प्रकारके कर्जों हैं जो सावित नहीं किये जा सकते अर्थात् एक वे कर्ज और सिम्मेदारिया जिनकी वसूला अदाग अदालत द्वारा नहीं लगया जा सकता और जो इसी कारण सुचारु निष्कल दिये गये हैं दूसरे वे कर्ज जिनका दर्जा निश्चित नहीं किया गया है या घुआदिदा शिकमी व अमानमें लयानत सम्बन्धी कर्जों सावित किये जा सकते हैं उदाहरण स्वरूप हमें आदि सम्बन्धी कर्जों में ऐसी मांग समझना चाहिये किन्तु कि कर्जों निश्चित नहीं किया गया है तथा महर सुवचन (Deferred dower) भी सम्बन्धित करने योग्य कर्जों नहीं हैं क्योंकि यह भविष्य होने वाला कर्ज है और यह नहा कदा जातकता कि वह कर्ज होवेगा या होवेगा ही नहीं देखो—50 I C 774.

उपद्रफा (२) उन दो प्रकारके कर्जोंको छोड़ कर जिनका उल्लेख उपद्रफा (१) में किया जा चुका है बाकी सब कर्ज व सिम्मेदारिया (चाहे वह मौज्जा हों या भविष्यमें होने वाला हों चाहे वह निश्चित हों या अनिश्चित) सावितका जान योग्य है बशर्ते कि कर्जदार दिवालिया करार दिये जाने समय उनका पाबन्द हो या बहाल होनामें पहिले उनका पाबन्द हो जावे और यह पाबन्दी दिवालिया करार दिये जाने वाले हुकमसे पहिले किये हुए कामके कारण हुई हो यदि वे हैं सिम्मेदारी दिवालिया करार दिये जानेके बाद हुई हो तो वह इस प्रकारके अनुसार सावित नहीं की जा सकती है देखो—48 I C 913.

यदि भाँटे ३४ रूल ६ के अनुसार किसी न वनवाई गई हो अर्थात् यदि रहनरामके कर्जोंका मतान्दके किये किन्ती न वनवाई गई हो किन्तु वह मतान्दका निष्कर्षता हो तो कर्जदार ऐमे कर्जोंके सावित करनेमें बाधित नहीं रहा जासकेगा । कर्जदार दिवालियेके लिये यह सावित होना आवश्यक है कि कर्ज दरअमल निष्कर्षता है देखो—A. I. R 1925 Pat. 438 यदि दिवालियाने कोई कदा दिवालिया करार दिये जानेके बहुतदम बाद किया हो तो ऐसे कर्जोंके सावित नहीं किया जासकेगा परन्तु इस रूलके सम्बन्धमें अहदा कर्जोंकी जासकेगी देखो—A I R 1925 Oudh 668.

दिवालिया करार किये जानेके बाद यदि दिवालियेमें कोई सिम्मा निष्कर्षता हो तो उस सिम्मेके किये यह नहीं माना जावेगा कि वह दिवालिया करार दिये जाने समय निश्चयता था और इस कारण इस प्रकारके अनुसार सावित नहीं किया जासकेगा है देखो—A I R 1922 Oudh 73.

जबकि किसी सयुक्त हिन्दू परिवारका एक मकर दिवालिया करार दिया गया हो तो कर्जोंका कर्ज चाहिये कि अपना पूरा कर्ज (Joint debt) अदालत दिवालियामें सावित करे और वह उस सयुक्त कर्जका दिवालिया व अदा दिवालिया मन्तमें वाद कर अहदा नहा दिखलाव देखो—A. I. R 1925 Nag 257.

दिवालिया करार दिये जाने वाले हुकमकी मसूखी

दफा ३५ दिवालिया करार दिये जाने वाले हुकमकी मसूखीके अखितयार

जबकि अदालतको समयमें किसी कर्जदारको दिवालिया करार नहीं देना चाहिये था या जबकि अदालतको यकीन हो जावे कि कर्जदारके सब कर्ज पूर्ण रूपसे चुकता हो गये हैं तो कर्जदार या किसी दूसरे सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तिने दरखास्त देने पर अदालत लिखकर दिवालिया करार देने वाले हुकमकी रद्द कर देगी और अदालत रद्द ही या रिसीवर अथवा किसी कर्जदारके दरखास्त देने पर भी दिवालिया करार दिये जाने वाले हुकमको उस समय रद्द कर सकती है जबकि कर्जदार अपनी ही दरखास्तके कारण दिवालिया करार दिया गया हो परन्तु यह दफा १० (२) के अनुसार ऐसी दरखास्त देनेका अधिकारी न होवे ।

व्याख्या—

इस दफा में नीचेका हिस्सा इस एक्टके बम जानेके पश्चात् जोड़ा गया है अर्थात् दिवालिन् सशोधक एक्ट न० ९ सन् १९२७ ई० के अनुसार यह भाग सम्मिलित किया गया है । दिवा लिया करार दिने जान बाल हुक्मकी मसूखीके लिये दो बातें बतलाई गई हैं एक (१) तो यह कि जब अदालतकी रायमें दिवालिया करारही नहीं दिया जाना चाहिये था (२) यह कि जब दिवालियेके सब कर्जे पूरा रूपसे चुका दिये जावें । परन्तु अब सशोधित एक्टके अनुसार उस समयभी इस हुक्मकी रद्द किया जासकेगा जबकि अदालतकी रायमें कर्जदारको दफा १० (२) के अनुसार दरखास्त देनेका हकही न रहा हो । किन्तु ऊपर कही हुई बातों बानों या दो म से एक भी बावक साबित होने पर अदालत दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी रद्द करनेके लिये बाध्य है परन्तु इन सशोधित भागके अनुसार हुक्मका रद्द करना तथा न करना अदालतके अधिकारमें है ।

दिवालिया यह नहीं रह सकता है कि नूकि कर्जदारको सूचना नहीं दी गई है इस कारण मसूखीका हुक्म उचित नहीं है दफा—A I R. 1926 Mad 123.

इन दफाक अनुसार हुक्म रद्द किये जानेका दरखास्त दिवालिया रजय भी दे सकता है तथा दूसरे लोग भी दे सकते हैं अर्थात् रिश्तेदार कर्जदारके तथा अन्य कोई व्यक्ति जिसका मसूखीके हुक्ममें लाभ पहुँचता हो ऐसी दरखास्त दे सकता है । अदालत रजय भी बिना किसी दरखास्तके अपने हुक्म रद्द कर सकता है । दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म थोड़ा देरीकी बिना पर अथवा इस बिना पर कि अदालती बर्तव हैसे बेना फायदा उठाया गया है मसूख किया जासकता है देखो—44 Cal. 899. इस बिना पर भी मसूख किया जासकता है कि अदालत दिवालियाने उसकी अधिकार सीमा न होते हुए वह हुक्म दे दिया था देखो—समकमल बनाम बैंक आफ बंगाल 5 C W N 91

इस बिना पर भी मसूख किया जासकता है कि वह हुक्म दिया ही नहीं जाना चाहिये था क्योंकि जिस दिवालियेके कामके आधार पर वह हुक्म दिया गया था वह दरअसल मौजूदी नहीं था देखो—A. I. R. 1926 Mad. 1159.

यदि कोई बच्चा (Infant) दिवालिया करार दे दिया गया हो तो अदालत ऐसे हुक्मकी रद्द कर देगी देखो—18 A L J 611.

इस दफा में अदालतसे बेना लाभ उठानेका कोई उल्लेख नहीं है और इसीलिये यदि दिवालिया इस एक्टकी सब शर्तों को पूरा करे जिनसे कि वह दरखास्त देनेका अधिकारी समझा जासके तो यह नहीं कहा जावेगा कि उसने अदालतकी कार्यवाही से बेना फायदा उठाया है इसी कारण यह दफा ३५ के अनुसार दिवालिया करार ही नहीं दिया जाना चाहिये था । जब कि दिवालियाने अदालत द्वारा नियत की हुई मियादके आदर नहाल होने की दरखास्त दा हा और सब जग ऐसी दरखास्तों मसूख न करे तथा अर्पण किये जाने पर जजने भी नहालकी दरखास्त मञ्जर न की हो तथा वह दिवालिया करार दिये जान वाले हुक्मको भी रद्द कर देने तो यह तय हुआ कि जज हा ऐसा हुक्म उभरक अधिकारसे बाहर था देखो—A I R. 1928 Mad 609

कर्जे अदा हो जाने पर हुक्मकी मसूखी उसी समय हो सकेगी जब कि जब जजे पूर्ण रूपसे चुका दिये गये हों 38 Bom 200 बास्के सूदकी भी कर्ज ही समझना चाहिये और यदि यह बादशा सूद अदा न हुआ हो तो कर्जका पूर्ण अदागमी न समझा जावेगी देखो—48 All 273

यदि दिवालियाने अपने कर्जदारको बाहरा तौर पर यह तय कर लिया हो कि वह इन लोगोंको उनके कर्जोंका चौथाई अदा कर दगा तथा वह लोग उसी चौथाईसे अपना पूर्ण कर्ज चुकाय समझनेवाले तो ऐसे समझौतेके कारण दिवालिया करार दिये जानना हुक्म नव दफाक अनुसार रद्द नहीं किया जासकता देखो—43 Mad 71

इस दफ्तों यह नहीं बननाया गया है कि कर्जों पर पूर्ण अदायग किम प्रसा हावा चाहिे अर्थात् दिवालिया स्वयं भी उन कर्जोंगे अदा कर सकता है अथवा कोई दूसरा व्याप्त भी उसी ओरसे सब कर्जोंका अदायग कर सकता है। इस हुक्मके अतिरिक्त अदालत द्वारा दिये जानेवाले हुक्म और दफ्तारोंके आभाव पर भा. मसूख मिया जासकता है दली—२१३ ४३, ३९ व २६ दिवालिया कया। दो गानक हुक्मकी मसूखी मिल कर की जाना चाहिये।

इस हुक्मका मसूखीका अमर वह नहीं होता है जो बहानक हुक्मका हुक्म हुआ जाता है देखो—A. I. R. 1926 Lab 489 इस दफ्तके अनुसार दिये हुए हुक्मका अन्तक दफा ७८ (२) तथा सिङ्गल १ व अनुया। परिशेषी का जामता है।

दफा ३६ एक साथ दिये हुए दो दिवालेके हुक्मको मसूख करनेका अधिकार

अगर किसी मुकद्दमेमें दिवालिया करार देनेका हुक्म दिया जाचुका हो और हुक्म देने वाली प्रगतिको यह स्थायित हो जाय कि उसी कर्जदारके खिलाफ दिवालेकी कार्रवाई किसी दूसरी प्रगतिके चल रही है और उस दूसरी प्रगतिके द्वारा कर्जदारकी जायदाद सुविधाके साथ तकसीम की जासकती है तो उस प्रगतिको अधिकार है कि वह दिवालिया करार देने वाले हुक्मको मसूख कर देव या दिवालेकी कार्रवाईको रोक देव।

व्याख्या—

इस दफ्तके यह बतलाया गया है कि यदि दिवालिया करार देनेका हुक्म देने वाले अदालतके यह मानित हो जाय (१) कि किम दूसरा अदालतके भी उसी दिवालियाके खिलाफ विवालेकी कार्रवाई चल रहा है तथा (२) यह कि उस दूसरा अदालतका सुविधा पूर्वक दिवालियाकी जायदाद वापसका अवसर है तो एसा दशमे में या तो यह अदालत अपने हुक्मके रद्द करेगा अथवा अपने यह उस दिवालेके साथ इस सब कार्रवाईको रद्द कर देगी। इस दफ्तका यह नहीं बतलाया गया कि इस दफ्तके अनुसार हुक्म रद्द करनेका दफ्तारान्त मत देव परन्तु दफ्तके यह बात स्पष्ट है कि दिवालिया या कर्जदारका दाना या इस दफ्तके अनुसार कार्रवाई करके लिये अदालतके यह सक्त है तथा अदालत स्वयं भा ऊपर बतलाई हुई दोनों बातोंके मानित हान पर कार्रवाई कर सकता है।

अदालत इस दफ्तके अनुसार हुक्म दबने। तब वा य नडा है इमक अनुसार हुक्म रना अदालतका कर्ज पर निर्भर है।

जब एक वार्डे व्याप्त या अदालतों द्वारा अलग अलग दिवालिया करार द दिया गया हो तो पहिले दिवालिया करार दया वाला अदालत द्वारा नियुक्त किया हुआ रिवाले दिवालिया जायदादका अतिरिक्त समझा जावेगा तथा दुवाया दिये। तबका करार। दोरे मानना हुक्म हो जासक कथा उसका अधिकार इत नडा जावेगा। परन्तु अब कि यह मालूम पड कि बादके दिवालिया करार देने वाली अदालत सुविधा पूर्वक दिवालियाकी जायदाद वापस करती है तब दिवालिया करार दिये जाने वाले पहिले हुक्मके रद्द किया जासकता है दली—42 Mad. 121.

एक दूसराका नाम दिवाला, गजर्जिवा, अमुकद व कयायमे होता था तथा उसका कर्जदारका भी इस नगद पर थे। इस दूसरेके मासिकगत राबलियाके दिवालियाकी दस्तबास्त ता उसका बाद एक कर्जदारका भा इसा मानत दरखास्त दिखाने का। गवलेलियाका अदालत दिवालियाके लिये। ता रिवाले विवक्त कर दिया। कर्जदारके लिये तब यह दरखास्त दी कि उसका मासिक वहात राबलियाके भेज दिया जावे। यह मान भा दागतमें मालूम हुई कि दिव्य दशमका रज्त १७०००) १० के लगभग था व गवलेलियाकी वापसका ४०००) ४० के लगभग ही था यह भा सविन हुआ कि कर्जदारका अथवा कर्जदारका जायदाद दिखी हा में है तथा उ होने दिवालियाके दस्तबास्त दोने उड हा पहिले अपनी दिवाली जायदादका एक बडा भाग

अपन कथा सम्बन्धी लिख दिया था । यह भा. पाता लगा कि रावलपिंडाके कर्मशाहानने फर्जदामे कुछ समझौता कर लिया हे भार वह लोग सम्बन्धीका जायदादसे अपने कर्जोंका मोडा हिस्साही चुकानेमें लेने का प्रयत्न हा गये हे—अन वारिण्यत पर हाईकोर्टे लाहौरन यह तय किया कि दिवालियेकी वार्डवाई दाना अज्ञानमें उलूह तथा यह नये नये नई अज्ञानमें तब तय करेंगी कि उनमसे किस अपना दिवालिया करार दिय जानेका हुकम मजूस परना चाहिये देला—
A I R 1928 Lah 848-109 I C 648

धृता ३७ मंसूखीके बादका कार्रवाई

(१) जबकि कोई दिवालिया करार दिये जानेका हुकम मंसूख कर दिया जावे तो वह सब बयनामे व जायदादके तकसीमनामे व यह सब रूपयों की अक्षय्यो तथा मृत सब कामजो इस मंसूखीके हुकमसे पहिले किये जाचुके हैं ठीक समझे जावेंगे । परन्तु ऊपर दी हुई बातको मानते हुए दिवालिया करार दिये जाने वाले कर्जदारकी जायदाद उस शर्तकी भिलगी जिस अर्थ तक नियुक्त करे या अगर ऐसा कोई व्यक्ति नियुक्त न किया जावे तो वह जायदाद कर्जदारही को उस हद तक उन शर्तोंके साथ जो अदालत अपने लिखित हुकम द्वारा घोषित कर व पिसे चली जावेगी जिस हद तक कर्जदारका हक व हिस्सा उस जायदादमें पहुँचता हो ।

(२) दिवालिया करार दिये जाने वाले हुकमकी मंसूखीका नोटिस प्रान्तिक सरकारी गजटमें तथा अन्य किसी नियत किये हुए ठगसे प्रकाशित किया जावेगा ।

व्याख्या—

यस दुकामें यह बतगया गया हे कि दिवालिया करार दिये जाने वाले हुकमका मसूजीमे पाहने अशुद्ध या मिश्रान नित बाधाको कर चुकना वर सब काम बन्दना ठीक मान जात्रग तथा मसूखीका हुकम हात हा एव जायदाद दिवालियासे वापिस नहीं मिल सकेगा किन्तु अदालतको चाहिये कि कर्मशाहानके हकोंका रक्षाका तय मसूखीका हुकम देत समय किसा एम ध्यानका नियुक्त कर दब जा जायदाद पर बन्धा न सके देला—A I R 1926 Lah 370, A I R. 1925 Sindh 159

पर तु जब कि अदालत द्वारा जायदाद पर कब्जा लेने किये जाई एम व्यक्ति नियुक्त न दिया गया ही वर वह जायदाद दिवालिये ही को वापिस मिल जात्रगा । यदि मातरक पास मा उत समय कोई जायदाद मची होवो वर भी दिवालिया हा का वापिस मिल जात्रगा । जब कि दिवालियाका कोई जायदाद या लहना मसूखीमे पहिले ही बन्द हो चुका हा ता उसक किये जाई सहायता नहीं हे कि तु रिवाजका खर्च आदि मिश्रालेके परचात् नो भवेगा दिवालिया उमके कानेका अधिकारी है दली—मुन्चद वनाम एनजर A I R 1925 All 735, अरुविरी वनाम आकिशल रिवाकर 98 I C 1000

यदि दिवालिये वार्डवाईके दौरान रिवाज दिवालियेक हास हायेके विरुद्ध दिवालियेके भागके लिये दावा करे और इनक बाद दिवालियेकी वार्डवाई मसूख करदा जाव ता इससे वह दावा समाप्त नहीं हो जावेगा कि तु दिवालियेकी अधिकार है कि वह उस दावेकी उम समय अपने नामस चालू रख सक देवो—41 All 200

किसी कर्मशाहकी दखलास्त पर दो भाई दिवालिये करार दिये गये उ हौन नियत किये हुए समयके अंदर दंडाल होनेकी दखलास्त नहा दो इस कारण अदाअना दफा ४३ के अनुसार दिवालिया करार दिये गये वाले हुकमकी मसूख कर दाया आम इसके परचात् जगमे दफा ३७ के अनुसार उनमसे एकका जायदादकी मा रिवाजके अधिकारमें आगई थी

उसको वापिस कर दिये जानेवा हुवम दे दिया। परन्तु अर्पात्ममें यह हुवम हुआ कि जायदाद पुगने सिर्सावरके अधिकायमें रखा जासकतो थी। पहिले इसके कि कर्जस्वाह कोई वाग्बाह करे उस पुगने सिर्सावरने जायदादको बँच डाला तथा उसे सूचिके कर्जस्वाहानमें दिख्य रसदीस तकभोम, ११ दिया—आदर हाईनेटने यह तय किया कि जायदादका बँच जाना तथा उसका रसदी नौरसे बाटा जाना कानूनन उचित है देखो—A. I. R. 1928 Lah 453

उपद्रका (२) में बतलाया गया है कि मसूजीका हुवम प्रान्तिक मरगाई गजटमें अवश्य प्रकाशित किया जाना चाहिये तथा निर्धारित निय हुए किसी दूसरे रूपमें भी उगे प्रकाशित कर देना चाहिये। मसूजीका हुवम होति समय दिवालिये की जायदादका कि ईश शर्तोंके साथ दिवालियेको मिलनेके लिये जो हुवम किया जान उसरी अर्पात्म हाईकरमें दफा ७५ (२) व शिष्टयुक्त १ के अनुसर हो सकता है देखो—100 I. C 137.

तसफिया तथा तय करनेका तरीका

दफा ३८ तसफिया तथा तय करनेका तरीका

(१) अगर कोई कर्जदार दिवालिया करार दिये जाने वाले हुकम हो जानेके पश्चात् अपने कर्जोंके तसफियाके लिये रहे या अपने मामलोंको तय करनेके लिये कोई तरीका बतलावे तो अदालत उसे प्रस्ताव पर विचार करनेके लिये कोई तारीख नियत करेगी और सब कर्जस्वाहों को नियत ढंग पर नोटिस दिया जावेगा।

(२) अगर प्रस्ताव पर विचार करनेके पश्चात् कर्जस्वाह कसरत रायसे और जिनका संयुक्त कर्ज कुल कर्जके $\frac{1}{2}$ कीमतसे कम न हो तथा उनके कर्ज साधित किये जासुके हों और यह तोग स्वयं हाजिर हों या उनके वकील मौजूद हों इस प्रस्तावको मंजूर करलें तो यह मान लिया जावेगा कि कर्जस्वाहोंने उस प्रस्तावको भली भाँति स्वीकार कर लिया है।

(३) कर्जदारको अधिकार है कि वह प्रस्ताव स्वीकृत होते समय उसे संशोधित कर सकता है अगर अदालतकी रायमें वह संशोधन अधिकतर कर्जस्वाहानकी भलाईके लिये है।

(४) अगर अदालत निशुक्त किये हुए रिर्सावरकी रिपोर्ट हुनकर तथा कर्जस्वाहों द्वारा या उनकी तरफसे किये हुए एतराजोंको समझकर यह राय कायम करे कि कर्जदारका प्रस्ताव उचित नहीं है या अधिकतर कर्जस्वाहोंके लाभके लिये नहीं है तो वह उस प्रस्तावको मंजूर करनेसे इनकार कर देगी।

(५) अगर कोई ऐसी बातें साधित हो जावें जिनके साधित होने पर अदालत बेहाल करनेका हुकम न देसके या रोक दे या उसके साथ शर्तें लगा दे तो अदालत उस वक्त तक उस प्रस्तावको मंजूर करनेसे इनकार कर देगी जब तक कि बिला महफूज कर्जोंके लिये जो कर्जदार की जायद्वक खिलाफ साधित किये जासकते हैं कमसे कम ६ आना की रुपयकी अदायगीका इन्तजाम न हो जावे।

(६) कोई तसफिया या स्कीम उस वक्त तक मंजूर नहीं की जावेगी जब तक कि उसके द्वारा उन कर्जोंको अदायगीका इन्तजाम पहिले न हो जावे जिनकी अदायगी दिवालियेकी जायदादसे पहिले होना चाहिये।

(७) और किसी दूसरी सूरतमें अदालतको अधिकार है कि वह चाहे प्रस्तावको मंजूर करे या नामंजूर करदे ।

ब्याख्या—

दिवालिया करार दिये जानना हुकम है जानेके पश्चात् दिवालिया अपने कर्जोंको निपटानेके लिये जो बर्गवाई कर सकता है उसका उद्भव इस दफामें दिया हुआ है ।

तमकिया (Composition) से तात्पर्य उस समझानेके समझना चाहिये जो कर्जदार व कर्जखानोंके दरमियान उनके कर्जों तथा किये जानेके लिये किया जाने तथा जिसके अनुसार कर्जखानाने अपने कर्जोंसे कम लकर पूरे कर्जोंकी अदायगी मान लेंगे । जन के इस प्रकार प्रस्ताव अदालतके सामने उपस्थित हो ता अदालतका कर्तव्य है कि वह इसकी सूचना कर्जखानाने को देवे तथा इस दफाके अनुसारका हुकम (Meeting) में उस प्रस्ताव पर विचार करे और यदि कर्जदाराने तिनके कर्जों साबित हो चुके हैं बहुमतसे तथा इनके कर्जोंका योग कुल साबित किये हुए कर्जोंके तीन चारवाइसे न्यून न होवे तथा जो स्वयं या तिनके वकील उपस्थित होंगे उस प्रस्तावको स्वीकार करले ता अदालतका चाहिये कि वह इस बातको नोट करले कि वह प्रस्ताव कर्जखानानेके मंजूर कर लिया है । परन्तु यदि स्वयं या वकीलों द्वारा उपस्थित कर्जखानाने तिनके कर्जों साबित किये जायुके हैं बहुमतसे या तिनके कर्जों तीन चारवाइ साबित किये हुए बताते कम न हों उस प्रस्तावको मंजूर न करें तो वह प्रस्ताव अस्वीकृत समझा जा वगा अदालतकी उस प्रस्तावकी अन्वयि लिये चाहे जो कुछ राय हो जा । यदि प्रस्ताव कर्जखानानेके द्वारा स्वीकृत कर लिया गया हो तो अदालतका कर्तव्य है कि वह इस बात पर विचार करे कि आया वह प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिये या नहीं । अदालतको किये यह आवश्यक नहीं है कि कर्जखानाने द्वारा स्वीकृत किया हुआ प्रस्ताव अवश्यही स्वीकार करले दलो—30 I C 694

इस दफामें बताये हुए नियमोंका पालन पूर्ण रूपसे किया जाना चाहिये अथवा कोई समझौता माननेके लिये कर्ज खानाने बाधन नहीं होंगे और न ऐसा समझौता कानून समझौताही समझा जावेगा दलो—A I R 1926 Lah 87 समझौता कर्जखानानेकी स्वीकृतहाने माननीय नहीं समझा जावेगा कि तु उसका माननीय बनानेके लिये अदालतकी स्वीकृति आवश्यक है देवो—A. I R 1926 Lah 489

यदि किसी कर्जखानेकी सूचना न पहुँचनेके कारण समझौता ठाक न रहे तो कर्जखानेका अधिकार है कि वह अपने कर्जदारकी जापदादको कुर्क कर लेवे देवो—A I R 1926 Lah 87

उपदफा (२) तथा अ गरी उपदफात्रासे यह प्रतीत होता है कि समझौतेके प्रस्ताव पर विचार करनेके लिये एक सभा (Meeting) की जा जावेगा यदि कर्जखानाने समझौतेको मंजूर कर लर तो यह मान लिया जावेगा कि वह प्रस्ताव पास हो गया है एसे प्रस्ताव पर वोट देनेका अधिकार उस कर्जखानेकी नहीं होगा बिसरफ कि कर्जों साबित नहीं किया गया है तथा जिसका नाम जन द्वारा सूत्रामें सम्मिलित नहीं किया गया है देवो—15 A L J. 166—40 I C 156

उपदफा (३) के अनुसार कर्जदार अपने प्रस्तावमें सशोधन कर सकता है यदि अदालतकी रायमें उस सशोधनके कर्जखानानेका लाभ पहुँचता हो ।

उपदफा (४), (५) व (६) में यह बतलाया गया है कि अदालत तिन २ दशाओंमें कर्जदारके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा ।

उपदफा (७) में उन मामलोंके सम्बन्धमें कहा गया है जिनका उल्लेख इससे पादिते नहीं किया गया है अदालत

का एसे मामले स्वीकार करने व न स्वीकार करनेमें पूर्व स्वतन्त्रता है उदाहरण स्वरूप यदि दिवालियाने किसीवत्से विचार कर लिया कतरबाइमें कपया दिया जाता अथवा एसे मामले समझीता नामचर कर सती है देखा—A I R 1926 Mad 1166 अगिर एसे प्रस्तावकी स्वाहृत लिखित हुक्मक अत्रगारी की जाना चादिये किन्तु एसे अतर भी आजाते है जिनमे यह समझा जातके कि स्वाहृति प्रदान कर दी गई है यद्यपि उसके साथ-धमें कोई नियमित हुक्म न दिया गया हो देखा—A I R. 1926 All 361.

दफा ३९ मंजूर करने पर हुक्म

अगर अदालत प्रस्तावकी मंजूर करले तो सय शर्तें अदालतके हुक्ममें लिख दी जायेंगी और अदालत दफा ३३ के अनुसार एक सूची तैयार करेगी व दिवालिया करार दिये जाने वाला हुक्म मंखुल कर दिया जावेगा और दफा ३७ में दिये हुए नियमोंका प्रयोग किया जावेगा और तसफिया या स्क्रीम उन छव कर्जद्वारोंके लिये माननीय होंगी जिनका उल्लेख सूचीमें है और जहां तक उनका तारलुक सूचीमें दिये हुए अपन कर्जोंसे है ।

व्याख्या—

शक कि अदालत प्रस्तावकी स्वीकार कर लेवे तो अदालतके चादिये कि वह अपने हुक्ममें प्रस्तावकी सभ बातोंके दिखला देने तथा दफा ३३ में बतगये हुए नियमोंके अनुसार कर्जस्वाहृत व कर्जोंकी सूची तैयार करे और साथही साथ दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मको रद कर देने इसके परवात् दफा ३७ में बतगये हुके बतवाई लागू होगी देखो—24 A L J 441 यदि प्रस्तावकी स्वीकृतेके साथ कोई शर्तें न लगाई जावे तो दिवालिया अपनी स्वाभाविक दशा को प्राप्त हो जावेगा और किसीअ अपनी बतवाईका बतवा बंद कर दगा देवी—A. I. R 1926 Mad 1187.

समझतेकी कर्जवाई केवल अर्ध कर्जवाइयों पर लागू होगी जिनके कर्जें मानिय किये जाचुके है तथा जिनका नाम सूचीमें लिखा जाचुका है। वह कर्जस्वाहृत समयोंके अदालत नही कर सकने देखो—A I R 1625 Loh. 316 वह कर्जस्वाहृत जिनका नाम सूचीमें नहीं आया है अनर्त डिका इनपय वग सपना है देखा—A I R. 1926 Cal 489

दफा ४० कर्जदारको फिर दिवालिया करार देनेका अधिकार

अगर तसफिया या स्क्रीममें तय की हुई किनी किस्तकी अदायगी न हो सके या अदालत को यह मालूम हो कि त्रिला वेइन्साफी या देर किये हुए उस पर अमल नहीं किया जातकता है या अदालतको यह यकीन हो जावे कि उसे धोखा देकर मंखुली ली गई है तो वह अगर मुनासिब समझे कर्जदारको दुबारा दिवालिया करार दे सकती है और तसफिया या स्क्रीमको रद कर सकती है लेकिन वह सब इतनाल जायदाद अदायगी तथा दूसरे काम जो तसफिया या स्क्रीमके अनुसार दिये जाचुके ह ठीक समझे जावेंगे ।

जब कि कर्जदार इस दफाके अनुसार दुबारा दिवालिया करार दिया जावे तो वह सब कर्जें भी जो दुबारा दिवालिया करार देनेसे पहिले लिये हैं और जो इस एकटके अनुसार साबित किये जातकते हैं साबित किये जासकेंगे ।

व्याख्या—

इस दफा में मपझोनेके आधाप या गुक्त किये हुए दिवालिपि के दुवाग दिवालिपि करार दिने जानेत। उज्व है तथा समझोनेत स्तम या प्रतिक्रियाये रहु कर देनेत। भी वर्णन है । अदालत नाथ दी हुई पानाक हाल पर समझ तता स्तमकुन की हुई स्तमको रह कर तगता है तथा दिवालिपिका किंस दुवारा दिवालिपि करार दे सती है ।

- (१) यदि समझानके अनुमार तपती हुई जिमनी अदापगी ठाक समय पर न होवे, या
- (२) यदि मपझोनेके प्रस्ताव पर बिना बेइमानी या देह किये हुए अमल न दिना जातके, या
- (३) यदि अदापगी स्वीकृत धोना देकर लीगई हो ।

इस दफाके अनुसार समझानका स्वीम रक्की जानेके बाद प्रसंगवादान अरुता अपनी कबी सादिन इर सकेंगे मपझोने में दिवलाप हुए कतों की पानकी उन पर नहीं शानी तथा उप समय रह मां बने दिवलाप जातके नी जा समझोनेकी स्तमके बाद किनु उमर रह होतने पहिले किये गये हों ।

बहाल होना (Discharge).

दफा ४१ बहाल होना

(१) दिवालिपि करार किये जानेके बाद किमी समय भी लेकिन उस मियादके अन्दर जो अदालतने दी हो, दिवालिपि बहाल होनेकी दरखवास्त अदालतने दे सकना है और अदालत कोई दिन उस दरखवान्त तथा उस पर किये जाने वाले एतराजोंको सुननेके लिये सुफर करेगी तथा उसकी सूचना नियत किये हुए ढंग पर दीजावेगी ।

(२) इस दफाके नियमोंका ध्यान रखते हुए कर्जर्वाहोंके एतराजोंको सुननेके पश्चात् तथा जिममें रिहोवर नियुक्त किया गया हो उसमें उसकी रिपोर्ट देखनेके पश्चात् अदालतको अधिकार है कि यह :—

- (ए) पूर्ण रूपसे बहाल करनेका हुकम दे सकती है या उसके देनेसे इन्कार कर सकती है, या
- (बी) या किसी नियत समयके लिये बहाल होने वाले हुकमको कार्यान्वित होनेसे रथगित कर सकती है, या
- (सी) या उन शर्तोंके साथ बहाल कर सकती है जो उसे उसकी आयन्दा आमदनीके सम्बन्धमें या आयन्दा दिलने वाली जायदादके सम्बन्धमें देना हों ।

व्याख्या—

इस दफा में दिवालिपि के बहाल किये जानेत उद्देश है किन्तु एवटके अनुसार दिवालिपि की अधिकार था कि वह दिवालिपि करार दिव जानेत। हुकम होनेके पश्चात् किमी समय भी बहाल होनेकी दरखवास्त दे सकता था परन्तु इस एवटके अनुसार दिवालिपि उभी मियादके अन्दर बहाल होनेकी दरखवास्त दे सकता है जो कि दिवालिपि करार दिने समय अदालतने उतरा दी हो । बहाल होनेकी विधि इस प्रकार समझना चाहिये कि पहिले दिवालिपि अदालत द्वारा निर्वाचित किये हुए अथवा दफा २० (०) के अनुसार उसके द्वारा बंदये हुए समयके अन्त बहाल होवेकी दरखवास्त देवेगा । ऐसी

दफ्तार दी जाने पर अदायत मोई तागिष उमके सुननेके लिये नियत करीगी तथा इस नियतकी हुई तागिषकी सूचना कर्तव्यशर्तोंको निर्धारित दम पर दी जावेगी तब कर्तव्यवादाया विगेर उम दरखास्तके लिये सुनकर तथा नियुक्त लिये हुए रितीनरका रिपोर्ट देकर अदालत अपना हुकम देवेगी। अदालत अपना हुकम तीन प्रकारका इस सम्बन्धमें देसकती है जिनका उल्लेख उपदफा (२) के क्राज (ए), (बी) व (सी) में किया गया है अर्थात् (१) या तो दिवालिये विस्तृत बहाल कर देगी या बहाल करनेसे इनकार कर देगी, (२) बहाल तो कर देगी परन्तु माय साथ यह पछड़ लया देगी कि बहालका हुकम एक नियत लिये हुए समयके पश्चात् प्रयोगमें आयेगा, तथा (३) किसी ऐसी शर्तके साथ उसे बहाल करेगी कि उसे अपनी आपदनीया कीर्ति निरविचत भाग या बादम प्राप्त होने का र्थ आयदाद बहाल हो जानेके बाद भी देना पड। यदि कर्तव्यवादा व कर्तव्यवादाके दरमियान इस प्रकारका समझाता हो जावे कि वह कर्तव्यवादा बहाल होनेकी दरखास्त या आवज नहीं करेगा तो ऐसा समझौता बेअम्र समझना चाहिये अर्थात् ऐस समझौतेके से जाने पर भी वह कर्तव्यवादा बहाल की दरखास्तका विरोध कर सकता है देखो—20 Bom 616

उपदफा (२) बहालका हुकम देना अदालतका इच्छा पर निर्भर है उसके देनेके लिये वह बाध्य नहीं है। दफा ४२ में उन बातोंका उल्लेख है जिनके होने पर अशान्त विस्तृत बहाल होनेका हुकम नहीं देवेगी यदि बहालका हुकम देनेसे इनकार कर दिया जावे तो यह नहीं समझना चाहिये कि दिवालिया ऊमके देनेका हुकम मसूज कर दिया गया है। इवलिगेशन उस समय तक जारी रहेगा जब तक कि दिवालियेकी मसूजीका हुकम माफ तोर पर न दे दिया जावे देखो—52 M. L. J. 54

बगल होनेके हुकमको स्थगित लिये जानेसे अधिप्राप यह है कि किसी नियत समय तकके लिये दिवालिया बहाल न समझा जायेगा किन्तु उस समयके यनीन होनेके पश्चात् दिवालिया बहाल समझा जायेगा। जितने समयके लिये अदालत बहाल होनेके हुकमको स्थगित करना चाहे उतना उल्लेख अपन हुकममें कर देना चाहिये अर्थात् अनिश्चित समयके लिये उस स्थगित न करना चाहिये जैसा कि क्राज (बी) से प्रकट होता है। यदि बहाल होनेकी दरखास्त नामसूर लिये जानेके बाद रक्षा (Protection) की दरखास्त दी जावे तो अदालत उस पर बहुत मोच समझ कर हुकम देगा। यदि दिवालियेके वेसमके बूझ तथा नईमानीसे तमाम कर्तव्य लाने लिये ही तो ऐसी दशामें अदालतकी चाहिये कि वह कर्तव्यवादाको ऐसा मौका मिलने दे जिसमें वह बेईमान दिवालियेको उमके कर्मोंका फल देसके अर्थात् बसे कैद करा सके। रक्षके हुकमको देना न देना विस्तृत अदालतके हाथ है जब कि अदालतको यह मालूम हो कि विस्तृत खर्चा आदि करके दिवालिया बनेका मौका कारबदारी बुलाया गया है तथा कर्तव्यवादाके कर्जोंका विस्तृत ध्यान न देने हुए उण्या नराद किया गया है तो अदालतको चाहिये कि वह रक्षाका हुकम देनेसे इंकार कर देवे देखो—40 Bom 461.

दिवालियेके बहाल होनेमें बाधनी कर्माई तथा नार्से प्राप्त होने वाली आयदादके सम्बन्धमें शर्तें लगा देनेसे अधिप्राप यह है कि जिसमें कर्तव्यवादाकी यदि मौका हो तो कुछ अधिक प्राप्त हो सके। शर्तके साथ बहाल होनेका अधिप्राप यह नहीं है कि दिवालियेकी तब कर्तव्यवादा समाप्त हो गई इन्हीं कारणे बादम आने बाळा कर्तव्यवादा भी अपने कर्जोंमें साहित कर सकता है देखो—A. I. R. 1925 Pat 438

दफा ४२ पूर्ण रूपसे बहाल करनेका हुकम अदालत द्वारा न दिये जानेके कारण

(१) अदालत नीचे दी हुई बातोंमें से किसी एकके भी साहित होने पर दफा ४१ के अनुसार पूर्ण रूपसे बहाल करनेका हुकम नहीं देवेगी:—

(२) यह कि दिवालियेकी आयदादकी क्रीमत उसके विना महसूज कर्जोंके लिये रूपमें प्राप्त आता भी, अदा कानेके लयक नहीं हैं, जबतक कि दिवालिया अदालतको

यह यकीन न दिला देवे कि उसकी जायदादसे विला महफूज कर्जोंकी आधी अदा-यगीका इन्तजामका न हो सकता ऐसे कारणोंसे होगया है जिनके लिये वह उचित रीतिसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जासकता है ।

(बी) यह कि दिवालियेके पास यह हिसाबकी किताबें नहीं हैं जो अमुमन उसके ऐसे रोजगार करने वालोंके पास रहना उचित है और जिनसे उसके रोजगारका तथा माली हालतका हाल काफ़ी तौरसे दिवालिये यन्नेसे तीन साल पहिले तकका मालूम होसकता है ।

(सी) यह कि दिवालिया अपनेको दिवालिया जानते हुए भी रोजगार करता रहा हो ।

(डी) यह कि इस एन्टक अनुसार साबित होने वाला कोई कर्ज दिवालियेने यह न जानते हुए लिया हो कि उसे उस कर्जेके अदा करनेका उचित अवसर न मिलेगा इसके साबित करनेका वार सुवूत दिवालिया पर होगा ।

(ई) यह कि दिवालिया भले प्रकार यह नहीं साबित कर सका है कि उसके लहनेमें कमी क्यों हुई या उसके लहनेसे उसके कर्जोंकी अदायगी क्यों नहीं हो पाई ।

(एफ) यह कि उसका दिवाला उसके जल्द व ख़तरनाक सौदोंके करनेके कारण हुआ है या उससे दिवाला निकलनेमें मदद मिली है या उसके अनुचित रूपसे बहुत अधिक खर्च करनेके कारण हुआ है या जुध्या ख़लनेके कारण या अपने व्यापारके अनुचित रूपसे अवहेलना करनेके कारण हुआ है ।

(जी) यह कि दिवालेकी दरख्वास्त दिये जानेके पहिले तीन माहके अन्दर जबकि वह अपने कर्जोंको अदा नहीं कर सकता था उसने किसी ख़ास कर्जख़वाहको देजा तौर पर तर्जिह दी हो ।

(एच) यह कि दिवालिया इनसे पहिले भी दिवालिया करार दिया जाचुका है या वह कोई समझौता या तसफिया अपने कर्जख़वाहोंके साथ कर चुका है ।

(आर्) यह कि दिवालियेने अपनी जायदाद या उसका कोई हिस्सा छिपाया है या हटा दिया है या और किसी प्रकारकी धोखादेही या अमानतमें सुयानतका धोखेका काम किया है ।

(२) इस दफ्तेके लिये रिस्वीवरकी रिपोर्ट शहादत मानी जायेगी और अदालतको अधिकार है कि उसमें दी हुई किसी बातकी सच्चाईको मानले ।

(३) अदालतको अधिकार है कि बहाल करनेके हुदमको स्थगित करने या उसके साथ शर्तें लगाने, दोनों धानोंको एक साथ भी कर सकती है ।

व्याख्या—

इस दफ्तेमें दिवालियेके व्यापार जाग किये हुए वह सब साम दिलवायेगये हैं जिनके साबित होनेसे अदान दिवालियेकी पूर्ण रूपसे बहाल करनेमें तैयार नहीं होवेगी ।

काज (९) से लगा कर काज (आठ) तक जो बाने दिखलाई गई है वह सब एक प्रकारसे दिवालयिकी बदतोरणी भेज देना तथा दुनयोपमे काज है यदि दिवालयिकी इन कामोसे किना कामका योग्य समझा जावे तो वह कानून दिवालयिका से इन बाने प्रायदोसे बाचित करवा जावेगा । इस दफाका सम्बन्ध केवल दफा ४१ (२) के काज (९) के साथ समझना चाहिये अर्थात् इस दफामें बतलाई हुई बानोंके होने पर काज (९) के अनुसार पूर्ण बहालका हुकम नहीं दिया जावेगा । इस दफाका सम्बन्ध दफा ४१ (२) के काज (बी) व (सी) पर नहीं समझना चाहिये अर्थात् इस दफामें बतलाई हुई बानोंके साहित होनेसे अलग बहाल हुकममें अर्थ या कार्य अवधि न बढ़ा देना चाहिये देखो—39 I. C. 916.

जब कि दिवालयिके रहनेसे उसका काम बर्जो भी न चकाया जा सकना हो और दिवालयिके कसौरी बसूलमें गिनीयके किये बचाने वांछी हो तो ऐसे दिवालयिकेको बहाल करनेमें इनकाज का देना हुकम उचित हुकम है देखो—A. I. R. 1925 Oudh. 112.

दिल्लय कितान न रखने पर ही पूर्ण बहाल किया जाना रोका जा सकता है देखो—A. I. R. 1927 All. 352 जब कि किसी अगलत दिवालयिकामें किसी दिवालयिकाको बहालका हुकम देनेमें इनकाज का दिया हो तो वह अगलत करने इनकाजके हुकमको बदल नहीं सकता है देखो—32 I. C. 575 परन्तु इससे यह न समझना चाहिये कि यदि बहाने होनेसे इनकाज कायेका हुकम सदैव आरंभ बना रहेगा देखो—A. I. R. 1925 Mad. 915.

रिसीवरको रिपोर्ट एक प्रकारकी साहायत समझी जावेगी और जब तक कि कोई बान उक्तके विकल्प न दिखलाई जावे वह रिपोर्ट ठीक समझी जावेगी देखो—36 I. C. 906, 37 All 429 यदि किसी दिवालयिके मामलेमें कसैयमें आठ बाने हुआ दिने गये हों और बाने बहाल होनेका हुकम एक अर्थ तक विकल्प रोके रहे तो जनसद्वै देता हुकम विकल्प कानूनक विकल्प है देखो—A. I. R. 1928 Oudh 263.

बहालका हुकम देने समय केवल यह स्थिति देना नहीं है कि रिसीवरको रिपोर्टमें कोई बान दिवालयिके बहालमें बराबर चलन वाला नहीं है जतनी इस बातका विश्वास कर लेना चाहिये कि दायमल दिवालयिके कोई कोई मामलीकी व नहने अथवा कसम वसूल होनेमें बचाने नहीं पडा है अर्थात् दिवालयिके बेवमसे ऐसा हुआ है । बिना इस किरमकी तमबोत बिने हुए अदालतका फैसला कानूनत उचित नहीं है । देखा—A. I. R. 1928 Cal 843.

उपदफा (३) एक प्रकारसे दफा ४१ में सम्मिलितकी जानेके योग्य है क्योंकि उसमें यह बतलया गया है कि जिन लगाने व अवधिको बदलनेमें हुकम साथ न भी दिने जायकने है अर्थात् दफा ४१ (२) के काज (बी) व (सी) को फर्यादाया एक साथकी भी मातकती है ।

दफा ४३ बहालकी दरखास्त न दिये जानेपर दिवालयिका करार दिये जाने वाले हुकमकी संसूची

(१) अगर दिवालयिका बहालकी दरखास्त सुने जाने बाने दिने या अदालतसे मुफ्दर किये हुए बन्दके किसी दिन पर हाजिर न हो या दिवालयिका अदालतसे ही हुई भिषादकी अन्दर बहाल होनेकी दरखास्त न देवे तो दिवालयिका करार दिये जाने वाला हुकम संसूच कर दिया जावेगा और उसके बाद दफा ३७ की कार्यवाही प्रयोग होगी ।

(२) जबकि कसुन्दार इन कसुन्दरके अनुसार हिसाबतसे छोड़ा गया हो और दफा ४३ (१) के अनुसार उसके दिवालयिका करार दिये जाने वाला हुकम संसूच कर दिया जावे तो अदालतकी अधिकार है कि अगर वह मुनासिब समझे तो कसुन्दारको फिर उसी हिसाबतमें बंदवे और जलका खफतर जिसकी सुपुर्गामी कसुन्दार इस प्रकार हुआ दिया जावेगा उसको अपनी सुपुर्गामी

सुपुर्दगीके हुकमके अनुसार ले लेवेगा और उस वक्त यह सब कार्रवाईयां जो कर्जदारकी ज़ातके खिलाफ़ उसके छोड़े जानेके समय लागू थीं इस प्रकार चालू समझी जावंगी मानो कोई दिवा-लिया करार दिये जानेका हुकम दिया ही नहीं गया था ।

व्याख्या—

इस दफाके यह भाग प्रकट है कि दिवालिपेके लिये बहाल होनेकी दरखास्त देना अति आवश्यक है वरना वह इस एक्टके नियमोंके अन्तर्गत उठायेसे कचिन रक्षा प्राप्त होगा । बहाल होनेकी दरखास्त अदालत द्वारा नियत लिये हुए समयके अन्दरही दी जाना चाहिये अदालत द्वाराही हुई मियादके समाप्त होने पर दिवालिया अपने आपही बहाल नहीं हो जावेगा किन्तु उसके बहाल होनेके लिये अदालतका हुकम देना आवश्यक है देखो—49 All. 201. दिवालिपेके हुकमके मसूची तथा बहाल होनेका हुकम दोनों इस एक्टके अनुसार पृथकी चीज नहीं हैं देखो—A. I. R. 1925 Lah. 376. यदि दिवालिया करार दिये जानेका हुकम देने समय बहाल होनेके लिये कोई मियाद नहीं दी गई हो तो यह दफा लागू नहीं होगी और बहालकी दरखास्त न देनेके कारण दिवालिपेका हुकम मसूह नहीं किया जावेगा देखो—A. I. R. 1926 Lah 24.

उपदफा (१) इस दफाके अनुसार दिवालिपेका हुकम नीचे दिये किसी बन्तके होनेपर मसूह किया जावेगा

(१) यह कि अब दिवालिया बहाल होने की दरखास्त देने जानेकी तारीख पर हाजिर न होवे

(२) यह कि अब वह तारीखके बट जाने पर उस बड़ी हुई तारीखके दिन हाजिर न होवे

(३) यह कि अब दिवालिया दफा २७ के अनुसार नियतकी हुई म्यादके अन्दर बहाल होनेकी दरखास्त न देवे ।

इस दफाके वक्तव्ये हुए नियमकी पाठन करनेके लिये अदालत कायदे A. I. R. 1926 Sind. 94.

इसलिये यदि दिवालिया ऊपर बतलाई हुई कोईभी गलती करे तो मसूहका हुकम होनाका चाहे और दिवालिपे उस समय जाचना दिवालिपेके आदेश ९ के अनुसार भी सहायता नहीं पायकता है अर्थात् बाज बनकर सादेककी बर्बादी भी नहीं कर सकता है यदि दिवालिपे से बलती किसी अनियम कायदा से हो गई होतो वह दफा १० (c) से श्राव बजा सकता है अर्थात् इसके अनुसार फिर दरखास्त दिवाला देसकता है देखिये 49 Mad. 935; A. I. R. 1924 Mad 635.

अदालत इस दफा के अनुसार स्वयंदा करारही करसकती है तथा ऐसा कर्मएवाइमी मितकी दिवालिपेके हुकमके हासि पट्टी हो मसूहो के लिये दरखास्त देसकता है देखो—A. I. R. 1924 Mad. 635.

इस एक्टकी दफा ४३ आज्ञा कायि है और अदालत को नियतकी हुई मियादके समाप्त होनेके पश्चात् समय बढ़ानेका अधिकार नहीं है म्याद सुअर्य के अन्दर दिवालिपे या कर्मएवाइ म्याद बढ़ानेकी दरखास्त देसकते हैं परन्तु नही ऐसा नहीं किया गया हो वदा दफा ४३ के अनुसार बर्बादीकी जानी चाहिये A. I. R. 1928 Mad. 265.

परन्तु अम्मा साहके मामलेमें यह तय हुआ था कि दिवालिपे के हुकममें ही हुई मियादके बाद भी समय बढ़ाया जा सकता है ।

दफा ४३ (१) दफा २७ के साथ पढ़ी जाना चाहिये और अदालत को अधिकार है, नित अधिकार को उते कानूनी दंग से बतना चाहिये कि यदि मातहत अदालतने समय बढ़ा दिया होतो वहनी समय बढ़ा रहने दे लीवतनमें हाईकोर्ट एंग हुकमका इरा नहीं सक्ता है देखो—1928 M. W. N. 441.

कर्मएवाइ इमानज लेकर इस दफा के अनुसार दिये हुए हुकमकी अपील करसकता है 100 I. C. 137.

आज यदि अपील मन्त्र काली जात नो यह मान लिया जावेगा कि इमानज डॉक्टरकी है A. I. R. 1928

दफा ४४ बहाल होनेके हुकमका असर

(१) बहाल होनेका हुकम विद्यालयको नीचे दी हुई बातोंसे बरी नहीं होने देगा.—

(ए) किसी सरकारी कर्जसे

(बी) धोखेबाजीसे या धोखा देकर अमानतमें खयालत करके अगर कोई कर्ज या जिम्मेदारी पैदा हुई है और जिसमें विद्यालयका भी हाथ रहा हो

(सी) अगर धोखेबाजीमें शरीक रह कर किसी कर्ज या जिम्मेदारीसे बरी होगया हो तो ऐसे कर्ज व जिम्मेदारीसे, या

(डी) अगर सन् १८६८ ई० के ज्ञायता फौजदारीकी दफा ४८८ के अनुसार कोई हुकम परपरिशिका उसके खिलाफ दिया जावे तो ऐसे हुकमकी जिम्मेदारीसे ।

(२) पहिली उपदफा अर्थात् ४४ (१) में दी हुई बातोंको छोड़ कर विद्यालिया बहाल होनेके हुकम हो जाने पर और सब कर्जोंसे मुक्त हो जावेगा जो इस एक्टके अनुसार साबित लिये जासकते हैं ।

(३) बहाल होने वाले हुकमसे ऐसा व्यक्ति बरी जिम्मा नहीं होगा जो दिवालेकी दर-फ्यास्त किये जाते समय विद्यालयका साफी या संयुक्त ट्रस्टी रहा हो या जिसकी विद्यालयके साथ संयुक्त जिम्मेदारी या संयुक्त मुआहिदा रहा हो या जो विद्यालयके लिये जामिनदार रहा हो ।

व्याख्या—

बहाल होनेके हुकम किये जानेपर विद्यालिया उन सब कर्जोंसे मुक्त होजाता है जो कानून विद्यालयके अनुसार साबित किये जानवते हैं परन्तु वह ऐसे कर्जोंसे मुक्त उस समयभी नहीं मगशा जविया जिनका उल्लेख इस दफाकी उपदफा (१) के खण्ड (ए), (बी), (सी) व (डी) में किया गया है मुक्त होजाने से अभिप्राय यह है कि वह कर्ज समाप्त समझे जावेगे । इस एक्टके अनुसार साबित किये जाने योग्य कर्जोंका उल्लेख दफा ३३ में किया गया है ।

यदि रितीवरने किसी कर्जको रद्दी न वसूल न किये जाने योग्य समझकर छोड़ दिया होतो विद्यालिया बहाल होने पर ऐसे कर्जमें वसूल कर सकता है व उसको मुक्तकिल कर सकता है, 39 A.I. 229. यदि बहाल होनेकी दरखास्त एक बार नामजूर करी गई हो तोभी विद्यालिया फिर दूसरी दरखास्त दूसरी बातों पर इसके लिये दे सकता है एक्टमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे यह मान लिया जावे कि बादकी बहाल होने की दरखास्त नामजूर किये जानेका प्रमाण आजन्म तक कायम रहेगा देलो—A. I. R. 1925 Mad 915.

दफा ४४ (१) के अनुसार विद्यालयका बहाल होनेका हुकम होजाने के पश्चात् उन सब कर्जोंसे मुक्त समझना चाहिये जो इस एक्टके अन्तर्गत साबित किये जासकते हैं ; यदि किसी कर्जसे बहाल होनेका हुकम देकर साबित करने योग्य अपने कर्जको साबित न किया हो तभी इससे मुक्त नहीं हो सकता है, देलो—A. I. R. 1928 Nag 336

जामिनदार अपने अमानतकी जिम्मेदारी साबित कर सकता है । यदि मुद्दे किसी कर्जदारका जामिनदार होने और वह कर्जदार विद्यालिया कर्तार किये जानेके पश्चात् दफा ४१ के अनुसार बहाल कर दिया गया हो तथा इसके बाद कर्जसे बहाल हुए जामिनदारसे अपना कर्जा वसूल करले तो वह जामिनदार बहाल हुए कर्जदारके बिना अपना रुपया जामिनदारके लिये दावा करे तो यह तय किया गया कि श्रुति वह कर्ज दफा ३४ (२) के अन्तर्गत नहीं जाता है अतः कर्जदार (बहाल किया हुआ विद्यालिया) उस कर्जकी जिम्मेदारीसे दफा ४४ के अनुसार मुक्त होसकता है, देलो—A. I. R. 1928 All. 306.

तीसरा प्रकरण

कजोंके साधित करनेका तरीका (जायदादका प्रबन्ध)

धफा ४५ आइन्दा अदा होने वाले कजों

अगर किसी कर्जख्वाहका रुपया कर्जदारसे लेना हो लेकिन यह दिवालिया करार दिये जाते समय घाजिबुल अदा न हो बल्कि आयन्दा चल कर उसकी अदायगी होना चाहिये तो भी उस कर्जख्वाहको अधिकार है कि वह अपना कर्ज इस प्रकार साधित करे जैसे कि उसका कर्ज उम्मी वक्त मिलना चाहिये और उसको दिवालियेकी जायदादसे हिस्सा रसदी दूसरे कर्जख्वाहों की तरह विलबाया जासकता है लेकिन उसके कजोंकी तादादसे उतना रुपया कम कर दिया जावेगा जो ६) रुपया सैकड़ा माहघारी सूदके हिसाबसे रसदी बैंटनेक घकसे उसके कजोंकी घासली अदायगीके वक्त तक निकलेगा ।

व्याख्या—

इस दफके अनुसार भविष्यके कजों पर भी हिस्सा रसदा प्राप्त हो सक्ता है अर्थात् यदि किसी कर्जख्वाहका कोई कर्ज दिवालियासे लेना हो परन्तु वह कर्ज दिवा लिया करार दिये जाते समय बचल न दिया जासकता हो परन्तु उसके बाद भविष्यमें वह कर्ज बचल दिये जाने योग्य होवे तो भी कर्जख्वाह अपने उस कर्जको मौजूदा कजोंकी भांति इस एकटके अनुसार साधित कर सकता है परन्तु उसकी तादाद इस प्रकार निश्चितही जावगी कि पहिले यह देखना चाहिये, कजोंकी तादाद उम तारीख पर जबकि वह घानिबुद्धअदा है क्या होगा अर्थात् मय ब्याजके उत तारीख पर कर्जख्वाहका कितना रुपया दिवालियेमें मिलना चाहिये इसके पश्चात् यह देखना चाहिये कि व. रुपया हैकवा साखानाकी दरसे रसदी बाटे जानेकी तारीख से असली अदायगाकी तारीख तक कितना ब्याज होगा तब पाइलकी रकमसे यह ब्याजकी रकम निकाल देना चाहिये आर नाकी बचा हुई रकमके हिसाबम हिस्सा रसदा मिलना चाहिये ।

धफा ४६ आपसका व्यवहार व मुजरई

जब कि दिवालिया व किसी कर्जख्वाहके दरमियान आपसका व्यवहार रहा हो व दोनों का लेना देना होवे और इस एकटके अनुसार यह कर्ज साधित किया जा रहा हो तो इस बातका हिसाब किताब किया जावेगा कि एक फरीकको दूसरे फरीकसे इस व्यवहारके सम्बन्धमें क्या लेना देना है और घकका लेना उसक दाममेंसे घटा दिया जावेगा और उसके बाद जो रुपया देना लेना चलगा बचल वही एक दूसरेसे पानेका मुस्तहक होगा ।

व्याख्या—

यदि किसी कर्जख्वाह व दिवालिये दोनोंके एक दूसरेसे लेना देना होवे ता ऐसी दशमें दोनोंके लामार्थे इस दाममें यह बतलाया गया है कि लदनमस दोकी रकम घटा कर आ रकम बच उसीको हिस्सा रसदी या बचलके लिये असली कर्ज समझना चाहिये । वसाक बाद दिवालियेका कर्ज उमल पूरा बचल पर लिया जाव परन्तु उस उमल वक्त पर जोर कर्ज-

बैंकहोर्षी भाति केवल हिस्सा रसदी ही दिया आवे तो उसका नुकसान रहेगा । इसी प्रकार यदि कर्जस्वाह अपने कर्जों पर हिस्सा रसदी ले लेवे परन्तु उसे दिवालियेका कर्ज अदा न करना पड़े तो दिवालियेका लहना कम वसूल हो सकेगा । इस तार पर यदि किसी कर्जस्वाहका कर्ज उसके देनेसे अधिक होवे तो वह अपने इस अधिक कर्जोंके लिये हिस्सा रसदी दिवालियेकी जायदादसे और कर्जस्वाहोंकी भांति मविग्ना परन्तु यदि उसका देना उसके कर्जसे अधिक हो तो घसकी वह अधिक निकलती हुई रकम रिसीवर या अदालतको देना पड़ेगी । सपुक्त कर्जोंकी घुमराई अकेले कर्जके सम्बन्धमें नहीं की जासकती है जैसे कि यदि किसी बैंकके लिक्विडेटरने घुमराह पर सपुक्त कर्जकी बिना पर नालियकी हो और उनमेंसे किसी एक घुमराहके कर्ज कपया बैंकमें लमा हो तथा वह चाहे कि उस कपयेकी घुमराई दावेमें कर दी आवे तो यह घुमराई इस बिना पर नहीं की जासकती कि हिस्सा दोगी, दो प्रकार है प्रथम दूरेसे लेने देनेका व्यवहार रहा हो देखो—A. I. R. 1925 Sindh 153.

दफा ४७ की समय लागू होगी जबकि करिनेके दायियाण एक दूरेसे लेने देनेका व्यवहार रहा हो देखो—A. I. R. 1925 Sindh 153.

हिस्सा शेजानेके बाद घुमराई होना चाहिये । इस दफ्तमें यह नहीं बतलाया गया है कि किंत तारीख तक हिस्सा किनाब होना चाहिये परन्तु यह प्रकट होता है कि हिस्सा उस तारीख तकका होना चाहिये जबकि रसदी बादी जाने वाली होवे या उस समय तक होना चाहिये जबकि कर्जा साबित किया जाने वाला हो ।

दफा ४७ महफूज कर्जस्वाह

(१) जबकि महफूज कर्जस्वाह अपनी जमानत वसूल करले तो वह वाद मुजराई उस कुल रुपयके जो उसे जमानतसे वसूल होचुका है अपने बचे हुए कर्जको साबित कर सकता है ।

(२) जबकि महफूज कर्जस्वाह अपनी जमानतको और सब कर्जस्वाहोंके साथ फायदा पढानेके लिये छोड़ देवे तो वह अपने कुल कर्जके साबित करनेका मुस्तहक है ।

(३) जबकि महफूज कर्जस्वाहने न तो अपनी जमानत वसूलकी और न उसको छोड़ताही है तो वह सूचीमें अपना कर्ज लिखवानेसे पहिले अपने कर्जका ब्योरा साबित करेगा और वह कीमत भी देगा जिसका उस अन्दाजा है और उस धक उसी रुपये पर रसदी पानेका मुस्तहक होगा जो उसके असली कर्जमेंसे अन्दाजा लगाई हुई कीमत घटानेके बाद बचे ।

(४) जबकि जमानतकी कीमतका अन्दाजा इस प्रकार लगाया जावे तो अदालतको अधिकार होगा कि वह वसूलीसे पहिले किसी समय उस कर्जस्वाहकी अन्दाजा लगाई हुई कीमतको देकर उस जमानतका घुमरा लेवे ।

(५) जबकि कर्जस्वाह अपने जमानतकी कीमतका अन्दाजा लगानेके बाद उस जमानतमें कपया वसूल करले तो इस प्रकार जो कपया वसूल किया जावेगा वही जायदादकी कीमत समझी जावेगी वजाय उस कीमतके जो कर्जस्वाहने उसकी पहिले लगाई हो और वह संशोधित कीमत सब मामलोंके लिये मानी जावेगी ।

(६) जबकि महफूज कर्जस्वाह इसे दफाके अनुसार कार्रवाई अमलमें न लाये तो उसको वसूलीमेंसे कोई हिस्सा रसदी नहीं मिलेगा ।

व्याख्या—

इस दफ्तमें महफूज कर्जस्वाहके उन कर्जोंका वर्णन है जो वह अपने जमानतके सम्बन्धमें कर सकता है तथा उसके

उन इकाँका भी वर्णन है जिसके अनुसार वह दिवालियेकी जायदादसे हिस्सा राखी प्राप्त कर सकता है। इस बातका रहना चाहिये कि यह दफा केवल उही कर्जस्वाहोंके लिये है जो दरअसल महफूज कर्जस्वाह है लेकिन जबकि उ महफूज होनेका प्रश्न अभिविचनपूर्वक तो पहिले यह प्रश्न तय कर दिया जाना चाहिये तब यह दफा लागू हो सकेगी देखो A. I. R. 1923 All. 159

महफूज कर्जस्वाहके यह एक समझता चाहिये कि, — या

- (१) वह अपनी जमानतही पर भरोसा कर सकता है व अपना कर्जा न साबित करे, या
- (२) वह अपनी जमानत बसूल कर लेवे उसके पश्चात् बचे हुए रुपयोंकी साबित करे यदि कुछ निकलते हों,
- (३) वह अपनी जमानत छोड़ देवे व अपना पूरा कर्जा साबित करे, या
- (४) वह अपनी जमानतकी कीमतका अन्दाजा लगा देई तथा उससे अधिक जो रकम उसकी निकलनी हो साबित करे परन्तु ऐसी दरामें उनकी अदावा लम्बई हुई कीमत उसे दी जाकर उनकी जमानत इस नामकेगी। दिवालियेकी कर्जाईका कोई प्रमाण महफूज कर्जस्वाहके कर्जे पर नहीं पड़ता है देखो- A. I. R. 1923 All. 159. महफूज कर्जस्वाह (Secured creditor) की परिम दफा २ (१) क्रम (ई) में दी गई है। जमानतकी वसूलीसे यह तात्पर्य है कि वह जापदाद में ब जावे व उसकी बिक्रीकी कीमत छेटी जावे देखो— 41 All. 481.

उपदफा (२) जमानतका छोड़ना या न छोड़ना महफूज कर्जस्वाहकी इच्छा पर निर्भर है वह अपनी जमानत छो देनेके बिचे बाध्य नहीं है यदि तिमोबरने किंसा महफूज कर्जस्वाह (पूर्वदिन) की यह नोटिस दिया हो कि वह जापदादको बिक्री करके बँचना चाहता है व पूर्वदिन इस पर खामोश रहा हो तो उसकी इस खामोशीसे यह नहीं मान लिया जावे कि उसने अपनी जमानत छोड़दी है देखो— 47 Mad. 605 इस प्रकार जमानतका छोड़ा जाना दूसरे कार्यों या भाग नहीं माना जासकेगा निन्तु महफूज कर्जस्वाहको चाहिये कि वह अपने आप जमानतको छोड़नेकी इजाजती देवे। इस एक महफूज कर्जस्वाहके कर्जसे तात्पर्य उसके उस कर्जेका समझना चाहिये जिसकी जमानत है, यदि उसका कोई बिदा महफूज कर्जा भी होवे तो वह बिधा लिहाज इस दफाके ओर कर्जस्वाहोंके कर्जों तर्ह साबित किया जासकेगा केवल महफूज कर्जे केलिये वह इस दफामें नतवाये हुए नियमोंका प्रयोग कर सकता है यदि वह उसे जमानतकी कीमतसे अधिक समझता हो।

दफा ४८ सूद

(१) अगर कोई कर्ज या रुपया जो कर्जदारके ज़िम्मे उस ब्रह्म निकलता हो जबकि य दिवालिया करार दिया गया हो और जो इस एक्टके अनुसार साबित किया जासकता है तबकि उसके लिये कोई सूद मुकर्रर नहीं किया गया है और न तयशी हुआ है तो कर्जस्वाह ६) रुपय सैकड़ा सालानासे अधिक सूद साबित नहीं कर सकता है।

- (ए) जबकि कर्ज या रुपया किसी दस्तावेजके आधार पर किसी खास समय अदा होना चाहिये या तो सूद उस अदायगीके समयसे दिवालिया करार दिये जानेके समय तक (ऊपर कहे हुए छः रुपय सैकड़ा सालानाके, या हिसाबसे मिलेगा)
- (बी) जबकि कर्ज या रुपया किसी दूसरी सूतमें अदा होना चाहिये या और नोटिसके ज़रिये उसकी अदायगीके लिये कर्जदारसे कहा गया हो कि तुमको सूद अद

करना पड़ेगा तो नोटिसकी तारीखसे सूद उस वक्त तक मिलेगा जबकि कर्जदार दिवालिया करार दिया जाय ।

(२) जबकि कोई कर्ज इस पदके अनुसार साधित किया जा चुका हो और उसमें सूद मिलित हो या सूदकी अगह कोई और मुनाफा लगाया गया हो तो हिस्सा रसदी देते समय वह सूद मुनाफा ६) रुपया सैकड़ा सालानाके हिसाबसे लगाया जावेगा परन्तु उस सूदमें जबकि और व कर्ज डूट तौर पर दिवालियेकी जायदादकी क्रोमतसे अदा किये जा चुके नो वच हुप रुपयोंसे जर्दारके असली सूदकी अदायगी होगी चाहे वह इससे अधिक बरका होवे ।

व्याख्या—

इस दकमें यह बतलाया गया है कि सूद किम दरमे लगाया जाना चाहिये ।

उपदफा (१) यदि कोई सूद न उगह हो तो ६) रुपया सैकड़ा सालानाकी दरमे अधिक सूद नहीं लगाया जाना चाहिये । जबकि कोई कर्ज किसी खास समय पर किसी दस्तावेजके अनुसार अदा किया जाना चाहिये या तो सूद उस अदायगीके समयसे दिवालिया करार दिये जाते समय तक ७) रुपया सैकड़ाकी दरमे लगाया जावेगा इसी प्रकार जबकि कोई और किसी प्रकारसे अग किया जावे वाज्य होवे तथा कर्जदारको सूद अदा करनेके लिये नोटिस दिया गया हो तो उस नोटिसकी तारीखसे दिवालिया करार दिये जाते समय तक ७ रुपया सैकड़ा सालानाकी दरसे सूद मिलेगा ।

इस उपदफाके क्राज (५) व (६) दोनोंहीके अनुसार सूद दिवालिया करार दिये जानेके हुकम तक दियाया नासकेगा ।

क्राज (६) में जो नोटिसका जिक है वह लिखित नोटिस होना चाहिये जवानी नोटिससे काम नहीं चलेगा ।

उपदफा (२) के अनुसार हिस्सा रसदी असल रकम व उस सूद या मुनाफाके अनुसार मिल सकेगी जो रुपया सैकड़ा सालानाके हिसाबसे निकले अर्थात् यदि किसी कर्जद्वारा अपने अपना कर्ज साधित करते समय कुछ असल रकम दिसलाई हो तथा कुछ सूद दिसलाया गया हो और वह सूद ६) रुपया सैकड़ा सालानाकी दरमे अधिक हो तो हिस्सा रसदी देते समय उसकी असल रकम व उस पर ६) रुपया सैकड़ा सालानाकी दरसे जो सूद होता हो उसीके अनुसार उसको हिस्सा रसदी मिल सकेगा परन्तु इस उपदफामें यह भी साफ कर दिया गया है कि अगर दिवालियेकी जायदादमें उसके सब जे पूरे रूपसे अदा किये जा चुके व उसके बाद कुछ क्राजिल रकम बचे तो उन क्राजिल रकमसे कर्जद्वाराके असली सूदकी अदायगीकी जायेगी जो कि हिस्सा रसदीके समय उसके कर्जसे कम करदी गई हो इस प्रकार कर्जद्वारा क्राजिल रकम निकलने पर घाटेमें नहीं रहा जावेगा । इस दकमें उर्ही कर्जोंके सूदका जिक है जो दिवालिये पर होवे उन कर्जोंका जिक नहीं है जो दिवालियेके अपने कर्जदारोंसे बसूल करता हो इस कारण दिवालियेके कर्जदारका यह बर्तव्य समझना चाहिये कि वह निवृत्तकी हुई दरके अनुसार सूद अदा करे देता—18 I. C 205

महकूम कर्जद्वारा (Secured creditor) को अधिकार है कि वह निवृत्तकी हुई दरके अनुसार अपना सूद दिवालिया करार दिये जाने वाले हुकमके पश्चात् कर्ज बसूल होनेकी तारीख तक ले सके देता—A. I. R. 1924 Rang 352. दिवालिया करार दिये जानेकी तारीखके बाद अदायज ६) रुपया सैकड़ाकी दरसे अधिकका सूद नहीं दिया जा सकेगा—A. I. R. 1926 All 361.

दफा ४९ साधित करनेका तरीका

(१) इस पदके अनुसार कर्ज साधित करनेके लिये कर्जकी तारीखमें हलफनामा अदा-
लतमें दाखिल किया जासकता है या वृत्तिये रजिस्ट्रीके भेजा जासकता है ।

(२) हलकनामोंमें हिनाव दर्ज होगा या उन हिमावना हवाला दिया जावेगा जिनमें कर्षकी तरफसे ली गई हो और अगम कर्षी तहसीरी कागज (Vouchers) हों जिनसे कर्षकी पुष्टि होनी हो तो उन कागजोंका भी जिक्र होगा । अदालतको अधिकार है कि वह किसी समय उन तहसीरी, कागजों (Vouchers) को मांग सकती है ।

व्याख्या—

इस दफामें यह बतलाया गया है कि इन एवम अनुसार कजे दित प्रगर साबित किये जासकते हैं ।

जबही तहसीरीके लिये हलकनामा तालिक किया जाना चाहिये आर वह हलकनामा या ता अदालतमें दाखिल किया जानकता ह या सातमग खानम पर अकिकिके जगि भजा जानकता है ।

उपदफा (१) की भाषामें यह पकट इतना है कि कवल एम उपदफामें बतलाया हुआ तरीकाही कर्षी साबित करेके लिये नहा ह कि तु बड आर यो तराहोंन शगदत दर राबित किया जासकता है । इस दफामें एक सुविधानक ब सीपासा तरीका कर्षी साबित करनक लिये बतला दिया गया ह ।

दफा ३३ (२) में यह बतलाया जावुका है कि कर्षीकाहान शहादत आदिमें अपना अपना कर्षी साबित करेमें उस दफामें शहादतमें सातमग आर शगदतमें मगजना चाहिये जिनके अनुसार अदालतमें कर्षीके मानन यकान दिया जासके व कर्षी साबित किया जासक परतु इस दफामें एम तराका कर्षी साबित करेके लिये बतला दिया गया है जिससे कर्षी-साहान लाभ उठा सकत है व यदि वह चाहे तो हममें बतलाये हुए तराक अनुसार अपना कर्षी साबित कर सकते हैं ।

उपदफा (२) में यह बतलाया गया है कि जिन हलकनामोंके द्वारा कज साबित किया जाव उसमें वह हिनाव दर्ज किया जाना चाहिये जिनमें कर्षीके तफसील बतलाया जा या उन हिनावना हवाला दिया जाना चाहिये जिनमें कर्षीके तफसा बतलाये गड हो । आर सातमी मग यदि तहसीरी मगज उन कर्षीके सम्बन्धमें हाव ता उन बाउक म भा उखल उसमें दिया जाना चाहिये । अमजी एवकरी उस उपदफामें (Shall) त दफा प्रयोग किया गया है इत (Shall) शब्दक प्रयोग यह बात प्रकट होनी है कि कर्षी साबित करने वालों हलकनामा ठाक उर्ही नियमाके अनुसार शेष चाहिये नियम रूप उखल है यदि उन नियमाका अर्थात्ना करके हलकनामा दिया जावेगा ता वह कर्षी साबित करेके लिये पयास नहा समझा जासकता ।

अदालतको अधिकार है कि जब वह चाहे तब हलकनामोंको हवाला दिने हुए मजिस्ट्रेटको पेश करा सकता है । इस दफामें यह दर्ज बतलाया गया है कि हलकनामोंको तमदीक कौन करेगा परतु जानना दर्जनामीके नियमाका ध्यान रखने हुए यह रदा जासकता है कि उनका तमदीक या तो खन कर्षी-बादशीकी बला चाहिये या रिहा ऐसे व्यक्तिके द्वारा होना चाहिये जिस उस हलकनामोंको दिवगई हुइ जानाका वी २५५ शो ।

दफा ५० सूचाके इन्तखाकको नामंजूर करना या घटाना

(१) जबकि रिस्तीकरता यह मालूम हो कि कोई कर्षी गलतीसे सूचामें दर्ज हो गया है तो रिस्तीकरताके द्वारा खन के पर व कर्षी-बादशीको नोटिस देनेकी वाद तथा इत किम्पनी तहसीरीकात कर्षीके वाद जो अदालतको उखिन प्रकीत हो, अदालत उस कर्षीको सूचसे खारिज कर देगी या उसे कम कर देगी ।

(२) जबकि कोई रिस्तीकर निरुक्त नहीं किया गय, हो या जबकि रिस्तीकर हस्तक्षेप कर्षीके इन्तखाक करे तो किसी कर्षी-बादशीके दरदवान्त देने पर या जबकि तसकिया या रशीम

झाप मामला रख हुआ हो तो कर्जदारके दरखास्त देने पर अदालत ऊपरकी तरह सहकीकात करके सूचीके अन्तर्गतकी शर्तों पर कर सकती है या कर्जको घटा सकती है।

व्याख्या—

इस दफ्तेमें अदालत उस अधिकारका वर्णन है जिसके अनुसार वह सूचामें दिखगये हुए कर्जों, सूचामें दटा सकती है या उसे कम कर सकती है। अदालतको चाहिये कि उस दफ्तेके अनुसार कर्जवाहें कगते समय स्वयं ही जाच कर आर उमक साधना भार रिहावर पर न लाय देवें देखा—61 I. C 767, A. I. R 1926 Mad 1019 अर्थात् इस दफ्तेमें अनुसार रिहावरको अधिकार नहीं दिया गया है कि वह स्वयंसे किसी कर्जको रद्द कर अथवा सूचामें हटावे।

अदालत दिवालियाको चाहिये कि वह कर्जोंकी उपस्थितिमें या उनका अचिन सूचामें दिखे जाने पर पश्चात् कानूनन इस प्रश्नको तय करे कि सूचीमें किसी नामको बटाना या घटाना चाहिये अथवा नहीं। अदालत बिना एसा करण हुए नाम बटा या घटा नहीं सकती है देतो—अमीरचन्द्र बनाम अनुकुलचन्द्र A. I. R 1926 Cal 160

जब कि सब कर्जवाहें समाप्तकी जाचुके और वह फर्माव जिसको छानि पहुँच रही हो सब कारवाहें कम चुका हों तो कर्जवाहें समाप्त हो जानेके बाद सूचा नहीं सुगरी जा सकती है देतो—51 I. C. 55 इस दफ्तेमें यह प्रकट है कि अदालतको अपने आपही इस दफ्तेमें अनुसार कर्जवाहें न करना चाहिये किन्तु किसी न किसी दरख्वास्त दून पर इस दफ्तेमें अनुसार कर्जवाहें करना चाहिये ऐसी दरख्वास्त उपदफा (१) के अनुसार रिहावरके द्वारा तथा उपदफा (२) में किसी कर्जदार या कर्जदार द्वाराही जाना चाहिये। इस दफ्तेके अनुसार कर्जवाहें करनेसे पहिले अदालतको चाहिये कि वह कर्जमें सम्मन्ध रखन वाले कर्जदारकी सूचना देवे जिसमें कि उसके निम्नके कोई एक बिन्ग उसको सूचना मिले हुए न शिया जासके। यदि कोई तमादो कर्ज बिन्ग जाने हुए सूचामें दर्ज हो गया हो तो उसका दर्ज हो जाना इस दफ्तेके अनुसार अनुचित है और इसी कारण उनको सूचामें निकाट दिया जाना चाहिये। एउ कर्जवाहें दूसरे कर्जवाहेंके कर्जोंका बिराध कर सकता है देखो—37 All 252.

आकिशक रिहावरका कर्जवाहानकी सूची तैयार करना कोई कानूनी या आतिव निर्णय नहीं है विशेष कर उन मामलोंके लिये जिनमें झगड़ा हो और इसीलिये उसके सूचा तैयार कर देनेमें अदालतका अधिकार सूचामें कर्जों भिनाल देनक सम्मन्ध जाता नहीं है देतो—45 I. C 67. बाद इस दफ्तेके अनुसार सूचामें कर्ज कर्जों भिनाल दिया जावे या कम कर दिया जावे तो उसकी अपील दफा ७५ (२) व सूचा न० १ के अनुसारही जासकेगा देतो—A. I. R 1926 All. 361

पहिले किये हुए सौदों (Transactions) या कारवाहियों पर दिवालेका असर

दफा ५१ इजरायमें कर्जवाहानके हकोंमें रुकावट

(१) जबकि कर्जदारकी जायदादके खिलाफ डिफ्री जारीकी जाचुकी है तो रिहावरके मुकामिके किसी शख्सको उस इजरायमें लाने उठानेका हक न होगा परन्तु दिवालेको दरख्वास्तके लिये जनेसे पहिले इजरायके खिलासिलेमें नीलाम या और किसी तरीकेसे जो अस्सासा कर्जदार का हथ अ.सा हो उसमें यह बात ल.गू न होगी।

(२) अगर कोई महफूज कर्जहवाह अपनी डिक्ली ज.पदादके खिलाफ जारी कराये तो उसके अधिकारोंमें कोई असर नहीं पड़ेगा ।

(३) जो खरीदार नेकनीयतीसे इजराय द्वारा नीलाममें जायदाद खरीदे उसको रिस्वीवर के मुकाबले हर मामलेमें अच्छा हक पहुँचगा ।

व्याख्या—

इस दफाया अभिप्राय यह समझना चाहिये कि खरीदारों को जायदाद दिवालियोंकी कार्रवाई को जानेने परन्तु सभ कर्जदारोंकोके लाभार्थ बचाई जानेके अर्थात् कोई कर्जहवाह दिवालियोंकी दरखवास्त लिये जानेके परन्तु वाहुरे (जयपती कार्रवाईमें अनेके लाभ नहीं उठा सकेगा ।

इस दफासे कर्जहवाहोंके इशमें खराबद पवती है किन्तु इनकाय कर्जहवाहों अदालतके अधिकारमें कोई कर्जहवाह नहीं पवती है क्योंकि वह अपने अधिकारके अनुसार इनकायकी कार्रवाई कर सकती है । इस कारण यदि अदालत किम्भी इशारतमें कोई जायदाद नीलाम करे तो दिवालियोंकी कार्रवाई जानने पर वह नीलाम प्राप्त नहीं उठेगा जावगा देखो—A. I. R. 1925 Lah. 158. परन्तु ऐसी दशामें आगे बतलाई हुई दफा ५२ की कार्रवाईका प्रयोग किया जासकेगा ।

पुनर् अर्थत् सन १९०७ ई० के एक्टके अनुसार रिस्वीवरको कोई अधिकार नहीं था कि वह डिक्लीदारसे वह कया लेसके ओ उसने दिवालिया करार दिये जाने वाले हुकमसे पहिले वसूल कर लिया हो देखो—41 All 274. परन्तु इस एक्टके अनुसार ऐसा नहीं है दिवालियोंकी दरखास्त ले लिये जाने (Admission) के बाद रिस्वीवरको हस्तक्षेप करनेका अधिकार प्राप्त है उसमें पहिले जो वसूल हो चुके वह डिक्लीदारकी समझना चाहिये । इस बातको भली भन्ति समझ लेना चाहिये कि दरखास्तके लिये बात (Admission) से पहिले इनकाय नीलाममें जा कया वसूल हो चुकेगा वही कय सकेगा और इस दफाया यही तात्पर्य समझना चाहिये देना—A. I R. 1925 Mad. 224; A. I R. 1926 Sind 199.

इस प्रकार यदि दरखास्त लिये जानेसे पहिले (Before Admission) नीलाममें हो चुके परन्तु कया बादमें वसूल हो तो यह कय रिस्वीवरकी समझना चाहिये इनकाय कराने वाता डिक्लीदार उसके पानेका हकदार न होय देखो—A I R. 1925 Mad 248 में खरीदार नालामने कामत खरीदना चाँपाई कया दे दिया था और बाकी कया जमा किये जानसे पहिले परचूनन दिवालियों दरखास्त दशा था तब इस मामलेमें यह तय हुआ था कि डिक्लीदारको नीलामका कया नहीं मिलना चाहिये इस दफाके अनुसार नेचल कुर्के रगने वाले डिक्लीदारकी कया नहीं बच सकता है किन्तु वह कया भी बच सकता है जो दूसर डिक्लीदारोंका जानता दावानीकी दफा ७३ के अनुसार खरीद रिस्ता रसदीके मिलना चाहिये क्योंकि रिस्ता रसदी हा जानेपर कया उन डिक्लीदारोंका हो जाता है और परचूनन उसमें कोई हक नहीं रह जाता है और इस कारण वह दिवालियोंकी कार्रवाईके सम्बन्धमें नहीं लिया जासकता है अर्थात् यदि दरखास्त दिवालियोंके लिये जानेके पहिले (Before Admission) किसी इनकाय डिक्लीमें कुन खुरा कया दिग्गा रसदी लगाने वाले डिक्लीदारोंमें बट गया हो तो वह कया भी रिस्वीवर पानका अधिकार नहीं होगा देखो—A. I R. 1922 Mad 31—581 C. 512.

यदि कोई कया कुर्के होकर अदालतके हाथ आकर २१ रूल ५२ जानता दावानीके अनुसार आया हो परन्तु उस कयेको दिये जानेसे पहिले परचूनन दिवालियों करार दिय जानेकी दरखास्त देदी गई हो और आकिञ्चल रिस्वीवर हुकम इतनाई (Interim) रिस्वीवर नियुक्त कर दिया गया हो तो एम्भी हालतमें यह तय किया गया कि रिस्वीवरको उन कयेके लिये हस्तक्षेप करनेका अधिकार प्राप्त है जिसमें वह एफ दिवालियोंको दफा ५२ (१) के अनुसार सभ कर्जहवाहोंके लाभार्थ लिया जानके देखो—A. I. R. 1928 Sind 165. दिवालियोंकी दरखास्त ले लिये जाने (Admission)

क पक्ष नू कुंठे कगने नाडि डिक्लीटका इक कुंठेकी हुई जायदाद पर नहीं पड़वता हे और वह जायदाद दिवालियेकी वनी रहनी हे तथा दिवालिया करार दिये जातके बाद वह रिमायन्स हो जाती हे । अमेकी कानूनके अनुसार कुंठे कगन बाल डिक्लीटका इक जायदाद पर हो जाता हे आर एथा माग वद कुंठेकी हुई जायदादके बच पर जयना कर्जे वसूल कर सतता हे परन्तु भागवतमें ऐसा नहीं हे यदाक कानूनके अनुसार कुंठे कराने वाला डिक्लीटार यदि दरख्तान दिवालियाके क्रिये जानमे पहिले नीलाम कराके अपना रुपया न ल चुका हो ता उमरु कोहे इक कुंठेकी हुई जायदाद पर नहीं पड़वत और उमरुकी वही स्थिति समझना चाहिये जो दिवालियाके दूसरे कर्जकारोंकी हे आर वह नीलामकी कीमतमे केवल हिस्सा रखदाही और कर्जकारोंके साथ पाठकेगा देना—44 Cal 1016

यदि दिवालियेका कोहे कर्जकार उमका किसी डिक्लीटो जो उमने किसी तीसरे शक्तके खिलाफ दाखलकी हो चुके बराले तो वह कर्जकार इम कुंठेमें लाभ नहीं उठा सकगा क्योंकि दिवालिया करार दिये जाने पर इजाजत कलियेका इक रिमीवरना हो जावेगा देना—18 All 86

असासा (Assets) से तात्पर्य उम कर्जगतमे हे जो इजरायमे कुंठेकी हुई जायदादके नीलाम होने पर वसूल होवे ।

असासा का वसूल होना (Realization of assets) उस वक्त ममझा जावेगा जबकि वह अदालतके हाथमे भाजत देना—18 Cal 242, 28 Cal 264, 19 Mnd. 72, 9 A L J 707

यही बात नीचे दिये हुए मामलोंमें भी तयकी जाचुकी हे देखी—44 Mad 100, A I R. 1923 Mad 505, 34 All 628, 101 I C 848 (Sindh.) एम 101 I. C 848 के मामलों पर भी तय किया गया था कि यदि कुंठे करनेवाली अदालत व वह अदालत जहामे रुपया कुंठे किया जम्मे बाला होवे एकही होवे ता वह रुपया दफा ५१ (१) के अनुसार वसूल किया हुवा असासा समझा जावेगा जो अदालत व मरतूनकी निर्णयमे कुंठे कगन वाले डिक्लीटारके हकमें आने हुवा दाय मुलबिल पर दिया होवे ।

यह दफा उहा वक्त लागू होगी जब कि कपरा किसी डिक्लीटो इजरायमें वसूल किया गया हो इमालिय यदि अदालतमें कोई रुपया कमानतका जमा हा तो उमके लिय यह नहीं रहा जावेगा कि वह रुपया इजरायमें वसूल किया गया हे देना—31 I C 573, 13 A L J 898

उपदफा (२) यहूदूज कर्जकार इम दफाते बग हे यहूदूत कर्जकारके टकता वर्णत दफा ९ (२), २० (६) आर दफा २० में हे ।

उपदफा (३) यदि किसी व्यक्तिमे नेपनीयतासे नीलाममें जायदाद लेगी हा तो उमकी स्थिति वर्णत इम उपदफाम दिया गया हे । नकनीयतासे नीलाममें जायदाद खंगलने अभिप्राय यह हे कि खरादार नीलामकी तालाक मलय यह न माहूम हो कि मरतून नीलामके समय दिवालिया था आर न मामुले तासे बोशिश करने पर वह यह माहूम ही कर सतता था कि दिवालिया हुवा मरतूनके खिलाफ दिया जाचुका हे दफा—34 I C 829

दफा ५२ जायदादके खिलाफ डिक्लीट इजराय करनेमें अदालतके कर्तव्य

अगर कोई डिक्लीट कर्जदारकी उस जायदादके खिलाफ जारीकी जावे जो इजरायमें वेंची आपकती हे और नीलाममे पहिले इजराय करने वाली अदालतकी नोटिस मिल जावे कि कर्जदार द्वारा य.उ.नके खिलाफ दीहुई दिवालियाके दरख्तास्त लंती गई हे तो अदालत दरख्तास्त आन पर जायदादको अगर वह अदालतके कर्जमें होगी रिमीवरके सुपुर्दे करनेका हुकम देगी परन्तु उम सुकहमेंका सुर्चे जि.मे डिक्लीट हुई हे तथा इजरायका खच उस जायदादसे सबसे

पहिले वसूल किये जायें और रितीवरको अधिकार है कि वह कुल जायदाद या उसके किसी हिस्सेको इन खर्चोंकी अदयगीके लिये प्ररोक्त कर देये ।

व्याख्या—

इस दफाका वही अभिप्राय है जैसा कि पिछली दफाका था कि दिवालियेकी जायदादसे उसके सब कर्जम्बाहोंकी लाम पहुँचना चाहिये कोई एक कर्जम्बाह उस जायदादसे अग्रदूदाही जायदाद न उठा सके । यदि दिवालियेकी जायदाद लिये जाने (Admission) के पत्नाद् दिवालियेकी कोई जायदाद नीलाम होने वाली होवे तथा नीलाम करने वाली अदालतको उस दिवालियेके दारखास्तकी सूचना मिल जावे तो वह रितीवरको उस जायदाद पर कब्जा देनेका हुकम दे देवगा अगर जायदाद अदालतके कानूनों से होवेगा । पिछले एकटके अनुसार दिवालिया करार दिए जानेके बाद इस प्रकारका हुकम दिया जासकता था परन्तु इस एकटके अनुसार दारखास्त दिवालियाके लिये जाने (Admission) परही ऐसा हुकम दिया जावेगा अदालत इस दफाके अनुसार हुकम देनेके लिये बाध्य है जैसा कि 'Shall' शब्दसे जो अर्थकोके एकमें प्रयोग किया गया है प्रकट होता है ।

इस दफाके लिये यह आवश्यक नहीं है कि दारखास्त दिवालिया कर्तदार द्वारा दा गई जा या किसी कर्जम्बाह द्वारा ही दी गई हो । दारखास्त दिवालिया चाहे जिसके द्वारा दा गई हो इस दफाके अनुसार कर्जम्बाहोंकी जायदाद इतना आवश्यक है कि वह दारखास्त लेखी गई होवे ।

यह बात भी ध्यानमें रहना चाहिये कि इस दफाके अनुसार कर्जम्बाह बरानेके लिये दारखास्त दिये जानेकी आवश्यकता है अर्थात् इस बरानेके लिये अदालत इनबारेमें दारखास्त दी जाना चाहिये कि वह जायदाद रितीवरके सुपुर्देकी जावे यदि इस प्रकारका दारखास्त न दी गई हो और अदालत नोटिस मिल जानेके बाद भी जायदादको नीलाम कर देवे तो ऐसे नीलामका विरोध गिमीवर या कर्जम्बाह नहीं कर सक्ता है देखें—A. I. R. 1925 Lah 158

इस दफाके अनुसार कर्जम्बाहोंकी जानेके लिये इनबारे कर्तदारकी जायदादके खिलाफ होना चाहिये अर्थात् यदि इनबारे कर्जम्बाहके अलावा किसी दूसरे व्यक्तिकी जायदादके खिलाफ होनी या ऐसी जायदादके खिलाफ हागी जिसमें कर्तदार व अन्य लोगोंका भी हिस्सा होवे तो इस दफाके अनुसार कर्जम्बाह नहीं कीजाना चाहिये । इस दफाके यह भी बतलाया गया है कि इनबारे किसी ऐसी जायदादके खिलाफ होने जो इनबारेमें बेबी जासकती हो । इस एकटके दफा ४ व २८ में बेंचे जाने योग्य जायदादका विवरण दिया हुआ है तथा आबता दारानोकी दफा ६० में भी इसका विवरण मिलगा ।

इस दफाके जो विवरण उल्लेख है उसमें उस विवरण तात्पर्य नहीं है जो रहननामकी विन्ती हो या किसी महकूज कर्जम्बाहका अमानतके सम्बन्ध हासिलकी गई हो देखें—A. I. R. 1926 Mad 194

इस दफाका यह अभिप्राय नहीं है कि दिवालियेकी दारखास्त लिये जावेरा नोटिस मिल जाने पर अदालत सदस्योंकी जायदादकी नीलाम करनेसे बचित सके देखें—A. I. R. 1925 Lah 158

यह दफा उसी समय लागू समझना चाहिये जबकि इनबारे करने वाली अदालतको इस बातके लिये दारखास्त दी गई हो कि वह जायदाद रितीवरकी सुपुर्देगीमें देदे । इससे यह प्रकट होता है कि दफा उसी समय लागू होगी जबके कोई रितीवर नियत किया गया हो । इसी प्रकार यह तय किया गया था कि यदि इन्टरिम (Interim) रिमावरको दिवालियेकी जायदाद पर कब्जा लेना आवश्यक अदालत द्वारा नहीं दिया गया हो तो उस सूत्रम अदालत इनबारेमें कोई दारखास्त जायदादका बन्धा उसमें देनेके लिये नहीं दी जासकती है देखें—A. I. R. 1926 Mad 606

इस दफाके जो नोटिसका मिलना आवश्यक लिये कहा गया है उसके बतान यह नहीं बतलाया गया है कि नोटिस किसके द्वारा दिया जाना चाहिये । ऐसा मान्य होता है कि इस प्रकारका नोटिस कोई भा व्यक्ति देसकता है । नोटिस इस बातका

माना चाहिये कि दिवालियेरी दाम्बास उठा गई है चले वह दाम्बास दिवालिये द्वारा दूा गई हो या उसके किमी कर्मचारी द्वारा दूा गई हो इसने कोई भद् नही पडा । यदि नौटन मिल जाने पर तथा जायदाद पर गिरीवरका कब्जा दिये जानेकी दुरवस्थान द दिये जाने पर भी अदायत नीग्राम कर देने तो ऐसी नालामकी अनिश्चित समझना चाहिये तथा ऐस नीग्राममे खरीदार नीग्रामको कोई हक नहीं पहुँचना है क्योंकि इस दफ्तेके अनुसार अदालत रिभीवरकी कब्जा लेनेका हुकम देनेके लिये बाप है । इस दफ्तेके अनुसार रिभीवरकी उमा जायदाद पर कब्जा लेनेका हुकम दिया भासनेका जा अदायतक कब्जेग होने उससे यह स्पष्टता है कि मनचूला (Moveable) जायदाद परही कब्जा लेनेका हुनम हो सकेगा देखें—A. I. R. 1926 Sindh, 199 म यह तथ हुआ था कि, चूँकि इस दफ्तेमें यह दिया हुआ है कि उस जायदाद पर कब्जा दिया जावेगा जो अदायतके कब्जेमें होने इससे यह माहूम होता है कि दफ्तेके उम मनचूला (Moveable) जायदादके लिये लागू है जिस पर अदायत कब्जा कर लेवे या जो इस प्रकार कुर्कवी गई हो । उम पर अदालत कब्जा लेसके । चोगमनचूला (Immoveable) जायदाद पर कब्जा दगअमल कब्जेके तौर पर नहीं किया जाता है किन्तु उस पर ब ना लेनेके लिये पहिले मद्रपूनेके नाम इस प्रकारका हुकम जारी किया जाता है कि वह उसे किमी प्रकार अल्हदा न करे और इसी कारण इस प्रकारकी जायदाद (अर्थात् चेर मनचूला जायदाद) इस दफ्तेके अन्तर्गत नहीं आती है देखो—A. I. R. 1924 Sindh 69

इस दफ्तेमें यह भी बतनाया गया है कि यदि इस दफ्तेके अनुसार नीग्रामके पहिले जायदाद पर रिभीवरका कब्जा होनेका हुकम देदिया जावे तो उम जायदादमे इशाराया खर्च तथा उम छुक्रुहनेका खर्च जिसमें इनगतकी जान वाली बिनी प्राप्त हुई थी पहिले दिखवाया जावेगा तथा रिभीवरको इसकी पूर्तिके लिये यह अधिपार प्राप्त है कि वह उस जायदादकी या उसके किमी हिस्सेको उस खर्चकी चुकानके लिये बेच देवे । इन बातोंका अधिप्राय यह है कि यदि कोई डिकीदार नालामका पूरा जायदा उठाये लेके दिया जावे तो ऐसी दशामें उसका अमली खर्च न माग जाना चाहिये अर्थात् वह इनगतके खर्च को पावेगा तथा उस खर्चको भी पावेगा जो उसे डिक्री हासिल करनेमे करना पडा हो परन्तु साथ साथ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि वह उन्हीं खर्चोंका पावेगा जो कि कानून उमको दिलाय गय हों या कानूनन जिनेके पावेका वह अधिकारों समझा जावे अर्थात् प्राइवट खर्च व वह खर्च जो क नूनन् उसको नहीं मिल सने है नहीं दिलाय जा सकते हैं ।

दफ्ता ५३ अपने आप किये हुए सौदाँकी मंजूखी

अगर कोई इन्तकाल जायदाद दिवालिया करार दिये जाने वाले हुकमसे दो सालके अन्दर किया गया हो परन्तु जो किनी शारीक बदलभ तथा पहिले न किया गया हो अथवा जो नेकनीयतीले किसी खरीदार या जाभिनदार (Incumbrancer) के हकमें समुचित मूल्य लेकर न किया गया हो तो ऐसी इन्तकाल जायदाद रिभीवरके मुकाबले रह किया जा सकता है और अदालतको अधिकार है कि उले मंजूख कर दे ।

व्याख्या—

कानून दिवालियाका एक प्रधान उद्देश्य यह है कि दिवालियेरी जायदाद उसके मर कर्तेव्यार्थमें उचित रूपसे नादी जासके और इस उद्देश्यका पूर्तिके लिये यह आवश्यक है कि दिवालिया अपने आपही (Voluntary) या धोखेके इन्तकाउ न कर सके । इसी कारण इस दफ्तेमें यह बतलाया गया है कि दिवालिया करार दिये जानेके हुकमके कारण दिवालियेके किये हुए शिखे इन्तकाल रह किने जासकते हैं और वह इन्तकाल अदालत मज्ज कर सकती है देखें—62 I. C. 924 यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि अग्रजी एक्टमें 'Voidable' शब्दका प्रयोग किया गया हो इस कारण यदि उम इन्तकालको रह करानेका प्रयत्न न किया जावे और मंजूखीका हुकम न दिया जावे तो वह इन्तकाल वैधता

तेषां कायम रहेगा । किन्ती इतकाल जायदादके टीक होनेका प्रश्न उसी वन उद्गाया जासकेगा जबकि दिवालिया कगार दिये जानेका हुक्म हो चुके और उससे पहिले अदालतकी कोई अधिगार नहीं है कि वह ऐसे प्रश्न पर विचार कर सके दखा—
A I R 1927 Lal 95 पुगने पकटकी दफा ३६ इस दफामे मिलती हुई थी परन्तु उसमें (अर्थनी एवटमे) 'Void' शब्दका प्रयोग था जिसपर तापर्य यह था कि उस प्रकारके इतकाल अपने आपकी रद्द समझे जाते थे परन्तु इस एकमें 'Voidable' शब्द इ निसका तापर्य यह है कि रद्द करवा जासकता है जसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है ।

इस दफामे अदालतमे तापर्य अदालत दिवालियाम समझना चाहिये चूकि अदायत दिवालियाहीके दिवालियेकी जायदादके सम्बन्धमें कार्यवाई करनेका अधिकांश प्राप्ति है इसलिये दिवालिये करार दिये जानेके बाद वही अदालत दिवालियेके निये हुए इतकाल जायदादकी रद्द भा कर सकती है । जबकि अदायत इस एकमें अनुमां कार्यवाई करने तो उसे चाहिये कि खास तौरसे उमा एवटके नियोंका प्रयोग कर पर तु इसमे यह न समझना चाहि । कि वह आम कानूनी मसले मामूला दीवानों अगत्तानी तरह तय नो कर सकती है दखा—41 All 71.

कि तु यदि दिवालियेका उपायवाई करते समय कोई आम कानूनी मसला तय करना बहुत जरूरी न आवे तो अदालत दिवालियेको चाहिये कि वह दफा ५ क अनुमां आम दीवानों अदालतमें अधिकांशों में न बन बकि उस सल्लेके अदालत दावाना द्वारा तय किय जानेके निये छोड़ देवे देला—A I R 1923 Mad 631.

यदि कोई जायदाद अदालत दिवालियाका अधिकांश सीमावे बाहर सी होवे तो अदालत दिवालिया उसके सम्बन्धमें किये हुए इतकाल जायदादका मामूला कर सकती है देखो—7 I C. 765 पर तु सिटिज भारतकी अदालतका यह अधिचार नहीं है कि वह पर धुक्का जायदाद सम्बन्धमें किये हुए इतकालका मामूला कर सके देखो—A I R. 1922 Nag 221

इस दफामे अनुमां अदालत किसी भी इतकाल जायदादका रद्द करने लिय बाध्य नहीं है किन्तु उसका रद्द करना न करना अदालतकी न जा पर निर्भर है । अगली एकमें 'May be annulled' शब्दोंका प्रयोग किया गया है जिससे यहां अधिगार मिलता है कि यदि आक्रियाको दायन हुए उचिन प्रतीत हो तो अदालत मामूला कर देवे यदि अर्थनीमें 'May' शब्दके बजाय 'Shall' शब्दका प्रयोग हुआ तो बात दूसरी था व अदालतका मामूला करनेका हुक्म दना लाजिमी होता परंतु इस दफाका तापर्य यहां समझना चाहिये कि अदालत मामूलेकी उचिन रूपसे सुनन व समझनेके पश्चात् समुचित कार्य करे ।

अदालतको चाहिये कि वह अपने इस दफामे दिये हुए अधिगारोंका रिमेंबर था किंसा मान्यत अदालतको न द देवे देखो—36 All 549 यह र्था उसा समय लागू हा सकेगा जबकि अदालत जायदाद रग्ग वांता व्यात दिवालयका करार ददिया गया हा तथा इस दफाकी लागू करनेके लिये नीच दी हुई बातोंके आबश्यकता समझना चाहिये —

(१) यह एक जायदाद अलददा भी गई हो,

(२) यह कि इतकाल जायदाद किसी विवादके बन्देमें तथा पहिले नहीं किय गया हो,

(३) यह कि वह इतकाल किसी ऐसे स्वरीदार या जामिनदार (In-umbrancer) क हुक्मों नहीं किया गया हो जिसने नकनयतास व सजुलिन मूल्य देकर जायदादको लिया हो, और

(४) यह कि वह इतकाल, दिवालिया करार दिये जानेसे पहिले दो सालके अन्दर किया गया हो अर्थात् उस इतकाल जायदादके बाद २ सालके अन्दर वह दिवालिया करार दिया गया हो ।

दो सालके अन्दर—से ता पर्य यह है कि यदि कोई इतकाल जायदाद, दिवालिया करार दिये जाने बाद

द्वयमे पहिले उसके दो सालों अदर किया गया हो ता वही १६ किया जा फगा और यदि वह इतकाल जायदाद दिवालिये का इतकाल दिये जाने पहिले दो सालके अदर किया गया हो ता एसा इतकाल जायदाद इव दफ्तक अदर नहीं आता है यदि किसी इतकाल जायदादको हुए दिवालिया करार दिये जाने पहिले दो सालसे अधिक होय हो पन्तु जा दिवालियेकी दफ्तवास्त दिने जानम दो सालके अदर पडता हो ता एसा इतकाल जायदाद एम दफ्तके अर्शन नहीं आता है देखो—
A I R. 1925 Bom 480, A I R 1926 All 470, A I R 1924 Lah 374, A. I. R 1927 Sindh 60, A I R 1928 Rang 148, A I R. 1928 Lah 361 (F B)

उपर बड़े हुए सब प्रकारके साधन लेते गना तय किया गया है कि दो सालकी मियाद दिवालिया करार लिये जाने वाले द्वयमे ही जानम चाहिय वह मियाद दिवालियेकी दफ्तवास्त दिये जानम वलय नहीं ली जायता है । यदि कोई इतकाल २ सालके पहिलेका इतिहास जम दफ्तक अनुसार रद न किया जायता हो तो उम इतकालके लिये दफा ५२ कानून इतकाल जायदाद अनुसार नभर ना लिखते रद करानेका वायदाकी जासनी है । अर्थात् अदालत दिवालिया यदि दिवालियेका कार्यरके मियादम रदना इतकाल जायदादको इम दफ्तके अनुसार रद न कर सकत भा वह इतकाल अदालत दीवानीसे समूल करया जायता है देखो—A. I R 1926 All 470, A I R. 1922 All 443

बार सुवृत्त—जो व्यक्ति इतकाल जायदाद रद करत जाइता हो उसे पहिले यह साबित करना पडेगा कि वह इतकाल दिवालिया इतिहास दो सालके अदर किया गया है और जब यह साबित कर दिया जाइ तो बार सुवृत्त उमेय हट जायगा और तब मिस व्यक्तिके इकम इतकाल किया गया है उपर कर्तव्य होगा कि वह नेकनीयती तथा समुचित मूल्यका अदर किया जाना साबित करे देखो—A. I. R 1923 Nag 97, 39 All 90, 46 All 861

एसा प्रतीत हुता है कि वह सब मोदे जो दिवालिया अर्शन जायदादके सम्बन्धमे दिवालिया इतिहास दो सालके अदर करे जाइया अर्थात् समस्त जानम चाहिये और यदि कोई व्यक्ति इमक विरुद्ध साबित किया जाइ तो उसको चाहिय कि उस सादेका नेकनीयतासे किया जाना तथा उमके लिये समुचित मूल्यका दिया जाना साबित कर देखो—A I R 1924 Mad 860, A I R 1926 Lah. 307

जबकि बा. इतकाल जायदाद रदने के लिये अदालतीक लिय किया गया हो ता बार सुवृत्त इतकाल काल वाले ज्ञान पर नहीं रहेगा किन्तु अदालत इसीबाकी यह साबित करना पडेगा कि वह इतकाल बदनीयतीम करारा गया है देखो—A I R 1926 Sindh. 140. अदालतका कर्तव्य है कि वह यह निश्चित करने समय कि वह इतकाल जायदाद नभरयतासे किया जा है या नहीं उन सब बातका ध्यान रख जो इतकालम सम्बन्ध रखती है अर्थात् जो इतकाल जायदाद इतिहास उपस्थित हो तथा उमके पहिले या उमके बाद फार्मिकल व्यवहारसे सम्बन्ध पड देखा—26 Bom 571, A I R 1924 Mad 865

नेकनीयतासे सम्बन्ध रखने वाली हर एक बातको अलहदा अलहदा नहीं समझना चाहिये किन्तु उन बातोंको एक दूसरेके सम्बन्धसे देखना चाहिये तथा सब बातों पर एक साथ ध्यान रखत हुए नजरीयता या बदनीयतीके प्रयत्न निवृत्त करना चाहिय देखो—A. I R 1927 Nag 166. जबाब किसी दन मेहर (Dower debt) के ठाठ हानका प्रयत्न उपस्थित होत तो दन बातों पर विचार करना आवश्यक समझना चाहिये (१) यह कि कितना मेहर दत्तकाल वाली था, (२) यह कि किस प्रकारका मेहर था, (३) यह कि इतकाल किस मीयतन किया गया (४) यह कि जो जायदाद उमके बदल्ये हो गई है उसका मूल्य क्या है, तथा (५) यह कि मेहरना रुपया अदा कराने देर किस बाणन गी गई थी देखा—39 All 95 यदि इस दफ्तके अनुसार किसी इतिहासको रद करानेकी दरक्यास्त दी जावे तो एसा इतिहासके दिये जानेसे अदालत दाखानेका अधिकार इतिहासके मन्दीया तय करानेके सम्बन्ध नहीं आता देखा । यदि कोई इतिहास

मुद्दमा चर्च रहा हो और आफिसर रिजर्वर उस रेडननामकी रद्द करनेके लिये अदालत दिवालियामें दाखल होने तो उचित तरीका यह होगा कि हम दाखलानके फेसल लिये जाने तक वह मुद्दमा रोक दिया जाये दली—A. I. R. 1926 Mad. 1051.

इस दफाके अनुसार कार्रवाई उसी समय हो सकेगी जबकि दिवालियेमें कार्रवाई चल रही हो अर्थात् वह समप्त हो गई हो। यदि हम दफाके अनुसार किसी इन्टरकाळ जायदादमें रद्द करना हो तो इसकी सूचना उस व्यक्तिमें अवश्य दी जाना चाहिये जिम्मे हकमें वह इन्टरकाळ लिया गया हो तथा उसे अपना मामला ठीक तौरसे अदालतके सम्मुख उपस्थित करनेका अवसर दिया जाना चाहिये देखो—50 I. C 117. इस दफाके अनुसार कार्रवाई करनेके लिये यह आवश्यक नहीं है कि पूरी नोटिस फास लगाकर अर्थात् दावाके तौर पर दाखला रद्द जाना चाहिये किन्तु इसके लिये जो दस्तावेज दी जावे उसमें साफ तौरसे उन सब बातोंको दिखला देना चाहिये जिसके आधार पर किसी दस्तावेज जायदाद पर हथियाना हो। अदालत दिवालियाको यह अधिकार नहीं है कि वह इस दफाके अनुसार कार्रवाई करने समय तहकीकातें थि। प्रत्येक प्रोसेक्यूटिव या रिसेस दुसरी मातहत अदालतके पास भेज दये किन्तु उतका कर्तव्य है कि ऐसी दाखलानक अति तर उनका सूचना उचित रूपसे उस व्यक्तिको देवे जिसके हकमें जायदाद लिखदी गई हो तथा इसके पश्चात् दोनों ओरके सूत्र छ सुनकर स्वयंही उस दस्तावेजका फेसला करे देखो—36 All. 549. रिजर्वरको भी इस दफाके अन्तर्गत हथिये दाखलानकी सुनन तथा उनके तय करनका अधिकार नहीं है। केवल अदालत दिवालियाही इस दफाके अनुसार दाखलानके सारती है तथा इन्टरकाळ जायदादको मसूल कर सकती है या उसके मसूल करनमें इनकार कर सकती है। यदि रिजर्वर स्वयंही ऐसी दाखलानका फेसला करे तो इनका अर्थ यह होगा कि वह स्वयंही अपने मामलेके लिये जज बन गया है देखो—A. I. R. 1926 Mad. 1019

इस दफाक अनुसार कार्रवाई मामूली मुकदमोंकी तरह की जाना चाहिये सरतरीकी कार्रवाई न करना चाहिये देखो—39 All 39. अर्थात् इस दफाके अनुसार यदि कोई प्रश्न उपस्थित होवे तो उनको सरतरीकीमें तय न कर देना चाहिये किन्तु उनको कानूनी तहकीकातके बाद भली भाँति समझ कर तय करना चाहिये देखो—A. I. R. 1926 Mad 801.

रिजर्वरमें रिपोर्ट ऐसे मामलोंके लिये कानूनी शहादत न समझना चाहिये और न ऐसी रिपोर्टोंके आधार पर कोई मसला इस दफाके अनुसार तय ही कर देना चाहिये देखो—36 I. C 906, 36 All 549, 46 All 863.

यदि इस दफाके अनुसार कोई इतनाच जायदाद रद्द कर दिया जावे तो उसके बाद वह जायदाद रिजर्वरकी समझना चाहिये और वह जायदादमें दिवालियेके कर्तव्यवाहोंको हिस्सा रखने उमकी और जायदादकी तरह रिया जावेगा। यदि कोई बयनामा इस दफाके अनुसार रद्द किया गया हो और उस बयनामाने जलिये किसी बिन्दुके रेडननामका खयाल अदा किया गया हो तो वह रेडननामका खयाल बनार कर्तव्यके समझा जावेगा और बयनामानेके सम्मुख हो जनके बाद भी बयनामा करने वालका वह खयाल जो उसने रेडननामकेका अदायगीमें दिया है बनार कर्तव्यके मित्र सकेगा अर्थात् वह जार व रजिस्ट्रारके साथ उन कर्तव्यके लिये हिस्सा रखने पावकेगा देखो—A. I. R. 1925 Nag. 73.

इस दफाके अनुसार किया हुआ फेसला अत्र तन्त्राक्त युवा (Resjudicata) समझा जावेगा और किं व उही फेसलैक दाखियान उसी मसलको तय करानके लिये मामला नहीं चल सकेगा देखो—49 All 71, A. I. R. 1927 Cal 474.

यदि इस दफाके यह नहीं बनयाया गया है कि दाखलान किस समय हो जाना चाहिये इसके यह समझना चाहिये कि इस दफाके अनुसार दाखलानके दौरान कार्रवाई दिवालियामें किसी समय भी दी जा सकती है। देखो—दाखलानके

कृत्वा A. I. R. 1924 Lah. 553. यदि इस दफाके अनुसार कोई इन्तकाल जायदाद मसूज किया जावे तो ऐसे हुकमों के अन्तर्गत अर्थात् दफा ७५ (२) के अनुसार की जा सकती है।

दफा ५४ कुछ मामलोंकी कीहुई तरजीहकी मसूखी

(१) अगर दिवालिया करार दिये जानेके तीन माहके अन्दर किसी एक कर्जध्व्याहके हकमें उसकी दूसरे कर्जध्व्याहोंके मुकामके तरजीह देते हुए कोई इन्तकाल जायदाद या अदायगी या हक पैदा करना या कोई अदालती कार्रवाई उस कर्जदार द्वाराकी गई हो जो यह जानता हो कि वह अपने कर्जोंको अदा नहीं कर सकेगा तो यह सब कार्रवाइयां उस एक धोखाधेहीकी कार्रवाइयां समझी जावंगी जबकि तीन माहके अन्दर उसके खिलाफ दिवालकी दख्खवास दी गई हो और वह दिवालिया करार दे दिया जावे और रिसेवरके मुकामके वह रह समझी जावंगी और अदालत उनको मसूज कर देगी।

(२) इस दफाके उस शर्तके हकमें कोई असर नहीं पड़ेगा जिसने नैकनीयतीके काफ़ी मुआविजा (Consideration) देकर दिवालियेके किसी कर्जध्व्याह या उसके ज़रियेसे उस हकको हासिल किया हो।

व्याख्या—

इस दफामें भी पिछली दफाकी तरह यह बतलाया गया है कि दिवालिया करार दिये जाने वाले हुकमका अन्तर्गत पिछले सारों पर क्या बरतता है। इस दफाके अनुसार उन कर्जध्व्याहोंके अधिकारोंकी रक्षाकी गई है जिनके कर्जोंकी मारनेके लिये कर्जदारने अपनी जायदाद किसी एक कर्जध्व्याहके हकमें उसे बेना फायदा पहुँचानेकी गारन्ती कर दी हो। परन्तु इस दफाके लिये इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि वही सौदा वह समझ जावंगे जो दिवालियेकी दाख्खवास्त दिये जानेके तीन माहके अन्दर किये गये हों अगर तीन माहसे पहिलेके कोई सौदा होवे तो उन पर इस दफाका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस दफाके अनुसार कोई सौदा उसी समय रह समझा जावेगा जबकि नीचे दीहुई चारों बातें उपरिपत्र होवें (१) यह कि उस सौदेके लिये जाने समय कर्जदारके पास अपने सब कर्जोंको अदा करनेका साधन न होवे (२) यह कि वह माद किसी कर्जध्व्याह या कर्जध्व्याहके ट्यूकेके हकमें किया गया हो (३) वह सौदा यह जानबूझ कर किया गया हो कि उससे उस कर्जध्व्याहको बेना फायदा पहुँचे अर्थात् दूसरे कर्जध्व्याहोंके मुकामके उसे फायदा पहुँचानेकी इच्छासे वह सौदा किया गया हो (४) यह कि वह सौदा दिवालियेकी दाख्खवास्त दिये जानेके तीन माहके अन्दर किया गया हो तथा उस दाख्खवास्त पर कर्जदार दिवालिया करार दे दिया जावे। देखो—A. I. R. 1928 Rag. 106

यह बात भी भाति समझ लेना चाहिये कि अदालत इस दफाके अनुसार कर्तवाइं उसी समय कर सकेगी जबकि कर्जदार दिवालिया करार दे दिया जावे अन्यथा नहीं देखो—मूलसिंह बनाम लक्ष्मीदेवी 95 I. C 1055 यदि ऊपर दिल्लाई हुई सब बातें उपरिपत्र होवें तो वह सौदा रह समझा जावंगी और चूकि वह सौदा अपने आपमें रह होवेगा इसलिए अगलतका कर्तव्य सभ्यता चाहिये कि वह ऐसे सौदेको रह कर देवे। अमेरिकी एक्टकी इस दफामें (Void) शब्दका प्रयोग किया गया है जो इसमें पिछली दफा अर्थात् दफा ५३ में (Voidable) शब्दका प्रयोग किया गया है अत इस बातसे यह स्वभावतः प्रकट है कि पिछली दफाके अनुसार बातोंके उपरिपत्र होने पर सौदा रह करार दिया जासकता है परन्तु इस दफाके अनुसार बातोंके उपरिपत्र होने पर सौदा अपने आपमें रह होता है। इस दफाके अनुसार यह आवश्यक है कि दिवालियेकी मशा घोषादेहते किसी एक कर्जध्व्याहने दूसरे कर्जध्व्याहोंके मुकामके फायदा पहुँचानेकी रईहो यह आवश्यक

नहीं है कि जिसके इकमें सोदा किया गया हो उसकी मर्रा इस प्रकारकी रही हो दफ्ते—109 I C. 370, A. I R 1929 Lah 79

धोखादहीसे बेना लाभ पहुँचानेसे तात्पर्य यह है कि सौदा होने समय दिवालियेकी क्या इच्छा थी अर्थात् क्या वह सौदा जिमा एवं कर्जखवाहकी दूबरे कर्जखवाहोंके मुकामके बेना कायदा पहुँचानेकी मशासे किया गया था देखो—42 Mad. 510, A. I. R 1928 Mad. 860

दफा ५४ में यह कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि इसके अनुसार सौदा किस समय मसूदा किया जानकरा है परन्तु दफ्तेमें यह बात भ्राति भरू ह कि दिवालिया करार देदिय जानेके बाद यह सौदा रद्द किया जाना चाहिय क्याकि दिवालिया करार दिये जानेसे पहिले अदालतको कोई अधिका इत दफ्तेके अनुसार कार्रवाई करनेका नहीं है। जबकि अदालत मातहतने दिवालिया करार दिये जानका हुकम इसी निना पर दिया है कि दिवालियाने कोई सौदा धाज देनाका किया है तथ दिवालिया करार दिये जानेका हुकम और धोखादहीसे किये हुए सौदाकी मसूदाका हुकम एक साथ दिया हो और उस सोदेका मसूदाका हुकम पहिल लिख गया हो परन्तु दिवालिया करार दिये जाने वाला हुकम उसके बाद लिखा गया हो ता यह तथ हुआ कि इस प्रकारकी मसूदा एक प्रकारसे लिखनेकी मसूदा है और इस कारण अदालत मातहतका हुकम ठीक है अर्थात् अदालत सोदेका मसूदा व दिवालिया करार दिये जानेका हुकम एक साथ दे सकती है तथा उनके आगे बँधे लिख जानेसे हुकममें कोई असर नहीं पड़ता है तथा वह हुकम ठीक समझना चाहिये दफ्ते—होपामसिंद बनाम गोवालदास देसरान 109 I. C 370, A. I. R 1929 Lah 79.

सौदेके मसूदाकी दरख्वास्त इस दफ्तेके अनुसार दिवालियाकी कार्रवाई मयात होनेसे पहिले किसी समय भी दी जासकती है। इस बातका अन्वय ध्यान रदना चाहिय कि वही सोदे इस दफ्तेके अनुसार रद मसूदे जावने नो दिवालियेकी दरख्वास्त दिय जानेसे पहिले तीन माहके, अन्दर किये गये हैं। तीन महीनेका समय जोड़ने समय वह दिन जिस दिनकी दरख्वास्त दायर हो नहीं जोडा जावेगा।

१५ दिसम्बर सन १९२६ ई० को अर्वालाष्टस १ व २ न अपने एक कर्जदारके दिवालिया करार दिये जानकी दरख्वास्त दी परन्तु उस कर्जदारको जा कर्जा इन दोनोंको लदा करना था वह ५००) पाचमा बपयेन कन था इस कारण २८ जनवरा सन १९२७ ई० को अर्वालाष्टस न० ३ भी उस कर्जदारके विरुद्ध दरख्वास्तमें शामिल होगया और वह कर्जदार १८ फरवरी सन १९२७ ई० को दिवालिया करार देदिया गया। १ मार्च सन १९२८ ई० को अर्वालाष्टस अदालतमें दफा ५४ (१) के अनुसार उन सौदाकी रद्द करारदेनका दरख्वास्त दी जो दिवालियेने १५ दिसम्बर सन १९२६ ई० से पहिल तीन माहके अदर किये थ तो यह तथ किया गया कि २८ जनवरा १९२७ ई० का अतली तारीख समझना चाहिये जबकि दिवालियेकी दरख्वास्त दायर था और उसी दरख्वास्त पर कर्जदार दिवालिया करार दिया गया था इस कारण वह सौदे आ इस तारीखमें पहिल तीन माहके अन्दर नहीं हुए हैं इस दफ्तेके अनुसार रद नहीं समझे जानकने हैं देखो—28 A. L. J. 941, A. I R 1928 All 676

जैसाकि ऊपर बतलाया जाचुका है इस दफ्तेका प्रयोग होनेके लिये यह आवश्यक है कि सौदा किये जात समय कर्जदार अपने कर्जोंको चुकानमें अमर्ष हो अर्थात् यदि कर्जदारका पास काका रुपया हो या ऐसा सुमान हो कि जिससे वह अपने सब कर्जो चुका सकता हो और उस समय वह किसी एक कर्जदारके इकमें दूबरे कर्जखवाहोंके मुकामके कोई सौदा कर दूब तो उन समय इस दफ्तेका प्रयोग नहीं हा शकना क्योंकि ऐसी दशामें वह दिवालियाही करार दिये जाने योग्य न होगा परन्तु यदि उसके पास उस समय अपने कर्जोंको चुकानेका सुभीता न होव ता वह सौदा इस दफ्तेके अनुसार और सौदेके पूरा होने पर रद होगा। असमर्ष होनेसे तात्पर्य यह है कि कर्जदार उस समय अपने कर्जोंकी अपने आप नहीं

पूरा राखना हो यदि पर्याप्त रुपये न होनेके कारण वह चंद्दे उसके रुपये फँसे होनेके कारण गिरफ्तारी वजहसे वह अपने कर्जोंकी अदायगीका प्रबन्ध उस समय न कर सकता हो। इस बात पर प्रमत्त A. I. R. 1927 Lah 136 में बाला गया है इसी प्रकार इस बातकी भी आवश्यकता है कि सौदा होते समय दिवालयियोंकी यह मंशा रही हो कि किसी एक कर्जस्वाहको दूसरे कर्जस्वाहोंके मुकाबिले विशेष लाभ पहुँचे परन्तु यह दफा लागू नहीं हो सकेगी देखो—दौलतगाम बनाम देवजीनन्दन A. I. R. 1924 Lah. 686.

कोई सौदा केबल इसी बातसे रद्द नहीं समझा जावेगा कि उससे एक कर्जस्वाहको दूसरे कर्जस्वाहोंके मुकाबिले लाभ पहुँचना है जब तक कि यह साबित न हो जावे कि कर्जदारका ऐसा करनेकी मंशा थी देखो—मोतीलाल बनाम शंकरगाम A. I. R. 1926 Lah. 231.

यह अन्याय साबित होता चाहिये कि किसी एक कर्जस्वाहकी अदायगी होने समय कर्जदारकी असल मंशा विशेष पर यकी रही हो कि उस कर्जस्वाहको औसतके मुकाबिले रुपया मिल जावे तथा सब कर्जस्वाहोंने उसका रुपया हिस्सा रखनेके हितसे न भाग जानके देखो—37 I. C. 250.

यह मानित करनेके लिये कि किसी कर्जस्वाहको भीखेमे लाभ पहुँचानेके लिये दूसरे कर्जस्वाहोंके मुकाबिले तर्जिह दी गई है केवल इतनाही साबित करना आवश्यक नहीं है कि एक कर्जस्वाहको दूसरे कर्जस्वाहोंके मुकाबिले तर्जिह दी गई है किन्तु यह भी मानित होना आवश्यक है कि उस सौदेके करते समय कर्जदारकी मंशा उस कर्जस्वाहको तर्जिह देनेकी थी और इसी नीयतमे वह सौदा किया गया था। यह पर्याप्त नहीं है कि उस सौदेमे एक कर्जस्वाहको दूसरेके मुकाबिले लाभ पहुँचना है किन्तु यह भी मानित होना आवश्यक है कि एकको दूसरोंके मुकाबिले लाभ पहुँचानेकी मंशा रही हो देखो—42 Mad. 510; 44 Mad 810.

यदि सौदा करते समय कर्जदारकी असल मंशा यह रही हो कि इससे रुपय उसे लाभ पहुँचे न कि उस कर्जस्वाहको निम्नके हकमे वह सौदा किया जायता हो तो ऐसा सौदा इन दफाके अनुसार धोखेसे लाभ पहुँचानेका सौदा नहीं समझा जावेगा देखा—43 All 427; A. I. R. 1929 Lah 686 इस प्रकारके मामलोंकी समझनेके लिये यह देखना आवश्यक है कि आया वह सौदा कर्जदारने अपनी मंशाके लिये किया है या अपने किसी एक कर्जस्वाहको लाभ पहुँचानेकी मंशा न बना है देखा—A. I. R. 1925 Mad. 1089 यदि किसी सौदेमें केवल इन बातका शकही हय कि वह सौदा एक कर्जस्वाहको दूसरोंके मुकाबिले लाभ पहुँचानेकी मंशासे किया गया है तो केवल शकहीके कारण यह दफा लागू नहीं होगी देखो—43 Cal 640

जबकि दिवालयिया किसी दस्तावेजके कारण कोई सौदा करता है या रुपयके अदायगी करता है या कोई ऐसा सौदा करता है जिसका कि उद्देश्य इस दफामें है तो इससे यह नहीं माना जावेगा कि उसने धोखेदेहीसे किसीको तर्जिह देना चाही था देखो—37 I. C. 250. इन दफाके अनुसार जो तर्जिह देनेका क्रिम है वह तर्जिह किसी कर्जस्वाहके लिये होना चाहिये न कि जसदफे लिये नहीं इन दफाके लिये कर्जस्वाहका अभिप्राय महसूस कर्जस्वाहमे भी समझना चाहिये देखो—A. I. R. 1922 Nag 233. परन्तु कर्जस्वाहकी इच्छाके इतने रूपसे महसूस नहीं है देखो—A. I. R. 1923 Cal 689 यदि कोई व्यक्ति उन सौदाके होनेकी वनहते जो कि रद्द होगया जानेका है कर्जदारका कर्जस्वाह बन जाके वा ऐसा दस्तावेज कर्जस्वाहकी इत दफाके अनुसार समझा जावेगा देखा—43 All 427

यदि कोई जामिनदार (Surety) किसी कर्जदारका कर्ज करने पासे पूरा देने तो वह जामिनदार भी उस कर्जदारका कर्जस्वाह बन जावेगा और यदि ऐसे जामिनदारके हकमें कोई सौदा उमरती और कर्जस्वाहोंके मुकाबिले

वेना फायदा पहुँचानेकी मशासे किया जाने तथा वह सौदा किसी खास दवावकी बन्दहमे न किया गया हो तो ऐसा सौदा धोखादेहीसे फायदा पहुँचानेका सौदा इस दफ्तेके अनुसार समझा जावेगा, देखो—A I R. 1923 Rang 149

तर्जिह (Preference) से तात्पर्य यह है कि एक कर्जख्वाहको लाभ पहुँचे तथा उसके कारण दूसरे कर्जख्वाहको हानि उठाना पड़े । जैसा कि ऊपर कहा जाचुंदा है धोखादेहीमे तर्जिह देनेमे अभिप्राय यह समझना चाहिये कि जो सौदा किसी एक कर्जख्वाहको दूसरे कर्जख्वाहको मुकामविले लाभ पहुँचानेके लिये किया गया हो तथा सौदा होने सम कर्जदारकी ऐसीही मशा रही हो ।

जबकि किसी सौदाके लिये यह कहा जावे कि वह इस दफ्तेके अन्तर्गत आता है तो इस बातके ठीक तीरे समझनेके लिये यह दखना आवश्यक है कि क्या कर्जदारने उस सौदेको गैरनीयतीमे किया है या उसकी आदमे उसने कोई वेना लाभ उठानेकी मशाके किया है, देखो—A I R 1925 Nag 225. यदि कोई सौदा किसी कौनदायिक मामलेमे बचनेकी मशाके दवावमे आकर किया गया हो तो ऐसा सौदा स्वयं किया हुआ सादा नहीं है और वह धोखादेहीमे तर्जिह देनेका सौदा नहीं है, देखो—59 I C 576 कानूनी चाराबोहीका दवाव चाहे वह दीवानीके मामलेका होवे या कौनदायिकके मामलेका दवाव (Pressure) का समझा जावेगा, देखो—53 Cal. 640 आर जबकि दिवालिया कानूनी कानूनी होनेके मयमे कोई सौदा कर देवे तो उसे तर्जिह (Preference) न समझना चाहिये, देखो—A. I R 1924 Cal 946

यदि कोई कर्जदार नालिशके बचनेकी मशाके तथा अपनी दशा दूसरों पर प्रशिक्षित न होनेके लिये किसी कर्जख्वाहके हकमे रद्द कर देवे तो एमे रद्द करनेकी धोखादेहीसे तर्जिह देना नहीं कहा जावेगा, देखो—A I R 1923 Lab. 602. यदि किसी कर्जख्वाहको विच्छेद मुआदिके अनुसार हथपा अदा किया जावे तो उसमे धोखादेहीकी तर्जिह नहीं समझी जासकती है देखो—20 I C 395 यदि कोई कर्जदार अपने किसी सभाया सिन्डिकेटकी उमका कर्ज जाकि उस समय बाहिबुलअदा नहीं है चुरा देवे तथा उस समय कर्जदार दिवालियेकी इत्तलतमे होवे तो ऐसी अदायगीसे वेना लाभ पहुँचानेकी मशा समझी जावेगी, देखो—55 I. C 57, A I. R 1925 Nag 225

यदि सौदा करने समय कर्जदारकी दरअमल यह मशा न रहा हो कि उसमे उसके किसी कर्जख्वाहको और कर्जख्वाहों के मुकामविले फायदा पहुँचे किन्तु उसकी यह मशा रही हो कि उस सौदाके करनेमे वह स्वयं फायदा उठायेगा तो ऐसा सौदा धोखादेहीसे लाभ पहुँचानेका सौदा नहीं समझा जावेगा, देखो—43 All. 427

यदि यह बान साबित हो जावे कि कर्जदारने धोखादेहीमे फायदा पहुँचानेकी मशासे किसी इन्तकाल (Transfer) को किया है तो कर्जख्वाह इस बातमे लाभ नहीं उठा सकेगा कि उसने वह इन्तकाल नकनीयतासे किया है देखो—21 C. L J. 176 इसके यह प्रकट है कि कर्जख्वाहकी मशा या नेकनायतीका कोई अगर इस दफ्तेके अनुसार कियो हुए सौदों पर नहीं पकटा है यदि कर्जख्वाहने अपने कर्जेकी अदायाम पैकमे मशमे कोई इन्तकाल रखाया हा तो उससे यह नहीं माना जावेगा कि वह इन्तकाल ठाकड़ा है अगर यह साबित हो जावे कि दिवालियेकी मशा उस कर्जख्वाहको और कर्जख्वाहके मुकामविले अधिक लाभ पहुँचानेकी रही है, देखो—A. I R. 1926 Mad 338.

एक कर्जदारने जो अपने सब बन्धोंका अदा नहीं कर सकता या अपनी मव कीमती जायदादको अपने कुछ कर्जख्वाहोंके पास उनका पूरा कर्ज अदा करनेके लिये रद्द कर दिया और कुछ शरया नकरद अपन लिये ले लिया । इस सौदेमे तीन मासके अन्दर दूसरे कर्जख्वाहोंने उसके दिवालिया करार दिये जानेके लिये दरखास्त देदी और वह कर्जदार दिवालिया करार देदिया गया तो यह तथ हुआ कि वह सौदा (रद्दनामा) कुछ कर्जख्वाहोंको दूसरे कर्जख्वाहोंके मुकामविले

लाम पहुचानेकी मंशसे किया गया था और इसीलिये मंसूख किये जाने लायक है, देखो — 13 I. C 68. यदि कोई कर्जदार अपने पुत्रके कर्जवाहके कुछ और कर्ज लिया चाहता हो परन्तु वह कर्जवाह अपने पिछले कर्जके लिये जमानत लिये बिना दूसरा कर्ज देनेको तीवरा न होने और इस पर वह कर्जदार अपनी जायदाद पिछले कर्जके सम्बन्धमें उसके पास रहन कर देने तो इने धोखादेहीसे तर्जिह देना (Fraudulent preference) नहीं कहेंगे क्योंकि उसको बहून अस्तुत्व थी, देखो — A. I. R. 1924 Lah. 686.

इसी प्रकार यदि कोई कर्जदार घुमीबतमें पड़ा हो और उसको कुछ और कर्जके लेनेकी आवश्यकता हो तथा उसका कोई कर्जवाह अपने पिछले कर्जों व इत नये कर्जके सम्बन्धमें उसकी जायदाद रहन का लेने तो ऐसे सोदेको धोखादेहीसे तर्जिह (Fraudulent preference) देना नहीं समझना चाहिये, देखो — A. I. R. 1920 Lah 291.

यदि कर्जदारने जायदादकी नीलामसे बचानेके लिये कर्जवाहके हकमें रहननामा कर दिया हो व इसके बाद वह दिवालयिकी दरखास्त देवे तो इससे यह नहीं माना जावेगा कि धोखादेहीसे तर्जिह दी गई है, देखो — A. I. R. 1929 Lah. 159 यदि किसी दिवालयिके खिलाफ डिक्ली हो गई हो तो रिसीवर पर उसकी पाबन्दी लाजिमी नहीं है क्योंकि प्रपकिन है वह डिक्ली कर्जदारने मिल कर करवाई होवे या कर्जदारके इस बातकी कोई परवाह ही न होवे कि उस पर चाहे जिननेकी डिक्ली हो जावे, देखो — A. I. R. 1925 All. 33. यदि रजामन्दीसे कोई डिक्ली कराई गई हो तो उसकी भी पाबन्दा लाजिमी नहीं है और अदालत दिवालयिकी अधिभार है कि वह उस डिक्लीके ठीक होने की बात निश्चिन कर सके और यदि ऐसी डिक्ली इस दफ्तेके अनुमार रद्द कर दी जावे तो अदालतको चाहिये कि इस प्रश्न पर विचार करे कि कर्जदारकी अतल मशा उस समय क्या थी देखो — 93 I. C 331. जबकि कोई सौदा धोखादेहीसे तर्जिह (Fraudulent preference) देना समित होनेके कारण रद्द करार दे दिया जावे तो रिसीवरको अधिभार होगा कि वह अधिक दिया हुआ कपया उस व्यक्तिसे वसूल कर लेव जिसके हकमें वह सौदा किया गया हो ।

इसी प्रकार यदि उस व्यक्तिने जिसके हकमें वह सौदा किया गया हो कोई कपया दाअतल अदा किया हो तो उस सौदेकी मसूखी पर वह अपना कपया बापिम पानेका अधिकारी है देखो — 51 I. C 720. इस दफ्तेके अनुमार किसी सौदेको मसूख करानेकी दरखास्त रिसीवर दे सकता है देखो — 52 I. C 188

इस दफ्तेके अनुमार कार्बाई चाद करनेमें पहिले रिसीवरको अधिभार है कि वह जर्जके सम्बन्धमें उस कर्जवाहके कपया जमा कर लेवे जो उस सौदेको मसूख करानेके लिये कहता हो और यदि अदालत दिवालयिया इने मसूख न करे तो वह अदालत जर्जलेमें इस मामलेको ले जासकता है । देखो — 47 Mad. 673 यदि कोई रिसीवर नियुक्त न किया गया हो तो कर्जवाहको अधिभार है कि वह इस दफ्तेके अनुमार किसी सौदेसे मसूख करा सकता है देवा — A. I. R. 1925 Nag. 225. जिसके हकमें मसूख कराय जाने वाला सौदा किया गया हो उम व्यक्तिकी ऐसे मामलेमें फरोक मुकद्दमा अवश्य बनाना चाहिये देखो — 52 I. C 761. यदि कोई सौदा दिवालयिकी दखलाखन शरनेसे कुछही पहिले किया गया हो तो उससे यह शक अवश्य होता है कि वह सौदा धोखादेहीसे किसी कर्जवाहकी लाम पहुचानेकी मशासे किया गया होगा परन्तु इस बातको निश्चित करनेके लिये कि आया दिवालयिकी दरअतल की क्या मशा थी सभी मौजूदा बातों पर गौर करना चाहिये अर्थात् केवल शकहीसे यह न मान लेना चाहिये कि वह सौदा इस दफ्तेके अनुमार रद्द है जब तक कि यह मशी साबित न हो जावे कि कर्जदारने बेना कायदा पहुचानेकी मशासे उस सौदेको किया है देखो — A. I. R. 1924 Ranguu 308

इस दफ्तेके अनुमार कार्बाई सरसी की कार्बाई नहीं है परन्तु इस दफ्तेके अनुमार कार्बाई उस समय की जाना चाहिये जबकि उस व्यक्तिने जिसके हकमें सौदा किया गया हो पूरा मौका जवाबदेहीका दे दिया जावे तथा इसक परचाव

समझ बूझ कर हुनम दिया जाना चाहिये देखो— A I R 1922 Lah 214 अर्थात् इस दफाके अनुसार कार्यवाई उसा प्रकर होना चाहिये जिस प्रकार कि दीवानीका मुकदमा तय किया जाता है आर रितीवरका मुद्दकी इमियतसे मामला साबित करना चाहिये तब तब मामला समझ कर अदालतकी फैसला देना चाहिये ।

जबकि कोई सोदा धाखारहीस तर्जाइ देनेकी बिना पर रद्द करया जानेसे होवे तो बार सुवृत रितीवर पर या उस व्यक्ति पर हागा जो उस सोदेकी रद्द करना चाहे देखो—53 I C. 692, 21 C. L. J 167; A. I R 1924 Lah 686, A I. R 1928 Rang 166, A I R 1929 Lah 159.

यदि दिवालियेने किसी कर्मस्वाइकी घोखारहीसे बना फायदा पहुचानेका मशामे कुछ अदायगीकी हो तो या पाहले रितीवरका यह कर्तव्य होगा कि वह इम बातमें साबित करे कि इम मशामेने वह अदायगीकी गई है परन्तु यदि वह अदायगा दिवालिघा इमसे कुछही पहिलेकी गई हो और दिवालिघा इमके लिये कोई खास जबाब न दमके तो जहिर यह मान लिया जावेगा कि घोखारहीस बना फायदा पहुचानेकी मशामेने वह अदायगी की गई है और तब इसके विरुद्ध साबित करनेके लिये बार सुवृत दिवालिये पर होवेगा देखो—A I R. 1926 Sindh 123. इस दफाके अनुसार फैसला होना पर इस प्रश्नके लिये कोई नया मुकदमा चालू नहीं किया जासकेगा देखो—42 Mad 322, 39 All. 626, 49 All 71.

यदि कानून दिनालेकी दफा ५४ के अनुसार दरखास्त दी जावे तो पहिले रितीवरका यह कर्तव्य होगा कि वह साबित करे कि काहिर दिवालियेने धाखारहासे देना फायदा पहुचानेकी मशामेने वह सोदा किया है परन्तु यदि किसी पिच्छले कर्षोका अदायगी दिवालिघा होनेसे कुछही पहिले की गई हो तो यह साबित होने पर बार सुवृत उस कर्मस्वाइ पर या उस व्यक्ति पर हो जावेगा जिसके हकमें वह सोदा किया गया हो । और यदि ऐसे सदिक होनेके कारण भली भांति अदालतकी न समझाया जावे ता अदालत यही मान लेगी कि बना फायदा पहुचाने की मशामेने वह सोदा किया गया या देखो—107 I C 210.

दफा ५४ (ए) मंसूखीकी दरखास्त कौन लोग देसकते हैं

दफा ५३ के अनुसार किसी इन्तकालके मंसूखीकी दरखास्त या दफा ५४ के अनुसार किसी इन्तकाल अदायगी, बार या कानूनी कार्यवाईकी मंसूखीकी दरखास्त रितीवर देसकता है अथवा अदालतकी आज्ञा लेन पर वह कर्मस्वाइभी देसकता है जिसने अपना कर्म साबित कर दिया हो और जो अदालतको इस बातका विदवाल दिलावे कि रितीवरसे ऐसी दरखास्त देनेके लिये कहा जाचुका है परन्तु वह इसके देनसे इन्कार करता है ।

व्याख्या—

यह दफा निरुक्त नहीं है ओर सन १९२६ ई० के संशोधित एक्टके अनुसार बढाई गई है यह संशोधित एक्ट " The Amending Act of 1926 (XXXIX of 1926) कहलाता है । यह दफा इस कारण बनाई गई है जिसमें कि यह प्रश्न ठाक तीरसे तय हो जाव कि आया कोई कर्मस्वाइ किसी सौदेकी मंसूखीके लिये दरखास्त दफा ५३ व ५४ के अनुसार दे सकता है या नहीं यों तो पिच्छले नजरोमें यह तय किया जाचुका है कि यदि रितावर निपुत्त न किया गया हो वा कर्मस्वाइ किसी सौदेकी मंसूजाके लिये अदालतमें दरखास्त दे सकता है देगा—A I. R. 1925 Nag. 225; A I R. 1924 Nag. 361. परन्तु इस दफामें साक तीरसे कर्मस्वाइकी भी मंसूखीकी दरखास्त देना अधिकार दिया गया है । इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि कर्मस्वाइ ठाक उस आज्ञाशक साथ एमा दरखास्तें

नहीं दे सकते हैं तथा कि रितीवर नहीं कि कर्जदारों के अन्तर्गत दोषों गणित नहीं है। हुई दोनों शर्तों पर होगा चाहिए। (१) यह कि कर्जदार अदायगी इतनी ही। दरदास्त दे सकता है, दूसरे (२) यह कि कर्जदारों को चाहिए कि वह अदायगी इस बातका इच्छासे दिनादे कि रितावले ऐसी दरदास्त देनेके लिये कहा गया था परन्तु उसने दरदास्त देनेसे इनकार कर दिया है। इसका कारण यह है कि रितीवर तो हर समय मसूखीकी दरदास्त दफा ५३ व ५४ के अनुसार दे सकता है परन्तु कर्जदारों को इस समय दरदास्त दे संकेता जबकि रितीवर ऐसी दरदास्त देनेसे इनकार कर देने तथा अदायगी भी आज्ञा इसके लिये मिल जाने अथवा नहीं।

47 Mad 673. में यह बतलाया गया है कि यदि रितीवरसे किसी सोदेको मसूख करानेके लिये कहा जावे तो उभय कर्तव्य है कि पहले वह करने लगे यह सगले कि वह अपने दायित्व का सुदूर रखता है उतरे पश्चात् कर्जदारोंके नाम नोटि निकाळे इसमें यह उस दरदास्तका विरोध कर सके तब यदि रितीवरको समझ पड़े कि दरदास्त कोई सौदा भोलादेहीन किया गया है तो उसकी मसूखीके लिये अदायगी दरदास्त देवे और यदि उसे इस बातमें सशकती न मादुम हो पर तु कोई कर्जदारों को कि वह सौदा कर मसूख कथाया जाना चाहिये तो रितीवर उसी उद्ये दाखिल कथये वह उभयों मसूखके लिये तब अदायते वदे। अदायत दिवालयका भी यह कर्तव्य मादुम होता है कि वह केवल मसूखीका दरदास्तों को लेही न लेवे किन्तु उन पर न्याय पूर्वक विचार करे जहाँ यदि अदायतके सामने कोई मसूखीका प्रश्न उपस्थित किया जावे ता उन पर उत विचार करना चाहिये चाहे वह प्रश्न रितावर द्वारा उपस्थित किया गया हो अथवा उसे कोई कर्जदार उपस्थित करे। अदायत स्वयमी ऐसा प्रश्न सामने उपस्थित हो जाने पर विचार कर सकती है देती—A. I. R. 1924 Nag 361.

दफा ५५ नेकनीयतीसे किये हुए सौदोंकी रक्षा

इस एकटमें अबतक दिये हुए इजराय सम्बन्धी दिवाले परके अस्तरको ध्यान रखते हुए तथा उन इन्तकालात व तरकीहातको ध्यानमें रखते हुए जो मसूख किये जासकते हैं और कोई यात दिवालके सम्बन्धमें नीचे दिये हुए कामको रद्द नहीं कर सकेंगी।

(ए) अगर दिवालयिया किसी कर्जद्वाराहको कोई अदायगी करे।

(बी) अगर दिवालयिको कोई अदायगी या सुपुर्दगी कीजावे।

(सी) अगर दिवालयिया काफी मुआविजा लेकर कोई इन्तकाल (Transfer) करे।

(डी) अगर दिवालयियाके साथ कोई मुआहिदा या व्योहार काफी मुआविजेके पबजमें किया जावे।

परन्तु यह उसी तक ठीक होगा जबकि यह इन्तकालात दिवालयिया क्रारर दिये जाने वाले हुएमसे पहिले किये गये हों और जिस शकलके साथ यह सौदे हुए हों अिते सौदोंके समय नहीं मालुम रहा हो कि कर्जदारने कोई दिवालके दरदास्तरी है या उसके खिलाफ कोई ऐसी दरदास्त दी गई है।

व्याख्या—

इस एकटमें उन सौदोंका जेह व है जो इस एकटके अन्तर्गत रद्द नहीं किये जाना चाहिये। इस एकटके भाग (ए), (बी), (सी) व (डा) में उन सौदोंकी दिखलाया गया है परन्तु सापक्षी तप यद्भी मतका दिया गया है कि यह सौदे

उसी समय रद्द नहीं किये जासकेंगे जब कि नीचे दार्इ शैं पूरी होती होवैं तथा वह पीछे बतलाये हुए किसी कानूनके अन्दर न आती हो अर्थात् इस एक्टकी दफा ५१, ५२, ५३, व ५४ के अनुसार जो सौदे रद्द हो सकते हैं वह यदि ब्राज (ए), (बी), (सी) व (डी) के अन्दरभी आवैं तौ भी वह रद्द किये जासकते हैं ।

इसी प्रकार इन क्राजोंमें बतलाये हुए सौदे उसी समय रद्द होनेस बच सकेंगे जबकि वह सौदे दिवालिया करार दिये जाने वाले हुबन्के होनेसे पहिले किये गये हों तथा जिसके इकमें वह सौदे किये गये हों उसको उस बात तक इस बातका स्थान न होने कि जो व्यक्ति सौदा कर रहा है उसने दिवालियारी दरघ्यास्त देदी है या उसके विपक्ष किसी और ने दिवालियेकी दम्ब्यास्त देदी है । यह दफा एक प्रकासे नेकनीयतासे किये हुए सौदोंकी रक्षाकिये बनाई गई है अर्थात् इससे दिवालियेके कर्जदार व उसके कर्जग्राह दोनोंकी रक्षा होनी है यदि कोई सौदा नेकनीयतासे किया गया हो ।

कलाज (ए) में उन अदायगीकी बचतका उल्लेख है जो दिवालिया अपने किसी कर्जग्राहको करे व कलाज (बी) में उन अदायगीकी बचतका उल्लेख है जो दिवालियेका कोई कर्जदार उसे करे । इसी प्रकार कलाज (सी) व (डी) में उन सौदों व इन्तकालतका उल्लेख है जो काफी मूयाविता (Valuable Consideration) लेकर दिवालिये द्वारा या उसके इकमें किये गये हों परंतु इन कलाजोंकी देनसे पहिले यह बतला दिया गया है कि इस दफासे पहिले जो सौदे बतलाई जाचुकी हैं उनमें अनहेलना नहीं की जावेगी अर्थात् उन सबका ध्यान रखते हुए ही इस दफाके अनुसार कार्यवाई हो सकेगी । इस एक्टकी दफा ५१ व ५२ में यह बतलाया गया है कि इनका पर दिवालियेकी कार्यवाईका क्या प्रभाव पड़ेगा तथा दफा ५३ व ५४ में यह बतलाया गया है कि कौन कौनसे सौदे व इन्तकालत रद्द होंगे या रद्द किये जासकेंगे । इस प्रकार दफा ५१, ५२, ५३ व ५४ का ध्यान रखते हुए ही इस दफाके ब्राज (ए), (बी), (सी) व (डी) में बतलाये हुए सौदोंकी बचत हो सकेगी और साथही साथ उन शर्तोंके पूर्तिभी आवश्यकता है जो इस दफाके अन्तमें बतलाई गई हैं तथा जिनका उल्लेख ऊपर किया जाचुका है अर्थात् दिवालिया करार दिये जानेसे पहिले सौदा होना तथा सौदा कराने वाले व्यक्तिको सौदा होनेके समय दिवालियेकी कार्यवाई होनेस स्थान न होना इन दोनों शर्तोंकी भी पूर्ति होना चाहिये ।

यदि दिवालियेके कोई इन्कालत नायदाद अपनी बीबीके इकमें उसके मइके एवजमें कानून मोहम्मदी (Mohammedee Law) के अनुसार कर दिया हो तो ऐसे इन्कालतकी रक्षा ब्राज (सी) के अनुसार हो सकती है । देखो—13 I. C. 280.

यदि इस्लामके कर्जदारकी जायदारकी हिस्सा रसदके हिस्सबसे राज्यके लिये ले लिया हो तो इसे काफी मूयाविजा समझना चाहिये तथा इस इन्कालतकी रक्षाकी जायकती है, देखो—43 I. C. 602.

इस बातका भी भली भांति ध्यान रखना चाहिये कि बड़ी सौदे इस दफाके अनुसार रक्षके पात्र होंगे जो दिवालिये करार दिये जानेसे पहिले किये जाचुके हों अर्थात् दिवालिया करार दिये जानेके पश्चात् यदि कोई सौदे हुए हों तो उनकी रक्षा इस दफाके अनुसार नहीं हो सकेगी, देखो—A I R. 1921 Bom 49.

जायदादका वसूल करना

दफा ५६ रिसीवरकी नियुक्ति

(१) अज्ञातको अधिकार है कि वह दिवालिया करार देते समय, उसके पश्चात् किसी समय दिवालियेकी जायदादके लिये रिसीवर मुकूरर करदे और उसके बाद वह जायदाद रिसीवर को मिलेगी ।

(२) नियत किये हुए नियमोंका ध्यान रखते हुए अदालतको अधिकार है कि वह:—

[ए] रिसेवरसे उस करर जमानत दाखिल करनेको कहे जो उसे मुनासिब समझ पड़े इस वास्ते कि वह जायदादके सम्बन्धमें जो पावेगा उसका हिसाब देगा ।

[बी] इस बातका आशय या खास हुक्म देवे कि रिसेवरको दिवालियेके लहनेसे कितना मतालया उसके काम करनेके पयजमें उते वतौर उजूरतके मिलेगा ।

(३) जबकि रिसेवर नियुक्त किया जावे तो अदालतको अधिकार है कि अगर जायदाद किसी दूसरे व्यक्तिकी देखरख या कब्जेमें होवे तो उस शख्सको हटा देवे। परन्तु इस एक्टके अनुसार अदालतको ऐसे शख्सको कब्जे या हिफाजतसे हटानेका इखितयार न होगा जिसे हटानेका मौजूदा अधिकार दिवालियेको नहीं है ।

(४) जबकि इस दफाके अनुसार नियुक्त किया हुआ रिसेवर:—

[ए] अपना हिसाब नियत किये हुए समय पर तथा नियत किये हुए ढंग पर दाखिल नहीं करे, या

[बी] अदालतके हुक्मके मुवाफिक बचा हुआ रुपया अदा नहीं करे, या

[सी] यह जानते हुए अपनी शलतीसे या बड़ी लापरवाहीसे जायदादको जुकसान पहुंचाता हो ।

तो अदालतको अधिकार है कि उसकी जायदादको कुर्क व नीलाम करादे और उस नीलामके रुपयसे उस जुकसानकी पूर्ति करे जो उसकी बजहसे हुआ है या उस वचतमें मुजरे ले जो उसके पास रही है ।

(५) इस दफामें दिये हुए नियम दफा २० के अनुसार नियुक्त किये हुए दरमिआनी (Interim) रिसेवरके लियेभी लागू होंगे ।

व्याख्या—

इस दफाका अभिप्राय यह है कि दिवालिया करार दिये जानेके पश्चात् अदालत दिवालियेकी सब जायदाद पर कम्पा ले लेने निमित्त कि वह उसके कर्जदारोंमें हिस्सा रमदीके हिस्सामें बांटी जासके और चूकि अदालतके लिये स्वयं इस प्रकारका काम करना कठिन है इस कारण रिसेवरकी नियुक्तिका क्रम रख दिया गया है । दफा २० के अनुसार दिवालियेके जायदादकी रखाके लिये दरमिआनी (Interim) रिसेवर का नियुक्त किया जाना बनलाया गया है जो कि दिवालिया करार दिये जानेसे पहिले नियुक्त किया जासकता है । परन्तु इस दफाके अनुसार रिसेवरकी नियुक्ति बाद दिवालिया करार दिये जानेके होगी तथा वह दिवालियेकी जायदादकी बसूल करने तथा उनके कर्जदारोंमें हिस्सा रमदीके हिस्साके बांटेके लिये नियुक्त किया जावेगा । रिसेवरकी नियुक्ति करनेमें अदालतको भी अधिकार प्राप्त है तथा उसकी नियुक्ति होनेके पश्चात् अदालतकी उसके कर्जोंमें हस्तक्षेप करनेके जो अधिकार प्राप्त है उनका उखल भी इस दफामें किया गया है साथ साथ यह भी बनलाया गया है कि दरमिआनी (Interim) रिसेवरके लिये भी इस दफामें बनलाये हुए नियमोंका प्रयोग किया जावेगा जब तक कि उनका इन नियमोंसे सम्बन्ध है ।

उपदफा (१) रिसेवर, दिवालयिया करार दिये जानेग हुबम होते समय या उसके पश्चात् हम उपदफाके अनुमार नियुक्त किया जासकता है यदि दिवालयिया करार दिये जाने वाले हुबमको ७ साल वा ग्य हों तो हम देर हो जातेहैकि कारण रिसेवरकी नियुक्तिसे इनार नहीं किया जासकता अर्थात् हम समयभी दिवालयियेकी जायदादके लिये आवश्यकता पडने पर रिसेवर नियुक्त किया जासकेगा देखो—A I R 1924 Cal. 849 ऐसा प्रगट होता है कि दिवालयियेकी जायदादके कुछ हिस्सेहोके लिये रिसेवर नियुक्त नहीं किया जासकता है अर्थात् रिसेवरकी नियुक्ति दिवालयियेकी सभ जायदादके लियेही होनी चाहिये उनके कुछ हिस्सेही के लिये नहीं देखो—A I. R. 1925 Rang 224.

अन्धके रिसेवरकी नियुक्ति न की गई हो तो दिवालयियेकी सभ जायदाद दफा २८ (२) के अनुसार दिवालयिया करार दिये जानेके समयमें अदालतकी सभशा जानेगी अत. यदि रिसेवरकी नियुक्ति दिवालयिया करार दिये जाने वाले हुबमके पश्चात् की जावे तो पहिले दिवालयियेकी जायदाद अदालतकी होगी उसके पश्चात् रिसेवरकी नियुक्ति होने पर वह जायदाद अदालतसे रिसेवर की सभशी जानेगी ।

इस दफामें यह नहीं बतलाया गया है कि कौन व किस प्रकारका व्यक्ति रिसेवर नियुक्त किया जाना चाहिये । देखो—39 All. 159 में यह तथ हुआ था कि बर्जम्ब्राहममें मे कोई व्यक्तिभी रिसेवर नियुक्त किया जासकता है परन्तु इसके पश्चात् देखो—L R 3 A. 85 में यह तथ किया गया कि अदालतकी चाहिये कि वह दिवालयियेके किसी बर्जम्ब्राहमकी उसकी जायदाद बम्बू सर्वेक्ष लिये रिसेवर नियुक्त न करे ।

चूकि रिसेवरके बर्जम्ब्राहम करनेके लिये कानूनी योग्यताकी आवश्यकता है अत यह उचित प्रतीत होता है कि कोई कानूनी योग्यता रखने वाला व्यक्तिही रिसेवर नियुक्त किया जावे देखो—50 I. C. 117. रिसेवरकी नियुक्ति तथा उनका इशारा जाना दोनों बात अदालत पर निर्भर हैं अर्थात् दोनोंका अधिकार अदालतकी प्राप्त है देखो—46 Mad. 405, A. I. R. 1923 Mad. 355

रिसेवरको अदालत नहीं सपसना चाहिये किन्तु वह अदालतका एक अङ्गपर है जिसके हाग अदालत दिवालयियेकी जायदाद पर कब्जा रखती है तथा उस पर अपने अधिकारका प्रयोग करती है देखो—42 I C 799 अदालत अपने कानूनी अधिनार (अर्थात् पैसला करनेके अधिकार) रिसेवरको नहीं देसकती है किन्तु आवश्यकताअनुसार वह रिसेवरको किसी मामलेकी तहकीकात सुर्द कर सकती है जिसमें रिसेवर बाद तहकीकात अपनी रिपोर्ट अदालतके सामने पेश कर सके । बात काज कापके लिये रिसेवरकी रिपोर्ट बतौर साहाय्यके समझी जावेगी देखिये दफा ३२ (२) तथा ३८ (७) 26 I. C 906.

दिवालयियेके रिसेवर तथा दीवानोंके और मामलोंमें नियुक्त किये हुए रिसेवरके अधिकार एक्टकी में नहीं है किन्तु उन दोनोंकी हालमें अंतर है देखो—A I R 1924 Pat 259, A. I R. 1924 All. 40 निममें कि यह बतलाया गया है कि जाबना दीवानोंके अनुसार किसी जायदादके लिये नियुक्त किया हुआ रिसेवर उस जायदाद पर अदालतकी तरफमें कब्जा रखता है । वह जायदाद उसकी नहीं होजाती है और न वह उस समयअनुसार किसी प्रकार प्रतिनिधिही है और यदि उसको फरीक मुकद्दमा बनाकर जायदाद पर पाबंदी कगना हो तो अदालतकी आवश्यकते वह फरीक मुकद्दमा इसके लिये बनाया जावा चाहिये । परन्तु कानून दिवालयियाके अनुसार जो रिसेवर नियुक्त किया जाता है वह उसके बिचल्लडी भिच है वह बचल अदालतका अङ्गमेंही नहीं है किन्तु दिवालयियेकी जायदाद उसकी हो जाती है और वह उस जायदादका प्रतिनिधि हो जाता है और शभी कारण यदि दिवालयियेकी जायदादके सम्बन्धमें कोई मुकद्दमा कगना जावे तो उसे अवश्य फरीक मुकद्दमा बनाया जाना चाहिये और उसकी फरीक मुकद्दमा बनाते समय अदालतकी आज्ञा लेनेकी आवश्यकता नहीं है । इस एक्टके अनुसार रिसेवर नियुक्त किये जातेही दिवालयियेकी जायदाद उसकी हो जाती है और इस बातकी आवश्यकता नहीं है कि अज्ञान आज्ञा देने कि दिवालयियेकी जायदाद रिसेवरकी हो गई है । मजस हार्नेकेने यह तथ किया है कि दिवालयिया

कार्य दिये जानेका हुकम होतेही दिवालियेकी जायदाद आधिकार रितीवारी नहीं हो जावेगी किन्तु इस दफाके अनुसार उसे रितीवार नियुक्त करनेका हुकम दिया जाना चाहिये अर्थात् दूसरे शब्दोंमें जायदादकी सुपुर्दगीका हुकमही जाना चाहिये और बिना इसके वह दिवालियेकी जायदादके सम्बन्धमें कोई कार्य नहीं कर सकता है देखो—47 Mad. 462, A. I. R. 1924 Mad. 461.

इस कारण यदि ऐसी नियुक्तिका हुकम न दिया गया हो तो आधिकार रितीवारसे खर्चा देने बालेका ठीक हुक जायदादमें नहीं पहुँचेगा देखो—A. I. R. 1927 Mad. 1 यदि इस प्रकारका हुकम होनेसे पहिले आधिकार रितीवार किसी जायदादके बँच देवे तो बँचनेके बाद भी ऐसा हुकम दिया जासकता है तथा उस हुकमके होने पर वह सोदा टीफ सप्लाय प्राप्तकेगा देखो—A. I. R. 1925 Mad. 249

जबसे कि दिवालियेकी जायदाद रितीवारीकी सुपुर्दगीमें आनाती है वह उस दिवालियेके बर्जत्ववालोंका एक प्रकारसे प्रतिनिधि हो जाता है और उसको चाहिये कि वह उनके हकोंकी रक्षा हर प्रकारसे करे। और यदि वह किसी मामलेकी उनके स्वामिके लिये वाद करना आवश्यक न समझे परन्तु कोई बर्जत्ववाह यह चाहता हो कि मामला अवश्य चालू किया जावे तो रितीवारको चाहिये कि वह उस बर्जत्ववाहसे मुकदमोंके खर्चके लिये इतनापान कर लेनेके बाद उस मामलेकी चालू कर देवे देखो—36 I. C 771.

उपधका (२)—रितीवारके सम्बन्धमें जो नियम इस एक्टके लिये बनाये गये हैं उनका मानना आवश्यक है उन नियमोंका प्यान रखते हुए अदालतकी अधिकार है कि वह रितीवारसे जमानतकी लेखने निमित्त कि वह उस जायदादके सम्बन्धमें हिसाब दाखिल करा सके जोकि रितीवारके कर्जमें आर है तथा अदालतका यह भी अधिकार है कि वह दिवालियेकी जायदादमेंसे रितीवारकी उसके काम करनेके एजमें कुछ रूपका बर्तार उनसके दिलवनेका हुकम देदे। यदि अदालत जमानतकी शर्तके माथ रितीवार नियुक्त करनेका हुकम देवे तो जब तक जमानत दाखिल न हो जावे रितीवारकी नियुक्ति पूर्ण रूपसे न समझना चाहिये और यदि रितीवार अदालतके हुक्मके अनुसार जमानत देदेवे तो उसकी नियुक्ति उस तारीखसे मानी जावेगी जबसे कि अदालतका हुकम उसकी नियुक्तिके लिये हुआ है। और यदि अदालतके हुकममें जमानतके सम्बन्धमें कोई त्रिक न हो तो रितीवारकी नियुक्ति उसी तारीखसे पूरी मानली जावेगी।

रितीवारके श्रमफल (Remuneration) के बारेमें निश्चित करना अदालतका कर्तव्य है चाहे वह इसे अपने आप हुकम द्वारा निर्धारित कर देवे अथवा वह इसके बारेमें कोई खास हुकम कर देवे। इससे यह प्रगत है कि रितीवार एक प्रकारसे अदालतका अनुचर है और वह किसी दूसरे व्यक्तिस अपना श्रमफल पानेका अधिकारी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अदालतकी आज्ञा लिय बिना रितीवार रितीवारकी उसका श्रमफल देनेका वादा कर देवे तो यह एक प्रकारसे बला अनुचित कार्य होगा और इस प्रकारका समझौता करने वाले व्यक्ति अदालतका अपमान करनेके भागी होंगे देखो—22 Cal 648.

फ्रीस श्रमफल (Nonremuneration)—कितना होना चाहिये इस बातकी अदालतही तय करेगी। बहुधा यह श्रमफल सेरबा पीछे या कमीशनके तौर पर तय किया जाता है परन्तु अदालतकी अधिकार है कि वह इसके बजाय माहवारी बँचनके रूपमें भी यह श्रमफल दिला देवे यह रूपका दिवालियेकी जायदादकी से दिलाया जावेगा और दिवालियेके उत्तराधिकारी जाती तीसरे इसके अदा करनेके जिम्मेदार नहीं हो सकेगे देखो—76 I. C 583 जायदादके सब नामों (Charges) को चुकानेके परचाद जो असाहा (Assets) रितीवारके पास रहेगा उस पर रितीवारके कमीशन या श्रमफलका भार रहेगा।

यदि रितीवारने दिवालियेकी जायदादकी वसूल किया हो तो वह उससे अपना कमीशन पानेका हकदार हो जावेगा और यदि दिवालिया करार दिये जाने वाला हुकम मसूखी कर दिया जावे तो भी वह अपना कमीशन पानेका हकदार बन रहेगा देखो—8 Mad. 79

बन्दी हार्डकोर्टके अनुसार रिडीवरका कर्पोशन ५) रूपया सेबसे अधिक नहीं नियत किया जाना चाहिये तथा यह कमीशन उन कर्पोके अनुसार मिलना चाहिये जो बनीर हिसा रसदीके बादा जाने वाला होवे, देखो—A. I. R. 1925 Bom 172. रदनकी हुई जायदादमें रिडीवरकी कमीशन उर्दी कर्पोके अनुसार मिल सकेगा जो रदनके बाको निकाल देनेके बाद बच पूर्ण जायदादकी कमीमतके अनुसार नहीं मिलेगा, देखो—12 Bom. 272, 21 All 227, 36 Cal. 990.; A. I. R 1925 Nag 150, A. I. R 1928 Rang. 23.

उपदफा (३)—इस उपदफाके अनुसार अदालतको अधिकार है कि वह रिडीवरकी नियुक्तिके पश्चात् यदि दिवालियेकी जायदाद किसी दूसरे व्यक्तिके अधिकारमें हेवे तो उसे उन व्यक्तिके अधिकारसे लेवे परन्तु ऐसी जायदाद उसी व्यक्तिके छुड़ाई जासकेगी जिससे कि दिवाळिया स्वयं छुड़ा सकता हो अथवा नहीं इस प्राविके अनुसार जायदाद उस व्यक्तिके कब्जेसे नहीं छुड़ाई जासकती है जो दिवालियेके कब्जा प्राप्तालिपना (Adverse possession) रखता हो या जो बिना अदालती कार्रवाईके दिवालिये द्वारा भी नहीं हटाया जासकता है, देखो—46 I. C 377; 49 Mad. 762 यदि किसी व्यक्तिका कब्जा जायदाद पर किसी इतरकाल जायदाद (Transfer) के जरिये हुआ हो आर चाहे वह इतरकाल दफा ५४ के अनुसार कालिल मसूखी होवे तो भी ऐसे व्यक्तिमें जायदादका कब्जा इस उपदफाके अनुसार नहीं किया जासकता है, जब तक कि वह इतरकाल रद्द न कर दिया जावे, देखो—A. I. R 1925 Rang 294 इस उपदफाके अनुसार कार्रवाई करते समय अदालतको चाहिये कि दीवानाके मामलाकी ताद भमन्न वृज पर कार्रवाई को और मामलेको नाकायदा सुने जैत कि दीवानाके मामले होने जाते हैं, देखो—37 All 65

इस दफाके अनुसार कार्रवाई करनेसे पहिले अदालतको चाहिये कि वह कोई स्थान रिडीवर नियुक्त कर देवे अर्थात् दग्भियानी (Interim) रिडीवरकी नियुक्त न बना रहने दे, देखो—A. I. R 1926 Pat 291 यदि दिवाळिया क्रयार दिये जानेके बाद तथा रिडीवर नियुक्त किये जानेके बाद दिवाळियेकी कोई जायदाद इनकारमें बच दी गई हो तो रिडीवरको अधिकार है कि वह ऐसे नौगमनी मसूखी तथा बची हुई जायदाद पर कब्जा लेनेकी दरखास्त इस दफाके अनुसार अदालत दिवालयियामें दे सके, देखो—44 Mad. 524.

इस उपदफाके अनुसार केवल रिडीवर ही दरखास्त नहीं दे सकता है निन्तु वह व्यक्ति भी दे सकता है जिसने रिडीवरसे जायदादको खरीदा है, देखो—45 Mad 434, A. I. R 1922 Mad. 147. यदि इस उपदफामें दी हुई शर्त (Proviso) का ध्यान न रखने हुए अदालत कोई फैसला कर देवे तो उस फैसलेके फौजकैमके इक पूर्ण रूपसे निश्चित किये हुए नहीं माने जायेंगे, देखो—49 Mad. 762 अर्थात् जो अदालतको दफा ४ के अनुसार किसी इकको तय करनेका अधिकार प्राप्त हो, परन्तु इस उपदफा की शर्त (Proviso) उसमें बाधक पड़ती हो तो अदालतको दफा ४ के अनुसार कार्रवाई नहीं करना चाहिये । और इसी कारण ऐसे प्रश्नोंके इक कब्जा एक प्रकारसे अदालत दिवालयियाके लिये समय नष्ट करता है और उसे चाहिये कि वह ऐसे प्रश्नोंको नगरी नालिशमें तय होने देवे देखो—A. I. R 1924 Mad. 387. इस दफामें यह नहीं नहीं बतलाया गया है कि रिडीवरकी मिस गियादके अन्दर कब्जा ले लेना चाहिये अर्थात् रिडीवर दिवालियेकी कार्रवाईके दौरानमें किसी समय भी कब्जा प्राप्त कर सकता है ।

उपदफा (४) इस उपदफाके अनुसार अदालतको रिडीवरके कार्योंमें हस्तक्षेप करने तथा उससे इर्ना आदि बसूल करनेका अधिकार प्राप्त है अर्थात् अदालत आवश्यकतातुमार रिडीवरके उचित दण्ड दे सकती है इस उपदफामें रिडीवर द्वारा की जाने वाली सन चलतियां नहीं दिखलाई गई हैं केवल थापसी पान्दियोंका उल्लेख क्रय (ए), (बी) व (सी) में कर दिया गया है और न इस उपदफामें उन सन सञ्चओंका ही उल्लेख है जो रिडीवरका उम्मीद भ्रष्टतियोंके धारण ही जामकी है क्योंकि हममें सिर्फ रिडीवरकी जायदादको कुर्क करने तथा उसमें उससे इर्नेकी पूर्ति करनेकी का विम

है। जब अदालत रिसेवरको नियुक्त कर सकता है तो उसे उसके इच्छेना भी अधिकार अवश्य प्राप्त सम्पन्न चाहिये। इस प्रकार जिस प्रकारका नुमी रिसेवर होगा उसा प्रकारका दण्ड पानेका भागी होगा। इस उपद्रवाम यह नहीं बनलाया गया है कि रिसेवरकी गलतिया अदालतका सैन बनला सरेगा परंतु यह बात प्रकटही है कि अज्ञात यदि किसी गलतयासे दंडे तो वह स्वयंही उस गलतीका पम्ब सकती है तथा उमके अनुसार रिसेवरको दण्ड दे सकती है और चूकि रिसेवर एक पब्लिक सर्वेंट है इस कारण कोई भी व्यक्ति उसकी गलतियोंको अदालतके सामने रख सकता है। अर्थात् जिस किसी भी व्यक्ति को रिसेवरकी गलतियोंकी बजहसे हानि उठाना पड़ उसे अधिकार है कि वह रिसेवरकी उस गलतीको अदालतके सामने रख देवे जिसमें अदालत तहकाकानके बाद रिसेवरको उचित दंड दे सके। रिसेवरकी अदालतका एक अपसही सम्झना चाहिये वह स्वयं अदालत नहीं है और इसी कारण उसे कोई पम्ब कानून तय करनेका अधिकार प्राप्त नहीं है और न वह कानूनी अफसरोंकी ताइ किसी मामलेकी कानूनी तहकीमत ही कर सकता है।

जो रिसेवर अदालत नहीं दे किन्तु उमके कार्योंमें इतथेप करनेमें अदालतकी सौहीतीका इर्ष लगाया जासकता है चूकि वह अदालतका एक प्रकारका एजेंट है इस कारण उमके कार्योंमें कडाबट डालना या इतथेप करना एक प्रकारमें अदालतके हुकमकी अवहलना करना है और इतथेप अदालतकी सौहीती (Contempt of Court) का इर्ष लगाया जासकता है, देखो—6 B. L. R 486, 9 1 C 487, 28 Cal 790; 26 C. L. J. 345.

उपद्रवा (५) इस उपद्रवाम यह बनलाया गया है कि दफा २० के अनुसार नियुक्त किये हुए दरमियानी रिसेवरके लिये भी वही बात लागू होगी जो कि रिसेवरके लिये बनलाई गई है और जहा तक उसका ताब्लुक उनसे है।

दफा ५७ सरकारी रिसेवरोंको नियुक्त करनेके अधिकार

(१) प्रान्तिक सरकारको अधिकार है कि वह जिन लोगोंको उचित समझे किसी खास मुकदमा हडके लिये इस एक्टके अनुसार रिसेवर बना देवे यह रिसेवर सरकारी रिसेवर (-Official Receivers) कह लायेंगे।

(२) अगर किसी अदालतकी अधिकार सीमाके लिये कोई सरकारी रिसेवर नियुक्त किया गया हो तो वह रिसेवर अदालतके रिसेवर या दरमियानी रिसेवर नियुक्त करने वाले सब हुकमोंके अनुसार काम करेगा जब तक कि अदालत इसके विरुद्ध किसी विशेष कारणवश कोई दूरी आला न दे।

(३) जो रुपया दफा ५६ (२ बी) के अनुसार सरकारी रिसेवरको उसके कामकी बजहसे मिलना चाहिये वह रुपया प्रान्तिक सरकार द्वारा निश्चित किये फाइडमें जमा किया जावेगा।

(४) उस फाइडसे या और किसी जगहसे सरकारी रिसेवरको उतनाही रुपया धमकल के रूपमें भिलेगा जितना प्रान्तिक सरकार इस मदमें निश्चित कर देगी और उस निश्चित किये हुए रुपयसे कुछ भी अधिक बतौर धमकल (Remuneration) के सरकारी रिसेवरको न भिलेगा।

व्याख्या—

उपद्रवा (१) इस दफामे सरकारी रिसेवर (Official Receiver) नियुक्त किये जानेका वर्णन है। अन्तिम सरकारी अधिकार प्राप्त है कि वह सरकारी रिसेवरकी नियुक्त कर सके तथा ऐसे नियुक्त किये हुए रिसेवरकी

अधिकार सीमा भी निर्धारित कर सके । चूकि अपोरेकी एक्टों में हम दफ्तार रिसेवरकी नियुक्त सम्बन्ध (May) शब्दका प्रयोग किया गया है इससे यह प्रष्ट है कि सरकारी रिसेवर (Official Receiver) की नियुक्तके लिये श्रांतिक सरकार बाध्य नहीं है किन्तु यदि वह चाहे तो नियुक्त कर सकती है और चाहे तो नियुक्त न करे ।

उपदफा (२) यदि किसी जगह के लिये सरकारी रिसेवर (Official Receiver) नियुक्त कर दिया गया हो तो अधिकतर वही रिसेवर इत एक्टों की दफा २० व ५६ में बतलये हुये रिसेवरका काम करेगा और बिल किसी खास बन्दके अन्तर्गत उन जगहोंमें आकिशज रिसेवरके अतिरिक्त किमी दूसरे व्यक्ति को रिसेवर नियुक्त नहीं करेगा 46 Mad. 405. अर्थात् जिन जगहके लिये श्रांतिक सरकार द्वारा आकिशज रिसेवर नियुक्त का दिया गया हो तो वही रिसेवर दरमियाली रिसेवर (Interim Receiver) या रगुलर रिसेवर (Regular Receiver) नियुक्त किया जावेगा परन्तु अदालतको अप्रसार है कि यदि वह किसी खास कारणसे किसी अन्य व्यक्तिको दरमियाली या रगुलर रिसेवर नियुक्त किया चाहे तो नियुक्त कर सकती है । यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि दिवालयिया कसरा दिये जानेका हुकम होने ही दिवालयियेकी जायदाद अपने आपसे आकिशज रिसेवरकी नहीं हो जायगी किन्तु अदालतका हुकम होने पर वह दिवालयियेकी जायदाद पासरेगा और ऐसा हुकम होनेमें पहिले उसे दिवालयियेकी जायदादके सम्बन्धमें कोई कार्य करनेकी अप्रसार नहीं है और न वह उसकी जायदाद बैंक कर जरीदागको ही पूरा इज पदुका मन्ना है देवे—63 I. C. 896; 1924 Mad 461. परन्तु यदि कोई आकिशज रिसेवर सुपुर्दगीका हुकम होनेमें पहिले दिवालयियेकी किसी जायदादकी बैंक देवे तो अदालत हाज दिये हुए बादके हुकमसे वह सोदा ठीक किया जायकता है अर्थात् जायदाद बचे जाने सम्बन्ध तो एक प्रकारसे वह इन्तर्लाल जायदाद बचेवही है और उसमें छाडीदने वालो में कोई हक नहीं पहुँचना है परन्तु यदि अदालत बादमें उसकी मंजूरी दे देवे तो वह बचनाया ठीक सम्झना चाहिये देवे—43 Mad 869, A. I. R. 1925 Mad. 249.

आकिशज रिसेवरको वह सब अधिकार प्राप्त होंगे जो दरमियाली रिसेवर या मामूली रिसेवरको जो दफा २० या दफा ५६ के अनुसार नियुक्त किये जाते हैं प्राप्त हो सक्ते हैं इनके अतिरिक्त उसे वह भी विशेष अधिकार प्राप्त हो सक्ते हैं जिनका उल्लेख दफा ८० में किया गया है और उस दफाके अनुसार वह जो काम करेगा या हुकम देगा उसे अदालतका काम या हुकम समझा जावेगा । इन प्रकार दफा ८० के अनुसार कार्रवाई करनेके सम्बन्धमें आकिशज रिसेवरको एक प्रकारसे अदालतके अधिकार प्राप्त हैं परन्तु हर मामलेके लिये उसे अदालत नहीं सम्झना चाहिये ।

उपदफा (३) आकिशज रिसेवर तथा मामूली रिसेवरको हालतमें कुछ अन्तर है । मामूली रिसेवरको बड़ी सम्पत्त (Remuneration) मिल सक्ता है जो अदालत उसके लिये दफा (२) (बी) के अनुसार निर्दिष्ट करे परन्तु आकिशज रिसेवरके सम्बन्धमें बड़ा सम्पत्त (Remuneration) एक फाउममें जना किता जावेगा तथा वह इस फाउमसे बड़ी नियत किया हुआ वेतन पायेगा जो प्रान्तिक सरकार उसके लिये निर्दिष्ट कर देगी। अदालतको अप्रसार है कि वह किसी खास कारणके उपरिष्ठ होने पर आकिशज रिसेवरको हटा देवे देवे—46 Mad 405

दफा ५८ अदालतके अधिकार जत्र कि रिसेवर नियुक्त न किया गया हो

जबकि कोई रिसेवर नियुक्त नहीं किया गया हो, तो अदालतको वह सब अधिकार प्राप्त होंगे जो इस एक्टमें रिसेवरके लिये दिये गये हैं तथा यह उन सब अधिकारोंका प्रयोग कर सकती है जो रिसेवरके लिये बतलाये गये हैं ।

व्याख्या—

इस दफामें यह बतलाया गया है कि यदि किसी मामलेमें रिसेवरकी नियुक्ति न की जावे तो उस सम्बन्ध अदालतको

स्वयं वह सब अधिकार प्राप्त होंगे जो रितीवरके लिये बतलाये गये हैं। इससे यह न समझ लेना चाहिये कि अदालत जो काम रितीवरके करेगी वह रितीवरकी हैसियतमें करेगी अर्थात् इस दफ्तरके अनुसार अदालत जो काम करेगा वह अदालतकी हैसियतमें करेगी और उनको अदालतका कामही समझना चाहिये देतो—62 I. C. 307. जो अदालतकी इस दफ्तरके अनुसार वह सब अधिकार प्राप्त होंगे जो रितीवरके लिये बतलाये गये हैं परन्तु यह आवश्यकता नहीं है कि अदालत उन सब अधिकारोंका प्रयोग अनवश्य करे अर्थात् अदालत जिन अधिकारोंका प्रयोग किया चाहे कर सकती है तथा जिन अधिकारोंका प्रयोग न किया चाहे नहीं कर सकती है। उनका प्रयोग करना न करना आवश्यकता व अवसरके अनुसार समझना चाहिये जैसे कि अगरेजी एक्टरी इस दफ्तरमें दिये हुए (May) शर्तें प्रकट होना हैं। अदालत स्वयं दिवालियेकी जायदाद पर कब्जा ले सकती है तथा दूधेकी साबिन होने पर उसे धेड़ सकती व इसी प्रकार वह किसी वर्गेश्वाहके कदमे पर किसी इत्तकाठ जायदादको मसूल कर सकता है अर्थात् वह तब काम कर सकती है जो नियुक्त किया हुआ रितीवर कर सकता है देखो—A I. R. 1923 Nag. 97, 78 I. C. 140.

दफा ५९ रितीवरके कर्तव्य व अधिकार

इस एक्टमें दिये हुये नियमोंके अनुसार रितीवर जितनी जल्दी हो सकेगा कर्जदारकी जायदाद वसूल करेगा व उन कर्जेश्वाहोंमें उसे तकसीम करेगा जो पानके मुस्तहक हैं और ऐसा करनेके लिये वह —

- (ए) दिवालियेकी सब जायदाद या उसका कोई हिस्सा बँच सकता है;
- (बी) जो रूपया उसे मिले उसकी रसीद दे सकता है और अदालतकी स्वीकृत लेकर बीच दिये हुये सब या कोई काम कर सकता है।
- (सी) दिवालिया का रोजगार उस हद तक चालू रख सकता है जिससे कि वह सुभीतेके साथ बंद किया जासके
- (डी) दिवालियेकी जायदादके लिये मुकद्दमा या कोई अदालती कारवाई शुरू कर सकता है या उसकी जघापदेही कर सकता है या दायर हुये मामलोंको चालू रख सकता है
- (ई) अदालत द्वारा स्वीकृत प्राप्त हुये रोजगार या कार्रवाईके करनेके लिये बकील या कोई दूसरा एजेंट नियुक्त कर सकता है
- (एफ) दिवालियेकी जायदाद इस शर्त पर बँच सकता है कि उसकी शीमत आयन्दा मिलेगी लेकिन जमानत या दूसरे किसमकी उन शर्तोंके साथ ऐसा करना चाहिये जो अदालत उचित समझे
- (जी) दिवालियेकी जायदाद का कोई हिस्सा रहन या गिरवी रख सकता है जिससे उसके कर्जों की आवश्यकताके लिये रूपया वसूल किया जा सके।
- (एच) कोई भग्नांश पंच फौजलेके लिये देसकता है और निश्चित की हुई शर्तोंके अनुसार सब कर्जों दावों व जिम्मेदारियोंमें राजिनामा कर सकता है

(आई) जब कि कोई अत्यदाद अपनी अजीब शकल या किसी दूसरे कारणसे फौरन या फायदेके साथ बेची नहीं जा सकती हो तो उसे उसकी मौजूदा शकलमें उसकी अम्दाजा लगाई हुई कीमतके अनुसार कर्मस्वाहमें बाट सकता है।

व्याख्या—

इस दफामें रिसेवरके बर्तव्यों तथा उसके अधिकारोंका उल्लेख किया गया है। तथा यह बतलाया गया है कि इस एकदमवर्षी नियमका ध्यान रखते हुए रिसेवरको चाहिए कि वह अन्तम जन्दा दिवालियेका लहना बसूल करके उसका उन कर्त-रुवाहमें बांट देवे जो उस लहनेकी पाक हुकूमत हैं। रिसेवर लहना अन्दाबसूल करने तथा उसका हिस्सा रसदाक हिस्साबसबादमेंके सम्बन्धमें उन सब बाणोंका या उनमेंसे किसी बातका प्रयोग कर सकता है जिसका वर्णन क्राज (ए) से लेकर क्राज (आई) तक किया गया है। परन्तु इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि वह क्राज (ए) व (बी) के अनुसार बर्तव्याई अपनी शकलनुसार कर सकता है अर्थात् उसका लिये उस अदालतका आज्ञा विशा रूपमें लम्बी आनश्यकता नहीं है परन्तु क्राज (सी) से लेकर क्राज (आई) तक जो कर्तव्या बतलाई गई है उनके करनेके लिये उसे अदालतकी आज्ञा लेना आवश्यक है। चूंकि रिसेवर एक सम्कारी अफसर है इसलिये उसको चाहिये कि वह अदालतकी आज्ञाके अनुसार ही बर्तव्याई करे अर्थात् जिन कामोंके लिये अदालतकी आज्ञा लेना बतलाया गया है यदि वह उन कामोंमें भिला अदालतका आज्ञा करे तो वह काम ठाक नहीं माने जावेगा। यदि रिसेवरके विरुद्ध कोई शिकायत अदालतमें इस विषयकी की जावे कि उसने किसी बयनामके लिये मञ्जूर नहीं दा है ता रिसेवरका कर्तव्य होगा कि वह अदालतके सामने उपस्थित होवे तथा उस विषयके सम्बन्धकी सब बात उल्लेख सामने रखे—A. I R. 1924 Mad 147

क्लाज (ए) रिसेवरकी दिवालियेकी जायदाद बेचनेका पूर्ण अधिकार प्राप्त है वह उसकी सब जायदादको या उस जायदादके किसी हिस्सेमें बेच सकता है।

जायदाद (Property) सन्दर्भ परिभाषा दफा २ (२) (डी) में दी जा चुकी है रिसेवर का यह भी कर्तव्य है कि वह दिवालियेकी जायदादको जितना जन्दा दा सक बेच देवे। चूंकि रिसेवर स्वयं अशकल नहीं है इसलिए उसके द्वारा जायदादके बेच जाने से यह तात्पर्य न समझना चाहिये कि वह जायदाद अशकल द्वारा बेची गई है और इसी कारण रिसेवर द्वारा किये हुए बयनामके सम्बन्धमें वह नियम लागू नहीं है जो अदालत द्वारा किये हुए नीलाममें लागू होते हैं देखो—50 Mad 135. यदि रिसेवरने जिस जायदादको बेचा हो या वह बयनाम रिसेवरके साक्षरपत्र ही दा देने मात्रमें पूरा नहीं है जाबका रिसेवरको चाहिए कि उसके लिये बतलाया दस्तावेज बयनाम तहरीर कर जोर उस पर कानून के अनुसार टामप लगाया चाहिये तथा कपदेके अनुसार उसकी राजस्वी भा बर्तव्याई जाना चाहिये। बयनामकी रजिस्ट्री बैसिली कराई जायगा जैसी साधारण बयनामकी दली—46 Cal 887.

रिसेवर जायदादको बचनेके लिये उसको आम नीलाममें बेच सकता है तथा यदि वह चाहे तो उसे प्रावेर तीर पर भी बेच सकता है अगर जायदादकी सुधारसिब खर्चन लगे देखा—60 I C 745 रिसेवरके लिणक का हुकूमतका मामला चलाया जा सकता है जबकि उसने जायदादको इस दफाके अनुसार बचा हो देखा—27 All 670

रिसेवर द्वारा किये हुए बयनामका प्रसूतीक लिये आर्डर २१ टा १० जाबका दीवानीक अनुसार दूरवास्त नहीं दी जाननी है 44 I C 885 रिसेवर स्वयं भा अपने किये हुए बयनामको भी प्रसूती नहीं कर सकता है क्योंकि उस बयनाममें उसके तथा खरीदारके श्रमियान एक प्रकार सुआदिदा पूरा हो जाना है और उस सुआदिदका तात्पर्य या उपाय विरुद्ध करने का कोई अधिकार अपने आप रिसेवर के पास नहीं रह जाता देखो—1926 M W 688.

परन्तु यदि जायदादके बचनेमें बेतारीबीकी गई हो या कोई बदलीवर्तिसि काम किया गया हो तो अदालत को अधिकार है कि वह ऐसे बचनानामे को मसूल कर देने देता—A. I. R. 1923 Mad. 350, 40 All 582.

यदि आर्किडल रितीवरने कोई समझौता अदालतकी आज्ञा लिये बिना कर लिया हो अर्थात् किसी मामलेकी कुछ काम खपया, लेखक तय कर लिया हो तो इस प्रकारका समझौता रद्द नहीं समझा जावेगा और जब तक कि यह समझौता रद्द न क्या दिया जाने तक माननीय होभा इजाजत का लेना एक इतनामी हुकम है व उसका सम्बन्ध रितीवरसे है देखो—A. I. R. 1929 Sindh 41.

फ्लाज़ (वीर) रितीवरको अधिकार है कि वह दिवालिये का खपया मसूल करके उसके लिये रसीदें दे सकता है इससे तात्पर्य यह समझना चाहिये कि यदि दिवालियेके सम्बन्धमें कोई व्यक्ति खपया देकर रितीवरसे रसीद दासित कर लेवेतो वह रसीद पर्याप्त होगी तथा दुबारा उस व्यक्ति से इस प्रकार जदा किया हुआ खपया नहीं माया जासकेगा। जिन कार्योंका उल्लेख ज्ञान (सी) से लेकर ज्ञान (आई) तकमें किया गया है उन कार्योंके करनेके लिये रितीवरका कर्तव्य है कि वह अदालतकी आज्ञा प्राप्त करे।

पुनरुमें यह कहीं भी नहीं बतलाया गया है कि अदालतकी आज्ञा किस प्रकार लेना चाहिये परन्तु यह अवश्य तय किया गया है कि इसके लिये लिखित आज्ञाके लेनेकी आवश्यकता नहीं है और न इस बातकी आवश्यकता है कि वह आज्ञा किसी खास प्रकारकी होना चाहिये देखो—A. I. R. 1926 Nag 156

परन्तु अदालतकी आज्ञा काम करनेसे पहिलेही छी जाना चाहिये यदि काम करनेसे पहिले अदालतकी आज्ञा न छी गई हो तो केवल इसही कारण वह काम रद्द न समझना चाहिये क्योंकि आज्ञाका लेना रितीवर तथा अदालतके बीचका काम है और कामके बादभी यदि अदालत उस कार्यके लिये अपनी स्वीकृति देदेवे तो इसे कार्की आज्ञा समझी जावेगी यदि आर्किडल रितीवरने बिला अदालतकी आज्ञा लिये हुए कोई मुकदमा चालू किया हो और वह उस मुकदमेमें हार जावे तो वह उस मुकदमेका खर्च दिवालियेकी जायदाद पर नहीं डाल सकता है देखो—45 Mad. 167.

यदि रितीवर नियुक्त किये जाने समय उसे क्रातुमी दफसे किसया आदि मसूल किये जानेके अधिकार प्रदान किये गये हों तो इससे यह मान लिया जावेगा कि उसे मुकदमा दायर करनेके भी अधिकार दिये गये हैं देखो—18 Cal. 477.

रितीवरका कर्तव्य है कि वह सब जरूरी मामलोंमें अदालतका आदेश लेकर काम करे देखो—19 Bom 660.

यदि जाबता दीवानोंके अनुसार किसी मामलेके लिये रितीवर नियुक्त किया गया हो तो उसके विरुद्ध मामला चालू करनेके लिये सबसे पहिले अदालतकी आज्ञा लेलेना आवश्यक है परन्तु यदि कोई मामला बिला आज्ञा लिये हुए चालू कर दिया गया हो तो उसके लिये नार्दमें भी आज्ञाकी जासफती है देखो—41 I. C. 802 दिवालियेके मामलोंमें जो रितीवर नियुक्त किये जाते हैं वह ऊपर कहे हुए रितीवरोंसे कुछ भिन्न हैं और उनके विरुद्ध मामला चालू करनेमें पहिले अदालतकी आज्ञा लेनेकी आवश्यकता नहीं है देखो—53 I. C 973, A. I. R. 1924 All 40 बमर्ई हार्केटेका मत है कि चूँकि रितीवर एक पब्लिक आफिसर (Public Officer) है और इस कारण जाबता दीवानोंकी दफा ८० के अनुसार नोटिस दिये जानकी आवश्यकता है देखा—44 Bom.895.

यदि रितीवर किसी मुकदमेके लिये जरूरी फीक न होंवे तो उसके विरुद्ध मामला चालू करनेमें आज्ञा लेनेकी आवश्यकता नहीं है जैसिकि यदि कोई जायदाद रितावर द्वारा बेचनी गई हो और कोई व्यक्ति उस जायदाद पर अपना हक साबिन कामेके लिय मुकदमा चालू करे तो ऐसे मामलोंमें रितीवरकी फीक मुकदमा बनाना बहुत जरूरी नहीं है। केवल इसही बातसे कि रितावरका नाम किसी मामलेमें बहसियत पृदाअल्लेके आता है तथा रितीवरको फीक मुकदमा बनानेके लिये आज्ञा

नहीं ली गई है वह मामला कानून आरिन होनेके नहीं है अर्थात् मामला ऐसी दशामें भी चल सकता है देखो— 11 I. C 809, 48 All. 821

कलाज (सी) रितीवरको अधिकार है कि वह अदालतकी आज्ञा लेने पर दिवालियेके कारोबारकी चालू रख सके परन्तु उसे व्यापार इन्होंने कारण चालू रखना चाहिये तथा उसी इद तक चालू रखना चाहिये जिसमें कि वह फायदेके साथ समेटा जासके देखो—40 Cal. 678.

कलाज (डी) रितीवरको अदालतकी आज्ञा लेने पर मुकदमे चालू करने तथा उनकी पैवी बगैरे रहनेका अधिकार प्राप्त है अर्थात् वह दिवालियेकी जायदादसे सम्बन्ध रखने वाले मुकदमोंको लड़ सकता है । इस तौर पर इस उपद्रवका अनुसार यदि रितीवरकी सुपुर्दगीमें किसी दिवालियेकी वह जायदाद आई हो जो अविभक्त हिन्दू परिवारकी जायदादका आभयानित भाग होवे तो रितीवरकी अधिकार है कि वह बटवारा मुकदमा उस जायदादके लिये दावा कर देवे देखो—A. I. R. 1923 Oudh. 154.

रितीवर उन्हीं मामलोंको चालू कर सकता है या चालू रख सकता है जिनका सम्बन्ध दिवालियेकी जायदादसे होवे अन्यथा नहीं इसलिये यदि दिवालियेके विरुद्ध किसी रूपके दावा होते तथा उसी बीचमें वह दिवालिया करार दे दिया गया हो तो रितीवर उस मुकदमेमें फरीक मुकदमा नहीं बनाया जाना चाहिये देखो—29 I. C 30. दिवालियेकी जायदादसे सम्बन्ध रखने वाले सब मामलोंमें रितीवरका फरीक मुकदमा बनाया जाना आवश्यक है और यदि रितीवरकी अल्पपरिधिमें दिवालियेकी जायदादके सम्बन्धमें कोई हुकम दिया जावे तो उसे धर कानूनन समझना चाहिये और अपात्रमें यदि उसे फरीक मुकदमा बनानेकी कोशिशकी जावे जब कि वह शुरूमें फरीक न बनाया गया हो तो इससे वह कर्तव्यहीन नहीं हो सकेगी देखो—30 I. C 703; 41 I. C 802.

कलकत्ता हाईकोर्टने यह तय किया है कि यदि दिवालियेके विरुद्ध न्याया क्रियाका दावा किया जाने तो उसमें रितीवरको फरीक मुकदमा बनाना जरूरी नहीं है देखो—46 I. C. 395.

यदि कोई रितीवर फरीक मुकदमा बनाये जानेके बाद बदल जावे तो उसकी जगह जो दूसरा रितीवर नियुक्त होगा उसे फरीक मुकदमा बनाया जाना चाहिये देखो—28 Mad. 157.

यदि रितीवर किसी मुकदमेमें हार जावे तो उसे उस मुकदमेका खर्च स्वयं उस वक्त तक भरदाश नहीं करना पड़ेगा जब तक कि यह न समझित कर दिया जावे कि उसकी वेतनमानियोंने ही वह मुकदमा खराब हुआ है देखो—A. I. R. 1925 Mad 736

यदि रितीवरने किसी बर्जैन्दादके बहुत जोर देने पर, कोई मुकदमा चालू किया हो तो अदालत उक्त कर्जैन्दादसे मुकदमका तर्क वसूल किये जानेका हुकम दे सकती है देखो—46 I. C 377

इन बातके लिये निश्चित रूपसे नहीं कहा जासकता है कि रितीवर मुकदमोंमें दावा कर सकता है या नहीं परन्तु प्रकट रूपमें ऐसा भालूप होगा है कि मुकदमोंमें वह दावा कर सकता है इत्यादिवाद हाईकोर्टने यह निश्चित किया है कि यदि कोई बर्जैन्दाद मुकदमोंमें कोई दावा लड़ रहा हो और उसी बीचमें वह दिवालिया थापित कर दिया जावे तो रितीवर उस मामलेको मुकदमोंमें बिना कोईभीत अथवा किये चालू रख सकता है देखो—16 A. L. J. 440=47 I. C. 577.

कलाज (ई) इस कानूनमें रितीवरकी वहील या पुत्रे एनेथेंको नियुक्त करके अदालत द्वारा मनजये हुए मामोंके करतेसा अधिकार दिया गया है अर्थात् यदि रितीवर किसी कार्यको स्वयं न कर सकता हो अपना उसकी देखरेख न कर सकता हो तो उस वह किर्मा-दूबरे व्याक्ति द्वारा करा सकता है इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि इस कानूनके अनुसार कर्तव्य कानूनके लिये ही अदालतकी आज्ञा लेना आवश्यक है ।

लाज (एफ) सिविल दिवालियेकी जायदाद इम धरि पर भाँ बँच सक्ता है कि इसे उतार्ये कीमत आयदा मिलेगी परन्तु ऐसे मामलोंमें वरको जमानत आदि लेगी जाना चाहिये और इमके लिये भी अदालतकी आज्ञानुसार ही कार्य किया जाना चाहिये ।

लाज (जी) इस कानूनके अनुसार अदालतकी आज्ञा लेने पर सिविल दिवालियेके कर्जोंमें बुनानेके लिये उसकी जायदादमें देन कर सकता है ।

लाज (एच) अदालतकी आज्ञानुसार सिविल दिवालियेके मामलोंमें तमकिया करनेका भी अधिकार प्राप्त है और इम मामलोंमें उसके इन्हीं अधिकारोंका उद्देश है ।

लाज (आई) इस कानूनमें यह बतलाया गया है कि यदि दिवालियेकी कोई जायदाद बेची न जासके या उसके बचनेमें मुकदमा होता ही तो अदालतकी आज्ञा लेकर गिम्बर उम जायदादकी कौमका जफ्तगी लगा कर उसे दिवालियेके कर्जपवाहोंको उनके कर्जोंके अनुसार बाट सकेगा ।

धारा ५९ (ए) दिवालियेकी जायदादके सम्बन्धमें हाल दर्यापत करनेके अधिकार

(१) यदि प्रान्तिक सरकार किसी अदालतको या अदालतके किसी हाकिमको अपनी मन्ना द्वारा ग्रास तीरसे अधिकार देवे तो वह अदालत या हाकिम किसी बर या किसी ऐसे उर्जखानेके दरखवास्त देने पर जिसने अपना कर्ज नशित कर दिया है दिवालिया करार दिये जानेके बाद किसी समयकी किसी भी व्यक्तिको नियमित रूपसे तलव (Summon) कर सकता है । यदि वह मारुम हो जावे कि उसके पास दिवालिये की जायदाद है या उसके कर्जोंमें दिवालियेकी जायदाद होने का शक है अथवा उस पर दिवालिये का कर्जदार होने का शक है या यह व्यक्ति अदालत या दूसरे हाकिमकी रायमें जैसा अबसर होवे दिवालिया, उसके व्यवहार अथवा जायदादके सम्बन्धमें सूचना दे सकता हो और अदालत तथा दूसरा हाकिम जैसा कि अबसर होवे ऐसे व्यक्तिको दिवालिवासे सम्बन्ध रखने वाली अथवा उसके व्यवहार या जायदाद के सम्बन्ध रखने वाली किसी भी दस्तावेज को जो उसके कर्ज या अधिकारमें होवे पेश करा सकता है ।

(२) यदि कोई इस प्रकार तलव किया हुआ व्यक्ति जबकि उसे उचित व्यय दे दिया गया हो अदालत या हाकिमके सामने उपस्थित होनेसे इनकार करे या किसी दस्तावेजको पेश करनेमें इनकार करे और इसके लिये कोई कानूनी रकाषट न होती हो जिसकी सूचना अदालत को देदी गई हो तथा अदालतने उसे मंजूर कर लिया हो तो अदालत या हाकिमको अधिकार है कि उसके लिये धारण्ट जारी कर देवे जिनमें वह पयात देनेके लिये लाया जासके ।

(३) यदि इस प्रकार कोई व्यक्ति अदालत या हाकिमके सामने लाया जावे तो अदालत या हाकिम उसका बयान दिवालियेके सम्बन्धमें तथा उसके व्यवहार व जायदादके सम्बन्धमें लेसकती है और ऐसे व्यक्ति की पैवी चकौल द्वारा की जा सकती है ।

व्याख्या—

यह दफा कानून दिवालिया स्वीधन ऐक्ट न० ३९ एच् १९२६ [Provincial Insolvency Amendment Act 1926 (LXXIX of 1926)] द्वारा जोड़ी गई है

उपदफा (१) इस दफा में दिये हुए अधिसूचना प्रयोग उन्ही समय किया जा सकेगा जबकि प्रांतिक सरकारने इसके लिये खास तारने किसी अदालतको या अदालतके दुनरे क्लरिफिको आजा दे दी हो अथवा किसी अदालत या क्लरिफिको इस दफाके अनुसार कार्य करनेका अधिकार प्राप्त न होया। दिवालिया करार दिया जानना हुनके पश्चात् हा अधिसूचना प्राप्तकी हुई अदालत या क्लरिफिको इस दफाके अनुसार कार्यवाई कर सकता है। इस दफाके अनुसार कार्यवाई कराना किये किसी अदालतके द सरना व सहाय बह क्लरिफिको भी दाखलान द सरना है जो अपना कस साबित कर मुफ्त व अथवा किसी तीतरे व्यक्ति को अथवा उस क्लरिफिकोको निष्पत्ता कस साबित नहीं कियाजा चुका व इस दफाके अनुसार कार्यवाई कराना अधिकार प्राप्त नहा है इस दफाके अनुसार बह व्याज तलब किये जा सकत है निजक कसमें इन्वोलिप्टा जायदाद होने या निजक कसमें इन्वोलिप्टा जायदाद होनेवा शकभा हाब बह व्यक्ति या तलब विद्यता मत है जा दिवालयके कसदार समझ जावे इस प्रकार व व्यक्तिभी तलब हो सकत है निजको दिवालयके सम्बन्ध या उसक व्यवहार अथवा जायदादके सम्बन्ध हाज माद्रूप होने यही नहा कि ऐसे व्यक्ति तलबहा किये जाव भित्तु उनमें दिवालिये अथवा दिवालयिक व्यवहार व जायदाद सम्बन्धो दस्तविजैभी पेश तराई जातकती है।

उपदफा (२) इस उपदफामें यह बतलाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति क्लरिफिको द्वारा बिक्रत तलब किया गया हो तथा उसे उसक व्ययके लिये उचित धनभी दिया गया हो और वह अदालतमें आनमे इनकार कर देवे अथवा दरतावज मशर करके इनकार कर देवे तो अदालतने अधिकार है कि वह ऐसे व्यक्तिके विरुद्ध वारण्ट जारी कर देवे तथा उस नयान देनेके लिये मकदूम बुलवा लेवे पारतु साथ साथ यदुभी बतलाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इन्वोलिप्टा जायदाद का तलब हम हाजिर न हा सकता हो या दस्तावज पेश न कर सकता हा तथा वह जगलको अपना यह मनजूरी बनाना उसम मजूर ले लेव तो ऐसे व्यक्तिके हाजिर न हात पर उसके विरुद्ध वारण्ट जारी नहीं किया जावगा। उचित धनमे अधिसूचना यह है कि उनका उसकी मुआफ, राह सच, आदिके सम्बन्धमे पयाम धन भित्तता चाश्य इसकालय वातावनावाया या दावानीक जबरन क्लरिफिको (General Rules Civil) देखना चाहिये तथा उनम बतलाय हुए नयमाके अनुसार तलब करत हुए व्यक्तिको दस्तविजवा ध्यान रखने हुए उसको पयाम धन दिया जाता चाहिये अपात्रिम उपदफामे यह प्रकट हा तलब करत हुआ व्यक्ति पयाम धन पानना अधिसूचना है और बह तलब हा जानेके बाद भा अदालत या तलब करत वाल हाजिरम यह व्यय मनजूर इन व हा हुकम पान का इन्कार हा इस उपदफामें बतलाय हुआ वारण्टका वारण्ट तथा पिछी उपदफामें बतलाई हुई समनना वारण्टके निर्धारित नियमाने अनुमाननी जाना चाहिये अथवा वातवना दावानीमें या इस एक्टम बतलाय हुए नियमोंके अनुसार ही समन या वारण्ट हामील किये जाना चाहिये।

उपदफा (३) अदालत या दूसरा क्लरिफिको इस प्रकार तलब किये हुए व्यक्तिमे दिवालयिके सम्बन्धमें तथा उनक व्यवहार व जायदादके सम्बन्धमें पूछताड कर सकता है अर्थात् इन बातोंके अनिश्चित अथवा नयानके लिये उसस कुछ पूछने का अधिकार नहीं है इस उपदफामें यह भा बतला दिया गया है कि यदि इस दफाके अनुसार तलब किया हुआ व्याज आनना मददके लिये बशकल किया चाहता कर सकता है या बशकलके लिये जवाबदा कर सकता है।

दफा ६० गैर मनकूला जायदादके लिये खास नियम

(१) अगर किसी जगह सन् १९०८ ई० के जायदादीवालीनी दफा ६८ के अनुसार घोषणा की गई हो और उसका अमल जारी हो तो उस गैरमनकूला जायदादको जिसपर सरकारी माल-

गुजारी अदाकी जाती हो या जिस पर काश्त होती हो या जो काश्तके लिये उटाई गई हो रिसीवर नहीं बचेगा, लेकिन जबकि दिवालियेकी सब जायदाद वसूलकी जाचुकी हो तो अदालत तय करेगी कि

(ए) जो रुपया वसूल किया जा चुका है उसके अलावा कितना रुपया इस एक्टके अनुसार साबित किये हुए कर्जोंकी चुकानेके लिये चाहिये

(बी) दिवालिये की कितनी गैरमनकूला जायदाद विकने से बची है

(सी) और अगर वार हो तो उस पर कितना वार है

और ऊपर दी हुई बातों की सफसील कलक्टरके पास भेजेगा और तब कलक्टर उस फोड़ (जायता दीवानी) की तीसरी सूचीके पैराग्राफ २ से लेकर १० तक में दिये हुए नियमोंके अनुसार उस कदर रुपया लेवेगा जिसकी जरूरत बतलाई गई है और उन अधिकारोंके प्रयोग करनेसे जो रुपया आवेगा यह सब जहां तक उन पैराग्राफोंके अनुसार काम करते हुए होसकेगा अदालतकी वांटनेके लिये दे देगा

(२) अगर किसी अन्य प्रचलित कानूनोंके द्वारा गैरमनकूला जायदादके खिलाफ डिफ्टी इजायत या हुक्मोंके कारनेकी कोई मुमानियत या रक्षाबट हो तो इस एक्टमें दी हुई बातोंका कोई असर उन कानूनोंके नियमों पर नहीं पड़ेगा और वह नियम इस एक्टके अनुसार दिवालिया कुरार दिये जाने वाले हुक्मके अमलमें उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि कोई डिफ्टी या हुक्म ।

व्याख्या—

इस दफ्तमें एक खास प्रकारकी रीर मनकूला जायदादके सम्बन्धमें निम्न नियमोंका प्रयोग किया जाना चाहिये उनका उद्देश है । यह नियम उन रीर मनकूला जायदादके लिये प्रयोग किये जासकेंगे जिनमें सरकारी मालगुजारी अदाकी जाती ही या उस जमीनके लिये किये जासकेंगे जिस पर फास्त होती होवे या जो फास्तके लिये उटाई जाती हो ।

इन नियमोंका प्रयोग केवल उन्हीं जगहोंमें होवेगा जहां कि दफा ६८, जायता दीवानीके अनुसार घोषणाकी जाचुकी हो ।

दफा ६८ जायता दीवानीमें दिया हुआ है कि—“प्राक्तिक सरकारको अधिकार है कि वह सरकारी वन्दर जनरल हिन्दकी आज्ञा लेनेके पश्चात् प्राक्तिक सरकारी गवट द्वारा यह घोषित कर देवे कि किसी खास जगह पर इजायत डिफ्टीकी करिवाही इजायतके लिये उस जगहके कलक्टरके पास भेज दी जावगी वही इजायत डिफ्टी इस दफ्तके अनुसार भेजी जावेगी जिनमें अदायतने किसी रीर मनकूला (Immoveable) जायदादकी बचनेका हुक्म दिया हो या जो किसी खास रीरमकी ऐसी डिफ्टी होवे अथवा जिस डिफ्टीमें किसी खास क्रियम बी जायदाद या उनका इन् बचा जानेकी होवे ।”

इस दफ्तमें बतलाया गया है कि यदि किसी रीर मनकूला जायदादके सम्बन्धमें दफा ६८ जायता दीवानीके अनुसार घोषणाकी जाचुकी तथा सभी बन्दर हैं हुई बातोंका प्रयोग जारी हो तो रिसेवर उस जायदादकी नहीं बचेगा किन्तु जब ऐसी जायदादके अनिश्चित दिवालियेकी आर सब जायदाद बची जाचुकी हो तो अदालतको चाहिये कि पाहिजे इन तीन बातोंका निर्णय करे कि (१) दिवालियेके बकाया कर्जोंकी अदा करनेके लिये कितने धनकी आवश्यकता है (२) दिवालियेकी डिफ्टी जायदाद बिचनेसे बची है (३) उस पर बितना वार है और यह निर्णय करनेके पश्चात् अदालत इसकी रिपोर्ट कलक्टरके पास भेज देवे और तब कलक्टर चाहे हुए रुपयके वसूल करनेका प्रयत्न उस जायदादके जायता दीवानीके शिर्षक तीन (Schedule III) के पैराग्राफ (Paragraph) २ से १० तकमें बतलये हुए नियमोंके अनुसार करेगा । और कलक्टरको उन नियमोंके प्रयोग करने पर जो रुपया वसूल होगा वह उस रुपयकी अदायतके सुईर कर देगा ।

जायदा दीवानीकी सूची नं० ३ (Schedule III) म कलक्टर द्वारा जान बाली इजराय डिक्रीके नियमोंका उद्देश है जायदा दीवानगीके तारी सूचा (Schedule III)क अतिस्त (Article) २ से १० तक बंधे दिये जात हैं ।

शिड्यूल नं० ३ कलक्टर द्वारा इजराय डिक्रीका होना

२ खास मामलोंमें कलक्टर की कार्यवाही—यदि कोई डिक्री मुआहिदके अनुसार किसी घर मन्वुला जायदादकें बंधे जानके सम्बन्धमें नहीं दी गई हो तथा वह १ का सारे रूपमें डिक्री द्वारा पण्डित उस डिक्री इजरायम कोर्से धर मन्वुला जायदादकें करा कर नामाममें चढ़वाई गई हो और एसा इजराय कलक्टर पास भजा जाव ता कलक्टर उचित तहकाकानक बाद यह निश्चिन करेगा कि आपा जायदादका बिला नामाम कराय हुए मन्वुलना कुक बन्धे धुकाया जासकता है या नहीं और यदि उते इन बातना इस्वास्त हो जाव ता वह भाव दिखे हुए इकमक अनुसार कार्यवाही करेगा ।

३ डिक्रीदारको नोटिस दिया जाना और उनको जो जायदादका दावा करते हैं—
(१) वेरप्राक २ में बतलाय हुए मामलके सम्बन्धम कलक्टर एक नोटिस प्रकाशित करेगा जिसकी पाबन्दाक लिय ६० दिनका समय दिया जावगा तथा उस नाटिसक अनुसार —

(ए) हर शस्त तिरकी सोद रूपमें डिक्री मन्वुलक विल्याक हबि तथा जिस डिक्रीमें उसका जायदाद नामाम कराई जासके तथा डिक्रीदार जायदादका नामाम कराना चाहना हो अथवा किसी कलक्टरक यदा पत्र करे अथवा यदि किसीने अपनी सादा डिक्रीके इजरायमें जायदाद नामाममें चढवानका का बाह न हो ता वह अदालत इजरायका सार्थकिके पत्र करेगा जिसम कि यह माद्रम हो मके डि एसा डिक्रीके अनुसार कितना रूपया डिक्रीदार पानेना अधिकारी है ।

(बा) यदि उस जायदाद पर किसी शरतका कोई हक हाय तो उसे भी च हिय कि वह कलक्टरके यहा अरने इस हकक बारेमें बयान दाखल करे तथा सापहा साय बाद कोई दम्बानमें हावे ता उस हकक सम्बन्धमें पत्र करे ।

(२) इस प्रकारका नोटिस उस अदालतके एक आम जगह पर चिपकाया जावेगा जिसम कि उस जायदादके बंधे जानेसक हुकम शुरूमें दिया हो तथा उन जगहोंमें भा चिपकाया जावगा जहा कि कलक्टर मुन सिव समत और यदि किसी डिक्रीदार या दावदारका पता माद्रम हो ता नाटिसका नकल बन्धिय जाके या और किसी तरहस उस डिक्रीदार या दावदारके पाम भेजी जावगी ।

४ डिक्रीका मसालिया निदिचन करना और जायदाद गैर मन्वुलाका उम्मेके लिय मुहैया कराना — (१) इस नियमके समाप्त होनेके पश्चात् कलक्टर कोई ताबज नियत करेगा जिसमें उन डिक्रीदार दावेदार या मन्वुल अपने अपने मतले पत्र कर सकें तथा यह स्वय मन्वुलका जायदादक सम्बन्धम जो बात जानना चाहे जान सके कि जिस प्रकारकी जायदाद है तथा इकती जायदाद है और यह भा जान सके कि उस पर डिक्रीदारों या दावेदारों का बंधा तक हक पहुँचता है कलक्टर समय समय पर रुपातका तथा तहकीकानती तासहा भा बजा सकता है ।

(२) यदि इस बातक लिय कार्य शरज न हो त कि मन्वुलके डिक्री बतलाई हुई जावना या तब ठाक नहीं है तथा इस बातके लिय भी कोई शकना न पडता हो कि कानमा कन पाहल धुकाया जाना चाहेय तथा कानमा न इन और न इस बातका क लिय कार्य शरज होव कि कौनसे कसती पाबन्दा जायदाद पर है तो कलक्टर एक बयान तयस करेगा जिसम कि डिक्रीक सम्बन्धमें समूल किया जान बाग सब रूपया दिखलाया जावगा तथा यह लखलाया जावगा कि डिक्री या दावे किस कसते उजाय जावेग और जिस कदर पर मन्वुला जायदाद इन बन्धोंका चुदानन लिय है ।

(३) यदि कोई इस प्रकारका श्रमका उपरिचय होवे तो कलक्टर श्रमकेना हुआ देने हुए तथा अपनी राय प्रकट करने हुए मामलेको फ़ैसलेके लिये उम अदालतके पास भेज देगा जिसे कि नीलापका हुबम लूममें दिया हो और जब तक कि इसका जमान नहीं आवेगा नीलापका कारवाहीको रोक देगा । यदि मामला अधिभार सीमाके अन्दर होमा तो वह अदालत इस मामलेको तय कर देगी या उस मामलेको किसी ऐसी अदालतके पास फ़ैसलेके लिये भेज देगी जिसे उसके तय करनेका अधिकार प्राप्त है और उम मसल्लेका जो आखिरी फैसला होगा उसे कलक्टरके पास भेज देवेगी और तब कलक्टर इस फ़ैसलेके अनुसार ऊपर बतलाया हुआ बंधन तैयार करेगा ।

५ जब ज़िलेकी अदालतने नोटिस जारी कर दिया हो—कलक्टर स्वयं नोटिस जारी करने या दफा ३ व ४ के अनुसार तद्वकीकन करनेके बजाय एक बयान इस बातका तैयार करके कि मद्रयुक्तकी क्या हालत है तथा उसकी और मन्वुला जायदादकी जहा तक कि कलक्टरको स्वयं मालूम है या जहा तक भित्तिउत्ते मालूम होता हो क्या हालत है डिस्ट्रिक्ट अदालत ज़िन्दा (District Court) के पास भेज सकता है और तब वह अदालत नोटिस जारी करेगी तथा दफा ३ व ४ के अनुसार तद्वकीकन करेगी और उसका सब हाल कलक्टरको लिख भेजेगी ।

६ अदालतके फ़ैसलेका अस्तर—दफा ४ व ५ के अनुसार यदि किसी श्रमकेना अदालत निपटा देगी तो वह फ़ैसला फ़ीसकेनके दरमियान एक प्रकारकी टिकी समझी जावेगी और टिकीकी तरह वह जारी कराया जासकेगा तथा बसकी अगिल भी की जासकेगी ।

७ रुपया देनेके लिये विचार—(१) यदि फ़ैसला ४ व ५ के अनुसार यह तय किया जातुका हो कि कितना मालिका है तथा कितनी जायदाद है तो कलक्टर—

(ए) यदि उसे यह मालूम हो कि जायदादको बिल्का बेचे हुए रुपया बसूल नहीं हो सकता है तो वह उसके बेचने की कारवाही शुरू करेगा ।

(बी) यदि उसे यह मालूम हो कि पूरा रुपया व सूद जो डिर्जमें दिखाया गया हो या जो कायदेसे मिलना चाहिये बिना नीलाम जायदादके बसूल किया जासकता है तो वह जायदादको बिल्का बेचे हुए उस पर नीचे दिये हुए ढय पर नपथा मय ब्याजके बसूल कर सकता है (1) यह कि कुछ जायदादको या उसके किसी हिस्सेकी वेदाही रुपया लेकर हमेशाके लिये अथवा किसी खास मियादके लिये उठा सकता है (ii) यह कि उम जायदादको कुछ या उसके किसी हिस्सेको रेंटन कर सकता है (iii) यह कि उस जायदादके किसी हिस्सेको बेच सकता है (iv) यह कि तारीख नंदापने २० साल तकके लिये खेतीके लिये उठा सकता है तथा उमका इन्तताम स्वयं या किसी दूसरेके करिये कर सकता है (v) यह कि ऊपर बतलाये हुए तरीकोंसे कुछ रुपया किसी तरीकेने व कुछ किसी दूसरे तरीकेसे या किसी अन्य तरीकोंसे बसूल कर सकता है ।

(२) कलक्टरको अधिकार है कि कुछ जायदाद या उसके किसी हिस्सेका प्रबन्ध करते समय वह उम जायदादके मालिकके तौर पर काम कर सकता है ।

(३) कलक्टरको अधिकार है कि वह कुछ जायदाद या उसके किसी हिस्सेकी कर्मान बढानेकी गारंजते अपना या इस नामके कि वह ज्यादा रुपयेंके लिये उठाई जासके या वह किसी बानके लिये नीलाम न की जासके बाका रुपया अदा कर सकता है या उसकी अदायगीके लिये समझौता कर सकता है चाहे उसकी अदायगी उस समय होने वाली होवे या उसके बाद और ऐम बानके अदायगीके लिये वह जायदादके किसी हिस्सेको रेंटन या बय कर सकता है तथा उसे उठा भी सकता है जैसा कि मुनासिब समझ पड़े । यदि ऐसे बान (Incumbrance) की अदायगीके सम्बन्धमें कोई श्रमका लड़ा हो जावे तो उसे

, अधिकार है कि वह मुनासिब अदालतमें उसके बारेमें मुकदमा दायर कर देवे यह मुकदमा कलक्टर अपने नामसे या मद्यूनके नामसे दायर कर सकता है या कलक्टर इसका हिस्साव समझ सकता है अथवा झगड़के निपटानेके लिये दो पक्षोंके सुपुर्द कर सकता है जिन्हें कि दोनों फ्रीकैनेन एक एक अपनी तरफसे चुना हो या ऐसे सरपचके ऊपर छोड़ सकता है जिसे कि इन दो पक्षोंने चुना हो ।

(४) इस पैराग्राफके अनुसार कार्रवाई कलक्टर उन्हीं नियमोंके आधार पर करेगा जो कि प्राथमिक सत्राते इस विषयके लिये बनाये होंगे ।

— **वाकीफा वसूल करना**— यदि दफा ७ के अनुसार जायदाद उन्हीं गई हो या उसका प्रबन्ध किया गया हो और उसकी मियाद समाप्त होने पर यह माहूम होवे कि कुछ वर्ष इस पर भी नहीं चुका है तो कलक्टर इस बातकी लिखित सूचना मद्यूनकी या उसके उत्तराधिकारीको देगा और वसमें यह भी लिख देगा कि यदि बकाया मनालिखा है इन्मेक अन्दर नहीं चुका दिया जावेगा तो वह कुछ जायदाद या उसके किसी पर्याप्त हिस्सेको नेच टेवेगा । और यदि वह इन्के अन्दर बकाया अदा नहीं होगा तो कलक्टर नोटिसके अनुसार कुछ या कुछ जायदादको नेच देवेगा ।

६ कलक्टरका हिस्साव देना अदालतको— (१) कलक्टर समय समय पर उस अदालतकी जिसने जायदादके नीलाम किये जानेका हुकम पेशर दिया है उन हिस्साव भेजना रहेगा जिसमें कि कपये की वसूली तथा इस सिद्धपूठके अनुसार प्राप्त अधिकारोंके आधार पर जायदादके लिये जो खर्च किये गये हों उनका उल्लेख होगा और नचनका रूपया उस अदालतकी सुपुर्दगीमें कर देगा ।

(२) उन खर्चोंमें सरकारी कर्ज व ज़िम्मेदारिया जो समय समय पर कुछ या कुछ जायदादके सम्बन्धमें हो जावें शामिल समझी जावेंगी तथा वह लगान भी शामिल समझा जावेगा जो कि उस जायदाद या उसके किसी हिस्सेके लिये अपनेसे अच्छा हक रखने वाले कानूनकारका विचलता होने और यदि कलक्टर हुकम देवे तो उन गवाहोंका खर्च भी जो उसने तद्वत् किये हों लगाया जावेगा ।

(३) नया हुआ रूपया अदालत इस प्रकार व्यय करेगी —

(ए) यहकि वह रूपया मद्यूनके परिवारके उन लोगोंकी परवरिशमें लगाया जावेगा जो उसकी जायदादकी आमदनीसे परवरिश किये जानेके अधिकारी हैं हर एक मन्बरके लिये उस बदर करया नतीर परवरिशके दिया जावेगा जिनका कि अदालत मुनासिब समझे ।

(बी) यदि कलक्टरने पैराग्राफ (Paragraph) १ के अनुसार कार्रवाईकी हो तो उस डिक्कीके बुकनेमें लगाया जावेगा जिसके सम्बन्धमें जायदाद नीलाम कराई गई हो या फिर दफा ७३ के अनुसार जैसा कि अदालत उचित समझे ।

(सी) यदि कलक्टरने पैरा बी के अनुसार कार्रवाईकी हो तो (1) जायदादके भार (Incumbrance) का सूद बुकनेमें देवेगा (II) यदि मद्यूनके पास ज़िम्मेदारिया पर्याप्त साधन न होंवें तो उसकी ज़िम्मेदारिके लिये उस बदर जितना कि अदालत मुनासिब समझे देवेगा (III) पहिले डिक्कीदार तथा अन्य डिक्कीदारोंका जिन्होंने नोटिसकी पालनकीकी हो तथा जिनका मनालिखा वसूल किया जानेका हुकम हो चुका हो उनका रूपया रसदी तौमने बुकनेमें देवेगा ।

(४) इस जायदाद या कपे हुए सम्बन्धमें किसी सारी डिक्की वाले दूबरे डिक्कीदार को रूपया उत बत तक नहीं दिया जा सकेगा जब तक कि उन डिक्कीदारोंकी रूपया जिनके सम्बन्धमें हुकम हो चुका है न बुकया जा सके आर अन्धमें बचा हुआ रूपया मद्यूनकी या ऐसे शरतको दिया जावेगा जिसके लिये अदाउन हुकम देवे ।

१० कैसे बंधा जायगा—जबकि बलकटर इन शिद्युक्त के अनुसार जायदादको फरिस्त कर तो वह जायदादको परमुक्त या भिन्न २ भागों में आम नीलाम हा। फरिस्त करकी जीर्ण उद्ये यह भी अधिकार है कि वह —

(ए) लोहा हिस्से (Lot) के लिये कोई उचित बंधन नियत कर देवे

(बी) नीलामकी उचित समयके लिये उचित कारणोंके आशय पर जो उचित जाना चाहिये मुक्तता कर देने जबकि उद्ये यह फाट्टा हो कि मतलबी होनेसे जायदादकी आधी बंधन आ सकेंगी ।

(सी) नीलाममें जायदादको खरीद लेने और फिर दुबारा उसे नीलाम आम हाग बेच देवे या बादमें भी सीदसे बेच देवे जसा कि उद्ये उचित प्रतीत है ।

उपरकी दफाओंको दानेमें यह मनी भाति प्रसूत है कि बलकटर अपने यहा आई हुई इजाजत शिर्काकी कार्रवाई को किस प्रकार अमलमें ला सकता है । जिन नियमों का उपाय बर्णन है बलकटर उही नियमोंका प्रयोग करेगा । उस अदालत को जिसने जायदाद नीलामके लिये भेजा हो वही अधिकार हस्तगतके प्राप्त होंगे जो इन नियमोंके प्रतलपि गये हैं अर्थात् वह ऐसे ही शर्तोंको तय कर सकेगा जो बलकटर तय होनेके लिये उसने प्राप्त भेजे ।

यदि इस दफाके अनुसार बलकटर द्वारा इनकारकी कार्रवाई हो रही हो तो अदालत दोषमिनीको कोई अधिकार नहीं है कि वह जायदाद नीलाम करने वाले शर्तमें कोई भी हस्तग्रेष करे । यदि जायदादके नीलाममें या उसके नीलामकी कार्रवाई में कोई शिद्युक्त होने तो यह शिद्युक्त उरमा अफसरके सामने पेश हो जाना चाहिये जो नीलामकी कार्रवाई का रही हो और उद्ये अर्थों अदाशतकी ऐसे प्रमाणों पर विचार बर्णनका अधिकार है देखो—49 A. 272.—A. I. R. 1927 All. 203. यदि अधिकार शिर्कावर इस दफाके बंधन हैं जायदादको बेच देवे अर्थात् इस दफाके नियमोंके विरुद्ध काम करे तो वह बयनामा अत्रुक्ति होगा तथा वह अमलमें नहीं लाया जा सकता है देखो—A. I. R. 1925 Oudh. 299.

इस दफाका प्रयोग उन जमीनोंके लिये भी हो सकेगा जो फाजने लिये उठाई जाती हों या जिन पर बंधनकी जाती हो नीलकी खेतीका होना बान्तकारीका काम है परन्तु नीलकी शिर्कियोंका तैयार किया जाना बान्त नहीं है 31 Cal. 174. बागके लिये उठाई जाने वाली जमीन बान्तकी जमीन नहीं है देखो—24 Cal. 160. आठ चना व सरपारी आदि बोये जानेकी जमीन बान्तकारीकी जमीन है देखो—25 Mad 627. परन्तु बलकटर शिर्काके अनुसार तैयारी होने तथा बाग या फलोंके दूरस्थ लगाने वाली जमीन बान्तकी जमीन नहीं है देखो—27 Cal. 205. यदि किसी प्रचलित कानूनके अनुसार किसी और मनुष्य का जायदादकी इजाजतके सम्बन्धमें उसकी रोकने आदिने लिये कोई नियम बनाये गये हों तो उन नियम का फल करने लिये ही इस एक्टका प्रयोग किया जा सकेगा ।

लार्डर शिर्काके देखो—A. I. R. 1929 Lah. 66 में तय किया है कि अदालत दिवालिया उचित अवसर उपरिगत होने पर दिवालियोंकी जायदादको हमेशाके लिये भी अन्वहदा कर सकता है । इस मामलेमें एडमनप्रसाद अर्थात् ए इन् १९१५ ई० में दिवालिया करार दिया गया था । उसके पास बहुत सा जमीन थी जिसके रुपया बसूळ बर्णनकी बहुत शीघ्रता थी परन्तु कुछ बसूळ नहीं हो सका तब वह जमीन उसके एक रिनेदारके पास रहन कर दिये जाने का हुक्म हुआ इसी हुक्मकी अगलकी गई है अर्थात्में जमाने तय किया कि वृत्तिक दिवालिया बगवा बरबाद थालता रहा है तथा उसके पास जीवकताका दूसरा साधन भी उपरिगत हो पंसी दशमें उसकी वह जमीन रहनकी जाना चाहिये दफा ६० (१) (सी) और दिवालियोंकी अर्थात् खारिजकी गई ।

तकसीम जायदाद

दफा ६१ कज़ोंका पेशतर चुकाया जाना

(१) दिवालियेकी जायदादको बांटने समय नीचे दिये हुए कर्जें और सब कर्जोंके पहिले चुकाये जावेंगे :—

(ए) वह सब कर्जें जो गवर्नमेंट या स्थानिक सरकारको देना हों

(बी) क्लर्क नौकर या मजदूरकी बीस रुपयमें कम वह सब तनखाह या उजरत जो उन लोगोंको दिये लेकी दरखास्त गुजरनेसे ४ महीने पहिले किये हुए कामके लिये चाहिये है ।

(२) उपदफा (१) अर्थात् ६१ (१) में दिये सब कर्जें आपसमें बराबर हैसियतके समझे जावेंगे और पूरे पूरे चुकाये जावेंगे लेकिन अगर दिवालियेकी जायदाद काफी न हो तो वह रसदी तौरसे सब कर्जें कम कम चुकाये जावेंगे ।

(३) अगर दिवालियेकी जायदाद काफी हो तो उपदफा (१) में दिये कर्जें उन रूप्योंको अलगददा करनेके बाद जो इन्तजाम या दूसरे तर्जके लिये जरूरी हों फौरन चुका दिये जावेंगे ।

(४) जहां साभेका काम हो वहां पहिले साभेकी जायदादसे साभेके कर्जें चुकाये जावेंगे और साभेदारोंकी जुदागाना जायदाद पहिले उनके जुदागाना कर्जोंके चुकानेमें लगाई जावेगी । जब कि साभेदारकी जुदागाना जायदादसे कुछ बचे तो वह साभेकी जायदादका हिस्सा समझी जावेगी और साभेकी जायदादमें साभेदारके जो जुदागाना हिस्से होंगे उन्हींके अनुसार वह उस साभेदारके हिस्सेमें समझी जावेगी ।

(५) इन एक्टके नियमोंका ध्यान रखते हुए वह सब कर्जें जो सूचीमें दर्ज होंगे अपनी तादादके अनुसार तथा थिला कोई तरजीह दिये हुए रसदी तौर पर चुकाये जावेंगे ।

(६) ऊपर दिये हुए कर्जोंकी अरायगीके बाद अगर कुछ बचे तो उससे सूचीमें बचे हुए कर्जोंका सूद ६) ४० सैकड़ा सावधानके हिस्सासे दिवालिया कतार देनेके बरूसे चुकाया जावेगा ।

ब्याख्या—

इस दफामें दिवालियेकी जायदादको बांटे जानेके नियम दिये हुए हैं तथा यह बतलाया गया है कि कौनसे कर्जें पहिले चुकाये जाना चाहिये तथा कौनसे कर्जें बादमें सबसे पहिले यह दिया गया है कि दो प्रकारके कर्जें सबसे पहिले चुकाये जाना चाहिये (१) एक तो वह कर्जें जो सम्राट या स्थानिक सरकार (Local Authority) को अदा किये जाले वाले हों तथा (२) दूसरे २०) रूपयमें कम वह मजदूरी व तनखाह जो दिवालियेके प्रत्येक नौकर या मजदूरको उस कामके एरजमें मिलना चाहिये जो उसने दिवालियेकी दरखास्त शुरूके चार माहके अंदर किया हो ।

उपदफा (२) यह दोनों प्रकारके कर्जें एक्की हैसियतके समझे जाना चाहिये तथा पूरे पूरे चुकाये जाना चाहिये परन्तु यदि दिवालियेकी जायदाद इनकी पूरा पूरा चुकानेके लिये पर्याप्त न होनी हो तो हिस्सा रसदीके हिसाबसे वह कर्जें कम करके चुकाये जाना चाहिये । यह बात ध्यानमें रखना चाहिये कि देननामोंके क्रमोंका वार देननी हुई जायदाद पर सकते

पढ़े होता है अर्थात् सरकारी वजोंका उस पर तर्जोह (Perference) नहीं दी जासकती है देवो—29 All. 537; 28 Mad. 420 दूसरे वजोंके मुकामविले सरकारी वजों मन्ते पहिले चुकाये जाना चाहिये। स्थानिक सरकार (Local Authority) से अधिप्राय म्युनिसिपल्टी, डिभिक्ट बोर्ड आदिमे दे।

उपदफ्ता (३) दिवालयिका जायदाद वसूल करने या उसके प्रबंध करनेके लिये जो कर्त्तव्य आवश्यक हुंमा पहिले वद निवाला जाना चाहिये इसके पश्चात् उपदफा (१) में बतलाये हुए वजोंके चुगानेका प्रबन्ध नियम पूर्वक किया जाना चाहिये।

उपदफ्ता (४) जहाँ साझेदा काम होवे वहाँ पहिले साझेदारी जायदादके साझेदारी चुकाये जानेके और साझेदारोंकी जुदागाना जायदाद पहिले उनके जुदागाना वजोंको चुकाये जानमें लगाई जावेगी। यदि साझेदारोंकी जुदागाना जायदाद उसके जुदागाना वजोंके चुकाये जानेके बाद बचे तो उसे साझेदारी जायदादके तौर पर दख्तवाला किया जानकेका एसी प्रथा यदि साझेदारी जायदाद साझेदा वजोंके चुकाये जानेके बाद बचे तो वह हिस्सा रसदीके हिस्सामें साझेदारोंके जुदागाना वजोंका चुकानेमें इस्तेमालकी जासकती है।

उपदफ्ता (५) इस उपदफामें यह बतलाया गया है कि इस पत्रके नियमोंका प्यान रखते हुए वह सब कर्जोंको वजोंकी सूचीमें दर्ज किये गये हों हिस्सा रसदीके हिस्सावसे चुकाये जानेके और उनमें किन्ही पत्रके दूसरेके मुकामविले तर्जोह नहीं दी जावेगी।

उपदफ्ता (६) दिवालयिका कगार दिये जानेके बाद भी सूद दिखानेकी व्यवस्था इस उपदफाके अन्तर्गत की गई है क्योंकि अधूनन सूद बाद दिवालयिका कगार दिये जानेके नहीं मिलता है परन्तु इस उपदफाके अनुसार दिवालयिका कगार दिये जानेके बादसे वसूली तकका सूद ६ रुपये तकका मासालाभो दरसे दिलाया जासकता है यदि दिवालयिका कगारदामें उत्तर सब कर्ज पूर्ण रूपसे चुकाये जायेंगे तथा उसके बाद कुछ रकम फाइजिल बच रहे देतो—A. I. R. 1926 All 361 फलफला हाईकोर्टने एक मामलमें यह तय किया है कि यदि (अ) बी (ब) का कोई कर्ज चुकाना ही परन्तु (अ) यह कर्ज (स) से वसूल कर सक्ता हो तो (अ) के दिवालयिका कगार दिये जाने पर (स) छ (अ) का कर्ज वसूल किया जासकता है परन्तु उस वसूलीमें से (ब) अपना कर्ज चुका पानके अधिकारी है अर्थात् उस वसूलीमें से पहिले (ब) का कर्ज चुकाया जावेगा देतो—A. I. R. 1929 Cal. 208.

दफा ६२ डिबीडेण्ड, हिस्सा रसदीका लगाया जाना

(१) डिबीडेण्डका अन्दाजा लगाते समय रसीवर नीचे दिये हुए मर्होंके लिये वार्षी रकम हाथमें रख लेगा:—

- (ए) उन कर्जोंके लिये जो इस पत्रके अनुसार साबित किये जा सकते हैं और जिनको दिवालयिकाने अपने ध्यानमें दिखलाया है या जो और किसी तरहसे मालूम हुए हैं लेकिन जिनके काजुव्याह इतनी दूर रहते हैं कि मामूली तौरकी इत्तिला पर उनको काफी समय अपने कर्जोंके साबित करनेका नहीं मिला है
- (बी) जिन दावोंका मसला तय तक तय नहीं किया गया है लेकिन जो इस पत्रके अनुसार साबित किये जा सकते हैं
- (सी) जिन मामलोंके साबित होनेमें या दावोंमें मगड़ा हो, और
- (डी) जायदादके इतजाम या दूसरे कामोंके लिये जिन खर्चोंकी ज़रूरत हो

(२) उपदफा (१) में दिये हुए नियमोंका ध्यान रखते हुए वह सब रूपया जो हाथमें होगा डिबिडेण्डके तौर पर तत्कालीन कर दिया जावेगा ।

ब्याख्या—

इस दफा में हिस्सा रसदी (' dividend) बाटने समय निम्न बातोंका ध्यान रखना तथा निम्न बातोंका रोखना आवश्यक है उनका उल्लेख दिया गया है अर्थात् दिवालियेकी आयदादके तमूकनी हुई सब रकम एक साथ ही वही कर्जोंके चुकानेमें न लगा दी जाना चाहिये जो साबित किये जा चुके हैं किन्तु और कर्जोंका भा ध्यान रखना चाहिये ।

हिस्सा रसदी (Dividend) बाटनेसे पहिले रिसीवरकी चाहिये कि वह काफी रकम उन कामोंके लिये रोक लेवे जिनका उल्लेख उपदफा (१) के क्लॉज (ए), (बी), (सी), व (डी) में किया गया है ।

क्लॉज (ए) में उन कर्जोंको बतलाया गया है जो साबित किये जा सके हैं परन्तु जिनको साबित करनेका पर्याप्त अवसर नहीं मिला सका है ऐसे कर्जों वही हो सकेगे जिन्हें दिवालियेमें स्वयं तस्लाप किया हो या जिनके बारेमें अदालतको किसी दूसरे जजियेसे इतमीनान होनावे तथा साधदी माफ अदायतको यह भी माध्य होनावे कि उन कर्जोंको पानेके इक्यार इतना दूर रहने हैं कि मातृनी तारकी इत्यथ पर उनको प्राप्त कर्जोंके साबित करनेका पर्याप्त अवसर नहीं प्राप्त हो सका है ।

क्लॉज (बी) में उन कर्जोंका उल्लेख है जो इस एक्टके अनुसार साबित किये जा सकते हैं परन्तु उनकी तादाद उस वक्त तक निश्चित नहींकी जा सकी है ।

क्लॉज (सी) में उन कर्जोंका उल्लेख है जिनके साबित होने या दावेमें खगडा होवे ।

क्लॉज (डी) में दिवालियेकी आयदादके इन्तजाम आदिके सम्बन्धमें जिन सचोंके होनेकी सम्भावना है उनका उल्लेख किया गया है अर्थात् क्लॉज (ए), (बी), (सी) व (डी) में बतलाई हुई मर्जोंके लिये काफी रकमा रोक लेनेके बाद रिजीवरकी चाहिये कि हिस्सा रसदी तत्कालीन करे ।

उपदफा (२) में यह बतलाया गया है कि रिसीवर उपदफा (१) में बतलये हुए कामोंकी लिये रुपये रोक सकता है अन्यथा नहीं उसका कर्जान है कि वह बाकी सब रूपया कर्जखानोंमें तत्कालीन कर देके अर्थात् रिसीवर अपन पास कोई फाजिल रकम नहीं रोक सकता है ।

दफा ६३ डिबिडेण्ड जाहिर किये जानेसे पहिले जिस कर्जखानेहने कर्ज साबित नहीं किया है उसके हक

अगर किसी कर्जखानेहने किसी डिबिडेण्ड जाहिर किये जानेसे पहिले अपना कर्ज साबित नहीं किया हो तो वह उस रकमाया रूपयेसे जो रिसीवरके पास होगा उस डिबिडेण्ड को पानेका हकदार होगा जो आयन्दा तत्कालीन किये जानेको है लेकिन वह उस डिबिडेण्डमें गड़बड़ी नहीं डाल सकेगा जो उसके कर्जा साबित करनेसे पहिले तय किया जा चुका है ।

ब्याख्या—

इस दफा में उस कर्जखानेके लिये हिस्सा रसदी पानेकी व्यवस्था बतलाई गई है जिसका कर्ज देगमें साबित किया आवे । अर्थात् यदि उसका कर्ज साबित किये जानेसे पहिले हिस्सा रसदी उन कर्जखानोंमें तत्कालीन किया जाचुका हो जिनका कर्जा पहिले साबित किया जाचुका है तो वह उस तत्कालीनमुद्रा प्रतापमें गड़बड़ी नहीं डाल सकेगा और उसे उसमेंसे कोई

दिखा समझ नहीं मिल सकेगी पालु उसका वजा माहित होनेके बाद जो हिस्सा रसदी (Dividend) बाग जावेगा उसमें उसे भी दिव्या रसदी मिल सकेगा बशर्त उसके कर्ज साधित होनेके बाद जो रकम रिगीवरके हाथमें बची होगी उसमें उसका भी हक होगा और वह केवल इन्हीं कारणोंसे कि उसका रज देय साधित हुआ है उस रकमप से अपना हक पानेमें वचित नहीं रहला जावेगा ।

दफा ६४ आखिरी डिवीडेण्ड

जब रिगीवर दिवालयियेकी कुल जायदाद या जायदादका वह हिस्सा जो अदालतकी रायमें बिना फिजूलकी देर गिसीबरीमें किये हुए वसूल किया जा सकता है, वसूल करने, तो वह आखिरी डिवीडेण्ड घोषित कर देगा । लेकिन ऐसा करनेसे पहिले वह उन लोगोंको नोटिस दे देवेगा जिनके कर्जोंका जिक्र हुआ है लेकिन जो साधित नहीं किये गये हैं कि अगर वह लोग नोटिसमें वी हुई मियादके अन्दर अपने कर्ज साधित नहीं करेंगे तो उनके हकोंका बिला लिहाज किये हुए आखिरी डिवीडेण्ड दे दिया जावेगा । नोटिसमें वी हुई मियादके समाप्त होने पर या उस मियादके समाप्त होने पर जो किसी कर्जवाहने अपना कर्ज साधित करनेके लिये अदालत से ली हो दिवालयियेकी जायदाद उन कर्जवाहनोंमें बांट दी जावेगी जिनका नाम सूचीमें दर्ज है और किसी दूसरे कर्जवाहनोंका ख्याल नहीं किया जावेगा ।

उपारवा—

आखिरी हिस्सा रसदी बाँटते समय जिन बातोंमें ध्यान रहना चाहिये उनका उल्लेख इस दफ्तमें किया गया है । आखिरी हिस्सा रसदी (Final Dividend) उनी समय बाँट जावेगा जब कि दिवालयियेकी कुल जायदाद वसूल की जा चुकी हो अथवा दिवालयियेकी जायदादा उस कदर हिस्सा वसूल किया जा चुका हो जो अदालतकी रायमें बिला फिजूलकी देर किये हुए गिसीवर वसूल कर सकता है । परतु आखिरी हिस्सा रसदी तकमाम करनेसे पहिले रिगीवरका कर्तव्य है कि वह ऐसे कर्जवाहनोंके निर्धारित नियमोंके अनुसार सूचना देवे जिनके कर्जोंका जिक्र तो दिवालयियेकी दफ्तारमें हुआ हो पा तु जिनका कर्ज साधित न किया गया हो । अर्थात् जिन कर्जवाहनोंका कर्ज साधित होकर दर्ज फेहरिस्त न हुआ हो उन कर्जवाहनोंकी आखिरी हिस्सा रसदी बाँटनेसे पहिले सूचना देनी जाना चाहिये । नोटिस इस बातका उनको दिया जावेगा कि वह नोटिसमें वी हुई मियादके अन्दर अपना कर्ज साधित करने अथवा बिला उनके कर्जोंका ख्याल किये हुए आखिरी हिस्सा रसदी बाट दिया जावेगा ।

नोटिसमें वी हुई मियादके समाप्त होने पर दिवालयियेकी जायदाद सूचीमें दर्ज उन कर्जवाहनोंके बीचमें हिस्सा रसदीके हिस्सावसे बाट दी जावेगी और उस बात दूसरे कर्जवाहनोंका कोई ध्यान नहीं रहला जावेगा । पा तु यदि किसी कर्जवाहने अपना कर्ज साधित करनेके लिये अदालतमें कुछ मोहलत रखी होवे तो उस मोहलतके समाप्त होनेके पश्चात् आखिरी हिस्सा रसदी बाँटनेकी बारीकाई अमरुम कार्य जावेगी । इस दफ्तके अनुसार नोटिस उन्हीं कर्जवाहनोंको दिये जावेगे जिनके कर्जोंका जिक्र आखिरी सूचीमें पालु जिनके कर्ज साधित नहीं किये गये हैं । आप लोगोंको नोटिस देनेकी आवश्यकता नहीं है देखो—10 I. C. 791. यदि किसी कर्जवाहने कर्ज सूचीमें दर्ज न कर लिया गया है तो वह बिना सार्थकिते बराबर शामिल किये हुए हिस्सा रसदी पानेका हकदार है देखो—49 Mad. 952.

इस दफ्तके अनुसार कर्जवाहनोंके आखिरी हिस्सा रसदी बाँटने तक अपना कर्ज साधित करने तथा उस समयके बाद बाद जने वाले कर्जोंमें से हिस्सा रसदी प्राप्त करनेका हक दिया गया है । यदि वह इस दफ्तके अनुसार किये हुए नोटिसमें

मियादें याद भी अपना कर्ज मानित न करें तो कि उनको और कोई सूच 1 नहीं दा जावेगी और उनके कर्जे का मिला रयाल निये हुए दिवालियेकी वचा हुई जायकद आदिगे तौर पर उड़ी कर्जेप्राहोंमें 22 दी जावेगी जिनका नाम सूचीमें दर्ज है । 10वीं 300 (Dividend) इत्यम अ भौषम हिस्सा रसदाये हिस्सासे बाटे जानका है । आदिवाक रिसीवरका कर्तव्य इ कि वः मोरिस केवल उन्ही कर्जेप्राहोंको नहीं देवे जिन्होंने अपनः कर्जे सादिर किया है किन्तु उन कर्जेप्राहोंको भी देवे जिनका कर्ज उसरो दिवालिया या किसी कर्जेप्राह द्वारा बनलाया गया है अर्थात् मोरिस केवल उन्ही लोगोंको नहीं होना चाहिये जिनका किंक दफा ६२ (१) के (बी) व (सी) क्लॉटमें है किन्तु उन लोगोंको भी होना चाहिये जो क्लाज (ए) में भी ह । देखा—A I R 1928 Sindh 100=107 I C 439

दफा ६५ डिबीडेण्डके लिये कोई दावा नहीं हो सकेगा

रिसीवरके खिलाफ डिबीडेण्डके लिये कोई मुकद्दमा नहीं दायर किया जावेगा, लेकिन अगर रिसीवर किसी डिबीडेण्टके देनेसे इन्कार करे तो सूचीमें दर्ज नाम चाने कर्जेप्राहोंके दरद्वारा उन पर अदालतको अधिकार है कि यह, रिसीवरको डिबीडेण्ड अदा करनेका हुकम देवे और यह भी हुकम देवे कि वह अपने पाससे सूच व सूद उस मुहदतका अदा करे जिस मुहद तक उसने रुपया रोक रक्खा हो ।

व्याख्या—

इस दफामें यह बनलाया गया है कि यदि रिसीवर किसी डिवाण्ड (Dividend) न देवे ओर उसका नाम कर्जेप्राहोंकी सूचीमें दर्ज हो तो ऐसा व्यक्ति अदालतसे दरद्वारा दे सकता है और अदालतको उन वक्त अपिनार है कि वह रिसीवरको उस कर्जेप्राहका हिस्सा रसदी अदा करनेका हुकम देवे तथा रिसीवरसे रोकी हुई रकमका सूच व दरद्वारा कर्ज भी उम कर्जेप्राहको दिलावे इस दफामें यह भा बनलाया गया है कि डिबीडेण्डके लिये रिसीवरके विरुद्ध कोई मुकद्दमा दायर नहीं किया जा सकता है उम बातका ध्यान रखा जाय कि इस दफाके अनुसार दरद्वारा केवल वही कर्जेप्राह दे सकते हैं जिनका नाम कर्जेप्राहोंकी सूचीमें दर्ज हो गया हो कोई दूसरा व्यक्ति उम दफाक अनुसार दरद्वारा नहीं दे सकता है ।

दफा ६६ दिवालिये द्वारा इन्तजाम व उसका भत्ता

(१) अदालतको अधिकार है कि यह दिवालियेकी उसकी कुल या जूज जायदादका इन्तजाम सुपुर्द करदे या अगर कोई रोजगार हो तो उसका चलानेका भार कर्जेप्राहानके फायदेके लिये उसे सुपुर्द करदे या और किसी तौरसे जायदादके इन्तजाममें मद्दद करनेका भार जिस किससे या जिन शर्तोंके साथ चाहे उसे देदेवे ।

(२) अदालतको अधिकार है कि वह समय समय पर दिवालियेकी जायदादसे उस कदर भत्ता दिखानेके या उसके खानदानकी परवरिशके लिये नियत करदे जितना मुनासिब मालूम हो या दिवालियेके कामके पथजमें अगर वह अपनी जायदादके रुमदानमें काम कर रहा हो कुछ भत्ता नियत कर देवे; लेकिन इस प्रकारका भत्ता किसी समय भी घटाया बढ़ाया या बन्द किया जासकता है ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार समय दिवालिये ही को उसकी जायदादके प्रबन्धका भार दिया जा सकता है चाहे वह उसी सन

जायदादके लिये होवे अथवा नहै उसकी जायदादके किसी खास हिस्सेके लिये होवे इस प्रकार यदि दिवालिया करार दिये जानेसे पहिले दिवालिया किसी रोजगारकी करता रहा हो तो उस रोजगारकी चाडू रखनेका कार्य भी उसी दिवालियेकी सुपुर्देगीमें दिया जा सकता है परन्तु इस प्रकार दिवालियेकी जो काम सुपुर्दे किया जावेगा वह अपने लाभके लिये नहीं करेगा किन्तु अपने कर्त्तव्यार्थोंके लाभार्थ करेगा अदालत दिवालियेसे जायदाद आदिके इन्तजाममें मदद भी ले सकती है परन्तु इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि अदालत जिस प्रकार तथा जिन शर्तोंके साथ दिवालियेसे काम लिया चाहेगी उसे सकती है अथवा दिवालिया मन माने दगसे उस कामको नहीं कर सकता है जसा कि वह दिवालिया करार दिये जानेसे पहिले करता रहा हो।

दिवालिया इस प्रकार सुपुर्दे किया हुआ जो काम करेगा उसकी आमदनी कर्त्तव्यार्थोंके लाभार्थ समझी जावेगा और उस पर किसीतरफा अधिकार कभी प्रकार होगा जिस प्रकार उसका अधिकार दिवालियेकी और सब जायदाद पर है उपदफा (२) में बतलाया गया है कि यदि दिवालियेने उसकी जायदाद बसूट करेके सम्बन्धमें काम लिया जावे तो उस कामके पूर्वज्ञापने उसे कुछ भत्ता दिया जा सकता है परन्तु इस भत्तेको घटाना बढ़ाना या बन्द करना अदालतके अधिकारमें है और अदालत समय समय पर ऐसे भत्तेकी योजना कर सकती है।

उपदफा (२) में यह भी बतलाया गया है कि अदालत दिवालियेकी जायदादसे दिवालिया तथा उसके परिवारके पोषणके लिये समय समय पर कुछ भत्ता दे सकती है परन्तु यह भत्ता भी ऊपर बतलाये हुये भत्तेके समान हर समय घटाना बढ़ाना बन्द किया जासकता है इस दफामें बतलाये हुए भत्ते (Allowance) को देनेके लिये अदालत वाच्य नहीं है किन्तु उसका देना न देना उसकी इच्छा पर निर्भर है।

यदि दिवालियेकी तनवाह मिलनी होवे तो उसे कोई खास भत्ता देनेकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह अपनी तनखाह में से कामके सुवाहिके साथी पानेका इकट्ठा कर देता—21 I. C. 950, 38 I. C. 410, 40 All. 211. परन्तु इलाहाबाद हाईकोर्टने इसके विरुद्ध 45 All 364 में यह तय कर दिया है कि अदालतको अधिकार है कि वह दिवालियेको उस दूरेके आधेमें भी उसके तथा उसके परिवारकी आवश्यकतेके लिये कुछ भाग भत्तेके रूपमें दिलवा देवे अर्थात् आधा तनवाहके अतिरिक्त बकाया आधा तनखाहमें भी उसे भत्ता दिलवाया जा सकता है अदालतकी यह भी अधिकार है कि जब चाहे इस भत्तेको घटा बढ़ा भी देवे तथा जब चाहे उसे बन्द कर देवे।

दफा ६७ वचे हुए पर दिवालियेके अधिकार

जब कि सब कर्त्तव्यार्थोंके कर्त्ते पूर्ण रूपसे मय सुदके जैसा कि इस एक्टमें दिया हुआ है अदा हो जावे और उसके अनुसार की हुई कार्रवाईके खर्च भी चुक जावे तो जो कुछ इस अध्यायकी धारा वचेगा वह दिवालियेकी मिलेगा।

व्याख्या—

यदि दिवालियेने सब कर्त्तव्यार्थोंका कर्त्ता उसकी जायदादसे अदा कर दिया जावे तथा उनका सूर भी जैसा कि इस एक्टमें बतलाया गया है उदा दिया जावे और वह खर्च भी जो दिवालियेकी कार्रवाईके शिलसिलेमें किया गया है निवाह लिया जावे तो उसके बाद जो रूपया या जायदाद बचेगी उसे दिवालिया पानेगा दिवालिया बचे हुये रूपयेके पानेका अधिकारी है परन्तु वह रूपया उसी समय मिल सकेगा जब कि ऊपर बतलाई हुई तीनों शर्तें पूरी हो गई हों अर्थात्

(१) कर्त्तव्यार्थोंका पूरा रूपया चुक जावे

(२) इस एक्टके अनुसार बतलाया सूर अदा कर दिया जावे, और

(३) दिवालयिके नियमितमें भी हुई कार्रवायोंका सर्व्व अदा कर दिया जावे

इस एक्टकी दफा ४८ में मूर दिखिये जातका उल्लेख है तथा दफा ६१ में भी नाद अदायगी मर कर्षा जानके दवायिका कगर दिखे जातेके बादका मूर दिखाय जातका उल्लेख है इस प्रकार मर कर्षा कार्रवायोंका कर्षे एक्टमें मर मूरके नियमका मिक्र दफा ४८ व ६१ में ही इतनेमे जानेके बाद जा कयया बचेगा वही बचा हुआ कयया समझा जायेगा परन्तु इस बादका भी प्यान रदना चाहिये कि दिवालयिके कार्रवाईके सम्बन्धमें जो कर्षे होंगे उन सबकी अदायगी भी दिवालयिके आयदाद ही से ही जायेगी और रानी बाराण उत खर्चोंकी भी अदा कर देनेके बाद जो कयया गिरीवरके हाथमें रह जायगा वही दिवालयिके मिक्र कर्षाकै अर्थकी एक्टकी इस दफामें (Shall) शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रकट होता है कि दिवालयिया ही अतः उत बचे हुए कययेक पानेका अतिरिक्त है वह कयया किमी पैर कययाके नहीं दिया जा सकता है । इतना अवश्य होगा कि दिवालयिके न रदने पर उसके उत्तरदायिगी उत बच हुए कययाके अतिरिक्त होंगे ।

दफा ६७ (ए) जांचकी कमेटी

(१) अंशालतको अतिकार है कि यदि वह उचित समझे तो उन कर्षाकार्रवायोंको जिन्होंने अपने कर्षाको साबित कर दिया है एक जांच करने वाली कमेटी बनानेका अधिकार देखे जिससे कि वह कमेटी रिसेवर द्वारा दिवालयिके जायदादके प्रपन्थका निरीक्षण कर सके ।

(२) जांच करने वाली कमेटीके सदस्य वही कर्षाकार्रवाहान हो सकेंगे, जिन्होंने अपना कर्षा साबित कर दिया है या जो ऐसे कर्षाकार्रवाहानके मुखतार आम होंगे ।

(३) जांच करने वाली कमेटीको रिसेवर द्वारा की हुई कार्रवायोंके सम्बन्धमें वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उसके लिये निर्धारित कर दिये जावें ।

ब्याख्या—

यह दफा प्राथिक कानून दिवालयिया संशोधन एक्ट ३९, सन १९२६ के अन्तारा बढाई गई है इन एक्टके क्रिये १ सितम्बर सन् १९२६ ई० की गवर्नरजनरल हिन्दु महोदयने अपनी स्वीकृत प्रदानकी थी । यह दफा इस कारण बनाई गई है कि जिसमें रिसेवरके प्रपन्थका मूल्य माति निर्दिष्ट किया जा सके । अंग्रेजी एक्टकी इन दफामें (May) शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रकट है कि अदालत जांच कमेटी नियुक्त करनेके लिये बाध्य नहीं है किन्तु उसका नियुक्त करना या न करना उसकी इच्छा पर निर्भर है अर्थात् जांच कमेटीकी नियुक्तिके लिये आज्ञा अदालत उसी समय देगी जब कि उसे ऐसी कमेटीके नियुक्त करनेकी आवश्यकता प्रतीत हो । ऐसी कमेटीके बनये जानेका अज्ञात होने पर वह कर्षाकार्रवाहान इस कमेटीके बनानेमें निवृत्त कर्षे सामिल हिये जा चुक है अर्थात् दिवालयिके इस एक्ट कर्षाकार्रवाहानके ऐसी कमेटी बनानेका अधिकार प्राप्त नहीं है और न किसी पैर शक्य हो वा ऐसी कमेटी बनानेका कोई अधिकार है ।

यह कयया गिरीवरके प्रपन्थका निरीक्षण करके लिये बनाई जावे । जिसमें कि दिवालयिके जायदादका ठीक ठीक प्रपन्थ किया जासके तथा उमते जिनना अधिक कयया बमूल किया जातके बमूल किया जावे और वह किसी प्रकार बर्बाद न हो सके ।

उपदफा (२) में यह बात भी स्पष्ट कयी गई है कि जांच कमेटीके मेम्बर भी वही कर्षाकार्रवाह होंगे जिनका कर्षा साबित किया जाचुका है या उनके मुखतारअम होंगे अर्थात् कमेटीके मेम्बर उनके अतिरिक्त और कोई भा ग्यनित नहीं हो सकेगा । अंग्रेजी एक्टका इस उपदफामें (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रकट है कि इस उपदफाके नियमका प्राथमिक अवश्यकी जना चाहिये ।

उपदफा (३) में यह नतलया गया है कि जाच कंटीकी रितीवरकी करिवाई पर नही अधिकार होंगे जो उसके लिये निर्धारित किये गये हों ।

रितीवरके खिलाफ अदालतमें अपील

दफा ६८ रितीवरके खिलाफ अदालतमें अपील

अगर रितीवरके किसी काम या फैसलेसे दिवालिवा या कोई कर्जखवाह या अन्य कोई व्यक्ति असंतुष्ट होवे तो वह अदालतमें उसके विरुद्ध दरखवास्त दे सकता है और उस पर अदालतको अधिकार है कि वह रितीवरके उस काम या फैसलेको बहाल रखे या पलट दे या संशोधित कर दे और जैसा हुकम मुसासिव समझे दे देवे ।

लेकिन इस दफाके अनुसार इस प्रकारकी कोई शिकायत किये जाने वाले काम या फैसलेसे २१ दिनके बाद न हुनी जावेगी ।

व्याख्या—

इस दफाका प्रयोग उन्हीं मामलोंके सम्बन्धमें किया जासकेगा जो रितीवरने दिवालिवाकी जायदादके सम्बन्धमें दिवालिवाके धी वारंवारके सिद्धमिलेमें किया हो जहाँ—39. All. 204, A. I. R. 1925 Bom. 233.

इस दफाके अनुसार अदालतसे अपील करनेका अधिकार रितीवरके किसी खास काम या हुकमके लिये ही नहीं है किन्तु रितीवरके किसी भी काम या हुकमकी अपील इस दफाके अनुसार अदालतमें ही जासकती है । इस दफाके अनुसार अदालतसे अपील कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसे रितीवरके किसी काम या हुकमसे हानि पहुंचती हो अर्थात् दिवालिवा स्वयं इस दफाके अनुसार अपील कर सकता है, दिवालिवाके कोई भी कर्जखवाह इस दफाके अनुसार अपील कर सकता है इसी प्रकार कोई और शख्स भी जिसे रितीवरके कामसे या हुकमसे हानि पहुंचती हो इस दफाके अनुसार अपील कर सकता है । ऐसी अपीलके होने पर अदालतको अधिकार है कि वह रितीवरके वत काम या हुकमको निसके विरुद्ध अपीलकी गई हो जैसेका तैसा बहाल रखे या उससे पलटदे या उसमें कोई संशोधन कर देवे । और साथही साथ जैसी आज्ञा वाचित समझे उसके लिये देवे ।

अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें (May) शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे यह नली भाति प्रकट है कि अदालत इस दफाके अनुसार अपीलकी जाने पर किसी खास हुकमके देनेके लिये बाध्य नहीं है किन्तु उसका देना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है । अदालत शिकायत लिये हुए काम या हुकम पर विचार करनेके पश्चात् तथा उसकी जाँच करनेके बाद समझावित जो आज्ञा देना मुताबिक समझे दे सकता है अर्थात् रितीवरके काम या हुकमसे जैसा तैसा बना रहने दे या उसे पलट दे या उसे संशोधित कर देवे । साथही साथ यदि वह कोई हुकम हुकम दिया चाहे ती दे सजता है परन्तु इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि इस दफाके अनुसार अपील २१ दिनके अन्दरही की जाना चाहिये अर्थात् निस काम या हुकमके विरुद्ध शिकायत होने तो उसके होनेके बाद २१ दिनकी के अन्दर उसकी अपील अदा मतमें कर देवे अन्यथा शिकायत करने वालेको इस दफाके अनुसार अपील करनेका अधिकार जाता रहेगा । यदि रितीवरका कोई काम बेवर्तीव होने और उससे कर्जखवाहोंके हितोंको आघात पहुंचाता हो वा अदालत रितीवरके ऐसे हुकमको रद्द कर सकती है देवे—73 I.O 374

यदि किसी व्यक्तिने दिवालिवाके किसी जायदादको रितीवरसे छीनरा हो तो वह इस दफाके अनुसार अदालतमें दरखवास्त दे सकता है कि उसकी मोटी मजूरकी जाने तथा दूसरी स्वतन्त्रकी मोटी रद्द करार देकर मजूर न की जावे । अदालतको ऐसी

दरखास्त इन दफाके अनुसार सुननेका अधिकार है । इस लिये कोई नाकायदा मुकदमा चलानेकी आवश्यकता नहीं है देवो—
66 I. C. 524.

यह दफा ऊर्ध्व रितीवर्षोंके कामों या हुक्मोंमें लागू होगी जो इन एकत्रके अनुसार नियुक्त किये गये हों और यदि कोई रितीवर नाकायदा नियुक्त न किया गया हो तो उसके कामोंके तन्मयमें यह दफा लागू नहीं समझना चाहिये देखो—A. I. R. 1924 Mad. 461.

यदि इस दफाके अनुसार अदालत कोई हुक्म देने तो उन हुक्ममें आन्तम हुक्म नहीं समझना चाहिये किन्तु उसकी अपीलकी जासकती है देखो—40 Mad 752.

यदि इस दफाके अनुसार करिवाई करनेके लिये कोई व्यक्ति वाप्य नहीं है इसलिये यदि कोई व्यक्ति नियत किये हुये समयके अन्दर इन दफाके अनुसार दिये हुए काम या हुक्मकी अपील अदालतमें न करे तो वह उसके परचाह भी रितीवरके विरुद्ध मामूली दीवानीका मुकदमा दायर कर सकता है यदि उसे उस हुक्म या कामसे हानि पहुँचनी हो अथवा एकदमी इस दफामें (May) शक्यता प्रयोग किया गया है नियम यह प्रगट है कि यदि हानि उठाने वाला व्यक्ति चाहे तो इस दफासे लाभ उठा सकता है देखो—A. I. R. 1924 All. 40=16 All. 16, जब कि दिवालयिकोंके करिवाई समाप्त हो चुकी हो तो हरिकेसमें कोई अपील नहीं है कि वह आकिराज रितीवरके व्यवहारकी जाय करेगोके दौगन करिवाईमें उसे अधिकार है कि किमी प्राप्त काममें वह जरा दिवालयिकोंसे सलाह आदि देदेवे देखो—A. I. R. 1927 All. 260.

यदि रितीवर किसी कर्तव्यवाहके कहने पर कोई काम न करे या उसके कानसे इनकार कर देवे तो केवल इतनी ही बातको दिवालयिकका काम इस दफाके अनुसार नहीं माना जावेगा । देखो—47 Mad. 673.

यदि रितीवर दफा ५३ या ५४ के अनुसार करिवाई करनेसे इनकार कर देवे तो कर्तव्यवाहको इस दफाके अनुसार अपील करनेकी आवश्यकता नहीं है किन्तु वह स्वयं भी उन दफाओंके अनुसार अदालतसे करिवाई करा सकता है । देखो—दफा ५४ (९) इस दफाके अनुसार करिवाईकी जानेके लिये यह आवश्यक नहीं है कि कोई न कोई दरखास्त अनवरदी जाने यदि अदालत चाहे तो स्वयं भी रितीवरके किमी काम या हुक्मको परच सक्ती है या सशोधित कर सकती है और ऐसा करनेमें इस दफासे कोई हानि नहीं पड़ेगी देखो—1 Lah. 307=38 I. C. 6.

जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है कोई भी व्यक्ति निम्न रितीवरके काम या हुक्मसे हानि पहुँचनी हो इन दफाके अनुसार अदालतसे अपील कर सकता है । हानि पहुँचनेसे अधिप्राय यह है कि उस कानूनी हानि पहुँचनी हो यह नहीं कि उस हुक्मके हो जानेकी वजहसे उसके आपन्दाके किसी लाभमें हानि पड़ेगी । यदि रितीवरके किसी कामके कारण कोई व्यक्ति हलचलमें पड़ गया हो तो उसे इस दफाके अनुसार अपील करनेका अधिकार है देखो—51 I. C. 113. इस कारण यदि कोई उल्लंघन न पकरी हो या कोई कानूनी हानि न होती हो तो दफा ६८ लागू न होगी ।

एक घरेलूवने अपनी डिक्लीमें रेहनकी हुई जायदादी नीजाममें खरीद किया और इसके परचाह करतार मद्रास दिवालयिका करार दे दिया गया तथा उसकी जायदादके लिये रितीवर नियुक्त कर दिया गया । रितीवरने उस घरेलूवनेका खरीदकी हुई जायदादको बेचना चाहा तो यह तय हुआ है कि घरेलूवनेके रितीवरके इस कामसे कोई कानूनी हानि पहुँचनी है क्योंकि यह जायदाद दिवालयिकी नहीं है और यदि रितीवर ऐसी जायदादको बेच भी देवे तो इसमें घरेलूवने खरीदारके हक पर कोई असर नहीं पड़ेगा अर्थात् इस प्रकार जायदादका बेचा जाना एक फिजूलफ काम होगा देखो—20 I. C. 683 यदि रितीवर किसी कर्तव्यवाहके कनेको मंजूर न करे तो ऐसे कामसे उस कर्तव्यवाहकी हानि समझना चाहिये और यह कर्तव्यवाह इस दफाके अनुसार अपील कर सकता है, देखो—78 I. C. 657. यदि आकिराज रितीवर यह तय करे कि दिवालयिकोंको कोई

कर्त्ता अदा करना है तो ऐसे हुक्मसे दिवालयियेको हानि पहुँचती है और इसकी अपील इस दफ्तेके अनुमार की जा सकती है, देखो—62 I. C. 441.

यदि रिश्वर किसी दूसरे व्यक्तिकी जायदादको दिवालयियेकी जायदाद समझ कर ले लेवे तो वह व्यक्ति जिसकी जायदाद लौपाई है इस दफ्तेके अनुसार अपील कर सकता है देखो—36 All 8, 35 All 410, 47 I. C. 62 (Cal)

परन्तु यदि रिश्वर किसी दूसरेकी जायदादको दिवालयियेकी जायदाद करार देकर बँच देवे तो दिवालयियाको इस दफ्तेके अनुसार अपील करनेका अधिकार नहीं है क्योंकि उसको इस मामले कोई हानि नहीं पहुँचती है, देखो—41 All. 243, 49 Mad 461.

मराठ हाईकोर्टने एक मामलेमें यह भी तय किया है कि यदि भित्ताशय परिवारके पिताने कोई जायदाद बँचशी देवे और अदालत उस बचानामाकी मंजूज कर देवे तो उसके लक्षकोंकी यह अधिकार नहीं होगा कि वह रिश्वर द्वारा उस जायदादके सम्बन्धमें भी जाने वाली किसी कार्यवाहीमें रुकवट डाल सकें, देखो—A. I. R. 1927 Mad. 232.

यदि रिश्वर किसी और शख्सकी जायदाद पर गलतीसे कब्जा कर लेवे तो उस और शख्सके लिये दो तर्गके छूले हुए हैं, वह इस दफ्तेके अनुमार कार्यवाही कर सकता है और अगर वह चाहे तो अदालत दिवालयियेमें कोई कार्यवाही न करे किन्तु वह मामूली दीवानी अदालतमें अपनी जायदादकी वापिसके लिये दावा उस प्रकार कर देवे जैसे कि अनधिकार कब्जा करने वालके विरुद्ध दावा किया जाता है, देखो—39 All. 626, 40 I. C. 122; 41 All. 378, A. I. R. 1924 Oudh 294

इस दफ्तेके अनुसार अपील उसी अदालतमें की जाना चाहिये जिस अदालतने रिश्वरकी नियुक्त किया हो यदि रिश्वरने किसी जायदादको दिवालयियेकी जायदाद करार देकर उसके नीजामकी पोषणाकी हो और कोई दूसरा व्यक्ति जिसने दिवालयिया करार दिये जानेसे पहिले उस जायदादको दिवालयियेके खरोदा हो, इस दफ्तेके अनुसार दरखास्त देवे परन्तु उनकी दरखास्त २१ दिनोंके बाद हानके कारण खारिज कर दी जावे तो हमने यह नहीं समझना चाहिये कि उस व्यक्तिके इस दफ्तेके अनुसार कार्यवाही करली है किन्तु वह व्यक्ति अदालत दीवानांमें रिश्वरके विरुद्ध दावा दायर कर सकता है, देखो—44 All. 620. परन्तु 47 Bom 548. में यह तय किया गया है कि यदि रिश्वर दिवालयियेके कर्त्तारोंके विरुद्ध कोई हुक्म दे देवे तो वह लोग इनी दफ्तेके अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं तो उनको दूसरा मुकदमा चलेजना अधिकार नहीं है।

यदि कोई व्यक्ति इस दफ्तेके अनुमार कार्यवाही करेगा तो उसे मुकदमा दायर करनेका हक नहीं रहेगा और यदि वह मुकदमा दायर करेगा तो उसे इस दफ्तेके अनुसार कार्यवाही आवश्यकता नहीं है अर्थात् दो में से एकही प्रकारकी कार्यवाही की जा सकती है, देखो—41 All. 378.

यदि अदालत इस दफ्तेके अनुसार किसी प्रश्नको तय कर देवे तो दुबारा उस प्रश्नको तय करनेके लिये कोई दूसरा मुकदमा नहीं चलाया जावेगा क्योंकि वह अदालतका फैसला आखिरी फैसला समझना चाहिये और उसे अन्न तमनीम शुदा (Resjudicata) समझना चाहिये, देखो—39 All 626, A. I. R. 1923 All 293. परन्तु इस प्रश्नके लिये सन हाईकोर्ट एक दूसरेसे सहमत नहीं हैं वहीँ हाईकोर्टने यह तय किया है कि यदि अदालत दिवालयिया किमी ऐसी जायदादके सम्बन्धमें किये हुए एतराजकी नामजूज कर देवे जो दिवालयियेकी जायदाद करार देकर कुर्क व नीजामकी गई हो तो हानि वाले फ़ीदकोंके अधिकार है कि वह अपने हकको तय करनेके लिये माकायदा मालिश दायर कर सकता है, देखो—A. I. R. 1923 Lah. 224.

इस बातके लिये कोई मन्तर नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति जिस रिश्वरके काम या हुक्मसे हानि पहुँची होवे इस दफ्तेके अनुसार अदालत दिवालयियासे अपनी शिफायत दूर करनेको न करे तो उसे 'मामूली दीवानांका काम दायर करके अपनी

शिष्टागत दुर करनेका अधिकार है, देखो—46 All. 16 यदि दिवालिया किसी जायदादके बंधे जानेमें एतदात्त करे और रिसेवर उस एतदात्तका बिला कुछ ख्याल नियो उस जायदादकी बंधे देवे और इसके पश्चात् रिसेवरके इस कामके विशुद्ध अदालतमें कोई एतदात्त न किया जावे तो दिवालिया दुबारा उसी बिना पर इस बयनामें के विरुद्ध यह नई कह सकता है कि यह बयनामा ग्राह्य किया गया था, देखो—A I R. 1924 Mad. 147.

इस दफाके अनुसार तहसीलका करते समय यह आवश्यक नहीं है कि अदालत दुबारा शहदत लेवे किन्तु वह रिसेवर द्वारा ली हुई शहदत ही पर विचार कर सकती है और न रिसेवरको उस दरखवास्तके अग्रे करीक पुकरमा ई। बगैना करती है, देखो—A. I R. 1924 Mad. 830.

परन्तु अहम तक होमके अशुद्धको रिसेवर द्वारा की हुई कार्रवाई पर विचार न करना चाहिये किन्तु उसे स्वयं दोनों करीबोंकी बात समझा चाहिये तथा आवश्यकतानुसार तहसीलका भी करना चाहिये जिसमें कि ठीक इत्फ किया जासके देखो—39 All. 626. यदि कोई बाकायदा पुकरमा हम बातके लिये चलाया जावे कि जो जायदाद रिसेवरने बंधी है उसमें दिवालियाके कोई हक नहीं था तो रिसेवर उस पुकरमाके लिये एक जल्दी करीक है और अदालत दिवालियाकी आता लिये बिना वह फसक पुकरमा बनाया जासकता है, देखो—46 All. 16.

इस दफाके अनुसार दरखवास्त देनेके लिये २२ दिनों मियाद नियत की गई है डिस्ट्रिक्ट जज अर्थात् अदालत दिवा-लियाको २२ दिनों पहिले रिसेवरकी रिपोर्ट मजूर करनेका अधिकार नहीं है परन्तु फाँकेनकी सजागरी पर इतने पहिले भी रिपोर्ट मजूर की जासकती है २२ दिनोंके अन्दर यदि किसी कर्तबवाह आदि को कोई एतदात्त कामा हो तो वह एतदात्त कर सकता है जिसमें वह रिपोर्ट बदला नामके या उसम समाप्त किया जासके, देखो—A I R. 1926 Cal. 826. अदालत दिवालियाकी कोई अधिकार नहीं है कि वह रिसेवर द्वारा किये हुए बयनामेंको मजूर कर देवे जबकि कि प्रोसेडिङ्ग साजिश, खास बेतर्की, बँचनेमें बड़बड़ी या बेउनमानो न साबित होजावे जिसकी वजहसे जायदादकी तुकमान पहुँचता हो या जब कि रिसेवरने अपने अधिकारोंते बाहर उस शर्तको न किया हो, देखो—A. I. R 1928 Rang 60; 107 I. C. 172.

चौथा प्रकरण

दण्ड (सजा)

दफा ६९ दिवालियेके जुर्म

अगर कोई कर्जदार दिवालिया क़ारार दिये जाने बाटे हुफ्तके होनेसे पहिले या उसके बाद—

(ए) दफा २२ के अनुसार बतये हुए अपने कर्तव्योंको जानते हुए नहीं करता है या अपनी जायदादके किसी हिस्सेका क़ब्ज़ा जो उसके कर्जकुशाहोंमें इस एक्टके अनुसार बचना चाहिये और जो उसके क़ब्ज़े या निगरानीमें है अदालतकी या अदालत द्वारा क़ब्ज़ा लेनेके लिये नियुक्त किये हुए किसी दूसरे व्यक्तिको नहीं देता है; या

(बी) घोखा देहीसे अपने कामकी हालत छिपानेकी इच्छासे या इस एक्टके अनुसार काम न होने देनेकी इच्छासे :—

(१) किसी दस्तावेज़को जिसका इस एक्टके अनुसार होने वाली तहकीकातसे सम्बन्ध हो बरपाद कर दिया हो या जान बूझ कर रोक दिया हो या जानते हुए पेश न होने दिया हो, या

(११) झूठी किताबें रखी हों या रखवाई हों, या

(१११) किसी दस्तावेज़में जिसका सम्बन्ध इस एक्टके अनुसार होने वाली तहकीकातसे है गुलत इन्द्राज कर लिये हों या किसी इन्द्राजको न किया हो या जान बूझ कर इन्द्राजको बदल दिया हो या गुलत कर दिया हो, या

(सी) घोखादेहीसे अपने कर्जकुशाहोंमें तकलीफ़ किये जाने वाले रुपयेको कम करनेकी ग़रज़से या अपने किसी कर्जकुशाहको बेजा फ़ायदा पहुँचानेकी ग़रज़से :—

(१) उस कर्जकुशाहके क़र्ज़को चुका दिया हो या उससे लेने वाले कर्ज़की छिपाया हो, या

(११) अपनी किसी क्रिमकी जायदादको अलहदा कर दिया हो, या उस पर दार कर लिया हो या उसको छेद कर दिया हो, या छिपा लिया हो,

तो जुर्म साबित होने पर उसको एक साल तककी सज़ा दी जासकेगी ।

न्याय—

रिपब्लिक एक्ट नं० १२ सन १९२७ ई० [Repealing Act 1927 (XII of 1927)] के अनुसार अंग्रेजी ऐक्टमें इस दफाके आद्वारे "By the Court" यह शब्द हटा दिये गये हैं अर्थात् पहिले यह था कि जुर्म साबित होने पर (अदालत द्वारा) बरकरे एक साल तककी सज़ा दी जासकेगी अब "अदालत द्वारा" यह शब्द नहीं रहे गये हैं ।

इस दफामें दिवालिये द्वारा किये जाने वाले अपराधों तथा उनके होने पर जो दण्ड दिया जानेको है उसका वर्णन है। इस दफामें उन सब कार्योंका उल्लेख है जो इस एक्टके अनुसार दण्डनीय अपराध समझे जाना चाहिये।

इसमें दिये हुए अपराध एक प्रकारसे कायदेके अनुसार बर्णन करनेके अपराध हैं यह उन अपराधोंकी भांति नहीं है जैसे कि फौजदारीके जुर्म होते हैं देखो—39 All. 171; 54 I. C 740. इस दफामें बतलाये हुए अपराध चाहे दिवालिया करार दिये जानेसे पहिले किये गये हों चाहे वह दिवालिया करार दिये जानेके बाद किये जावे दोनों दफाओंमें बह दण्डनीय होंगे। यह बात बली भांति प्रकट नहीं है कि 'परिष्' से आमिप्राय कितने समय पहिलेसे है अपूर्ण दिवालिया करार दिये जानेमें चाहे गितना पहिले इस दफामें बतलाया हुआ अपराध किया गया हो वह दण्डनीय अपराध ही समझा जावेगा परन्तु जिन अपराधोंका उल्लेख है उनसे यह प्रकट होता है कि अधिकतर दिवालियेके मामलोंमें तदकीर्णतके सम्बन्धमें जो मसले पेश आतेगे वही दण्डनीय समझना चाहिये देखो—A. J. R. 1927 All 352.

अदालतसे इस दफाके अनुसार कार्रवाई किली समय भी कदाई जासकती है और उस वक्त अदालतका कर्तव्य होगा कि वह इस प्रश्न पर विचार करे कि आया दिवालियेने दरअसल अपराध किया है या नहीं यह आवश्यकता नहीं है कि जब दिवालिया बहाल होनेकी (Discharge) दरखास्त देवे तभी उसके अपराधोंका फैसला किया जाना चाहिये, देखो—49 I. C 55

बलाज (ए) इस क्लॉजमें दो प्रकारके कार्योंका उल्लेख है एक तो यह कि दिवालिया जानबूझ कर दफा २२ में बतलाये हुए कर्तव्योंका पालन न करे व दूसरे यह कि वह जानबूझ कर जायदारका कब्जा अदालत या रिश्वतद्वारा न देवे। जिन कार्योंका उल्लेख इस क्लॉजमें है वह बर्ती समय अपराध समझे जासकेंगे जब कि दिवालियेने जानबूझ कर उस कामकी किया हो।

जिस जायदादके कब्जा देनेका प्रश्न इस क्लॉजमें किया गया है वह ऐसी जायदाद होना चाहिये जो कर्तव्यशासनमें बांटी जासकती हो तथा वह जायदाद उस समय दिवालियेके कब्जे या अधिसारमें होवे दफा २८ में उन जायदादोंका जिक्र है जो कर्तव्यशासनमें बांटी जासकती हैं। जो कृपाय रखवे फलमें जमा हो वह इस प्रकार बांटा जासकता है इस लिये ऐसे कृपेके सम्बन्धमें यह क्लॉज लागू नहीं समझना चाहिये, देखो—44 Bom, 673. इसी प्रकारकी बात दूरकी जायदाद, पोटिडिकल पेंशन तथा वास्तविकीकी जमीन आदिके लिये समझना चाहिये।

बलाज (बी) इस क्लॉजमें जिन कार्योंका उल्लेख है वह वही समय अपराध समझे जावेंगे जब कि दिवालियेने उनको अपने अमली हालतकी विधानकी मशासे किया हो या इस एक्टके अनुसार होने वाली कार्रवाईकी रोकनेकी मशासे किया हो और वह काम धोखादेरीकी नोंगदरी किये गये हों। इस क्लॉजके अनुसार यदि कोई ऐसी दस्तावेज बगवान् बरदो जावे या पेश न होने दी जावे जिसका सम्बन्ध दिवालियेके मामलेसे है तो यह अपराध समझा जावेगा। दस्तावेजका बर्बाद किया जाना उसी समय माना जासकता है जब कि उसका होना साबित कर दिया जावे इसी प्रकार किसी दस्तावेजके पेश होनेका प्रश्न भी उसी समय उपारोपण ही सकेगा जब कि यह साबित हो अधिकी कोई उस प्रकारकी दस्तावेज मौजूद है। इस क्लॉजके दूसरे भागमें यह बतलाया गया है कि यदि घड़ी किनावे रखी या रखवाई जावे तो वह भी अपराध है। तीसरे खण्डमें घटन इन्दाजना करना तथा किसी इन्दाजनाक गड़बड़ कर देना भी जुर्म बतलाया गया है परन्तु जैसा ऊपर कहा जा चुका है यह सब बातें उसी समय जुर्म समझी जावेंगी जब कि धोखादेरीकी मशासे दिवालियेने अपने मामलेको विधाने अपना इस एक्टके अनुसार कार्रवाईको बेकार करनेकी मशासे किया हो।

क्लाज (सी) इस कानूनमें बतलाये हुए कार्य उसी समय अपराध समझ जावगे जब कि दिवालियन घोषारोहीकी मशासे कनेक्शनोंमें बाई जाने वाली रकमको कम कमकी मशासे विधा हो। अथवा इस मशासे किया हो कि जिनमें बसके किसी खास कनेक्शनोंके बजा लाभ पहुँच जावे। इस क्लॉक पहिले मशमें यह बतलाया गया है कि यदि दिवालिया अपने लने या देने वाले कनेक्शनोंके विषय या उन घुवा देवे तथा दूतो भागमें यह बतलाया गया है कि अगर वह अपनी जालदारीके विषय या उसे हटादे या उसे रूक कर अधवा उस पर कोई बार हो जाने दे तो दोना दशाओंमें ऊपर बतलाये हुए शर्तके पूरा होने पर इस प्रकारके काम दण्डनीय अपराध समझ जावगे। यदि कोई व्यक्ति दिवालियेकी दशा होने पर अपनी दूकानमें माल इस मशासे हटावे कि जिसमें उसके कनेक्शनाहल उस मालका न पासके तो ऐसे कामका अपराध समझना चाहिये, देखो—A. I. R. 1927 All. 352. यदि इस दफामें बतलाया हुआ कोई अपराध साबित होवे तो अपराधीको १ वर्षके कारावास का दण्ड दिया जासकता है। इस दफामें यह नहीं बतलाया गया है कि बराबरानका दण्ड कठार (Rigorous) दण्ड होना चाहिये अथवा साधारण (Simple) परन्तु प्रकट रूपमें ऐसा मादूम होना है कि दोनो प्रकारका दण्ड दिया जासकता है। इस दफामें यह नहीं बतलाया गया है कि जिसक बहने पर इस दफाके अनुसार कारोवाईकी जावेगी। ऐसा मादूम होता है कि अदालत स्वयं ही किसी कनेक्शनाहके बहने पर इस दफाके अनुसार कारोवाई चाहू फा सकती है देखा—14 All. 145. रिबरन भी अदालतन इस दफाक अनुसार दिवालियेके निशद कारोवाई चाहू करनेका कह सकता है।

इस प्रकार अपराधी ठहरानेके लिये बाकायदा मामला चलाया जाना चाहिये और जो जुर्म लगाया जावे उसके साबित होने पर दिवालिया दोनो ठहराया जाव आर तभी बहदण्डका भागी होगा। उसको पहिले यह बतला दिया जाना चाहिये कि उसने कौनसा अपराध किया है जिनमें उसे बाका जबाबदारीका माका भिन्न जावे, देखा—17 Cal. 209

यदि अदालतको इस बातका विश्वास हो जाव कि दिवालियेने इस दफाके अनुसार जर्म किया है तो अदालत इस प्रकारका फैसला लिख सकती है तथा किसी कनेक्शनाहके पास जिसकी अधिकार सीमामें वह मामला हुआ हा उस मामलको धावू करनेक लिये भेज सकती है देखो दफा ७०।

दफा ७० दफा ६९ का जुर्म लगाने पर कारोवाई

जब कि अदालतको आवश्यकतानुसार प्रारम्भिक जांच करनेके पदचात् विद्वान हो जावे कि दफा ६६ में बतलाये हुए अभियोगोंमें से किसी अभियोगकी जांच होना आवश्यक है और यह अभियोग दिवालिये द्वारा किया हुआ प्रतीत होता है तो अदालत अपनी तजवीज इस बातके लिये लिख सकती है और उस जुर्मका इस्तमास लिखकर उस अग्रचल दर्जेके (First Class) मजिस्ट्रेटके पास भेज सकती है जिसकी अधिकार सीमा (Jurisdiction) होवे और वह मजिस्ट्रेट उस अभियोगका उसी ढंगसे सुनेगा जैसा कि सन् १८६८ ई० के जावता फौजदारी (The Code of Criminal Procedure 1898) में बतलाया गया है।

ब्याख्या—

दफा ६९ में बतलाये हुए लोगोंको तहकीकात नियम इस दफामें बतलाया गया है। यह दफा नहीं है और दिवालिया सशोयत एक्ट सन् १९२६ ई० के अनुसार पुराना दफाके बजाय रखा गई है इस दफाक बजाय जानने पुराने नियममें एक बजा परिवर्तन सा हो गया है क्योंकि पिछली दफाके अनुसार अदालत दिवालियेको भी अधिकार था कि

बहु दफा ६९ में मनगये हुए जुर्माने लिये जाने पर उनका तदकीर्ण कर मके तथा अभिपुनक दोनो निर्धारित होने पर उमे दण्ड दे सके परन्तु इस दफाके अनुसार उते केवल प्राग्भिक जाच ही बस्नेता अधिचार है व इसके परवान् बहु अधिकार रखने वाले पररदास मजिस्ट्रेटक पास मामलेको भेज सकता है । इसके अनितिस दूमरे बाल मॉर्की जो विच्छनी दफाओं थी वह यह है कि कानून दिवालियेके अनुसार किसी जुर्माने लगाने जानेसे पहिले उसमें नोटिस दिवालियेका दिया जाना आवश्यक था परतु इस नई दफाके अनुसार निम्न ऐसे नोटिस देनेकी आवश्यकता नहीं है यदि अदालत आवश्यकतानुसार प्राग्भिक जाच करनेके पक्वान् अधिन समझे कि अभियोग चलाया जाना चाहिये तो वह मामलेको चाड् करनेके लिये मजिस्ट्रेटके यहा भेज सकती है । पिच्छनी दफा नचे दे जाना है निमके देखनेम पाठवोंको देनो दफाओंना फरक मळी मानि विदित हो जावेगा ।

पिच्छली दफा ७० जो रद्द की जाचुकी है:—

दफा ७० दफा ६६ के अनुसार लगाये हुए अभियोगकी कार्रवाई

(१) जब कि अदालतको यकीन हो जावे कि दफा ६६ में दिये हुए किसी जुर्मानेकी तदकीर्णता करनेकी वजह (जकरत) है तो अदालत हुकम देगी कि कर्जदारको नोटिस इस बातका दिया जावे कि यह वजह जाहिर करे कि उसके खिलाफ एक या उससे अधिक जुर्माने दिये न लगाये जावें तथा यह नोटिस इस प्रकार भेजे जावेंगे जिस प्रकार सम्मन जावता दीवानों के अनुसार भेजे जाते हैं ।

(२) नोटिसमें जुर्माना (मुद्दआ) बताया जावेगा और एरुही नोटिसमें एकसे अधिक जुर्मानेका हवाला दिया जासकता है ।

(३) उस नोटिसके अनुसार समाप्त करते समय और उसके अनुसार लगाये हुए जुर्मानेकी समाप्त करते समय अदालत जहां तक हो सकेगा उस प्रकार कार्रवाई करेगी जैसा कि सन् १८६० ई० के जावता फौजदारीके २१ वे प्रकरणमें चारण्ट कसेज (मानसों) के लिये जिनकी सुनवाई हाइकोर्ट या सेशन्स कोर्टमें होती है दी हुई है ।

(४) इस दफाके अनुसार चाहे जितने जुर्माने हों सब एक साथ लगाये जासकते हैं । परन्तु किसी कर्मदारको इकठ्ठा दो सालसे उपादाके लिये सजा नहीं दी जासकेगी जबकि उमन उसी दिवालियेकी कार्रवाईके तिलसिलेमें इस एक्टके अनुसार जुर्माने किये हों ।

(५) अदालतको अधिकार है कि वह दफा ६६ के अनुसार किसी जुर्मानेकी तदकीर्णता स्वयं करनेके बजाय उसका इस्तगामा लिखकर सबसे नजदीकी फस्टे क्लाम मैजिस्ट्रेट (दर्जा अत्राल) के पास जिसे अधिकार समाप्त होवे भेज सकती है और उस हालतमें वह मैजिस्ट्रेट उस इस्तगामेको उसी प्रकार सुनेगा जिस प्रकार सन् १८६० के जावता फौजदारीमें दिया हुआ है । परन्तु उसमें मुस्फगील (वादी Complaint) का बयान लेना जरूरी नहीं है ।

व्याख्या—

पहिली जनवरी सन् १९२० ई० से एक्ट ९ सन् १९२६ ई० गवैना मनाक दिन्द मरीदामे आजातुनाम कार्यान्वित किया गया था और तभीसे ऊपर दी हुई पृथगी दफाके बजाय नई दफाका प्रयोग प्रारम्भ हुआ ।

चूकि सिविल जस्टिस कमेटीने यह समझा कि हार्डवेस्ट तथा अदालत जिलाना समय दफा ६९ में बतलाये हुए छोटे छोटे प्रमेयोंकी तहकीकातमें बहुत नष्ट होगा तथा यह उचित समझा कि ऐसे खर्चोंकी जाव बन्धनी तीसरे कर्दे प्राप्त मजिस्ट्रेट कर सन्त है इस कारण तथा अन्य भी बहुत सा बातोंका सोचत हुए पुसानी दरफके बजाय इस गद्दे दफाका प्रयोग में लाया जाना उन लागोंकी अनुमतिमें उचित प्रतीत हुआ तथा यह नई दफा निर्गमितकी गई । चूकि दफा ६९ में बतलाये हुए खर्च एक प्रकारसे फौजदारीक खर्च हैं इस कारण उन खर्चोंका तहकीकात भा जावना फौजदारीक नियमोंके अनुसार होना मतलब गया है अदालत दिवालिया इन दरफके अनुसार किसी मामलेकी तहकीकात मजिस्ट्रेटके सुपुर्द करनेके लिये बाध्य नहीं है और जब उसको विश्वास हो जाव कि दिवालियाने दफा ६९ में बतलाये हुए खर्चों में से किसी खर्चको चाहिये तौर पर किया है तब वह मजिस्ट्रेटके पास मामला भेज सकती है । अपने विश्वास करनेके लिये अदालत दिवालियाकी अधिनार है कि वह प्रारम्भिक जाव कर उब इन दरफक अनुसार यह जावपर है कि अदालत दिवालिया तहकीकात उस खर्चकी मजिस्ट्रेटके पास भेजे । मजिस्ट्रेट दर्जा अवलगा होना चाहिये अर्थात् इस दरफके अनुसार दर्जा दीयम व सोपमके मजिस्ट्रेट तहकीकात नहीं कर सकते हैं जोर उभा मजिस्ट्रेटके पास मामला जाना चाहिये जिसका अधिनार सीमा (Jurisdiction) होवे । जब इस दरफके अनुसार कोई मामला मजिस्ट्रेटके पास भेजा जावे तो मजिस्ट्रेटका कर्तव्य होगा कि वह बतनी जाव आवना फौजदारीके नियमावे अनुसार करे । अमेजी एक्टकी इस दफा में "Shall" शब्द प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रकट है कि मजिस्ट्रेटकी ऐसे मामलेकी जाव अवश्य करना चाहिये तथा उसकी जाव जावना फौजदारीमें बतलाये हुए नियमोंके अनुसार होना आवश्यक है किन्ती दिवालियेके विरुद्ध मामला चाठ करनेसे पहिले अदालतकी इस बातका विश्वास कर लेना चाहिये कि प्रकट रूपम उसन अवश्य उस खर्चकी किया है केवल शर्ही पर यह फौजदारीका मामला चाठ नहीं करना चाहिये, देखो—A. I. R. 1926 Mad 1159.

इस दफामें यह नहीं बतलाया गया है कि अदालतको इस प्रकार इस बातका विश्वास करना चाहिये कि दिवालिये द्वारा खर्च किया गया है इससे यह प्रकट होता है कि या तो अदालत मिनिक (Record) से ऐसी बातका विश्वास कर सकती है या किसी फौजदारीक इसका विश्वास कर सकती है प्रारम्भिक जाचमें वह दूनसे भा पूछ ताठ करके इस प्रकारका विश्वास कर कर सकती है । इस दरफके अनुसार कारवाई बादायदा अमकमें लई जाना चाहिये अर्थात् दिवालियेको जावना दादायदेके आधारकी पर अभियुक्त निर्धारित करना चाहिये उर्ही गवाहोंकी शहादत मानना चाहिये जिससे दिवालियेको निराह करनेका अवसर दिया गया हो । रसीदकी रिपोर्ट से कि उसने दिवालियेके विरुद्ध दादा दिवालियेका दावा निर्धारित करनेके लिये पर्याप्त नहीं है तो उस रिपोर्टके आधार पर दवागलेके बहाल (Discharge) होने में तथा तसफाया आदि होने में अवर पठ सकता है, देखो—46 All 864, A. I. R. 1926 All. 29, 37 All 429. कर्दे जुर्म भी ठाक उसी दफाकी भागमें लगाया जाना चाहिये जिसम इस जुर्मक उद्देश है आर उसमें दिवालियेके उस कामका निक होना चाहिये जिसके अगार पर वह जुर्म लगाया जा रहा हो देखो—A. I. R 1927 All 352

अदालत दिवालियाका अधिनार है कि वह दफा ७० के अनुसार प्रारम्भिक जाव करे या न करे और अगर वह जाव करना मिनियत करे तो वह ऐसा जाव कर सकती है जिसमें उसे विश्वास हो जावे कि दफा ६९ का कोई अवस्था किया गया है । साबुदा दफा ७० क अनुसार अदालत एवतला भी हुबम दे सकता है तथा दिवालियेकी नामाचर्यामें भी इस दरफक अनुसार हुबम दिया जायकता है जब कि जिस कर्त्तव्याहने शिवायतीकी दरकारान दी हा और जजम दानो फराकोक बगिनीकी काम सुनन तथा रिशोवरका रिपोर्ट देखनेक पश्चात् दिवालिये पर मामला चलयि जानिका हुबम दे दिया हो तो ऐसी दशाभ यह तय हुआ कि जजने जिस तरीकेसे काम किया है वह नाबतन्त उचित तरीका है, देखो—55. Cal 783, A. I. R 1928 Cal 211.

दफा ७१ बहाल होने या तस्फीया होजानेके बाद फौजदारी मामलोंकी ज़िम्मेदारी

अगर दिवालिया दफा ६६ में बतलाये हुए जुर्मोंका मुजरिम है तो उसके खिलाफ ऐसे जुर्मोंकी कार्रवाई की जायेगी चाहे वह बहाल हो चुका हो या तस्फीया हो गया हो या स्कीम मानली गई हो या मंजूर हो गई हो ।

व्याख्या—

इस दफामें यह बतलाया गया है कि दिवालियेके बहाल हो जाने पर या उसके मामलेशा तस्फीया आदि हो जाने पर भी दफा ६६ में बतलाये हुए जुर्मोंकी तदर्थकालकी जामकर्ता है । अर्थात् यदि दिवालियेने कोई जुर्म दफा ६९ के अन्तर्गत किये हैं तो वह उनमें रिश्वत हाज्जतेम वच नहीं सकता है चाहे वह नद्दाज ही क्यों न हो गया हो या उसका मामला आपसमें तय हो कर समाप्त हो क्यों न हो जावे ।

दफा ७२ विला बहाल किया हुआ दिवालिया अगर कर्ज लेवे

(१) अगर कोई विला बहाल किया हुआ दिवालिया किसी शख्समें विला बतलाये हुए कि वह दिवालिया है पचास रुपये या उससे अधिक कर्न लेवे तो उसके खिलाफ यह जुर्म साबित होने पर उसे मजिस्ट्रेट छः महीने तककी सज़ा या जुर्मलिकी सज़ा या दोनों सज़ायें दे सकेगा ।

(२) जब कि अदालतको विश्वास हां जाये कि किसी विला बहाल हुए दिवालियेने उपदफा (१) में दिया हुआ जुर्म किया है तो वह सुनासिप इस्तदारी तदर्थकाल करवनेके बाद मामले को फेसलके लिये सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट द्वां अव्वलके पास भेज सकती है और मुलातिम को भी हिरासतमें भेज सकती है या उससे उस मजिस्ट्रेटके सामने हाज़िर होनेके लिये काफी जमानत ले सकती है और किसी दूसरे शख्सको भी उस मुकदमेमें हाज़िर होने या बयान देनेके लिये बाध्य कर सकती है ।

व्याख्या—

(१) इस दफामें यह बतलाया गया है कि बिना बहाल किया हुआ दिवालिया किसी व्यक्तिमें ५०) पचास रुपये या उससे अधिक उधार नहीं ले सकता है जब तक कि उधार देने वाले व्यक्तिमें वह यह मरद न कर देने कि वह दिवालिया है तथा बहाल नहीं हुआ है । एक प्रकारसे यह दफा उन लोगोंकी रक्षाके लिये बनाई गई है जिनको दिवालियेके दिवालिया करार दिये जाने अथवा उसके बहाल होने आदि का इन्म नहीं हुआ हो अर्थात् जिनमें दिवालिया ऐसे व्यक्तियोंकी घोश देकर उनसे रुपया बसूल नहीं कर सके । इस दफाके अन्तर्गत जुर्म साबित होनेके लिये केवल इतना ही साबित होना आवश्यक है कि दिवालियेने विला अपनी हाज्जत बन गये हुए ५०) पचास रुपये या उससे अधिकका कर्न किसीमें लिया है इस बातके साबित होनेकी आवश्यकता नहीं है कि दिवालियेकी मशर फांलादेनेकी थी या इस बातके साबित होनेसे वह बच नहीं सकता है कि उसे बहुत जल्दत थी इस बातमें उमने इस कर्नको इस प्रकार किया था । यह बात भी इस दफामें मरद होती है कि यह पचास रुपयेका कर्न किसी एकही व्यक्तिमें लिया गया हो अर्थात् यदि दिवालियेने थोडा थोडा रुपया कई व्यक्तियोंमें लिया हो और वह सब मित्र कर ५०) पचास रुपयेमें ऊपर होने होवे तो यह बात इस दफाके अन्तर्गत नही आवी है । इस दफाके

अनुसार जुर्म साबित होने पर दिवालियेको ६ मास तकका कारावासीका दण्ड दिया जासकता है या बस पर केवल जुर्मानादा किया जासकता है अथवा कारावास व जुर्माना दोनों सजायें साथ साथ भी दी जासकती है ।

(२) में यह बतलाया गया है कि अदालत दिवालिया प्राथमिक पाच करनेके बाद विश्वास होने पर कि दिवालियेमे दरअसल जुर्म किया है उसे फोजदारी सुपुर्द कर सती है । अदालत इस दफाके अनुसार वारंवाई करने के लिये बाध्य नहीं है किन्तु उसका करना न करना उसकी इच्छा पर निर्भर है और बिला उसके लिखे हुए इस दफाके अनुसार मामला चालू नहीं हो सकता है । ऐसे मामला सुनवाईका अधिकार अश्वल दर्जेके मजिस्ट्रेट ही को प्राप्त है अर्थात् दर्जा दीयम व दर्जा सायमके मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते है । जब वारं मामला किसी मजिस्ट्रेटके सुपुर्द इस दफाके अनुसार किया जावे तो वह मजिस्ट्रेट मामलेकी तदबीबात करने के लिये वा य है आर अधिक तर यह मामले सबसे समीप वाले फर्टे जजस मजिस्ट्रेटके पास भेजि जाना चाहिये । इस दफाके अनुसार वारंवाई उस समय तक न की जावेगी जब तक कि मामला अदालत द्वारा न भेजा गया हो । किसी प्रारंभक व्यक्तिके कहने पर इस दफाके अनुसार अभियुक्त दोषी नहीं ठहराया जासकता है, देखो—53 Cal. 929, A. I. R. 1927 Cal 149. अदालत इस दफाके अनुसार मामला मजिस्ट्रेट के पास भेजते समय दिवालियेका हिसासते भेज सकती है या उससे उसकी हाजिरके लिये पर्याप्त जमानत ले सकती है अदालतरी यह भा अधिकार है कि वह दूसरे व्यक्तियाके भी जिनके बयान होनेकी आवश्यकता हो मजिस्ट्रेटके सामने हाजिर होनेके लिये बाध्य करे जिसमे वह लोग नहा अपन बयान दे सकें । किसी फर्मने दिवालिया करार दिये जानेकी दरखास्त दा तथा उसमे सब हिस्सेदारोंके नाम दिखला दिये गये । इस दरखास्त पर दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म हो गया । इसके बाद इस फर्मका एक शरीफदार दिवालिया करार दिया गया । उस शरीफदारके विरुद्ध दफा ७२ के अनुसार दरखास्त दी गई ता यह तय हुआ :—

(१) यह कि अदालतरी यह प्रश्न तय करेगा ये —

(ए) आया फर्दकसानो बिला बहाल किया हुआ दिवालिया था ?

(बी) थाया उसने ५०) या उससे अधिकका कर्ज लिया था ?

(सी) कि जाया उसने दरअसल कर्ज लेते समय वकीलवाहसे यह प्रश्न कर दिया था कि वह बिना बहाल किया हुआ दिवालिया है ?

(२) यह कि पहिले वाली दिवालियेकी वारंवाईमें फर्मका तरफमे दरखास्त था न कि किसी खास व्यक्तिके तरफसे और इस कारण उस फर्मका हर एक मन्बर या हिस्सेदार दिवालिया करार दिया गया था ।

(३) यह कि जब फर्मके किशा एव हिस्सेदारक विरुद्ध मामला चलाये जानका हुक्म दिया गया हो तो इस बातका कोई असर नहीं पडगा कि आया वह कर्ज उस हिस्सेदारने बंदासियत फर्मके हिस्सेदारकालया ह ।

(४) यदि कोई माल अमानतन इस बानके लियलिया गया हो कि उसे बच कर रुपया अदा कर दिया जावेगा तो ऐसे मालका लिया जाना भी इस दफाके अनुसार कर्ज लिया जाना समझा जावेगा, देखो—A. I. R. 1928 Sindh, 114, 107 I C. 442.

दफा ७३ दिवालियेकी असुविधायें (रुकावटें)

(१) जबकि कोई कर्जदार इस एक्टके अनुसार दिवालिया करार दिया जावे या हुक्म दिया जावे तो यह इस दफाके नियमोंका ध्यान रखते हुए नीचे दिये हुए कार्योंके लिये अयोग्य समझा जावेगा :—

- (ए) मजिस्ट्रेट नियुक्त किये जानें या मजिस्ट्रेटोंका काम कारोंके लिये
- (बी) जबकि किसी जगहके शिमें चुनाव द्वारा नियुक्ति होती हो तो उस जगहको चुने जानेके लिये या कि नी ऐसी जगह पर नियुक्त होनेके लिये या वहा पर काम करनेके लिये जिसमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती है
- (सी) किसी लोकल पद (Local Authority) का मम्बर चुने जान या उसमें वोट देनेके लिये ।

(२) इस दफाके अनुसार दिवालियोंको जो रुकावटें हैं वह हटा दी जावेंगी या जाती रहेंगी अगर :—

- (ए) दफा ३५ के अनुसार दिवालिया करार दिये जाने वाला हुक्म मंसूख होजाय, या
- (बी) उसे अदालतसे मुस्तजिल या कायममुकामी बहालीका हुक्म इस सार्टीफिकेटके साथ मिल जाय कि वह अभाम्यवश दिवालिया होगया था उसमें उसकी कोई बँडनमानो नहीं थी ।

(३) अदालतको अधिकार है कि जैसा वह मुनासिब समझे ऐसे सार्टीफिकेटको दे सकती है या उसके दनसे इनकार कर सकती है लेकिन इनकार करने वाल हुक्मनी अपीलकी जा सकती है ।


व्याख्या—

उपदफा (१) के क्राज (ए), (बी) व (सी) में दिवालियोंकी अयाप्यता वर्णन है क्राज (ए) क अनुसार वह मजिस्ट्रेट नियुक्त नहीं किया जासकता है और न वह मजिस्ट्रेटयान कोई कामही कर सक्ता है क्राज (बी) के अनुसार वह किसी अतिमिक जगह पर काम करनक लिय नहीं चुना जासकता है तथा क्राज (सी) क अनुसार वह किसी स्थानक पद का मम्बर नहा चुना जासकता है ।

इस दफाम जिन अयोप्यताओंका उल्लव किया गया है कवल वही अयाप्यता नहा है इनके अतिरिक्त दिवालिया और भी बहुतसे कार्य नहीं कर सक्ता है इनका उल्लव दूसर कानूनोंमें किया गया है जस कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट अनुसार विला बहाल हुआ इवालाया काउन्सिलका म्बर नहीं चुना सक्ता है । गानिपन एण्ड वाई एक्ट अनुसार वह नावालिगरी आपदाक बला दानसे इटाया जासकता है या जिस टम्के स्त्री दानसे अलहदा किया जासकता है इ यदि ।

उपदफा (२) म बतलया गया है कि उपदफा (१) का अयाप्यता दूर भा हा सक्ता है जब कि इवालिया करार दिये जाने वाल हुक्म दफा ३५ क अनुसार मसूख कर दिया जाय अथवा दिवालिया बहाल (Discharge) कर दिया जावे । बहाल दानेके लिये यह भी बतलाया गया है कि चाहे दिवालिया पूण रूपम बहाल कर दिया जाय अथवा वह किसी शर्तक साथ बहाल किया गया हो जब कि इस प्रकारका सार्टीफिकेट द दिया गया हा कि वह दिवालिया अभाम्य वश हु गया था और उसक बँडनमानाकी बनहसे एस नहीं हुआ था । यदि दफा २ में नबडया हुआ सार्टीफिकेट दनसे अदाउन इन्वार कर देवे ता उसका अपालकी जासकती है ।

पांचवां प्रकरण



सरसरीकी कार्रवाई

दफा ७४ सरसरीकी कार्रवाई

जबकि दिवालकी दरखास्त किसी कर्जदारने दी हो या उसके खिलाफ दी गई हो और अदालतको हलफनामाले या दूसरे किसी तरहसे यह इतमीनान हो जाये कि कर्जदारकी जायदाद ५००) रुपयेसे अधिक मूल्यकी नहीं है तो अदालतको अधिकार है कि वह इस प्रकारका हुकम देदेवे कि कर्जदारकी जायदादका इन्तजाम सरसरी तौरसे किया जावे और तब इन एक्टमें दी हुई कार्रवाई नीचे दिये हुए संशोधनके साथ की जावेगी:—

- (i) प्राप्तिक सरकारी मजदर द्वारा नोटिसकी मुश्तहरी नहीं की जावेगी जैसा कि एक्टमें दिया हुआ है जब तक कि अदालत इसके विरुद्ध कोई आज्ञा न देवे
- (ii) कर्जदारद्वारा दी हुई दिवालकी दरखास्तके लेलिये जाने पर उसकी जायदाद अदालतकी सुपुर्दगीमें बहेसियत रिनीवरके समझी जावेगी
- (iii) दरखास्तकी समाप्त करते समय अदालत कर्जदारके कर्जे व लहनेको दरयाप्त करेगी और निश्चित करके अपन हुकममें लिखेगी और दफा ३३ में दिये हुए नियमोंके अनुसार सूचीका तैयार करना जरूरी नहीं होगा
- (iv) कर्जदारकी जायदाद जितनी उचित जल्दी हो सकेगी वसूल की जावेगी और उसके बाद जब मुमकिन हो एकरही डिवीडेण्डमें बांट दी जावेगी
- (v) दिवालिया करार दिये जानेके हुकमसे छः माहके अन्दर दिवालिया वहाल होनेकी दरखास्त देवेगा, और
- (vi) जो कुछ संशोधन, खर्च कम करने तथा कार्रवाईको साधारण बनानेके लिये बनाये जावें उनका अमल किया जायेगा ।

परन्तु अदालतको अधिकार है कि वह किसी समय भी कर्जदारकी जायदादके सम्बन्धमें इस एक्टमें दिये हुए साधारण नियमोंके बर्तनका हुकम दे सकती है और तब उसके बाद इस एक्टका नियम पूर्वक प्रयोग होगा ।

व्याख्या—

यह दफा इस कारण बनाई गई है जिसमें छोटे मोटे मामलोंमें बहुत समय नष्ट न किया जावे तथा ऐसे मामलोंमें अधिक खर्च भी न हो सके और ऐसे मामले जल्दी समाप्त किये जा सकें दिवालियेनी दरखास्त चाहे कर्जदारने स्वयं दी हो या वह दरखास्त उसके विरुद्ध किसी कर्जद्वारा द्वारा दी गई हो दोनों दशाओंमें यह दफा लागू हो सकती है यदि और शर्तें पूरी होती हों।

इस दफाके अनुसार बर्खास्त उसी दशमके जायेगी जबकि दिवालियेकी आयदाद ५०० पाचसौ रुपयेमे अधिक मूल्य की न होवे इस मूल्य का परीन अदालत हलकनामाके दाखिल होने पर या अन्य शर्तानके लेन पर कर सकती है इस दफाके अनुसार बर्खास्त करनेके लिये अदालत बाध्य नहीं है किन्तु उसका मना या न करना उसकी इच्छा पर निर्भर है ।

अपान् यदि दिवालियेकी आयदाद ५०० पाचसौ रुपयेसे कम मन्वरी भी होवे तो भी जहाजतकी अधिकार है कि वह इस एक्टमें बतलाये हुए मामूली नियमोंके अनुसार बर्खास्त कर सकती है और सरसरीकी बर्खास्त अमलमें न लावे ।

इस दफाके अनुसार बर्खास्तकी जानके लिये अदालतको जातनेके अनुसार हुकम देना चाहिये कि बर्खास्तकी जानदादका वह नाम सरसरी तौरसे किया जावेगा ।

यदि सरसरी तौरसे बर्खास्त करनेका हुकम हो अवे तो क्लॉज (i), (ii), (iii), (iv), (A) व (vi) में बतलाये हुए नियम लागू होंगे ।

क्लॉज (i) के अनुसार प्रान्तिक सरसरी गजट द्वारा घोषणाकी जानेकी आवश्यकता नहीं रहेगी बरन् कि जहाजत इसके विरुद्ध कोई हुकम न दे देते ।

क्लॉज (ii) के अनुसार दिवालियेकी आयदाद उसी प्रकार अदालतकी सपुर्गामें आगलोगी जैसे कि गिनीवरकी सपुर्गामें आना चाहिये ।

क्लॉज (iii) में बतलाया गया है कि बर्खास्तकीकी सूची आदि तैयार किये जानेकी आवश्यकता नहीं है किन्तु अदालत स्वयंही दिवालियेके लहने व बर्खास्तकी निश्चित करेगी और उनके बारेम निर्णयन एने जाल सपुर्गारी दरमान कर लेगा ।

क्लॉज (iv) के अनुसार दिवालियेके कर्ते जितनी जर्दी हो सके गजट करके बाट दिय जाना चाहिये ।

क्लॉज (v) में यह बतलाया गया है कि दिवालियेका चढ़ाल होनेकी दरदालत ६ माहके अन्दर दे देना चाहिये ।

क्लॉज (vi) में बतलाया गया है कि यदि कोई और नियम इस सम्बन्धमें बनावे गये हो जिनमे खर्चमें कमी या बर्खास्तकी की और साधारण बनावी जासके तो ऐसे नियमका भी पालन किया जाना चाहिये । यह सब होने हुए भी अदालतको अधिकार प्राप्त है कि वह आवश्यकतातुमार किसी समय भी इस एक्टके मामूली नियमोंके अनुसार बर्खास्त लिये जानेका हुकम दे सकती है अर्थात् यदि सरसरीका हुकम देनेके पश्चात् अदालतको मात्म् होंवे कि दिवालियेकी आयदादना मूल्य ५०० रुपयेमे अधिक है या दिवालियेकी आयदादना प्रबन्ध अपना बसूली होना सिमीवर हाम अवश्यक है तो वह एसी दशमके गिनीवर नियुक्त कर सकती है तथा सरसरीके हुकमरी। मसूदा कर मामूली नियमोंके अनुसार बर्खास्त किये जानेका हुकम दे सकती है ।

छठा प्रकरण

अपील

दफा ७५ अपीलें

(१) अदालत जिलाके मातहत किसी अदालतके किये हुए फैसले या हुकमके विरुद्ध जो उसने दिया था सम्बन्धी अधिकारको धरते हुए दिया हो, अपील अदालत जिलामें की जा सकती है और उस अपील पर जो हुकम अदालत जिलाका होगा वह अन्तिम हुकम होगा और ऐसी अपील दिवालय, कर्जखाना, रिजीवर या और कोई शख्स जिसको कि फैसले या हुकमसे मुफ्तान पहुँचना हो कर सकता है। लेकिन हाईकोर्टके अधिकार हैं कि वह यह जानने के लिये कि अदालत जिलाने अपीलमें जो हुकम दिया है वह कानूनन ठीक है मुकद्दमोंको मँगवा सकता है तथा उसे जो मुनासिब मालूम हो वह हुकम उसकी वायत वे सकता है। और अगर कोई शख्स अदालत जिला द्वारा किये हुए अपीलके फैसलेसे संतुष्ट न हो जो उसने अपने मातहत अदालतके फैसले या हुकमके वायत किया हो तो उसे अधिकार है कि वह दफा ४ के अनुसार वायता दीवानीकी दफा १०० (१) में दी हुई बातोंकी बिना पर हाईकोर्टमें अपील कर सकता है।

(२) अगर अदालत जिलाके उन फैसलों व हुकमोंको अपील जो पहिली सूची (Schedule I) में दिये हुए हैं और जिसे उसने अपने मातहत अदालतकी अपीलमें नहीं दिया है हाईकोर्टमें की जासकती है।

(३) पहिली सूचीके अतिरिक्त जो फैसले या हुकम अदालत जिलाने किये हैं लेकिन जो मातहत अदालतकी अपीलमें न किये हैं उनकी अपील अदालत जिला या हाईकोर्टकी आज्ञा लेकर हाईकोर्टमें की जा सकती है।

(४) अदालत जिलामें अपील तीस दिनके अन्दर व हाईकोर्टकी अपील ६० दिनके अन्दर की जा सकेंगी।

व्याख्या—

इस दफामें अपीलें का बयान है। शिड्यूल (Schedule I) में वह फैसले व हुकम दिये गये हैं जिनकी अपील हाईकोर्टमें की जासकती है। हम दृश्यमें यह नहीं बर्दा दिखलगा गया है कि अदालत जिलाके यहां किन किन हुकमों या फैसलों अपील की जासकती है। परन्तु यह प्रष्ट होता है कि मातहत अदालतके सभी फैसलों व हुकमोंकी अपील अदालत जिलाने के यहां की जासकती है जब तक कि इसके विरुद्ध कोई बात इस उपदफे में दा गई हो।

उपदफा (१) इस उपदफाके अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसे अदालतके फैसले या हुकमसे किसी हुकमसे शानि पचना हो अपील करनेका अधिकार है अर्थात् दिवालय, रिजीवर, कर्जखाना या अन्य कोई भी व्यक्ति जिसे शानि पहुँचती है अपील कर सकता है। इस बातका ध्यान रचना चाहिये कि कोई भी व्यक्ति अपील करनेके लिये बाध्य नहीं है किन्तु अपना कानून न करना उत्तम इच्छा पर निर्भर है। इस उपदफामें यह भी बतलाया गया है कि इस उपदफाके अनुसार भी

हुई जरीलफा जो केसला होगा उसे अतिम कसला समझना चरित्र पर तु साथ साथ यह शर्त लगायी गई है कि यदि हार्डवेर्ड चाहे तो अपन सतोरके लिये पुन हसेको अपने दोहनके लिये गया सकता है तथा उस पर अपना गुनासिम हुकम दे सकता है और यना प्रसार दफा ४ के अनुसार कर्जकेनका भी जायना शीवनीकी दफा १०० (१) के अनुसार अदालत जिलाने फेमलत विरुद्ध शार्डकोर्टमें अगल करनेका अधिकार है । इस उपदफामें हानि पहुँचनेसे अभिप्राय कानूनी हानिसे है अर्थात् यदि किसी व्यक्ति का अदालत दिवालियाके किसी फैसले या हुकमसे किसी वस्तुमें अधिकार जात रहे या उससे उसके किसी हुकम आघात पहुँचना हो तो ऐसे व्यक्तिके लिये यह माना जायगा कि उसे उस हुकम या फैसलेसे हानि पहुँची है, देखो—46 Mad 403 यदि अदालतके किसी हुकम या फैसलेमें किसी व्यक्तिको केवल यही अस्तोत्र होवे कि उस हुकम या फैसलेसे उसे उतने उतने कुछ भविष्यमें लाभ पहुँचनेकी सम्भरना थी तो ऐसे हुकम या फैसलेसे उस व्यक्तिकी कोई कानूनी हानि नहीं समझना चाहिये, देखो—41 I C 96.

दिवालिया काय दिये जानेका हुकम हानिकर पक्ष में दिवालियेका कोई हक मायदाद पर नहीं रह जाता है और इन्हींलिये उमका वसूल्य वकि मिलसिलेमें यदि कोई हुकम दिया जावे तो उस हुकमसे दिवालियेको कोई हानि नहीं पहुँच सकती है स प्रसार यदि उसकी जायदादके किसी हिस्सेके बीच जानेकी मजूरी दे दी जावे तो इस मजूरीके विरुद्ध उसे अपील करनेका अधिकार नहीं है, देखा—49 Mad 461.

यदि अदान्त किसी ऐसे कर्जको मजूर कर लवे जा नि साबित नहीं किया जासकता है तो ऐसे हुकममें दिवालिये की हानि हाना है और इसके विरुद्ध बंद अपील कर सकता है, देखो—47 Mad. 120 यदि कोई कर्जस्वाह दिवालिया करार देना जान वाल हुकमसे मसूचीकी दरखास्त दफा ४ के अनुसार देवे और वह दरखास्त नामजूर की जावे तो ऐसे हुकमके विरुद्ध उस अगल करनेका अधिकार होगा, देखा—A I R 1924 Mad 685

यदि कोई शतकाज आयदाद दफा ५३ के अनुसार मसूद कर दिया जावे तो वह व्यक्ति जिसके हुकममें वह इतकाल किया गया था इस फैसलेके विरुद्ध अगल कर सकता है क्योंकि ऐसे हुकममें उसे हानि पहुँची है, देखो—7 I C 765. यदि आधिकार एसागरीकी किसी हुकमसे हानि पहुँचती हो तो वह भी अपील कर सकता है, देखो—33 Mad 134 शहाबाद् हार्डवेर्ड ने एक मामलेमें यह तय किया था कि यदि दिवालियेकी आयदादके लिये किसी वस्तुके विरुद्ध किया जातुना हो और कोई व्यक्ति उसकी किसी आयदादके लिये उमके विरुद्ध दावा करे तो उसके कर्जस्वाहोंमें से किसी एक कर्जस्वाहको ऐसे मामलेमें अगल करनेका हक प्राप्त नहीं है क्योंकि उसका हान उठाने वाला व्यक्ति (Aggrieved person) नहीं कह सकते हैं देखो—39 All. 152

लाहार् हार्डवेर्ड ने मा ऐसीही बात तय की थी देखो—62 I. C. 924 (Lah) परतु मद्रास हार्डवेर्ड इस तय स सदमत नहीं हैं उमने तय किया था कि यदि किसी हुकमसे किसी व्यक्ति पर कोई पबन्दी आती हो और उसके हितोंमें आघात पहुँचता हो तो वह हानि उठाने वाला (Aggrieved) व्यक्ति समझा जायेगा चाहे वह उसमें फ्रीड मुकदमा हो या न हो, देखो—49 Mad 794 यदि कोई कर्जको स्थित कर चुकने वाला कर्जस्वाह दिवालिया करार दिये जाने वाले हुकममें मसूला होने पर उस हुकमकी नजरामाकी (Review) करे और वह नजरामाकीकी दरखास्त खारिज हो जावे तो उसे हानि उठाने वाला व्यक्ति समझना चाहिये, देखा—A I R 1927 Mad 175 इही कारणसे या, किसी कर्जस्वाहकी दरखास्त जो दफा ५३ व ५४ के आग पर दा गई हो खारिज हो जावे तो उसे अगल करनेका अधिकार प्राप्त है क्योंकि वह हानि उठाने वाला (Aggrieved) व्यक्ति हो जाता है, देखो—47 Mad 673. 44 All 71.

यदि किसी कर्जस्वाहकी दरखास्त पर दिवालिया करार दिये जानेका हुकम दिया गया हो और वह मसूद कर दिया जायता उस कर्जस्वाहको हानि उठाने वाला (Aggrieved) व्यक्ति समझना चाहिये आ वह उममें अपील कर

सक्त है, देखो—A. I. R. 1926 Lah. 24. किमी दिवालयिकी जायदाद नेतर्तीबोते बेची गई व उमने उतके विरुद्ध दरखास्त की परन्तु वह दरखास्त नामजूर की गई तब उमने अपील की परन्तु अपीलमें यह तथ हुआ कि वह कानूनी रूपसे हानि उठाने वाला व्यक्ति नहीं है अतः उसे अपीलका अधिकार नहीं है, देखो—J. All. 243 इसी प्रकार यदि अदालत दिवालयिके विरुद्ध की हुई शिनायतकी खारिज कर देवे तो उस कर्मचारीका जिसने इस शिनायतकी दफा ६९ के आधार पर किया या हानि उठाने वाला (Aggrieved) व्यक्ति नहीं समझना और न वह अपील कर सकता है, देखो—39 All. 171, 40 Mad 680, A. I. R. 1924 Mad. 180.

इसी प्रकार यदि रितीवरने दफा ६९ या ७० के अनुसार दिवालयिके विरुद्ध मामला चलाये जानेकी दरखास्त दी हो और वह दरखास्त खारिज हो जावे तो रितीवरकी हानि उठाने काज (Aggrieved) व्यक्ति नहीं समझना चाहिये और वह अपील नहीं कर सकता है, देखो—61 I. C. 802. यदि अदालत आफिशल रितीवरकी हटा कर उमके स्थानमें कोई स्पेशल रितीवर नियुक्त करदे तो आफिशल रितीवरको ऐसे हुकमसे हानि पहुँचती है और वह उमके विरुद्ध अपील कर सकता है, देखो—16 Mad 405.

यदि रितीवरने किसी कर्मचारीके कदमे पर किमी फलका कुर्क किया हो और वह फल कुर्कसे जोड़ दी जावे तो इस हुकमके विरुद्ध अपील की जासकती है, देखो—17. All. 849. यदि किसी व्यक्तिके किसी हुकमसे हानि पहुँचती हो तो उसे अपील करनेका अधिकार होगा चाहे वह अदालत मातहतमें फरीक घुसदमा न रहा हो, देखो—53 Cal. 866 यदि अदालत जिलाकी मातहत निमी अदालतमें, अदालत दिवालयिका अधिकारोंके वरते हुए कोई हुकम दिया हो तो ऐसे हुकमके विरुद्ध अपील हाईकोर्टमें नहीं होगी किन्तु उसकी अपील अदालत जिलामें होना चाहिये, देखो—63 I. C. 848. गोष्ठी मातहत अदालतको दिवालयिया सम्बन्धी मामलात्म वही अधिकार प्राप्त हैं जो अदालत जिलाको होते हैं परन्तु अपीलके सम्बन्धमें इन अदालतोंको अदालत जिलाकी मातहत अदालत ही समझना चाहिये, देखा—A. I. R. 1923 Nag. 80 अतिरिक्त (Additional) जिला जन अपीलके लिये जिला जनके आधीन नहीं है, देखो—9 A. L. J. 371, 36 All. 576.

अदालत खफाकाके हुकमोंके विरुद्ध जो उसने अदालत दिवालयिका अधिकार वर्तनेमें किये हों अपील अदालत जिलामें की जायेगी, देखो—23 All. 56, 12 Mad 472, 21 Bom 45, 27 Bom. 604. दामिलमेंके डिप्टी कमिश्नर द्वारा दिये हुए हुकमके विरुद्ध अदालत जिलामें की जायेगी, देखो—15 O. L. J. 239, A. I. R. 1925 Cal. 335. आफिशल रितीवरकी इस दफाके अनुसार अदालत जिलामें मातहत अदालत नहीं माना जासकता है, देखो—40 Mac 752. अमेसी एक्टकी इस दफामें इन शब्दों 'Shall be final' का प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रकट होता है कि अदालत जिलामें फिलमेंके विरुद्ध अपील दोयम (Second Appeal) नहीं की जासकती है और उसके अपीलमें किये हुए फिलमेंके अन्तिम फिलका समझना चाहिये परन्तु आगे चल कर इसी दफामें यह भी बतलाया गया है कि हाईकोर्टकी अधिकार है कि वह तजवीजनामी (Revision) के तौर पर अदालत जिलामें फिलमेंके इस्तथेन कर सके इससे यह प्रकट होता है कि अदालत जिलामें किया हुआ फिलका एक प्रकारमें अन्तिम फिलका है क्योंकि उसकी अपील दोयम नहीं की जासकती है परन्तु उसमें भी हाईकोर्टको इस्तथेन करनेका अधिकार प्राप्त है।

इस बातका भी ध्यान रहना चाहिये कि कुछ मामलोंमें अपील दोयम अपात् हाईकोर्टमें भी अपील उस फिलमेंके विरुद्ध की जासकती है जैसा कि इसी कानूनके अन्तमें जो शब्द लगाये गये हैं उनमें बतलाया गया है। इस दफाके अनुसार हाईकोर्टको रिवीजन (Revision) के जो अधिकार प्राप्त हैं वह कर्षण करीब वही तरहने हैं जैसा कि उस अदालत खफाका द्वारा किये हुए फिलमेंमें प्राप्त है। जानना दीवानकी दफा १९५ के अनुसार जो अधिकार तजवीजनामी (Revision)

के हार्शकोर्टों प्राप्त है उनसे यह अधिकार किसी हद तक अधिक है क्योंकि वह अधिकार केवल अधिनार सीमा (Jurisdiction) ही के मन्वन्धमें बँते जासकते हैं परन्तु इस दफाके अनुसार हार्शकोर्ट उस वक्त हस्तक्षेप कर सकता है जब कि उसे यह माद्ग पड़े कि कानून दण्डस कारिवाई नहीं की गई है ।

धफा ११५ जायता दीवानी इस प्रकार है —“ हार्शकोर्टों अधिकार है कि वह अपने मातहत अदालतके तय किये हुए किसी मुकदमेकी भित्तिलकी मगवाले जब कि उस फैसलेके विरुद्ध अपील न की जासकती हो और यदि ऐसा माद्ग हो कि उस मातहत अदालतने (ए) उन अधिकारोंका प्रयोग किया है जो उसे कानून प्राप्त नहीं है या (बी) वसने उन अधिकारोंका प्रयोग नहीं किया है जो उसे कानून प्राप्त है या (सी) उसने अपने अधिकारोंके बौर कानूनी तरीके या बर्दा बेतरीतोसे प्रयोग किया है । और हार्शकोर्टोंको अधिकार है कि वह जो हुकम सुनासिन समझे ऐसे मामलोंमें दे सक्ता है ” ।

इस दफाके अनुसार तनवीजसानी (Revision) के भी अधिकार हार्शकोर्टोंको प्राप्त है उनका प्रयोग करना न करना हार्शकोर्टोंकी इच्छा पर निर्भर है वह उनको प्रयोग करनेसे लिये बाध्य नहीं है जैसा कि अमेरिका एक्टरी इन दफात प्रयोग किये हुए ‘May’ शब्दने प्रकट होता है । यदि अदालत बिलाने आरंभमें यह हुकम दिया हो कि मातहत शरणता ली जाना चाहिये तो ऐसे हुकमकी तनवीजसानी हार्शकोर्टमें होसकती है, देखो—61 L. C. 589. परन्तु यदि किसी मजदकी अपील की जासकती हो तो उसके लिये तनवीजसानी (Revision) नहीं सुनी जासकती है देखा—A. I. R. 1926 Mad. 123. यदि अदालत जिला अपीलगत दफा २२ या दफा ६९ के अनुसार कारिवाई करने इतकार कर देने नो इसका रिवीजन (Revision) नहीं किया जासकता है, देना—56 I C 744

इस ह्दाके अन्तमें जो शर्त लगा दी गई है उसने अनुसार अपील दोषम भी की जासकती है । यदि अदालत जिलाने किसी मामलेको दफा ४ के अनुसार तय किया हो तो उसकी अपील दोषम हार्शकोर्टमें की जासकता है परन्तु ऐसे मामलोंकी अपीलें उन्हीं बातोंके आधार पर की जासकती हैं जिनका उल्लेख दफा १०० (१) जायता दारानीमें है ।

जायता दीवानीकी धफा १०० (१) इस प्रकार है —“ उन कारिवाजा प्यान रखने हुए भी इस एक्टमें या अन्य किसी प्रचलित एक्टमें बतलाई गई हैं नीचे दिये हुए मामलोंकी अपील हार्शकोर्टमें उसके किसी मातहत अदालतके अन्तमें किये हुए फैसलेके विरुद्ध की जासकेगी : (ए) यदि फैसले किसी कानूनके विरुद्ध होवें या किसी चलन (Usage) के विरुद्ध होव जो अतौर कानूनके बरता सागा होवे (बी) यदि फैसलेमें कोई कानूनी तनवीज या कोई ऐसा चलन जो कानूनी बौर पर बरता जाना होवे तब न किया गया हो (सी) यदि इस क्षेत्रमें बतलाये हुए या अन्य किसी प्रचलित कानूनमें बतलाये हुए नियमके विरुद्ध खास गण्टी हुई हो जिसकी बजहसे फैसलेमें ठीक तौरसे मसला जमली बाबदायतके अनुसार तय न किया जासका हो । ”

इस प्रकार अपील दोषम उसी समय होसकेगी जब कि अदालत जिलाने दफा ४ के अनुसार किसी मसलेको तय किया हो तथा उसमें दफा १०० (१) जायता दीवानी भी लागू हुन्ती होवे । इन प्रकार यदि दफा ५३ के अनुसार कोई हुकम दिया गया हो तो कानूनी मसले पर उसकी अपील दोषम होसकेगी, देखा—A. I. R. 1224 Nag- 3G1.

जब कि रिसीवरने किसी जायदादमे दिवालिपयेकी जायदाद फुगर देकर कुर्क किया हो और उन जायदाद पर कोई तीसत व्यक्ति अपना हक प्रकट करे तथा अदालत उमके हककी स्वीकार कर लेवे तो इसके विरुद्ध दफा ७५ के अनुसार अपील की जासकती है, देखा—A. I R 1928. Lah 556.

यदि अदालतने यह हुकम दिया हो कि कोई रकम आफिशाल रिसीवरको मिलना चाहिये तथा इसके विरुद्ध किसी तीसरे व्यक्तिने अपना हक आदि किया हो तथा अदालत उनमें हककी मस्य न करे तो वह व्यक्ति इस हुकमकी अपील कर

सम्बन्ध है क्योंकि यह हुक्म एक प्रजासत्त दफा ४ के अनुसार दिया हुआ हुक्म होगा यह भी तय हुआ कि कर्जस्वाहात जल्दी फीक मुकदमा नहीं है, देखा—A. I. R. 1928 Lah. 423 यदि अदालत अपील पूरे मामलों को सुननेके प्रस्ताव यह तय कायम करे कि अपीलका मामला दरअमल फाविल अपील है जिसके लिये इजाजत दी जासकती थी तो वह अपील की इजाजत दे सकती है, देखो—A. I. R. 1928 Pat 398.

उपदफा (२) इस उपदफाके अनुसार अदालत जिल्लाके फेमले या हुक्मके विरुद्ध हाईकोर्टमें अपील की जासकती है परन्तु उसके लिये शर्त यह है कि (ए) उन्हीं फेमला व हुक्मोंकी अपील हो संकेगी जो सूची न० १ (Schedule I) में दिये हुए हैं व (बी) वह फेमले व हुक्म उन्हीं मामलोंमें दिये गये हों जो अदालत शिथिले स्वयं सुने हों और वह किसी मातहत अदालतकी अपीलमें उस अदालत जिल्ला द्वारा नहीं दिये गये हों ।

उपदफा (३) उपदफा (२) में बतलाया जाचुगा है कि अदालत जिल्लाके उन्हीं फेमलों व हुक्मोंकी अपील हो सकेगी जिनका उल्लेख सूची न० १ (Schedule I) में दिया गया है परन्तु इस उपदफाके यह बतलाया गया है कि ऐसे हुक्मों व फेमलोंकी भी अपील की जासकती है जो कि सूची न० १ (Schedule I) में न दिये गये हों बसों कि उनके लिये अदालतकी आज्ञा ले ली जावे । इस बातका भी ध्यान रहना चाहिये कि इस उपदफाके अनुसार भी अपील उन्हीं फेमलों व हुक्मोंकी की जासकेगी जिसकी अदालत जिल्लाके अपने सुने हुए मामलोंमें दिया हो व जिनको अपने अपीलके अधिकार बतते हुए न दिया हो, अपील यदि किसी मातहत अदालतके फेमले या हुक्मके विरुद्ध अदालत जिल्लाके कोई फेमला या हुक्म दिया हो तो ऐसे फेमले या हुक्मके विरुद्ध अपील हाईकोर्टमें किसी भी दशामें नहीं की जासकेगी । अदालत की आज्ञा साधारण तौर पर प्रदान नहीं की जावेगी यह आज्ञा उन्हीं मामलोंमें दी जासकेगी जो लखर न हों या जिनमें कोई क्रायुली मामला आता होवे वरना विच्छेदी उपदफाके बतानेकी आवश्यकता ही नहीं थी । आज्ञाका देना न देना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है और यदि आज्ञा न दी जावे तो इस हुक्मके विरुद्ध अपील नहीं की जासकती है, देखो—38 I. C. 818. बिना आज्ञा लिये हुए इस उपदफाके अनुसार अपील नहीं की जासकती है अर्थात् इस आज्ञाके लेनेके लिये अपील करते वाले व्यक्ति बाध्य है, देखो—36 All. 8. अपीलमें वकील लोग फीक मुकदमा बनाये जावेंगे जिनका सम्बन्ध अपील लिये जाने वाले हुक्म या फेमलेसे होगा देखो—38 Mad. 74. यदि किसी कर्जदारकी दिवालिया करार दिये जानेकी दरवाजत कार्रवाई कर दी जावे तो उस हुक्मकी अपीलकी सूचना उसके कर्जस्वाहोंकी राफी ठादादरो दी जाना चाहिये जिनमें कि वह लोग नहीसियत रिप्राण्टेण्टके अपने गसलेको पेश कर सकें, देखो—37 I. C. 391. दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके विरुद्ध जो अपीलकी जावे उसका नोटिस आफिशल एगटनीमें दिया जाना चाहिये, देखो—A. I. R. 1925 Cal. 1215 यदि दिवालियेको रद्दनेके लिये महान न दिया गया हो और वह ऐसे हुक्मकी अपील गिरीवरको फीक मुकदमा बिना बनाये हुए करे तो वह फाविल चलेनेके नहीं है, देखो—57 I. C. 971 (Lah) यदि कर्जस्वाह दिवालिया करार दिये जावे वाले हुक्मके विरुद्ध अपील करे तो उसमें दिवालियेका फीक मुकदमा बनाया जाना जरूरी है, देखो—A. I. R. 1924 Bom. 472. यदि अदालत जिल्लाके दिवालियेकी बरिनाईके सम्बन्धमें लिये हुए किसी बयानमेंकी प्रशुची देदा हो व उसके विरुद्ध अपीलकी जावे तो उसमें गरीदार नौलाग व गिरीवरको फीक मुकदमा बनाया जासकती है, देखो—A. I. R. 1923 Lah. 58, 68 I. C. 716 यदि कोई एक कर्जस्वाह अपील करे तो यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे कर्जस्वाह या फीक मुकदमा बनाये जावे, देखो—58 I. C. 10. यदि सूचीमें दर्ज कोई कर्जस्वाह मर गया हो और उसके कार्रवाई नोटिस न दिया जावे तो केवल इसकी रातमें अपील एक नहीं हो जावेगी, देखो—A. I. R. 1926 Cal. 1210.

यदि गिरीवर फीक मुकदमा न बनाया गया हो व अपीलमें कोई हुक्म दे दिया जावे तो केवल उसके फीक मुकदमा

न बनाने जानेही से वह हुक्म रद्द नहीं हो जावेगा जब तक कि यह साबित न जाय कि उसके प्रकार के हुक्मद्वारा न हानि हो जाय
विशेष हानि उसे पहुँचना है, देखो—A I R 1922 Mad 487

जब कि इन दफाके अनुसार अपीलकी गई हो तो साबित जायता दवालाकी दफा ४१ में बतलाये हुए सब नियमानुसार प्रयोग
किया जासकता है यदि वह इस एक्टके किसी नियमके विरुद्ध न पड़त हो 41 Mad 904 इसीमें दिया हुआ है कि किसी
अपीलके दाखिल हानके बाद आर्डर ४१ रूल २२ के अनुसार क्रास अपील दाखिलक्या जासकती है अदालत अपील साबित
दावानाहीके आर्डर ४१ रूल २० के अनुसार सर्वेके लिये अपीलमें जमानत माग सकता है, देखा—13 Cal 243.

यदि कर्मचारीने किसी दिवालियेके विरुद्ध कर्षावाही करनका दरखास्त दी हो और वह दरखास्त बिना तहकीकातेके
या बिना किसीदरकारियाँ दखल व बिलावाही कराय बतलाय हुए खारज कर दी गई ह्य ता इसका अपील हो सकता है,
देखा—79 I C 340

यदि अदालतने बिना किसी तामर शर्तके त्रिय हुए प्रमाणका फलका किये हुए किसी जयदादके बच दिये जानका
हुक्म द दिया हो ता इसके विरुद्ध अपीलका जासकता है, देखा—52 Cal 662

यदि कोई ऐसा कर्ज जो साबित न किया जासकता हो साबित मान कर मजूर कर दिया गया हो ता उसका
अपीलका जासकता है, देखा—47 Mad 120

यदि किसी केसका नत्तारामाना (Review) मजूर कर ली गई हो तो उसका अपील दफा ७५ (२) के अनुसार
हार्दोरेमें हो सकती है पल्लु ऐसी अपील जाबना दीवानाके आर्डर ४७ के अनुसारही होना चाहिये, देखा—44 All 605.
यदि दफा ३७ के अनुसार हुक्म दिया गया हा ता एस हुक्मकी अपील हो सकती है, देखा—100 I C 137 (Lab).
यदि दफा २७ (२) के अनुसार समय बढ़ानके लिये दरखास्त दा गई हा और वह दरखास्त खारिज हो जाने तो
वसर्फी अपील नहीं की जासकती है, देखा—89 I C 959 यदि अदालत सिल दफा २२ व ६९ के अनुसार कर्षावाह
करनेसे इकार कर देता है इसके विरुद्ध अपील नहीं का जासकता है, देखा—56 I C 744, 61 I C 802,
40 Mad 630, 55 I C 717.

यदि दफा ४३ के अनुसार दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म मसूख कर दिया जावे ता अदालतनी इस अंशके
विरुद्ध अपील नहीं का जासकती है, देखो—100 I C. 137

इसी प्रकार दफा ५६ (३) के अनुसार दिय हुए हुक्मके लिये भी आशाकेसर अपीलकी जासकती है, देखा—46 I C
377 यदि सिंहावरकम नियुक्त करनेका हुक्म न दिया जावे तो इसने विरुद्ध भी बिना आशके अपील नहीं की जासकती है
देखो—A I R 1924 Cal 849. यदि किसी हुक्मकी अपील अदालत सिलमें न होता होवे परन्तु अदालत सिल
अपील सुन कर अपना फैसला दे देवे तो हार्दोरेकी अधिकार हैं कि वह अपील सिलके किये हुए फलमेंसे रद्द कर देव,
देखो—42 I C 287

यदि किसी मृतक कर्मचारीके वारिसोंको नोडिस न दिया गया हो तो इसकी बन्दहसे फेमला रद्द नहीं हा जावेगा परन्तु
उन वारिसोंके यदि उनका नाम सिंहावरके नहीं आया हो उस वारिसाकी दुवाया चार्ज करनका अधिकार प्राप्त है, देखो—
A I R. 1926 Cal 1210.

इस एक्टमें कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि अपील बिना वार्डसिलमें की जासकती है या नहीं इसमें यह प्रकट होना
है कि यदि वार्ड सिलमें अपील करनेका अधिकार प्राप्त हो तो उसके लिये इस एक्टके कारण कोई बन्दह नहीं पड़ेगी,
देखो—27 Bom 415

यदि दफा २५ के अनुसार दिवाले की दरखास्त नामजू कर दी गई हो और अपनी अपील भी इम्पेट्रो द्वारा आर्द्र ४१ रूज ११ के अनुसार सागित कर दी गई हो तो प्रती काउन्सिलमें अपील होना उचित है, देखो—40 Cal 685.

उपदफा (४) में अपील की मियादे बतलाई है । अदालत जिलामें ३० दिनोंके अन्दर तथा हाईकोर्टमें ९० दिनोंके अन्दर अपील दाखिल की जाना चाहिये यही मियाद दीवानी की अपीलोंके लिये भी रखी गई है । यदि अदालत द्वारा नियुक्त बिधे हुए रितीबने निधी या शस की जायदादकी कुर्र वर लिया हो तथा उसका कुछ हिस्सा नीलाम कर दिया हो और जायदादके माउफानने अदालत लिखी गई इस कुर्रों व नीलामके विरुद्ध दरखास्त दी हो परन्तु वह दरखास्त मियादके बाहर होनेके कारण नामजू कर दी जाये तो यह तय हुआ कि डिस्ट्रिक्ट जनके इस फैसलेके विरुद्ध अपील की जासकती है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जनके इस फैसलेसे अपीलान्दनी शानि पहुँचती है, देखो—A. I. R. 1928 Cal 263 (2), 107 I. C. 467.

सातवां प्रकरण

विविध (मुतफर्रिक)

दफा ७६ स्वर्चा

इस एक्टके अनुसार बनाये हुए नियमोंका ध्यान रखते हुए इस एक्टके अनुसार की हुई कार्रवाइयाँ खर्च तथा कर्जदारको दीवानी जेलमें रखनेका खर्च उस अदालतकी तबियत पर होगा जिसके सामने मामला पेश हो ।

ब्याख्या—

इस दफामें दिवालियेकी कार्रवाइके सम्बन्धमें किये हुए खर्च तथा दिवालियेकी कार्रवाइमें रखनेके खर्चके बारेमें यह बतलाया गया है कि अदालत इस सम्बन्धमें जैसा हुक्म देना उचित समझे दे सकती है दीवानीके मामलोंमें मददगार जेलमें रखनेका खर्च मिलातार कराने वाले टिकोदारकी बरदाश्त करना पड़ता है परन्तु दिवालियेके मामलोंमें ऐसा नहीं है । इस दफा के अनुसार हुक्म देना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है वह खर्चा दिलानके लिये किसी मामलेमें बाध्य नहीं है परन्तु सम्पत्तिगत व वाकियातका ध्यान रखते हुए ही अदालतको खर्च पानिसा हुक्म देना चाहिये । जैसे कि बहुतसे मामलोंमें खर्च दिवालियेकी जायदाद पर ही पड़ना चाहिये परन्तु बहुतेरे मामलोंमें जिनमें कि गैर शसक या कोई कर्जलवाह वृथाकी कार्रवाइ करके पोशान करे तो ऐसी कार्रवाइयोंका खर्च उन्हीं लोगोंसे दिठवाया जाना चाहिये ।

दफा ७७ अदालतें एक दूसरेकी मदद देवेंगी

वह सब अदालतें, जिन्हें दिवालियेके मामले सुननेका अधिकार है तथा उनके हाकिम एक दूसरेकी दिवालिके मामलोंमें मदद देंगे और अगर कोई अदालत दूसरी अदालतकी मदद चाहनेके लिये कोई हुक्म देगी तो उस दूसरी अदालतको उस मदद चाहने वाले मामलेके लिये जिसका जिक्र हुक्ममें होगा वही अधिकार होंगे जो इस एक्टके अनुसार ऐसे मामलोंमें उन अदालतोंको हो सकने हैं ।

व्याख्या—

इस दफ्तरेमें यह बतलाया गया है कि यदि एक अज्ञात दिखी दूसरी अदालतका दिवालिया सम्बन्धी कार्य करते लिये लिखे तो उस दूसरा अदालतको उस कार्यके करनेमें वहा अधिकार प्राप्त होंगे जो पहिले अदालतको उस कार्यके सम्बन्धमें प्राप्त है। और साथ ही साथ यह भी बतलाया गया है कि दिवाला सम्बन्धी कार्य करने वाली अदालतों तथा उनके हाकिमोंका कर्तव्य होगा कि वह एव दूसरेकी सहायता उन मामलोंके करनेमें कर।

दफा ७८ मियाद

(१) इस एक्टके अनुसार की हुई अपीलों तथा दी हुई दरखास्तोंके लिये सन् १९०८ ई० के कानून मियाद (Limitation Act) की दफा ५ व १२ के नियम लागू होंगे तथा ऊपर कही हुई दफा १२ के अनुसार इस एक्टकी दफा ४ का फ्रैलसा वसैर डिफ्रीके समझा जावेगा।

(२) अगर दिवालिया करार दिये जाने वाला हुक्म इस एक्टके अनुसार मंजूर कर दिया गया है तो, दिवालिया करार दिये जाने वाले बकले मंसूखीके बहू तकया समय, उन मुकदमों या दरखास्तकी हुक्म या मियादमें से घटा दिया जावेगा जो उस तक चालू होने जब कि इस एक्टके अनुसार कोई हुक्म न दिया गया होता, लेकिन यह नियम उन मुकदमों या दरखास्तोंके लिये लागू नहीं होगा जिनके लिये अदालतने दफा २८ (२) के अनुसार हुक्म दे दिया हो।

परन्तु अगर कोई कर्म जो इस एक्टके अनुसार साबित किया जायकता हो अगर वह साबित न किया गया हो तो ऐसे कर्जों सम्बन्ध रखने वाले मुकदमों या दरखास्तके लिये इस दफाकी कोई बात लागू नहीं होगी।

व्याख्या—

उपदफा (१) में बतलाया गया है कि कानून मियाद (Limitation Act) की दफा ५ व १२ के नियम इस एक्टके अनुसार की हुई अपीलों तथा दरखास्तोंमें लागू होंगे। इस दफाके बतनेमें पहिले इस बातके लिये बड़ा मतभेद था कि कानून मियादकी दफा १२ व दफा ५ कानून दिवालियाके लिये प्रयोग की जायकती है या नहीं, परन्तु इस दफाके बतनेसे वह सब मतभेद दूर हो गया है। श्रुति दफा ५, व १२ वा साम तौरमें उल्लेख कर दिया है इतने यह प्रकट होता है कि कानून मियादकी और दफाके कानून दिवालिया सम्बन्धी कार्यकार्योंके लिये लागू नहीं है यदि उनका लागू होना और किसी तरीकेमें न पाया जावे। यह भी जान लेना आवश्यक है कि कानून मियादकी दफा ५ व १२ क्या है।

कानून मियादकी दफा ५ " यदि अपील या साधल अज्ञातको इन बातों विस्वामदिगादे कि वह किमी खास कारणकी वजहसे नियत लिये हुए समयके जदर अपील नहीं करेगा था या दरखास्त नहीं देगा था तो उसको अपील या गजरासानी की दरखास्त (Review) मियादके बाद भी लो जायेगेगी अथवा अपील करनेके लिये जाजा या कोई दूसरा दरखास्त जिसके लिये कानून यह दफा लागू होगी मियादके बाद दीजायेगी। विवरण— यदि हार्डकोर्टकी किमी तजवीज, हुक्म या अपील आने वाली हार्डकोर्टके कारण किमी अपील या दरखास्त बुनि दाने मियाद समझे या जो करनेके गतनी की हो तो यह मियाद बढ़ानेके लिये काफी बतल समझी जासकती है। "

कानून मियादकी दफा १२ " किसी मुकदमें, अपील या दरखास्तके लिये मियाद आनेके समय वह दिन मित दिनेसे कि मियाद खोजना चाहिये उसमेंसे छेड़ दिया जावेगा अर्थात् उस दिनका शुमार उस मियादके अन्दर न किया जावेगा।

(२) किसी अपील नज़रसानी (Review) या अपील परसेभी अज्ञा होने वाली दरखास्तके लिये वह दिन निम दिता कि कैमला सुनाया गया हो मियादके अन्दर नहीं गिना जावेगा और जिस कैमले या हुक्मकी अपील की जाही हो या जिसन लिये दरखास्त दी जाही हो उसकी नकल हासिल करनेमें जो समय लगेगा वह भी सुकरायेमें नहीं जोड़ा जावेगा।

(३) यदि किसी डिप्टी की अपील की जाय या उसके नज़रसानी (Review) की दरखास्त दा जावे तो जो समय उस डिप्टीकी नकल लेनेमें लगेगा वह मियादके अन्दर नहीं जाड़ा जावेगा।

(४) यदि कोई दरखास्त किसी कैमला मालगी (Award) की मसूखीके लिये दी जावे तो जो समय उस कैमला साजिभी की नकल हासिल करनेमें लगेगा वह मियाद सुकरायेमें शामिल नहीं कना जावेगा। "

ऊपर दी हुई कानून मियादकी दफा ५ व १२ की देखनेसे यह मालूम हो जावेगा कि यह दोनों दफाओं मियादको बढ़ानेके सम्बन्धमें हैं। दफा ५ के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नियत लिये हुए समयके अन्दर कोई कानूनी कार्रवाई किसी खास बकायतका बजटसे न कर सगा हो ता अदालत ऐसा विन्यास दिनाय जान पर मियाद ममास होनेके बाद भी उस कार्रवाईकी मजूर कर सकती है।

दफा १२ कानून मियादमें यह बतलाया गया है कि जो समय नकल हासिल करनेमें लगेगा वह भी अन्त्या मियादके अंगील करने वाक़े या दरखास्त देने वालेको मिल सकेगा यदि उस नकलका हासिल करना आवश्यक हो सा। ही साथ इस दफामें यह भी बतलाया गया है कि जिस दिन कैमला या हुक्म सुनाया जावे उन दिनको भी मियादमें नहीं जोड़ेंगे अर्थात् उसके दोसरे दिनसे मियादका समय जाड़ा जावेगा।

कानून मियादकी दफा ५ वा देखनेसे यह प्रकट होता है कि उसके अन्तगार मियाद बढ़ानेके लिये अदालत बाध नहीं है उसका बढ़ाना न बढ़ाना अदालतका काम पर निर्भर है जया कि अधीनता एक्टमें (Act) शब्दके प्रयोगसे प्रकट होता है परंतु कानून दिवालियाकी बर्तावइयोंके सम्बन्धमें उस दफामें बसा ही फर्क उठाया जासकता है जसा कि कानून दिवालियाके आर बायोंके लिये उठाया जासकता है।

दफा १२ कानून मियादके देखनेसे यह बात भली भांति प्रकट है कि नकलका समय व कैमला सुनाया जाने वाला दिन मियादमें शामिल नहीं किया जाना चाहिये अर्थात् वह अपील करने व लेके या दरखास्त देने वालेको अवश्य हुनो दिखे जावेगे। इन दोनों दफाओंके कानून दिवालिया की बर्तावइयोंमें लागू हो जानेसे दिवालियाकी बर्तावइयोंमें बड़ी सुविधा हो गई है। इस दफामें यह भी साफ़ कर दिया गया है कि दफा ५ के अनुसार दिये हुए हुक्मको भी कानून मियाद की दफा १२ के अनुसार लिका ही समझना चाहिये।

उपदफा (२) के अनुसार यदि कोई दिवालिया करार दिये जाने वाला हुक्म मसूख कर दिया हो तो वह समय जो दिवालिया करार दिये जाने व मसूख होने वाली तारीखोंके बीचमें पड़ता हो मियादमें बड़ा दिया जावेगा क्योंकि इन तारीखोंके दरमियान किसी बर्तावइयोंको नालिश करनेका हुकम नहीं रहता है तथा एक प्रकारसे उसकी कार्रवाई हम दरमियानमें लेक दी जासकती है इस कारण इस मियादका अमली कानूनी मियादमें जोड़ दिया जाना उचित मतीन होता है और इसी मसालेसे लेकए कमेराये यह उपदफा इसमें जोड़ा है। परंतु इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि उपदफा इन दो प्रकारके मामलोंमें लागू नहीं हविये (१) जब कि दफा २८ (२) के अनुसार नालिश दापर करने या दरखास्त देने की आज्ञा दी जासुकी हो तथा (२) जब कि नालिश या दरखास्त ऐसे कसोंके सम्बन्धमें होवे जो कि साधित किया जासकता हो परंतु साधित नहीं किया गया हो। तबसे यह प्रकट है कि वहा कसोंकाइहम उपराने लाभ उठा सकते हैं जिन्होंने अपना कर्म इस एक्टके अनुसार साधित कर दिया है।

यदि दफा २८ (२) के अनुसार नालिख करने व डिक्री इनराय कराने की आज्ञा ऐसी शर्तोंके साथ दी गई हो गिनकी वजहसे वह डिक्री जागी नहीं करार जायकरी हो तो ऐसी आज्ञाका कोई अन्तर नहीं रहता है और इस आज्ञाके होते हुए भी कर्जखारके भिन्नार्थमें वह समय जो दिवालिया करार देने व मसूख होने वाली तारीखोंके बीचमें पड़ता है भिन्नार्थ दिया जानिगा, देखो—A. I. R. 1925 All. 735.

इस दफाके अन्तमें जो शर्त लगा दी गई है वह बड़े महत्व की है व उसका विषय ऊपर किया जाचुगा है अर्थात् यह कि यह दफा उर्ध्व कर्जोंसे सम्बन्ध रखने वाली नालिखों व दरख्वास्तोंके लिये लागू होगी जो इस एक्टके अनुसार साबित किये जायकते हैं व साबित किये गये हों ऐसे कर्जोंके लिये नहीं जो साबित किये जायकते हैं पर साबित नहीं किये गये । यदि कोई व्यक्ति दिवालियेकी कर्जवाई जाती रहते हुए दिवालियेके विरुद्ध दावा कर देने तो वह दफा ७८ से लाभ नहीं उठा सकता है । इस दफाका फायदा उठी शरतसे मिल सकता है जो दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्म की मसूखीके बाद कर्जवाई करे, देखो—A. I. R. 1928 Mad 977.

जो कि दफा ७८ के अनुसार कानून भिन्नार्थकी दफा ५ अर्थात् व दरख्वास्तोंके लिये लागू हैं परंतु इस दफा ५ का प्रयोग दिवालिया करार दिये जाने वाली दरख्वास्तोंके लिये नहीं जाना चाहिये इस प्रकारका भिन्नार्थन दफा ७८ क अनुसार दरख्वास्त नहीं है इस कारण यदि तीन महीनेसे अधिक की देर हो गई हो तो इस दफाके अनुसार कर्जवाई नशा हो सकेगी देखो—A. I. R. 1928 Sind. 177.

दफा ४९ के कर्जों साबित करनेका एकर सीधा तरीका बता दिया गया है लेकिन उसकी वजहसे कर्जके किसी दूसरे तरीकेसे साबित होने में रुकवट नहीं पड़ती है इस कारण यदि दिवालियेने अपनी दरख्वास्तमें कोई कर्ज दिखला दिया हो तथा इसी प्रकार वह साबित हो चुका हो तो यह मान लिया जायेगा कि वह कर्ज साबित किया जाचुगा है अतः वह कर्जखारके उक्त समयको मुजरे पानेका मुन्तहक है जो दिवालिया करार दिये जाने तथा दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्म की मसूखीके दामियान पडना हो अर्थात् उसे दफा ७८ के अनुसार लाभ उठानेका अधिकार प्राप्त है, देखो—A. I. R. 1929 Cal. 159 (2)

दफा ७९ नियम बनानेके अधिकार

(१) कलकत्ता हाईकोर्ट (First Court of Judicative of Fort William in Bengal) सपरिषद् गवर्नर जनरल हिन्दकी आज्ञा लेनेके पश्चात् तथा दूसरे हाईकोर्ट प्राप्तिक सरकार की आज्ञा लेनेके पश्चात् इस एक्टकी कार्य रूपमें परिशिष्ट करनेके लिये नियम बना सकते हैं ।

(२) पिछले अधिकारोंको मानते हुए तथा उनकी अवहेलना न करते हुए इन नियमोंमें नीचे दी हुई बातें हो सकती हैं:—

(ए) सरकारी रिसेवर्स (Official Receivers) को छोड़ कर अन्य रिसेवर्सकी नियुक्ति तथा उनके भत्तेके लिये नियम तथा सब रिसेवर्सके हिसाब जांचनेके लिये प्रवन्ध व उस जँचवाईके प्रवन्धका खर्च किस प्रकार होना चाहिये

(बी) कर्जखारोंकी सभा किये जानेके नियम

(सी) जय कि कर्जदारके कोई दूकान (Firm) हो तो किस प्रकार कर्जवाई होना चाहिये

(डी) जिन जायदादोंका इन्तजाम सरसरीसे होना चाहिये उनमें किस प्रकार कर्जवाई होना चाहिये

(ई) किसी मामलके लिये जो निर्धारित किया जानेका होवे या जो निर्धारित किया जासकता हो ।

(३) इस प्रकार कानून्ये हुए सब नियम गजट आफ इन्डिया (Gazette of India) या प्राक्तिक सरकारी गजटोंमें जैसा कि मौक़ा हो प्रकाशित किये जायेंगे और प्रकाशित होनेके पश्चात् यह इस प्रकार समझे जायेंगे जैसे कि यह इस एक्टमें शामिल हों ।

व्याख्या—

२म दफ्ते अतुमार सब हार्डकोर्टोंको अपने अपने अधिकार सीमामें इस एक्टका प्रयोग करनेके लिये नियमोंके बनाने का अधिकार दिया गया है क्लरफ़टा हार्डकोर्ट गवर्नर जनरल हिन्दकी सलाहपर आशा लेनेक पश्चात् ऐसे नियम बना सकता है तथा दूसरे सब हार्डकोर्ट अपनी प्राक्तिक सरकारी आशा लेने पर नियम बना सकते हैं । यह नियम इस एक्टमें बतलाई हुई बातोंको कार्यरूपमें परिमित करनेके लिये बनाये जायेंगे । इन नियमोंके बनानेके लिये हार्डकोर्ट बाध्य नहीं है जैसा कि अंग्रेज़ी एक्टमें प्रयोग किये हुए 'May' शब्दसे प्रकट होता है अर्थात् नियमोंका बनाना या न बनाना हार्डकोर्टकी इच्छा पर निर्भर है ।

उपदफ्ता (२) में दिखलाया गया है कि जिन बातों या समझके लिये यह नियम बनाया जाना चाहिये साथ साथ यह भी बतला दिया गया है कि इस प्रकार बनाये हुए नियमोंके इस एक्टमें दिने हुए अधिकारोंके विरुद्ध कोई अनुर नहीं बढ़ना चाहिये । नियम ऐसे बनाये जायेंगे जिनमें २म एक्टके नियमोंमें कोई बाधा न पड़े ।

फ़लाज (५) के अनुसार नियम सिंबलकी नियुक्ति तथा उनके भत्तोंके सम्बन्धमें होंगे व हिसाबकी जाच व उस जाच सम्बन्धी खर्चोंके सम्बन्धमें होंगे परतु आविशेषीय गिरीवरके सम्बन्धमें यह नियम नहीं होंगे ।

फ़लाज (६) के अनुसार नियम कर्मचारियोंकी माउंटिंगके सम्बन्धमें बनाये जासकेंगे ।

फ़लाज (७) के अनुसार वह नियम बनाये जायेंगे जिनका प्रयोग किसी कर्मके दिवालिया करार दिने जानेमें किया जासकेंगा ।

फ़लाज (८) के अनुसार उन जायदादोंके इतबारके सम्बन्धमें नियम बनाये जासकेंगे जिनका इन्जाम सरसरी तौरसे किया जानेकी है अर्थात् जिस जायदादका प्रबन्ध अस्थायी है ।

फ़लाज (९) के अनुसार नियम किसी ऐसे मामलेके सम्बन्धमें बनाये जासकते हैं जो निर्वाचित किया जानेकी होवे या जो निर्धारित किया जासकता हो । यह फ़ालज (९) बिल्कुल नया है और यह प्राक्तिक कानून दिवालिया सशोधक एक्ट न० २९ सन् १९२६ ई० के अनुसार जिसको गवर्नर जनरल हिन्दकी स्वीकृति ९ सितम्बर सन् १९२६ ई० को प्राप्त हुई है, जोड़ा गया है ।

फ़ालज (१०) से यह प्रकट है कि कर्म भी दिवालिया करार दिये जासकते हैं इससे पहिले यह बात स्पष्ट नहीं थी । कर्म अपने शरीकरतोंका एक समुच्च नाम है मगर कर्मका नाम एक प्रकारसे एक जोधा नाम है जो उसके हर शरीकरतक अलहदा अलहदा नामोंके बजाय रख दिया गया है, देखो—100 I. C. 112

इस प्रकार कर्म कानूनन अपने हिसादोंसे एक अलहदा चीज नहीं है कर्मका नाम उसके सब शरीकरतोंको एक साथ प्रकट करनेके लिये रख दिया गया है । यदि कोई कर्म दिवालिया करार दिया जावे तो उससे उसके हर मेशरकी दिवालिया करार दिया जाना समझना चाहिये । देखो—A. I. R. 1926 Sind 31, 100 I. C. 112 यदि कोई कर्म कर्मदार होवे तो दिवालिया करार दिये जानेका दरखास्त कर्मके नामसे होना चाहिये, देखो—72 I. C. 60.

उपदफ्ता (३) में यह बतलाया गया है कि इस दफ्तेके अनुसार आ नियम बनाये जायें वह गजट आफ इन्डिया या प्राक्तिक सरकारी गजटमें प्रकाशित किये जाना चाहिये तथा २म प्रकार प्रकाशित किये जानके समयसे वह नियम कानून के तौर पर समझे जायेंगे । अब तक इस प्रकार प्रकाशित न हों वे न मान जायेंगे ।

दफा ८० सरकारी रिसेवरको अधिकारोंका दिया जाना

(१) हाईकोर्टे ऊपर दी हुई आदेशोंके लानेके पश्चात् समय २ पर सरकारी रिसेवरमें को नीचे दिये हुए सब या कोई अधिकार दे सकेगा लेकिन यह अधिकार उन्हीं मामलोंसे सम्बन्ध रखते हुए होंगे जिनके सुननेका अधिकार इस एक्टके अनुसार अदालतको होगा तथा अदालत रिसेवरके इन अधिकारोंमें परिवर्तन कर सकेगी :-

(बी) सूची तैयार करें और कर्जद्वाराहोंके सुधूत मंजूर या खारिज कर सकें

(ई) ज़रूरी मामलोंमें दरमियानी हुकम दे सकें

(एफ) एकतर्फीया बिला विरोध की हुई दरखास्तोंको सुन सकें तथा उनको तय कर सकें

(२) दफा ६८ में दिये हुए अपीलकं नियमोंका ध्यान रखते हुए सरकारी रिसेवर द्वारा दिये हुए हुकम व उसके किये हुए काम जो उसने ऊपर दिये हुए अधिकारोंके अनुसार किये हों वह वतौर अदालतके किये हुए हुकम व कामके समझे जावेंगे ।

व्याख्या—

उपदफा (१) के क्लॉज (ए), (सी) व (डी), प्रान्तिक दिवालिया कानून सत्रोपक एक्ट न० २९ सन् १९२१ ई० के अनुसार इस दफते निम्नलिखित दिये गये हैं । अब इस उपदफामें केवल क्लॉज (बी), (ई) व (एफ) रह गये हैं ।

क्लॉज (ए) में दिया हुआ था “ कि वह दिवालियेकी दरखास्तोंको सुन सकें तथा उसे दिवालिया करार दे सकें ” तथा क्लॉज (सी) में दिया हुआ था “ कि वह बहाल (Discharge) का हुकम दे सकें ” तथा क्लॉज (डी) में दिया हुआ था “ कि वह तरफिया या समझौते की स्वीम मंजूर कर सकें । ” इस प्रकार इन क्लॉजोंक अनुसार जो अधिकार रिसेवरको दिये जासकते थे अब सत्रोपित एक्टके अनुसार नहीं दिये जासकेंगे । इस उपदफामें उन अधिकारोंका उल्लेख किया गया है जो हाईकोर्टे प्रान्तिक सरकार या भारत सरकारकी आज्ञा लेने पर आफिशियल रिसेवरको दे सकते हैं । जो अधिकार अब इस प्रकार दिये जासकते हैं वह इस उपदफाने क्लॉज (बी), (ई) व (एफ) में दिये हुए हैं ।

क्लॉज (बी) के अनुसार सूची तैयार करनेमें रिसेवर कोई मामला कतई तौरसे कंटेन्टियन अदालतके नहीं तय करती है 41 Mand. 30 अर्थात् यदि रिसेवर क्रिया कर्त्तव्यद्वारा नाम सूचीमें एक बार दर्ज करले तो उसमें दफा ५० के अनुसार परिवर्तन निया जासकता है या दफा ५३ के अनुसार भी करेवाहें उस सम्बन्धमें भी जासकती है । इस क्लॉजके अनुसार आफिशियल रिसेवरको सूची ही तैयार करनेके अधिकार नहीं दिये जासकते हैं किन्तु उसे कर्त्तव्यद्वाराहोंके सुधूत मंजूर करने तथा उनको खारिज करनेके अधिकार भी दिये जासकते हैं ।

क्लॉज (एफ) के अनुसार आफिशियल रिसेवरकी एकतर्फी दरखास्तें सुननेका अधिकार दिया जासकता है निम्नलिखित न किया जासकता है तथा वह ऐसी दरखास्तोंका फौजला भी कर सकता है । परन्तु ऐसी दरखास्तोंका विरोध होतेही उसे उस दरखास्तके सुनने या उसका फौजला करनेका अधिकार नहीं रहेगा क्लॉज (ई) के अनुसार वह जरूरी मामलोंमें दरमियानी (Interim) हुकम भी दे सकता है ।

रिसेवर तथा आफिशियल रिसेवरमें जो अन्तर इस दफते प्रष्ट होता है वह यह है कि आफिशियल रिसेवर दफा ८०

के अनुसार दिये हुए अधिकारोंके कारण अदालती (Judicial) अधिकार वर्त सकता है परन्तु मामूली रितीवरको इस प्रकारके अधिकार प्राप्त नहीं है ।

उपदफा (२) दफा ६८ के अनुसार आफिशियल रितीवरके हुक्मोंकी अपील अदालतमें की जासकती है उसकी अपील इर्द्धकोर्टमें नहीं की जाना चाहिये देखो—38 Mad. 15. यदि इस दफाके अनुसार दिये हुए अधिकारोंके आधार पर आफिशियल रितीवर कोई फैसला करे या हुक्म देवे तो उसे अदालत द्वारा दिया हुआ फैसला या हुक्म मानना चाहिये हा उस फैसलेकी या हुक्मकी अपील अदालतमें अवश्य की जासकती है यदि अपील न की गई हो तो वह फैसला या हुक्म बदस्तूर क्रायम रहेगा व उसे अदालत द्वारा दिया हुआ हुक्म या फैसला मानना चाहिये ।

दफा ८१ प्रान्तिक सरकार द्वारा कुछ नियमोंका प्रयोग कुछ अदालतोंके लिये रोक़ा जाना

प्रान्तिक सरकारको अधिकार है कि वह सपरिषद् गवर्नर जनरल (Governor General in Council) की स्वीकृति लेनेके पश्चात् प्रान्तिक सरकारी गजट द्वारा यह घोषित कर देवे कि उसके शासित प्रदेशके किसी हिस्सेकी अदालत या अदालतोंके दिवालयिया सम्बन्धी कार्रवाइयों के लिये इस एक्टके शिड्यूल न० २ (Schedule II) में दिये हुए कौनसे नियम लागू नहीं होंगे ।

व्याख्या—

कुछ देशके सभी भाग एक प्रकारके नहीं होते है इस कारण यह उचित समझा गया है कि प्रान्तिक सरकारोंकी अधिकार दे दिया जावे कि निम्नमें वह अपने शासित प्रदेशके किसी भागमें यदि किसी नियमका प्रयोग किया जाना उचित न समझे तो उसका प्रयोग बन्द न होने देवे । परन्तु इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि प्रान्तिक सरकार इस दफाके बतलये हुए अधिकारका प्रयोग उसी समय कर सकेंगी जब कि वह इसके लिये सपरिषद् गवर्नर जनरलमें स्वीकृति ले चुकी हो अथवा नहीं । और इस बातका भी ध्यान रहना चाहिये कि यह दफा कानून दिवालयियोंके इन नियमके लिये लागू नहीं है किन्तु इसका प्रयोग केवल उन्हीं नियमोंके सम्बन्धमें किया जासकता है जो सूची न० २ (Schedule II) में दिये हुए है । प्रान्तिक सरकार अपने शासित प्रदेशकी अदालत या अदालतोंके लिये ही इस प्रकार की घोषणा कर सकती है । अपेक्षी एक्ट की इस दफाके प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे यह प्रकट है कि कोई प्रान्तिक सरकार इस दफाके अनुसार कार्रवाई करनेके लिये बाध्य नहीं है किन्तु यदि वह आवश्यक समझे व जिन नियमोंके लिये आवश्यक समझे इस दफाकी शर्तोंका ध्यान रखते हुए उक्त घोषणा कर सकती है अपेक्षी एक्ट की इस दफाके प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे यह प्रकट होता है कि इस दफाके अनुसार ही हुई प्रान्तिक सरकार की घोषणा मानना आवश्यक है अर्थात् उसकी अवहेलना नहीं की जासकती है । इस दफाके बतलाये हुए घोषणाका प्रान्तिक सरकारी गजटमें प्रकाशित किया जाना भी एक आवश्यक बात है ।

दफा ८२ बचत (Savings)

इस एक्टमें बतलाये हुर्द्धः—

(ए) किसी बातका प्रभाव प्रेसीडेन्सी टाउनस इन्सोल्वेन्सी एक्ट १९०६ (The Presidency Towns Insolvency Act 1909) या लोअर बर्मा कोर्त्स एक्ट १९०० (Lower Burma Courts Act 1900) की दफा ८ पर नहीं पड़ेगा, अथवा

(बी) कोई बात उन मामलोंके लिये लागू नहीं होगी जिनके लिये दक्षिण एग्नीकलच-
रिस्ट्रस रिलीफ एक्ट १८७३ (The Dekkhan Agriculturists' Relief
Act 1879) का चौथा अध्याय (Chapter IV) लागू है ।

व्याख्या—

इस दफामें यह बतलाया गया है कि इस एक्टका कोई प्रभाव प्रेसीडेन्सी याउन्स इस्ताब्लिश्मेंती एक्क पर नहीं पड़गा
अर्थात् वह एक्ट इमते भिन्न है तथा उत्तका प्रयोग अिस प्रकार होना बतलाया गया है या जिन स्थानोंमें होना बतलाया गया
है वहा उसी प्रकार किया जावेगा उसकी अवहेलना नहीं की जासकती है । इसी ऋज (ए) में यह भा बतलाया गया है कि
लोअर बर्मा कोर्टस एक्ट १९०० की दफा ८ पर भी इस एक्टका कोई प्रभाव नहीं पड़गा अपभू उमका भी अवहेलना
नहीं की जासकती । क्राज (बी) के अनुसार दक्षिण एग्नीकलचरिस्ट्रस रिलीफ एक्ट १८७३ का चौथा अध्याय उन मामलों
के लिये लागू होगा उन मामलोंमें भी यह एक्ट लागू नहीं हो सकेगा ।

दफा ८३ मंसूखी (Repeals)

(१) (मंसूख होगया)

(२) यदि इस एक्टके प्रारम्भ होते समय किसी प्रचलित कानून या दस्तावेजमें सन्
१८७७ या १८८२ ई० के जावता दीवानीके बीसवें प्रकरण (Chapter XX) का हवाल दिया
गयाहो या उन प्रकरणोंकी किसी दफाका हवाला दिया गया हो तो जहा तक दो सकेंग, उन हवालों
के लिये यह समझा जावेगा कि वह हवाल इस एक्टके हैं अथवा इसकी मिलती जुलती किसी
दफाके हैं (ऊपर कहे हुए बीसवें प्रकरणमें दिवालिया मन्च्यूनका जिक्र है) ।

व्याख्या—

इस दफारी पहिली उपदफा रिपोलिंग एक्ट १९२७ [Repealing Act 1927 (XII of 1927)]
द्वारा रद्द कर दी गई है अर्थात् अब इस दफामें केवल उपदफा (२) ही रह गई है सन् १८७७ व १८८२ ई० क जावता
दीवानीके बीसवें प्रकरणमें दिवालिया मन्च्यूनका उल्लेख है । इस दफामें यह बतलाया गया है कि यदि उस बीसवें प्रकरणका
हवाला कहीं दिया गया हो तो उन हवालोकें लिये यह समझा जावेगा कि वह हवाल इस एक्टके हैं अथवा इसकी मिलती
जुलती किसी दफाके हैं ।

सूची नं० १ (Schedule. I.)

देखो दफा ७५ (२).

वह फैसलें व हुकम जिनकी अपील दफा ७५ (२) के अनुसार हार्डकोर्टमें हो सकती है।

दफा	फैसले व हुकमोंका स्वभाव
४	हक (Title) (Priority) आदि सम्बन्धी प्रश्नोंका फैसला जो इन्सालवेमेंसे पैदा हों
२५	पिटोशनको खारिज करनेका हुकम
२६	मुआविजा (Compensation) दिलाये जानेका हुकम
२७	दिवालिया कशत दिये जानेका हुकम
२२	सूची (Schedule) के इन्दरानके सम्बन्धमें दिये हुए हुकम
२५	दिवालिया करार दिये जाने वाले हुकमकी मंजूरीका हुकम
३७	दिवालिया करार दिये जाने वाले हुकमके मंसूख किये जाने पर दिवालियेकी जायदाद तिन शर्तोंके साथ दिवालियेको मिलेगी वन शर्तोंके सम्बन्धमें दिये हुए हुकम
४३	बहाल (Discharge) होने वाली दरहवास्त पर हुकम
५०	सूचीमें इन्दरान न किये जाने तथा उसके इन्दरानमें कमी किये जानेके हुकम
५३	अपने आप (Voluntary) किये हुए इन्तकाल (Transfer) की मंजूरीका हुकम
५४	इस बातका फैसला कि कोई इन्तकाल किसी कर्जहवाईको तर्जिह (Preference) देनेके लिये किया गया है
५	नोट.—रिपीलिंग एक्ट सन् १९२७ (The Repealing Act XII of 1927) द्वारा इस सूचीका आखिरी इन्दरान जो दफा ६९ के वाक्य था हटा दिया गया है उसमें इस प्रकार दिया हुआ था।
६९	इस दफाके अनुसार किये जुर्मके सम्बन्धमें जुर्म साबित होने तथा सजा दिये जाने पर (मंसूख है)

सूची नं० २ (Schedule. II.)

देखो दफा ८१.

एक्टके वह नियम जिनका प्रयोग प्रान्तिक सरकार द्वारा रोक जासकता है ।

एक्टके नियम	विषय
दफा	
२६	सुभाविनेका दिलाया जाना (Award of Compensation)
२८ उपदफा (३)	दिवालियेकी कहलाने वाली जायदाद
३४	इस एक्टके अनुसार साबित हो सकने वाले कर्ने
३८, ३९, ४०	तरफीया व तय करनेकीस्कीमे (Composition and Schemes of Arrangements)
४३ उपदफा १, २	पूर्ण रूपसे बहाल (Absolute Discharge) होनेसे इनकार करनेके सम्बन्धमें कतव्य
४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५० } ५१, ५२, ५३, ५४, ५५ }	कर्जों साबित करनेका ढंग
६१ उपदफा (१) के खान (ए) व उपदफा (४) को छोडकर	पिउले किये हुए सौदों (Antecedent Transactions) पर दिवालेका प्रभाव
६२, ६३, ६४, ६५, ६६	कर्जोंका एक दूसरेसे पेशतर चुकाया जाना (Priority of debts)
७२	हिस्सा रसदी (Dividends)
	दिवालिये द्वारा प्रकथ तथा उसको दिया जाने वाला भत्ता
	बिला बहाल हुए दिवालिये द्वारा कर्ने लिये जाने पर उसके लिये दण्ड

सूची नं० ३ (Schedule. III.)

देखो दफा ८३.

यह सूची रिपीलिंग एक्ट १९२७ (The Repealing Act XII of 1927) द्वारा हटा दी गई है ।

इस सूचीमें सन् १९०७ व १९१४ ई० के एक्टोंका उल्लेख था व यह बतलाया गया था कि वह किस हद तक मसूल कर दिये गये हैं ।

कलकत्ता हाईकोर्ट रूलस (Calcutta High Court Rules)

निम्न लिखित रूलस (Rules) कलकत्ता हाईकोर्टने प्रान्तिक कानून दिवाला एक्ट न० ५ सन् १९२९ ई० की दफा ७९ में दिये हुए अधिसूचनोंके आधार पर बनाये हैं जिनके लिये भारत सरकार (Governor General in Council) की स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है सर्व साधारणके सूचनायें प्रकाशित किये जाते हैं —

प्रान्तिक कानून दिवाला एक्ट ५ सन् १९२० ई०

एक्ट ५ सन् १९२० ई० की दफा ७६ के अनुसार बनाये हुए नियम ।

१ नीचे दिये हुए नियम प्रान्तिक कानून दिवालाके रूलस कहलायेंगे । इन नियमोंमें जो नमूने (Forms) बतलाये गये हैं उनका प्रयोग समर्पणपरिवर्तनके साथ उन बातोंके लिये किया जावेगा जिनसे कि उनका सम्बन्ध भिन्न भिन्न रूपसे है ।

नोट :—नमून आगे चल कर भिविल प्रोसेस फार्म (Civil Process Forms) न० १३७ से न० १५० तक ब्यते दिये गये हैं ।

२ हर एक दिवालेकी दरखास्त दिवालेके रजिस्ट्रारमें चढाई जावेगी और यह रजिस्ट्रार दिवालेके सम्बन्धमें कार्रवाई कराने वाली हर एक अदालतके पास रखने आवेंगे । उस रजिस्ट्रारमें तर्तीबी सख्या (Serial Number) दी जायेगी और उस सामलेक सम्बन्धमें जो तय करवाइया वादमें की जावेगी उनमें वही संख्या (Number) रखी जावेगी ।

३ दिवालिया सम्बन्धी सब कार्रवाईयाँका मुआयना उन समयों पर तथा उन शर्तोंके साथ किया जासकता है जो ट्रिस्टिबट अज नियत करे और यह मुआयना रिपीयर, कर्जदार या कोई कर्जएवाह जिसका कर्ज साबित हो चुका है कर सकता है या इनका ओरसे इनके कानूनी सुमाइन्डे (Legal Representative) कर सकते हैं ।

४ जब कभी किसी नोटिस या किसी दूसरे सामलेक इस एक्ट या इन नियमोंके अनुसार सरकारी गजट (Official Gazette) में प्रकाशित किया जाना बतलाया गया हो तो एक चाददास्त (Memorandum) जिसमें कि प्रकाशित होने वाली तारीख व गजटका हवाला दिया हुआ होगा मिसिलमें शामिल कर दी जावेगी और उसका इन्डराज फर्द अडकाम (Order Sheet) में भी कर दिया जावेगा ।

५ दफा १९ (२) के अनुसार रिटीशनके सुने जानेकी तारीख नियत किये जानेका नोटिस प्रान्तिक सरकारी गजट (Local Official Gazette) में प्रकाशित किया जावेगा तथा उन अधिसूचनोंमें भी वह नोटिस मुद्रित किया जावेगा जिनके लिये अदालत हुजूम देवे । नोटिसको एक एक नकल रजिस्ट्रारके खत द्वारा सब कर्जदाहोंके पास उनके उम पतेमें भजी जावेगी जो रिटीशनमें दिया गया हो । यही तारीख उन नोटिसोंके सम्बन्धमें भी प्रयोग किया जावेगा जो दफा ३८ (१) के अनुसार तस्कीयके प्रस्ताव या तय करनेकी स्कीम (Scheme of Arrangement) के लिये दिये जायेको होंगे ।

६ दफा ३० के अनुसार दिवालिया करार दिये जाने वाले हुजूम की सूचना (Notice) प्रान्तिक सरकारी गजटमें प्रकाशित किये जानेके अतिरिक्त जैसा कि इस एक्टमें बतलाया गया है उन समाचार पत्रों

Newspapers) में भी प्रकाशित की जासकती हैं जिनके लिये अदालत आज्ञा देवे। यदि कर्जदार सरकारी कर्मचारी (Government Servant) होते तो इस हुक्मकी नकल उस आफिसके सबसे बड़े हाकिम (Head of the Office) के पास भेजी जावेगी जहां कि वह कर्जदार नौकर होवे।

सही तरीका (Procedure) उन हुक्मोंकी सूचना (Notice) के सम्बन्धमें प्रयोग किया जावेगा। दफा ३० (२) के अनुसार दिवालिया कारर दिये जाने वाले हुक्मकी मंजूरीके लिये दिये जावेंगे।

७. दफा ५० के अनुसार जो नोटिस अदालत द्वारा दिये जानेकी हों उनकी तामील कर्जदारवाह या उसके कौल पर की जावेगी या वह नोटिस रजिस्ट्री खत द्वारा भेजा जावेगा।

८. अन्तिम हिस्सा रसदी (Final dividend) घाटनेसे पहिले रिसीवर दफा ६६ के अनुसार जो नोटिस उन कर्जदारवाहोंके नाम जारी करेगा जिनका कर्जदारवाह होना तस्लीम किया जाचुका है परन्तु जिनके कर्ज आवित नहीं किये हैं वह नोटिस रजिस्ट्री खत द्वारा भेजे जावेंगे।

९. दफा ४१ (१) के अनुसार बहाल (Discharge) की दुरस्वास्त सुननेके लिये जो तारीख नियत की जावे उसकी सूचना (Notice) प्रान्तिक सरकारी गजटमें प्रकाशित की जावेगी तथा उन समाचार पत्रोंमें भी दी जावेगी जिनके लिये आज्ञा देवे और उसकी नकलें सब कर्जदारवाहोंके पास रजिस्ट्री खत द्वारा भेजी जावेंगी चाहे उन्होंने अपना कर्जा साबित किया हो या न साबित किया हो।

१०. यदि पिछले नियमोंमें बतलाये हुए नोटिसोंके सम्बन्धमें डाकद्वारेकी रसीद दाखिल की जावे तथा अदालतके किसी अफसर या आफिसल रिसीवर का सर्वोफिसेट या किसी अन्य रिसीवरका हलकनामा इस बातके लिये होवे कि नोटिस नियम पूर्वक दिये गये हैं तो वह इस बातकी काफी गवाहदत मानी जावेगी कि नोटिस जिसके फौजे भेजे गये हैं उसकी ठीक तौरसे भेजे गये हैं।

११. प्रकाशित किये जानके निर्धारित नियमोंके आतिरिक्त अदालतकी आज्ञानुसार नोटिस अन्य किसी रूपसे भी प्रकाशित किये जासकते हैं जैसे कि अदालतकी इमारतमें उनकी नकलें चिपकवा देनेसे अथवा जिस गायमें दिवालिया रहता हो वहां मुलादी करा देनेसे।

रिसीवर

१२. रिसीवरकी नियुक्तिका हुक्म जिल्ल कर तथा अदालतके इस्ताहर होकर दिया जावेगा। इस हुक्म की नकल अदालतकी मोहर लगा कर कर्जदारके पास भेजी जाना चाहिये तथा वह नकलें नियुक्त किये हुए व्यक्तिके पास भी भेजी जाना चाहिये।

१३. (१) अदालतको चाहिये कि वह रिसीवरका भ्रमफल (Remuneration) नियत करते समय अधिकतर उसे कमीशन या फी सैकडाके हिसाबसे नियत करे जिसमेंसे एक भाग महफूज कर्जदारवाहों (Secured Creditors) की जमानतों (Securities) के रुपये निकालनेके बाद जो रुपया बसूल किया जावे उसके हिसाबसे मिलना चाहिये तथा दूसरा भाग उस रकमके हिसाबसे मिलना चाहिये जो वह दिरसा रसदी (Dividend) के रूपमें तकसीम करे।

(२) जब कि रिसीवर महफूज कर्जदारवाहोंकी जमानत (Security) का रुपया बसूल करे तो अदालत उसे उस कामके हिसाबसे तथा कर्जदारवाहोंके लाभ हो देवते हुए अधिक भ्रमफल (Remuneration) दिलासकती है।

१४. रिसेवर शेकड या अन्य हिसाबकी किताबें तथा कागजात रल्लेगा त्रिसमे जायदाद सम्बन्धी वलके प्रबन्धका ठीक ज्ञान हो सके और वह हिसाब किताब उन समयों पर तथा उस प्रकार द्वाविल करेगा त्रिस प्रकार कि अदालत हुकम दूधे । उन हिसाबकी जाच वह लीग करेगे त्रिनके लिये अदालत हुकम देवे । डिमाव की जाच (Audit) का खर्च अदालत नियत कर देगी और वह दिवालिये की जायदादसे दिया जावेगा ।

१५. वह कर्जदार जो अपना कर्ज साधित कर नुका है अदालतमें हुम वातकी द्वाववास्त दे सकता है कि उसको रिसेवरके कुल हिसाब या उसके किमी हिस्सेकी नकल दी जावे त्रिसका कि सम्बन्ध दिवालियेकी जायदादसे होवे और जो कि शेकटमें उस चक्र तक दिखण्यावा जालुका हो और उसकी वह खर्चा अदा करने पर नकल दी जावेगी जो हुम अदालतके नियमोंके अनुसार नकलोंके प्राप्त करनेके लिये बतलाये गये हैं ।

१६. यदि किमी मामलमें कर्जदारोंकी मीटिंग (Meeting) की आवश्यकता हो और यदि किसी मामलमें कर्जदार तस्सीया या तय किये जाने की स्कीम (Scheme) द्वाका ३८ के अनुसार वाहता हो तो रिसेवर ७ दिनका नोटिस कर्जदार व सब कर्जदारोंको हुम वातके लिये देगा कि ऐसी मीटिंग किम तारीख पर तथा किस स्थान पर होगी । ऐमे नोटिस रजिस्ट्रीमुदा खल द्वारा दिये जावेंगे ।

कर्जोंका साधित क्रिया जाना

१७. कर्जदारोंका सुनू सिविल प्रोसेस फार्म नं० १२६ [Civil Process Form No 146 in Volume II] के अनुसार समयानुसूल परिचलनके साथ होना चाहिये ।

१८. यदि किसी मामलमें कर्जदारके बयानसे यह मालूम हो कि उसके कारीगरों व दूरी काम करने वालों की चमरत (Wages) के बहुतेसे दावे हैं तो उन सबके लिये अकेले कर्जदार ही का सुनूत या उन सब कर्जदारों की तरफसे किसी दूरी व्यक्तिका सुनूत पर्याप्त समझा जावेगा । इस प्रकारका सुनूत सिविल प्रोसेस फार्म (Civil Process Form No. 147 in Volume II) के अनुसार होना चाहिये ।

यदि कर्जदार कोई फर्म (Firm) होवे तो उसका तरीका ।

१९. यदि किमी सूचना (Notice), द्वाखान (Declaration), द्वाववास्त (Petition) या किसी दूरी दस्तावेजके जर्जरी (Affidavit) की आवश्यकता हो और उस पर किसी कर्जदारों या कर्जदारोंके फर्म के दस्तावेज फर्मके नामसे किये जावें तो जो हिस्सेदार फर्म की ओरसे दस्तावेज करे उसको अपना भी दस्तावेज करना पड़ेगे जस कि प्रावण एण्ड कम्पनी वगैरिये जेतनी फर्मका एक शरीकदार " Brown & Co by James Green a Partner in the said firm "

२०. यदि किसी सूचना (Notice) या द्वाववास्त (Petition) की तारीख जती तारमे होना आवश्यक हो और उसकी तारीख अदालत की अधिकार सीमाके अन्दर उस फर्मके खाम रोजगार की जगह पर फर्मके किसी शरीकदार पर या फर्मका प्रबन्ध या द्वावरेख करने वाले व्यक्ति पर की गई होगी तो वह मने लिया जावेगा कि उसकी तारीख वाकाषदा फर्मके सब शरीकदारों पर हुई है ।

२१. पिउली द्वाकामें बतलाया हुआ नियम जहा तक मामलके अनुसार सुमकिन होगा उस मामलमें भी लागू होगा जस कि कोई व्यक्ति किसी दूरी नाममे अदालत की अधिकार सीमाके अन्दर कारागार करता होवे ।

२२. यदि कर्जदारोंका कोई फर्म दिवालिये की द्वाववास्त देवे तो उस द्वाववास्तमें फर्मके सब शरीकदारोंके पूरे पूरे नाम होना सार यदि हुम द्वाववास्तमें फर्म की तरफसे किसी एक शरीकदारने दस्तावेज किये हों तो उस

दर वामनके साथ उन शरीकरको एक हलफनामा लगाना पड़ेगा कि फर्मके सब शरीकरों की सब उस दरवामनको देनेके लिये है ।

२३ यदि किसी फर्मके विरुद्ध दिवालिया करार दिये जानेका हुकम दिया जाने तो यह समझा जायेगा कि फर्मके वह सब शरीकर जो हुकम देत समय शरीकरदार हैं दिवालिया करार दे दिये गये हैं ।

२४ सत्रके मामलामें कर्जदार सत्रके मामलोंके सम्बन्ध की सूची (Schedule) पेश करेंगे और हर एक कर्जदार अपने अलहदा अलहदा मामले की सूची भी पेश करेगा ।

२५ संयुक्त कर्जवादा तथा कर्जनामों के अलहदा २ समूह अलहदा २ तस्वीया या तप होने की स्वीमको मंजूर कर सकते हैं । जइतक मुमकिन हो सकेगा संयुक्त कर्जवादाओं द्वारा मंजूर किया हुआ प्रस्ताव निर्धारित रूपसे स्वीकार किया जावगा बिला इस बातका ख्याल किये हुए कि किसी कर्जदार या कर्जदारोंके सुदामाना कर्जवादा या कर्जवादा न उन तस्वीया या स्वीम को स्वीकार नहीं किया है ।

२६ यदि तस्वीया या स्वीम का प्रस्ताव फर्म द्वारा किया गया हो आगम फर्म के शरीकरोंमें अलहदा २ तौर से किया हो तो संयुक्त कर्जवादाओं को किये हुए प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा और अगर उनके वोट लिये जायेंगे उन समय अलहदा कर्जवादाओंके समूहोंका अलहदा ध्यान नहीं दिया जायेगा । और जो प्रस्ताव कर्जवादाओं के किसी खास समूह से किया गया हो उसपर यह समूह अलहदा से विचार करेगा व वोट देगा कुल कर्जवादाओं से उसका सम्बन्ध नहीं होगा । यह प्रस्ताव भिन्न २ रूपसे तथा भिन्न २ तारादके लिख किये जा सकते हैं । जब कि तस्वीया या स्वीम स्वीकार करली जावे तो दिवालिया करार दिये जानेका हुकम अभी यह तक मसूमा होगा जहा तक कि उगका वह ज युदाद से तात्तुक ह जिसके कर्जवादाओं ने तस्वीया या स्वीम को मान लिया है ।

२७ यदि किसी शराकती फर्म के दो या दो से अधिक मेम्बरान कोई सुदामाना फर्म पचावे हों तो उन सुदामाना फर्मके कर्जवादान एक सुदामाना कर्जवादाओंका समूह समझा जावगा । और यह उसी प्रकार समझे जायेंगे जैसे कि फर्मके किसी मेम्बरके अलहदा से कर्जवादान होवे । यदि ऐसे सुदामाना फर्म (Assets) से कोई फाइल रुकम बचे तो वह उस फर्मके शरीकरों में हिस्सा रखनेके हिसाब से उनकी अलहदाकी जायदाद में ल जाई जावेगी ।

दिवालिये की गैर मनकूला जायदाद का येवा जाना ।

२८ यदि कोई रिसेवर नियुक्त न किया गया हो और अदालत स्वयं एक्ट की दफा ५८ के अनुसार दिवालिये की गैर मनकूला जायदाद को बचे तो उस जायदाद के लिये दस्तावेज बनाना एसीदार अपने स्वयं तैयार करायेगा और उस अदालतके हाकिम के इस्तखत होंगे । यदि रजिस्ट्रीका कोई राय होगा तो वह भी खरीदार बरदान करेगा ।

हिस्सा रसदी (Dividends)

२९ हिस्सा रसदी (Dividend) का दरया कर्जवादाके मार्यना करने पर अगके अगोदारी पर हाकके लिये भेजा जासकता है ।

सरस्त्रीकी कार्रवाई

३०. यदि दफा ७४ के अनुसार किसी जायदादका इन्तजाम भारतीय तौरमें किये जानेका हुकम होवे तो अदालतके किसी खास हुकमका ध्यानरखते हुए इम एक्टके नियम तथा यह नियम निम्न प्रकारसे संशोधित होंगे ।

- (i) किसी कार्रवाईका प्रकाशन प्रान्तिक सरकारी गजट या अन्य किसी समाचार पत्रमें नहीं किया जावेगा।
- (ii) दरखास्त (Petition) पर तथा बादकी सब कार्रवाइयोंमें 'सरसरी का मामला' (Summary Case) लिख दिया जावेगा।
- (iii) कर्जखाहोंको दरखास्त (Petition) के सुने जानेकी सूचना (Notice) सिविल प्रोसेस फार्म न० १५० (Civil Process Form 150 Vol. II.) के अनुसार दी जाना चाहिये।
- (iv) अदालत कर्जदारका ध्यान उसके मामलोंके सम्बन्धमें लेगी परन्तु वह कर्जखाहोंकी मीटिंग करनेके लिये बाध्य नहीं है गो कर्जखाहोंकी हक होगा कि उनकी जवाबदेही सुनी जावे तथा वह कर्जदारसे जिरह कर सके।
- (v) अधिकतर रिसीवरके नियुक्त किये जानेकी आवश्यकता न होगी और अदालत दफा ५८ के अनुसार कार्रवाई कर सकती है जिसमें कि दिवालियोंकी कार्रवाइमें खर्चा कम हो जावे अर्थात् खर्चकी बचत हो सके।

खर्चा।

३१. उन सब कार्रवाइयोंका खर्च जो दिवालिया कारार दिये जानेके हुकम तक होगा तथा जिसमें दिवालिया कारार दिये जानेका हुकम भी शामिल है कार्रवाई करने वाले व्यक्ति पर रहेगा परन्तु जब दिवालिया करार दिये जाने वाला (Adjudication) हुकम हो जावे तो दरखास्त देने वाले कर्जखाहका उचित खर्च दिवालियोंकी जायदादसे दिकवाया जावेगा।

३२. यदि तत्कीया या स्कीम अदालत द्वारा स्वीकार न की जावे तो तत्कीया या स्कीमकी दरखास्तके लिये तथा उसके सम्बन्धमें किये हुए कर्जदारके खर्चको उसकी जायदादसे नहीं दिलाया जावेगा।

सिविल प्रोसेस नं० १३७.

कर्जदारकी दरखास्त

दफा १३ प्रान्तिक कानून दिवालिया

पअदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०
.....सायल

मैं (ए) अधिष्ठतर (बी) का रहने वाला हूँ (या मैं व्यापार करता हूँ या लाभके लिये काम करता हूँ अथवा (सी) के हुकमके अनुसार (बी) में हिरासतमें हूँ। अपने कर्जोंकी अदायगीमें असमर्थ होनेके कारण दिवालिया कारार दिये जानेके लिये दरखास्त देता हूँ। मेरे ऊपर कुल (डी) रुपयेका कर्ज है जिसका इन्दराज तफसीलवार इस दरखास्तके साथ दी हुई सूची (ए) में दिया है और उस सूचीमें मेरे सब कर्जखाहोंके नाम व पते जहाँ तक मुझको मालूम है या जहाँ तक मुझको मालूम हो सके हैं दिये हुए हैं। मेरे पास जितनी जायदाद है उन्की तादाद व तफसील सूची (बी) में जो इसके साथ दी जा रही है दिखलाई गई है और उस सूचीमें रख्योंके अतिरिक्त जो जायदाद है उसकी तफसील तथा जिस जगह या जगहोंमें वह जायदाद है उनका उल्लेख भी किया गया है।

मे अपनी सब जायदाद अदालतकी मुमुर्दगीमें देने को तैयार हूँ केवल उन चीजोंको छोड़ कर जा कानूनन किसी इजराय डिक्लीमें कुर्क व मीलाम होनेसे बरी हूँ (परन्तु हिंसावकी किताबोंको उन चीजोंमें नहीं समझना चाहिये) मैंने इससे पहिले कभी दिवालिया करार दिये जानेके लिये कोई दरखास्त नहीं दी है (या मैं सूची (सी) में दिवालिया करार दी जाने वाली दरखास्त या दरखास्तोंकी तफसील (ई) देता हू । तबदीक हवारत उसी प्रकार होना चाहिये जैसे कि अर्जी दावाकी तस्दीक होती है ।

दम्तख्त***

नोट :-जहां पर (ए) दिया हुआ है वह कर्जदारका नाम व पता दिख जाना चाहिये ।

जहां पर (बी) लिखा हुआ है वह लगइका नाम व पता होना चाहिये ।

जहां पर (सी) लिखा हुआ है वह अदालतना नाम तथा उस डिक्ली की तफसील व हवाला होना चाहिये जितके इजरायमें वह गिरफ्तार हुआ हो या जिसके इजरायमें जायदाद कुर्क हुई है ।

जहां पर (डी) लिखा हुआ है जहां पर यह दिखलाना च हिये कि कौनसे कर्ज महकूत हैं व वह किस प्रकार महकूत हैं ।

जहां पर (ई) लिखा हुआ है उसमें यह बातें दिखलाई जाना चाहिये ।

(i) यदि दरखास्त दिवालिया खारिज की गई हो तो वह किस कारण खारिज की गई थी ।

(ii) यदि कर्जदार पहिले दिवालिया करार दिया जा चुका हो तो उसके दिवालिया करार दिये जानेका ख्योर और यह भी बतलाना चाहिये कि आपा कोई पिछली दिवालिये की दरखास्त मसूल (Appul) की गई थी या नहीं और यदि मसूल हुई थी तो क्यों ।

सिविल प्रोसेस नं० १३८

दिवालिये की दरखास्त सुने जानेका नोटिस जो कर्जखवाहोंको दिया जाना चाहिये

दफा १९ प्रान्तिक कानून दिवालिया

अदालत साइब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०

दरखास्त दिवालिया न० सन् १९ ई०

जुंकि

ने इस अदालतमें प्रान्तिक कानून दिवालियाके अनुसार दिवालिया करार दिये जाने की दरखास्त ता० सन् १९ को दी है और उस कर्जदारने जो कर्जखवाहोंकी फिहरिस्त दाखिल की है उसमें तुम्हारा नाम भी दिखलाया है तुमको इतका दी जाती है कि इस अदालतने ता० सन् १९ उस दरखास्तके सुने जानेके लिये तथा कर्जदारके बयानके लिये मुकरर की है । अगर तुम इस मामले की पैरवी किया चाहो तो या तो स्वयं हाजिर हो या पूरी हिदायत देकर किसी वकीलके जरिये हाजिर हो । तुम्हारा कर्ज जो दरखास्तमें दिखलाया गया है उसकी तफसील इस प्रकार है ।

सिविल प्रोसेस नं० १३६

दिवालिया करार दिये जानेका हुकम

दफा २७ ग्रान्तिक कानून दिवालिया

बमदालत साइव डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०.....

दरखास्त दिवालिया नं० सन् १९ ई०

इस दरखास्त मुजर्रांजा सन् १९ जो खिलाफ (यहा पर कर्जदारका नाम व पता हीना चाहिये) के मुजरी है व इस दरखास्त (यहा पर रिसीवर, कर्जदार या कर्जदारका नाम होना चाहिये) के व इस दरखास्तको पढने व सुननेके बाद यह हुकम दिया जाता है कि वह कर्जदार दिवालिया करार दिया जावे तथा वह दिवालिया करार दिया जाता है ।

यह भी हुकम दिया जाता है कि कर्जदार मजकूर आज की तारीखसे के अन्दर अपने घटाल (Discharge) किये जाने की दरखास्त देवे ।

तारीख सन् १९ ई०

द० जज

सिविल प्रोसेस नं० १४०,

वस कर्जदारकी दरखास्तका नोटिस जिसका नाम सूचोमें दर्ज नहीं है

दफा ३३ (२) ग्रान्तिक कानून दिवालिया

बमदालत साइव डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०.....

समुकबमा दिवालिया
नं० सन् १९ ई०

धनाम

चुके इस अदालतमें ने जो कि अपनेको एक कर्जदार जाहिर करता है एक दरखास्त इस अग्र की मुजर्रांजा है कि उसको अपना कर्जा साबित करने की आज्ञा दी जावे तथा उसका नाम कर्जदारकी फिदरिश्तमें उस कर्जेके सम्बन्धमें लिख लिया जावे जिसे कि वह साबित कर देवे इसलिये तुमको इत्तला दी जाती है कि वह दरखास्त ता० सन् १९ को इस अदालतमें सुनी जावेगी और यदि तुमको उसका विरोध करना हो तो तुम देखे था बश्लके जरिये उस तारीख पर जावे हो सकते हो ।

मेरे दरख़ास्त व अदाज़नकी मुहरसे यह नोटिस आज ता० सन् १९ को जारी किया गया ।

द० डिस्ट्रिक्ट जज

सिविल प्रोसेस नं० १४१

दिवालिया करार दिये जाने वाले हुकम की मंजूरीका हुकम

दफा ३५ प्रान्तिक कानून दिवालिया

अथदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०

दरखास्त दिवालिया नं० सन् १९ ई०

..... सायल

.....के दरखास्त देने पर तथा उसको पढ़ने व सुननेके पश्चात् यह हुकम दिया जाता है कि दिवालिया करार दिये जाने वाला हुकम सुयहलत सन् १९ जा जिलाफ के दिया गया था मंजूर किया जावे व वह हुकम मंजूर किया जाता है।

तारीख सन् १९ ई०

द० जज

सिविल प्रोसेस नं० १४२

तस्फीया यांतय करनेकी स्कीम पर गौर करनेके लिये जो तारीख नियत की गई हो उसकी

सूचना कर्जहवाहोंकी देना

दफा ३८ (१) प्रान्तिक कानून दिवालिया

अथदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज जि०

दरखास्त दिवालिया नं० सन् १९ ई०

..... सायल

तुमको इत्तला दी जाती है कि इस अदालतम तारीख उम तस्फीया या स्कीम पर गौर करनेके लिये मुकदरकी है जा कर्जदारने इस अदालतमें दी है उस तारीखसे पहिले जिन कर्जवाहका कर्जा साबित नहीं हो चुकेगा उक्त मामले पर बिचार होते समय वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा। यदि तुम ऊपर बतलाई हुई सुनवाईके समय उपस्थित होना चाहो तो कब्य या किसी ऐसे कर्जालके जरिये हाजिर हो सकते हो जिनके इस मामलेके सम्बन्धमें पूरी हिदायत देदी गई हो।

द० जज

इस फार्मकी पुस्त पर इस प्रकार दिया जाना चाहिये।

सम्मन दाखिल किये जानेकी तारीख

तारीख जब कि सम्मन माजिरके पास भेजा गया हो

वह तारीख जब कि सम्मन तामील करने वाले चपरासीको दिया गया हो

सम्मन तामील करने वाले चपरासीके लौटालनेकी तारीख

वह तारीख जब कि सम्मन माजिरने अदालतको लौटाला हो

सिविल प्रोसेस नं० १४३

उन कर्ज खर्चाओंकीफिहरिस्त जो कि तस्फीया या तय करने वाली रकमी पर
विचार करते समय होवे

दफा ३८ (२) प्राण्टिक कानून दिवालिया

य अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०.....

दरखास्त दिवालिया न०

सन् १९ ई०

भाँटिंग

ता०

सन् १९ को हुई

नम्बरी	उन सब कर्जखर्चाओंके नाम जिनके मुद्दत माने जाचुके हैं	यहाँ यह दिखलाना चाहिये कि किन २ कर्जखर्चाओंने बोट दिये हैं सगा वहाँने बोटस्वयं दिये हैं या बकीलके जरिये	असासा (लड़नेकी तादाद)	साथित किये हुए कर्जकी तादाद

यइ सत्या जो बहुमतके लिये आवश्यक है.....

आवश्यक तादाद

द०

सिविल प्रोसेस नं० १४४

कर्जखर्चाओंको बहाल होने की दरखास्तकी सूचना

दफा ४१ (१) प्राण्टिक कानून दिवालिया

य अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०.....

सुकुदमा दिवालिया न०

सन् १९ ई०

.....सायल

उमको इतला दी जाती है कि अब दिवालियाने इस अदालतमें अपने बहाल (Discharge) किये
जानेकी दरखास्त दी है और अदालतने ता० सन् १९ वक्त बजे उस
दरखास्तकी सुननेके लिये नियत किया है ।

आज

तारीख

सन् १९

ई०

द० जज

नोट :—इस फार्मकी पुस्त पर दफा ५२ (१) में बतलाये हुए नियम किये जाना चाहिये ।

सिविल प्रोसेस नं० १४५

आयन्दा होने वाली आमदनी या मिलने वाली जायदादके सम्बन्धमें शर्त लगा कर
बहाल होनेका हुक्म दिया जाना

दफा ४१ (२) (ए), (बी), या (सी) प्रान्तिक कानून दिवालिया

अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज महादुर जि०

मुकद्मा दिवालिया न० सन् १९ ई०

... सायल

दिवालयिके दरखास्त देने पर जो कि तारीख सन् १९ को
देवालिया करार दिया जायका है तथा रिसीवरकी रिपोर्ट पर विचार करनेके बाद व कर्जदाराने जो
पुनर्नेके बाद यह हुक्म दिया जाता है कि दिवालिया मुकद् (ए) बहाल किया जावे ।

ग (बी) तारीखका बहाल किया जावे । या (सी) आयन्दा होने वाली
आमदनी या आने वाली जायदादके सम्बन्धमें जो शर्तें दी हुई हैं उन शर्तोंके साथ बहाल किया जावे ।

दिवालयिके आयन्दा होने वाली आमदनी या मुनाफा अथवा आने वाली जायदादसे मुकदमिग
उपया साजाना उसकी तथा उनके परिवारकी परवरिशके लिये निकालनेके पदवान् यादे कोई रुपया बचे (या
उस बचतका कोई खास हिस्सा) वह अदालत या आनिदाल रिसीवरको उसके कर्जदारानमें तकलीफ करनेके
लिये दे दिया जायेगा । दिवालयिया हर साक जनवरीकी पहिली तारीखको या उसके १४ दिनके अन्दर कु
हिस्सा अदालतमें दाखिल करेगा जिसमें उसकी आमदनी आयन्दा आने वाली जायदाद तथा साल मर्के
आमदनीका डाल लिखलाया जावेगा और इस दिवालयिके अनुसार जिस कदर बचनका रुपया उसे अदालत
दाखिल करना चाहिये वह रुपया अदालतमें दाखिल किया जावेगा या रिसीवरको दिया जावेगा यह हमसा
हिस्सा दाखिल होनेके १४ दिनके अन्दर दाखिल हो जाना चाहिये ।

तारीख सन् १९ ई० द० जज

सिविल प्रोसेस नं० १४६

कर्जा साथित किया जाना - आम तारीखा

दफा ४९ प्रान्तिक कानून दिवालिया

अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज महादुर जि०

दरखास्त दिवालिया न० सन् १९ ई०

... सायल

में मुकद्मा नं० सन् १९ में हलक लेता हूँ (या हलकिया व ठीक तौरसे बयान
करता हूँ) कि दिवालयिके दरखास्त दिये जाने
वाली तारीख अर्थात् ता० सन् १९ को कर्जदार मेरा
कर्जदार या और अर भी वापत २० के मेरा मही तौरसे कर्जदार है यह कर्ज हम दरखास्तके साथ

दाखिल किये जाने वाले हिस्साबमें दिखलाया गया है तथा यह कुछ कर्जा या इसका कोई हिस्सा मुझे या मेरे किसी आदमीको मेरे हकमें वसूल नहीं हुआ है और न उसके लिये कोई जमानत ही दी गई है सिवाय नीचे दिये हुए रूप्यों या जमानतके.....

रूप्योंके लिये वांट
माना गया

हलक ली जाने वाली ज़पद
तारीख
किसक सामने

{ हलकनामा दाखिल करने
चालेके दस्तखत

६७ जज या आफिशल रिसेवर

६० कमिश्नर

सिविल प्रोसेस नं० १४८

रिसेवरके नियुक्ति का हुकम

दफा ५६ प्रान्तिक कानून दिवालिया

बनदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०.....

मुकदमा दिवालिया

नं० सन् १९ ई०

बुद्धि सुसम्मी

इस अदालतक हुकमके अनुसार ता०

सन् १९ ई०

औ दिवालिया करार दिया गया है और अदालतकी यह प्रतीत हीता है कि दिवालिया मजकूरकी जायदादके लिये रिसेवर नियुक्त किया जावे इसलिये दिवालियेके विरुद्ध जायदादकी वसूलीका हुकम दिया जावे तथा जायदादकी वसूलीका हुकम दिया जाता है और (या आफिशल रिसेवर) दिवालिया मजकूर की जायदादके लिये रिसेवर नियुक्त किया जाता है और यह भी हुकम दिया जाता है (यदि वह आफिशल रिसेवर न होवे तो) कि रिसेवर मजकूर रूप्योंकी जमानत दाखिल करे और उसका श्रमधर (Remuneration) प्रति सैकड़ा नियत किया जावे :-

तारीख

सन्

ई०

६० जज

सिविल प्रोसेस नं० १४९

अन्तिम हिस्सा रसदी वाटनेका नोटिस जो कर्जखवाह बतलाये जाने वाले लोगोंको दिया जाता चाहिये ।

दफा ६४ प्रान्तिक कानून दिवालिया -

बनदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०.....

मुकदमा दिवालिया नं०

सन् १९ ई०

.....साथल

तुमको इतिला दी जावे है कि ऊपर बतलाये हुए मामलेमें अन्तिम हिस्सा रसदी (Final Dividend) घंटे जानिका विचार है और यदि तुम अपना मतलिख ता० सन् १९ तक या उसमें पहिले अदालतमें संतोषजनक रूपसे साबित नहीं करोगे (या उस तारीख तक जब तक कि मोहलत अदालत दे देवे) तो तुम्हारा दावा खारिज समझा जावेगा और तुम्हारे दावेका बिल्ला जिदात किये हुए मैं अन्तिम हिस्सा रसदी बट दूंगा ।

तारीख

सन्

ई०

६० रिसेवर (पता)

सिविल प्रोसेस नं० १५०

कर्जखवाहानको सरसरीकी कार्रवाईका नोटिस

दफा ७४ प्रान्तिक कानून दिवालिया

अदालत सादर डिस्ट्रिक्ट जज यदाद्री जि०

मुकदमा दिवालिया न०

सन् १९

. साधक

तुमको इसलिये दी जाती है कि एक कर्जदारने ता० सन् १९ को एक दरखास्त
इस अदालतमें दिवालिया करा दी जानेके लिये दी है और अदालतने ता० सन् १९ को
इस बातका यकीन कर लिया है कि कर्जदार मजकूरकी जायदाद मुकदमा ५०० रुपयेसे जायद नहीं है और
इसलिये अदालतने यह हुकम दिया है कि दरखास्त मजकूर सरसरी तौर पर सुनी जाये और अदालतने ता०
सन् १९ दरखास्त मजकूरकी मतीद समाप्तके लिये मुकदमा की है और उती तारीख पर कर्जदारका
बयान भी लिया जावेगा ।

तुमको इस बात की भी इतिला दी जाती है कि यदि अदालत चाहेगी तो उषी तारीख पर कर्जदार
मजकूरको दिवालिया करार दे देवेगी तथा कर्जदार मजकूरके लहनेको तर्फीम कर देवेगी । तुमको अधिकार है
कि तुम इस तारीख पर इतिहास हो तथा अपनी शहादत देना करो । यदि तुम कोई कर्ज साधित किया चाहे तो
वसका सुन तुमको उस तारीखसे पहिले या उस तारीख तक अवश्य दाखिल भदार्कत कर देना चाहिये ।

मेरे दस्ताखत व अदालतकी मोहर होकर
की जारी किया गया ।

आज ता०

सन् १९

है०

द० जज

इलाहाबाद हाईकोर्ट रूल्स

दफा ७९ प्राप्तिक कानून दिवाला सन् १९२० ई के अनुसार
बनाये हुए नियम

दफा ७९ प्राप्तिक कानून दिवालिया सन् १९२० ई० के अनुसार गवर्नमेंन्टकी आज्ञा लेनेके पश्चात्
सन् १९२१ ई० के जनरल सिविल रूल्स (General Civil Rules) में निम्नलिखित सन्नायित किय गये हैं।

सेक्टर २६ में दिये हुए नियमोंके स्थान पर निम्नलिखित नियम समझना चाहिये

१. इन नियमोंको आगरा प्राप्तिक दिवालिया नियम (The Agra Provincial Insolvency Rules) कहा जावेगा। फाम न० १३८ से लेकर १५२ तकका प्रयोग समयानुकूल परिवर्तनके साथ उन मामलोंके लिये किया जावेगा जिनमे कि उनका अलडदा अलडदा सम्बन्ध होते।

२. दिवालियेकी हर एक दरखास्त (Petition) उम रिजिस्टरमें चढ़ाई जावेगी जो दिवालिये या फाम करने वाली अदालतें दिवालियेकी दरखास्तोंके लिये रखेंगी और उनमें तर्तीबी संख्या (Serial Number) दी जावेगी तथा उसके बादकी सब कार्रवाइयोंमें जो इसी मामलेके लिये की जावेंगी वही नम्बर डाला जावेगा।

३. दिवालियेके सम्बन्धकी सब कार्रवाइयोंका मुआयना उन समयों पर तथा उन नियमोंके अनुसार किया जासकता है जिनके अनुसार कि अदालतकी दूसरी सिविलोंका हो सकता है यह मुआयना रिसीवर, कर्जदार, व यह कर्जदार जो अपने कर्जोंको साबित कर चुका हो या उनके कानूनी नुमायन्दे (Legal representative) कर सकते हैं।

नोटिस

४. जब किसी नोटिस या किसी दूसरे मामलेका इस एक्टके अनुसार सरकारी गजटमें प्रकाशित किया जाता बतलाया गया हो या इस एक्टके अनुसार बनाये हुए नियमोंके आधार पर उनका किसी स्थानिक समाचार पत्रमें प्रकाशित किया जाना बतलाया गया हो तो एक याददाश्त (Memorandum) जिसमें कि प्रकाशित होना वाली तारीख व गजटका हवाला दिया हुआ होगा मिलिडमें शामिल कर दी जावेगी और उसका इन्द्रान फर्दे अहकाम (Order Sheet) में भी कर दिया जावेगा।

५. दफा १९ (२) के अनुसार निरीक्षणके सुननेकी तारीख नियत किये जाने वाले हुक्मका नोटिस प्राप्तिक सरकारी गजटमें प्रकाशित किये जानेके अतिरिक्त उन दूसरे समाचार पत्र व पत्राओं भी प्रकाशित किया जावेगा जिनमें अदालत आज्ञा देवे। नोटिसकी एक एक नकूल सब कर्जदारोंके पास राजश्री खतके द्वारा उस पनेसे पहुँचाई जावेगी जो दरखास्त (Petition) में दिया हुआ हो। यही तरीका उन नोटिसोंके लिये भी लागूमें लाया जावेगा जो दफा ३ - (१) के अनुसार सहाया या स्क्रीम पर विचार करनेके सम्बन्धमें दिये जावेंगे।

६. दफा ३० के अनुसार दिवालिया कारर दिये जाने वाला हुक्म प्राप्तिक सरकारी गजटमें प्रकाशित किये जानेके अतिरिक्त जैसा कि एक्टमें बतलाया गया है उन दूसरे स्थानिक अखबार या जलुबारोंमें प्रकाशित किया जावेगा जैसा कि अदालत उचित समझे। यदि कर्जदार सरकारी मुलाजिम होते तो हुक्मकी एक नकूल

उस आफिसके सचिव बडे हाकिम (Head of the office) के पास भेजी जावेगी जहा कि वह काम करता हो। यह तरीका उन नोटिसों व हुजमोंके सम्बन्धमें प्रयोग किया जावेगा जो दफा ३७ (२) के अनुसार दिवालिया करार दिये जाने वाले हुजमकी मसू-जेके सम्बन्धमें दिये जावें।

७ दफा ५० के अनुसार जो नोटिस अदालत द्वारा जारी किये जावेंगे उनकी तामील कर्जदारों पर या उनके वकीलों पर भी जावेगी या वह बजरिये रजिस्ट्री छतके भेजे जावेंगे।

८ दफा ६४ के अनुसार रिसेवर अन्तिम हिस्सा रमदी (Final Dividend) बाटनेसे पहिले जो नोटिस उन कर्जदारोंके नाम जारी होगा जिनका कर्जत्वाह होना घोषित किया जासुका है परन्तु जिनके कर्ज साबित नहीं किये गये हैं वह नोटिस रजिस्ट्री छत द्वारा बाटवानेसे भेजे जावेंगे।

९ बहालकी दरदवास्त (Application for Discharge) सुननेकी तारीखके नोटिस जो दफा ४१ (१) के अनुसार दिये जावेंगे प्रान्तिक सरकारी गजटके अतिरिक्त उन समाचार पत्रोंमें प्रकाशित किये जावेंगे जिनके लिये आज आज्ञा देवे और उनकी नकलें सब कर्जदारोंके पास रजिस्ट्री छतके जरिये भेजी जावेगी चाहे उन्होंने अपना कर्ज साबित किया हो या न साबित किया हो।

१०. यदि पिछले नियमोंमें बतलाये हुए नोटिसोंके सम्बन्धमें डाकखानेकी रसीद दाखिलकी जावे तथा अदालतके किसी अफसर या अफिसल रिसेवरका सर्टीफिकेट या किसी अन्य रिसेवरका इलफनामा इस बातके लिये होवे कि नोटिस नियम पूर्वक दिये गये हैं तो यह इस बातकी काफी शहादत मानी जावेगी कि नोटिस जिसके पहले भेजे गये हैं उसको ठीक तौरसे भेजे गये हैं।

११. प्रकाशनके निर्धारित नियमोंके अतिरिक्त अदालतकी आज्ञानुसार नोटिस अन्य किसी रूपसे भी प्रकाशित किये जासकते हैं जैसा कि अदालतकी इमारतमें उनकी नकलें बिरफ्दा देनेसे अथवा जिस गावमें दिवालिया रहता हो वहा मुनादी करा देनेसे।

रिसेवर

१२. रिसेवरकी नियुक्तिका हुजम लिखकर अदालतके इन्स्पेक्टरसे दिया जावेगा। इस हुजमके नकलकी तामील अदालतकी मोहर होकर कर्जदार पर की जावेगी तथा वह नकल नियुक्त किये हुए इफितिके पास भी भेजी जावेगी।

१३. (५) अदालतकी चाहिये कि वह रिसेवरका भ्रमफल (Remuneration) नियत करते समय अधिकतर उसे कमीशन या फी सैकडाके हिसाबसे नियत करे जिसमेंसे कि एक भाग मफूज कर्जदारों (Secured Creditor) का जमानत (Security) के रुपये निकालनेके बाद जो रुपया वसूल किया गया हो उसके हिसाबसे मिलना चाहिये तथा दूसरा भाग उस इकमके हिसाबसे मिलना चाहिये जिसे कि वह हिस्सा रसदी (Dividend) के रूपमें तकसीम करे।

(६) जब कि रिसेवर मफूज कर्जदारोंकी जमानत (Security) का रुपया वसूल करे तो अदालत उसे उस कामके हिसाबसे तथा उससे होने वाले कर्जदारोंके लाभको देते हुए और अधिक भ्रमफल (Remuneration) दिला सकती है।

१४ रिसेवर रोकट बंदी या अन्य हिमावकी कितायें तथा कागजात रखेगा जिसे जायदाद सम्बन्धी उसके प्रयत्नका ठीक ठीक ज्ञान हो और वह हिसाब कितायें उन समयों पर तथा वस प्रकार दाखिल करेगा जिस प्रकार कि अदालत हुकम देवे । उन हिमावकी जाच वह लीग करेगा जिनके लिये अदालत हुकम देवे । हिमावकी जाच (Audit) का खर्च अदालत नियत कर देगी तथा वह खर्च दिवालियेकी जायदादमें दिलाया जावेगा ।

१५ अधिकतर रिसेवर वह सब रूपया जो वह वसूल करे सरकारी खजानेमें जमा करेगा या जबकी किसी खास वजहसे रूपया किसी बैंकमें जमा किया जावे जिसके लिये कि अदालतने स्वीकृत देदी दोष जो बंधी हुई रकम (Fixed Deposit) में जिस पर कि ब्याज आता हो जमा किया गया हो तो ब्याज को रूपया दिवालियेकी जायदादमें जमा किया जावेगा ।

१६ रिसेवर उन सब मामलोके आय व्ययका हिसाब जिनम कि वह रिसेवर नियुक्त किया गया हो हर तिमाहीके तिमाही अदालतमें दाखिल करेगा और यह हिसाब तिमाही समाप्त होनेके बाद वाले महीनेकी १० तारीखसे पहिलेही दाखिल कर दिया जावेगा ।

१७ जबकि रिसेवरके हाथमें दिवालियेकी जायदाद का फोई रूपया न होवे और वह किसी कर्जस्वाह से रूपयेकी मदद लेव तो उसको बाडिये कि यह रूपये दिवालियेकी जायदादके हिसाबमें दिखलावे ।

१८ वह कर्जस्वाह जो अपना कर्ष भाहित करे चुंका है अदालतमें हम बातकी दस्तावास्त दे सकता है कि उसको रिसेवरके कुल हिसाब या उसके किसी हिस्सेकी नकल दी जावे जिसका कि सम्बन्ध दिवालियेकी जायदादसे होवे और जो कि रोकट बंदीमें उस वन तक दिखलाया गया हो यह नकल उसको वह खर्च अर्दी करने पर दी जावेगी जो अदालतके नियमोंके अनुसार नकलोंको प्राप्त करनेके लिये बतलाये गये हैं ऐसी नकलों के लिये किसी कोर्ट फीसके अदा करनकी आवश्यकता नहीं है ।

१९ यदि किसी मामलेमें कर्जस्वाहोंके मीटिंग (Meeting) की आवश्यकता होवे और यदि किसी मामलेमें कर्जदार तरफिया या सप किये जानकी स्कीम (Scheme) दफा ३८ के अनुसार चाहता हो तो रिसेवर कमसे कम १४ दिनु पहिले नोटिस कर्जदार व सब कर्जस्वाहोंको मीटिंगके समय व स्थानके लिये देगा ऐसे नोटिस रजिस्ट्री क्लर्क द्वारा भेजे जावेंगे ।

कर्जोंका साबित किया जाना

२० कर्जस्वाहोंका सुदूत अपेण्डिक्स (Appendix) में दिये हुए फार्म न० १४३ के अनुसार सम्बन्धी परिवर्तनके साथ दिया जासकता है । इसी फार्म न० १४३ इसी दार्डकोर्टका ।

२१ यदि किसी मामलेमें कर्जदारके बयानसे यह मालूम हो कि उसके कारीगरो या दूसरे काम करने वालोंकी उगरत (Wages) के बहुतसे दावे हैं तो उन सबके लिये अकेले कर्जदार ही का सुदूत या वन सब कर्जस्वाहोंकी तरफसे किसी एक प्याक्ति का सुदूत पर्याप्त समझा जावेगा इस प्रकार का सुदूत अपेण्डिक्स (Appendix) में दिये हुए फार्म न० १४४ के अनुसार होना चाहिये ।

यदि कर्जदार कोर्ट फर्म होवे तो उसका तराका

२२ यदि किसी सूचना (Notice) देवान (Declaration) दरद्वारे (Petition) या किसी दूसरी दस्तावेजके तम्बूक (Attestation) की आवश्यकता हो तब उस पर किसी कर्जस्वाहो या कर्जदारो

के फर्मके दस्तखत फर्मके नामसे किये जावें त्तो जो हिस्सेदार फर्मकी ओरसे दस्तखत करे उसको अपने भी दस्तखत करना पड़ेगा जैसे कि "प्राउन एन्ड कम्पनी वञ्चरिये जेम्सप्रिन" एक शरीकदार फर्म भेत कर ।

२३. यदि किसी सूचना (Notice) या दरखास्तकी तामील जर्ती तौरसे होना आवश्यक हो और उसकी तामील अदालतकी अधिकार सोमा (Jurisdiction) के अन्दर फर्मके खास रोजगारकी जगह पर फर्मके किसी शरीकदार पर या फर्म का प्रचण्ड करने वाले या देख रेख करने वाले व्यक्ति पर की गई हो तो यह मान लिया जावेगा कि उसकी तामील बाकायदा फर्मके सब शरीकदारों पर हुई है ।

२४. पिछली दफामें बतलाया हुआ नियम जहाँ तक मुमकिन होगा उस मामलेमें भी लागू होगा जब कि कोई व्यक्ति अपने नामके बजाय किसी दूसरे नामसे अदालतकी अधिकार सीमामें कागोवार करता हो ।

२५. यदि कर्जदारोंका कोई फर्म दिवालकी दरखास्त देवे तो उस दरखास्तमें फर्मके सब शरीकदारोंके पूरे पूरे नाम होंगे और यदि उस दरखास्त पर फर्मकी ओरसे किसी एक शरीकदारने दस्तखत किये हों तो उस दरखास्तके साथ उस शरीकदारको एक हलफनामा भी इस बातका लखाना पड़ेगा कि फर्मके सब शरीकदारोंकी साथ उस दरखास्तको देनेके लिये है ।

२६. यदि किसी कर्जदारने दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म दिया जावे तो यह समझा जावेगा कि फर्मके वह सब शरीकदार जो हुक्म दिये जानेवाले शरीकदार थे दिवालिया करार दे दिये गये हैं ।

२७. साझेके मामलोंमें कर्जदार साझेके मामलोंके सम्बन्धकी सूची (Schedule) पेश करेंगे तथा हर एक कर्जदार अपने अलहदा अलहदा मामलोंकी सूची भी पेश करेगा ।

२८. संयुक्त कर्जदारका तथा कर्जवाहोंके अलहदा अलहदा समूह अलग तरफिया या तय होने की स्कीमकी स्वीकार कर सकते हैं । जहाँ तक मुमकिन होगा संयुक्त कर्जवाहों द्वारा स्वीकृत हुआ प्रस्ताव ही निर्धारित रूपसे मंजूर किया जावेगा विला इस बातका ल्याल किये हुए कि किसी कर्जदार या कर्जदारोंके जुदागाना कर्जवाह या कर्जवाहोंने उस तरफिया या स्कीम (Scheme) को स्वीकार नहीं किया है ।

२९. यदि तरफिया या स्कीमका प्रस्ताव फर्म द्वारा किया गया हो और उस फर्मके शरीकदारोंने अलहदा अलहदा तौरसे भी किया हो तो संयुक्त कर्जवाहोंके लिये किये हुए प्रस्तावों पर विचार किया जावेगा और उन पर उनके वोट लिये जावेंगे उस समय अलहदा कर्जवाहोंके समूहोंका अलहदा ध्यान नहीं दिया जावेगा और जो प्रस्ताव कर्जवाहोंके किसी खास समूहके लिये किया गया हो उस पर वह समूह अलहदासे विचार करेगा व वोट देगा कुल कर्जवाहोंसे बसका सम्बन्ध नहीं होगा । यह प्रस्ताव भिन्न भिन्न रूपसे तथा भिन्न भिन्न मादादके लिये किये जासकते हैं । जब कि तरफिया या स्कीम स्वीकार कर ली जावे तो दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म अभी इतक मंजूर होगा जहाँ तक कि उसका उस जायदादसे सम्बन्ध है जिसके कर्जवाहोंने तरफिया या स्कीमको मान लिया है ।

३०. यदि किसी शरीकदारकी फर्मके दो या दो से अधिक मेरबान कोई जुदागाना फर्म खलते हों तो उस जुदागाना फर्मके कर्जवाहान एक जुदागाना कर्जवाहोंका समूह समझे जावेंगे और वह उनी प्रकार समझे जावेंगे जैसे कि किसी शरीकदारके अलहदामें कर्जवाहान होवें यदि ऐसे जुदागाना फर्मके लहने (Assets)

से कोई फाजिल रकम बचे तो वह उस फर्मके शरीकदारोंमें हिस्सा रसदीके हिसाबसे उनके हिस्सेके अनुसार उतकी अलहदाकी जायदादमें खे बाई जावगी।

दरखास्तमें च नोटिस

३१ (ए) की इन नियमोंमें कोई बात अथ प्रचारसे न बतलाई गई हो अथवा अदालत किमी खास मामलमें कोई अन्य हुकम न देवे तो अदालतमें दी जाने वाली वह सब दरखास्तें लिख कर दी जावंगी तथा इनकी ताईदमें मायल का हलफनामा भी दाखिल होगा जो कि रिस्वीवर द्वारा या किमी कर्जन्दाह द्वारा या किसी अन्य व्यक्तिके द्वारा दी जावे जो कर्जदारके लहनेमें अपने को झुकदार बतलाया हो या रिस्वीवरके किमी काम की शिकायत करे और जो खास कर इन नियमोंकी विल अवेइलना किये हुए दफा ४, ५१, ५२, ५३, ५४ व ५५ के अनुसार हुकम दिये जानेके लिये दी गई हो।

(बी) जिस हुकम या दादरसीके लिये दरखास्त दी जावे उसका उल्लेख पूर्ण रूपसे हर दरखास्त में किया जावेगा उनमें इस एकटकी दफाओंकी जिनके अनुसार दरखास्त दी गई हो तथा उन वजहों का जिनके कारण वह हुकम या दादरसी चाही जाती हो तथा अन्य किसी एकटकी दफाओं का भी जिनके आधार पर दरखास्त दी गई हो उल्लेख किया जावेगा।

(सी) इस प्रकारकी हर एक दरखास्तमें यह भी दिखलाया जावेगा कि आया सायल दरखास्त की ताईदमें गबहान लक्ष किया जाइया है या नहीं और उसमें ~~जिस नामसे~~ ~~रजिस्ट्रार~~ भी लिख दगा जिनके कि वह आधार मानता हो।

(डी) यदि रिस्वीवरके अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकारकी दरखास्त देवे तो उस दरखास्त की नकल तथा उसकी ताईदमें दिये हुए हलफनामेकी नकलकी तामिल रिस्वीवर पर की जावगी और इन दरखास्तोंकी नकल भी जिनका जिक्र ऊपर की (सी) छाममें किया गया है उसके दी जावगी परन्तु यदि दस्तावेज बहुत सी होवें अथवा बहुत बड़ी हों तो बजाय उनकी नकल मननेके नोटिस द्वारा रिस्वीवरको उनके बारेमें बतला दिया जावेगा और रिस्वीवरको दरखास्त सुन जानेस पहिले पूरे सत दिन का मौका असल दरखास्तोंका मुआयना करनेके लिये दिया जावेगा।

(ई) यदि ऐसी दरखास्त रिस्वीवर द्वारा दी जावे तो उसकी ताईदमें जो हलफनामा लगाया जावेगा उसमें कर्जदारके उस बयानका हवाला होगा जो या ता मिभिलमें दाखिल होवे या रिस्वीवरके कब्जेमें होवे तथा जिसके आधार पर रिस्वीवरने दरखास्त दी हो।

(एफ) दरखास्तके हर एक फरीककी अपिकार होगा कि वह असल दस्तावेजका मुआयना कर सके जो कि या तो दाखिलकी गई हो या दरखास्तकी ताईदमें दिये हुए हलफनामेमें जिसका उल्लेख होव या जिसकी प्रकृष्टका हवाला हलफनामामें दिया गया हो।

(जी) उपदफा (ए) में बतलाई हुई हर एक दरखास्त व हलफनामेके नकलकी तामिल रिस्वीवर पर की जावेगी चाहे रिस्वीवरके विरुद्ध कोई हुकम या दादरसी चाही गई हो या न चाही गई हो।

दिवालियेकी गैरमनकूला जायदादका बेचा जाना

३२ यदि कोई रिस्वीवर नियुक्त न किया गया हो और अदालत स्वयं इस एकटकी दफा ५८ के अनुसार दिवालियेकी गैरमनकूला जायदादको बेचे तो उस जायदादके लिये दस्तावेज बयानामा खरीदार अपने धर्ममें

या कायदा और अदालत हाकिमक इरादत तल पर हमे यदि रजिस्टा कर नेमें वार्ड लख पडया ता
इ भी खरादार वरदायत करेगा ।

१३ दिव्या रसदीका रुपया (Dividend) वरवाह (Creditor) क प्रार्थना करने पर तथा
बसकी जिम्मादारी पर डाइक जतिये भेजा जा सकता है ।

सरसरी कौ कारवाई

१४ यदि दफा ४४ क अनुसार किसी आयदादका इन्तजाम सरसरी तोरसे किये जायेता हुकम
हाल ता अदालतक ध्यान हुअरमे का ध्यान रखते हुए इस एक्टके नियम तथा यह नियम निम्न प्रकारम
मन पित हु जायेगा ।

- (1) किसी कारवाईका प्रकारानुसार प्राथमिक सरकारी वजन या अथ किसी समाचार पत्रमें बर्दाकिपा जायेगा ।
- (2) दरवास्त (Petition) पर तथा बाइकी सब कारवाईमें सरसरी का सामन्य (Summary Case) लिख दिया जायेगा ।
- (3) कौ वार्डका दरवास्त (Petition) क मुन जानेकी सूचना (Notice) अपीलेशन (Appeal) के कामे न० १५१ के अनुसार दी जायेगी ।

(4) ~~यदि कानून का पदान इसके सामनेके सम्बन्धम लगे परन्तु वह कनेक्शनों को मीटिंग
(Meeting) करके लखे जाये ता कानून के अन्तर्गत कौ कारवाईको हुक होगा कि वकील सुनवाईकी
जने तथा यह कानूनम निरह कर सक)~~

(5) अधिकतर रिसीवरके नियुक्त किये जानेकी आवश्यकता तदानी और अदालत द्वारा
अनुसार कारवाई कर सकती है जिसमें कि दिवालिघेका कारवाईमें खचा कम हा जाये ।

खर्च

१५ उन सब कारवाईके का खर्च तो दिवालिघेका करार दिये जायेके हुकम तक तथा जिसमें दिवालिघेका
करार दिये जान का हुकम भी शामिल है कारवाई करने वाले व्यक्ति पर रहता परन्तु जब दिवालिघेका करार
दिये जाना छोडा (Adjudication) हुकम हा जाय ता दरखास्त के वाल कनक्शनाइ का उचित खर्च
दिवालिघेकी आयदादसे दिलाया जायेगा ।

१६ यदि तर्कीया या स्कीम अदालत द्वारा स्वीकार न की जाय तो तत्परिया या स्कीमकी
दरवास्तके लिये तथा इसके सम्बन्धम किये हुए कानूनक खर्चका आयदादस नहीं दिलाया जायेगा ।

१७ यदि कानूनीक रूपम दरवास्त दो पर वह दिवालिघेका करार दिया गया हा और अदालतको
विश्वास हो जाय कि वह प्राथमिक सरकारी वजनमें उपजाये जाने का लख तथा एक्टकी दफा ३० में बतलाय
हुए नोटिस का लख वदायत भेदी कर सकता है ता अदालत इस बात का हुकम दे सकती है कि जसका लख
दिवालिघेकी आयदादकी नौमतर भदा किया जाये । यदि दिवालिघेक पास कोई आयदाद न होय अथवा उक्त
जिन्नाकी कमत न काफी होय ता उसका लख या न बसूत किया जा सकेने वाला अलाकिमा माफ कर दिया जायेगा ।

फार्म नं० ६

रिसेवरकी नियुक्ति का हुकम

दफा ५६ क्रानून दिवालिया सन १९२० ई०

य अदालत साइब डिस्ट्रिक्ट जज महादुर जि०.....

य मुकद्दमा.....दिवालिपा

न० सन् १९ ई०

धुंकि (नाम दिवालिया) अदालतके हुकम द्वारा तारीख सन् १९ ई० को दिवालिया करार द दिया गया है और अदालतको यह अचित्त प्रतीत होता है कि दिवालये मजकूरकी जायदादके लिय रिसेवर नियुक्त किया जावे अत. यह हुकम दिया जाता है कि रिसेवरके विरुद्ध वसूलीका हुकम दिया जावे और दिवालिये मजकूरके विरुद्ध रिसेवरको हुकम दिया जाता है और (या आफिशल रिसेवर) दिवालिये मजकूरकी जायदादके लिये रिसेवर नियुक्त किया जाता है और यह भी हुकम दिया जाता है (यदि आफिशल रिसेवर नियुक्त न किया गया हो) कि रिसेवर मजकूर तःकी जमानत दाखिल करे और उसका अमफल (Remuneration) हिसाबसे हाना ;

तारीख

सन् १९ ई०

द० जज.

फार्म नं० ७

पार्जोंका सुवृत् (Proof of Debts)

आम तरीका (दफा ४९ क्रानून दिवालिया)

उनवान (Title)

य अदालत साइब डिस्ट्रिक्ट जज महादुर जि०.....

दरहवास्त दिवालिया न० सन् १९ ई०

..... सायल

मानमा नम्बरी (यहाँ पर नोटिसका नम्बरुहोना चाहिये) सन् १९ ई० मे

(नाम व पता) हलफसे कहता हूँ (या ईमानदारी व दिलसे बयान करता हूँ)

कि (नाम व पता कर्जदार) तारीख सन् १९ ई० को मेरा

(तादाद) रुपयेका कर्जदार या व अब भी है जिसकी तफसील इसके साथ दाखिल किये जाने वाले हिसाबमें दिल्लीआई गई है इस रुपयेका कोई हिस्सा मुझ या मेरी ओरसे किसी आदमीको वसूल नहीं हुआ और न उसको कोई जमानत दी हुई है सिवाय नीचे दिये हुए रुपयेके

चोटके लिये जो तादाद रुपया मानी गई हो } हलफ जहा की गई हो
 राज या आफिशल रिसेवर } आज तारीख
 जिसके सामने हलफ की गई हो } { हलफ लेने वालेके दस्तपूत कमिश्नर

फार्म नं० =

मजदूरके कर्जोंका सुवृत्त (Proof of Debts of Workman)

उनघान (Title)

अभदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर सि०

दरहवास्त दिवालिया नं० सन् १९ ई०

..... सायल

मैं (नाम व पता हलफनामा दाखिल करने वालेका) हलफसे कहता हूँ
 (या ईमानदारी व दिलसे प्लान करता हूँ) कि मैं तारीख
 सन् १९ ई० को फेहरिस्तमें दिये हुए लोगोंका उनके सामने दिलाये हुए रूपयोंके लिये कर्जदार था व अब भी
 हूँ और यह कर्जा उन लोगोंकी मजदूरोंके थारेमें है जो उन्होंने रिसेवरकी नियुक्तिसे पहिले फेहरिस्तमें दिखलाये
 हुए समय तक हमारे पासकी थी। यह कर्जे या इन कर्जोंका कोई भाग अब तक नहीं चुकाया गया है और न उसके
 लिये कोई जमानत ही हुई है।

वोटके लिये जो तादाद रूपया मानी गई हो जज या आफिसल रिसेवर	} वह जगह जहा हलफनामा किया गया हो { } शरीख हलफ लेनेकी } जिसके सामन हलफ ली गई हो	} हलफ लेने वालेके } दस्तखत } कमिश्नर

फार्म नं० ६

तरकीया या तय होनेकी स्कीमका नोटिस जो कर्जेंस्वाहोंको दिया जाना चाहिये

दफ्ता ३८ (१) प्रान्तिक कानून दिवालिया सन् १९२० ई०

अभदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर सि०

दरहवास्त दिवालिया नं० सन् १९ ई०

..... सायल

तुमको इत्तला दी जाती है कि अदालत हाजाने कर्जेंदारके तरकीयेकी दरहवास्त पर विचार करनेके लिये
 तारीख सन् १९ ई० नियतकी है। वह कर्जेंदार जिसका कर्जा एक तारीख तक या उससे पहिले
 साबित नहीं हो जायेगा इस तरकीये पर वोट देनेका अधिकारी नहीं होगा यदि तुम उस तारीख पर हाजिर होना
 चाहो तो स्वयं या किसी वकीलके जरिये मय सुनतेके हाजिर हो सकते हो।

द० जज

फ़ार्म नं० १०

कज़ीरवाहोंकी फेहरिस्त जो तन्फीया या रसीम पर विचार करते समय बनाई जावे
दफा ३८ (२) प्रान्तिक क़ानून दिवालिया १९२० ई०

बजटालत साइध डिस्ट्रिक्ट जन बहादुर जि०.....

बमुकदमा दिवालिया नं० सन् १९ ई०

संदिग्ध तारीख् सन् १९ ई० को (जगहका नाम) में की गई

नम्बर	उन सब कज़ीरवाहोंक नाम जिनके कर्ज़ साबित हो चुके हैं	इसमें उन कज़ीरवाहोंको दिखलाना चाहिये जिन्होंने वोट दिये हैं और यदि भी दिखलाना चाहिये कि स्वयं वोट दिये हैं या बहीलके तारिये	लहनेकी तादाद	वह तादाद जिनका सुख्त माना गया है

बहुमतके क्रिये होने वाली संख्या
चाही हुई कीमत

रुपये

फ़ार्म नं० ११

अन्तिम हिस्सा रसदी बांटनेसे पहिले कज़ीरवाहोंको दिया जाने वाला नोटिस
दफा ६४ प्रान्तिक क़ानून दिवालिया सन १९२० ई०

बजटालत साइध डिस्ट्रिक्ट जन
बमुकदमा दिवालिया नं०

सन् १९ ई०

.....मायल

तुमको इतला दी जाती है कि उक्त मामलेमें अन्तिम हिस्सा रसदी बांटे जानेके लिये तारीख्
सन् १९ ई० नियतकी गई है और यदि तुम उस तारीख् पर या उससे पहिले अदालतमें अपना कर्ज़
साबित न कर दोगे या मोहलत दी जाने पर मोहलत वाली तारीख् तक न साबित कर दोगे तो तुम्हारा कर्ज़
निकाळ दिया जावेगा और उसका बिला स्थाल किये हुए अन्तिम हिस्सा रसदी बांट दिया जावेगा ।

तारीख् सन् १९ ई०

द० टिलीबर

फार्म नं० १२

दिवालिवा करार दिये जाने वाले हुक्मकी मंजूरीका हुक्म
दफा ३७ प्रान्तिक क़ानून दिवालिवा १९२० ई०

..... (नाम व पता दरल्वास्त देने वालेका) की दरल्वास्त पर तथा
उसे सुनने व पढ़नेके बाद यह हुक्म दिया जाता है कि (दिवालिवाका नाम) के
विशुद्ध दिवालिवा करार दिये जानेका हुक्म जो तारीख सन् १९ ई० को दिया गया था
मंजूर किया जावे तथा वह मंजूर किया जाता है ।
तारीख सन् १९ ई० द० जज

फार्म नं० १३

बहाल होनेकी दरल्वास्तका नोटिस जो कर्ज़द्वाराहोंको दिया जाना चाहिये
दफा ४१ (१) प्रान्तिक क़ानून दिवालिवा १९२० ई०

उनवान (Title)

तुमको इच्छा दी जाती है कि ऊपर बतलाये हुए दिवालिवाने बहाल होनेकी दरल्वास्त इस अदालतमें दी है
और अदालतने उमके सुननेके लिये तारीख सन् १९ ई० नियतकी है ।
तारीख सन् १९ ई० द० जज

फार्म नं० १५

सरसरीकी कार्रवाई (Summary Administration) दफा ७४

उनवान (Title)

तुमको इच्छा दी जाती है कि ऊपर बतलाये हुए कर्ज़दारने ता० सन् १९ ई० को
एक दरल्वास्त दिवालिवा करार दिये जानेके लिये इस अदालतमें दी है और ता० सन् १९ ई०
को अदालतने इस बात पर विश्वास कर लिया है कि उक्त कर्ज़दारकी जायदाद ५०० रुपयसे अधिक कीमतकी
वर्दी है और हमी कारण उसकी जायदादका प्रबन्ध सरसरी तौरसे किया जाना निश्चित किया है हम अदालतने
तारीख सन् १९ ई० फिर उस दरल्वास्तको सुननेके लिये नियतकी है और उसी
तारीख पर कर्ज़दारके भी ध्यान होंगे ।

तुमको इस बातकी भी इच्छा दी जाती है कि सुमफिन है अदालत इसी तारीख पर उस कर्ज़दारकी
दिवालिवा करार द देने व उसका लहमा बाट देये । तुम यदि चाहो तो उस तारीख पर हज़िर होकर अदालत दे
सकते हो यदि तुम कोई कर्ज़ साबित किया जाहो तो उम तारीख पर या उसके पहिले साबित कर सकते हो ।

इस अदालतकी मोहर व मेरे दस्तखतमे आज

तारीख सन् १९ ई० को जारी किया गया द० जज

प्रान्तिक कानून दिवालिया १९२० ई० (The Provincial Insolvency Act) के अनुसार जिन ब्रह्मद्वारा का दिया जाना चलाया गया है उनमेंसे कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं ता कि समयाचित परिवर्तनके साथ प्रयोग किये जा सकें हैं । एकदके नियमों का ध्यान रखते हुए दरखास्तें इन नमूनोंके अनुसार विशेष बातों का उल्लेख करते हुए दी जाना चाहिये:—

(नमूनेका फार्म) नं० १

कर्जदार का पिटीशन अर्थात् कर्जदार द्वारा दिवालिया करार दिये जानेकी दरखास्त

दफा १० (१) प्रान्तिक कानून दिवालिया एक्ट ५ सन् १९२० ई०

बध्नायत सादर डिस्ट्रिक्ट जज बदायुन जि०

मुकद्दमा दिवालिया सन् १९ ई०

दरखास्त हस्त दफा १० (१) प्रान्तिक कानून दिवालिया १९२० ई०

(नाम) वरु साकिन सायल

सायल निम्नलिखित मार्गना करता है —

१. यह कि सायल अधिकतर (निवास स्थान का नाम) का रहने वाला है और अब तक (स्थान का नाम व पता) में व्यापार करता रहा है और यह स्थान इस अदालतकी अधिकार सीमामें स्थित है ।

२. यह कि सायल को अपने व्यापारमें बड़ी हानि उठाना पड़ी है क्योंकि (यहाँ पर हानि होनेके कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिये) पते पर गई हैं और इसी कारण सायल पर बहुत सा कर्ज लद गया है ।

३. यह कि सायलको एक व्यापारसे अब कोई लाभ नहीं है और सायलके पास कोई दूसरा लाभका शस्ता भी निश्चय (यदि कोई आमदनी का जरिया हो तो उसका उल्लेख किया जाना चाहिये) नहीं है और इसी कारण सायल अपना कर्ज चुकानेमें असमर्थ है ।

४. यह कि सायल पर जो इस वक्त कर्ज हैं वह सब मिलकर रुपयेके हैं (यह कर्ज पांच सौ रुपयेसे अधिकके होना चाहिये कमके नहीं) या

सायल किसी इजराय नम्बरी सन् १९ ई० बअदालत मुसिक या (अन्य अदालत) सादर
मुकद्दमा (नाम धिकीदार) जो खिलाफ मुकद्दमा सायलके है इसके

अनुसार हिरासत या जेलमें हैं या
सायलकी जायदाद मुकद्दमा इजराय नम्बरी सन् १९ ई० (मुकद्दमें व अदालत का नाम व पता दिया जाना चाहिये) क अनुसार कुक किया जावका हुकम हुआ है और वह हुकम अब भी जायदाद सायलके खिलाफ जारी है ।

५. यह कि सायलके कर्जों का ब्योरा इन पिटीशनके साथ दाखिलकी जाने वाली सूची ए में दिया हुआ है और उस सूचीमें सब कर्जदारों का नाम व पता जहाँ तक सायलको मादूम है व जहाँ तक सायल उनका पता लगा सका है दे दिया गया है ।

६. यह कि सायलको जायदाद व लहनेकी तादाद व उसका ब्योरा सूची (बी) में दिया गया है और उस सूचीमें जायदादकी कीमत व उन स्थानों का भी उल्लेख कर दिया गया है जहा पर वह जायदाद स्थित है।

७. यह कि सायल अपनी सब जायदाद अदालतकी मुपुर्दगीमें देनेके लिये प्रस्तुत है (सिवाय उन चीजोंके जो जायता दीवानी या अन्य प्रचालित कानूनके अनुसार कुर्क व नोलाम नहीं की जा सकती है परन्तु उनमें हिस्साबकी किताबोंको नहीं समझना चाहिये।

८. यहकि सायलने इससे पहिले कोई दरखास्त दिवालिया करार दिये जानेके लिये नहीं दी है या उसके विरुद्ध कोई दरखास्त दिवालिया करार दिये जानक लिये नहीं दी गई है।

अथवा

सायलने एक दरखास्त (अदालत का नाम व पता) में दिवालिया करार दिये जानेके लिये दी थी या उसके विरुद्ध दरखास्त दी गई थी और उसके अनुसार सायल तारीख सन् १९ ई० को दिवालिया करार दिया गया था और तारीख सन् १९ ई० को सायल बहाल हो चुका है या दिवालिया करार दिया जाने वाला हुक्म मसूख कर दिया गया था (यहाँ पर 173 की कार्रवाई दिवालिया की तफसील तथा मसूखी आदिके कारण सब दिखला दिये जाना चाहिये)

उक्त कारणोंस सायल सबिनय प्रार्थना करता है कि सायल दिवालिया करार दे दिया जावे या अदाकत इस सम्बन्धमें कोई दूसरी उचित भाजा देनेकी कृपा करे और सायल सब इसके लिये कृतज्ञ होगा।

नाम हस्ताक्षर सायल " " " "

मैं (नाम व पता) तस्दीक करता हू कि मजमून दफा १ में तक सब मेरे इल्ममें सही है और मजमून दफा का सही होना उम इत्तला पर मघनी (निर्भर) है जो मुझे मिली है।

तारीख व जगह का नाम जहाँ पर तस्दीक इशारतकी गई हो

हस्ताक्षर

(नमूने का फार्म) नम्बर २

कर्जस्वाह का पिटीशन अथवा कर्जस्वाह द्वारा कर्जदारके विरुद्ध दी जाने वाली दिवालियेकी दरखास्त

दफा १ (१) व १३ (२) प्रान्तिक कानून दिवालिया १९२० इ०

अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बदायुन जि०

मुकद्दमा दिवालिया सन् १९ ई०

(नाम व पता) साकिन

उक्त सायल निम्नलिखित प्रार्थना करता है।

१. यह कि सायल अधिकतर (स्थान का नाम व पता) का रहने वाला है या (स्थान का नाम व पता) में व्यापार करता है अथवा लाभके लिये काम करता है।

२. यह कि सायल का व्यापारिक सम्बन्ध (दिवालिया करार दिये जाने वाले व्यक्ति का नाम व पता) से इस अदालतकी अधिकार सीमाके अन्दर था या (अप कर्जदार का नाम व पता) जो कि इस अदालतकी अधिकार सीमाके अन्दर रहता अथवा व्यापार करता है सायलमें सौदा लिया करना था (अथवा अपने सायलमें कर्ज लिया है)

३. यह कि वसिलसिल व्यवहार सायलमें उक्त (कर्जदार) से (तादाद) दया लेना है जितने कि उसने अब तक अदा नहीं किया है ।

४. यह कि उक्त कर्जदारने कर्जस्वाहका कर्जा मारनेकी इच्छामें अपना कर्जदार बंद कर दिया है या तारीख सन् १९ ई० से अपनी दुकान बंद कर दी है अथवा अपने बन्द कर दिया हुआ है जिसमें कि कोई कर्जस्वादान उससे पत्र व्यवहार नहीं कर सके या अपने आनकी तारीखसे तीन माहके अन्दर अपनी जायदादको बदनीयतीमें कर्जस्वादानका कर्ज मारनेकी मरामे अलाहिदा कर दिया है (अथवा दफा ६ में बतलाई हुई किमी बातका खरो वार दिखलाना चाहिये जिससे कि कर्जदार का दिवालिये का काम साबित हो सके ।

- लिहाजा दरखास्त हाजा गुजरान कर उम्मेदवार हूँ कि (१) उक्त कर्जदार दिवालिया करार दिया जावे, (२) उक्त कर्जदारकी जायदाद पर कब्जा लेनेके लिये दरख्तानी रिसीवर नियुक्त किया जावे । (३) उक्त कर्जदारसे उसको सब डिस्कावकी किताबें दायिल करवाई जावें व उससे सब कर्जोंकी तफसील वगैरा दायिल कराई जावे ।

इवास्त तस्दीक मय तारीख व जगह तस्दीकके की जाना चाहिये ।

तारीख सन् १९ ई० दस्तखत

नोट:—कर्मची तादाद ५००) से अधिक होना चाहिये । दरखास्त कई कर्जस्वाह स्वधमें होकर भी दे सकते हैं ।

(नमूने का फार्म) फार्म नं० ३

दरखास्त वास्ते वापिस लेने मुकद्दमा (दफा १४)

दरखास्त हरत्र दफा १४ प्रान्तिक कानून दिवालिया सन् १९२० ई०

अदालत साहय डिस्ट्रिक्ट जन बहादुर जि०

मुकद्दमा दिवालिया नं० सन् १९ ई०

..... सायल

उक्त सायल निम्नलिखित प्रार्थना करता है

१. यह कि मुझ सायलने इस अदालतमें तारीख सन् १९ ई० को एक दरखास्त दिवालिया करार दिये जाने के लिये दी थी । कर्जस्वादान के नाम नोटिस जारी किये जा चुके हैं और दरखास्त अभी जे तजवीज है (या उसके मुने जाने के लिये ता० सन् नियत की गई है)

२. यह कि वन दरखास्त को देने के बाद मुझ सायलको (नाम व रिश्ता) से वसीयतन (या अन्य किमी कारण जिसका उल्लेख यहाँ किया जाना चाहिये) पर्यन्त धन प्राप्त होने की सम्भावना है जिसमें कि सब

कर्जस्वाहान का ऋण सुगमता पूर्वक चुकाया जा सकता है और मेरे सब कर्जस्वाहान भी इस बात से सहमत है और उनकी इच्छा है कि मुकद्दमा अदालत से उठा लिया जावे जिसमें सायल उस जायदाद को वमूल करके उन सबका कर्ज चुका सके ।

३. यह कि कानूनन विला अदालत की आज्ञा के कोई दरवास्त दिवालिया वापिस नहीं की जासकती है इसलिये अदालत की आज्ञा, मुकद्दमे की वापिस लेने के लिये आवश्यक प्रतीत होती है ।

उक्त कारणों से और इस बात पर भी ध्यान रखते हुए कि सब ही कर्जस्वाहान मुकद्दमा उठाने में सहमत हैं सायल मार्गना करता है कि उसको मुकद्दमा उठा लेने की आज्ञा दी जावे या कोई अन्य उचित आज्ञा प्रदान की जावे जिसके लिये सायल बड़ा कृतज्ञ होगा ।

तारीख सन् १९ ई० हस्ताक्षर

में (नाम) बहद साकिन..... बहलक बयान करता हूँ ।

१. यह कि मैं ही उक्त सायल हूँ और हालत मुकद्दमे को अर्थात् जानता हूँ ।

२. यह कि उक्त दरवास्त में जिन बातों का उल्लेख है वह सब मेरी जाती इत्म से सही है ।

मेरे सामने ने इलफिया बयान किया जिसकी तस्दीक की जाती है ।

इलफियेने वाले अफसरके दस्तखत पतारिख हस्ताक्षर

(नमूने का फार्म) फार्म नं० ४

कर्जस्वाहान द्वारा दी जाने वाली दरमियानी रिसीवर या किसी दरमियानी कामके लिये दरखास्त (दफा २० व २१)

अर्जी हस्त दफा २० वास्ते नियत किये जाने रिसीवरके

बभदाउन साहब सिट्टिकट जज एडाडुर जि०

मुकद्दमा दिवालिया न०

सन् १९ ई०

..... सायल

में (नाम व पता) कर्जस्वाह निम्न लिखित मार्गना करता हूँ

१. यह कि मुझ कर्जस्वाहने एक दरवास्त खिलाफ (नाम कर्जदार) के वास्ते दिवालियार करार दिये जानेके इस अदालतमें तारीख सन् १९ ई० को दी थी और वह दरवास्त जेर तजवीज है ।

२. यह कि उक्त दरवास्तकी सूचना नियम पूर्वक कर्जदार भजकूरको मिल चुकी है और मुझ कर्जस्वाहको कर्जदार भजकूरके पडोसियोंसे तथा अन्य विश्वामनीय सूत्रसे पता लगा है कि वह कर्जदार अपने सब माऊके धीरे धीरे हटा रहा है और अपनी जायदादका बड़ा भाग हटा भी चुका है जिसमें कि उसके कर्जस्वाहनाका कर्ज मारा जावे ।

३. यह कि मुझ कर्जदारको यह भी पता लगा है कि कर्जदार भजकूर अपनी दूकानके बचे हुए सामान (या अन्य किसी वस्तुको जिसका नाम व ब्योरा दिया जाना चाहिये) हटाने वाला है इसलिये शीघ्र ही कोई इस प्रकारकी कार्रवाईकी जाना चाहिये जिसमें वह कर्जदार अपनी मनकूला या गुरमनकूला जायदाद न हटा सके वरना कर्जस्वाहानको अपने कर्जमें कुछ भी न मिल सकेगा ।

इस कारण मैं हम बातकी प्रार्थना करता हूँ कि कोई दरमियानी (Interim) रिसीवर उसकी जायदादके लिये नियुक्त किया जावे जो कि कर्जदारकी सब जायदाद पर फौन कब्जा कर लेवे जिसमें कि बन्नायदाद हटाई न जासके । तारीख सन् १९ ई० हस्ताक्षर

(नमूने का फार्म) नं० ५

दरखास्त हस्त दफा २१ प्रान्तिक कानून दिवालिया १९२० ई०

च अदालत साइब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०

मुकदमा दिवालिया नम्बर

सन १९ ई०

..... सायल

म (नाम) कर्जस्वाह निम्नलिखित प्रार्थना करता है

१. यह कि मुझ कर्जस्वाहमे एक दरखास्त खिलाफ (नाम व पता कर्जदार)

के तारीख सन् १९ ई० को वास्ते दिवालिया करार दिये जानेके इस अदालतमें ही है ।

२. यह कि अदालतने वस दरखास्त को सुननेके लिये तारीख सन् १९ ई०

नियतकी है और दरखास्तकी सूचना नियम पूर्वक कर्जदार भत्रकूरको मिल चुकी है ।

३. यह कि सूचना पानेके बाद उक्त कर्जदारने अपनी बर्षा खुची जायदादको कर्जस्वाहानसे बचानेके लिये अपने रिरतेदारोंके पास हटा दिया है और वह स्वयं भी इस जदालतकी अधिकार सीमासे बाहर जाने वाला है जिसकी सूचना मुझ कर्जस्वाहको विदवस्त सूत्रसे मिली है और मुझ कर्जस्वाहको विश्वास भी है कि वह सूचना सच है ।

४. यह कि उक्त कर्जदार का तारीख सुकररा पर हाजिर होना परम आवश्यक है इस कारण मुझ कर्जस्वाहकी प्रार्थना है कि वक्त कर्जदार वारण्टके जरिये गिरफ्तार किया जावे जिसमें कि वह नियत तारीख पर हाजिर किया जा सके अथवा उससे पर्याप्त अमानत उसकी हाजिरीके लिये ली जावे जिसमें कि वह दिवालिया करार दिये जाने वाले हुकम तक अदालतमें शक्ति व आवश्यक अवसरों पर हाजिर हो सके आशा है कि वक्त प्रार्थना स्वीकारकी जावेगी जिसके लिये मैं कर्जस्वाह बड़ा कृतज्ञ होऊंगा

तारीख सन् १९ ई०

हस्ताक्षर

नोट:— यदि उक्त दरखास्तके लिये अदालतमें विश्वास दिवानेके लिये इलफनामाकी आवश्यकता है तो वह भी दाखिल किया जाना चाहिये ।

(नमूने का फार्म) नं० ६

कर्जदार के मुक्त किये जाने के लिये दरखास्त दफा २३

दरखास्त हस्त दफा २३ प्रान्तिक कानून दिवालिया सन १९२० ई०

च अदालत साइब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर

मुकदमा दिवालिया नं०

सन १९ ई०

..... सायल

वक्त सायल निम्नलिखित प्रार्थना करता है

१ यह कि मुझ सायल ने माली इन्तव बहुत पराव होजाने के कारण इस अदालतमें दिवालिया करार

दिये जाये के लिये दरखास्त देरवकी है और वह दरखास्त तारीख सन् १९ ई० को अदालत द्वारा

लेयी गई थी उस दरखास्त के सुन जान के लिये तारीख सन् १९ ई० नियत हुई है ।

२. यह कि मुझ सायल की वत्त दरखास्त ल लिये जानेके बाद (नाम डिक्लीदार) ने मुझ सायलको हुजराय डिक्ली व० इजलासी अपनी सादा रूपयेकी डिक्ली गिरफ्तार कराया हे मैंने डिक्लीदार मजकूरका नाम अपनी दाखिलकी हुई कर्जेवादानकी फेहरिस्तमें इदखल दिया हे और इनमें उसका कर्ज भी सब दिखला दिया गया हे अब मैं उस इच्छाकी इच्छतमें गिरफ्तार हू ।

३ यह कि उक्त डिक्लीदारने मुझ सायल पर नाजायज दबाव डालने व बेजा फायदा उठानेकी गरज मुझ सायलको गिरफ्तार कराया हे जिसमें कि उसका क्त बमुकाबले और कर्जेवादानके वसूल हा सके । डिक्लीदार मजकूरकी मुझ सायलकी दरखास्त दिवालिय व माली हालत का पूरा इत्तम हे ।

४ यह कि अगर मैं सायल फौरन आजाद न कर दिया गया तो दरखास्त दिवालियकी पैरवी भली भांति न हो सकेगी और मुझ सायल का लड़ना भी वसूल न हो सकेगा (मुझ सायलने अपनी सब जायदाद अदालत द्वारा नियत किये हुए रिसविके सुपुर्दे कर दी है या सुपुर्दे करनेके लिय तैयार हे) सायल यह भी चाहता हे कि उसके सब कर्जेवादानकी हिसा रमदी उसकी जायदादसे मिल सके इसलिय सायल का गिरफ्तारीस मुक्त किया जाना आवश्यक हे ।

५ यह कि सायल अपनी दरखास्त दिवालियामें सब बातें दिखला चुका हे कि अनायासही उसकी माली हालत गड़बड़ हो गई हे व उस पर उसका कोई बस नहीं था ।

६ यह कि सायल अपने मुक्त किये जानेके लिये नियमानुसार अचित्त जमानत भी देनेके लिये तैयार हे वन कारणोंसे प्रार्थना हे कि अदालत सायलका गिरफ्तारी या जेलमें मुक्त किय जानेकी आज्ञा प्रदान करे या अन्य कोई अचित्त आज्ञा देनेकी कृपा करे । उसके लिये सायल बड़ा कृतज्ञ होगा ।

तारीख

सन १९ ई०

हस्ताक्षर

नोट:— आवश्यकतानुसार इत्फनामा भी इस दरखास्तकी तर्जमें लगा देना चाहिये —

(नमूने का फार्म) नं० ७

दफा ३१ के अनुसार प्रोटेक्शन आर्डर (Protection Order) की दरखास्त
दरखास्त हर्च दफा ३१ प्रान्तिक कानून दिवालिया सन १९२० ई०

अदालत साहब सिट्रिबट जज बहादुर

मुकदमा दिवालिया न०

सन १९ ई०

.....सायल

वत्त सायल निम्नलिखित प्रार्थना करता है

१. यह कि मुझ सायलने इस अदालतमें एक दरखास्त न० सन १९ ई० दिवालिया करार दिये जानेके लिये दी थी और अदालत आजने इस दरखास्तको सुनने व उस पर विचार करनेके बाद मुझ सायलको अपने हुजमसे तारीख सन १९ ई० को दिवालिया करार दे दिया है ।

२. यह कि मुझ सायलके एक कर्जेवादाने जिनका नाम दरखास्तके साथ दाखिलकी हुई फेहरिस्त कर्जेवादानमें दिखला दिया गया है मुझ सायलके खिलाफ अपने कर्जेके लिये अदालतसे

डिक्री न० सन् १९ ई० हासिल कर रक्खी है और अब वह उस डिक्रीकी इजरायमें मुझ सायलको गिरफ्तार कराना चाहता है जिसके लिये उसने उक्त अदालतमें दरखास्त दे रक्खी है जो कि अभी पर तजवीज है ।

३ यह कि मैं सायल अपनी मजदूगीकी वजहसे इस दिवालियेकी दशाको पहुंचा हूं और मुझ सायल ने अब तक कोई भी उतमानी अपने कर्जबादल का कर्जे नाने या किसीको बेना फायदा पहुंचानेके लिये नहीं की है । मुझ सायलने अपनी सब जायदाद भा बहुबल अदालत रिसीवरकी सुपुर्दगीमें दे दी है ।

४ यह कि ऊपर बतलाये हुए कारणसे मैं सायल किसी डिक्रीमें गिरफ्तार न किया जाना चाहिये और इसीलिये प्रार्थना करता हू कि दफा ३१ प्रांतिक कानून दिवालियाके अनुसार इस अदालतसे एक हुक्म इस प्रकार का दे दिया जावे कि मैं अपने किसी कर्जेकी डिक्रीमें गिरफ्तार न किया जाऊं या कोई अन्य शक्ति भाला दी जाये जिसमें कि मुझ सायलको बेना तरीकेसे परसान न किया जा सके भयवा कमसे कम ऊपर बतलाये हुए डिक्रीकी इन्ततमें गिरफ्तार किये जानेसे बचने का हुक्म दिया जावे ।

तारीख

सन् १९

ई०

हस्ताक्षर

नोट :—आवश्यकतानुसार समयाचित हकनामा भी ऐसी दरखास्तके साथ दाखिल करना चाहिये ।

(नमूने का फार्म) नं० =

ज़मानतनामा

अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर सि०.....

मुकद्दमा दिवालिया न०,

सन् १९

ई०

..... सायल

चूंकि उक्त मुकद्दमेमें अदालतने कर्जदार (नाम व पता) से जिनके विरुद्ध दिवालियेकी दरखास्त पर अदालत विचार कर रही है अन्तिम हुक्म होने तक उसकी हाजिराके बादल रुपयेकी जमानत तलबकी है इस लिये मैं अपनी इच्छासे उक्त कर्जदार के लिये जामिनदार होता हूं और इस बातके लिये जिम्मेदारी लेता हूं कि उक्त कर्जदार अदालतकी आज्ञानुसार जब अदालतमें आइगी उपस्थित होगा तथा अदालत जिन हुक्मोंको करनेके लिये उसे आज्ञा देगी इनको वह करेगा और यदि व हाजिर न होवे या हुक्मकी पाबन्दी अन्तिम हुक्म होने तक न करे तो मैं रुपयेके लिये स्वयं व अपने वारिसान व कायम मुकामानको जिम्मेदार करता हूं और अदालत मुझसे मेरे वारिसान या कायममुकामानसे रुपये तक जिस तरह पर चाहे धरूक कर सकती है ।

तारीख

सन् १९

ई०

हस्ताक्षर

गवाह (१).....

गवाह (२).....

(नमूने का फार्म) नं० ६

अजी मिनजानिब कर्जदार वास्तु दिखल जागे हर्जा हस्य दफा २६

दरख्वास्त हस्य दफा २६ प्रान्तिक कानून दिवालिया सन १९२० ई०

अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०

मुकद्दमा दिवालिया नं० सन् १९ ई०

. सायल

उक्त कर्जदार निम्नलिखित प्रार्थना करता है

१. यह कि (नाम व पता दरखास्त देने वाले कर्जदार का) ने एक दरखास्त खिलाफ मुझ कर्जदारके इस अदालतमें वापस दिवालिया करार दिये जानेके दो थी उसने उस दरखास्तमें अपनेको मुझ सायल का एक कर्जदार जगदिर किया था व बिलकुल गुलत बयानीके साथ दरखास्तको दिया था जो कि बर्दासक अदालत तारीख सन् १९ ई० को खारिज कर दी गई है।

२ यह कि दिवालियेकी उक्त दरखास्त बिलकुल कर्जे व मुझ सायलको परेशान करने व तौहीन करनेकी गुरजमे दी गई थी (या इस मशामे दी गई थी जिसमें मैं प्रान्तिक व्यवस्थापक सभाका मेम्बर बन सकूँ)

इस लिये सायलकी प्रार्थना है कि मुझ सायलको १०००) रुपया वास्तु इन्जो उक्त दरखास्त बुनिन्दा (कर्जदारके) से दिखया जावे क्योंकि बमकी वजहसे मुझ सायलको कित्ना खर्चा करना पडा है तथा स्वामी व निश्चानी बुकलान लडाना पडा है या अदालत जो हुकम मुतासिब समझे सादिर कर्माये सायल इसके लिये रक्षा कृतज्ञ होगा।

तारीख सन् १९ ई० हस्ताक्षर

इसके साथमें एक हलफनामा भी तस्वीक होकर दाखिल किया जायकता है।

(नमूने का फार्म) नं० १०

दरख्वास्त वास्ते गिरफ्तार किये जाने दिवालियाके दफा ३२.

दरख्वास्त हस्य दफा ३२ प्रान्तिक कानून दिवालिया सन १९२० ई०

अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०

मुकद्दमा दिवालिया नं० सन् १९ ई०

. सायल

. कर्जदारके (या रिसेविर)

उक्त कर्जदारके निम्न लिखित प्रार्थना करता है।

१. यह कि उक्त मुकद्दमेमें कर्जदार तारीख सन् १९ ई० को अदालत दिवालिया करार दे दिया गया है।

१ यह कि उक्त दिवालियाको इस अदालतने यह हुक्म दिया था कि यह अपनी दिवाबका कितानोंको दाखिल करे व अपनी सब मन्कूला (Moveable) जायदादको फहरिस्त तैयार करके उसको रिमीबर (या किसी व्यक्तिके सुपुर्द कर व ।

३ यह कि दिवालियाकी मन्कूला जायदाद अधिकतर ऐसी है जो बिना बसकी मददके बेचा नहीं जासकती है ।

४ यह कि दिवालिया इस अदालतकी अधिकार सीमासे बाहर इस मंजोसे यकायक भला गया है जिसमें कि उसको दिवाबकी कितानें न दाखिल करना पड़े या अदालतके हुक्मकी तामीर करनेसे बच जावे । इसके इस कामसे मुझ कर्जत्वाह तथा बाकी अन्य कर्तव्योंको नुकसान पहुँचिगा ।

इस लिये मुझ कर्जत्वाहकी मांगना है कि दिवालिया मजकूर बजरिये वाण्ट गिरफ्तार करा लिया जावे जिसमें वह इस अदालतके सामने पेश किया जायके या अदालत जो हुक्म मुजायिव समझे मादिर फर्माव ।

तारीखें सन् १९ ई०

हस्ताक्षर

नोट:—उक्त दरखास्त रिमीबर या कोई भी कर्जत्वाह दे सकना है उक्त दरखास्तके साथ इलफनामा दाखिल । जाना भी आवश्यक है ।

(नमूने का फार्म) नं ११

कर्जा साधित करनेकी दरफवास्त दफा ३३

अर्जी हस्त दफा ३३ कानून दिवालिया सन १९२० ई०

अदालत साहय डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०.....

मुकद्दमा दिवालिया नं० सन् १९ ई०

.....सायब

मैं बन्द कर्जत्वाह

मैं (नाम व पता कर्जत्वाह) बहलक धयान करता हूँ कि (नाम कर्जदार) ने

मुझसे तारीख सन १९ ई० को रुपया धर्तार कर्त लिया था वह रुपया अबतक अदा नहीं हुआ है हिमाज कर्जे का इस दरखास्त के साथ दाखिल की जाने वाली फहरिस्त में दिखलाया गया है यह कर्जे सब सच्चा है बार हममें से एक पैसा भी मुझे या मेरे किसी आदमी को अदा नहीं किया गया है और । इस कर्जे की कोई समानत ही की गई है ।

तारीख सन् १९ ई०

हस्ताक्षर

जिम अगई हलक की गई हो उसका नाम वतारीख और हलक देने वाले कमिश्नरके दस्तखत होना चाहिये ।

(नमूनेका फार्म) नं० १२

दिवालिया करार दिये जाने वाले हुकमजी मंसूखीके लिये दी जाने वाली
कर्जदारकी दरखास्त (दफा ३५)

दरखास्त हस्य दफा ३५ प्राणिक कानून दिवालिया सन १९२० ई०

बजदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर त्रि०

मुकद्दमा दिवालिया न० सन् १९ ई० सायल

उक्त सायल निम्नलिखित प्रार्थना करता है;—

१ यह कि मुझ मायकेके विरुद्ध वे जो कि अपनेको मुझ सायलका एक कर्तारवाह
बतलाता है इस अदालतमें एक दरखास्त दिवालिया करार देनेके लिये दी थी और उक्त दरखास्तके अनुसार
मैं तारीख सन् १९ ई० को दिवालिया करार दे दिया गया हूँ ।

२ यह कि उक्त कर्तारवाहने बिल्कुल गलत बयानीके साथ दरखास्त दी थी उसका कर्त मुझ सायल पर
५००) स कहीं कम है ।

३ यह कि उक्त कर्तारवाहने अपनी दरखास्तमें यह गलत बतलाया है कि मैंने अपना कारोबार बन्द कर
दिया है या उसके बन्द किये जानक बात कोई सूचना उसको दी है ।

४ यह कि मुझ सायलका कारोबार बाजार चल रहा है व मैं अपने सब कर्तों भली प्रकार चुका सकता हूँ ।

५ यह कि दिवालिया करार दिये जानेका हुकम होनेके पश्चात् सब कर्तारवाहानके कर्तों चुकाये जाचुके हैं ।

इस लिये मुझ मायलकी प्रार्थना है कि दिवालिया करार दिये जाने वाला हुकम जो खिलाफ मुझ सायलके हुआ है
मसूख किया जावे या अरखल जा हुकम मुनासिब समझे दे दवे । सायल इसके लिये बड़ा कृतज्ञ होगा ।

तारीख सन् १९ ई० दस्ताक्षर

नोट, —इस दरखास्तके साथ यदि धनासिब हो ता हुकमानामा भी दालित करना चाहिये । अधिकतर हुकमानमेंके
दालित किया जाता ही अ ठा है ।

(नमूनेका फार्म) नं० १३

दरखास्त कर्जखवाह बास्ते मंसूखी हुकम दिवालिया (दफा ३५)

अर्जा हस्य दफा ३५ प्राणिक कानून दिवालिया सन १९२० ई०

मिनजामिब कर्जखवाह

बजदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर त्रि०

मुकद्दमा दिवालिया न० सन् १९ ई० सायल

उक्त कर्जखवाह निम्नलिखित प्रार्थना करता है

१ यह कि उक्त दिवालियेने स्वयं एक दरखास्त इस अदालतमें देकर अपनेको दिवालिया करार दिला लिया है ।

२ यह कि उक्त दिवालिया अधिकतर मैं रहता है जो कि इस अदालतकी अधिकार सीमाके
बाहर स्थित है और इसी कारण इस अदालतका उन दिवालियेकी दरखास्त मुननेका अधिकार प्राप्त नहीं है ।

३ यह कि मुझ कर्जस्वदाह पर किसी नोटिसकी तामील नहीं हुई जिसके कारण मैं कर्जस्वदाह पैतौ मुकद्दमा नहीं कर सका और अधिकार सीमाका विरोध भी नहीं कर सका ।

४ यह कि उक्त दिवालियाने अपने कर्जोंकी तादाद ५००) से अधिककी दिखलाई है जो दरअसल उसने जो कर्जों दरअसलमें दिखलाये हैं अधिकतर कर्जों व गुमायशी हैं और यह असली कर्जस्वदाहानका कर्ज मारनेकी गरजसे दिखलाये गये हैं ।

५ यह कि उक्त दिवालियाकी माली हालत काफी अच्छी है और यह बआसानी अपने असली कर्जोंको चुका सकता है ।

६ यह कि उक्त कारणोंसे यह भली भांति प्रकट है कि दिवालियेने इसी दरअसल देकर और असलियतको छिपाते हुए अदालतसे बेजा तरीके पर यह हुकम ता० सन् १९ ई० को हासिल कर लिया था जो कि काबिल मसूदा है ।

इसलिये माथेतर है कि दिवालिया करार दिये जाने वाछा हुकम मसूदा किया जावे भयवा कोई अन्य मुनासिब हुकम दिया जावे जिसके किये में कर्जस्वदाह बड़ा क़तर होजागा ।

तारीख सन् १९ ई० हस्ताक्षर

नोटः—इस दाखलास्तेके साथ भी इसकी पुष्टिमें हलकनामा तर्दीकशुदा दाखिल किया जाना चाहिये ।

(नमूने का फार्म) नं० १४

तस्कीया या तय करनेकी स्कीमका प्रस्ताव पेश करनेकी दरअ्यास्त (दफा ३८)

अर्जी हर्ष अर्डर ३८ प्रान्तिक कानून दिवालिया सन् १९२० ई०

यमदालत सादम डिस्ट्रिक्ट जज बदायुन सि०

मुकद्दमा दिवालिया न० सन् १९ ई०

.....सायल

उक्त सायल भिन्नलिखित प्राथेना करता है

१. यह कि इस अदालतके हुकम द्वारा मैं सायल तारीख सन् १९ ई० को दिवालिया करार दे दिया गया हू ।

२. यह कि मुझ सायलको दिवालिया बननेकी नौबत इस कारण पहुंची कि बाजारकी हालत आम वौर पर गदबद है व मुझ सायलकी क्षाम तौरसे अपने व्यापारमें बुकसान उठाना पडा था । मुझ सायलकी ओपे कोई येउनमानी अमलमें नहीं लाई गई थी और न मुझ सायलने किसी या सब कर्जस्वदाहों का कर्ज मारनेकी की गरजसे कोई बेजा काम किया है कोई फिशूल खर्ची भी अलममें मुझ सायलकी ओरसे नहीं आई है ।

३. यह कि अब मुझ सायल का विचार है कि मैं सायल फिरसे अपने व्यापारको कर्ह और श्रम सायलको पूरी उम्मेद है कि वसमें जरूर फायदा होगा ।

४. यह कि इसी कारण मुझ सायलने यह तय किया है कि अपने सब कर्जल्वादानके कर्जे का समझौता करके कसोबाय अपना बद्सूर शुरू करके। कर्जल्वादानने भी कसरतरायसे मुझ सायलका प्रार्थनाको मजूर कर लिया है और बड़ लोग रुपयेमें सात भागे अपने पूर कर्जेकी अदायगीमें लेनेको तैय्यार हैं।

५. यह कि चूंकि मुझ सायलकी जायदाद व लहानसे इस समय रुपयेमें चार भागे भी बसूल होता नामुमकिन है और मुझ सायलके यकीन दिलावने कर्जल्वादानने तय शुदा सात भागे दो विरतोंमें जो छमाही २ में अदाके जावेगी लेना मजूर कर लिया है इसलिये समझौतेकी यह स्कीम अदालत द्वारा मंजूर किया जाना बहुत मुनासिब है।

इसलिये वक्त कारणोंसे प्रार्थना है कि अदालत उपर धतलाये हुए समझौतेके प्रस्तावको रूपया र्खाकाइ करे और दिवालिया करार बिये जाने वाले हुकमकी मसूख फर्मावे जिसके लिये सायल बचा कृतज्ञ होगा।

तारीख

सन् १९

ई०

हस्ताक्षर

(नमूनेका फार्म) नं० १५

दरख्वास्त घास्ते बहाल किये जाने (दफा ४१)

दरख्वास्त हस्त दफा ४१ प्रान्तिक कानून दिवालिया सन् १९२० ई०

बअदालत साहब बिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०

मुकदमा दिवालिया नं०

सन् १९

ई०

.....सायल

उक्त सायल निम्नलिखित प्रार्थना करता है

१. यह कि इस अदालतने मुझ सायलको तारीख सन् १९ ई० में दिवालिया करार दिया था व साथही साथ यह भी हुकम दिया था कि मैं सायल माइके अन्दर बहाल (Discharge) की दरख्वास्त दे दू।

२. यह कि मुझ सायलने अपनी सब जायदाद अदालत द्वारा नियुक्त किये हुए रिसेवरकी सुपुर्दगीमें देदी थी और रिसेवर मजकूरने मुझ सायलका सब लहना व जायदादसे बसूल करके डिबिडेन्ट (हिस्सा बरसी) कर्जल्वादानमें तर्कीम कर दिया है जिससे उनका कर्जे रुपयेमें नौ भागेके हिसाबसे चुका दिया गया है।

३. यह कि मुझ सायलने कोई जायदाद या कर्जे नहरें छियाया था और न मुझसायलकी ओरसे कोई ब सनमानो या हुकम बरुकी ही कभी दौरान मुकदमेमें की गई है।

४. यह कि ध्यापारम घाटा होनेके कारण मुझ सायलको नुकमान उठाना पड़ा था और उस वक्त कर्जे केनेके समय मुझ सायलकी उनकी अदायगीके लिये जराभी शक नहीं था व वह पूरी तौरसे चुकाये जा सकते थे। इस लिये मुझ सायलकी प्रार्थना है कि वह पूर्ण रूपसे बहाल किया जावे।

सारीख

सन् १९

ई०

हस्ताक्षर

रिसेवरकी रिपोर्टका पेश होना भी आवश्यक बात है कर्जल्वादान इस दरख्वास्तका विरोध भी कर सकते हैं।

नोटः - इस दरख्वास्तके होने जानेकी सूचना सब कर्जल्वादानको उसी तरीके पर दी जाना चाहिये जिस तरीके पर दरख्वास्त दिवालियाकी दी जाती है।

(नमूने का फार्म) नं० १६

दरखास्त वास्ते बहाल किये जानेके (दफा ४१)

दरखास्त हर्ष दफा ४१ प्रान्तिक कानून विद्यालिया सन् १९२० ई०

बहालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०.....

मुकदमा दिवालिया न० सन् १९ ई०

..... सायल

वक्त सायल निम्न लिखित प्रार्थना करता है

१. यह कि मैं सायल बहुकम अदालत तारोखे सन् १९ ई०को दिवालिया करार दिया गया था और अदालतने बहाल (Discharge) की दरखास्त देनेके लिये ६ माहकी मुदत दी थी।

२. यह कि मुझ सायलके पास कोई जायदाद नहीं थी और इसलिये किसी रिसेवरकी नियुक्ति भी नहीं की गई थी।

३. यह कि मुझ सायलकी रोजगारमें यकायक घाटा पड जाने या थवजह थोमारी एक साल तक अपने कामकी पूरी २ देख भाल न करनेकी वजहसे इस हालत पर पहुँचना पडा था।

४ यह कि मुझ सायलने जिस वक्त यह कर्ज लिये थे उस वक्त सब अदायगी का पूरा सुभीता मुझ सायलके पास था और कमी मुझ सायलकी नियत कमी किमी कर्जेके मारनेकी नहीं रही है।

५ यह कि मुझ सायलके पास बराबर बरपापदा हिस्साब किताब रहा है व मुझ सायलने किमी कर्जखाहको दूसरे कर्जखाहों पर तर्जिह नहीं दी है और न कोई बेहतमानी अमलमें कमी लाई गई है और न कोई जायदाद बाद दिवालय होने मुझ सायलके पास नहीं आई है।

६ यह कि ऊपर दिखलाई हुई बातोंसे भली भांति प्रकट है कि दिवालिया बननेके लिये मैं किसी प्रकार दीपी नहीं हू किन्तु अचानक व अभाग्यवश ही मुझ सायलको दिवालिया धनगा पडा था।

इसलिये प्रार्थना है कि मैं सायल पूर्ण रूपसे बहाल किया जाऊं जिसमें कि फिरसे अपना कारंवार शुरू कर सकूँ क्योंकि दिवालय होनेके बादमे बराबर तयाद हूँ।

तारीख सन् १९ ई० हस्ताक्षर

(नमूने का फार्म) नं० १७

बहालकी दरखास्तके विरोधमें दी जानी वाली दरखावात (दफा ४२)

अर्जी हर्ष दफा ४२ प्रान्तिक कानून विद्यालिया सन् १९२० ई०

बहालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०.....

मुकदमा दिवालिया न० सन् १९ ई०

..... सायल

मैं कर्जखाह निम्नलिखित प्रार्थना करता हूँ

१. यह कि सायलने जो इस अदालतसे तारीख सन् १९ ई० को दिवालिया करार दिया गया था बहाल होनेकी दरखास्त इस अदालत में दी है जिसकी सूचना मुझ कर्जखाहको मिली है।

२. यह कि उन सायलजी यह दरखास्त इन कारणोंसे हार्जिज काबिल मंजूरी नहीं है ।
- (ए) यह कि दिवालिये मजकूर का लहना उसके कर्जोंके रुपयेमें आठ आन चुकानेके लिये पर्याप्त नहीं है या उससे कर्जोंकी अदायगीमें सिर्फ रुपयेमें एक आना ही बसूल हो सकी है ।
- (बी) यह कि दिवालिया करार दिये जानेसे पहिले उसने अपनी बहुतसी ज़ायदारियोंको छिपा दिया था या अपने रिस्तेदारोंको बगैरहके पाम हटा दिया था ।
- (सी) यह कि उसने (दिवालियेने) मुझ सायलका कर्ज मारनेकी गरजसे बहुतसे कर्जोंके अपने रिस्तेदारों व दोस्तोंके दिव्दान दिये थे ।
- (डी) यह कि दिवालियेने अपने लहनेक बसूल किये जानेमें कोई मदद रिस्तेदारको नहीं दी जिससे कि उसका बहुत सा लहना बसूल होनेसे रह गया ।
- (ई) यह कि बाद दिवालिया करार दिये जानेके उसने बराबर छिपकर दूसरोंके नामसे कारोबार किया है जिसमें कपीर रकम पैदाकी है और वह उस रकमको छिपाये हुए है ।
- (एफ) यह कि उसने दिवालियेकी दरखास्त देनेसे पहिले अपनी गरमनकूला जायदाद के इकठ्ठे कर दी थी वह इस तौर पर अपने को बना तर्जिह दूसरे कर्जोंवालों पर दी थी (और यह कि वह इन्तकाल जायदाद फर्मा करार दिया जाकर रह किया जा चुका है)
- (जी) यह कि दिवालिया मजकूर बराबर हिम्माय किताब रक्वता या लेकिन अपने बगरन हत्तम करने रकम कर्जोंवादान अपनी हिसाबकी किताबोंको छिपा रक्वता है उनको पत्र नहीं किया है ।
- (एच) यह कि दिवालिया मजकूरने तमाम रुपया फिजल परभैम बर्गाद कर दिया है ।
- (आई) यह कि दिवालिया मजकूरने बहुतसे कर्जें यह जानते हुए लिये थे कि वह उनको अदा नहीं कर सकेगा ।
- (जे) यह कि दिवालिया मजकूर तरह २ थीं वेचनमानी शुरूसे अब तक अमलमें लाता रहा है जिनके कारण वह हार्जिज बहाल किये जान योग्य नहीं है ।

३. यह कि अगर दिवालिया बहाल कर दिया गया तो आयन्दा उससे किसी रकमके बसूल होने की इम्मेद नहीं रहेगी ।

४ यह कि रिस्तेदारकी रिपोर्टसे भी ऊपर बनलाई हुई बहुतसी बातें साफ तौर पर जादिर होंगी । इसलिये प्राथना है कि दिवालिया मजकूर हार्जिज बहाल न किया जावे (या वह ऐसी बातें साफ बहाल किया जावे जिसमें कि उसकी आयन्दा आमदनी या आने वाली जायदादसे कर्जोंवादानको कुछ रुपया आर बसूल हो सके)

तारीख सन् १९ ई० हरनाच्नर

नोटः— (१) एक उजदारीकी तार्हदमें यदि बचित हो तो हुक्मनामा भी दाखिल किया जाना चाहिये —

(२) दरखारतकी दफा २ में जो बर्जह्दात दिवालिये भये हैं उनमेंसे सब या धानी जो मुत्तागिब मादूम हो दिवालिये जाना चाहिये ।

(३) बहाल पूर्ण रूपसे रोका जा सकता है व जायदाद रोनि वाली आमदनी या आने वाली जायदादके सम्प में हुक्म देकर बहाल किया जा सकता है अथवा जिनो नियतगी हुई अनयिते बाद बहाल हुनेकी आशा दी जा सकती है ।

(नमूने का फार्म) नं० १८

दरखवास्त याचत मंखी इन्तकाल जायदाद् (दफा ५३ व ५४ ए)
दरखवास्त हस्व दफा ५३ व ५४ ए कानून दिवालिया सन् १९२० ई०

अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जन बहादुर जि०
मुकद्दमा दिवालिया नं० सन् १९ ई०

सायल

उक्त मामलेमें निम्नलिखित प्रार्थना है

१. यह कि दिवालिया स्वयं अपनी दरखवास्त पर इस अदालत द्वारा ता० सन् १९ ई० को दिवालिया करार दे दिया गया था ।

२. यह कि अदालतके हुकम द्वारा मैं उक्त दिवालियाको जायदादके लिये रिजिस्टर नियुक्त किया गया हूँ

३. यह कि दिवालिया मजकूने अपनी जायदाद् वजारिये इस्तावेज रजिस्ट्रीया मुबारिका

अपने एक रिस्तेदार मुसम्मि के नाम दरखवास्त दिवालिया देनेके बन्द नाह पहिले (अयात् अन्दर दो सालके) कर दी है और यह दरखावेज विलायदल व फर्जी थी व अपनी जायदादको बचाने व उसके अपने कर्जखवादाने बचानेकी गरजसे लिखा था जो क्वाबिल कायम रहनके नहीं हैं ।

४. यह कि मुझ रिसीवरने को जिनके हुकमें इस्तावेज मजकूर लिखी गई थी इस बातकी हज्जा दे दी थी कि यह जायदाद् का कब्जा मुझ रिसीवरको दे देवें लेकिन उन्होंने बसकी कोई मुनवाई नहीं की और न जायदाद् पर कब्जा ही दिया ।

५. यह कि उक्त कार्रवासे ऊपर बतलाया हुआ इन्तकाल जायदाद् बिलकुल फर्जी है व मुझ रिसीवरके बिहदर कोई असर नहीं रहता है और जायदाद् मजकूर का कब्जा मुझ रिसीवरको मिलना चाहिये जिसमें यह कर्जखवादानमें तकसीमकी जा सके ।

इस लिये प्रार्थना है कि उक्त इन्तकाल जायदाद् फर्जी व बिलबादल करार देकर मसूल फर्माया जावे व मुझ रिसीवरके खिलाफ बिलकुल बेअसर व शर दिया जावे या कोई अन्य मुनासिब हुकम दिया जावे ।

तारीख

सन् १९ ई०

हस्ताक्षर

नोटः—जायदादकी पूरी तकसील दी जाना चाहिये और यदि मुनासिब हो तो इसका देने वाले ब्यक्ति का इल्कनामा भी इस दरखवास्तके पुष्टिमें बाबत रिस्ता वगैराले लगा देना चाहियेः—

(नमूने का फार्म) नं० १९

धोखादेहीसे तर्जिह देने वाले इन्तकाल जायदादकी मंखीके लिये दी जाने वाली
दरखवास्त (दफा ५३ व ५४ ए)

दरखवास्त हस्व दफा ५३ व ५४ ए. प्रान्तिक कानून दिवालिया सन् १९२० ई०

अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जन बहादुर जि०
मुकद्दमा दिवालिया नं० सन् १९ ई०

सायल

रिसीवर

पिटैगनर बनाम कर्जखवाह

फरीकलानी

उक्त पिटैगनर (रिसीवर) की निम्नलिखित प्रार्थना है, —

१. यह कि सायल अपनी ही दरखवास्त पर इस अदालतके हुकम द्वारा तारीख सन् १९ ई० को दिवालिया करार दे दिया गया था व मैं पिटैगनर उसकी जायदादके लिये रिसीवर नियुक्त किया गया हूँ ।

२. यह कि उक्त दिवालियागने तारीख
हस्तकाल करके वसमेंसे मुबलिया २०००)
मुकामिल तर्जिह दकर द दिया है । जायदादके हस्तकालकी तकसिल इस दरखास्तके साथ दाखिलकी जाये वाली
फिहरिस्तमें दिखलाई गई है ।

को या उसके छगभग अपनी जायदादका
को जो उसका कर्जबवाह है अपने वीगर कजबवाहाके

३ यह कि उक्त हस्तकाल जायदाद व नीज अदायगी रूपया ऐस समयमें की गई थी जब कि
दिवालिया मजकूर अपन करोंको चुकानेमें अममर्थ था और यह काम दिवालियकी दरखास्त दिख जानसे तीन
साहके अन्दर किया गया है ।

४. यह कि ऐसी दशामें यह सौदा कानूनन नाजयज है और मुस रिसीवरके विरुद्ध काबिल कायम
रहनेके नहीं है और इनी कारण मसूल किया जाना चाहिये ।

५ यह कि मुस रिसीवरने फरीकामानी (कर्जेबवाह जिसके हकमें रूपया अदा हुआ था) को इसकी
पुचना देदी थी व इससे वस रूपयेको वापिस देने या सादाको मसूल करानेको कइया धारणतु उसने उसे नहीं माना ।
इसलिये प्राथना है कि उक्त सौदा नामायज करार दिया जाये या कोई अथ अथित हुकम दिया जाये ।

तारीख

सन् १९ ई०

हस्ताक्षर

नोटः—इस प्रियाशनके साथ जायदादकी तफसाल दाखिलकी जाना चाहिये व यदि आवश्यकता हो तो जानने वाले
प्रातिश हलफनामा वाक्यातकी पुष्टिमें लगाना चाहिये ।

(नमूने का फार्म) नं० २०

दरखास्त कर्जेबवाह धामने मसूखी इन्तकाल जायदाद (दफा ५४ ए)

वरखास्त हस्र दफा ५४ ए प्रान्तिक कानून दिवालिया सन् १९२० ई०

अदालत सादर डिस्ट्रिक्ट जन बहादुर जि०

मुकदमा दिवालिया न०

सन् १९ ई०

..... सायक

मिनतानिब

कनेबवाह

या कर्जेबवाह निम्नाम्नित मार्गना करता है:—

१. यह कि उक्त सायक स्वय अपनी दरखास्त पर इस अदालतके हुकम द्वारा तारीख
सन् १९ ई० को दिवालिया करार दिया गया था और इसकी जायदादके लिये
अदालत द्वारा रिसीवर नियुक्त किये गये हैं ।

२. यह कि दिवालिया मजकूर अपनी जायदादको बजरिये दस्तावेज फर्जी मुवरजा
अपने एक रिश्तेदारके हुकम बिला बदल लिख दिया है जिसे तखमीनत साहके (दो सालके अन्दरका समय
होना चाहिये) हुप है ।

३. यह कि इन्तकाल जायदाद दिवालिया मजकूरन अपनी जायदादको बचानेके लिये इस गरनसे किया है
कि जिसमें वह उसके कर्जेबवाहानको न मिल सके व जिस समय यह इन्तकाल किया गया था दिवालिया अपने स्वय
कर्मोंको चुकानेके लिये समयमें नहीं था व दस्तावेज बिला बदल व फर्जी तारसेकी गई थी जो हर हालतमें काबिल मसूखी है ।

४. यह कि मुस कर्जेबवाहने उसकी मसूखीके बाबत रिसीवर साहसे बाराहा कइया व इनको
सारीख सन् १९ ई० को नोटिस भी इसके बाबत दिया था लेकिन यह उसके
लिय तैयार नहीं हुए लिजाजा मजकूरन मुस कर्जेबवाहको उसकी मसूखीके लिये दारकरत देना पडी ।

५. यह कि चूंकि कानूनन मुक्त कर्जवाहक विला इजाजत अदा करत ऐसे इन्तकालके मसूख कराने एक नहीं है इस कारण उसकी इजाजतके लिये यह दरवास्त दी जाती है ।

इसलिये प्रार्थना है कि अदालत मुक्त कर्जवाहकी उक्त इन्तकाल जायदादकी मसूख करानेकी इजाजत दी जावे या अन्य-कोई उचित हुकम दिया जावे और साथ ही साथ प्रार्थना है कि उक्त इन्तकाल मसूख फर्माया जावे ।

तारीख

सन् १९ ई०

हरतान्तर

नोट: — दरखास्तकी पुष्टिके लिये हस्ताक्षर भी आवश्यक है ।

(नमूने का फार्म) नं० २१

दरखास्त बाबत तहकीकात जुर्म दिवालिया (दफा ७०)

दरखास्त हसब दफा ७० प्रान्तिक कानून दिवालिया सन् १९२० ई०

अदालत स हब डिस्ट्रिक्ट नज बहादुर ति०.....

मुकद्दमा दिवालिया न०

सन् १९ ई०

..... सायत

मिनजानिब

रिसीवर

उन रिसीवर निम्न लिखित प्रार्थना करता है —

१. यह कि सायल अदालतके हुकम द्वारा तारीख सन् १९ ई० को दिवालिया फरार दिया गया था और मैं उसकी जायदादके लिये रिसीवर नियुक्त किया गया हूँ ।

२. यह कि मुक्त रिसीवरने दिवालिया मजकूरसे वारदा अपनी सब हिसाबकी किताबों पेश करने व सूचीमें दिखलाई हुई जायदाद पर कब्जा देनको कडा मगर दिवालियेने उसकी कोई परनाह नहीं की । मुक्त रिसीवरने उसको जावतेसे इत्तला भी तारीख सन् १९ ई० को ददी है इस पर भी न तो दिवालिया खुद मरे पास आया है और न मरे कहनेकी इत्तला ही की है ।

३. यह कि दिवालिया मजकूर अपनी जायदादकी कर्जवाहानसे बचानेकी नीयतही से यह सब कार्रवाईया कर रहा ह । या

दिवालियाने अपनी हिसाबकी किताबोंको नष्ट कर दिया है या उसे अपनी हिसाबकी किताबोंमें गलत हुन्दराज वगैरा असली डालतकी छिपानेकी मशासे कर लिये हैं । या

अपनी हिसाबकी किताबोंको पेश नहीं कर रहा है । या

दिवालियेने सूचीमें दिखलाई हुई जायदादमें अपनी बहुतसी जायदाद नहीं दिखाई है या उनमेंसे कुछको बेहन घय भादिते अलहदा कर रखा है और यह सब कार्रवाई अपने कर्जवाहोंको नुकसान करने व ब्रेजा लाभ उठानेकी मशा ही से की है ।

इसलिये प्रार्थना है कि अदालत ऊपर दिखलाये हुए जुर्मकी नहकाकात करे और हसब दफा ७० प्रान्तिक कानून दिवालिया कार्रवाई अमफलमे लावे या कोई अन्य मुजानिब हुकम सादिर फर्मावे ।

तारीख

सन् १९ ई०

हस्ताक्षर

प्रेसीडेन्सी टाउन्स
कानून दिवालिया

एक्ट नं० ३ सन १९०९ ई०

Presidency Towns Insolvency Act, No. 3 of 1909.

यह कानून सिर्फ
कलकत्ता, बम्बई, मदरास, रंगून और कराची शहरोंमें लागू है

सर्वाङ्गपूर्ण व्याख्या और हाल तककी समग्र
नज़ीरों एवं उदाहरणों तथा अन्य
कानूनोंके पूरे हवालों सहित

लेखक :-

बाबू रूपकिशोर टाडन

एम० ए०; एलएल० बी०; एम० आर० ए० एम० पहवोकेट

प्रकाशक :-

पं० चन्द्रशेखर शुक्ल

मुद्रित :-

कानून प्रेस, कानपुर

Presidency Towns Insolvency Act.

Act No. III of 1909.

प्रेसीडेन्सी टाउन्स कानून दिवालिया

एक्ट नम्बर ३ सन १९०९ ई०

१२ मार्च सन १९०६ ई० को गवर्नर जनरल हिन्दकी स्वीकृति प्राप्त हुई,
यह एक्ट प्रेसीडेन्सी टाउन्स (Presidency Towns) व रंगूनके कानून दिवालियाको
संशोधन करनेके लिये बनाया गया है

प्रस्तावना (Preamble)

चूंकि यह आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रेसीडेन्सी टाउन्स तथा रंगूनके कानून दिवालिया
में संशोधन किया जावे अतः निम्नलिखित कानून बनाया जाता है:—

[यह एक्ट लिफ्ट कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, रंगून और कराची इन ५ शहरोंमेंही लागू होगा
इनके अतिरिक्त अन्य किसी स्थानमें यह एक्ट लागू नहीं होगा]

दफा १ नाम व प्रारम्भ .

(१) यह एक्ट प्रेसीडेन्सी टाउन्स कानून दिवालिया सन १९०६ ई० (The Presi-
dency Towns Insolvency Act 1909.) कह लायगा ।

(२) यह एक्ट पहिली जनवरी सन १९१० ई० से लागू होगा ।

व्याख्या—

भो कि इत एक्ट का नाम प्रेसीडेन्सी टाउन्स कानून दिवालिया है किन्तु प्रेसीडेन्सी टाउन्सके अतिरिक्त कुछ अन्य
स्थानोंमें भी इसके प्रयोग किये जाने की व्यवस्थाकी गई है अर्थात् प्रेसीडेन्सी टाउन्स के अतिरिक्त इसका प्रयोग रंगून शहर व
कराचीमें भी किया जाता है । एक्ट का उल्लेख तो इस एक्ट के प्रारम्भ भा में कर दिया गया है किन्तु कराची (Karachi)
के लिये इसका प्रयोग एक्ट ९ सन् १९२६ ई० के अनुसार किया जाना निश्चय हुआ है उतते पहिले कराचीमें प्रातिक
कानून दिवालिया लागू था परन्तु उस एक्टके नियमोंका प्रयोग कराची टाउन्सके लिये उपयुक्त नहीं समझा गया इस कारण
सिक्किम जमिनी कमीटी सिफारिस पर उस एक्ट का प्रयोग कराचाते उठा दिया गया आर उसके स्थान पर वहाके लिये इस
एक्ट अर्थात् प्रेसीडेन्सी टाउन्स कानून दिवालिया का प्रयोग किया जाना निश्चित किया गया । इस एक्ट (प्रेसीडेन्सी
टाउन्स इन्साल्वेन्सी एक्ट १९०९) के पास होनेके फलके प्रेसीडेन्सी टाउन्स (Presidency Towns) में इन्साल्वेन्सी
इन्साल्वेन्सी एक्ट १८४८ (11 & 12 Vict Ch 21) लागू था और दिवालियोंके अधिकारों का प्रयोग
प्रेसीडेन्सी टाउन्समें हीके लिये तथा रंगूनमें चौकरीके लिये किया करते थे ।

प्रांतिक कानून दिवालियासे भेद—प्रेसीडेंसी टाउन्स इन्सोल्वेंसी एक्ट तथा प्रांतिक कानून दिवालिया (Provincial Insolvency Act) एक दूसरेमें भिन्न हैं तथा उनके अनुसार दिवालियाके सम्बन्धमें जो अधिकार मिले गये हैं वह भी भिन्न हैं इस कारण यदि कोई दिवालियाके दरखास्त प्रेसीडेंसी टाउन्स कानून दिवालियाके अनुसार दाखिलमें कर रहा हो तो वह प्रांतिक कानून दिवालियाके अनुसार कार्य करने वाले अदालत जिला (District Court) में नहीं जाना सकता है। देखो—38 Mad 472; 53. Cal. 928.

इस एक्टका पिछले कार्यों पर प्रभाव—इस एक्ट का कोई प्रभाव पिछले किये हुए कार्यों पर नहीं पड़ेगा सिवाय उसके जिसका उल्लेख इस एक्टमें कर दिया गया हो। जो एक बनये जाते हैं उन सबका प्रयोग भविष्यमें होने वाले कार्योंके लिये होता है पिछले कार्योंके लिये नहीं। इस सम्बन्धमें यद्यपि दाखिलों तथा विधायनी बहुमत नीजरी हैं जिनमें यह साफ तौरसे तय किया गया है कि कानून पिछले कानूनोंके अनुसार किये हुए कार्योंका नहीं पड़ेगा किन्तु भविष्यमें किये जाने वाले कार्य उसके अनुसार किये जावेंगे। देखो—(1890) 15 A. C. 384, (1894) Q B 725 (737), 31 C. L. J. 463.

दफा २ परिभाषायें

यदि कोई बात विषय व महाबरेके विरुद्ध न पड़ती हो तो इस एक्टमें दिये हुए नीचेके शब्दोंका अर्थ इस प्रकार समझना चाहिये:—

- (ए) कर्जद्वारा (Creditor) से अभिप्राय डिक्रीदार (Decreeholder) का भी है।
- (बी) कर्जा (Debt) से अभिप्राय डिक्री के कर्जेसे भी है और कर्जदार (Debtor) से अभिप्राय मद्यून (Judgement debt) का भी है।
- (सी) आफिशल एसायनी (Official Assysnee) से अभिप्राय कायम मुकाम आफिशल एसायनी (Acting Official Assysnee) से भी है।
- (डी) निर्धारित किये हुए (Prescribed) अभिप्राय उन बातों का है जो नियमों द्वारा निर्धारित की गई हों।
- (ई) जायदाद (Property) से अभिप्राय उस जायदाद का भी है जिस पर या जिससे होने वाले लाभ पर किसी व्यक्तिको व्यय करनेका अधिकार होवे और जिसे वह अपने लाभके लिये प्रयोग कर सके।
- (एफ) नियमों (Rules) से अभिप्राय उन नियमों का है जो इस एक्टके अनुसार बनाये गये हों।
- (जी) महाकृत कर्जद्वारा (Secured Creditor) से अभिप्राय उस ज़मींदार (Land Lord) का भी है जिसका किसी प्रचलित कानूनके आधार पर ज़मीनके लगानके लिये किसी ज़मीन पर धार होवे।
- (एच) अदालत (The Court) से अभिप्राय उस अदालत का है जो इस एक्टके अनुसार अपने अधिकार का प्रयोग करनी हो।

(आर्डे) इन्तकाल जायदाद (Transfer of Property) से अभिप्राय उस इत्याकाफ
 - से भी है जो उस जायदादके किसी हक या उस पर पैदा हुए किसी प्रकारके
 सम्बंधमें किया गया हो ।

व्याख्या—

अधिकतर ऊपर दी हुई परिभाषामें पूर्ण परिभाषायें नई हैं क्योंकि जन्में केवल यह बतला दिया गया है कि किसी
 शब्द विवेक का प्रयोग किसी खास अर्थमें समझना चाहिये जैसा कि कर्जदार (ए) में कर्जोल्हाह (Creditor) शब्दकी
 परिभाषा नहीं दी हुई है किन्तु केवल यही बतलाया गया है कि डिक्लारा (Decree holder) को भी कर्जोल्हाह
 (Creditor) समझना चाहिये ।

दफाज (ए) में केवल यह बतलाया गया है कि डिक्लारा (Decree holder) को कर्जोल्हाह समझना चाहिये
 इतलिय इस हक तबे यह बात प्रकट नहीं होती है कि कर्जोल्हाह किसे किसे समझना चाहिये । इस बातको
 समझनेमें दफा ४६ तथा उसका व्याख्यास सहायता प्राप्त हो सकती है क्योंकि उस दफामें कर्जा स्तवित किये
 जानका उल्लेख किया गया है । किन्तु कर्जोल्हाहके बेनामीदारका कर्जोल्हाह नहीं समझना चाहिये, दत्तो—पन्नी
 बनाम सूत 20 C W N 995

दफाज (बी) में भी दफाज (ए) के भावित न ता कर्जोल्हाह आर न कर्जोल्हाहकी परिभाषा दी गई है किन्तु इतना बतला
 दिया गया है कि दफाज (बी) की (Judgement Debt) को कर्जो (Debt) व मदीयुत (In-
 dement debtor) का कर्जोल्हाह (Debtor) समझना चाहिये । इस कारण इन दो अर्थोंके मध्य या
 कर्जोल्हाह परिभाषा भा इस प्रकारकी जो दफाओंका पढ़ने तथा हाईकोर्ट द्वारा दी हुई दफाओंका देखनेमें
 समझा जा सकता है । इन दफाओंके लिये विश्व परिभाषा नहीं नहीं दी गई है किन्तु समय समय पर यह
 शब्दोंका प्रयोग जिन बातोंके लिये किया गया है या हाईकोर्टके फैसलोंमें इन शब्दोंका प्रयोग जिन बातोंके
 लिये होना, बतलाया गया है उन्हीं बातों का तात्पर्य इन शब्दोंसे समझना चाहिये । यदि कोई कसूर्य दूरस्थल व
 हर हालतमें अदा किये जानेका है चाहे उसकी अदानीता समयाक ज नका हावे अथवा भविष्यमें किसी
 समय उसकी अदायगी हान वाला हावे तो उस कसूर्यको कर्जो समझना चाहिये दत्तो—36 Cal 94
 उधार देने वाल व उधार लेने वालका सम्बन्ध आपसमें कर्जोल्हाह व कर्जोल्हाहका होता है और जब तक
 इनके विरुद्ध कोई बात घुवादिदेमें न होवे, कर्जोल्हाहको दूसरी नहीं समझना चाहिये आफिशल एसायना बनाम
 स्विम 32 Mad 108 यदि कोई व्यक्ति अपना कसूर्य किसी दूसरे व्यक्तिको इस बातके लिये देना कि वह
 कसूर्य किसी तीसरे व्यक्तिको दे दिया जाव तो पहिले व्यक्तिको सम्बन्ध दूसरे व्यक्तिमें कर्जोल्हाह व कर्जोल्हाह
 नहीं हागा क्योंकि इस दफामें वह दूसरा व्यक्ति एक प्रकारमें एजेन्टा का काम करता है दत्तो—30 Mac. 499

दफाज (सी) में यह बतलाया गया है कि आफिशल एसायनी (Official Assysnee) से तात्पर्य उस व्यक्ति का भी
 समझना चाहिये जो उसकी जगह पर काम करनेके लिये नियुक्त किया जावे अपना जो कामना एवम् प
 काम करता हो । आफिशल एसायनीकी नियुक्ति सम्बन्ध आग चल कर बतलाना दिशा हुआ है ।

दफाज (डी) में कर्जोल्हाह एवम् प्रयोग किये हुए (Prescribed) शब्दके बारेमें दिया हुआ बतलाना उल्लेख अनुसार
 (Prescribed) का दफा तथा उन बातोंका समझना चाहिये जो नियमांक अनुसार निर्धारित का काम है ।

दफाज (ई) में जायदाद (Property) शब्द शोमें लिखा हुआ है, परन्तु इस शब्दके इस अर्थमें, पूर्ण परिभाषा
 नहीं दी हुई है एवम् दूसरी दफाओंमें जहां जहां पर बतलाया गया है कि दिवालयिकी सैनता ज ददाद

उसके कर्तव्योंमें प्राची जानकती है या जौनसी आपदाद पर अकिशल एसायना क्रमा ले सकता है इत्यादि । इसका विवरण उन्हीं दफाओंमें मिलेगा जैसे कि दफा ५२ तथा दफा १७ आदि ।

फलाज (एफ) में यह बतलाया गया है कि जहा पर नियमों (Rules) का उल्लेख मिले वहा उनसे तात्पर्य वन नियमोंका समझना चाहिये जो इस एक्टके अनुसार बनाये गये हों ।

फलाज (जी) में महफूज कर्तव्योंका उल्लेख है परन्तु इस क्लानून में इस शब्दकी पूर्ण परिभाषा नहीं दी हुई है । बार्बर्ट हार्बोर्टने भी A. I. R. 1929 Bom. 107. में भी यही मत प्रकट किया है उसमें यह तय हुआ था कि महफूज कर्तव्यवाह (Secured Creditor) की परिभाषा पूर्ण परिभाषा नहीं है और चूंकि इंग्लिश बैंकसी एक्ट (English Bankruptcy Act) के शब्दोंका अधिकतर प्रयोग इस एक्टमें किया गया है इस कारण उन एक्टों (Acts) में जो परिभाषा दी गई हो वह माननीय समझना चाहिये अर्थात् उन परिभाषाओंको इस एक्टके लिये लागू समझना चाहिये ।

फलाज (एच) में अदालत शब्दका विवरण है और यह बतलाया गया है कि इस एक्टमें जहा कहीं अदालत (The Court) शब्दका प्रयोग पाया जाये वहा इस शब्दका तात्पर्य उस अदालतसे समझना चाहिये जो इस एक्टके अनुसार अपने अधिसूचना प्रयोग कर रही हो । इस प्रकार अदालत शब्द उस अदालतके लिये भी प्रयोग किया जाना समझना चाहिये जिसे दफा ६ के अनुसार एक्टकी दुरुस्वास्तोंको सुनने या बयान लेने आदिके अधिकार प्रदान कर दिये गये हों ।

फलाज (आर्) में इतकाल जायदादका अिक्र है परन्तु इस शब्दकी पूर्ण परिभाषा इस क्लानूनमें नहीं दी हुई है केवल इतना बतला दिया गया है कि उससे तात्पर्य उस इतकाल (Transfer) से भी है जो उमणायदादके किसी एक क पक्ष पर पैदा हुए किसी बातके सम्बन्धमें किया गया हो । हार्बोर्टने इस बातको तय कर दिया है कि क्लानून दिवालियाके सम्बन्धमें अंग्रेजी फैसले (English Decisions) की माननीय है क्योंकि यह क्लानून इंग्लिश बैंकसी एक्ट (The English Bankruptcy Act) से बहुत कुछ मिलता जुलता हुआ है, देखो—40 Mad. 810. इसी प्रकार परिभाषाओंके लिये भी वह एक्ट लागू है अर्थात् माननीय है । देखो—A. I. R. 1929 Bom. 107.

नोट ८—इस बातको ध्यानमें रखना चाहिये कि जिस शब्दकी परिभाषा इस एक्टमें न मिले इसके लिये जगतल ज्ञानके एक्टमें दी हुई परिभाषा लागू होगी ।

पहिला प्रकरण

अदालतोंकी व्यवस्था व उनके अधिकार

अधिकार सीमा

दफा ३ वह अदालतें जिनको दिवालियाके अधिकार प्राप्त हैं

निम्न लिखित अदालतोंको इस एक्टके अनुसार दिवालियाके सम्बन्धमें अधिकार प्राप्त हैं ।

(ए) कलकत्ता हार्बोर्ट, मद्रास हार्बोर्ट तथा बम्बई हार्बोर्ट ।

(बी) लोअर बर्माका चीफकोर्ट ।

ध्यातव्य—

इस एक्टके बननेके पश्चात् नहुतसे परिवर्तन तथा संशोधन हुए हैं । इस कारण इस दफाको भी उन्हीं संशोधनोंका ध्यान रखते हुए पठना चाहिये । जोअर बर्माके चीफकोर्टसे तात्पर्य रखन हार्बोर्टका समझना चाहिये और इस दफामें बतलाई हुई

अदालतोंके अतिरिक्त सिन्धके इलाहाबाद कमिश्नरको भी दिवालियेके अधिकारोंका प्रयोग करने वाली अदालत मानता चाहिये चूँकि एक्ट ९ सन् १९२४ ई० के अनुसार कराची (-Karachi) टाउन (Town) में भी इस एक्ट अर्थात् प्रेसीडेन्सी टाउन्स इन्साल्डेन्सी एक्टका प्रयोग प्रारम्भ हो गया है इस कारण सिन्धकी अदालत आला (Highest Tribunal) को भी वही अधिकार प्राप्त हो गये हैं जो पेंटर निर्दिष्ट इस दफाके बतलाई हुई अदालतोंको प्राप्त थे ।

दफा ४ अकेला एकहाँ जज इस एक्टके अधिकारोंको बरत सकता है

इस एक्टके अनुसार मामलोंको सुनने या तय करनेका जो अधिकार दिया गया है उसका प्रयोग ऊपर बतलाई हुई अदालतोंका कोई एक जज कर सकता है और चीफ जस्टिस या चीफ जज समय समय पर किसी एक जजको इस एक्टके अनुसार कार्य करनेके लिये नियुक्त करेगा ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार दिवालिये का अधिकार रखने वाले हाईकोर्ट या चीफ गेटेंके चीफ जस्टिस या चाफ जज का यह कर्तव्य होगा कि वह अपनी अदालतके सिमी एक्ट जजको दिवालिया सम्बन्धी मामलोंको सुननेके लिये नियत कर देवे और ऐसे नियत किये हुए जजको अरेले ही दिवालिया सम्बन्धी मामलोंको सुनने तथा उनको तय करने का अधिकार प्राप्त होगा ।

दफा ५ कमरोंमें जजोंका काम करना

इस एक्टकी बातों तथा उसके लिये बनाये हुए नियमोंका ध्यान रखते हुए अदालतके जजको अधिकार है कि वह दिवाल्य सम्बन्धी मामलोंकी सब बातें या उनमेंसे कुछको कमरोंमें सुन सकता है अर्थात् वह अपने दिवालिया सम्बन्धी अधिकारोंका प्रयोग कमरोंमें बैठे हुए कर सकता है ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार दिवालिया सम्बन्धी अधिकारोंको प्रयोग करने वाला जज उन अधिकारोंको अपने कमरोंमें बैठे हुए भी प्रयोग कर सकता है अर्थात् उन्हे लिये वह सुली अदालतमें सुननेके लिये बाध्य नहीं है पर तु इमका तात्पर्य यह न समझना चाहिये कि वह दिवालिया सम्बन्धी सब कामका कमरोंके अन्दर ही करेगा । आवश्यकतातुम्हार वह दिवालिया सम्बन्धी सब बातोंको या उनमेंसे कुछको कमरोंमें बैठे हुए भी सुन सकता है कि तु साथ ही साथ उसका इस एक्टकी बातों व इस एक्टके सम्बन्ध बनाने हुए नियमोंकी भी अवहेलना न करना चाहिये अर्थात् यदि किसी बातको सुली अदालतमें सुनना या तय करनेके लिये एक्ट या नियममें बतलाया गया हो तो उसे खुला अदालतमें ही सुनना चाहिये इसी प्रकार यदि कोई और बात कमरोंमें किसी मामलेके सुने जानेके विरुद्ध पड़ती हो तो उसका ध्यान रखना चाहिये ।

दफा ६ अदालतके अपसरोंको अधिकार प्रदान करना

(१) चीफ जस्टिस या चीफ जजको अधिकार है कि वह समय समय पर अदालतके किसी अपसरको जितने उसमें स्वयं इसीलिये नियत किया हो, इस दफामें बतलाये हुए सय या उनमेंसे कुछ अधिकारोंके प्रयोग करनेका अधिकार दे देवे और यह अधिकार उन्हीं बातोंके सम्बन्धमें दिये जावेंगे जिनके लिये इस एक्टके अनुसार अदालतको अधिकार प्राप्त हैं । इस प्रकार नियत किया हुआ अपसर ऊपर बतलाये हुए अधिकारोंका प्रयोग करते हुए जो हुकम देगा या काम करेगा वह हुकम या काम अदालत ही का हुकम या काम समझा जायेगा ।

(२) उपदफा (१) में जिन अधिकारोंका उल्लेख किया गया है वह अधिकार निम्न लिखित हैं—

- (ए) कर्जदारों द्वारा दिये जाने वाली दिवालियेकी दरद्वारतोंका सुनना तथा उन पर दिवालिया क्रार दिये जानेका हुकम देना
 (बी) दिवालियेका सेरेमाममें घयल लेना (To hold public examination)
 (सी) जिन अधिकारोंका प्रयोग किया जाना कमरमें बैठे हुए उचित निर्धारित किया गया है उनका प्रयोग करते हुए किसी हुकमका देना या उनका प्रयोग करना
 (डी) किसी ऐसी दरद्वारत, ज़िस्तका विरोध न किया जा रहा हो या जो एकतरफां (Ex parte) होये उसका सुनना तथा उसका निदिश्चत करना
 (ई) अदालत द्वारा दफा २६ के अनुसार तलब किये हुए व्यक्तिका चयान लेना
 (३) इस दफाके अनुसार नियुक्त किये हुए अफसरको अदालतकी तौहीनी (Contempt of Court) के लिये मामला चालू करनेका अधिकार नहीं होगा

व्याख्या—

कार्यका सुननाके लिये उस दरद्वारो उपदफा (१) के अन्तर्गत चीफ़ जस्टिस या चीफ़ जजमें यह अधिकार दिया गया है कि वह अदालतके किसी अफसरको कुछ मामलोंके सुनने या तय करनेका अधिकार दे सके जिन मामलोंके सुनने या तय करनेका अधिकार इस दरद्वारके अलगमें नियुक्त किये हुए उपदफा (१) द्वारा प्राप्त होता है उनका उल्लेख उपदफा (२) में किया गया है। इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि चीफ़ जस्टिस या चीफ़ जज उन्हीं मामलोंके सम्बन्धमें इस अधिकार दे सकते हैं जो उनका अदालतका उस प्रकारके उन्मात्र प्राप्त हों उन अधिकारोंके अतिरिक्त वह अन्य किसी अधिकारका नहीं दे सकते हैं।

उपदफा (२) में जिन अधिकारोंका उल्लेख है वह सबके सब एक साथ ही दिये जानेका आवश्यकता नहीं है चाफ़नज या चाफ़नजतस आवश्यकतादुस्तर समय समय पर उनमेंसे कुछ अधिकारोंको ही उचित प्रमाण होने पर सभी अधिकारोंके दे सकते हैं। चाफ़नजतस या चीफ़नज स्वयं ही इस कामके लिये बिना अफसरको नियुक्त करना और ऐसे नियुक्त किये हुए अफसरको जा आधार प्रदान करने के लिये उनके प्रमाण वरन्धक लिये वह अफसर पूरा रूपसे अधिकारी होगा। उन अधिकारोंका प्रयोग करते हुए वह अफसर जा हुकम देगा या जा कार्य करेगा वह अदालतकी वाकाम या हुकम समझा जावेगा।

उपदफा (३) के अनुसार इस दरद्वारो नियुक्त किये हुए अफसरको तौहीनी अदालतका मामला चाफ़ न करनेका अधिकार प्राप्त नहीं होगा। याद दफा (६) के अन्तर्गत रजिस्ट्रारको अधिकार दे दिये जाते हैं दफा ३६ के अन्तर्गत उस अदालतके समझना चाहिये अर्थात् राजस्तरको इस दफाके अनुसार अधिकार दिये जासकते हैं। A. I. R. 1928 Cal 786

दफा ७ दिवालियेके सम्बन्धमें पैदा हुए सब प्रश्नोंको तय करनेके अधिकार

इस परन्तमें ही हुई बातोंका ध्यान रखते हुए अदालतको पूर्ण अधिकार है कि वह उन सब प्रश्नोंको तय करे जो कर्जोंकी पेश्तर अदायगीके सम्बन्धमें पैदा हों और भी हर प्रकारके प्रश्नोंको तय करे चाहे वह कानूनी होंवे या वाकयाती होंवे जो कि अदालतके सामने उपस्थित किसी दिवालियेके मुकद्दममें पैदा होंवे या जिनको अदालत पूर्ण न्याय करनेके लिये उचित या आवश्यक समझे अथवा जिनको वह किसी मामलेमें जायदादको पूर्ण रूपसे वांटनेके लिये उचित या आवश्यक समझे।

व्याख्या—

इस दफ्तमें अदालतके अधिकारोंका वर्णन है उसके अधिकार सीमा का वर्णन नहीं है। अदालत दिवाखियाकी उन प्रश्नोंके तय करने का अधिकार है जो आफसल एसायनी व गर शर्मों (Strangers) के बीचमें पड़ा हों वस्तु—20 Mad. L T 311 अदालत दिवाखियाके लिये हुए हुक्मको रद्द किये जानेके लिये कोई मुकद्दमा दागर नहीं किया जा सकता है, देखो—40 Mad. 1178 उक्त मुकद्दममें आफसल एसायनीके अपीलान्तके कन्वेंसे कुछ जायदादको यह कह कर ले लिया था कि वह जायदाद दरगाल दिवाखियाकी जायदाद है क्योंकि उसके सम्बन्धमें जा बेनामा किया गया था वह दिखल कर्तों व गुमायशी था और मित्र कर लिया गया था। अपीलान्तमें पहिले अदालत दिवाखियामें इस बातकी दरख्वास्त दी कि वह माल उक्तका फार दिया जाके अदालतमें इस मामलेकी अस्तित्वको चुन कर अपीलान्तकी बना दरख्वास्तको पारिजा कर दिया अपीलान्तमें अदालत दिवाखियाके इस फैसलेकी कोई अपील नहीं की किन्तु उसकी मसूखीके लिये अदालत दीवानीमें गारिजा दाखर कर दी थी उस पर यह तय किया गया था कि अदालत दिवाखियाके लिये हुए हुक्मको रद्द करानेके लिये कोई दीवानीमा मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता है यदि कोई हरू सम्बन्धी कन्वेंशनमें प्रश्न उपस्थित होवें तो अदालत दिवाखियाको चाहिये कि वह आफसल एसायनीकी ऐसी प्रश्न दीवानीकी अदालतों द्वारा तय करने का आदेश कर दे। देखो—20 Mad L, T. 311.

इसी फैसलेमें यह भी तय हुआ था कि अदालत दिवाखिया अपने अधिकार सीमासे बाहर स्थित जायदादके सम्बन्धमें भी फसला दे सकती है इस दफ्तमें एक प्रकारकी सखूलियतके लिये अदालत दिवाखियाको अधिकार दे दिये गये हैं। इससे यह न समझ लेना चाहिये कि इसके कारण अदालत दीवानीके उस मूल अधिकार का अपहरण होना है जो उसे उन प्रश्नोंके सम्बन्धमें प्राप्त है जो कि आफसल एसायनी व गैर लैंगोंके दागमान पेटा होवें देखो—35 Bom 473.

यदि इस एक्टमें किसी प्रश्नको तय करनेके लिये कोई नियम दिया हुआ हो तो उसको मानने तथा उमके अनुसार कार्य करनेके लिये अदालत दिवाखिया बाध्य है। इस दफ्तके अनुसार आय सब प्रश्नोंके तय करनेके लिये अदालत दिवाखियाको अधिकार प्राप्त है चाहे वह कानूनी हानि या बाधपाती। कजोंकी पेशर आशयगीके सब वमें जितने प्रश्न उपस्थित होवें वह सब बिना किसी बाधाके अदालत दिवाखिया द्वारा तय किये जा सकते हैं। इसी प्रकार दिवाखियाके मुकद्दमोंके सम्बन्धमें यदि और कोई प्रश्न उपस्थित होवे अथवा अदालत इन्साफके लिये किसी प्रश्न का तय करना उचित व आवश्यक समझे तो वह ऐसे भी सब प्रश्नोंको तय कर सकती है और अदालत दिवाखिया द्वारा किये हुए फैसलोंको दीवानीके मुकद्दमों द्वारा रद्द नहीं करया जासकता है। जहाँ एक प्रकारसे उनको अन्न तजवान खुदा समझना चाहिये अदालत दिवाखियाको इस दफ्तके अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि यदि कोई जखिल प्रश्न हकके सम्बन्धमें उपस्थित हो जाय तो उस मामलेको बनाय खुद तय करनेके अदालत दीवानी द्वारा तय किये जानना आदेश कर देना चाहिये जिसमें पूर्ण रूपसे इन्साफ हा सके व किसी फर्जिको शिनायत वा अवसर प्राप्त न होवे।

अदालत दिवाखियाको अधिकार है कि वह किसी ऐसे व्यक्तिके लिये जो दिवाखियाकी जायदाद का कर्जदार समझा जाता हो और जो २०० मीलसे अधिक दूरी पर रहता हो उसके विरुद्ध उसकी हाजिरी तथा बयानके लिये सम्मन जारी कर सके देखो—A. I. R. 1928 Mad. 806 दफा ७ के अनुसार हाईकोर्टके गारिजा मामलोंके सम्बन्धमें भी अधिकार प्राप्त है यदि गारिजा उसकी अधिकार सीमासे बाहर भी रहता हो देखो—51 Mad. 540, A. I. R. 1928 Mad. 752 ('गारिजा' यह शब्द मदगस प्रायसा है)।

यदि दफा ७ के अनुसार बिना गवाहके बयान लिये जावें तो उसको वह सब सुविधायें प्राप्त होंगी जो कानून शहादत (Law of Evidence) के अनुसार गवाहोंके प्राप्त होनी चाहिये और वह उन प्रश्नों का उत्तर देनेके लिये बाध्य नहीं

निया जा सकता है जिनका उत्तर वह कानून शब्दादिके अनुसार देनेसे इनकार कर सकता है। अदालत इस दफ्तेके अनुयायि दिवालियेकी भाषणादिके सम्बन्धमें किसी भी व्यक्ति का बयान ले सकती है और कोई गवाह इस कारण कि उसका माधिकान वक्तुः उस भाषणादिके गवाही देनेसे इनकार नहीं कर सकता है देतो—A. I. R. 1920 Mad. 183.

अपील

दफा ८ दिवालियेके मामलोंकी अपील

(१) अदालत अपने दिवालिया सम्बन्धी अधिकारोंको प्रयोग करते हुए जिन हुकमोंको दे चुकी हो उन हुकमोंकी वह नजरसानी कर सकती है उनको पलट सकती है अथवा उनमें रद्दोपदल कर सकती है।

(२) कोई भी व्यक्ति जिस हानि पहुँचती हो दिवालिया सम्बन्धी मामलोंमें दिये हुए हुकमोंकी अपील निम्न प्रकारसे कर सकेगा:—

(ए) दफा ६ के अनुसार अधिकार प्राप्त किये हुए अदालतके अफसर द्वारा दिये हुए हुकमकी अपील उस जजके यहाँ की जावेगी जो दफा ४ के अनुसार दिवालियेके मामले सुनने या तय करनेके लिये नियुक्त किया गया हो। इसके अतिरिक्त कोई आप्यदा अपील विला उस जजकी अज्ञा लिये हुए, नहीं की जावेगी।

(वी) कलाज (ए) में बतलाई हुई धारोंका ध्यान भवते हुए इस एकदके अनुसार दिये हुए दिवालियेके अधिकारोंका प्रयोग करते हुए किसी जज द्वारा जो हुकम दिये जाते उनकी अपील उसी प्रकारकी जावेगी जिस प्रकार उन हुकमोंकी अपील की जाती है जो दीवानीक मूल अधिकारोंका प्रयोग करने हुए किसी एक जज द्वारा दिये गए हों।


व्याख्या—

उपदफा (१) में यह बतलाया गया है कि अदालत दिवालिया अपने हुकमों पर दुनारा और कर सकती है तथा इनके पलटने व बदलेकर अधिकार भी अपने पास है। इन अधिकारोंको ठीक उसी प्रकार सम्पूर्ण न्यायिक विभागके अधिकार जावना दीवानीके अनुसार अदालत दीवानी द्वारा प्रयोग किये जाना बतलाया गया है। अदालत अपने हुकमोंकी नजरसानी (Review) कर सकती है तथा वह अपने मूल अधिकारोंका प्रयोग करते हुए उन हुकमोंको रद्द कर सकता है अथवा आवश्यकतासुमार उनमें रद्दोपदल कर सकती है किमी हुकमकी नजरसानी (Review) उसी हाकिम द्वाराकी जाती है जिसने उस हुकमको दिया हो पण्डु यदि वह हाकिम बदल गया हो या किसी वजहसे उस जगह पर काम न करता हो और उसकी जगह पर कोई दूसरा हाकिम काम करता हो तो ऐसा हाकिम भी पहिले हाकिम द्वारा दिये हुए हुकमोंकी नजरसानी सुन सकता है। जमे कि यदि किमी रिजिस्ट्रारने कोई हुकम दिया हो तो उसकी जगह पर आने वाला व्यक्ति उस हुकमकी नजरसानी सुन सकता है। यदि हुकम किसी एक जज द्वारा दिया गया हो तो दूसरा जज जो दिवालियेके अधिकारोंका प्रयोग करता हो पहिले जज द्वारा दिये हुए हुकमकी नजरसानी (Review) सुन सकता है, देखा—A. I. R. 1925 Cal 786 (F. B.) यदि रिजिस्ट्रारने दफा ३६ के अनुसार किसी गवाहकी तलबका हुकम दिया हो और वह हुकमके विरुद्ध कोई दरखास्त दिवालियेका काम करने वाले जजके सामने दी जावे तो दरखास्तकी उपरदफा (२) के क्लॉज (ए) के अनुसारकी हुई अपील समझना चाहिये, देतो—A. I. R 1928 Cal 786 इसी मामलेमें यह भी तय किया गया था कि यदि किसी जजने उसी दरखास्तकी नजरसानी (Review) समझ कर सुना हो और सुन कर अधिकार

कर दिया हो तो जन महोदयके हुक्मसे उपदफा (१) के अनुसार दिया हुआ हुक्म नहीं समझना चाहिये किन्तु उसका एक प्रमाणसे उपदफा (२) क्राज (बी) के अनुसार दिया हुआ हुक्म माना जासकता है। और उस हुक्मकी अपील डिवीजन बेंच में की जासकती है।

उपदफा (२) के क्राज (ए) में यह बतलाया गया है कि दफा ६ के अनुसार नियुक्त किया हुआ कोई अग्रजत या अफसर हुक्म देने तो उस हुक्मकी अपील दिवालयके मामलोंका सुनने वाले जनके सामगरी जा सकती है परन्तु उस हुक्मका अपीलमें जन जो फेजला देगा उसे एक प्रमाणसे अंतिम फैसला समझना चाहिये उसका द्वारा अपील नहीं की जा सकती है जो माथरी साथ यह भी बतला दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपीलमें रिये हुए जनके फेसलेसे असन्तुष्ट होव और उसका द्वारा अपील किया चाहे तो उसे अपील करनेमें पहिले उस जनकी आज्ञा ले लना चाहिये जिसन अपील अन्दरकी सुना या तब दुबारा अपील दाख की जा सकती है। क्राज (बी) में यह बतलाया गया है कि यदि हाईकोर्ट का कोई जन अपने इत्तफाके अधिकाओं का प्रयोग करते हुए वाइ फरमा करे तो उसकी अपील उसी प्रकारकी जा सकेगी जिस प्रकार जायता दीवानीके अनुसार उन फैसलोंकी अपीलकी जासकती है जो उसन अपने दीवानीके मामूली मुल्क अधिकाओं का प्रयोग करते हुए रिये हों। क्राज (ए) व (बी) में जो अन्तर है उसे भले प्रकार समझ लेना चाहिये अर्थात् क्राज (ए) के अनुसार जनमें रिये हुए फरमाकी द्वारा अपील नहीं हो सकती है परन्तु क्राज (बी) के अनुसार रिये हुए फैसलोंकी अपील हो सकती है दोनों हालतोंमें फैसला करने वाला जन वही है परन्तु पहिली हालतमें जनन फैसला अशकल अपीलकी भावे दिया है व दूसरी हालतमें उभी जन का फरमा अपील का फेसला नहीं है किन्तु वह फेसला उसका स्वय फसला है मित इत्तफाके फेसला कह सकते हैं।

दूसरा प्रकरण



दिवालयके कामसे लेकर बहाल होने तककी कार्रवाइयां

दिवालयके काम

दफा ९ दिवालयके काम

कज्रेश्वर नीचे दिये हुए कामोंमेंसे किसी कामको करे तो माना जावेगा कि उसने दिवालयके का काम किया है:—

- (ए) यदि ब्रिटिशभारतमें अथवा अन्य किसी स्थानमें वह अपनी कुल जायदादको या क़रीब २ सय जायदादको अपने कज्रेश्वराहोंके लाभार्थ किसी तीसरे व्यक्तिके हकमें कर देवे।
- (बी) यदि वह ब्रिटिशभारतमें अथवा अन्य किसी स्थानमें अपनी जायदाद या उसका कोई हिस्सा अपने कज्रेश्वराहोंके हक मारने या उनके कज्रोंकी अदायगीमें देर करने की मंशासे अलहदा कर देवे।
- (सी) यदि ब्रिटिशभारतमें अथवा अन्य किसी स्थानमें वह अपनी जायदाद या उसके किसी

भागके सम्बन्धमें कोई ऐसा इन्तकाल करे जो इस एक्टके अनुसार अथवा किसी अन्य प्रचलित एक्टके अनुसार घोषा देहासे तर्जिह देने का सौदा समझ कर उसके दिवालिया करार दिये जाने पर रह समझा जा सके ।

(डी) यदि वह अपने कर्जग्व्याहों का कर्ज मारने या उसमें देर करनेकी नियतसे

(i) ब्रिटिश इण्डिया (British India) के बाहर चला जावे या वहां बना रहे

(ii) अपने रहनेके स्थान या अपने अधिकतर व्यापार करनेके स्थानसे चला जावे या किसी वजहसे घड़ा न रहे

(iii) छिप जावे जिसमें कि उसके कर्जग्व्याहानको उसकी खबर न मिल सके

(ई) यदि उसकी जायदाद रुपयेकी अदायगीके लियेकी हुई डिफिकी आधार पर कुर्ब की गई हो और कुर्ब का हुकम कमसे कम २१ दिनसे बना हुआ हो ।

(एफ) यदि वह दिवालिया करार दिये जानेके लिये दरखास्त देवे ।

(जी) यदि वह अपने किसी कर्जग्व्याहको इस प्रकारका नोटिस देवे कि उसने अपने कारोबारको बंद कर दिया है अथवा वह उसे बंद करने वाला है ।

(एच) यदि वह रुपयेके अदायगीके सम्बन्धमेंकी हुई किसी डिफिकीके आधार पर कूद होवे

व्याख्या (Explanation) इस दफाके लिये एजन्टका काम उसके मालिकका काम समझा जावेगा चाहे उस एजन्टको अपने मालिक (Principal) की ओरसे उस कामको करनेके लिये कोई अधिकार प्राप्त न होवे ।

व्याख्या—

इस दफामें दिव लियेके कामों का उल्लेख किया गया है अर्थात् वह काम बननाये गये हैं जिनके होने या नरनेसे यह मान लिया जावेगा कि कर्जदारने दिवसलेने का काम किया है । इस दफामें या इनसे पहिले कहीं पर यह नहीं बतलाया गया है कि कर्जदार किस अतिनी समझना चाहिये । दफा २ के प्राक् (बी) में नेक्ल इतना बतलाया गया है कि मर्युट (Judgment debtor) को भी कर्जदार समझना चाहिये अर्थात् उक्त दफामें ही हुई कर्जदारनी परिभाषा पूर्ण परिभाषा समझनी नहीं समझनी जा सकती है । नया उधार देने वाले व नया उधार लेने वाले को सम्बन्ध होता है वह कर्जदार व कर्जदार का सम्बन्ध हुआ करता है । कर्जदार मुक्त का अर्थ जो बहुतसा लोग समझा करते हैं वही समझना चाहिये । इन्होंने अपने फौलमें जहा तहाँ हम शब्दके अर्थमें कभी २ कुछ प्रयास काला है अर्थात् उनमें यह निश्चित किया गया है कि व्यापार कोई व्यक्ति विशेष कर्जदार है अथवा नहीं है ।

जैसे कि मध्यम हाईकोर्टने यह तय किया है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्तिने किसी तीसरे व्यक्तिमें अज्ञात करनेके लिये कोई रूपरा लेवे तो रूपरा इस प्रकार लेने वाले अतिनी कर्जदार नहीं समझना चाहिये देखो—36 Mad 494. इसी प्रकार यह भी तय हुआ है कि यदि कोई कर्जदार मृतकका जानदारके परिवारके लिये किसी ब्यक्तिने नाशालिये में लिया गया हो तो वह नावालिग ऐसे कर्जदारके लिये दिवालिया करार नहीं दिया जा सक्ता है देखो—41 Mad 824

गैर मुक्त का रहने वाला (Foreigner) भी दिवालिया करार दिया जा सकता है यदि इन एक्टमें बतलाई हुई चीजें पूरी होती हैं । नएई हाईकोर्टने यह तय किया था कि यदि कर्जदार मुक्त का रहने वाला जो ब्रिटिश इण्डियामें बाहर रहता

हो विदेश शिडायमें कारोबार करता हो और वह कारोबार किसी एजेंटके जीये बम्बईमें किया जाता हो तो बम्बईमें उसके वरुद्ध कार्रवाई हो सकता है । चीफ जास्टिस मि० सारिनेट मर्यादयेन इस सम्बन्धमें अपनी यह राय प्रकटकी थी कि वार मुल्क का वाशियन्दा अगर स्वयं बम्बईकार विदेश शिडायमें न करता हा तो वह वाती तोरस यहाके कानूनको पानय्याके लिये बाध्य नहीं है लेकिन अगर वह अपना कारोबार यहा करे और उस कारोबारस शराम उठाना चाहता है तब मान लया जायेगा कि वह अपने उस कारोबारके सम्बन्धमें यहाके कानूनको माननेके लिये तैयार है अर इती कारण यहा की अदालतें उसके विरुद्ध कार्रवाई करनेकी अधिकारिणी है । देखो—17 Bom 662

कर्जदार इस दफाके अनुसार कोई व्यक्ति भी हो सकता है तथा कोई फर्म भी हो सकता है जो लोग सही मुवाहिदा कर सकते हैं वह एग इस एक्टके अनुसार दिवालिया करार दिये जा सकते हैं यदि इस एक्टमें बतलाई हुई शर्तोंकी पूर्ति होती है । जैसे कि दिवाहिदा रमी कर्जदार हो सकता है नानालिय बन्धे दिवालिया करार नहीं दिये जा सकते हैं देखो—43 Cal. 1157 इती प्रकार पागल भी दिवालिया करार नहीं दिये जाने चाहिये ।

क्लाज (ए) में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि कर्जदार अपनी सब जायदाद या करीब २ स जायदादकी मुल किन्त कर दे यदि वह अपनी जायदाद का कोई कुछ हिस्सा ही इस कालमें बतलाय हुई शतके साथ अलहादा कर दे तो इस क्लॉजकी पूर्ति नहीं समझना चाहिये इन क्लॉजक अनुसार जायदाद किस तीतरे व्यक्तिको इन मशरसे देना चाहिये निसमें कि वह उसके सर कर्जस्वादानका दी जा सक । जैसे कि अपनी सब जायदाद के लिये दूरियोंका मुकदर कर देना निसमें कि वह दूरदा उसकी जायदादको उसके कर्जस्वादानमें बाध सके । इस क्लॉजके लिये यह आवश्यक नहीं है कि जायदाद केवल ब्रिश्मागत (Brit sh India) ही में इस प्रकार अलहादाकी गई हो उसकी अलहादकी विदेशभारतके अतिरिक्त अय जगहोंमें भी हो का सकती है । इस प्रकार इस क्लॉजसे यह तात्पर्य निकलता है कि दिवालियेका काम विदेश भारतके बाहर भी हो सकता है । जायदादका इन्तकाल इस क्लॉजके अनुसार बाकायदा किया जाना चाहिये सिर्फ अबतनी कह देनेसे या अधुंही तदरीसे काम नहीं चल सकता है ।

क्लाज (बी) के अनुसार यदि कोई कर्जदार अपनी सब जायदाद या उसके किसी भागको इस नौबतस हथ देने कि निसमें उसके कर्जस्वादाकी वसुलीमें देर होने अपवा उनकर कर्जों मारा जावे तो कर्जदारके इस कामको भी दिवालियेका काम माना जायेगा । इस क्लॉजके अनुसार भी जायदादका हथया जाना विदेश भारतमें अपवा उसके बाहर किया जा सकता है अर्थात् इस प्रकारका इन्तकाल जायदाद विदेश भारत ही में किये जानेकी आवश्यकता नहीं है । इस क्लॉजस भी बहा तात्पर्य निकलता है कि दिवालियेका काम विदेश भारतके बाहर भी किया जा सकता है इस क्लॉजमें यह बात ध्यान रखने योग्य है कि जायदाद कुल या उसका कोई हिस्सा हथया जा सकता है जो क्लॉज (ए) में ऐसा नहीं था उसके अनुसार सब जायदाद या करीब २ स जायदाद अलहादाकी जाना चाहिये इस क्लॉजके अनुसार जो इन्तकाल क्रिय जावे वह कर्जों मारन या उनकी अदायगामें दर करनेकी मशरसे किया जाना चाहिये परन्तु क्लॉज (ए) के अनुसार जो इन्तकाल क्रिया जावेगा वह कर्जस्वादानके लाभमें किया जावेगा ।

क्लाज (सी) के अनुसार भी इन्तकाल जायदाद चाहे विदेशभारत में किया जावे चाहे उसके बाहर । इस क्लॉजके अनुसार वह इन्तकाल जायदाद ऐसा होना चाहिये जो धोखेदेहीसे तनीद देने वाला इन्तकाल समझा जावे अर्थात् यदि इन्तकाल जायदाद करने वाला कर्जदार दिवालिया करार दे दिया जावे और उसके बाद वह इन्तकाल जायदाद किसी एक कर्जस्वादाके दूतरे कर्जस्वादाके मुकानिसे तनीह (Preference) देवे

माला इन्तजाल करार देकर रद्द किया जासके तो ऐसे इन्तकाल जायदादके किये जाने पर दिवालियेका काम समझना चाहिये । इस क्रांतिके अनुसार भी यह आवश्यक नहीं है कि कर्जदार अपनी कुंज जायदाद अल्पकाल कर देवे वह अपनी कुल जायदाद या उत्तका कोई हिस्सा अल्पकाल करने पर इस क्रांतिके अंदर आनयेगा । यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि इस बलाजके अनुसार किया हुआ इन्तजाल तनीह देने माला होना चाहिये अर्थात् किसी कर्जदारके हकमें यानी बंध दूसरे कर्जदारोंके मुकदमके लाभ पूर्ववत्तिका मशारे किया जाना चाहिये ।

फ्लान (डी) यह तीन उपबलाजोंमें विभक्त है पहिले उपबलाज (१) के अनुसार यदि कर्जदार ब्रिटिशभागसे बाहर चला जावे अथवा यदि वह पहिलेसे बाहर गया हुआ हो और बाहरी नया रहे तो उसका यह काम दिवालेका काम समझा जावेगा । परन्तु इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि इस प्रकार बाहर जाना या बाहर मुक्त कर्जदारोंका कर्ज मारने या उसकी अदायगीमें देर करनेकी मशारे किया गया हो । दरम्यास्त दिवालियामें कर्जदारकी इस प्रकारकी मशारे साक तीसरे दिखला देना चाहिये परन्तु यदि दरम्यास्त दिवालियामें इस प्रकारकी मशारे न दिखलाई गई हो तो दरम्यास्तकी तर्जुमों जो इल्फनानामा तालिख किया गया हो उसे देखना चाहिये और यदि इल्फनानामें इस प्रकारकी मशारे बतलाई गई हो तो उसे पर्याप्त समझना चाहिये अर्थात् तब उस दरम्यास्तके आधार पर कर्जदार दिवालिया करार दिया जासकता है, देखो—37 Mad O 25 अधिकतर इस प्रकारकी मशारे कर्जदारके वामें द्वाग ही साबित हो सकता है । यदि किम्वा फर्देका एक शरीकदार कर्जदार चला जावे तो केवल उसीके चल जानके कारण फर्दे दिवालिया करार नहीं दिया जाना चाहिये क्योंकि एक्के चल जानके सब दार्जकदारोंका चला जाना नहीं माना जासकता है अपन व्यापारी जगहसे कर्जदारदानका कर्जा मारनेकी गरजसे बाहर जाना दोनों शरीकदारोंका होना चाहिये तभी यह कलाच लागू होगा, देखो—24 Bom L R 861. इस बलाजके उपबलाज (II) के अनुसार यदि वह कर्जदारोंका कर्जा मारने या उसमें देर करनेकी मशारे किसी प्रकार भी रीर हाजिर रहे तो उसका यह काम दिवालियेका काम समझा जावेगा इस उपबलाजमें, रहने वाले मकानसे बाहर रहना या व्यापार करनेकी जगहसे हट जाना इन दू बातोंका उल्लेख है लेकिन साथही साथ उसमें यह भी लिख दिया गया है कि अगर वह इन जागहसे हट जावे अथवा किसी प्रकार भी रीर हाजिर रहे तो दिवालियेका काम मान लिया जावेगा । इस उपबलाजमें रहने वाले मकानका जो तिक है उससे अभिप्राय पुरतकिक (Permanent) रहने वाली जगह ही से नहीं है किन्तु वही जगहसे भी समझना चाहिये जहां कर्जदार रहने लगा हो क्योंकि इस बलाजमें पुरतकिकता कोई उल्लेख नहीं है । रोजगारकी जगहसे तात्पर्य उस जगहका समझना चाहिये जहां अधिकतर कर्जदार रोजगार करता है क्योंकि अधिनी एक्टके इस बलाजमें (Usual) शब्दका प्रयोग किया गया है । इस शब्दसे यह भासित होता है कि यदि कर्जदारने किसी जगह कोई एक आव संधा खरीदा या बेचा हो तो उस जगहकी उसकी रोजगारकी जगह नहीं मान लेना चाहिये । अगर वह किसी खास जगह पर दुकान खोल कर अपना कारोबार करता हो । इस क्रांतिके उपबलाज (III) के अनुसार कर्जदारका जिनसे कि उसके कर्जदारके उसकी खबर न पासके एक प्रकारसे दिवालिया काम है । यह जिनका भी कर्ज मारने या उनके अदायगीमें देर करनेकी मशारे किया जाना चाहिये और साथ ही साथ यह जिनका ऐसा होना चाहिये कि उसके कर्जदारके उसमें पर ओहारा न कर सके यानी जिसमें उनको उसकी खबर न मिल सके ।

फ्लान (ई) के अनुसार कर्जदारकी किसी जायदादका इजाजत बिक्रीकी इच्छामें बचा जाना दिवालियेका काम है । इसी मकर यदि कर्जदारकी कोई जायदाद इजाजत, डिर्जमें कुर्क हुई हो और वह कुर्क २६ दिन या इससे

आधिक दिनोंसे कायम हो तो भा दिवालियेका काम समझा जावेगा । डिमी जितका निकट दम छाजमें दे वह रूपमें अदायगीके सम्बन्धमाना चाहिये । फसला साकना डिमा नद इ और उमक अनुसार यदि कुर्मी हुई हा तो वह दफा (१) के अनुसार नहीं जानकता है देखा—A I R 1928 Cal, 840.

यदि कर्जदार स्वयं दिवालिया करार दाना दरखास्त देवे तो कर्जदार यह काम बलाज (एक) के अनुसार समझा जावेगा ।

फलाज (जी) में यह बतलाया गया है कि यदि कर्जदार अपन किमी कर्जकाराहको इस बातका नोटिस देवे कि उसने अपने कर्जोंका चुकाना बन्द कर दिया है या वह बन्द कने वाला है तो उतना यह काम दिवालियेका काम समझा जावेगा । इस बलाजमें यह कहीं पर नहीं दिया हुआ है कि नोटिस लिखकर ही दिया जाना चाहिये या नोटिस किमी खास निस्सका दिया जाना चाहिये "म कारण नोटिसके लिखकर ही देनेकी आवश्यकता नहीं है और न यह आवश्यकता है कि वह किमी खास तथके (Forum) ही का देवे । इस बलाजमें बतलाया हुआ नोटिस मत्र कर्जकाराहोंको एक साथ देनेकी आवश्यकता नहीं है किन्तु नोटिस किसी एक कर्जकाराहको भी दिया जासकता है ।

फलाज (एन) के अनुसार यदि कायके अदायगीके सम्बन्धमें वा हुई डिमीके इनगममें कर्जदार बन्द किया गया होतो इसके भा दिवालियेका काम समझना चाहिये । इस दफाके अन्तमें जो व्याख्या (Explanation) दी हुई है उसके अनुसार एजेण्ट द्वारा किया हुआ काम भी मालिक (Principal) द्वारा किया हुआ काम समझना चाहिये चाहे उसके उम काम कमेना आकार बरोद रूपसे न दिया गया हो अर्थात् यदि एजेण्ट बतोर एजेण्टके कोई काम अपने मालिक (Principal) के लिये करे तो एजेण्टका वह काम मालिकका काम मानकर वह दफा ९ क अनुसार दिवालियेका काम समझा जावेगा आर मालिक एसे दिवालियेके कामके आधार पर दिवालिया करार दिया जासकता है ।

दिवालिया करार दिये जानेका हुकम

दफा १० दिवालिया करार देनेके अधिकार

इस एन्टमें दी हुई शर्तोंका ध्यान रखते हुए यदि कर्जदार किसी दिवालियेके कामको करे तो दिवालियेकी दरखास्त उसका कोई कर्जकाराह या वह स्वयं देखकता है और अदालतको अधिकार है कि वह ऐसी दरखास्त (Petition) पर उस कर्जदारके दिवालिया करार दिये जानेका हुकम दे देवे । यह हुकम दिवालिया करार दिये जानेका हुकम (Order of Adjudication) कहलायेगा ।

व्याख्या—

कर्जदार द्वारा दिवालियेकी दरखास्तका दिमा जाना दिवालिया काम समझा जावेगा और अदालत उम दरखास्त पर दिवालिया करार दिये जानेका हुकम दे सकती है । दफा ९ में बतलाये हुये दिवालियेके काम करने या होने पर तथा इस एन्टमें बतलाई हुई आर शर्तोंकी पूर्ति होने पर कर्जदार स्वयं या उसके विरुद्ध उसका कोई कर्जकाराह दिवालिया करार दिये जानेके लिये दरखास्त अदालत दिवालियामें दे सकता है और ऐसी दरखास्त गजुरने पर अदालतको अधिकार है कि वह

कर्जदारको दिवालिया करार दे देवे। इस प्रकार दिवालिया करार दिये जानेका जो हुक्म दिया जावग उस दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म (Adjudication order) कहेंगे। इस दफ्तर यह भली भांति प्रकट है कि अदालत दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्म देनेके लिये बाध्य नहीं है किन्तु उसका देना न देना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है। अंततः एक्टकी इस दफ्तरमें (May) शब्दका प्रयोग किया गया है। इस दफ्तरमें यह बात भी साफ तौरसे बतला दी गई है कि दरखास्त दिवालिया कर्जदार स्वयं या उसका कोई कर्जस्वाह दे सकता है बशर्ते कि उस एक्टमें बतलाई हुई सब शर्तें पूरी होती हों। दरखास्त दिवालिया उसी समय कार्यबल मजदूरी हावेगी जब कि दफ्तर ९ में बतलाया हुआ कोई दिनांक का काम हुआ हो। पण्डित इस दफ्तरके अन्तमें जो व्याख्या दी हुई है उसके अनुसार कर्जदार द्वारा दिवालियेकी दरखास्तना दिया जाना ही दिवालिया काम है इसलिये कर्जदार द्वारा दी जाने वाली दरखास्तके लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह दफ्तर ९ में बतलाए हुए किसी दिवालियेके कामके आधार हो। पर दी जान। कर्जस्वाह द्वारा दी जाने वाली दरखास्तके लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि दफ्तर ९ में बतलाये हुए दिवालियेके कामोंमें से कोई काम अवश्य दिखलाया जावे और ऐसे कामके होने पर ही कर्जदार अपने कर्जस्वाहको दिवालिया करार दिवानेका अधिकारी होगा अन्यथा नहीं। व्याख्यासे यह भली भांति प्रकट है कि कर्जदार द्वारा दी जाने वाली दरखास्त पर भी अदालत उसको दिवालिया करार देनेके लिये बाध्य नहीं है क्योंकि एक्टकी इस दफ्तरमें (May) शब्दका प्रयोग किया गया है अर्थात् उस दरखास्त पर भी अदालत अपनी इच्छानुसार दिवालिया करार देनेका हुक्म दे भी सकती है और देनेसे इनकार भी कर सकती है। यदि कोई कर्जदार अदालतकी अधिकार सीमाके अन्दर दिवालियेका काम करे तो अदालतको अधिकार है कि वह उसके विरुद्ध वायदाद वसूल करनेका हुक्म दे सकती है और इस बातमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा कि वह कर्जदार इंग्लैण्ड (England) में दिवालिया करार दिया जावना है अर्थात् इंग्लैण्डमें दिवालिया करार दे दिये जानेका कोई अंतर यहाँ की दिवालिया सम्बन्धी कार्रवाईमें स्थावत नहीं बालेगा देवे—331 Cal. 761.

दफ्तर ११ अधिकारोंमें रुकावट

अदालतको दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म देनेका अधिकार उस समय तक न होगा जब तक कि—

- (ए) दिवालियेकरार दिये जानेकी दरखास्त दाखिल करते समय कर्जदार अपने सम्बन्धमें की हुई डिक्लीके इजरायके अनुसार किसी ऐसे कारावासमें न होवे जहाँ कर्जदार दीवानीके मूल अधिकारोंका प्रयोग करते हुए अधिकतर रकम जाते हैं। या
- (बी) दिवालियेकी दरखास्त देनेसे पहिले कर्जदार एक साल तक अदालतकी मामूली दीवानीके अधिकारोंके अनुसार बतलाई हुई अधिकार सीमामें न रहा हो या उसके रहनेका मकान न होवे अथवा उससे स्वयं या किसी एजेंटके जरिये उस सीमाके अन्दर रोजगार न किया हो। या
- (सी) कर्जदार स्वयं अपने लामार्थ कोई काम अदालतकी सीमाके अन्दर न करता हो। या
- (डी) यदि किसी फर्मने दिवालियेकी दरखास्त दी होवे अथवा किसी फर्मके विरुद्ध दरखास्त दी गई हो तो जब तक कि उस फर्मका कारोबार दिवालियेकी दरखास्त दाखिल करनेसे पहिले एक सालसे अदालतकी ऊपर बतलाई हुई अधिकार सीमाके अन्दर न रहा हो।

व्याख्या—

यदि किसी दिवसीय यह हुकम होवे कि रुपयेकी अदायगी न की जाने पर रहनेकी हुई जायदाद नीलायगी अथवा तो ऐसी दिवसीय रुपयेकी अदायगीके सम्बन्धमें दी हुई किसी समझना चाहिये 28 Mad 473 इस दफामें यह मतलबया गया है कि किन् २ दफाओंमें अदालतकी दिवालिया अगर देनेका अधिकार न होना । जज (ए) के अनुसार दिवालियेकी दरखास्त दिये जाते समय कर्जदारका जेल दानागामें दाना एक आवश्यक बात है । कजाज (बी) के अनुसार दिवालियेकी दरखास्त दिये जानेसे पहले एक सालके अंदर तक कर्जदारका अदालतकी अधिकार सीमाके अंदर रहना आवश्यक है अथवा चाने (कर्जदारने) इस अवधि तक उस सीमामें खय या किसी एजेण्टके जाये करीबार किया हो अथवा उसका रहनेका मकान उस सीमाके अंदर होवे । कजाज (सी) के अनुसार कर्जदारका अपने लामके गिये अदालतकी अधिकार सीमा के अंदर काम करना आवश्यक मतलबया गया है ज्ञान (डी) के अनुसार यदि किसी फर्मके विरुद्ध या उसकी ओरसे दिवालिया कांसार दिये जानेकी दरखास्त दी जावे तो वत फर्मका कागजार अदालतकी अधिकार सीमाके अंदर दरखास्त देनेसे पहिले कमसे कम एक सालसे दाना आवश्यक है ।

फलाज (ए), (बी), (सी), च (डी) में बतलाई हुई शर्तोंका एक साथ होना आवश्यक नहीं है इन शर्तोंके बीच में ' या ' लिखा हुआ है जन्मते यह भला भाति प्राट है कि उन शर्तोंमेंसे किसी एकका होना आवश्यक है अर्थात् अदालत किसी कर्जदारको उस समय तक दिवालिया घोषित नहीं करगी जब तक ज्ञान (ए) (बी), (सी) या (डी) में बतलाई हुई कोई न कोई बात उपरिगत न जावे । इस दफामें फायदी अदालतके लिये आवश्यक है अर्थात् अदालत उसकी अन्वहेतना नहीं कर सकती है अथवा एकटकी इस दफामें (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया जिससे ऊपर लिखी हुई बातकी पूर्ण प्रकार पुटि होती है ।

फलाज (बी) के अनुसार दरखास्त दिवालियाके दिये जानेसे एक सालके अंदर कर्जदारका अदालतके अधिकार सीमामें रहना या रहनेका मकान रखना अथवा व्यापार करना आवश्यक मतलबया गया है व्यापार करनेके सम्बन्धमें यह भी मतलबया गया है कि कर्जदार स्वयं व्यापार करना हो या किसी एजेंटके जरिये करता हो परन्तु एजेण्टसे तारखे उस एजेण्टका समझना चाहिये जा वाक्यद्वारा सुनासिच तभीकमे उसका एजेण्ट होवे अर्थात् जो व्यापार एजेण्ट द्वारा किया जाता है उसकी देव रैव स्वयं वह एक प्रकारसे करना हावे एजेण्टमें तात्पर्य ऐसे अल्प एजेण्टसे न समझना चाहिये कि जो अपने नामसे बहुतोंने लिये करीबार करता हो और उन लोगोंसे कर्जदार लेता होवे देखो—23 Mad. 458, A. I R 1929 Sind 24 अधिकार सीमाके अंदर रहना या उसमें रहनाका मकान हालमे तात्पर्य यह है कि तकनीयताने उसका सम्बन्ध अधिकार सीमामें हाव यह नहीं कि रहने वाला कहीं बाह्ये आर मित्रों द्वारा प्राप्त देनेकी नीयतसे अधिकार सापक अंदर चन्द दिनोंके वास्तुपत्रा जाव परन्तु यदि बाहरका कोई आदमी कागजारक मिलासलेमें अदालतकी अधिकार सीमाके अंदर आ गया हो आर वहीं वह रहने भी लगे अथवा उस समय कहीं बाहर उसके रहनेका सिंलमिन्त न होवे तो ऐसे व्यक्तिकी वहीहा रहने वाला समझना चाहिये तथा ऐसे व्यक्तिके लिये सज्जती मकानका रखना भा कडा जा सकता है कलकत्ता हाईकोर्टने 21 Cal. 63 में यह तय किया गया था कि कर्जदार इन्ड्रलेण्डसे कलकत्ता आया था आर वहा वह चन्द माह तक एक होम्में ठहरा रहा और रोजगारकी तलाशमें रहा और उसके पश्चात् उसकी कानून दिवालियामे लाम उठानेकी आवश्यकता पडा तो यह तय हुआ कि वह मैकनीयतीसे वहा आना था जिस समय कि दिवालियेकी दरखास्त दी गई थी और उसीके साथ न इस बातकी ध्यान रखा गया था कि उसकी सज्जती किया दूमरी जगह नहीं थी ।

एक पुरोहित दूसरी अपीलमें ११ अगस्त तक मित्त २ शि पॉरे पास बन्धुईमें रहा तो उसके लिये यह तय हुआ था कि उसका बन्धुईमें रहना नहीं समझा जावेगा 18 Bow. 290. पहले मानके लिये जाना बहुता रहनेके कारण नहीं हो सकता है। रहनेके तारतम्य उस जगहसे माहूम होना है जहां वह खाना पीता या सोता होवे या जहां उसने खानदानी या नौकर खान पाये या सोते होवे 38 Cal. 394. यदि किसी आबजक्त हिन्दू परिवारका कर्तो किसी अगह मरौवार करता है तो यह नहीं मान लिया जावेगा कि उन परिवारका दूमग मेम्बर भी वहां कालवार करता है देखो—23 Mad. 458.

क्लाज़ (डी) में उन मामलोंके बारेमें बतलाया गया है जब कि किसी कर्मके विरुद्ध दिवाळिया करार दिये जाने की दरखास्त दी जान अथवा किसी कर्मने अपने दिवाळिया करार दिये जाने की दरखास्त दी हो तो कर्मके दिवाळिया करार दिये जाने के सम्बन्धमें यह बतलाया गया है कि कर्मका नाम दिवाळियामें दरखास्त दिये जानेसे पहिले एक सालके अन्दर अदालतकी अफिसर सोमा कमेन्टर होना आवश्यक है अन्यथा अदालत, कर्म को दिवाळिया करार नहीं देगी। इस दफाके चारों क्लॉज भिन्नभिन्न हैं एक दूसरेके आधार पर नहीं हैं और उनमेंसे किसी भी क्लॉजमें बतलाई हुई बातके हामे पर अदालतका अधिकार समाप्त हो सकता है अथवा नहीं अदालत उस दफामें बतलाये हुए नियमको माननेके लिये बाध्य है उनकी अवहेलना नहीं कर सकती है।

दफा १२ वह शर्तें जिनके अनुसार कर्जखवाह दिवाळिया करार दिलानेकी दरखास्त दे सकता है

(१) किसी कर्जखवाहको अपने कर्जदारके विरुद्ध दिवाळिया करार दिये जानेकी दरखास्त देनेका अधिकार उस समय तक न होगा:—

(ए) जब तक कि कर्जदारसे लिया जाने वाला कर्जबराहका कर्ज पांच सौ रुपये ५००) न होवे परन्तु उस समय जब कि दरखास्त देने वाले एकसे अधिक कर्जबराह होवे तो उन सब कर्जखवाहोंके कर्जका जोड़ पांच सौ रुपये होना चाहिये।

(बी) जब कि अदा किया जाने वाला कर्ज एक निश्चित धन राशिके रूपमें न होवे जो उसी समय अथवा भविष्यमें किसी निश्चित समय पर चुकाया जाने वाला होवे।

(सी) जब तक कि वह दिवाळियेका काम जिसके आधार पर दिवाळियेकी दरखास्त दी गई हो दरखास्त देते समयसे तीन माहके अन्दर न हुआ हो।

(२) यदि दिवाळियेकी दरखास्त देने वाला महफूज़ कर्जखवाह (Secured Creditor) होवे तो वह अपनी दरखास्तमें यह बतलावेगा कि वह अपनी जमानतको कर्जदारके सब कर्जखवाहानके लाभार्थ छोड़ देवेगा यदि कर्जदार दिवाळिया करार दे दिया जावेगा अथवा उसे उस जमानतकी अन्दाज़ा लगाई हुई कीमत भी बतला देना चाहिये। जब कि वह अन्दाज़ा लगाई हुई जमानतकी कीमत बतलावेगा तो उसकी दरखास्त उस रुपयेके लिये मानी जावेगी जो उसके असली कर्जमें से जमानतकी अन्दाज़ा लगाई हुई कीमत घटानेसे बचे और इस प्रकार निकले हुए रुपयोंके लिये वह बिला महफूज़ (The Secured Creditor) मानलिया जावेगा।

दफाख्या—

इस दफामें उन बातोंका विवरण है जिसके आधार पर कर्जखवाह अपने कर्जदारके विरुद्ध दिवाळिया करार दिये जानेकी दरखास्त दे सकता है। यह दफा दो भागोंमें विभक्त है पहिले भागमें आम कर्जखवाहोका उल्लेख है तथा दूसरे भागमें

महजुज कर्जखोहका वर्धन है । पहिले भागमें तीन शर्तें बतलाई गई हैं जिनके उपरिधान होन पर ही कर्जखोह अपने कर्जदारके विरुद्ध दिवालयियेकी दरखास्त देनेका अधिकारी हो सकता है । अंतमें एकटा इस दफामें (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रकट है कि इस दफाके नियमोंका मानना आवश्यक है आर उनकी अवहलना नहीं की जासकता है इस भागके अंतमें (ए) में यह बतलाया गया है कि अगर कोई एक कर्जखोह अपने कर्जदारके विरुद्ध दिवालयियेकी दरखास्त देवे तो उस कर्जखोहका बज्ज (५००) रुपये या उससे अधिक होना चाहिये और यदि एकसे अधिक कर्जखोह मिलकर कामका करवाला विरुद्ध दिवालयियेकी दरखास्त देवे तो उन सब कर्जखोहोंके बज्जका जाट (५००) रुपये या उससे अधिक होना चाहिये ।

दफा (बी) के अनुसार जिस कर्जके आधार पर दरखास्त दी गई हो वह एक निश्चित धन राशिके रूपमें होना चाहिये और चाहे वह धन राशि उसी समय अदारी जानिकी होवे अथवा उसकी अदायगी भविष्यमें किसी निश्चित समय पर की जानिका हावे ।

दफा (सी) के अनुसार जिस दिवालयिके कामके आधार पर दरखास्त दी गई हो वह दरखास्त दिये जानेकी तारीखमें तान माहके अन्दर होना चाहिये अथवा दरखास्त देनेमें पहिले तीन माहके अन्दर कर्जदारने दफा १ में बतलाये हुए कामोंमें से निर्मा कामकी किया हो । तीन माहके अन्दर ही दिवालयिके काम किया गया हागा उमक अनुसार पर दिवालयिके दरखास्त नहीं चल सकती है । हा यह अवश्य हो सकता है कि कोई काम तान भईनेसे पहिले प्रारम्भ हुआ हो आर वह तान माहके अन्दर तक जारी रह जसे कि यदि कर्जदार पहिलेस बाहर गया हो व वहाँ बना रह ।

उपदफा (२) में महजुज (Seured) कर्जखोहके बाबत मसला साक किया गया है उसके अनुसार महजुज कर्जखोहके लिये दो शर्तें हैं एक ता यह कि वह महजुज कर्जखोह अपनी सामान सब कर्जखोहानके लायाप छूट देने अर्थात् वह अपनी दरखास्तमें यह बतला देवे कि यदि कर्जदार दिवालयिका करार दे दिया जावे ता उसका कर्ज भी आर निला महजुज कर्जखोहोंकी भांति समझा जावेगा तथा वह अपनी सामानका सब कर्जखोहानके लाभार्थ छोड देगा । दूसरा शर्त यह है कि वह सामानपरी हुई जायदादकी कामतका अदावा दे सकता है परन्तु जब वह ऐसा करेगा तब दिवालयिके दरखास्त देनेके लिये उसका उनका ही कर्ज समझा जावेगा आ उसके अन्तर्गत कर्जों से सामानतरी अदावा लगाई हुए कामत परदेक नद बचता । दरखास्त देने वाक कर्जखोहका यह कर्तव्य होता कि वह इस उपदफामें बतलाई हुई शर्तोंमें से किसी एक बातकी अवज्ञा करना दरखास्तमें बतला देने बला उसकी दरखास्तके पूर्ण नहीं होगा । इस बातका भी पालन करना चाहिये कि उसका कर्ज दोनो ही दशाओंमें (५००) रुपये अथवा उसमें अधिक होना चाहिये ।

दफा १३ कर्जखोहकी दरखास्त पर कार्यवाई तथा उस पर हुक्म

(१) कर्जखोहकी दरखास्तके साथ उसकी पुष्टिके लिये हलफनामा दाखिल किया जावेगा और वह हलफनामा चाहे कर्जखोह स्वयं दाखिल करे अथवा उसकी ओरस काइ अन्य व्यक्ति दाखिल करे जिसे हालात मालूम हों ।

(२) दरखास्त सुनते समय अदालत नीचे दी हुई बातोंका सुधृत लेगी—

(ए) दरखास्त देने वाले कर्जखोहका कर्ज, और

(बी) दिवालयिके काम या यदि दरखास्तमें एकसे अधिक दिवालयिके काम बतलाये गये हों तो उनमेंसे कोई एक दिवालयिके काम

(३) अदालत दिवालियेकी दरखास्त सुननेकी तारीख बढ़ा सकती है और यह हुकम दे सकती है कि उसकी इच्छा कर्जदारको दी जावे ।

(४) अदालत नीचे दी हुई बातों पर दरखास्तको स्वारिज कर देगी ।

(ए) यदि वह उपदफा (२) में बतलाये हुये सुवृत्तसे सन्तुष्ट न होवे, यां

(बी) यदि कर्जदार हाज़िर होकर अदालतको विरवास दिला दे कि वह अपने कर्जों को अदा कर सकता है या उसने कोई दिवालियेका काम नहीं किया है या किसी अन्य पर्याप्त कारणसे कोई हुकम उसके विरुद्ध नहीं दिया जाना चाहिये ।

(५) यदि ऊपर बतलाये हुए सुवृत्तसे अदालत सन्तुष्ट हो जावे तो वह दिवालिया करार दिये जाने का हुकम दे सकती है और उस समय भी वह हुकम दे सकती है जबकि उपदफा (२) के अनुसार तारीख बढ़ाई गई हो और उस तारीख पर काफी तामील हो जाने पर भी कर्जदार हाज़िर न होवे परन्तु वह ऐसा हुकम उस समय नहीं देगी जबकि उसकी रायमें दिवालियेकी दरखास्त किसी दूसरी अदालतमें दाखिलकी जाना चाहिये ।

(६) जब कि कर्जदार दरखास्त पर हाज़िर होवे और दरखास्त देने वाले कर्जदारको कर्जोंको भंजूर न करे अथवा यह भंजूर न करे कि उस कर्जदारको कर्जा उतना है जिसके आधार पर वह दिवालियेकी दरखास्त दे सकता है तो अदालतको अधिकार है कि वह कर्जदारसे कर्जदारको बरामद होने वाले कर्जोंके निस्वत तथा कर्जा साबित करनेमें होने वाले खर्चके निस्वत जमानत (यदि वह कोई ऐसी जमानत लिया चाहें तो) लेकर उतने समयके लिये कार्रवाईको रोक देवे जितने समयमें कर्जोंके सम्यग्बका प्रश्न तय किया जासके ।

(७) जब कि कार्रवाई होकी गई हो उस समय अदालतको अधिकार है कि वह किसी दूसरे कर्जदारको दरखास्त पर दिवालिया करार दिये जानेका हुकम दे सकती है लेकिन वह ऐसा उसी समय करेगी जब कि कार्रवाई रुक जानेकी बजटसे देर हो रही हो या अन्य कोई पर्याप्त कारण उपस्थित होवे । और जब वह ऐसा करेगी तो उस दरखास्तको जिसके द्वारा कार्रवाई शुरू हुई थी जिन शर्तोंके साथ चाहेंगी स्वारिज कर देगी ।

(८) कर्जदारको दरखास्त दाखिल हो जानेके बाद दिला अदालतकी आज्ञाके बाविस नहीं ली जासकेगी ।

व्याख्या—

इस दफामें उन सब वागवापोंन विराम दिना हुआ है जो किसी कर्जदार द्वारा भी हुई दरखास्तके सम्बन्धमें आवश्यक है । यह दफा ८ मागोंमें विभक्त है और उनमें दरखास्त दिये जानेके समाप्त के बाद अदालतकी आज्ञाके बाविस होने तक डाउ एंड दूसरोंके पक्षपर दिना हुआ है ।

उपदफा (१) में यह बतलाया गया है कि कर्जदार द्वारा भी जाने वाली दरखास्तके मागोंमें उनकी प्रतिक्रिया इत्कनामात्र शास्त्रक विद्या गाना आवश्यक है क्योंकि अथवा एवम्ही उक्त उपदफामें (Shall) उक्तक गाना दिना गया है इत्कनामात्र सम्बन्धमें यह दिना हुआ है कि दरखास्त देने वाग कर्जदार या तो स्वयं उमें दाखिल कर दिये हैं

अथवा उसकी ओरसे कोई ऐसा व्यक्ति उसे दायित्व कर सकता है जिसे हाथत मादूम हों अर्थात् कर्जस्वाह स्वय ही हलकनामा दाखिल करनेके लिय बाध्य नहीं हैं परन्तु हलकनामा दाखिलानकी तारीखें दाखिल अवश्य किया जाना चाहिये ।

उपदफा (२) में यह बतलाया गया है कि दरखास्त सुनते समय जिन जिन बातोंका सुवृत् आवश्यक है अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें भी (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रकट है कि अदालत दरखास्त सुननेके समय इस उपदफाके बजान (५) व (बी) में बतलाई हुई बातोंका सुवृत् अवश्य लेवेगी अर्थात् दरखास्त देने वाले कर्जस्वाहके कर्जे व दरखास्तामें दिखलाई हुई दिवालियेकी कार्रवाई होनेका सुवृत् अवश्य लिया जाना चाहिये । बजान (५) में दरखास्त देने वाले कर्जस्वाहके कर्जेका उल्लेख है तथा बजान (बी) में दिवालियेके कर्जका उल्लेख है जिसके आधार पर दिवालियेकी दरखास्त दी गई हो बजान (बी) में यह भी लिख दिया गया है कि यदि दिवालियेकी दरखास्तामें एकसे अधिक दिवालियेके कामोंका किया जाना या होना बतलाया गया हो तो सुवृत् उन कामों से किसी एक ही दिवालियेके कामके सम्बन्धमें दिया जासकता है अर्थात् यदि उनमेंसे एक भी दिवालियेका काम साबित कर दिया जावे तो इस उपदफाके लिये पर्याप्त समझा जावेगा । कर्जस्वाहके कर्जमें तारीख यह मादूम होता है कि आया कर्जस्वाहका कर्ज दाखल है या नहीं और अगर है तो नव जिनना है जिससे कि यह मादूम हो सके कि वह इस एकके अनुसार दरखास्त दे सकता है या नहीं और दिवालियेके कामोंका वर्णन दफा १ में दिया हुआ है ।

उपदफा (३) के अनुसार कार्रवाई करनेके लिये अदालत बाध्य नहीं है जैसा कि अंग्रेजी एक्टकी इस उपदफामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट होता है । अदालत यदि चाहे तो सुननेकी तारीखको बढ़ा सकती है और यदि न चाहे तो उसे न बढ़ावे । यह तारीख इस कारण बढ़ाई जा सकती है जिसमें कि उसकी तामील कर्जदार पर हो सके ।

उपदफा (४) में उन बातों का वर्णन है जिनके कारण अदालत कर्जस्वाहकी दरखास्तकी खारिज कर सकती है । यह उपदफा दो कामोंमें विभक्त है । बजान (५) में यह बतलाया गया है कि यदि अदालत उपदफा (२) में बतलाये हुए सुवृत्से सम्बन्ध न होवे तो वह दरखास्तकी खारिज कर देगी ।

बजान (बी) में यह बतलाया गया है कि यदि कर्जदार उपरिष्ठ होकर अदालतकी इस बातमें निश्वास दिला दे कि वह अपने कर्जोंको अदा कर सकता है अथवा इस बात का विश्वास दिला दे कि उसके विरुद्ध दी हुई दरखास्ता में जिस दिवालियेके काम का उल्लेख किया गया है वह उसमें नहीं किया है अथवा अन्य किमी बातमें उस बात का निश्वास अदालतको करा देने कि उसके विरुद्ध कोई हुकम न दिया जाना चाहिये तो अदाउत ऐसी अवस्थामें कर्जस्वाह द्वारा दी हुई दरखास्ताको खारिज कर देगी ।

उपदफा (५) के अनुसार यदि अदालतकी ऊपर बतलाये हुए सुवृत् पर निश्वास हो जावे तो अदालत कर्जदार को दिवाणिया कर दे सकती है इस उपदफामें प्रयोग किये हुए 'May' शब्दसे प्रकट है कि अदालत इस उपदफाके अनुसार हुकम देनेके लिये बाध्य नहीं है किन्तु उसका देना न देना उसकी क्षमता पर निर्भर है । इस उपदफामें यह भी दिया हुआ है कि यदि उपदफा (३) के अनुसार नवाई हुई तारीख पर भी कर्जदार हाजिर न होवे और उस पर नोटिसकी तामील होना साबित होवे तो अदालत उसे दिवाणिया करार दे देवेगी परन्तु ऐसा करनेसे पहिले अदालत इस बातकी अवश्य देख लेगी कि आया वह दरखास्त किसी दूसरी अदालतमें तो न दी जाना चाहिये ।

उपदफा (६) में यह बतलाया गया है कि यदि कर्जदार उपरिष्ठ होकर कर्जस्वाह का कर्ज मजूर न करे अथवा यह वह कि उस कर्जस्वाह का कर्ज उसे दिवाणिया करार दिलानेके लिये पर्याप्त नहीं है तो अदालत इस प्रश्नको तय करनेके लिये कार्रवाई स्थगित कर सकती है बजाय इसके कि वह उस दरखास्ताको खारिज कर देवे और रदागीर करते समय यदि अदालत उचित समझे तो कर्जदारसे कर्जस्वाहके आपन्दा बरामद होने वाले कर्जके सम्बन्धमें तथा कर्ज साबित करनेमें जो

सर्च होगा उसके सम्बन्धमें उससे उचित सामान्य माँग सकती है। इस उपदफाके अनुसार हुकम देना अदालतका इत्तफा पर छोड़ दिया गया है।

उपदफा (७) में इन बातों का उल्लेख किया है कि कर्जदार स्मृति होने पर अदालत जब चाहे कर्जदारको दिवालिया करार दे सकती है अर्थात् वह देर होनेकी वजहसे अथवा अन्य किसी पर्याप्त कारणों द्वारा कर्जदारकी दुरवस्थाके आधार पर कर्जदारको दिवालिया करार दे सकती है और उस समय वह उचित शर्तोंके साथ चाहे दो हुई दिवालियेकी दुरवस्थाको खारिज कर देगी।

उपदफा (८) एक महत्वपूर्ण दफा है उममें यह बतलाया गया है कि कर्जदारकी दुरवस्थाके लिए अथवा आसक्तके वापिस नहीं ली जा सकती है अतः एक्टकी इस उपदफामें प्रयोग किये हुए 'Shall' शब्दमें यह भरोसा करने पकड़ है कि इस उपदफामें बतलाई हुई शर्तोंकी आवश्यकता जाना चाहिये दुरवस्था का वापिस लिया जाना उचित समय तक हो सकता है जब तक कि उसके आधार पर कर्जदार दिवालिया न करार दे दिया गया हो क्योंकि दिवालिया करार दिये जानेका हुकम होने ही कर्जदार दिवालिया बन जाता है और जब तक कि दिवालिया करार दिये जानेका हुकम मसूमा न किया जावे अथवा दिवालिया बहाल न हो अतः तब तक वह दिवालिया ही बना रहेगा। सम्बन्ध हाईकोर्टने यह तय किया था कि दुरवस्था इजाजत लेने पर भी वापिस नहीं ली जा सकती है और यह उपदफा उन्हीं दुरवस्थाके लिये लागू समझना चाहिये जिन पर फैसला नहीं हुआ है सुवर्तमान सुदृष्ट देखो—38 Bom. 200.

दफा १४ वह शर्तों जिनके अनुसार कर्जदार दुरवस्था दे सकता है

कोई कर्जदार उस समय तक दिवालियेकी दुरवस्था नहीं दे सकता जब तक कि नीचे दी हुई बातोंमेंसे कोई बात उपस्थित न होवे।

(ए) उसके कर्जोंकी तादाद् ५००) रुपये न होवे, या

(बी) वह किसी रुपयेकी अदायगीके सम्बन्धमें दी हुई डिफिकीके आधार पर गिरफ्तार होकर कैद न किया गया हो, या

(सी) किसी रुपयेकी अदायगीके सम्बन्धमें दी हुई डिफिकीके आधार पर उसकी जायदाद कुर्क करनेका हुकम दिया गया हो तथा वह हुकम उसकी जायदादके विरुद्ध फायम न होवे।

व्याख्या—

क्लोज (ए), (बी) व (सी) में बतलाई हुई सब बातोंके एक साथ उपस्थित होनेकी आवश्यकता नहीं है। यदि इन क्लोजोंमें किसी क्लोजमें बतलाई हुई बात उपस्थित होने तो उनके आधार पर कर्जदार दिवालियेकी दुरवस्था दे सकता है अथवा नहीं अथवा यदि उसके कर्ज ५००) या उससे अधिकके हों तो वह दुरवस्था दे सकता है, या यदि वह किसी इजराय टिकाके सम्बन्धमें गिरफ्तार होकर कैद हुआ हो तो वह दुरवस्था दे सकता है अथवा यदि उसकी जायदाद कुर्क होवे तो वह दुरवस्था दे सकता है। इस बात का ध्यान रहना चाहिये कि क्लोज (बी) व (सी) में गिरफ्तारी या कुर्क बन्धी डिफिकीके आधार पर होना चाहिये या रुपयेकी अदायगीके सम्बन्धमें दी गई हों यदि इस दफामें बतलाई हुई तीन शर्तोंमेंमें एक भी पूर्ति न होनी होवे तो कर्जदारके दिवालियेकी दुरवस्था देनेका हुकम नहीं होगा।

दफा १५ कर्जदारकी दरखास्त पर कार्रवाई व उस पर हुकम

(१) कर्जदारकी दरखास्तमें यह दिखलाया जावेगा कि वह अपने कर्जोंको अदा करने में असमर्थ है और यदि कर्जदार अदालतके सामने यह साबित कर देवे कि वह दरखास्त देनेका हुकदार है तो अदालत उस पर दिवालिया करार दिये जानेका हुकम दे सकती है परन्तु वह ऐसा उस समय नहीं करेगी जब कि उसकी रायमें वह दरखास्त दिवालियेके अधिकार रखने वाली किसी दूसरी अदालतमें दी जाना आवश्यक हो ।

(२) कर्जदार द्वारा दी हुई दरखास्त दाखिल होनेके पश्चात् विला अदालतकी आज्ञाके वापिस नहीं ली जा सकेगी ।

व्याख्या—

इस दफामें कर्जदार द्वारा दी जाने वाली दरखास्तके सम्बन्धमें की जाने वाली कार्रवाईका विवरण है। मन्ने पहिले उपदफा (१) में यह बतलाया गया है कि कर्जदारके दरखास्तमें यह दिखलाना परम आवश्यक है कि वह अपने कर्जोंको अदा करनेमें असमर्थ है। अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दमें इस बातकी पुष्टि होती है। साथ ही साथ अदालतके सामने यह भी साबित किया जाना चाहिये कि वह दरखास्त देनेवाला इकरदार है। दरखास्त देनेवाला इक कब होगा इस बातके विषयमें दफा १४ में उल्लेख हुआ है। ऊपर बतलाई हुई दोनों बातोंके होने पर अदालत, दिवालिया करार दिये जानेका हुकम दे सकती है अर्थात् उस समय भी अदालत दिवालिया करार देनेके लिये बाध्य नहीं है किन्तु ऐसा करना उसकी इच्छा पर निर्भर है। अदालतकी हुकम देनेसे पहिले इस बातका भी ध्यान रखना चाहिये कि आया उस अवस्था अथ किमी अदालतके उस कर्जदारके सम्बन्धमें दिवालियेके अधिकारोंका प्रयोग करना चाहिये कर्जदारकी दरखास्तके अथि कर्जों अदा करनेकी असमर्थताका सूत्र होना चाहिये। देखो—A. I. R. 1928 Mad 394

उपदफा (२) में नही बात बतलाई गई है जो दफा १३ की उपदफा ८ में कर्जदार द्वारा दी हुई दरखास्तके सम्बन्धमें बतलाई जा चुकी है अर्थात् अर्जी दाखिल होनेके बाद दरखास्त विला अदालतकी आज्ञाके वापिस नहीं ली जा सकती है। इस उपदफाकी पाबन्दा की जाना आवश्यक है जैसे कि अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट होता है। इस दफामें भी इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि दरखास्तकी बर्तमान प्रश्न उर्मी समय तक उठ सकता है जब तक कि दिवालिया करार दिये जानेका हुकम न दिया जायता हो क्योंकि उसके पश्चात् दिवालिया करार दिये जाने वाले हुकमकी मसूची अपना बहाल होने पर ही कर्जदार दिवालिया नहीं रहेगा यह उपदफा ऊर्हीं दरखास्तके लिये लागू समझना चाहिये निम्न पर हुकम नहीं हुआ है व जो अंग्रेजी एक्टकी है, देखो—18 Bom 200

दफा १६ दरमियानी रिसेवरकी नियुक्तिके लिये अदालतको स्वतंत्र अधिकार

यदि जायदादकी रक्षाके लिये आवश्यकता बतलाई जावे तो अदालतको अधिकार है कि वह दिवालियेकी दरखास्त लिये जानेके बाद तथा दिवालिया करार दिये जानेका हुकम दिये जानेसे पहिले किसी समय भी आफिशल पसायनी (Official Assignee) को कर्जदारकी कुल जायदाद या उसके किसीके हिस्सेके लिये दरमियानी रिसेवर (Interim Receiver) नियुक्त कर देवे और इस बातका हुकम दे देवे कि उसकी सब जायदाद या उसके किसी हिस्से पर फौरन कब्जा ले लिया जावे और इस पर आफिशल पसायनीको निर्धारित किये हुए वह अधिकार प्राप्त होंगे जो सन १९०८ ई० के ज्ञान्ता दीवानीके अनुसार नियुक्त किये हुए रिसेवरको प्रदान किये जासकते हैं ।

व्याख्या—

यद्यपि इस दफामें दरमियानी रितीवरकी नियुक्ति विशेषमें लिखा हुआ है कि अदालत दरमियाना रितीवर नियुक्त करनेके लिये बाध्य नहीं है किन्तु उसका नियुक्त करना न करना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है जैसा कि अंग्रेजा एक्टका यह दफ्तरे प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट होता है । दरमियाना रितावर दिवालियाका दरख्खारत दाखल होनेके बाद तथा दिवालिया करार दिया जानेका हकमें होनेसे पहिले नियुक्त किया जासकता है क्योंकि दफा १७ के अनुसार दिवालिया करार दिये जाने पर दिवालियाकी सब जायदाद आकिशाल एसामनीकी सुपुर्गामें आजाती है अर्थात् दिवालिया करार दिये जानेके बाद किसी दरमियानी रितीवरके नियुक्त किये जानेकी आवश्यकता ही नहीं रहती है । दरमियानी रितावर उसी समय नियुक्त किया जासकता है जब कि कर्जदारकी जायदादके बर्बाद होनेका अदेश होज और ऐसा रितावर उसकी पूरी जायदाद या उसके निम्न भागके लिये नियुक्त किया जासकता है । इस दफामें केवल आकिशाल एसामनी ही के लिये इत्या हुआ है कि वह दरमियानी रितीवर नियुक्त किया जासकता है । इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि इस दफाके अनुसार नियुक्त किये जाने पर आकिशाल एसामनीको वह अधिकार प्राप्त नहीं होंगे जो उसे आकिशाल एसामनीकी रमियवसे प्राप्त हो सकते हैं किन्तु उसका वह अधिकार प्राप्त होंगे जो उसके लिये निर्धारित किये गये हैं और यह अधिकार बड़ी होंगे या जानता दीवानाके अनुसार नियुक्त किये हुए रितावरकी दिये जासकते हैं । रितीवरकी नियुक्तिका वर्ष १९०८ ई० की जायता दीवानाके आर्डर ४० में दिया हुआ है और वह इस प्रकार है—

आर्डर ४० जायता दीयानी रितीवरकी नियुक्ति

नियुक्ति कूल १—(१) जब कि अदालतको उचित व सविधा जनक प्रतीत हो अदालत अपने हुक्म द्वारा निम्नलिखित कार्य कर सकती है—

(ए) किसी होनेसे पहिले या उसके बाद किसी जायदादके लिये रितीवर नियुक्त कर सकती है

(बी) किसी भी व्यक्तिको हटा सकती है जिसका कम्ना या अधिार किसी जायदाद पर होने

(सी) उस जायदादकी रितीवरके कर्जेमें उसकी सरलतामें अथवा उसके धन धर्म दे सकती है

(डी) रितीवरकी जायदादके सम्बन्ध में कुछ दायर करने उसकी जवाब देनी करने तथा उसको वसूल करने प्रबंध करने बचाने और उसकी वृद्धि करनेके अधिकार दे सकती है, उसका कितना या मुनाफा वसूल करने और इस प्रकार वसूल किये हुए रिताव व मुनाफाको सर्फ करनेके अधिकार भी दे सकती है और जायदादके सम्बन्धमें ऐसी दस्तावेजोंके लिखनेका अधिार भी दे सकती है जैसे कि स्वयं मालिक लिख सकता है । या इन अधिकारोंमें से कोई भी अधिार दे सकती है जो उसे उचित प्रतीत होवे ।

(२) अदालतको इस कूलके अनुसार यह अधिार न होगा कि वह जायदादके कर्जे या अधिकारसे किसी ऐसे व्यक्तिको हटा देने जिसके हानेका मौजूदा अधिकार मुकद्दोंके किसी फ़ाँसिकको प्राप्त न होवे ।

अध्यात्म कूल २—अदालत अपने आम या खास हुक्म द्वारा रितीवरको उसके कामके लिये दिये जाने वाले अध्यात्मकी नियत कर सकती है ।

फर्तव्य कूल ३—इस प्रकार नियुक्त किया हुआ रितीवर नीचे दिये हुए कामोंको करेगा—

(ए) यदि अदालत कोई जमानत बचित समझे तो वह जमानत उस जायदादके सम्बन्धमें होने वाली आमदनीके हिसाबके लिये देवेगा

(बी) अपना दिसाव अदालतके हुक्मके अनुसार निगम समय पर तथा नियत ढंगसे देवेगा

(सी) अदालतके हुक्मके अनुसार वह कपया देवेगा जो उसे देना है

(डी) उस मुकदमाके लिये जिम्मेदार होगा जो उसका ज्ञात वृत्त कर या उनी करते या बड़े लाभवाहीके कारण हुआ हो

दिसाव न देना कूल ध—(ए) यदि रिजिस्टर अदालतके बगाने अनुसार तथा उसके द्वारा नियत क्रिमे हुए समय पर दिसाव न दाखिल करे, या

(बी) यदि अदालतके हुक्मके अनुसार वह कपया अथ न करे जो उसे देना है, या

(सी) यदि वह जमान वृत्त कर या उनी करेगा या अपनी बचा व्यवस्थाहाके कारण मुकदमा हो जाने दे तो अदालत उसकी जायदादके कर्क क्रिय मानिना हुक्म दे सकती है न उगीकी बच सकता है तथा बचने पर आई हुई कीमतसे उसे कमीसे पूरा कर सकती है जो उमक कारण हुई हो या उस कारणसे मुजरे ले सकती है या उससे निकलता होवे और बचा हुआ कपया यदि वृत्त होगा वह रिजिस्टरके दे देवेगी ।

कलक्टर कूल ध—जब कि कोई जायदाद ऐसी होवे अितरी मालमुजरी सरकारका अदाकी जाती होवे या ऐसी जमीन होवे जिनकी मालमुजरी जिले की गई हो या उदाली गई हो और अदालतको यह मालूम पड़े कि उससे सम्बन्ध रखने वालोंका जायदाद उस समय होगा जब कि उनका प्रबन्ध कलक्टरके द्वाराके किया जावे तो अदालत कलक्टरकी अनुमति लेकर उसे उस जायदादके लिये रिसाव नियुक्त कर सकती है । रिजिस्टरके मन्व मय जो अधिहार ऊपर दिखलाये गये हैं अथवा जिनका उल्लेख आर्डर ४० बाबदा दीवानामें होना बतलाया गया है वह सब अधिहार अथवा उनमेंसे कुछ अधिहार इस दफाके अन्वयानुसार नियुक्त किये हुए दायित्वाती रिजिस्टरके दिये जासकते हैं ।

दफा १७ दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मका प्रभाव

दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म हो जाने पर दिवालियेकी जायदाद चाहे वह जिलेस जगह पर होवे आफिशल एसायनीकी सुपुर्दामें आजायेगी और वह जायदाद उसके कर्जएवाहों में बांटी जाने योग्य होगी और उसके पश्चात् इस एक्टमें बतलाई हुई बातों को छोड़ कर दिवालियेका कोई भी कर्जएवाह जिसका कर्ज इस एक्टके अनुसार स्वीकृत किया जासकता है दिवालियेकी कार्रवाईके चालू रहते हुए दिवालियेकी जायदादके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा और न वह कोई मुकदमा या कोई अदालती कार्रवाई ही अपने कर्जके सम्बन्धमें बिना अदालत की आज्ञाके तथा अदालत द्वारा निर्धारितकी हुई शर्तोंके कर सकेगा । परन्तु यह दफा महफूज कर्जएवाहके अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी और उसे अपनी जमानत वसूल करने या उससे अपना कर्ज वसूल करनेमें वही स्वतन्त्रता प्राप्त होगी जो कि उसे इस दफाके पास न होने पर प्राप्त हो सकती थी ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार दिवालिया करार दिये जाने पर दिवालियेकी सब जायदाद आफिशल एसायनीकी सुपुर्दामें आ जायेगी और उनी समयमें वह सब जायदाद कर्जएवाहोंमें बांटी जाने योग्य हो जायेगी । दिवालिया करार दिया जाने का हुक्म होनेमें पहिले आफिशल एसायनीको उस बत तक दिवालियेकी जायदादमें कोई सम्बन्ध नहीं होगा । जब तक कि वह दफा १६ के अनुसार दायापानी रिजिस्टर नियुक्त न किया जावे । इसी दफामय यह भी बतलाया गया है कि दिवालिया करार

दिये जानेके बाद दिवालियेकी जायदादके विरुद्ध कोई कर्जवाह अपने कर्जेके सम्बन्धमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा और न बिना अदालतकी आज्ञाके कोई मुकदमा या अन्य अदालती कार्रवाई कर सकेगा परन्तु इस बानका ध्यान रहना चाहिये कि ऊपर बतलाई हुई बात उन्हीं कर्जोंके लिये लागू होगी जो दिवालियेकी कार्रवाईमें साबित किये जा सकते हैं। इस दफ्तेमें जो अन्य कानूनी कार्रवाई का उल्लेख है उससे दीवानीकी कार्रवाईके सम्बन्धना चाहिये फाजदारीका नहीं अर्थात् इस दफ्तेमें बतलाये हुए समयमें का पालन केवल उन्हीं कार्रवाईयोंके लिये आवश्यक है जो दीवानीके तौर पर होने और फौजदारीके इस्तयाससे उन्का कोई सम्बन्ध नहीं है। देखो—मरफात बहादुर बनाम मूलशहूर 35 B.L.W. 63 परन्तु जब कि जजकी कथनात दाखिल किये गये हों तो ज बका फौजदारीके अनुसार फौजदारी का मामला चाहे कसनेके लिये अदालतकी आज्ञा लिये जानेकी आवश्यकता है देखो 37 Mad. 107

इस दफ्तेके साथ जो शर्तें लगा दी गई हैं वह भी बड़े महत्वकी हैं और उसका ध्यान रखना आवश्यक है उस शर्तके अनुसार मरफूज कर्जवाह अपनी जमानतको जिस प्रकार चाहे वसूल कर सकता है पर उसके लिये यह दफा लागू नहीं होगी। कोई ऐसा नियम नहीं है जिसके अनुसार अदालतका आज्ञा मुकदमा दायर करनेके लिये दिये जानेसे पहिले दिवालियेके नाम नोटिस जारी किया जावे। नोटिसका दिया जाना व न दिया जाना हर एक मामलेके लक्षणात्त बाराकत पर निर्भर है। स्थान हाईकोर्टने एक मामलेमें यह तय किया था कि यदि दिवालियेके नाम नोटिस भिजा नहीं गये हुए ही अदालतकी आज्ञा देयी गई हो तो वह उचित आज्ञा समझी जावेगी, देखो—6 R. 533, A. I. R. 1928 R. 326 यदि किसी मरफूज हिन्दू परिवारका जिसके लिये कि मिनाश्रवा कानून लागू हो पिता दिवालिया करार दिया जावे तो उस परिवारकी सब मरफूज जायदाद जिसमें कि उसके लड़कोंका भी इकू शामिल है अफिशल एसायनकी सुपरींगीमें आजावेगी। परन्तु लड़कोंके अधिकार हैं कि वह अपना हिस्सा यह साबित करने पर तय्यार रहें कि बापके कर्जे पर कानूनी व बेका तौरसे किये गये थे और उन कर्जोंके लिये उनके हिस्से जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं, देखो—11 B. 37, 19 M. 14, 42C 225; 3 Lah 329.

यदि किसी मुकदमेके दौरानमें कोई कर्जक दिवालिया करार दे दिया जावे तो वह अपने दिवालिया हो जानेके कारण अपील करनेके अयोग्य हो जाता है। दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके मसूख हो जाने पर वह अपनी आर्ग काई रख सकता है,। देखो—A. I. R 1929 Bom 20. इस दफ्तेमें यह भी बतलाया गया है कि दिवालियेकी जायदाद जहा बही होवे अफिशल एसायनकी सुपरींगीमें आजावेगी अर्थात् उसका होना केवल ब्रिटिश इण्डिया हीके लिये प्रतिमित नहीं है। बम्बई हाईकोर्टने यह तय किया था कि मनकूल जायदाद का शायरके कासूलर कोर्ट (Consular Court) की अधिकार सीमामें स्थित है बम्बईक अफिशल एसायनकी सुपरींगीमें हुक्म हो जाने पर आजावेगी देखो—33 Bom 462 इस एकके अनुसार मानिये जाने योग्य कर्जोंका उल्लेख दफा ४६ में तफ्तीलनाम किया गया है। अदालतकी आज्ञा होने पर जो कार्रवाई चाहूनी जावेगी उनके लिये अदालत द्वारा लगेई हुई शर्तोंकी भी पालनी आवश्यक है।

दफा १८ कार्रवाईका रोक जाना

(१) दिवालिया करार दिया जानेका हुक्म हो जानेके पश्चात् किसी समय भी अदालत को अधिकार है कि वह किसी मुकदमेमें या अदालती कार्रवाई को जो दिवालियेके विरुद्ध किसी जज या जजों अथवा अन्य किसी अदालतके सामने चल रही हो रोक देवे जिसमें कि वह अदालतके निरीक्षणमें चल सके।

(२) उपदफा (१) के अनुसार दिये हुए हुक्म की नकल अदालत की मोहर लगाकर टाकस जरिये मुहई या मुकदमा लडने वाले व्यक्तिके पतेसे अदालत द्वारा भेजी जासकती है और

ऐसे हुकूमका नोटिस उस अदालतके पास भिजा जावेगा जिसके सामने यह मुकद्दमा या कार्यवाही चल रही हो ।

(३) कोई भी अदालत जिसके सामने किसी कर्जदारके दिवङ्ग मामला चल रहा हो तो इस बापका सुबूत पहुँचने पर कि वह इस एक्टके अनुसार दिवालिया करार दे दिया गया है या ना अपने यहाँ आगे बले मामलों को रोक देगी अथवा उसको उन शर्तोंके साथ चालू रहने देगी, जो उसे उचित प्रतीत हों ।

व्याख्या—

अज्ञात दिवालिया अतिकार है कि वह दिवालिया नया दिखे जाने वाले हुकूम पश्चात् यदि वह चाहे तो मुकद्दमा व दूरि दाखली कार्यवाही का एक ठेक यह एक्टके ज्यों अज्ञातों या सा अन्य किसी अज्ञातमें होती होने । पर स प्रकार सेनेना जो हुकूम दिया जावेगा वह बन्दियों वा एक मुद्दे या मुकद्दमा चलाने जाते निहा अन्य व्यक्तिके पास यना नयवत्ता है अर्थात् सर्व या मुकद्दमा चलाने वाले व्यक्ति के पास हुकूमका नाल भेजनेके लिये अदालत वाय नहा ह नि तु उभय गचना न गचना अदालतकी इजा पर निर्भर है परतु इन हुकूमकी मूलतः उस अदालतक पास अज्ञात सेना अने नी जिनके सा ने यह मुकद्दमा या मामला चल रहा है ऐसा कि अज्ञानी एक्टर अदफा (२) में प्रयोग दिव हुक (Sua) व इसे प्रकट होना है ।

उपदफा (१) व (२) में अज्ञात दिवालिया द्वारा भी जाने वाला कार्यवाहीका लक्ष्य है अर्थात् उभय पर बन गया है कि अदालत व दिवालिया दिवालिया दिवङ्ग चलने वाल मुकद्दमा या किसी अन्य अज्ञातों का या याना एक नतना है परतु उपदफा (३) में यह बतलाया गया है कि अज्ञात दिवालियाक उचित उग अज्ञातना भी निगने सामने लगे लिये अदालत नही सम्मत्त चल रहा है उम सम्मत्तरी एक ठेके या किसी खास शर्त के साथ चालू रखनेका आदेश है । यह दूरी अज्ञात मामलके उरी समय लेका जब कि उस यह स्थिति हो जाय कि दिवालिया करार दिया जानका हुकम हो चुका है ।

उपदफा (३) की भाषण यह भी प्रकट होना है कि यदि दिवालिया करार दिने जानेका हुकम होने समय कोई सम्मत्त चल न रहा हो तो भी अदालत उम सम्मत्तरी यह हुकूम करने पर एक दिवालिया करार दिया जानका हुकम हो गया है गा सम्मत्त है अर्थात् यह आवश्यक नहीं है कि सम्मत्त जान बाग सम्मत्त दिवालिया करार दिने जानेक पहिले हुकम चल रहा हो, दफा—41 Bom. 312 चलना है हुकूमने यह तम किया है कि ईश्वरगा कोई जज दफा २६ मराठेन्ना यज्ञत व माल्नेनी एक्टके अज्ञात बर्तवई ररत हुकूम डिगिश्च जनकी उम बर्तवई की नहीं राक सकता है जा वह प्रतिक एक्ट दिवालियाक अनुसार उरी कर्जदारक दिवङ्ग कर रहा हो । इस दफामे बर्तवई इर्द दूनम काठुना बर्तवईमें दिवालियाकी बर्तवई नहीं जाना है दूसरी बिर्तवई में तयै कचर उ ही ईश्वरगाका सम्मत्त चाहिये जा मुकद्दमक ताप पर होय या इन तय जयवा एना ही कोइ दूसरी बार्दुष बर्तवई रोये दवो—A I R 1928 (Ch) 782 इसा सम्मत्तमें कचरई बर्तवई की भी ऐसी ही राय रही है निम्न ता यह भी कहा गया है कि वह दूसरी दिवालियाकी बर्तवई कोई ऐना एक्टदमा या बर्तवई नहीं है जो दिवालियाके दिवङ्ग चल रही हो इस कारण दिवालियाका बर्तवई इस दफामे अनुभार नहा शर्त जा सकना है, हेरे—24 Bom L R 872 A I R (1921) Bom 390

दफा १९ विशेष बनेजरकी नियुक्तिके अधिकार

(१) यदि किराने मामलोंमें अदालत कर्जदारकी जायदादको या उत्तर वधानको अथवा

धाम क्रमपूर्वाहोंके लामको देखते हुए यह राय स्थापन करे कि क्रमदारकी जापदाद या व्यापार के इतकालमें आफिशल एसायनीकी मददके लिये किसी विशेष मैनेजरकी नियुक्तिकी जाना चाहिये तो उसे अधिकार है कि वह ऐसे मैनेजरकी नियुक्ति किसी निश्चित किये हुए समय तक काम करनेके लिये जिसे वह मुनासिब समझे कर देवे और उस मैनेजरको आफिशल एसायनीको प्रदान किये जाने वाले वह अधिकार प्राप्त होंगे जो उसे आफिशल एसायनी अथवा अदालत सुपुर्द करे।

(२) विशेष (Special) मैनेजरको उस प्रकारकी जमानत देना पड़ेगी तथा हिसाब दाखिल करना पड़ेगा जैसा कि अदालत हुकम देवे और उसको वह धमकड़ा (Remuneration) मिलेगा जो अदालत निश्चित करे।

व्याख्या—

उपदफा (१) में विशेष मैनेजरकी नियुक्तिके विषयमें दिया हुआ है कि यह विशेष मैनेजर उसी समय नियुक्ति किया जा सकेगा जबकि क्रमदारकी जापदाद किसी विशेष प्रश्नकी होने निम्नका प्रबन्ध आदिशुल्क एसायनी मले प्राप्त न कर सकता हो अथवा क्रमदारके व्यापार या आप क्रमपूर्वाहोंके लाभार्थ अतिशय एसायनीको सहायताके लिये किसी ऐसे व्यक्तिके नियुक्तिकी आवश्यकता प्रतीत होने परतु इस बात का ध्यान रहना चाहिये कि विशेष मैनेजर की नियुक्ति करना न करना अदालतकी हुकम पर निर्भर है जैसा कि अनेकों एककी इस दफ्तामें प्रयोग किया हुए (May) शब्दसे प्रकट होता है इस प्रकार नियुक्ति किया हुआ मैनेजर कतनेही समय तक काम कर सकता है जितने समयके लिये वह अदालत द्वारा नियुक्ति किया जाने अर्थात् वह आफिशल एसायनीकी भावि दिवालियेकी कुछ वर्षोंके लिये नहीं रहेगा आदिशुल्क एसायनीकी मदद की के लिये ऐसा व्यक्ति नियुक्ति किया जाने अर्थमें नियुक्ति आदिशुल्क एसायनीकी जगह पर नहीं समझना चाहिये अर्थात् उसकी नियुक्ति यह न समझ लेना चाहिये कि आदिशुल्क एसायनीके सब मामलोंके वह विशेष और आदिशुल्क एसायनी के सबकी नियुक्तिके पश्चात् दिवालियेकी वारिसमें कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा एक प्रकारसे ऐसा नियुक्ति किया हुआ व्यक्ति आदिशुल्क एसायनी का मातहत समझना चाहिये जिसे आदिशुल्क एसायनीके लिये निर्धारित किये हुए कार्यमें कुछ वर्षोंके करने का अधिकार प्रदान कर दिया जाने विशेष मैनेजरकी आदिशुल्क एसायनीको प्रदान किये जाने वाले अधिकारोंमेंसे वह अधिकार प्राप्त होंगे जो आदिशुल्क एसायनी अथवा अदालत सन्तरे लिये तय करे।

उपदफा (२) के अन्तर्गत इस प्रकार नियुक्ति किये हुए मैनेजरसे अदालत निम्न प्रकारकी जमानत चाहे ले सकती है और उसमें हिसाब भी निम्न प्रकार वह चाहे दाखिल कर सकती है अथवा एकदम प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे यह प्रकट है कि विशेष मैनेजरकी जमानत या हिसाब सम्बन्धी हुकमोंकी पालनी करना आवश्यक है अदालत इस प्रकारके मैनेजर के लिये धमकड़ा (Remuneration) भी नियत कर देगी और वह मैनेजर इस प्रकार नियत किये हुआ प्रकट हो पावेगा जगह अधिक या उसके अतिरिक्त कुछ नहीं प्रायेगा।

दफा २० दिवालिया क़ारर दिये जाने वाले हुकमकी घोषणा

दिवालिया क़ारर दिये जाने वाले हुकमकी घोषणा गज़ट आफ इण्डियामें (Gazette of India) स्थापित सरकारी गज़टमें (Local Official Gazette) तथा निर्धारित किये हुए अन्य दूसरे दफ्तर प्रकाशितकी जावेगी और उस घोषणामें दिवालियेका नाम पता व पेशा, दिवालिया क़ारर देनेकी तारीख उस अदालतका नाम जिसने दिवालिया क़ारर दिया हो और दिवालियेकी वक्त्यासन दिने जानकी तारीख प्रकाशितकी जावेगी।

व्याख्या—

दिवाळिया करार दिये जाने वाले हुक्मका प्रकाशन गन्त आक्रयिदिया न स्थानिक मरफारी गन्तमें किया जानेगा तथा निरंतरित किये हुए अग प्रकारसे भी किया जावेगा अथवा एक्टको इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे यह प्रकट होता है कि-प्रकाशन उक्त प्रकारसे अवश्य किया जाना चाहिये । प्रकाशनमें जिन जिन बातोंका शिल्लकाया माना आवश्यक है वह भी इस दफामें बतलाई गई हैं अर्थात् दिवाळियेका नाम, पता व पेशा दिया जाना चाहिये दिवाळिया करार दिये जानेकी तारीख दी जाना चाहिये दिवाळियेकी दरखास्त दाखिलकी जाने वाली तारीख तथा दिवाळिया करार देने वाली अदालतका नाम भी दे दिया जाना चाहिये । इस दफासे यह प्रकट है कि दिवाळिया करार देनेके पश्चात् मजि भाति-मुसदर वर दिया जाना आवश्यक है ।

दिवाळिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मंसूखी

दफा २१ कुछ मामलोंमें दिवाळिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मंसूखीके अधिकार

(१) जब कि अदालतकी रायमें किसी कर्जदारको दिवाळिया करारहीं नहीं दिया जाना चाहिये था अथवा अदालतको यह संतोषजनक रूपसे साबित हो जावे कि दिवाळियेके सब कर्जे पूर्ण रूपसे चुकाये जासकते हैं तो अदालतको अधिकार है कि-वह किसी सम्बन्धित व्यक्तिकी दरखास्त आने पर अपने हुक्म द्वारा दिवाळिया करार दिये जाने वाले हुक्मको मंसूख कर देवे ।

(२) यदि कोई कर्जा जिसे कर्जदार तस्लीम न करता हो परन्तु जिसकी अदायगीके लिये वह दस्तावेज मय उन जमानतोंके जिसे अदालत मंजूर करे लिख देवे तो इस दफाकेलिये यह मान लिया जावेगा कि वह कर्जा पूर्ण रूपसे चुकाया जाचुका है और ऐसे कर्जद्वाराहका कर्जा जिसका पता न लगता हो अथवा जिसकी शनाफत न की जासकती हो यदि अदालतमें अमल कर दिया जावे तो वह भी पूर्ण रूपसे चुकाया हुआ कर्जा माना जावेगा ।

व्याख्या—

दिवाळिया करार दिये जाने वाले हुक्मको मंसूख करनेके लिये अदालतकी दो प्रकारसे अधिकार प्राप्त हैं एक तो यह जब कर्जदारको दिवाळिया करार ही न दिया जाना चाहिये था व दूसरे उस समय जब कि कर्जदारके सब कर्जे पूर्ण रूपसे चुकाये जाचुके हैं । इस दफाके अनुसार मंसूखीके लिये कोई भी सम्बन्धित व्यक्ति दरखास्त दे सकता है अर्थात् स्वयं कर्जदार उसका कोई सम्बन्धी या कर्जदार आदि अदालत इन दफाके अनुसार मंसूखीका हुक्म दे देनेके लिये वाप्य नहीं है जैसा कि अंग्रेजी एक्टकी इन दफामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट होता है । उक्तका देना न देना उसकी शर्त पर निर्भर है अर्थात् ऊपर बतलाई हुई दो बातोंमें से किसी एक बातके उपरिष्ठ मान ही से मंसूखीका हुक्म नहीं हो जावेगा किन्तु अदालत और भी वाक्याल पर विचार करेगी अर्थात् दिवाळियेके ग्योहार आदि पर यदि दिवाळिया अपने कर्जोंका अदा करनेमें धनमर्त नहीं था तो दिवाळियेका हुक्म इन दफाके अनुसार मंसूख किया जाना उचित है, देखे—A. I. R. 1928-Mad. 395. 1082. C. 208.

दिवाळियेके कर्जोंकी पूर्ण रूपसे अदायगी हो जाना चाहिये और अदालतकी संतोषजनक रूपसे यह बात साबित भी हो जाना चाहिये तथा यह माना जावेगा कि कर्जे चुकाये जाचुके हैं दिवाळिया वा उससे पिछकर उक्तका कोई कर्जदार इस एक्टके

वेला कायदा नई उठा सकता है अर्थात् यदि वकालत धारा केर दिवालियापन प्रथम वया लिखा हो जइ दरअल वह दिवा
लिया नइ होना चाहिये तो दिवालियापन प्रथम प्रमूला हा जायेगा जो प्रथा यदि किसी कर्मब्याइस दिवा उसन दिव १०।
हाम करा दया हो आर दरअउत वह दिवालिया वया जानेगा अर्थात् नही हुना दिवा लिये हा हुकम प्रमूला किया जायगा है।

उपदधा (१) में बतौं । अतएव मास लिय आनके सम्भ में वे बतें बतलई है एक तो यह कि जब दिवा
लिया किसी बर्जेस तरफा न करा हा उम समाय यइ उमरी अपागत सम्भ वम उम। यदाउमरी वानेनुषां लोई दान
नज मय जा मनेकें तर्कार कर हो हा तो यह मात लिया जायगा कि वह कर्जा झडा दिया गया इ उम प्रसाय ददानी
कर्मब्याइस प्रथा न लया हा या उमरी डीक मना त न गना हा त उमका एक यदाउममें जगा कर दिवै जाने पर यह मय
लागा जायगा कि उमका वय उम दिया गया है । प्रमूला । हुकम जिस तागत म दिव जाव ३१ हो ता लिये उमका प्रथम
मा । जइया आर उम हायक नउका मय कर्मब्या गयी मपरी अवेथी तम अतिशय प्रथममना सुपुर्दगीमें जायगा
नका रहे । देखा—32 Bom 321

दधा २२ अंग्रेजी अदालतोंमें साथ साथ कार्रवाईका होना

यदि अदालतको संतोपजनक रूपमें यह साधित न हो ज च कि उनी कर्जेदारके विरुद्ध
दिवालिकी कार्रवाई किसी दूसरी अंग्रेजी अदालतमें चाहे वह ब्रिटिश इरिडवामें होवे अथवा
उसके बाहर का रही है और कर्जेदारकी जायदाद उम दूसरी अदालत द्वारा अधिक हस्तलियत
साथ बाटी जासकती है तो अदालत दिवालिया करार दिय जाने वाले हुकमको रद्द कर सक्ती है
अथवा उम पर हानि वाली कार्रवाईका स्थगित कर सक्ती है।

व्याख्या—

अतएव अंग्रेजी कानून के लिये यह बतलाया गया है कि यदि दिवालिकी कर्जेदार एक ही समय एक
अधिक अथवा उद मय बाता हा त तो जिस अदालतमें मही वये हाय दिवालियापन प्रथम प्रथम किया जाव उमका
न चैई जाव ता त रहिये दूसरी अदालतमें या तो दिवालिया करार दया नमका प्रथम हा प्रमूला नर दन बा डी अथ उम
सम्भ वना मय उमका अत्रा नइ दया जाला बाये। यह भा दान ध्यान रखन वय ल अदालत प्रम दफ का पर दि
लेव मथ । है नैसा कि अगरी एन भी न दार (M.P.) हाउसे क हा है। अतएव अदालतमें इ जी तावेम
ता ही मय कि हा मने हा प्रथम रूप साधन हो मय हा तावई दूसरी अदालतमें चउ मी है अथवा नही।

दधा २३ संसूची पर होने वाली कार्रवाई

(१) जब कि दिवालिया करार दिये जाने वाला हुकम संसूच किया जायेगा तो वह सब
बयनमें इतकाल जायदाद और बाबायशर्ती हुई अत्रायगी आर वह सब क म जो उससे पहिले
आकिशत ए जायनी या उसके अधिकारोंका प्रयोग करन वाले अन्य व्यक्ति द्वारा अथवा अदालत
द्वारा किय मय हों वह सब हीट सम्भ जावेंग परन्तु उल कर्जेदारकी जायदाद जो दिवालिया
करार दिया जायका है अइ तम बांन नियुक्त किये हुए व्यक्तिकी सुपुर्दगीमें प्रजायगी अथवा
दूसरी कोई एनी नियुक्त न की गइ हो ता वह जायदाद कर्जेदारको उसके हाक व हिसके अनुसार
उन मा हो व पारशियोंके साथ प्रस हा जावगी यदि कोई अदालत प्रथम हुकम द्वारा लागवे।

(२) जब कि कोई कर्जेदार इत एकटके नियमोंके आधार पर हिरासतसे मुक्त किया गया
हो और अउर इतल व हुप दंगसे दिवालिया करार दिय मयका हुकम रसुव वर दिया जावे तो

(२) ऊपर बतलाई हुई सूची निम्न लिखित समयके अन्दर दाखिल की जावेगी:—

(ए) यदि कर्जदारकी दरखास्त पर दिवालिया करार दिया जानेका हुकम हुआ है तो उस हुकमसे ३० दिनके अन्दर

(बी) यदि कर्जख्वाहकी दरखास्त पर दिवालिया करार दिये जानेका हुकम हुआ है तो उस हुकमकी तामील होनेसे ३० दिनके अन्दर

(३) यदि दिवालिया बिला किसी उचित कारणके इस दफामें बतलाये हुए नियमोंकी पाबन्दी न कर सकेगा तो अदालतको अधिकार है कि वह आफिशल एसायनी अथवा किसी कर्जख्वाहकी दरखास्त आने पर उस दिवालियेको जेल दीवानीमें सुपुर्द किये जानेका हुकम देवे।

(४) यदि दिवालिया ऊपर बतलाई हुई सूचीको तैयार न करेगा या उसे दाखिल न करेगा तो आफिशल एसायनी उसकी जायदादके खर्चसे निर्धारित किये हुए ढंग पर सूची तैयार करा सकता है।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार दिवालिया करार दिये जाने पर दिवालियेना कर्जदार होगा कि वह निर्धारित ढंग पर अपने मामलोंके सम्बन्धमें एक सूची दाखिल करे जिसकी पुष्टिके लिये उसे इल्फनामा भी देना पड़ेगा और उस सूचीमें वह सब चीजों भी देना पड़ेगा जिसके लिये बतलाया गया है।

उपदफा (१) में (Shall) शब्दका प्रयोग अंग्रेजी एक्टमें किया गया है जिससे यह भली भांति प्रकट है कि दिवालिया अपनी इस जिम्मेदारीको टाल नहीं सकता है इसी दफाके उपदफा (३) में बतला दिया गया है कि हुकमकी तामील न करने पर वह दीवानीकी जेलमें भेजा जासकता है। सूची दाखिल करनेके लिये समय भी निर्धारित कर दिया गया है उपदफा (२) के अन्तर्गत (ए) के अनुसार यदि दिवालिया अपनी ही दरखास्त पर दिवालिया करार दिया गया हो तो दिवालिया करार दिया जाने वाला हुकम होनेकी तारीखसे ३० दिनके अन्दर सूची दाखिल करना जाना चाहिये। प्राक्त (बी) में यह बतलाया गया है कि यदि किसी कर्जख्वाहकी दरखास्त पर कोई कर्जदार दिवालिया करार दिया गया हो तो जिस तारीखसे उस पर दिवालिया करार दिये जाने वाले हुकमकी तामील हुई है। उस तारीखसे ३० दिनके अन्दर सूची दाखिल करना जाना चाहिये।

उपदफा (३) में जो इल्फनामा देनेकी आवश्यकता रखी गई है वह इस कारण समझना चाहिये कि निम्न दिवालिया सूचीमें गलत सख्त बातें न दिखला देवे किन्तु वह सब बातोंको ठीक ही ठीक दिखला देने कर्तव्यीक गलत इल्फनामा दाखिल करने पर वह गलत इल्फनामा दाखिल करनेका दोषी निर्धारित किया जाकर दण्डना भगी हो सकता है।

उपदफा (३) में जेल दीवानी भेजनेका उल्लेख है उससे यह न समझ लेना चाहिये कि दिवालिया सूची न दाखिल करने मात्रही से जेलमें भेग दिया जावेगा। जेलमें भेगना न भेजना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है और अदालत समय न आवश्यकतानुसार इस प्रकारका हुकम देवेगी। इस प्रकारका हुकम आफिशल एसायनी अथवा अन्य किसी कर्जख्वाहकी दरखास्त देने पर हो सकता है परन्तु इस बातका भी ध्यान साथ साथ रखना चाहिये कि यदि किसी उचित कारणसे दिवालिया उक्त सूची दाखिल न कर सके अथवा उक्त सूची नियत किये हुए समयके अन्दर न दाखिल हो सके तो इस उपदफाके नियमका प्रयोग नहीं किया जावेगा जैसे कि दिवालिया बीमार पड़ गया हो अथवा जिन बातोंके सुधारमें दिखलाये जानेकी आवश्यकता हो उसके लिये दिवालियेको कुछ अवकाश मिलना चाहिये तो दोनों हान्दोंमें नियत किये हुए समयसे कुछ अधिक समय दिवालियेको मिल सकता है इत्यादि

उपधका (४) में यह बतलाया गया है कि यदि दिवालिवा उक्त नियमोंके अनुसार सूचा तैयार न करे या दाखिल न करे तो आफिशल एसायनीको अधिकार है कि वह उसकी आवश्यकते लिये निर्धारित त्रिप ह्युप दंग पर सूचा तैयार करे देवे ।

धका २५ रक्षाका हुक्म

(१) कोई भी दिवालिवा जिसने कि ऊपर बतलाये हुए ढंग पर सूची दाखिल कर दी हो अदालतमें अपनी रक्षाके लिये दरखास्त दे सकता है और अदालत ऐसी दरखास्त पर दिवालिवाकी गिरफ्तारी या कैदसे रक्षाके लिये हुक्म दे सकती है ।

(२) रक्षाका हुक्म सूचीमें दिखलाये हुए सब कज़ोंके लिये अथवा उनमेंसे किसी कज़ोंके लिये जैसा कि अदालत मुनासिब समझे लागू हो सकता है और वह अदालत द्वारा बतलाये हुए बक्तसे शुरू हो सकता है तथा उसके बतलाये हुए समय तक कायम रह सकता है और जैसा अदालत मुनासिब समझे उसके अनुसार खारिज किया जासकता है अथवा फिरसे जारी हो सकता है ।

(३) रक्षाका हुक्म दिवालिवाको गिरफ्तारी या कैदसे उन कज़ोंके सम्बन्धमें बचायेगा जिनके लिये हुक्म हुआ हो और यदि कोई दिवालिवा ऐसे हुक्मके विरुद्ध गिरफ्तार या कैद किया गया हो तो वह हुटकाग पानेका अधिकारी होगा । परन्तु शर्त यह है कि किसी ऐसे हुक्मसे कर्ज़ुवाहके हकमें उस समय कोई ठकावट नहीं पड़ेगी जब कि वह हुक्म खारिज कर दिया गया हो अथवा दिवालिवा कुरार दिये जानेका हुक्म मंस्ख कर दिया गया हो ।

(४) कोई भी कर्ज़ुवाह हाज़िर होकर रक्षाके हुक्मका विरोध कर सकता है परन्तु ज़ाहिर तौर पर वह दिवालिवा रक्षाका हुक्म पानेका अधिकारी होगा जो आफिशल एस यनी का दहखती सर्टीफिकेट इस बातके लिये पेश कर दे कि उसन इस प्फर्टके नियमोंका पालन उस समय तक बराबर किया है ।

(५) अदालतको अधिकार है कि यदि वह कर्ज़ुवाहोंके हकके लिये उचित समझे तो दिवालिवाके द्वारा सूची दाखिल किये जानेसे पहिले भी रक्षाका हुक्म दे देय ।

व्याख्या—

इस दफामे दिवालिवाको इच्छे लिये हुक्म दिये जानेका बयान है । उपधका (१) में बतलाया गया है कि सूची दाखिल होनेके पश्चात् दिवालिवा अपनी दरखास्त दे सकता है । अगली एक्टनी इस उपधकामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे यह प्रकट है कि रक्षाना हुक्म देना न देना अदालतको इच्छा पर निर्भर है परन्तु आगे चल कर उपधका (४) व (५) को देखनेसे यह स्पष्ट होता है कि अदालत अपनी इच्छाना प्रयोग इस सम्बन्धमें अवसर तथा आवश्यकता समझते हुए करेगी और उपधका (४) में यह स्पष्ट बतला दिया गया है कि यदि दिवालिवा आफिशल एसायनीका सर्टीफिकेट इस बातके लिये पेश करे कि उसने एक्टमें बतलाये सब कर्तव्योंको बत समय तक पालन किया है तो ज़ाहिर तौर पर वह रक्षाका हुक्म पानेका अधिकारी समझा जावेगा जब तक कि इसके विरुद्ध कोई बात माफिन न की जावे । उपधका (५) के अनुसार सूची दाखिल करनेसे पहिले भी दिवालिवा रक्षाका हुक्म प्राप्त कर सकता है । यह न समझ लेना चाहिये कि उपधका (४) से अदालतना रक्षाका हुक्म देने न देनेका अधिकार छलिन लिया गया है बल्कि उक्त उपधकामें केवल यह बतलाया गया है कि यदि कोई कर्ज़ुवाह रक्षाको दख्खास्तका विरोध करे तो अदालतको किस तर्कके पर काम करना चाहिये अर्थात् अदालतनी इच्छा पर हुक्म देना न देना उस हालतमें भी निर्भर है, देखो—35 Bom. 47.

उपद्रवा (३) में यह बतलाया गया है, कि रक्षा हुकम दिये जाने पर अदालतों में विचारों के अभाव में न्यायिक प्रणाली में सुधार के लिए उपाय लिये जायेंगे। उपद्रवा (३) में यह बात बतलायी गयी है कि रक्षा हुकम सुधारों के लिए न्यायिक प्रणाली में सुधार के लिए उपाय लिये जायेंगे। उपद्रवा (३) में यह बात बतलायी गयी है कि रक्षा हुकम सुधारों के लिए न्यायिक प्रणाली में सुधार के लिए उपाय लिये जायेंगे।

द्रवा २६ कर्जस्वाहोंकी मीटिंग

(१) दिवालिया करार दिये जानेका हुकम हो जानेके पश्चात् किसी समय भी किसी कर्जस्वाह या अक्रिशल एसायनी द्वारा दरखास्त दिये जाने पर अदालत इन प्रकारका हुकम दे सकती है कि कर्जस्वाहोंकी एक मीटिंग की जायगी जिसमें कि दिवालिके हलत पर विचार किया जावेगा और दिव लियेकी सूची तथा उस पर प्रकट किये हुए उसको विचार और दिवालियेकी जायदादके आम प्रबन्ध पर गौर किया जावेगा।

(२) पहली सूची (First Schedule) में दिये हुए नियम कर्जस्वाहोंकी मीटिंगमें होने वाली कार्यवाही तथा उसके दिये जानेके सम्बन्धमें प्रयोग किये जायेंगे।

व्याख्या—

दिवालियेकी सूची पर विचार करनेके लिये तब दिवालिया होनेकी खबर से पर विचार करनेके लिये अदालत एक सूची बनायेगी जो कर्जस्वाहोंके नामोंके साथ उनकी दायित्वोंके विवरणोंके साथ होगी। यह सूची दिवालिया करार दिये जानेके एक महीनेके अन्दर तैयार की जायगी और उसमें दिवालिया हुकम देनेके लिये अदालत द्वारा किये गये हुकमोंके विवरणोंके साथ होगा। अदालत इन प्रकारका मीटिंग किये जानेका हुकम देके उसे तैयार करेगी कि अदालत द्वारा किये गये हुकमों (May) का एक प्रकट होय है।

उपद्रवा (२) में यह बतलाया गया है पहली सूची में जो इस हुकमके साथ दिये जायेंगे, वे मीटिंग के लिये नियम दिये हुए हैं यह नियम २६ तक हैं।

द्रवा २७ दिवालियेका सुची अदालतमें बयान

(१) जब कि अदालत दिवालिया करार दिये जानेका हुकम देवे तो वह किसी नियत किये हुए दिन पर एक सूची अदालत करेगी जिसकी सूचना निर्धारित दिन पर कर्जस्वाहोंकी दी जायगी और जिसमें दिवालियेके बयान होंगे। दिवालिया उसमें हस्ताक्षर होगा और उसका बयान उक्त बयान व्यवहार तथा जायदादके सम्बन्धमें लिया जावेगा।

(२) दिव लिये द्वारा दायित्व की जाने वाली सूचीके लिये नियत किये हुए समयके भीतनेके पश्चात् जितनी जल्दी सुलियतके साथ हो सकेगा दिवालियेका बयान लिया जावेगा।

(३) कोई भी कर्जस्वाह जो सुबूत दाखिल कर चुका है या उसकी ओरसे कोई भी पकील दिवालियेसे उसके मामलोंके सम्बन्धमें तथा उसके घाटके कारणोंके सम्बन्धमें प्रश्न कर सकता है।

(४) आक्रिशल एसायनी दिवालियेके बयानके समय भाग लेगा और इसके लिये अदालत द्वारा दी हुई अनुमतिके अनुसार किसी बर्तल द्वारा वैधकी कर सकता है।

(५) अदालत, दिवालियाते घट प्रश्न पूछ सकती है, जो उसे अति आवश्यक होवे ।

(६) दिवालियेके बयान हलफसे लिये जावेंगे और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह अदालत द्वारा पूछे जाने वाले सब प्रश्नोंका उत्तर देवे तथा उन प्रश्नोंका भी उत्तर देवे जिनके लिये अदालत आज्ञा दे देवे । बयान की कुछ बातें जो अदालत उचित समझे लिख लेंगी और वह या तो दिवालियेको पढ़ कर सुना दी जावेंगी या वह स्वयं पढ़ लेगा और उस पर दिवालिया इस्तख्त फरमा और उसके पश्चात् वह बयान उसके विरुद्ध शहादतमें पेश किये जा सकते हैं और उसका मुआयना कोई भी कर्जख्वाह उचित अवसरों पर कर सकेगा ।

(७) जब कि अदालतकी रायमें दिवालियेके मामलोंकी पर्याप्त रूपसे जांच पड़ताल हो चुकेगी तो अदालत यह हुकम देवेगी कि उसका बयान समाप्त हो गया है परन्तु ऐसे हुकमसे अदालत यदि वह फिर कभी उसका अधिक बयान लेना उचित समझे तो बञ्चित नहीं रहेगी ।

(८) जब कि दिवालिया पागल होवे अथवा वह किसी मानसिक या शारीरिक दोष या अयोग्यतासे पीड़ित होवे जिसकी वजहसे वह अदालतकी रायमें खुला बयान देनेके लिये अयोग्य है या वह ऐसी औरत होवे जो अपने देशके रीति रिवाजके अनुसार खुले तौर पर बयान देने के लिये मजबूर न की जाना चाहिये तो अदालतको अधिकार है कि वह ऐसे लोगोंका खुला बयान न लिये जानेका हुकम दे देवे या ऐसा हुकम दे देवे कि दिवालियेका बयान किसी निश्चित रूपसे तथा निश्चित समय पर लिया जावे जैसा कि अदालत आवश्यक समझे ।

व्याख्या—

दिवालिया कराए दिये जाने वाले हुकमके पश्चात् अदालतका कर्तव्य होगा कि वह दिवालियेके बयानोंके लिये कीड़े तारीख नियत करे और दिवालयका बयान खुली अदालतमें लेवे । इसकी सूचना कर्जख्वाहानको निर्धारित लिये हुए दर पर देा जावेगी ।

उपदफा (१) की पाबन्दी आवश्यक है उसके नियमोंकी अवहेलना नहीं की जाना चाहिये जैसा कि अमली एक्टकी इस दफामें प्रवृत्त किये हुए (Shall) शब्दसे जो दो मर्तबा इस्तमाल किया गया है प्रकट होता है दिवालियेका भी कर्तव्य होगा कि वह अपने बयानके लिये नियत किये हुए दिन पर हाजिर होवे जैसा कि इस सम्बन्धमें भी प्रयोग किये हुए अमली एक्टके (Shall) शब्दमें मानिन होता है । दिवालियेका बयान उक्त व्यवहार चलन व जापदादके सम्बन्धमें लिया जावेगा ।

उपदफा (२) में वह समय बतलाया गया है जब कि उपदफा (१) के अनुसार बयान लिया जाना चाहिये अर्थात् दिवालिये द्वारा सूची दालिल किये जायके लिये जो समय नियत किया गया है उसक भीत जाने पर मितनी मन्दी हो सके उसके बयानके लिये तारीख नियत की जाना चाहिये । अदालत स्वयं सवालदा पूछ सकती है । वह कर्जख्वाहान को अपने कर्ज का सुनत दालिल कर चुक हो स्वयं या किमा वरील्लेके जरिये सवालदा पूछ सकते हैं आफिकल एसायनी भी उस समय की बरिबर्हिमें साम लवगा अर्थात् उरहा कर्तव्य है कि वह उस समय उपरिखत होवे व अधिन पैशी करे । पारवी के लिये वह स्वयं भी परवा कर सकता है तथा उसकालय अपनी ओर से कर्जों को भी खवा कर सकता है । इस दफाके अनुसार दिवालियेक जो बयान लिय जावेंगे वह इत्क देरालय जावेंगे और दिवालय का कर्तव्य होगा कि वह अदालत द्वारा पूछे जाने वाले तथा पुच्छाया जान वाले समा सवालदा का जवाब देवे अदालत हर सवाल का जवाब या पूर बयान लिखने के लिय बाध्य नहा है कि नु वह तिन मर्तबों में उचित समय रख सकती है परन्तु अदालत यह नहीं कर

सक्ती है कि वह कुछ भी न लिखे अदालत का कर्तव्य होगा कि वह बयान की सामग्री बातों को लिखे जहाँ कि अपने एक्ट की उप दफा ६ में प्रयोग किये हुये (Shall) शब्द से प्रकट है। जो बयान अदालत नोट करेगा वह दिवालिये को पढ़ कर सुनाये जावेंगे और उस पर दिवालिये के दस्तखत लिये जावेंगे। इस प्रकार लिखे हुये बयानों का अज्ञानता एक कर्जखवाह बन सकता है तथा इस प्रकार दिये हुये बयान दिवालियेके विरुद्ध शहान्त में प्रयोग किये जा सकते है। एक दफा उसका बयान ही आनेके बाद भी अदालत दुबारा दिवालिये का बयान उप दफा (७) के अनुसार ले सकती है शब्दका (c) के अनुसार अदालत परदानशन औरतों पागलों व अन्य किसी रोग से पीडित पुरुषों को इस दफा के अनुसार बयान देनेसे बरी कर सकती है या अगर वह चाहे तो उनका बयान जिस तरीके से सुनाभिय समझे उस तरीके से ले सकती है जैसे कि परमाण से बयान लिखे जा सकते हैं। इस उपदफा के अनुसार कार्य करना अदालत की इच्छा पर निर्भर है।

तस्फीया तथा तय किये जानेकी स्कीम

दफा २८ प्रस्तावोंका पेश किया जाना तथा उनका कर्जखवाहों द्वारा स्वीकार किया जाना

(१) दिवालिया करार दिये जाने वाले हुफमके पश्चात् दिवालिये को अधिकार है कि अपने कर्जों के चुकाने के सम्बन्धमें तस्फीये का प्रस्ताव अथवा अपने मामलों को तय किये जाने की स्कीम का प्रस्ताव निर्धारित किये हुये ढंग पर पेश करे और वह प्रस्ताव आफिशल एसायनी कर्जखवाहों की मीटिंग में पेश करेगा।

(२) आफिसल एसायनी दिवालिये के प्रस्ताव की नकल मथ उस पर दी हुई रिपोर्टके सूची में दिखलाये हुये सब कर्जखवाहों या ऐसे कर्जखवाहोंके पास भेजेगा जो अपना सुवृत्त मीटिंग में दाखिल कर चुके हैं। और यदि उस पर विचार करने पर कसरत तादाद तथा सब कर्जखवाहों के कर्जों के तीन चौथाई कीमत के कर्जखालों की राय से जिनके कर्ज साधित किये जा चुके हैं प्रस्ताव स्वीकार किया जावे तो वह प्रस्ताव कर्जखवाहों द्वारा ठीक तौरसे स्वीकार किया हुआ प्रस्ताव माना जावेगा।

(३) दिवालिया मीटिंगके समय अपने प्रस्तावकी शर्तोंको संशोधित कर सकता है यदि आफिसल एसायनी की रायमें उस संशोधन से उसके आम कर्जखवाहों को लाभ पहुंचता होवे।

(४) कोई भी कर्जखवाह जो अपना कर्जा साधित कर चुका है अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति पत्र द्वारा आफिसल एसायनीके पास नियत किये हुये दिनसे एक दिन पहले भेज सकता है अर्थात् उस दिन तक आफिसल एसायनी के पास वह पहुंच जाना चाहिये और इस प्रकार की स्वीकृति या अस्वीकृति का वही प्रभाव होगा जैसे कि यह मीटिंग में मौजूद रहा हो और उसमें वोट दिया हो।

व्याख्या—

इस दफामें दिवालियेके मामलोंका तस्फीया किये जानेकी व्यवस्था बतलाई गई है। दिवालिया करार दिये जानेका इत्थन होनेके पश्चात् किसी समय भी दिवालिया अपने कर्जोंको तय करनेके लिये प्रस्ताव पेश कर सकता है। यह प्रस्ताव निर्धारित दग पर होना चाहिये और यह प्रस्ताव आफिशल एसायनी द्वारा कर्जखवाहान की मीटिंगमें रखा जावेगा। इस प्रकारसे

प्रस्ताव आगे पर आफिशल एसायनीका कर्तव्य होगा कि वह प्रस्ताव की नकल तथा अपनी रिपोर्टकी सूचना उन सब कर्जख्वाहानक पास भेजे जो अपना कर्ज साबित कर चुके हैं या जिनका नाम सूचीमें दिया हुआ है इस प्रकारके प्रस्तावका कर्जख्वाहान द्वारा स्वीकार किया जाना उस समय माना जावेगा जब कि बहुमतके कर्जख्वाहानने उस प्रस्तावको स्वीकार किया हो तथा साथही साथ उन कर्जख्वाहानका कर्जा कुछ कर्जके तौन चौथाईसे कम न होवे । दिवालिया अपने प्रस्तावका सशोधन भी मीटिंगके समय कर सकता है परन्तु यह सशोधन उसी समय हो सकेगा जब कि आफिशल एसायनी की रायमें वह सशोधन आम कर्जख्वाहोंके लाभके लिये समझा जावेगा । कर्जख्वाहानकी सुविधाके लिये उपदका (४) में यह दे दिया गया है कि वह अपनी राय लिखकर आफिशल एसायनीके पास भेज सकते हैं और इस प्रकार लिखी हुई रायका नदी प्रभाव होगा जो स्वयं ब्यवस्थित होकर बोट देनेका होता है । इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि इससे पहिले आफिशल एसायनीके पास पहुँच जाना चाहिये अर्थात् मीटिंगसे पहिले वाजा दिन इस प्रकारकी राय पहुँचानेके लिये आखिरी दिन होवेगा ।

दफा २९ अदालत द्वारा प्रस्तावकी स्वीकृति

(१) जब कि प्रस्ताव कर्जख्वाहों द्वारा मंजूर किया जाचुके तब दिवालिया या आफिशल एसायनी अदालतमें उसकी स्वीकृतिके लिये दरखास्त दे सकता है । इस दरखास्तके सुने जाने की सूचना उन सब कर्जख्वाहोंको दी जावेगी जो अपना कर्ज साबित कर चुके हैं ।

(२) दिवालियेके खुले आम बयान लिये जानेसे पेश्तर ऐसी दरखास्त नहीं सुनी जावेगी किन्तु उससे पेश्तर उस दशामें सुनवाई हो सकती है जब कि सरसरीमें उसकी जायदादका इन्तज़ाम किया जानेको होवे अथवा अदालतसे उसके लिये विशेष आज्ञा लेली गई हो । कोई भी कर्जख्वाह जो अपना कर्ज साबित कर चुका है दरखास्तका विरोध कर सकता है चाहे वह कर्जख्वाहोंकी मीटिंगमें उस प्रस्तावके स्वीकार किये जानेके लिये बोट दे चुका हो ।

(३) अदालत उस प्रस्तावके लिये स्वीकृत प्रदान करनेसे पहिले आफिशल एसायनीकी रिपोर्ट उसकी शर्तों तथा दिवालियेके बर्तावके बाबत सुनेगी और उन पेश्तराजोंको भी सुनेगी जो कोई कर्जख्वाह करे या जो उसकी ओरसे किये जायें ।

(४) यदि अदालत की रायमें प्रस्तावकी शर्तें उचित न प्रतीत हों अथवा उनसे आम कर्जख्वाहोंको लाभ पहुँचाने की सम्भावना न हो या कोई इस प्रकारका मामला होवे जिसके कारण अदालत बहल करनेसे इनकार कर सकती हो तो अदालत प्रस्तावको मंजूर नहीं करेगी ।

(५) जब कि कोई ऐसी बातें साबित की गई हों जिनके साबित होनेके कारण दिवालिये के बहल किये जानेसे इनकार किया जासके या वह रोका जासके अथवा उसमें शर्तें लगाई जा सकें तो अदालत प्रस्तावको स्वीकार करनेसे इनकार कर देगी परन्तु वह उस सूरतमें मंजूर किया जासकेगा जब कि उसमें उचित ज़मानत उन बिला महफूज़ कर्जोंकी रूपयमें चार आने अदायगी की गई हो जो इस एकटके अनुसार साबित किये जासकते हों ।

(६) यदि दिवालियेकी जायदादसे कोई कर्जों औरोंके मुकाबले पहिले अदा किये जाना चाहिये और तसकिये या स्कीममें उनके इस प्रकार पहिले अदा किये जानेकी व्यवस्था न की गई हो तो ऐसा प्रस्ताव या स्कीम स्वीकार नहीं की जावेगी ।

(७) अन्य किसी मामलेमें अदालत या तो प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती है अथवा उसको अस्वीकार कर सकती है ।

व्याख्या—

दफा २० के अनुसार कर्जस्वाहान द्वारा स्वीकार किया हुआ प्रस्ताव उस समय तक कार्यान्वित नहीं किया जायगा जब तक कि अदालत उसे मजूर न कर देवे । कर्जस्वाहान द्वारा स्वीकार किये जानेके पश्चात् आर्किशल एसायनी या दिवालिया अदालतमें उस प्रस्तावके मजूर निये जानेके लिये दरखास्त दे सकता है और इस प्रकार दी हुई दरखास्तको सुननेके लिये जो ताम्रल नियतकी जावेगी उसकी सूचना उन सब कर्जस्वाहानको दी जावेगी जो अपना कर्ज साबित कर चुके हैं । इन उपदकामें बतलाई हुई सूचना अवश्य दी जाना चाहिये जमा कि अगली एक्टकी इस उपदकामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दका तात्पर्य मालूम होता है ।

उपदफा (२) में यह बतलाया गया है कि जब कोई कॉर्पोरेशन सरसरीमें को गई हो या जब कि अल्पमूल्ये स्वाम तौरसे आशा दे दी हो तो-सर्वाधिकार प्रस्ताव दिवालिया करार दिये जानेके बाद किसी समय भी सुना जासकता है परन्तु और मामलोंमें इस प्रकारकी दरखास्त उस समय तक नहीं सुनी जावेगी जब तक कि दिवालियाके बन्धन खुली अदालतमें न हो जावे । इसी उपदकामें यह भी बतलाया गया है कि यदि किसी कर्जस्वाहानने प्रस्तावके लिये अपनी स्वीकृति देनी चाहे तो वह इस दफाके अनुसार दी हुई दरखास्तका विरोध कर सकता है परन्तु इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि वही कर्जस्वाहान विरोध करनेके अधिकारी होंगे जिनके कर्ज साबित किये जाचुके हैं ।

उपदफा (३) में यह बतलाया गया है कि अदालतका कर्तव्य होगा कि वह इस दफाके अनुसार पेश किये हुए प्रस्तावके लिये अपनी मजूर देनेसे पहिले आर्किशल एसायनीका रिपोर्टकी देखे तथा प्रत्यापन करने वाले कर्जस्वाहानके पत्राचारको सुने ।

उपदफा (४) में उन दशाओंका वर्णन है जिनके उपस्थित होने पर अदालत प्रस्तावको स्वीकार कर देनेसे इनकार कर देवेगी अदालत इन दशाओंमें प्रस्ताव स्वीकार करेगी—

(i) जब कि प्रस्ताव उचित प्रतीत न होने, या

(ii) जब कि प्रस्तावसे आग कर्जस्वाहानकी लाभ पहुंचनेकी सम्भावना न होनी होने, या

(iii) जब कि ऐसी स्थिति होके जिसके अनुसार अदालत दिवालियाके बदल करनेसे इनकार कर देनेके लिये बाध्य होवे । अग्रेजी एक्टकी इस उपदकामें (Shall) शब्दका प्रयोग है जिससे यह समझना चाहिये कि इस उपदकामें बतलाई हुई बातोंके होने पर प्रस्ताव हाथिज मजूर नहीं किया जावेगा ।

उपदफा (५) में उन बातोंका उल्लेख है जिनके होने पर अदालत प्रस्ताव उस समय तक मजूर नहीं करेगी जब तक कि बिना मरसूल कर्जस्वाहानके कर्ज रूपमें चार आने चुकाये जायेका उचित प्रबन्ध जमावत आदिसे न कर दिया गया हो । इस उपदफाका प्रयोग कही समय किया जावेगा जब कि वाक्यात ऐसे उपस्थित होंगे जिनके उपस्थितिके कारण अदालत बहालका हुक्म देनेसे इनकार कर सकती हो अथवा उसके लिये शर्त लगा सकती हो अथवा समय-बटा सकती हो ।

उपदफा (६) में पेशर अदा किये जाके योग्य कर्जोंकी अदायगीका प्रबन्ध पेशर ही किये जानेकी व्यवस्था बतलाई गई है यदि इस प्रकारका प्रबन्ध तरहीये या रसीममें न होने तो वह मसूख नहीं किया जावेगा अग्रेजी एक्टकी प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दने यहाँ समझना चाहिये कि उनका प्रबन्ध पेशर किया जातही पाम आवश्यक है । उपदफा (८) से लेकर ९ तक जिन नियमोंका वर्णन है उनका ध्यान रखते हुए यदि गामला अन्य किसी प्रकारका होवे तो अदालतकी अधिकार है जिस प्रकारका हुक्म चाहे दे देने अर्थात् अवसर न वाक्यातको देखते हुए वह अपनी रजतुमार उचित हुक्म दे सकती है ।

दफा ३० प्रस्ताव स्वीकार किये जाने पर हुकमः

(१) यदि प्रस्ताव मंजूर किया जावे तो उसकी शर्तें अदालत अपने हुकममें लिख देवेगी और दिवालिया करार दिये जाने वाले हुकम की मसूखीका हुकम दिया जावेगा और दफा २३ की उपदफा (१) व (३) के नियम इसके पदखात् लागू होंगे और वही तसफीया या तय होने की स्कीम सब कर्जस्वाहों पर उस हद तक लागू होगी जहाँ तक उसका सम्बन्ध उनके उन कर्जोंसे है जो दिवालिये की कार्यव ईके सम्बन्धमें साधित निये जासकते हैं ।

किसी सम्बन्धित व्यक्तिके दरखास्त देने पर तसफीया या तय किये जाने वाले स्कीमके नियमोंकी पाबन्दी अदालत द्वारा कर्णई जासकती है और ऐसी दरखास्त पर दिये हुए किसी हुकमकी उद्वृत्ती करने पर अदालत की तौहीन (Contempt of Court) समझी जावेगी ।

व्याख्या—

दिवालिया करार दिये जाने वाले हुकमकी मसूखी या तो पूरा कर्जों चुका दिये जाने पर अथवा तसफीया निसब्त उल्लेख दफा २८, २९ व ३० में है इससे अनुसार हो सकती है । इसके विपरीत यदि कोई नाईमी सदस्यता हो जावे तो उससे न तो कर्जोंकी पूरी अदायगीही समझी जावेगी और न वह तसफीयाही समझा जावेगा, दफा — 43 Mad 71. इस दफाके अनुसार यदि तसफीया अदालत द्वारा स्वीकार कर लिया जावे तो उसकी सब शर्तें अदालतके हुकममें दे दी जावेगी अमनी एक्स्ट्री इस दफाके प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे यह बतलाने प्रकट है कि उन शर्तोंका अदालतके हुकममें दिया जाना आवश्यक है । इसी प्रकार तसफीया स्वीकार करने पर दिवालिया करार दिया जाने वाला हुकम मसूल कर दिया जावेगा । दफा २३ के उपदफा (१) व (३) में बतलाये हुए नियम मसूखीका हुकम होने पर लागू होंगे अर्थात् दफा २३ की उपदफा (१) के अनुसार मसूखीका हुकम होनेसे पहिले किये हुए सब सोदे व हुकम जैसेके तैते नच रहेंगे तथा आयादाद दिवालिये या अन्य किसी व्यक्तिके सुपुर्देगीमें अदालतके हुकमके अनुसार आजावेगी और दफा २३ की उपदफा (३) के अनुसार मसूखीके हुकमकी सुस्तदही की जावेगी । इस दफाकी यह बात ध्यान रखने योग्य है कि मसूखीका हुकम हो जाने पर तसफीया या स्कीम निसके आधार पर मसूखीका हुकम दिया गया हो दिवालियेके सब कर्जस्वाहों पर लागू होगा अर्थात् उन कर्जस्वाहोंके उन सब कर्जोंके सम्बन्धे लागू होगा जो दिवालियेके कार्रवाईमें सम्भित किये गमसकते हैं । उक्त बतलाये हुई बातका तात्पर्य यह समझना चाहिये कि वह कर्जस्वाह जिहोंने तसफीयाके स्वीकार न किया हो अथवा वह कर्जस्वाह जो हाजिर ही न हुए हो तसफीयाके पाबन्द होंगे । दफा २८ के अनुसार तसफीयाके प्रस्तावका नोटिस उन सब कर्जस्वाहोंने प्राप्त भेजा जाना बतलाया गया है अतःके नाम कर्जस्वाहोंकी सूचीमें दिखलाये गये हैं तथा उन कर्जस्वाहोंके पास भी भेजा जावेगा अतःहीने अपना कर्जा साधित किया हो इस प्रकार तसफीयाके प्रस्तावकी सूचना दिवालियेके सब कर्जस्वाहोंके पास पहुँचनी ब्यवस्था की गई है और इसी कारण उन कर्जस्वाहोंके बादेमें एतगात्र करनेका कोई अधिकार नहीं है । दफा २८ में यह भी बात बतला दी गई है कि यदि बहुमतसे कर्जस्वाहान प्रस्तावकी स्वीकार करल और स्वीकार करने वालोंका कर्जा कुल कर्जके तीन चौथाईसे अधिक होवे तो मान लिया जावेगा कि सब कर्जस्वाहानने प्रस्तावकी स्वीकार कर लिया है । दफा ३० में बतलाये नियमोंके अनुसार कर्जस्वाहों द्वारा प्रस्तावका स्वीकृति हो जाने पर फिर अदालतके सामने वह प्रस्ताव पेश होगा और वह दफा २९ में बतलाये हुए नियमोंके अनुसार कर्जस्वाहानको सूचना देनेके बाद अदालतकी मसूखी पावेगा । इसलिये यह उचित समझा गया है कि अदालतकी मसूखी होने पर तसफीया या स्कीमकी पाबन्दी सब कर्जस्वाहों पर उस हद तक होना चाहिये जहाँ तक उसके उन कर्जोंसे सम्बन्ध है जो अदालत दिवालियामें साधित किये जा सके हैं । उपदफा (२) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति तसफीयाके सम्बन्धमें दिये हुए हुकमको न माने तो उससे अदालत की तौहीन समझी जावेगी ।

दफा ३१ दिवालियेको दुबारा दिवालिया करार देनेके अधिकार

(१) यदि ऊपर लिखे अनुसार स्वीकार की हुई स्कीम या प्रस्ताव में बतलाई हुई किसी क्रिस्त की धदायगी में गलती की जाये या अदालत को मालूम होये कि बिला बेहम्साफीके या बिना देर किये हुए वह तस्फीया व स्कीम अमल में नहीं लाई जा सकती है या अदालत की स्वीकृति थोखा देही से ले गई है तो अदालत यदि वह उचित समझे तो किसी सम्बन्धित व्यक्ति के दरखास्त पर कर्जदार को दुबारा दिवालिया करार दे सकती है और तस्फीया या स्कीम को रद्द कर सकती है। और इस पर दिवालिये की जायदाद आफिशल एसायनी की सुपुर्दगी में आ जायेगी परन्तु इसका कोई प्रभाव उन ट्रन्सफरों (Transfer) पर या उन धदायगियों पर विद्यत् रूपमें नहीं पड़ेगा जो याकायदा मंजूरकी हुई स्कीम या तस्फीयेके अनुसार किये जा चुके हों।

(२) जब कि कोई कर्जदार उपदफा (१) के अनुसार दुबारा दिवालिया करार दिया जाये तो साबित किये जाने योग्य यह सब कर्जे जो दुबारा दिवालिया करार दिये जातेसे पहिले लिये गये हैं दिवालियेकी कार्रवाईके सिलसिलेमें साबित किये जावेंगे।

व्याख्या—

इस दफामें यह बतलाया गया है कि यदि दिवालिया तरफियेकी शर्तोंकी पाबन्दी न करे अपना तस्फीया थोखादेहीसे मजूर कराया गया हो या वह क्राबिल पाबन्दी न समझा जावे तो अदालत तरफियेकी मंजूरीके हुक्मको मंजूर कर कर्जदारके किरसे दिवालिया करार दे सकती है अर्थात् कर्जदार अपनी चालाकियोंसे काम नहीं उठा सकता है और न कर्जदारकोने मुकसान ही किसी खास गलतीकी वजहसे पहुँचाया जा सकता है दुबारा दिवालिया करार दिये जाने पर कर्जदार उन्हीं शर्तोंका पाबन्द समझा जावेगा जिन शर्तोंका पाबन्द वह पहिली मर्तबा दिवालिया करार दिया जाने पर हुआ था। उसकी जायदाद आफिशल एसायनीकी सुपुर्दगीमें आनाबना परन्तु तस्फीयेकी मसूखीका हुक्म होनेसे पहिले तरफियेके अनुसार जो काम या सीदे किये गये होंगे वह सब बद्दस्त बन रहेंगे व ठीक समझे जावेंगे।

उपदफा (२) के अनुसार यह सब कर्जे भी दुबारा दिवालिया करार दिये जाने पर साबित किये जासकेंगे जो तस्फीये या स्कीमकी मंजूरीके पश्चात् तथा उस मंजूरीके हुक्मकी मसूखीसे पहिले किये गये हों। इस प्रकार तरफियेके बाद वाले कर्जदारका भी दिवालियेकी जायदादसे हिस्सा स्वीदी प्राप्त करनेके अधिकारी होंगे।

दफा ३२ तस्फीये या स्कीमका प्रभाव

तस्फीये या स्कीमके स्वीकार किये जाने पर भी उसका कोई प्रभाव किसी कर्जदारके ऐसे कर्जों या जिम्मेदारियों पर नहीं पड़ेगा जिनसे बहाल होने पर भी इस एकटके नियमोंके अनुसार उद्धार नहीं हो सकेगा जब तक कि वह कर्जदार तस्फीया या स्कीममें अपनी स्वीकृति न दे देवे।

व्याख्या—

इस दफामें यह बतलाया गया है कि तस्फीया या स्कीमके मंजूर होने पर भी उसकी पाबन्दी ऐसे कर्जों पर लागू नहीं होगी जो दिवालियेके नश्वर होने पर भी जैसेके तैसे बने रहेंगे अर्थात् चुकाये हुए नहीं माने जावेंगे जब तक कि उनके कर्जदार तस्फीये या स्कीमको मंजूर न कर लें। दफा ४५ में उन कर्जोंका उल्लेख है जिनसे दिवालिया नश्वर होने पर भी बर्हि

वही समझा जावेगा । दफा ४५ वी उपदफा (१) के भाग (ए), (बी), (सी) व (डी) में द्रो वत्तें बतलाये गये हैं सूक्ष्ममें वह वत्तें यह हैं सरकारी वज्र, पाँतसे लिया हुआ कर्जा, घोखेने डुहाया हुआ कर्जा व जानना कौजदारीने अनुसार दिये गये हुज्जतका वज्रा । परंतु इस बातका भी ध्यान रखना चाहिये कि यदि एन कर्जका पाने वाला वज्रख्वाह तरकीब या रीतिमत्तों मनुष्य कर लेवे तो उस पर उस तरकीब या रीतिमत्तों पाने की मनुष्य कर उनके बाद उसी प्रकार हागी नित प्रकार अन्य वज्रख्वाहों पर ।

दिवालियेकी ज्ञात व जायदादके सम्बन्धमें अधिकार

दफा ३३ जायदादके बतलाने व उसको वसूल करानेके सम्बन्धमें दिवालियेके कर्तव्य

हर एक दिवालियेका कर्तव्य होगा कि वह बीमारी अथवा किसी दूसरे पर्याप्त कारणसे न रुक जावे तो वह कर्जख्वाहोंकी उस मीटिंगमें हाजिर होगा जिसमें आफिशल पसायनी उसकी उपस्थिति आवश्यक समझे और मीटिंग जिस प्रकार चाहेगी उसको उस प्रकारका पयान या इत्तला देना पड़ेगा ।

(२) दिवालियेका कर्तव्य होगा कि वह निम्न लिखित कामोंको उस प्रकार करे जिस प्रकार आफिशल पसायनी या विशेष मैनेजर उससे कराना चाहे अथवा जिस प्रकार निर्धारित किया गया हो या जिस प्रकार अदालत अपने विशेष हुकम द्वारा किसी विशेष मामलेके सम्बन्धमें करनेका हुकम देवे या जिस प्रकार करनेका हुकम आफिशल पसायनी, विशेष मैनेजर किसी कर्जख्वाह अथवा किसी सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा दी हुई दरख्वास्त पर दिया जावे:—

- (ए) अपनी जायदादकी फिहरिस्त देवे कर्जख्वाहों व कर्जदारोंकी फिहरिस्त दाखिल और अपने लेने व देने वाले कर्जोंकी फिहरिस्त भी दाखिल करे ।
- (बी) अपनी जायदाद अथवा अपने कर्जख्वाहोंके सम्बन्धमें पयान देवे ।
- (सी) आफिशल पसायनी या विशेष मैनेजरके सम्मुख बतलाये हुए समय व स्थानों पर हाजिर होवे ।
- (डी) मुफ्तारनामें, दस्तावेज इत्तकाल जायदाद और दूसरी दस्तावेज सहीर करे ।
- (ई) अपनी जायदाद तथा उसको कर्जख्वाहानके धीचमें बाँटे जानेके सम्बन्धमें फी जाने वाली सब बातों व कामोंको करे ।

(३) दिवालिया अपनी शक्ति भर अपनी जायदादको वसूल कराने तथा उसकी कृमत्त अपने कर्जख्वाहोंमें बाँटे जानेमें मदद देवे ।

(४) यदि दिवालिया जानते हुए इस दफामें बतलाये हुए कर्तव्योंको पालन नहीं करेगा या वह अपनी जायदादके किसी हिस्सेका कब्जा जो उसके कर्ज या अधिकारमें होवे और जो उसके कर्जख्वाहोंमें बाँटी जासकती हो आफिशल पसायनीको नहीं देवे तो वह अलावा और सजाओंके जो उसको दी जासकती हों अदालतकी तौहीन करनेका दोषी होगा और उसको उसके अनुसार दण्ड दिया जासकेगा ।

व्याख्या—

इस दफ्तामें दिवालियेके उन कर्तव्योंका उल्लेख है जो उसे अपनी जायदादका पता बताने तथा उसके बसने बसने के सम्बन्धमें कराना आवश्यक है तथा निम्न न करने पर वह दोगी समझा जासकेगा और दण्डका अधिकायी होगा। अंग्रेजा एक्टके उपदफ्ता (१), (२) व (३) में (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया है जिसमें यह तात्पर्य समझना चाहिये कि दिवालिया उन उपदफ्ताओंमें बतलाये हुए नियमोंकी अवहेलना नहीं कर सकता है किन्तु उनको पाबन्दी उसके लिये आवश्यक है।

उपदफ्ता (१) के अनुसार यदि आकिशज एसायनी दिवालियेसे कर्मस्वाहोंकी किसी भीशियमें उपरिपत होनेके बदे तो उस उस भीशियमें उपरिपत होना पड़ेगा तथा भीशियमें उससे जो बयान या इतला चाही जावगी वह बते देना पड़ेगा।

उपदफ्ता (२) में यह बतलाया गया है कि दिवालियेकी क्राज (ए), (बी), (सी), (डी) व (ई) में बतलाई हुई बातोंका जबाब देना होगा तथा उनमें बनगये हुए कामोंकी करना होगा। इन क्राजोंमें बतलाये हुए कामोंको करनेके लिये आकिशज एसायनी, व विशेष मनेजर कह सकता है अथवा अदालत स्वयं उसके लिये हुक्म दे सकती है।

फलाज (ए) के अनुसार जायदादकी फेहरिस्त, कर्मस्वाहों व कर्मदायोंकी फेहरिस्त तथा उनकी दिये जाने वाले या उनसे बसूठ किये जाने वाले कसोंका ब्योग मा। जासकता है।

फलाज (बी) के अनुसार जायदाद तथा कर्मस्वाहोंके सम्बन्धमें दिवालियेके बयान लिये जासकते हैं।

फलाज (सी) के अनुसार दिवालियेकी आशु शय एसायनी अथवा विशेष मनेजरके पास चाहे हुए समय व बतवाई हुई जगह उपरिपत होने की बहा जासता है।

फलाज (डी) के अनुसार दिवालियेसे इलाजामे, दफ्ताकेन इतकाल जायदाद तथा दूसरे कायजात लिखाये जासकते हैं।

फलाज (आई) के अनुसार दिवालियेसे उसकी जायदाद बसूठ किये जाने तथा उसके कर्मस्वाहोंमें बाटे जानेके सम्बन्धमें सभी काम व बातें जो आवश्यक समझ पड़ कवाई जासकता है।

इस उपदफ्तामें बतलाये हुए कामोंको करनेके लिये अदालतमें कर्मस्वाह या अन्य कोई सम्बन्धित व्यक्ति भी दखलाना दे सकता है। आकिशज एसायनी या विशेष मनेजर भी यदि अपने अधिकायोंसे बाहर कोई काम इस दफ्ताके अनुसार कपवा चाहे तो अदालतमें दखलाना दे सकता है और तब अदालत अपने हुक्मके अनुसार दिवालियेको उस कामके करनेके लिये मजबूर कर सकती है।

उपदफ्ता (३) में दिवालियेका यह कर्तव्य बतलाया गया है कि जितनी बसते हो सकेगी उतनी मदद अपनी जायदादका बसूठ कराने तथा उसके कर्मस्वाहोंमें तकलीफ किये जानेमें करेगा।

उपदफ्ता (४) में यह दिया हुआ है कि यदि जान बूझ कर दिवालिया इस दफ्तामें बतलाये हुए कर्तव्योंका पालन नहीं करेगा या वह अपने कर्तव्योंमें अपनी कुछ या कुछ जायदादकी नहीं छोड़ेगा तो वह इस प्रकार किये हुए अपराधका निर्भीकित्वम्य हुए दम पर दण्ड पावगा और साथही साथ वह अदालतकी तौहीन (Contempt of Court) का दोषी समझा जावेगा और इस अपराधका भी दण्ड पासकेगा। यदि आकिशज एसायनी दिवालियेसे कोई काम करना चाहे तो वह जजानों की कह सकता है परन्तु यदि वह अदालतसे दिवालियेका काम न बननी वगैरहसे सजा दिलाना चाहिये तो लिख कर हुनम देना अच्छा कर्तव्य है होगा और उसके साथ साथ यह भी नोटिस दाना चाहिये कि यदि हुक्म की तामील नहीं की जावेगा तो अदालतकी तौहीन होनेकी वारंजाई अमलमें लाई जावेगा। (दो— 47 Cal. 56.)

दफा ३४ दिवालियेकी गिरफ्तारी

(१) निम्न लिखित बातोंके उपस्थित होने पर अदालतको अधिकार होगा कि वह स्वयं ही या आफिशल एसायनी अथवा किसी कर्तव्यवाहक दरख्वास्त देने पर दिवालियेको पुलिस आफिसर द्वारा अथवा अन्य किसी नियुक्त किये हुए अफसर द्वारा वाएटके जरिये गिरफ्तार करा लेंगे और उसे दीवानीकी जेलमें भेज देंगे या यदि वह जेलहीमें होवे तो उसको उस समय जब तक कि अदालत उचित समझे वहां बन्द रखनेका हुक्म दे देंगे ।

(ए) यदि अदालतको मालूम हो कि पर्याप्त कारण इस पर विश्वास करनेके लिये है कि वह भाग गया है या वह इस कारण भागने वाला है कि जिसमें उसका बयान उसके मामलोंके सम्बन्धमें न लिया जासके या वह अपने बिलकुल फीजाने वाली दिवालियेकी कारवाइयोंको टाला चाहता है या उनमें देर कमाया चाहता है या उनमें उलझन पैदा कराना चाहता है, या

(बी) यदि अदालतको मालूम हो कि पर्याप्त कारण इस पर विश्वास करनेके लिये उपस्थित है कि वह अपनी जायदादको इस नीयतसे हटाने वाला है जिसमें आफिशल एसायनी द्वारा उस पर कब्जा लिये जानेमें रुकावट पड़े या देर होवे या इस बात पर विश्वास करने के लिये पर्याप्त कारण होवे कि उसने अपनी किसी जायदाद या कित्तियों या दस्तावेजों या अन्य सहरीयोंको जिनसे उसकी दिवालियेकी कारवाइके सम्बन्धमें उसके हितरक्षार्थ कानूनी कानून उठा सकते हैं छिपा दिया है अथवा छिपाने वाला है ।

(सी) यदि वह विला आफिशल एसायनीकी आज्ञाके अपनी पचास रुपयेसे ऊपरकी कीमत वाली जायदादको हटा देंगे ।

(२) इस दफाके अनुसार गिरफ्तार किये जानेके पश्चात् यदि कोई अदायगी कीजाये या कोई सफाया किया जावे या जमानत दी जावे और वह धोखादेहीने तर्जिह देने वाले लौड़े इस एक्टके नियमोंके अनुसार होवे तो वह बरी नहीं होंगे अर्थात् वह धोखादेहीसे की हुई अदायगी, तस्फीया या जमानत समझी जावेंगी ।

व्याख्या—

इस दफामें वह बर्जशत बतलाये गये हैं जिनके होने पर अदालत, दिवालियेकी गिरफ्तार करा सकती है या यदि वह जेलमें होने तो उसे किसी नियत समय तकके लिये वहां भेके जानेका हुक्म दे सकती है । अदालत इस दफाके अनुमार कार्रवाई रख ही कर सकती है अपना आफिशल एसायनी या किसी बर्जवाहके दरख्वास्त देने पर कर सकती है । इस दफाके अनुसार वाएट किसी पुलिस आफिसर अथवा किसी दूसरे निर्धारित किये हुए अफसरके नाम दिया जासकता है इस दफाके अनुमार गिरफ्तार किये जाने पर दिवालिया दीवानीकी जेलमें रखा जायेंगा ।

उपदफा : (१) के प्रांश (ए), (बी) व (सी) में वह बातें नरखई गई हैं जिनके होने पर या किये जाने पर अदालत गिरफ्तारीका हुक्म या जेलमें भेके जानेका हुक्म दे सकती है ।

छांदा (ए) में यह बतलाया गया है कि जब दिवालिया भाग गया हो या भागने वाला हो जिसमें उक्त बयान न हो सके

या अप किसी प्रकारस उसक विरुद्ध होन वाली दिवालियेकी कार्यवाही कसबत पढ संके तो अशुभ रूपसे बातका विश्वास हान पर नाश्ट जागे वरतकी कार्यवाही कर सक्ता है ।

फ्लॉज़ (वी) वे अनुसार यदि दिवालियेने जायदादकी हया दिया हो । तथा दिया हो या हान वाला हवे अथवा उनके अपनी हिसानकी विदाओं या दूसरीवेतोंकी या दूसरी तरफकी छिया दिया हो या नष्ट कर दिया हो । जिनन क आफिशयत एसायनोंकी कन्पा न मिल सके या निमम उसक विरुद्ध दिवालियेका कार्यवाही सम्बन्धे लागू न उठाय जासक हो अशुभत ऐसा बतोंका विश्वास दिलिये जाने पर गिम्फताहीकी कार्यवाही कर सकती है ।

फ्लॉज़ (सी) के अनुसार यदि दिवालिया बिना आफिशयत एसायनोंकी गुप्त पचान रूपसे कार्यवाही अथवा गणना हया रहे तो भी अशुभत द्वारा गारन्तार कया जासक्ता है ।

उपदफा (२) में यह बतलाया गया है कि म दफाक अनुसार गिम्फता किये जानेके बाद यदि दिवालिया कार्य अशुभकी करे तर्फीया करे या अमानत दरे और वह अशुभकी, तरफिया या अमानत धालादेहिस तर्फी दिया जान वच्य सौदा हवे तो वह सौदा वसा प्रकारका याना धोखादेहिस तर्फीइका सौदा ही माना जावेगा अर्थात् काबिल मसूबा होगा ।

दफा ३५ खतोंका दूसरी जगहके लिये भेजा जाना

जब कि आफिशयल एसायनी दरमियानी, रिस्वीयर नियुक्त किया गया हो या जब दिवालिया फुरार दिये जाने चाला हुकम दे दिया गया हो तब आफिशयल एसायनीकी दरखास्त पर अदालत को अधिकार है कि वह समय समय पर नियत समयके लिये जो तीन महीनेसे अधिक न होगा जैसा अदालत मुनासिब समझे यह हुकम दे देवे कि दिवालियेके नाम आने वाले सब रजिस्ट्रीगुदा या गिला रजिस्ट्री वाले खत, पार्सल या मनीआर्डर जो कर्जदारके नाम किसी जगह या जगहोंके पतेसे आवें वह ब्रिटिश भारतमें स्थित डाकखाने वालों द्वारा आफिशयल एसायनीके पास भेज दिये जावेंगे या अन्य किसी व्यक्तिको दे दिये जावेंगे जैसा अदालत हुकम देवे और तब पंसा ही किया जायेगा ।

व्याख्या—

इस दफामें दिवालियेके खत, पार्सल व मनीआर्डरके लिये आफिशयल एसायनोंके दिये जानेकी व्यवस्था बतलाई गई है । इन दफोंके अनुसार हुकम दरमियानी रिस्वीयर नियुक्त किये जान अथवा दिवालिया करार दिये जानके हुकम होनेके परबत दिया जानसक्ता है । अदालत इस दफके अनुसार हुकम न न गढ़ नम अधिक समयके लिये नहीं दे सक्ता है । अदालत इन दफके अनुसार हुकम दनेके लिये बाध्य नहीं है जैसा कि अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है । इस दफके अनुसार अदालत इस प्रकारका हुकम बाख्तानेके अफमयके नाम दे सकती है कि दिवालियेके नामसे जाने वाले रजिस्ट्री गुदा व गिला रजिस्ट्री गुदा खत, मनीआर्डर या पार्सल किसी नियत अवधि तक बजाय दिवालियेके आफिशयल एसायनी अथवा अन्य किसी व्यक्तिके दिये जाने अथवा उनके नाम करके भेज दिये जावें । इस प्रकार दिये हुए हुकमकी पाबंदी टाक खाने वालेको करना हागी जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें दिये हुए (Shall) शब्दका तापर्य निकलता है ।

दफा ३६ दिवालियेकी जायदादका पता लगाना

(१) दिवालिया फुरार दिये जानेके पश्चात् किसी समय भी आफिशयल एसायनी या पैसे क्लेक्क्याहके दरखास्त देने पर जिलेने कि अपना कर्ज सीमित कर दिया है अदालत निर्धारित

नियमोंके अनुसार दिवालिये या अन्य किसी ऐसे व्यक्तिको तलब कर सकती है जिसके कर्जमें दिवालियेकी जायदाद होवे अथवा जिसके कर्जमें दिवालियेकी जायदाद होनेका शक होवे या जो दिवालियेका कर्जदार समझा जावे अथवा जो अदालतकी रायमें दिवालिये या उसकी जायदाद या उसके व्यवहारके सम्बन्धमें इत्तला दे सके और अदालत उस व्यक्तिमें उन दस्तावेजोंको भी जो दिवालिये उसकी जायदाद या व्यवहारके सम्बन्धमें होवे तथा जो उसके कर्ज या अधिकारमें होवें दाखिल करा सकती है ।

(२) यदि इस प्रकार तलब किया हुआ कोई व्यक्ति समुचित द्रव्य दाखिल किये जाने पर नियत किये हुए समय पर अदालतके सम्मुख आनेसे इनकार करे या ऐसी दस्तावेज दाखिल करनेसे इनकार करे और उसके लिये कोई ऐसी कानूनी रक़ावट पेशीके समय न बतलावे जिसे अदालतने स्वीकार कर लिया हो तो अदालत को अधिकार है कि वह ऐसे व्यक्तिको चारण्ट द्वारा गिरफ्तार करा कर घयानके लिये लाये जानेका हुकम दे देवे ।

(३) इस प्रकार लाये हुए व्यक्तिसे अदालत, दिवालिये तथा उसकी जायदाद व व्यवहारके सम्बन्धमें घयान ले सकती है और ऐसा व्यक्ति अपनी पैरवी बनील द्वारा करा सकता है ।

(४) यदि ऐसे व्यक्तिके घयानसे अदालतको विश्वास हो जावे कि वह दिवालियेका अग्रणी है तो वह आफिशल एसायनीके दरखास्त देने पर ऐसे व्यक्तिको यह हुकम दे सकती है कि वह व्यक्ति अपने कर्जका रुपया नियत किये हुए समय पर व नियत ढंगसे जैसा कि अदालत उचित समझे अदा कर देवे या उस कर्जका कोई हिस्सा उस कर्जकी पूरी अदायगीमें या योंही जैसा अदालत उचित समझे मय उसके घयानोंके सम्बन्धमें पड़े हुए खर्चके या विला उसके आफिशल एसायनीको अदा कर देवे ।

(५) यदि उस व्यक्तिके घयानसे अदालत को यह विश्वास हो जावे कि उस व्यक्तिके कर्जमें दिवालिये की कोई जायदाद है तो अदालत आफिशल एसायनीके दरखास्त देने पर यह हुकम दे सकती है कि वह व्यक्ति दिवालियेकी जायदाद या उसका कोई हिस्सा नियत किये हुए समय पर व नियत किये हुए ढंगसे नियतकी हुई शर्तोंके अनुसार जैसा अदालतको उचित प्रतीत हो आफिशल एसायनीको दे देवे ।

(६) उपदफा (४) व (५) के अनुसार दिये हुए हुकमोंकी तामील उसी प्रकार करार जावेगी जिस प्रकार जाबता दीवानिके अनुसार रुपयेकी अदायगीके सम्बन्धमें दी हुई डिक्री या जायदाद पर क़त्ता देने वाली डिक्री इजराय करार जासकती है ।

(७) यदि कोई व्यक्ति उपदफा (४) व (५) के अनुसार दिये हुए हुकमोंकी तामील करते हुए कोई अदायगी करे या जायदाद सुपुर्दगीमें देवे तो वह इस प्रकारकी अदायगी या सुपुर्दगीसे उस कर्ज व उस जायदाद सम्बन्धी सब जिम्मेदारियोंसे बरी हो जावेगा ।

व्याख्या—

इस दफामें दिवालियेकी जायदाद बरामद किये जानेके सम्बन्धमें नियम दिया हुआ है । अदालत उपदफा (१) के अनुसार बर्नार्ड आफिशल एसायनी या ऐसे कर्जन्धारोंके दरखास्त देने पर बरेगी निरने कि अपना कर्ज साबित कर दिया होवे इस उपदफाके अनुसार बर्नार्ड दिवालिया करार दिया जाने वाला द्रव्य होनेसे परचाट बीनासकेंगी ।

उपदफा (१) के अनुसार अदालत, दिवालय अथवा अ्य किसी व्यक्ति को जिसके कन्वेमें दिवालिये की जायदाद होवे या जो दिवालिये का कर्जदार होवे अथवा जो दिवालिये उसके व्यवहार या उसकी जायदादके सम्बन्धमें इत्यादि से सनना या तलब कर सकता है और इस प्रकार तलब किये हुए व्यक्तिये दिवालिये उसके व्यवहार अथवा उसकी जायदादके सम्बन्ध रखने वाली दस्तावेजोंके भी अदालत दाखिल करा सकती है ।

उपदफा (२) में यह दिशा हुआ है कि यदि नियमानुसार तलब किये जाने पर कोई व्यक्ति न आवे या इत्यादि न पेश करे तो अदालत उसके लिये वारण्ट जारी कर सकती है परन्तु साथ ही साथ यह भी दिया हुआ है कि यदि किसी पेशवा कर्णसे उसके आनेमें रुकावट पड़ गई हो जैसे कि मामगी आदिसे अथवा यदि किसी कारणसे वह तलबकी हुई दस्तावेज पेश करनेमें असमर्थ हो तो उसके विरुद्ध इस उपदफाके अनुसार वारण्ट नहीं जारी किया जाना चाहिये ।

उपदफा (३) के अनुसार अदालत उन प्रकारसे तलब निया हुए व्यक्तिका बयान दिवालिये उसके व्यवहार तथा उसकी जायदादके सम्बन्धमें ले सकती है । इसी उपदफामें यह भी दिया हुआ है कि इस दफाके अनुसार तलब किया हुआ बयान अपनी पेशवाके लिये बर्नाल भी कर सकता है ।

उपदफा (४) में दिया हुआ है कि इस दफाके अनुसार तलब किये हुए व्यक्तिके बयानसे यदि यह मायूम होवे कि उस दिवालिये का कर्जा चुकाना हे तो अदालत आफिशल एसायनीके दरखस्त देने पर उस व्यक्तिके लिये यह हुक्म दे सकती है कि वह दिवालिये का कर्जा नियत किये हुए समय पर तथा नियत किये हुए टग पर आफिशल एसायनाको चुका दे । उस व्यक्तिये पूरा कर्जा या पूरे कर्जकी अदायगीमें कुछ कम भी अदालतसे हुक्मक अनुसार लिया जासकता है । उस व्यक्तिये इस प्रकार बयान लिये जानिके सम्बन्धमें जा खर्च हुआ है वह भा वसूल किया जासकता है ।

उपदफा (५) में यह मतलाया गया है कि इस दफाके अनुसार तलब किये व्यक्तिके बयानसे यदि यह मायूम होवे कि उसके कन्वेमें दिवालियेकी कोई जायदाद है तो आफिशल एसायनीकी दरखवास्त पर अदालत उस व्यक्तिके लिये यह हुक्म दे सकती है कि वह नियत किये हुए समयमें व नियत टग पर कुल या जुज जायदाद आफिशल एसायनीकी दे देवे ।

उपदफा (६) में यह मतलाया गया है कि उपदफा (४) व (५) के अनुसार दिये हुए हुक्मोंकी तर्फील उसी प्रकार कराई जावगी जैसे कि जायता दीवानीके अनुसार रुपयेकी अदायगीके सम्बन्धमें दी हुई डिका या जायदाद पर क्रमचा लन वागी डिक्रीकी इजायत कराई जासकती है जायता दीवानीके आर्डर २१ में डिक्रीके इजायत करनेका वर्णन है और इन आर्डरके रूल ३० में रुपयेकी अदायगाक सम्बन्धमें दी हुई डिकाके इजायत उल्लेख किया गया है । और रूल ३१, ३५ व ३६ में जायदाद पर क्रमचा देन वाली डिक्रीके इजायत करनेक नियम दिय हुए हैं ।

जायता दीवानी सन् १९०८ ई० का आर्डर २१ रूल ३० इस प्रकार है—

“ रुपयेकी अदायगीके सम्बन्धमें दी हुई डिकाके इजायतमें मद्रियून दीवानीकी जेलमें बन्द किया जासकता है अथवा उसकी जायदाद कुर्क व नीलम कराई जासकती है या दोनों प्रकार की कारवाही की जासकती है । वह डिका जिसमें कि कोई दूसरा दादरसी (Relief) दी हुई हो परन्तु साथ साथ यह भी दिया है कि उसके न करने पर रुपयेकी अदायगीकी जायदाद रुपयका अदायगाक सम्बन्धमें दी हुई डिका समझा जावगा ”

जायता दीवानी सन १९०८ ई० का आर्डर २१ रूल ३१ इस प्रकार है मनकूला जायदादकी कर्जके सम्बन्धमें—

• (१) जब कि डिका किसी खास मनकूला जायदाद या उसके किसी हिस्सेके सम्बन्धमें होवे तो उसकी इजायत वत जायदाद या उसके उस हिस्से पर क्रमचा लेने व उसका क्रमचा उत व्यक्तिके देने जिसके हुक्म डिक्री हावे या उसकी आरसे

किसी अथ व्यापकको देनेमें की जासकती है या मद्रियून से दीवानीकी जलमें बंद करने या उसको जायदाद कुर्क करने या दोनों प्रकारसे करीबार्द करनेसे की जासकती है ।

(२) जब कि रूल (१) के अनुसार कुर्क की हुई जायदाद ल याह तक कुर्क रही हो और मद्रियूनने डिक्ती की तामील न बंद हो तो डिक्तीदारके नीलामके लिये दरख्वास्त देने पर वह जायदाद नीलाम कर दी जावेगी और उस नीलामके रूपमें डिक्तीमें बतलाई हुई तादादके अनुसार या ज्यादा तादाद न बतलाई गई हो वहा उसके इज्जेके दिवासे जसा अदायत वचित सम्झे डिक्तीदारको दिया सफती है और वकीया कया दरख्वास्त देने पर मद्रियून से दिया जावेगा ।

(३) जब कि मद्रियूनने डिक्तीना तामील करदी होवे और डिक्ती इजायत न वह स्वर्ध जो उते अदा करना चाहिये या अदा कर दिया हो या जब कि उ महीने बीतने पर डिक्तीदारने नीलामके लिये दरख्वास्त न दी होवे या उसकी वां दुई दरख्वास्त नामजूर करदी गई हो तो कुर्क सगाए हो जावेगी ।'

जायता दीवानी सन् १६०८ ई० का आर्डर २१ रूल ३५ इस प्रकार है गैर मनकूल जायदादके सम्बन्धमें—

“ (१) जब कि डिक्ती किसी या मनकूल जायदाद पर कब्जा देनेके सम्बन्धमें होवे तो निम्के हुकमें किती है उसको उम पर कब्जा दिलाया जादगा या उसकी आगसे नियुक्त कर्मे हुए किसी अन्य व्यक्तिको कब्जा दिलाया जावगा और यदि आवश्यकता होगी तो एमें व्यक्तिको इटा कर कब्जा दिलाया जावेगा जो डिक्तीके लिये पाबंद हो पाग्तु कब्जा देनेसे इनकार करे ।

(२) जब कि डिक्ती समुक्त कब्जेके सम्बन्धमें होवे तो ऐस कब्जा जायदादके किसी आम जगह पर कब्जेके बाधकी को नकल चिपकवा देनेसे तथा मुनादी करा देने या अथ किसी प्रचलित दगरी करीबार्द करनेसे दिखवाया जावगा ।

(३) जब कि किसी इमानत या बंद जगहका कब्जा देना होवे और जिस व्यक्तिको उस पर कब्जा होवे जीा वह डिक्ती की पाव दीके लिये बाध होवे परंतु आगामीमें अदर न चुकने देने तो अदायत अपने अकसोंके लिये पदनाशीन ओतोंके जो आम लोगमें न निकलती होवें निकलनेका मोका देने तथा कब्जा देने वाले व्यक्तिको लखिन आगारी देनेके बाद तादद तुडवा कर या चितखती तुडवा कर या बिवाल तुडवा कर या अन्य किसी आवश्यक दगसे डिक्तीदारको क ज दे सकती है ।”

जायता दीवानी सन् १६०८ ई० का आर्डर २१ रूल ३६ इस प्रकार है—

“ जब कि डिक्ती किसी गैर मनकूल जायदाद पर कब्जा देनेके लिये होवे और वह जायदाद डिक्तीदारके कब्जेमें होवे या अथ किसी व्यक्तिके कब्जेमें होवे जो वहा रह सकता हो और वह इन डिक्तीके अनुसार जगह खाली करनेके लिये बाध न होवे तो ऐस कब्जा अदालत जायदादकी किसी आम जगह पर कब्जेका बाध चिपकवा कर या मुनादी कराके अथवा अन्य किसी प्रचलित दगसे कब्जेको घोलना करा देगी और उसमें जायदादके सम्बन्धमें दी हुई डिक्तीका कारी हुवाला होगा ।”

अब ऊपर दिये हुए आर्डर २१ के रूल ३०, ३१, ३५ व ३६ को देखनेमें यह माद्रूप हो जावेगी कि इस दफाकी उपदफा (४) व (५) के अनुसार दिये हुए हुकम भी इसी प्रकार तामील कराये जावेंगे ।

उपदफा (७) में यह दिया हुआ है कि इस दफाके हुकमके अनुसार यदि कोई काम किया जावगा या अदायती की जावेगी अथवा कब्जा दिया जावेगा तो वह पर्याप्त समझा जावेगा और काम करने वाला व्यक्ति उस कामके सम्बन्धमें आयादा कर जिम्मेदारिसे बरी समझा जावेगा अथवा यदि उसने कर्जा चुका दिया है तो उससे दुबागा कर्जा नहीं बमुक कर्जा जासकिया या यदि उसने जायदाद पर कब्जा दे दिया है तो दुबारा कब्जा जायदाद पर नहीं मागा जावेगा । मद्राम हाईकोर्ट ने यह तय किया या कि इस दफाके अनुसार अदालत दिवालय तथा किसी तौलर व्याक्तके बाधमें होने वाले हुक सम्बन्धी झगदों को तय नहीं करेगी, देखा—27 Mad 60 इस दफाके अनुसार करीबार्द करनेके लिये अदालतमें जो दरख्वास्त

दी जाने वसमें सूक्ष्म सीरसे यह दिलावा देना चाहिये कि तबब किये जाने वाले व्यक्तिये पूजा जावेगा और वस पातमे दिवा-
लियेके व्यवहार या जायदादका क्या सम्बन्ध है, देखो—44 Cal. 374 इस दफ्ताके अनुसार दिवालयियेके जो बयान लिये
जावेंगे वह उसके विरुद्ध चलाये हुए कानूनीके मामलेमें उसके विरुद्ध प्रयोग किये जासकेंगे, देखो—46 Cal. 996

दफा ३७ कमीशन जारी करने के अधिकार

किसी व्यक्ति के बयान लेने के लिये कमीशन व प्रार्थना रूप में पत्र जारी करने के सम्बन्ध में अदालत को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो १६०० ई० के जायदादीवाणी की दफा २६ के अनुसार गवाहों के बयानों के सम्बन्ध में अदालत दीवाणी को प्राप्त हैं ।

व्याख्या—

इस दफा के अनुसार अदालत दिवालिया गवाहों के बयान बनारिये कमीशन के करवा सकती है । कमीशन उसी प्रकार जारी किये जासकेंगे जिस प्रकार जायदादीवाणीके अनुसार जारी किये जासकते हैं । जायदादीवाणी (१९०८) के आर्डर २६ में कमीशन जारी करने का हाल दिया हुआ है इस आर्डर के रूल १ से लेकर ८ तक गवाहोंके बयान के सम्बन्ध में जो कमीशन जारी किये जासकतें हैं उनका उल्लेख है इसके पश्चात् उसी आर्डर के रूल १५ से लेकर १८ तक कमीशन के अधिकारों आदि का उल्लेख किया गया है ।

जायदादीवाणी सन् १६०० ई० का आर्डर २६ के उक्त रूल इस प्रकार हैं:—

रूल १—अदालत अपनी अधिकार सीमा के अन्दर सवागान दाखिल किये जाने पर अथवा बिना उसके कमीशन वन गवाहों के बयान के लिये जारी कर सकती है जो इस एक्ट के अनुसार अदालत में आने से बरी है या जो बीमारी अथवा कमजोरी के कारण अदालत में हानिर होने से असमर्थ है ।

रूल २—अदालत स्वयं ही अथवा किसी फरिश्त की या खुद गवाह की दारखारत अनि पर जिसकी तार्दद में हलकनामा दाखिल किया गया हो या जो यों ही दी गई हो कमीशन जारी करने का हुक्म दे सकती है ।

रूल ३—यदि कमीशन किसी ऐसे गवाह के बयान के लिये जारी किया गया हो जो अदालतकी अधिकार सीमा के अन्दर रहता हो तो वह कमीशन किसी भी ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकता है जो अदालत की रायमें उसके लिये उपयुक्त होने ।

रूल ४—(१) कोई भी अदालत किसी भी मामलेमें निम्न लिखित लोगों के बयान के लिये कमीशन जारी कर सकती है :—

(ए) कोई भी व्यक्ति जो अदालत की अधिकार सीमा के बाहर रहता हो ।

(बी) कोई भी व्यक्ति जो अदालत की अधिकार सीमा की वस तारीख से पहिले छोड़ना चाहता हो जिस तारीख पर उसका बयान होने की है । और

(सी) किसी भी सरकारी सिविल या मिलिटरी अफसर के लिये जो अदालत की राय में बिना अपने सरकारी काम को उकसान पहुँचाये जायिर न हो सकता हो ।

(२) इस प्रकार के कमीशन हाईवेजेंट के अतिरिक्त किसी ऐसी अदालत के नाम जारी किये जा सकते हैं जिसकी अधिकार सीमा में गवाह रहता होने अथवा किसी वकील या ऐसे व्यक्तिके नाम जारी किये जा सकते हैं जिसे कमीशन जारी करने वाली अदालत नियुक्त कर देवे ।

(३) कमीशन जारी करनेवाली अदालत यह भी हुक्म दे देवेगी कि आया कमीशन उसी अदालतमें लौटाया जावेगा या उसकी मानहत किसी अदालत में ।

रूल ५—यदि कमीशन जाये करनेवाली अदालत से किसी ऐसे व्यक्ति के बयान के लिये कमीशन जारी कराया जावे जो वृद्धि इच्छा से बाहर रहता हो और उसका यह विश्वास दिला दिया जावे कि उस व्यक्ति की शहादत फरवी है तो अदालत कमीशन या प्रार्थना पत्र (Letter of request) जारी कर सकती है।

रूल ६—जिस अदालत के पास किसी व्यक्ति के बयान के लिये कमीशन भेजा जावेगा वह अदालत उस व्यक्ति का बयान लेवेगी या उमक अनुसार बयान लिये जाने का प्रन्ध करेगी।

रूल ७—जब कि कमीशन वाक्यादे पूरा कर दिया गया हो तो वह वापिस भेज दिया जावेगा और उसके साथ में उमके अनुसार लीडर्स शहादत भी कमीशन जारी करनेवाली अदालत की भेज दीजवेगी यदि उमके विरुद्ध कमीशन के साथ में कोई आज्ञा न देदी गई हो और अगर ऐसा हुआ हो तो उन शर्तोंके अनुसार भेजा जावेगा जो लगादी गई हैं और आगे दिये हुये रूल का ध्यान रखते हुए कमीशन उसको दीया जाना तथा उसके अनुसार लीडर्स शहादत मुकदमोंके भिसिख में सामिल समझा जावेगा।

रूल ८—कमीशनमें लिये हुए बयान उस वक्त तक सूचनों के बगैर शहादतके नहीं पढे जावेंगे जब तक कि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध वह पढे जातेये हैं अपनी सहमत न देवे परन्तु इसकी आवश्यकता निम्न लिखित मामलोंमें नहीं रहेगी—

(ए) यदि बयान देने वाला गवाह अदालतकी अधिकार सीमासे बाहर रहता है या मर गया है या बीपारी अथवा कमजोरीकी वजहसे अदालतमें आनेसे असमर्थ है या वह ऐसा सरकारी सिविल या मिलिटरी अफसर है जो बिना अपने सरकारी कामों तुरुकतान पहुँचये हुए हाजिर नहा हो सकता है, या

(बी) यदि अदालत क्राज (ए) में बतलाई हुई किसी बातके माने जानेका हुक्म दे देवे तथा इस बातका हुक्म दे देवे कि कोई शहादत सूचनों पढी जावेगी बिना इस बातका लिदान लिये हुए कि बयानोंके पढ जाते समय वह वाप जानी रही है जो बयानोंके लिये जाते समय उपस्थित थी।

रूल ९—किसी कमीशनके जारी करनेसे पहिले यदि अदालत चाहे तो उसके खर्चके लिये कमीशन जारी करने वाले फरीकसे बचिन खर्चके लिये रुपये दाखिल करा सकती है यह रुपया नियत लिये हुए समयके अन्दर अदालतमें दाखिल कराया जासकता है।

रूल १०—इस आर्डरके अनुसार नियुक्त किया हुआ कमिश्नर यदि नियत करते समय दिये हुए हुक्मके साथ कोई बात इसके विरुद्ध न लिख दी गई हो तो निम्न लिखित काम कर सकता है—

(ए) करीबनके बयान ले सकता है और किसी ऐसे गवाहके बयान भी ले सकता है जिसे वह खोज या उनमेंसे कोई पेश करे और वह किसी ऐसे अन्य व्यक्तिका बयान भी ले सकता है जो उसकी रायमें उस मामलेके सम्बन्धमें अपने बयान दे सकता हो।

(बी) तहकीकातके लिये जो दस्तावेज आवश्यक हों उनको तलब कर सकता है व उनका मुजायना कर सकता है।

(सी) हुक्ममें जिस जमीनका बडेल हो वही किसी उपयुक्त समय पर जासकता है।

रूल ११—(१) इस एक्टमें गवाहोंकी तलबी शर्तियों व बयानोंके सम्बन्धमें जो नियम दिये हुए हैं और उनके लिये जो खर्च व खर्च और जो दण्ड बतलाये गये हैं वह सब बातें उन लोगोंके लिये भी लागू होंगी जिनकी शहादत कमिश्नर लिया चाहे या जिनसे दस्तावेज तलब कराया चाहे। यह सब बातें उन सब कमीशनोंके लिये लागू होंगी जो चाहे लिटिग इन्डिजनी अदालतसे या उसके बाहरकी किसी अदालतसे जाते किये गये हो इस रूलके लिये कमिश्नरकी अदालत दीवानी मान लिया जावेगा।

(२) कमिश्नर, इंडिफेरेण्ट अथि रिक्त अन्य रिक्त अदालतसे मिसकी अधिकार सीमामें गवाह रहता हो गवाहके लिये समन जारी करा सकता है। उसके जारी करानेकी उस आवश्यकता प्रतीत होवे और वह अदालत अपनी इच्छाके अनुसार जमा उसे वाचन व ठीक प्रतीत होगा वैसा इसलानामा जारी करेगी।

कूल १८—(१) जब कि इस आर्डरके अनुसार कमीशन जारी कराया गया हो तो अदालत यह हुक्म दे देवेगी कि फर्किंग रख या अपन एजन्ट या वकीलके जरिये कमिश्नरके सामने हाजिर होंगे।

(२) जब कि फर्किंगमेंसे सब या कोई इस प्रकार कमिश्नरके सामने हाजिर न होवे तो कमिश्नर उनकी नामानुरही में कार्यवाई कर सकता है।

कमिश्नरकी नियुक्ति आदिसे सम्बन्धमें जायता शैबानोंके जिन नियमोंका ऊपर उल्लेख किया गया है वही नियम इस एक्टके अनुसार नियत गिये जान वाले कमिश्नर व कमीशनके सम्बन्धमें लागू समझना चाहिये। इस दफ्तासे यह भली भांति प्रकट है कि अदालत दिवालिया दफ्ता २६ के अनुसार किसी गवाहका बयान लेनेके लिये कमीशन भी जारी कर सकती है।

दिवालियेका बहाल किया जाना

दफा २८ दिवालियेका बहाल किया जाना

(१) दिवालिया करार दिया जानेका हुक्म होनेके पश्चात् किसी समय भी दिवालिया अदालतमें अपने बहाल होनेके लिये दरखास्त दे सकता है और अदालत ऐसी दरखास्तके सुने जानेके लिये कोई तरीका नियत करेगी। परन्तु यदि इस एक्टके नियमोंके अनुसार उसका आम बयान छोड़ दिया गया हो तो यह दरखास्त उस समय तक नहीं सुनी जावेगी जब तक कि वही बयान न हो जावे दरखास्त खुली अदालतमें सुनी जायेगी।

(२) इस दरखास्तको सुनते समय अदालत आफिशियल एसायनी की रिपोर्ट जो उसने दिवालियेके व्यवहार तथा उसके मामलेके सम्बन्धमें दी होये ध्यानमें रखेगी और दफा २६ के नियमोंका ध्यान रखते हुए—

(ए) पूर्ण रूपसे बहाल किये जानेका हुक्म दे सकती है या उसके देनेसे इनकार कर सकती है, या

(बी) बहाल किये जाने वाले हुक्मका प्रयोग निर्धारित समयके लिये रोक सकती है, या

(सी) बहाल होनेका हुक्म उन शर्तोंके साथ दे सकती है जो उसकी आयन्दा होने वाली आयदनी या नुनाफाके सम्बन्धमें होवे या उसको आयन्दा मिलने वाली जायदाद के सम्बन्धमें होवे।

व्याख्या—

इस दफामें दिवालियेके बहाल किये जानेका वर्णन है। उपदफा (१) के अनुसार दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म हो जानेके पश्चात् किसी समय भी दिवालिया बहाल किये जानेकी दरखास्त दे सकता है और ऐसी दरखास्तके जाने पर अदालतका यह कर्तव्य होगा कि वह उसका सुननेके लिये कोई दिन नियत कर देवे जैसा कि अग्रेकी एक्टकी इस उपदफा में प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है। परन्तु साथही साथ इस उपदफामें यह भी बतला दिया गया है कि यदि

दिवालियाका आम बयान किता बनहूमे नहीं लिया गया हो तो जब तक उसका आम बयान न हो जावे तब तक उसकी दरखास्त नहीं सुनी जावेगी। बहाल किये जानेका दरखास्त खुली अदालतमें सुनी जावेगी अर्थात् उसकी समाप्त कमेरे (Chamber) में नहीं की जासकती है जैसा कि अमेजी एक्टमें इस सम्बन्धमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दमें भासित होता है।

उपदफा (२) में बतलाया गया है कि बहालकी दरखास्त पर विचारकते समय अदालत आधिकार प्राप्तवनीकी रिपोर्ट जो उक्त दिवालियेके व्यवहार व मामलेके सम्बन्धमें दी हो देवेगी और दफा २९ क नियमोंका प्यान रखते हुए तीन मन्त्रके हुकम त्री प्राज (ए), (बी) व (सी) में दिखलाये गये हैं वे सक्ती है।

बहाल (ए) के अनुसार पूर्ण रूपसे बहाल किये जानेका हुकम दे सक्ती है अथवा उसके देनेसे इनकार कर सक्ती है।

बहाल (बी) के अनुसार बहालके हुकम नियत किये हुए समयके लिये मुलतबी कर सक्ती है।

बहाल (सी) के अनुसार बहालका हुकम आयदा होने वाली आपदनी या आने वाली जपानके सम्बन्धमें दे सक्ती है।

यदि दिवालिया किर्मा कर्जे-बादके कर्जोंका फैसला इस शर्तके साथ कर केजे कि वह उसकी दिन कियेकी दरखास्तका विरोध नहीं करेगा तो इस प्रकार किया हुआ इकरारनामा यह समझा जावेगा क्योंकि यह अय कर्जेबाहारीको धाखा देते हुए तथा कानून दिवालियाके मन्तव्यके विरुद्ध है, देखो—20. Bom. 636.

दफा ३९ वह मामले जिनमें पूर्ण रूपसे बहाल किये जाने वाले हुकम देनेसे इनकार कर देना चाहिये

(१) यदि दिवालियेने इस एक्टमें बतलाया हुआ कोई जुर्म किया हो या लाजीमान हिन्द की दफा ४२१ से ४२४ तकका कोई जुर्म किया हो तो अदालत ऐसे सब मामलोंमें बहाल (Discharge) करनेसे इनकार कर देगी और आगे दिये हुए किसी बातके साबित होने पर, या

(ए) बहाल करनेसे इनकार कर देगी, या

(बी) किसी नियत किये हुए समय तकके लिये बहाल रोक देवेगी, या

(सी) बहालके हुकमको उस वक्त तकके लिये रोक देवेगी जब तक कि कर्जपुधारोंको रूपमें चार आने अदा न कर दिये जावे, या

(डी) दिवालियेके बहाल करनेमें यह शर्त लगा देवेगी कि उसके विरुद्ध उस मतालियेके लिये आफिशल एसायनोंके इक्रमें डिफ्री कर दी जावे जो उस वक्त साबित किये जाने योग्य कर्जोंके सम्बन्धमें देना बाकी निकलता होवे। और वह बचा हुआ कर्जा या उसका कोई हिस्सा दिवालियेकी आयन्दा होने वाली आमदनी या उस आयन्दा प्राप्त होने वाली आयदादसे उस प्रकार व उन शर्तोंके साथ चुकाया जावेगा जो अदालत मुनासिब समझे। परन्तु ऐसे मामलोंमें डिफ्री बिना अदालतकी आज्ञाके इकरार नहीं की जावेगी और अदालत की ऐसी आज्ञा उस वक्त प्राप्त हो सकेगी जब कि यह साबित होजावे कि बहालके बाद दिवालियेको कोई आयदाद मिली है या आमदनी हुई है जिससे उसके कर्ज चुकाये जासकते हैं।

(२) उपदफा (१) में आगे आने वाली जिन बातोंका हवाला दिया है वह यह हैं:—

- (५) यह कि दिवालियेके लहनेकी कीमत उतनी नहीं है जिससे कि उसके दिला महकूत कर्जोंका एक रुपयेमें चार आना न चुकाया जासके अथवा कि वह अदागतको इस बातका विश्वास न दिला द्ये कि उसके लहनेकी कीमत ऐसी घजहोंसे कम है जिनके लिये यह उचित रूपसे किसी प्रकार ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जासकता है।
- (बी) यह कि दिवालिया उस प्रकारके देसायकी कितायें नहीं रखता रहा है जैसी कि इसके व्यापारके लिये रचना आवश्यक है और जैसा कि रखे जानेका चलन है और जिनसे कि उसके दिवालिया होनेसे पहिले तीन सालके बीचके व्यापारिक सौदे या माली दासत जानी जासके।
- (सी) यह कि दिवालिया अपनेको दिवालिया जानते हुए भी व्यापार करता रहा है।
- (डी) यह कि दिवालियेने इस एक्टके अनुसार साबित किया जाने योग्य कोई सौदे यह जानते हुए किया हो कि उसे उस सौदेके अदायगी की सम्भावना, सौदा करते समय नहीं थी। इस बातका पार सुधृत दिवालिये पर होगा कि वह सौदा करते समय उसकी अदायगी की उम्मेद रखाता था।
- (ई) यह कि दिवालिया अपनेलहनेकी कमी या उसका नुकसान सन्तोपजनक रूपसे नहीं समझ सकता है।
- (एफ) यह कि दिवालियेने अपने देतद्वारा ध खतरनाक सट्टेके सौदों को करनेकी घजहसे अथवा रहन सहनमें अनुचित ध्यय करनेकी घजहसे या जुपकी घजहसे या अपने व्यापारके कामोंको जानबूझ करन देखनेकी घजहसे अपनेको दिवालिया बना लिया है।
- (जी) यह कि दिवालियेने अपने किसी कर्ज़लवाहका बंजा खर्च किसी ऐसे मामलेके सम्बन्धमें कर दिया है जो उसने सही तरीकेसे उसके विरुद्ध दायर किया हो और जिसमें कि उस दिवालियेने कर्ज़लवाह को परेशान करनेके लिये बंजा तौरसे जवाबदेही की हो।
- (एच) यह कि दिवालिये की दरव्यास्त दाखिल किये जानेसे पहिले तीन माहके अन्दर दिवालियेने किसी बंजा ध परेशान करने वाले मामलेको चला कर अनुचित ध्यय किया होवे।
- (आई) यह कि दिवालियेने दरव्यास्त दाखिल किये जानेसे पहिले तीन माहके अन्दर जब कि वह अपने कर्ज़ोंको अदा करनेमें असमर्थ था अपने किसी कर्ज़लवाह को बंजा तरीके पर तर्जिह दी है।
- (जे) यह कि दिवालियेने अपनी हिसाब की किताबों या जायशुद को या उसके किसी हिस्से को छिपा दिया है या हटा दिया है अथवा यह अन्य किसी धोखेदेहीका या धोखादेहीसे किये हुए अमानधमें टपानत का दोषी हुआ है।
- (३) बहालके हुकम को मुअत्तिल करने (Suspend) या उसमें शर्तके लगानेके अधिकार एक साथ प्रयोग किये जासकते हैं।

(४) बद्दाल की दरमुवास्तके लिये आफिशल एसायनी की रिपोर्ट जाहिरा सौर पर सुबूह होवेगी और मद्दालत उस रिपोर्टमें की हुई बातों को सच्चा मान सकती है ।

ब्याख्या—

इस दफामें उन सब बातोंका उल्लेख है जिनके अनुसार अदाकत पूरी रूपसे बद्दाल कम्बेसे इनकार कर देगी व साथ ही साथ वह भी अवसरयें बतलाई गई हैं जिनके होने पर शर्तोंके साथ बद्दालका हुक्म दिया जासकता है ।

उपदफा (१) में यह बतलाया गया है कि यदि दिवाळियेने इस एकटमें बतलाये हुए किसी अपराधको किया हो अथवा ताजोरत हिन्दी दफा ४२१, ४२२, ४२३ वा ४२४ के अनुसार जापघ किया हो तो अगस्तका कर्तव्य होगा कि वह बद्दालका हुक्म देनेसे इनकार कर देवे । अंग्रेजी एकटकी इस उपदफामें (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रकट है कि इस उपदफामें बतलाये हुए नियमोंकी अवहेलना नहीं होनाया चाहिये । इस एकटके अनुसार किये जाने वाले अपराधोंका उल्लेख दफा १०३ में किया गया है जिसके अनुसार अपने मामलोंकी असली हालतको छिपानेसे अथवा किसी कर्तव्यको छिपाने या घोषादा तौरसे कुछ देने पर या अपनी जायदाद हथ देने या उस पर किसी प्रकारका बार पैदा कर देनेसे दिवाळिया अपराधी क्यार दिया जासकता है । ताजोरत हिन्दी दफा ४२१ से लेकर ४२४ तकमें भी जोखते लिखी हुई दस्तावेजों व जायदादके सम्बन्धमें दिये हुए शर्तोंका उल्लेख है ।

ताजोरत हिन्द एक्ट नं० ४५ सन् १८६० ई० की दफा ४२१ इस प्रकार है—

दफा ४२१—“यदि कोई व्यक्ति बेईमानीसे या घोसादेहीसे किसी जायदादका हथ देवे, छिपा देवे या दूसरे व्यक्ति को दे देवे या किसी शर्तके इकमें उसका इतकाल कर देवे या इतकाल कर देवे और उसके लिये कर्षात मुआविका न लेवे तथा इस मद्दाते ऐसा काम करे कि जिसमें उसकी जायदाद कानूनके अनुसार उसके कर्तव्यदानमें भागी न जासके या वह किसी अन्य व्यक्तिसे कर्तव्यदानमें न बांटे जासके तो उस व्यक्तिको दो साल तकके कारावासका सजा या कठोर दण्ड अथवा जर्मनेका दण्ड या दोनों प्रकारके दण्ड एक साथ दिये जासकेंगे”

दफा ४२२—“यदि कोई व्यक्ति बेईमानीसे अथवा घोसादेहीसे अपनी या किसी अन्य व्यक्तिका कर्ज इस मद्दाते ठेके कि जिसमें वह कानूनके अनुसार उसके कर्ज या उन दूसरे व्यक्तिसे कर्जों की अदायगीमें म दिया जासके तो उस व्यक्तिको दोनों प्रकारके दण्ड यानी कारावासका दण्ड दो साल तकके लिये दिया जासकेगा या उस पर जर्मनेका दण्ड या दोनों प्रकारके दण्ड दिये जासकेंगे ।”

दफा ४२३—“यदि कोई व्यक्ति बेईमानीसे अथवा घोसादेहीसे किसी ऐसी दस्तावेज या कागज पर दखलन करे उसे लिखे या उसके लिखने जायमें भाग लेवे जिसके अगिये कोई जायदादका इतकाल किया जाना होगा होवे या उस जायदाद पर बार पैदा होता होवे या उस जायदादका कोई दण्ड उसमें जाता हो और उसमें मुआविकेका शर्तक बयान लिखा गया हो या जिस व्यक्तिसे इकमें या जिसके साथदेके लिये वह लिखा गया हो, या वह गलत लिखा हो तो वह व्यक्ति दो साल तककी दोनों प्रकारकी सजा या जर्मने की सजा या यह दोनों सजायें साथ साथ पावेगा ।”

दफा ४२४—“यदि कोई व्यक्ति बेईमानीसे अथवा घोसादेहीसे अपनी या किसी अन्य व्यक्तिकी जायदादको छिपा दे या हथ दे या उसके छिपाने अथवा हथमें पदद देवे या बेईमानीसे अपने किसी इकको या मागकी जोड़ देवे जिसका वह मुआदक है तो उस व्यक्तिको दो साल तकके सजा या कठोर कारावास या जर्मने की सजा या दोनों प्रकारकी सजायें दी जावेंगी”

उपदफा (२) में कुछ शर्तोंका वर्णन है और उनके साबित होने पर अदाकत उपदफा (१) के क्लॉ (१), (बी), (सी) व (डी) के अन्तर्गत हुक्म देवेगी ।

- उपदफा (१) फलाज (ए) के अनुसार बहाल होनेका हुक्म देनेसे अदालत इनकार कर सकती है ।
- फलाज (बी) के अनुसार नियत समयके लिये बहालका हुक्म मुलतबी कर सकती है और उसी हुक्ममें यह भी दिया जासकता है कि नियत की हुई तारीखसे दिवालिया बहाल होवेगा इस प्रकारके नियमका यह अर्थ स्पष्टना चाहिये कि नियत की हुई तारीखसे बहालके हुक्मका प्रभाव आरम्भ होगा, देता—44 Bom. 555.
- फलाज (सी) के अनुसार बहाल किये जाने वाले हुक्मको उस समय तकके लिये मुलतबी किया जासकता है जब तक कि बर्खास्तहोके अपने कर्जमें रुपयेमें चार आना न मिल चुके ।
- फलाज (डी) के अनुसार दिवालियेके ऊपर बहाल किये जानेका हुक्म होनेके साथ साथ बर्किया मतालिबके लिये डिम्बे दी जासकती है यह डिम्बे आफिशल एसायनीके इकमें की जावेगी और उसका मतलिब दिवालियेकी आय या होने वाली आमदनी या मिलने वाली जायदादसे उन शर्तोंके अनुसार वसूल किया जासकेगा जो अदालत लगा देना मुनासिब समझे । इस क़ाज़में यह भी दिया हुआ है कि इस प्रकार दी हुई डिम्बे बिना अदालत की आज्ञाके जारी नहीं करार्य जावेगी और अदालत इस प्रकारकी डिम्बेके इनपय किये जानेके लिये उसी वक्त आज्ञा देवेगी जब उसको यह साबित हो जावे कि दिवालियेने बहाल होनेके बाद कर्जों जायदाद पार्य है या उसको कर्जों आमदनी हुई है जिससे कि उसके कर्ज चुकाये जासकते हैं ।
- उपदफा (२) दस क़ाज़ोंमें विभक्त है इस उपदफाके क़ाज (ए) के अनुसार यदि बिला मरफूज़ बर्जे रूपमें चार आने न चुकाये जासके तो अदालत उपदफा (१) के अनुसार हुक्म दे सकती है जब तक कि उसको सर्वौपजनक रूपसे यह साबित न हो जावे कि दिवालिया इस दरराको ऐसे कारणोंसे पहुँचा था जिस पर उसका कोई बस नहीं था अपौर नियमके लिये वह जिम्मेदार नहीं ठहराया जासकता हो ।
- फलाज (बी) के अनुसार यदि दिवालिया अपने व्यापारके सम्बन्धमें प्रचलित हिस्साकी वित्तानें न रखता रहा हो जिससे कि उसके सौदाका पता व माली हालत दिवालिया होनेसे तीन साल पूर्व तककी जानी जासके तो भी अदालत उपदफा (१) के अनुसार हुक्म दे सकती है । इस क़ाज़में यह भली भांति प्रकट है कि केवल हिस्साकी वित्तानोंका रखनाही पर्याप्त नहीं है किन्तु उनसे दिवालियेके व्यापार व धन साबन्धी हालत भी माज़म होना चाहिये । हिस्साकी वित्तानें उस प्रकारकी होना चाहिये जैसी कि नामारके चलनके मुनाफिक उस प्रकारका व्यापार करने वाले रखते हैं जिस प्रकारका व्यापार दिवालिया करता रहा हो और उन वित्तानोंसे दिवालियेके व्यापारका पता दिवालिया होनेसे पहिले तीन साल तरका माज़म किया जासके ।
- फलाज (सी) में यह बतलाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनेको दिवालिया जानते हुए व्यापार करता रहा हो तो वह व्यक्ति भी उपदफा (१) के अनुसार हुक्म पानेका अधिकारी है ।
- फलाज (डी) में यह दिया हुआ है कि यदि दिवालियेने कोई कर्ज यह जानते हुए लिया हो कि उसके पास उस कर्जकी चुकानेका कोई साधन नहीं है और वह कर्ज इस प्रकारके अनुसार साबित किया जासकता हो तो ऐसी बातके साबित होने पर भी अदालत उपदफा (१) के क़ाज़ोंके अनुसार हुक्म दे सकती है ।
- फलाज (ई) में यह बतलाया गया है कि यदि दिवालिया सर्वौपजनक रूपसे यह न साबित कर सके कि उसका अक्षरता उसके कर्जोंको चुकानेके लिये पर्याप्त क्यों नहीं है या उसके अक्षरतामें कमी क्यों हो गई है तो अदालत उपदफा (१) के क़ाज़ोंके अनुसार हुक्म दे सकती है ।
- फलाज (फफ) के अनुसार यदि यह साबित हो जावे कि अज्ञानि जर्ज करने या लेना सहेवाभीसे दिवालियेने अपनी यह

शुद्ध कर ही है या जुर्माने अथवा अपायार्थ टाँक तौम न दखनके कारण अपना कर्तव्य विगाड़ दिया है तो अदालत उपदफा (१) के प्राक्को अनुसार हुकम देवेगी ।

फ्लाज़ (जी) के अनुसार दिवालिया यदि किसी कर्जवाहक केना खर्च घुड़ी व केना जवाबदेहीके कारण किसी प्रकारके काम देव जा सका तगावसे उसक बचक चाद किया गया हा तो भी अदालत उपदफा (१) के अनुसार हुकम दे सकता है ।

फ्लाज़ (घ) क अनुसार यदि दिवालियेने दिवालियेका इलत होनेसे पहिले तान माहक अदर केना मुकदमे बार्जिमें खर्च दिया हो तो भी अदालत उपदफा (१) का प्रयोग कर सकती है ।

फ्लाज़ (झाई) क अनुसार यदि दिवालियेकी दरखास्त गुजरनेसे पहिले तीन माहक अन्दर दिवालियेन किसी कर्जवाहकके घोषादहीसे तर्मीह (Preference) दी हो तो अदालत उपदफा (१) क अनुसार बाल्वाई कर सकती है । घोषादहीसे तर्मीह देनेका उल्लेख दफा ५९ में किया गया है ।

फ्लाज़ (जे) के अनुसार यदि दिवालियेने अपना इत्तार वीं कितानों को हयात हो या लिया गया हो अथवा उसने अपनी आयदाद व उसका बार्हें हिस्सा लूपाया या हयात हो अथवा उसने कोई भागा दिया हो या धारसे अमा नतमें खयानत किया हा ता वह उपदफा (१) क अनुसार ही हुकम पानेका अधिकारी होगा ।

उपदफा (३) के अनुसार मुलतवा का हुकम तथा शर्तों का लगाया जाना एक साथ किया जा सकता है ।

उपदफा (४) में यह नतआया गया है कि आर्किश्ट एसायनी का रिपॉर् आह्रा तार पर सुभूत मानी जावेगी और अदालत उसको बिलकुल टाक मान सकती है ।

दफा ४० बहालकी दरख्वास्तका सुना जाना

अदालत द्वारा बहाल की दरख्वास्त सुने जानेका नोटिस निर्धारित रूपसे प्रकाशित किया जायेगा और उसकी सूचना निश्चित कीहुद तारीखसे कमसे कम एक माहके पहिले उन कर्जवाहकों पास भेजी जावेगी जो अपना कर्जा साधित कर चुके हैं और अदालत आर्किश्ट एसायनी तथा कर्जवाहकों की भी चार्ज सुनेगी । सुनने वाली तारीख पर अदालत दिवालियेसे वह प्रश्न पूछगी और वह शहादत लेवगी जो उसे उचित समझ पड़े ।

ध्याख्या—

इस दफामें यह मतआया गया है कि बहाल होने की दरख्वास्त एने जानेके लिये जो तारीख नियत की जाने उसकी सूचनाकी सूचना नियमित रूपसे दूण दग पर की जावेगी । इस मुकदमे की अवलोकना बर्दा कीजासकती है जैसा कि अंग्रेजी प्रकमें प्रयोग आगे हुए (Shall) शब्दसे माहूम हाता है । बर्दा साधित कर देने वाले कर्जवाहकोंसे भी उनकी सूचना नियत की हुई तारीखसे कमसे कम एक माह पहिले दी जाना आवश्यक है । बहाल की दरख्वास्त सुनते समय अदालत आर्किश्ट एसायनी व किसी कर्जवाहकी जवाबदेही को मा सुन सकती है । अदालत दिवालियेसे ऐसे बयानाद पूछ सकती है व उनके जवाब ले सकती है ज्ञा उस सुनासिन क्षमप्र पड़े ।

दफा ४१ बहाल होनेकी दरख्वास्त न देने पर दिवालिया करार देने वाले हुकमकी संसूची

यदि बहाल की दरख्वास्त सुननेके लिये नियत किये हुए दिन पर दिवालिया हाजिर न होवे अथवा दिवालिया निर्धारित किये हुए समयक अन्दर बहाल की दरख्वास्त न देवे तो अदालत

राज आकिण्डल एसायनी या किसी कर्जस्थान की दरखास्त पर या स्वयं ही विधालिया करार दिये जाने वाले हुकमको मंजूरी कर सकती है या और कोई हुकम जो उसे मुनासिब मालूम हो व सकता है और इस प्रकारकी मंजूरी देने पर दफा २३ में बतलाये हुए नियम लागू होंगे ।

व्याख्या—

यदि विधालिया बहाल होने की दरखास्त छने अनेके दिन हाजिर न होवे या अदालत द्वारा निरा किये हुए समयके अर, बहाल की दरखास्त न देवे तो अदालतको अधिकार है कि वह विधालिया करार दिये जाने वाले हुकमको मंजूरी कर देवे । इस प्रकारके मंजूरी का हुकम अदालत स्वयं दे सकती है अथवा अकिण्डल एसायनी या किसी कर्जस्थान की दरखास्त आने पर दे सकती है । यह भी बतलाया गया है कि इस दफाके अनुसार मंजूरीके हुकम पर दफा २३ के नियम लागू होंगे अर्थात् दफा २३ में बतलाये हुए सैदि आदि का इस हुकमसे पहिले किये गये हों बदस्तूर बने रहेंगे व विधालिये की जायदाद उसे या अन्य किसी व्यक्ति को अदालत की आज्ञाके अनुसार मिल जावेगी । विधालिया यदि जल्दसे कमा गया हो तो बहाल मंजूरी दिया जासकेगा व मंजूरीके हुकमकी मुजहरी भी जावेगी । दफा २३ की देखनेसे यह सब बातें भली भाँति समझमें आसकती हैं ।

दफा ४२ बहाल होनेकी दरखास्तका दुबारा दिया जाना

(१) जब कि अदालत बहाल किये जाने की दरखास्त नामंजूर कर देवे तो उसको अधिकार है कि वह नियत किये हुए समयके भीत जाने पर तथा उन बातोंके उपस्थित होने पर जो निर्धारित कर दी गई हों विधालिये को फिरसे अपनी दरखास्त देने का अधिकार दे देवे ।

(२) जब कि बहाल किया जानेका हुकम किसी शर्तोंके साथमें दिया गया हो तो उसके हुकमके परवाह दो साल भीत जानेके बाद किसी समय भी विधालिया अदालतको उस बात का विद्वान दिला देवे कि कोई उचित सम्मथना इस बात की नहीं है कि अदालत द्वारा लगाई हुई शर्तों की पूर्ति की जासकेगी तो अदालत अपने हुकम की शर्तोंमें संशोधन कर सकती है अथवा पाश्चिमे दिये हुए हुकम का संशोधन कर सकती है और यह संशोधन उस प्रकार व उन शर्तोंके साथ किये जावेंगे जो उसे उचित प्रतीत होंगे ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार बहाल होने की दरखास्त एक बार खारिज किये जाने पर भी दुबारा दो आसकती है परन्तु दुबारा दरखास्त अदालत द्वारा निर्धारित किये हुए समयके बाद तथा उसके द्वारा बतलाई हुई शर्तोंके उपस्थित होने पर नहीं की जासकेगी यदि अदालतने ऐसे समय या शर्तोंके लिये कोई हुकम दिया होवे । और अदालत की आज्ञा लेने पर यह दुबारा दी जाने वाली दरखास्त की जासकती है ।

उपदफा (२) में यह बतलाया गया है कि यदि किसी शर्तोंके अनुसार विधालिया बहाल किया गया हो तो उसके पाश्चिमे दो साल बीतने पर विधालिया अदालतको यह विद्वान दिला सकता है कि अब आपन्दा कोई सम्मथना नहीं है कि वह लगाई हुई शर्तोंकी तामील कर सके इसलिये उन शर्तोंको या तो हटा देना चाहिये या उनमें उचित परिवर्तन कर देना चाहिये । अदालत ऐसा विद्वान होने पर या तो शर्तोंको हटा सकती है या उनमें उचित परिवर्तन करके अपना दूसरा हुकम दे सकती है । अदालत इस दफाके अनुसार कार्य करनेके लिये बाध्य नहीं है जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) कालसे मालूम होता है ।

दफा ४३, बहाल किये हुए दिवालियेका जायदाद वसूल करानेके सम्बन्धमें कर्तव्य

बहाल किया हुआ दिवालिया, बहाल हो जाने पर भी आफिशल एसायनी द्वारा चाही हुई मददको अपने उस लहने व जायदादके वसूल करने तथा उसके बांटनेमें जफर देवेगा जो आफिशल एसायनी की सुपुर्दगीमें भागई हो और यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो वह अदालत की तौहीन करने का दोषी होगा और यदि अदालत उचित समझे तो उसके बहाल किये जानेके हुक्म को भी मंजूरी कर सकती है परन्तु इस प्रकार मंजूरीके हुक्मसे पहिले तथा बहाल होनेके पश्चात् जो बयनामें, इन्तकालाल या अदायगी वाकायदा फीगई हों या जो काम किये गये हों उन पर इस मंजूरीके हुक्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अर्थात् वह जैसेके तैसे बने रहेंगे ।

व्याख्या—

दिवालिया बहाल किये जानेके बाद भी आफिशल एसायनी को अपनी जायदादके वसूल किये जाने तथा उसे कर्म-बन्धनोंमें बाँटे जानेमें मदद देवेगा । अंग्रेजी एक्टकी इत दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे यह प्रकट है कि दिवालिया इस दफाके नियमकी अवहेलना नहीं कर सकता व इसी दफामें यह भी बतला दिया गया है कि यदि वह उसकी अवहेलना करेगा तो दोषी निर्धारित भिया जाकर दण्डना अधिकारी होगा । इस प्रकारका दोष अदालतकी तौहीन करना समझा जावेगा और उसके अनुसार दिवालिया दण्ड पासकता है । इनवाही नहीं है किन्तु बहाल होनेका हुक्म भी मंजूरी किया जा सकता है परन्तु इस प्रकारका मंजूरीमें पहिले तथा बहाल किये जानेके बाद जा सौदे आदि किये गये हों वह सब बदस्तूर बने रहेंगे । मंजूरीका हुक्म देना न देना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है अर्थात् अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है ।

दफा ४४ घोखदिहीसे किये हुए सौदे

(१) यदि कोई जायदाद विवाहसे पहिले विवाहके एवजमें लिख दी जावे और लिखते समय लिखने वाला पिला इस जायदादको भी शामिल किये हुए अपने सब कर्तव्योंको चुकानेमें असमर्थ होवे, या

(२) यदि कोई सौदा या मुवाहिदा विवाहके सम्बन्धमें किया जावे जिससे कि कोई रुपया या जायदाद लिखने वाले व्यक्ति की स्त्री या बच्चों को भविष्यमें मिलने वाली होवे परन्तु वह रुपया या जायदाद विवाहके समय उपस्थित न होवे या उसमें देने वाले का उस समय कोई हक न होवे (इसमें उस रुपये या जायदादसे तात्पर्य नहीं है जो उसकी स्त्री की होवे अथवा जिसमें उसकी स्त्री का हक पहुँचता हो) तो ऐसी दोनों हालतोंमें यदि लिखने वाला व्यक्ति दिवालिया ऋार दे दिया जावे या वह स्वमर्जाता कर लेवे अथवा वह अपने कर्तव्योंवाहसे तस्फीया कर लेवे और अदालतको यह मालूम हो कि जायदाद का उस प्रकार दिया जाना या सौदा अथवा मुवाहिदा कर्तव्योंवाहोंके कर्तव्यों को मारने या उसमें देर करने की भंशासे किया गया था या ऐसे सौदेके किये जाते समय की हालत को देखते हुए वह सौदा अनुचित प्रतीत होवे ता अदालत बहाल किये जाने वाले हुक्म देनेसे इनकार कर सकती है या उससे कुछ समयके लिये मुलतयी कर सकती है या शर्तोंके साथ बहाल का हुक्म देसकती है अथवा तस्फीये या तप किये जाने पर ल मसले को स्वीकार करनेसे इनकार कर सकती है ।

व्याख्या—

इस दफ्तरे यह बतलाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने लाभार्थ किसी जायदाद को अपनी छी या बचोके हुक्म में इस मंदागि मिल देवे कि जिसमें उसके वर्तमानार्थक कर्ज वसूल करनेमें देर होने या उनका कर्जा वसूल न किया जासके या ऐसी-वि अन्य कोई सौदा या तहरीर कर देवे तो अदाकारको अधिकार है कि वह या तो दिवालियेके बहाल होनेका हुक्म न देवे अथवा बहाल होनेका हुक्म प्रस्तवी कर देवे या शर्तोंके साथ बहालका हुक्म देवे या तसरीया अथवा स्वीमको मजूर न करे। इस प्रकारसे जायदादके लिखे जानेकी धोखेमें किया हुआ काम ममला जासइता है और इसी कारण दिवालिया अपने बिये हुए धोखेदारीके कामसे बच लाभ नहीं उठा सकता है। इस बातका भी ध्यान रहना चाहिये कि यदि इस दफ्तरे अनुसार बतलाया हुए मौदे अपनी छी की निजी जायदाद या रुपये या इन्होंने सम्बन्धमें बिये गये हों ता वह मौदे इस दफ्तरे अनुसार बिये हुए धोखेके सिरे नये माने जासकते हैं।

दफा ४५ बहालके हुक्मका प्रभाव

(१) बहाल का हुक्म दिवालिये को नीचे दी हुई बातोंसे बरी नहीं करेगा:—

(ए) सरकारको चुकाया जाने वाला कर्जा।

(बी) कोई भी कर्ज या ज़िम्मेदारी जो धोखादेहीने या धोखादेहीसे की हुई अमानतमें खयानतसे पैदा हुई हो और जिसमें दिवालिये का भी हाथ रहा हो।

(सी) कोई भी कर्ज या ज़िम्मेदारी जिसके लिये धोखा देकर माफी ले ली गई हो और जिसमें दिवालिया का भी भाग रहा हो।

(डी) कोई भी ज़िम्मेदारी जो सन् १८६८ ई० के जावता फौजदारी की दफा ४८८ के अनुसार दिये हुए हुक्मके आचार पर हुई हो।

(२) उन मामलों को छोड़ कर जिनका उल्लेख उपदफा (१) में किया गया है दिवालिया बहाल होने पर उन सब कर्जोंसे बरी हो जावेगा जो दिवालिये की कार्यवाहीमें साबित किये जा सकते हैं।

(३) बहाल किये जाने का हुक्म दिवालिये की कार्यवाही का पूरा सुवृत होगा और उसके सम्बन्धमें की हुई सब कार्यवाहियों का भी पूरा सुवृत होगा।

(४) यदि कोई व्यक्ति दिवालिये की दरखास्त दाखिल किये जाते समय दिवालिये का साक्षीदार या उसके साथ दूष्टी रहा हो या संयुक्त रूपसे किसी सौदे की अदायगी का ज़िम्मेदार रहा हो या यह ज़ाबिनदार या ज़ाबिनदारके तौर पर रहा हो तो ऐसा व्यक्ति दिवालियेके बहाल हो जाने पर बरी नहीं होगा।

व्याख्या:—

उपदफा (१) में वर कर्जें बतलये गये हैं जिनसे बहाल होने पर भी दिवालिया उदार नहीं हो सकेगा यह कर्जें टाऊ (ए) (बी), (सी) व (डी) में दितलये गये हैं।

फ्ल्याज़ (ए) के अनुसार सरकारी कर्जोंमें बरी नहीं हो सकता वह उसे बहाल होने पर भी देना पड़ेगा।

कलाज (बी) के अनुसार यदि दिवालियेन घोसले या घोखदेईसे अमानतमें खयानत करके कोई सैदि निय हों अपन हाते दिने हों ता उन सोरोह सम्बन्धों जो कल होत वह भी बदलूर नग रहेंगे और दिवालिया बहाल होने पर भी उनका जिम्मेदार बना रहेगा ।


कलाज (सी) के अनुसार यदि दिवालियेने धारता दफ्तार जिसे कर्जों या जिम्मेदारीका मुआव फवा किया हा ता एसे कर्जों की अदायगीका ना वह जिम्मेदार बना रहेगा ।

कलाज (टी) में यह बतलाया गया है कि यदि वायता की बदागा का दफा ४८८ के अनुसार गुजारा देनेके सम्बन्धमें उस पर कोई कर्ज हो जावे ता एम कर्जेंस भी वह बहाल हो जान पर भी उद्धर नहीं हावगा ।

उपदफा (२) में यह दिया हुआ है कि उपदफा (१) में बतलाई हुई बातोंका उलट कर दिवालिया बहाल होने पर उन सब कर्जोंसे उकण हो जावेगा जा दिवालिये का कार्रवाहमें माहित किय जासकत है अर्थात् यदि किसी कर्जकाराहने अपना कर्ज सावित न किया हा ता भी वह बहाल होत बाद दिवालियेने अपना कर्ज बमूच नहीं कर सकेगा ।

उपदफा (३) में यह बात साफ कर ता है कि जमा व्यक्तिके बहाल होने पर उसका सामीदार या उसके साथ का दूद्री या अय कोष सयुन जिम्मेदारी रखने वाला व्यक्ति या उसका कामिनदार बहाल नहीं हावेगा एम नियमकी पाब दी भी अवश्य की जावेगी जैसा कि अग्रजी एक्टकी इस दफ्तमें प्रयोग किय हुए (Shall) शब्दका भाव मादप होना है ।

तीसरा प्रकरण



जायदादका प्रबन्ध

कर्जोंका सावित किया जाना

दफ्ता ४६ दिवालियेके सम्बन्धमें सावित किये जाने योग्य कर्जों

(१) वह माँगें जो मुघाहिदे या ज्ञमानतमें खयानतके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकारसे पैदा हुई हों तथा जो अनिश्चित हर्जके रूपमें होयें दिवालिया की कार्रवाईके सम्बन्धमें सावित नहीं की जासकेगी ।

(२) यदि किसी कर्जदारके विरुद्ध या उसके द्वारा दिवालिये की बरकरारत दी गई हो और उसकी सूचना मिलनेके पश्चात् किसी व्यक्तिन कर्ज दिया हो या कोई दूसरी जिम्मेदारी कर्जदार पर क्रायम की हो तो वह व्यक्ति अपना इस प्रकारका कर्ज दिवालिये की कार्रवाईके सम्बन्धमें सावित नहीं कर सकेगा ।

(३) उपदफा (१) व (२) को छोड कर वह सब कर्जें व जिम्मेदारियां दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें सावित किये जाने योग्य कर्जें समझे जायेंगे चाहे वह मोक्षदा दोषों या मति-प्यमें अदा किये जाने वाले हों अथवा चाहे वह निश्चित होयें या उनका होना किसी बातके

होने पर निर्भर होवे जिम्मेदारी निम्मेदारी विद्यालिया करार दिये जाने का हुक्म होते समय कर्तृ शर पर होवे अथवा जिम्मेदारी निम्मेदारी उक्त पर विद्यालिया करार दिये जानेसे पहिले नियं हुप किसी कामके कारण बहाल होनेसे पहिले हो जावे ।

(९) यदि ऊपर बतलाये अनुयाय कोर्ट कर्तृ या जिम्मेदारी लावित किये जाने योग्य होवे परन्तु उक्तकी कोर्ट निश्चित श्रामत इत्य काण्य न हो सक्ती हो कि उक्तका होना किसी बात या बावके होने पर निर्भर है अथवा किसी अन्य काण्यसे उक्तकी क्रीमत निश्चित न हो सकती हो तो आफिशियल एसायनी फेजे कर्तृ या जिम्मेदारी की क्रीमत का अन्दाजा लगा लेगा परन्तु यदि यह है कि अन्तर आफिशियल एसायनीकी समयमें उक्त कर्तृ या जिम्मेदारीकी क्रीमतका अन्दाजा हो एक तौरसे न लगाया जासकता हो तो यह इसके लिये एक खाटोफिकेट जारी करेगा और उक्तके जारी होने पर यह कर्तृ या जिम्मेदारी न लावित किया जान योग्य कर्तृ या जिम्मेदारी समझा जासकेगा ।

व्याख्या—

एत दर्शके लिये जिम्मेदारी (Liability) शब्द तात्पर्य उक्त सूत्रविशेष का समझा जावेगा जो किसी काम या कर्तव्यके लिये जाने पर निश्चय करदिये, व उक्त जिम्मेदारीमें भी समझा जावेगा जो किम वाग मुवाहिदा, इकगनामा या बापक बहाल होनेसे पहिले न करीम पर कर्तव्य या कर्तव्य की श्रामत अथ कर्तव्य निश्चय पेश हावे चाहे उक्त वादे मुवाहिदे इकगनाममें या बापके कर्तव्यता खुलासा तीरत तय किया गया हो अथवा उक्तके लिये जाने का पावनी ऊपर ताहमे हा गई हावे चाहे वह मुवाहिदा शिकवा हुई हावे या न हुई हावे या हाजि व अइ व या न हाजि बागी हाजि अथवा हा मुकना हावे या न हो सक्ती होवे । और कहुवा उक्त कर्तव्यी इकगनामों व कर्तव्य भा समझा जावेगा जो खुलासा तीरते की गई हो या निम्मेदारी पाव व अथ किसी प्रकारसे हो जात और जा कर्तव्य की अन्वयगत कर्तव्यता इवे या निश्चय कारण कर्तव्य अदा करन का आवश्यकता यह सक्ती हो चाहे अथ किये जान बालि किये की ताहाद निश्चित या अनिश्चित होवे और चाहे कर्तव्यताके लिये हावे या कर्तव्यके लिये और चाहे । कर्तव्य निश्चित समयके लिये होवे या उक्तका होना किसी कामके होने पर निर्भर हावे, और एत मामलोंकी क्रीमत निश्चित किये हुप नियतिके अनुसार या कर्तव्य अनुसार कृप की जासकेगी ।

नोट—इस दफ्तमें उक्त कर्तव्य का वर्णन है जो दिवाळिये की कारोबारिक सम्बन्धमें लावित किये जासकेते हैं तथा उन कर्तव्य वर भी उक्त है जो लावित नहीं किये जासकते हैं ।

उपदफ्ता (१) में यह बतलाया गया है कि वह मां जो अनिश्चित हुवेके रूपमें हावे लावित नहीं की जासकती परन्तु माय ही साथ यह भी दिहा हुआ है कि यदि एका मां किम मुवाहिदा या अनानदमे खयनतके वाग्य पेश हुई हो तो वह लावित बने बाप्य कर्तव्य ही सक्ती है । प्रत्येक उपदफ्ता के अनुसार बाप्य तय किया जाना आवश्यक है जैसा कि ऊपरकी एवट र्थ हा एक उपदफ्तमें प्रमाण किये हुप (Shall) का लिये प्रकट हाता है अर्थात् उन उपदफ्तोंमें दिये हुप नियमोंमें अर्बेदुला नहीं की जासकती है ।

उपदफ्ता (२) के अनुसार यदि कोर्ट कानि यह जानते हुप कि कर्तव्यमें दिवाळियेकी दक्षताय दे गयी है अथवा उक्तके विरुद्ध दिव उदिये की दक्षताय नहीं गई है उसे कज दूर ता रोमा कर्तव्य भा लावित नहीं किया जासकेगा ।

उपदफ्ता (३) में यह बतलाया गया है कि उपदफ्ता (१) व (२) में बतलाये हुप नियमोंका पालन रखते हुप अर्थात् उक्तमें बतलाये हुप कर्तव्य अनिश्चित अथ सब कर्तव्य व जिम्मेदारीया दिवाळियेकी कारोबारिक सम्बन्धमें लावित की जान योग्य सक्ती लावेगी । सा उपदफ्तोंमें यह भी साधन कर दिया है कि इस प्रकार रखे चाहे वह कर्तव्यता हावे अथवा कर्तव्यमें

होने वाले होंगे व चीह वद निरिचन होंगे अपना उनका होना किसी बातक होने पर निर्भर हाने साधित नियो जाने योग्य समझे जायेंगे। इस बातका भी ध्यान इस उपदफाके सम्बन्धमें रखना चाहिये कि यह कर्जें या तो दिवालयिया करार दिये जाते समय सैंवें अपना इसल पहिले वा दुर्द अिम्पेदावाके वाण, बहाल होनसे पहिले दिवालयिया इनके लिये अिग्नेदार हो जावे ।

उपदफा (४) में उन कर्जोंक सम्बन्धमें बतलाया गया है अिनकी कर्मगत निरिचन न होने। अर्थात् यदि किसी बातके होने पर किसी कर्जेका होना निर्भर हाने अपना अन्य किसी कारणत सिद्धी कर्जे या अिम्पेदाकी भी कर्मगत निरिचन धन राशिके रूपमें न होने तो आकिन्तु एसापना उन कर्जोंकी कर्मगतता तल्लमीना ल्यावेया इस उपदफाके साथ यह भी जर्त कर्ता हो गई है कि यदि आकिन्तु एस यन्तकी सम्बन्धमें किसी कर्जे या अिम्पेदावाकी कर्मगतता अन्वयता हीक तीरसे न ल्याया जा सकता हो तो वह इस अावका सर्किफिकेट देना अर्थात् यह लियेना कि उस कर्जेकी कर्मगत हीक तीरसे तप नहीं की जासकती है और ऐसे सर्किफिकेटके देने पर वह कर्जे न साधित निया जाने घोष्य कर्जे समझा जावेगा । इस दफाके अंतमें जो व्याख्या हो गई है उसमें अिम्पेदाकी (Liability) शब्द जिन २ बातोंके लिये प्रयोग किया जासकता है उन बातोंका उल्लेख है । इस व्याख्यासे यह प्रकट है कि चाहे वह काग बर्तमानमें होंवें या भविष्यके लिये दार्भ अपना उनका होना किसी बातके होने पर निर्भर होंवें उन सब मामोंके सम्बन्धमें होने वाले कर्जे साधित नियो जान योग्य समझे जासकत हैं ।

इसी व्याख्यामें यह भी बात साफ कर दी गई है कि चाहे मुजराईया वा वादा साक तीरसे किया गया हो वा समझे पासकती किसी ओर हगतसे पैदा हो गई हो अर्थात् यह आवश्यक नहीं है कि मुजराईया आदि सुवार्दिके हगतसे सुज्जाता तीर पर ही नियो गये हों। इस दफामें यह मल्ली भाति प्रकट है कि दिवालयियेकी सर्वाधिकारोंमें साधित किया जाने गाय्य कर्जे निरिचन धन राशिके रूपमें होना आवश्यक नहीं है किन्तु उल्लेख अतुमान निर्धारित नियमोंके अनुसार अपना रायके अनुसार मां किया जा सकता है ।

उपदफा (४) के अनुसार साधित किया जाने योग्य कर्जे भी न साधित किया जाने योग्य कर्जे करार दिया जा सकता है यदि उस उपदफामें बतलाय हुए नियमोंके अनुसार सर्वाधिकार की गई हो अर्थात् आकिन्तु एसापनीका सर्किफिकेट उस कर्जे पर न साधित करने घोष्य बतला देवे परतु यह भी बात ध्यानमें रखना चाहिये कि सब कर्जोंके लिये एसा नहीं किया जा सकता है केवल उन्हीं कर्जोंके लिये एसा हो सकता है जिनकी निरिचन कर्मगत न होंवें तथा अिनका होना किसी द्वाय सात या बातोंके होने पर निर्भर हाने अपना कोई अ प एसा कारण उपस्थित हो जावे ।

दफा ४७ आपसमें व्यवहार व उसकी मुजराई

यदि किसी ऐसे कर्जबन्धाहके जो इस एन्टके अनुसार अपना कर्जें साधित करता हो वा साधित किया चाहें और दिवालयियेके दरमियान एक दूसरेसे व्यवहार रखा हो तो इन बातका हिसाब किया जाधंगा कि आपसके व्यवहारके सम्बन्धमें एकको दूसरेसे क्या लेना है और एकका लेने वाला रुपया दूसरेमें से मुजरा दिया जावेगा और इस प्रकार मुजराहके बाद जो धाकी निकलेगा उसीके लिये दाना एकका दूसरेके खिलाफ समझा जावेगा व उसकी अदायगी कीजावेगी ।

परन्तु शर्त यह है कि कोई व्यक्ति उस कर्जें की मुजराई दिवालयिये की जायदादसे कराने का अधिकारी नहीं होगा जो उसने इन बातकी सूचना दौत हूय दिवालयिये का दिया हो कि उसके विरुद्ध दिवालयिये की दरखास्त नहीं गई है वा उसन स्वयं दिवालयिये की दरखास्त दी है ।

व्याख्या—

इस दफामें यह बतलाया गया है कि यदि दिवालयिये का कर्जे किसी व्यक्तिमें लेना हो तथा उस व्यक्ति को भी दिवा-

नियम कुछ रूपया वसूल करना हो तो जिसका कर्ज कम होगा वह दूसरों से घटा दिया जावेगा और इस प्रकार जो कर्ज जिसके जिम्मे ज्यादा निरलेगा वह उससे वसूल किया जावेगा। अंग्रेजी एक्ट की इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे यह प्रकट है कि जहा पर एक दूसरसे लन व दते का व्यवहार हवा वह इस दफाक नियमों की पाबदा आवश्यक है इस दफामें यह भी शर्त लगा दी गई है कि यदि कर्ज दते समय दते बाल को कर्जदारके विरुद्ध या उसके द्वारा दी हुई दिवालिये की दरन्वास्त की सूचना देवे ता ऐसा कर्ज पुनर नहीं दिया जावेगा। दिवालियेके एक कर्जन्वाहने आक्रिश एसायनासे कुछ रूपये यह वह कर मागे कि वह दिवालिये का काम का रतताम कुछ सालों तक करता रहा है जिसके कारण उसका मुनाफेसे कुछ हिरसा मिलना चाहिये लेकिन दिवालियेने आक्रिश एसायनासे यह बयान किया कि वह कर्जन्वाह उसके रोजगार को खरीदना चाहता था परन्तु उसने अपना प्रवाहिदा पूरा नहीं किया जिसकी वजहसे उस कर्जन्वाहने इन्के तौर पर एक अच्छी रकम वसूल की जाना चाहिये अदालतने यह तय किया कि यदि यह बात दुहरत है तो इस प्रकारके व्यवहारको दफा ४७ के अनुसार एक दूसरे का व्यवहार समझा जावेगा और यदि कर्जन्वाह अपनी जिम्मेदारके सम्बन्धमें कोई जवाब न देवे कि उसके लहनेमें से कितना रूपया कम कर दिया जावे तो आफशाल एसायना एसे कर्जन्वाहके द्रावेको नामजद कर सकता है, देखो—आक्रिश बनाम आक्रिश एसायना रूय A. I. R. 1928. Rangon 49. ज पसके व्यवहारका हिसाब उस रिपोर्टके अनुसार लिया जाना चाहिये जो रिपोर्टिंग आर्डरके समय अर्थात् आक्रिश एसायना द्वारा कर्जदार की पाबदाद पर कर्जा लेने का हुक्म होते समय होवे देखो—19 Bom. 546 इस दफासे कर्जन्वाह व आक्रिश एसायना दोनों को लाभ है क्योंकि आक्रिश एसायना दिवालियेका वह कर्ज आसानीसे वसूल कर सकता है जो किसी कर्जन्वाहसे लेना है और कर्जन्वाह भी दिवालियेके कर्जों की पुनराई अर्ने लहनेमें देकर उससे सहूलियतके साथ बन्तण हो सकता है यहा नहीं किन्तु लुदागणना तौरसे वसूल करनेमें जो खर्च आदि किये जाना आवश्यक है वह सब बच जाते हैं इसी प्रकार यह दफा दिवालिया सम्बन्धा बरोबरी के इल्का करने तथा पर्याप्त पाप हो जानके लिय बनाई गई है और इसीसे अबह लना नहीं की जासकती है।

दफा ४८ कर्जा साबित करनेके नियम

दूसरी सूची (Second Schedule) में दिये हुए नियमोंकी पाबदाई कर्जा साबित करनेके तरीकामें, महफूज तथा अन्य कर्जन्वाहोंके कर्जा साबित करनेके हकमें सुवृत्तके मानने या न माननेमें तथा उन सब अन्य मामलोंमें की जावेगी जिनका उल्लेख उची सूचीमें किया गया है।

व्याख्या—

इस दफामें यह बतलाया गया है कि इस एक्टकी दूसरी सूचा (Second Schedule) में वह नियम बतलाये गये हैं जिनके अनुसार कर्ज साबित किये जासकते हैं। यह नियम उस सूचीके १ से लेकर ८ वें नियम तकमें दिये हुए हैं। उची सूचामें यह भी बतलाया गया है कि महफूज कर्जन्वाहों तथा अन्य कर्जन्वाहोंका कर्जा साबित करनेके सम्बन्धमें क्या हक है। सूचाके ९ से लेकर १७ वें नियममें महफूज कर्जन्वाहोंके कर्जे साबित किये जानेका बर्णन है। सूचीके २५ वें नियमसे लेकर २७ वें नियम तकमें सुवृत्तके मानन व न माननेका उल्लेख है तथा उसके १८ वें नियमसे २४ वें नियम तक अन्य मामलोंका बर्णन है जैसे कि देहनकी हुई जायदादना हिमाय लिया जाना (१८ से लेकर २१ तकमें) व सुद और भविष्यक कर्जे आदि इस प्रकार इस दफाके अनुसार दूसरी सूचामें लिखे हुए सब नियमोंकी पाबदाई दिवालियेके मापदंड सम्बन्धमें सार्प होना बतलाया गया है अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि दूसरी सूचीके नियमोंका अवलम्बना नहीं की जासकती है।

दफा ४९ क्रजोंका एक दूसरेसे पहिले अदा किया जाना

(१) दिवालिये की जायदाद बाँटते समय नीचे दिये हुए कर्ज और क्रजोंके मुकामविले पहिले बाँटे जावेंगे —

(ए) वह सब कर्ज जो सरकार को अथवा किसी अन्य स्थानिक हाकिम को दिये जाने वाले हों ।

(बी) किसी फ्लर्क (मुहरिरे) नौकर अथवा मजदूर की तनख्वाह या उजरत जो उसे दिवालियेकी दरखास्त दिये जानेके चार माहके अन्दर काम करनेके पयज़में मिलना चाहिये परन्तु फ्लर्ककी तनख्वाह ३००) रुपये तक व नौकर और मजदूरकी उजरत हर व्यक्तिके लिये १००) रुपये तक दिसवाई जायकेगी ।

(सी) वह किराया जो मालिक मालिकान को दिवालियेसे मिलना चाहिये परन्तु इस फ्लर्कके अनुसार एक महीनेसे ज्यादा का किराया नहीं मिलेगा ।

(२) उपदफा (१) में जिन क्रजों का उल्लेख है वह आपसमें एक दूसरेके धरातरेके क्रजों समके जावेंगे और वह सबके सब पूरे पूरे चुकाये जावेंगे यदि दिवालिये की जायदाद उसके चुकानेके लिये पर्याप्त होवे और यदि दिवालिये को जायदाद कम पड़ती होवे तो वह हिस्सा रसदीके हिसाबसे सबके सब कम करके चुकाये जावेंगे ।

(३) उतना रुपया रोक कर जो सम्बन्धके लिये अथवा और किसी कामके खर्चके लिये आवश्यक होवे बाकी सब रुपयेसे जहां तक वह पर्याप्त होगा उपदफा (१) में दिखलाये हुए क्रजों चुका दिये जावेंगे ।

(४) जहां सामे का मामला होवे वहां सामे की जायदादसे पहिले सामेके क्रजों चुकाये जावेंगे और सामीदारों की जुदागाना जायदादसे पहिले उनके जुदागाना कर्ज चुकाये जावेंगे । यदि सामीदारों की जुदागाना जायदाद उनके जुदागाना कर्ज चुकाये जानेके बाद कुछ बचे तो वह सामे की जायदादके तौर पर सबके को जायगी और यदि सामे की जायदाद सामे का कर्ज चुकाये जानेके बाद बचे तो उससे सामीदारोंके जुदागाना कर्ज उनके हिस्सेके अनुसार हिस्सा रसदी तौर पर चुकाये जावेंगे ।

(५) इस एक्टके नियमों का ध्यान रखते हुए वह सब कर्ज जो दिवालिये की कार्रवाईके सम्बन्धमें साबित किये गये हों, हिस्सा रसदीके हिसाबसे चुकाये जावेंगे और उनमें एकको दूसरेसे तर्जिह नहीं दी जायगी ।

(६) यदि उपर बतलाये हुए सब कर्जों को चुकानेके बाद कुछ बचे तो उसमें दिवालिया करार दिये जानेके बाद का सूद साबित किये हुए सब कर्जोंके सम्बन्धमें छः रुपया सैकड़ा सालानाके हिसाबसे चुकाया जावेगा ।

व्याख्या—

इस दफामें दिवालियेकी जायदादसे उसके कर्जोंके उपाये जानेका बयान है । उपरका (१) में यह बतलाया गया है कि तीन प्रकारके कर्ज गिनना उचित थाच (ए), (बी) व (सी) में किया गया है सबसे पहिले उपाये जावेंगे । अगरी,

एकटा इम उपदफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे यह भली भांति प्रकट है कि इस उपदफाके नियमोंकी अवहेलना नहीं की जासकती है। क्लॉज (ए) में सरसी कर्जोंका उल्लेख है तथा क्लॉज (बी) में नीरों व भवनद्वाराकी तनखाह व उबरद का भिक है इस क्लॉजमें इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि कर्जोंकी तनखाह २०० रुपये तक मिल सकती है व नांकर और मनदूखी उनरत १०० रुपया की आदमी तक अधिकसे अधिक मिल सकती है। क्लॉज (सी) के अनुसार एक माइश विराया भी और कर्जोंके मुकामके मिल सकता है। इस दफाओं अन्य उपदफाओंमें भी (अमेज़ी एक्टमें) (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे इस दफामें बतलाई हुई सर्मा बातोंका मानना आवश्यक प्रतीत होता है अर्थात् इसके नियमोंकी अवहेलना नहीं की जासकती है।

उपदफा (२) में यह बतलाया गया है कि उपदफा (१) के क्लॉज (ए), (बी) व (सी) में लां कर्जे बनलये गए हैं वह सब एक दूसरेसे समानता रखते हैं और सबके सब या तो पूरे व चुगये जाना चाहिये यदि जायदाद शफो होवे अथवा यदि जायदाद उनको चुगनेमें कम पड़े तो हिस्सा रसदीके हिसाबसे वह कम करके चुगये जाना चाहिये।

उपदफा (३) में यह बतलाया गया है कि दिवालियेकी जायदादमें उसके प्रबन्ध आदिके लिये आवश्यक रूप निक्कालनेके बाद उपदफा (१) के अथवा अन्य कर्जे चुगये जाना चाहिये। साथिके मामलोंके सम्बन्धमें उपदफा (४) के अनुसार साझेकी जायदादसे पहिले साझेके कर्जे चुगये जाना चाहिये व उनके चुगये जानेके बाद यदि कुछ बचे तो उससे साझेदारोंके जुदागाना कर्जे उनके हिस्सा रसदीके अनुसार चुगये जाना चाहिये अर्थात् साझेके वारोबारमें जिस क्रम हिस्सा मिल साझेदार का होवे उसीके अनुसार बचे हुए रुपयमें से उसका जुदागाना कर्जे चुगया जाना चाहिये। वही प्रकार साझेदारोंकी जुदागाना जायदादमें पहिले उनका जुदागाना कर्जे चुगये जावेंगे व उसके बाद यदि कुछ बचे तो उससे साझेके कर्जे चुगये जावेंगे।

उपदफा (५) में यह बतलाया गया है कि इस एक्टमें बतलाये हुए नियमों का ध्यान रखते हुए वह सब कर्जे जो साबित किये गये हों - हिस्सा रसदीके हिसाबसे चुगये जावेंगे और उनमें एक को दूसरेसे कोई तर्जौह नहीं दी जावेगी। यदि दिवालियेकी जायदादसे उसके सब कर्जे चुगा दिये जानेके बाद कुछ धन बचे तो उसके लिये उपदफा (६) में बतलाया गया है कि उससे सूद छ. रुपया सैकडा सालाना की दरसे साबित जुदा कर्जोंके लिये अदा किया जावेगा और यह सूद दिवालिया करार दिया जाने वाला हुकम होनेके पश्चात्से अदा किये जाते समय तक दिया जासकता है कानून दिवालिये का यह नियम है कि सब कर्जे बराबर समझे जावें और यदि अकिशाल एसायनेके कुछ कर्जेल्लाहोंसे यह समझाया कर लिया है कि यदि वह कर्जेल्लाह खर्चके लिये रुपया देवेंगे तो उनका कर्जे सबसे पहिले पूरा पूरा चुका दिया जावेगा तो इस प्रकारका समझौदा कानूनन रह समझना चाहिये और उस पर अगल नहीं किया जासकता है, देखो पुस्तकपास एण्ड ब्रदर्स 55 M. L. J. 657.

इम दफासे यह बात भी प्रकट है कि हिस्सा रसदी केवल साबित किये हुए कर्जों पर ही मिलेगा बिला साबित किये हुए कर्जों पर नहीं। इस दफाका सुलासा इस प्रकार समझना चाहिये कि पहिले प्रबन्ध आदिके आवश्यक खर्चोंको निक्कालनेके पश्चात् समस्त उपदफा (१) के कर्जे चुगये जावेंगे इसके बाद और सब कर्जे हिस्सा रसदीके अनुसार चुगये जावेंगे तब भी यदि कुछ बचे रहे तो उससे सूद दिवालिया करार दिये जानेके बाद छ रुपया सैकडा सालाना की दरसे दिक्बाया जावेंगा। सागरी साथ बर्हा कर्जे चुगये जावेंगे जो दिवालियाकी बर्बादके सम्बन्धमें साबित कर दिये गये हों।

दफा ५० दिवालिया करार दिये जानेसे पहिलेका किराया

दिवालिया करार दिये जाने का हुकम होनेके पश्चात् उस हुकमसे पहिलेके किरायेके सम्बन्धमें दिवालियेकी जायदाद या लहना कुर्क नहीं किया जावेगा जब तक कि दिवालिया करार दिये जाने का हुकम मंजूख न कर दिया गया हो, परन्तु भालिक मकान या अन्य कोई व्यक्ति जिसके यह किराया लेना होवे उस किरायेको और कर्जोंकी भांति साबित कर सकता है।

व्याख्या—

इस दफा में उस विधये की बमूनी वा तर्जिमा बतलाया गया है जो दिवालयिया करार दिये जानेका हुकम होनेसे पहले समयके लिये बर्नाई होवे । वह विधया नगौर और कर्नौने साबित किया जासकता है अर्थात् हिस्सा रसदी दिवालयियेकी जायदादमे उस बर्नाया विधयेके लिये बसूत किया जासकता है । यदि दिवालयिया करार दिया जाने वा हुकम ममूज कर दिया जाय तो उस विधयेके लिये दिवालयियाकी जायदाद कुकै बर्नाई जासकती है जायथा नही अर्थात् दिवालयिया करार दिया जानका हुकम होनेके पश्चात् उसमे पहिलेके विधयेके सम्बन्धमें दिवालयियेकी जायदाद या बसका लदना कुकै नही कताया जासकता है । इस दफाके नियम की भी अवदेल्ना नही की जासकती है जैसा कि येमजी एक्ट की इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है ।

वह जायदाद जिससे कि कर्जें चुकाये जासकते हैं

दफा ५१ दिवालयियेकी कार्रवाईका सम्बन्ध

किसी कर्जदारका दिवालयिया होना नीचे दिये हुए समयसे प्रारम्भ होना माना जायगा तथा उसका सम्बन्ध उसी समयसे होगा जाहें वह अपनी दरखास्त पर अथवा अपने किसी कर्जदारवाह या कर्जदार शर्तों की दरखास्त पर दिवालयिया करार दिया गया हो ।

(ए) जिस दिवालयियेके कामके आधार पर वह दिवालयिया करार दिया गया हो उस कामके होनेके समयसे

(बी) यदि यह साबित होवे कि दिवालयियेने पहले अधिक दिवालयियेके काम किये हैं तो दिवालयिये की दरखास्त दाखिल किये जानेके तीन माहके अन्दर जो दिवालयियेका काम सबसे पहिले किया गया हो उस समयसे

परन्तु शर्त यह है कि कोई दिवालयिये की दरखास्त अथवा दिवालयिया करार दिये जानेका हुकम केवल इस ही कारण रद्द नहीं हो जायेगा कि दरखास्त देने वाले बर्जदारवाहके कर्जेके वाद दिवालयियेका काम हुआ है ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार दिवालयियेकी कार्रवाई वा प्रारम्भ दिवालयिये वा काम होनेके समयसे माना जायेगा अर्थात् आदि-माल प्राप्तकी वा हक दिवालयियेकी जायदाद पर उनी समयसे माना जायेगा जब कि दिवालयिये वा काम हुआ हो इस दफाके नियम दिवालयियेके कारणे तामें उस कामका सम्बन्ध बर्जियेके निम्नके आसार पर दिवालयिया करार दिये जानेका हुकम दिया गया है ।

बलात् (सी) में इस मानकी स्पष्ट कर दिया है कि यदि एंसे अधिक दिवालयियेके काम साबित हायें तो दिवालयिये की दरखास्त दिये जायेके तीन माहके अन्दर जो काम सबसे पहिले हुआ हो उनके होनेके समयसे दिवालयियेकी कार्रवाई का प्रारम्भ माना जायेगा । अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें (Shall) शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रकट है कि इस दफाके नियमों की अवदेल्ना नहीं की जासकती है । इस दफाके नियमोंका प्रयोग हर एक दिवालयियेके काम में सम्बन्धना काय्य अर्थात् यदि कोई बर्जदार अपनी दरखास्त पर दिवालयिया करार दिया जाने अथवा यदि वह किसी कर्जदारवाह वा बर्जदारवाह की दरखास्त पर दिवालयिया करार

दिया गया हो तो दोनों दशाओंमें हम दफ्तेके निर्णयोंको लागू समझना चाहिये इसी दफ्तेके अन्तमें यह भी बात बतला दी गई है कि यदि दिवालिये की दरखास्त देने वाले कर्जखानेके कर्जके बाद कोई दिवालिये का काम होवे तो केवल इस ही कारण दिवालिया करार दिया जाना हुआ या दिवालियेकी दरखान्त रह नहीं हो जायेगी । अर्थात् उस दिवालियेके कामके आधार पर भी दिवालिया करार दिया जाने वा हुआ दिवा ज्ञातता है और दिवालिये की दरखास्त चल सकती है ।

दफा ५२ जो जायदाद कर्जखानोंमें बांटी जा सकती है उसका विवरण -

(१) नीचे लिखी जायदादको उस जायदादमें शामिल नहीं समझना चाहिये जो कर्जखानामें बांटी जा सकती है और जो इस धरतमें दिवालियेकी जायदाद बसलाई गई है:—

(ए) वह जायदाद जो दिवालिया बतौर अमानत (Trust) के किसी दूसरे शब्सकी तरफसे लिये हुए होवे ।

(बी) इसकी तिजारतके सम्बन्धके औजार और आवश्यक पहिन्ने वाले कपड़े, विस्तर, खाना पकानेके धरतन और उसका व उसकी चीजी व वस्त्रोंके लकड़ी काठ का सामान (Furniture) परन्तु यह मय औजारों, कपड़ों व दूसरी ज़रूरी चीज़ोंके कुल तीनसौ रुपयेसे ज्यादा का न होना चाहिये ।

(२) ऊपर बतलाई हुई बातों का ध्यान रखते हुए नीचे बतलाई हुई तफ़्सील की चीज़ें दिवालियेकी जायदादमें समझी जायेंगी:—

(ए) वह सब जायदाद दिवालिये की कार्रवाईके प्रारम्भमें दिवालियेकी है या जो उसको प्राप्त हो सकती है अथवा जो दिवालियेको बहाल होनेसे पहिले दिवालियेको मिल सकती है या दिवालिया जिसको प्राप्त कर सकता है ।

(बी) वह अधिकार जो दिवालिया, दिवालिये की कार्रवाईके प्रारम्भसे अथवा बहाल होनेके समयसे पहिले किसी जायदादके सम्बन्धमें प्रयोग कर सकता है या प्रयोग करनेके लिये कार्रवाई कर सकता है, और

(सी) वह सब माल जो दिवालिये की कार्रवाईके प्रारम्भके समय दिवालियेके कर्जमें होवे या उसके अधिकारमें होवे और जिसे वह अपने व्यापार या कारोबारके सम्बन्धमें असली मालिक की रज़ामन्दी व इजाज़तसे इस प्रकार रखे हुए होवे जिसमें कि यह स्वयं उस मालका मालिक प्रतीत होता होवे ।

परन्तु शर्त यह है कि क्लार्क (सी) के अनुसार उन कर्जोंके अलावा जो वसूल किये जाने वाले होवे अथवा जो उसके व्यापार या कारोबारके सिलसिलेमें वसूल किये जाने को होवे और होने वाली बातें माल नहीं समझे जायेंगे । और यह भी शर्त है कि वह माल जो क्लार्क (सी) के अनुसार कर्जखानोंमें बांटा जाने योग्य समझा गया हो उस मालका असली मालिक उस मालकी कीमतको साबित कर सकता है ।

व्याख्या—

इस दफा में यह बतलाया गया है कि दिवालिये की वीन कौन सी जायदाद उसके कर्जखोदानों में बाँधी जा सकती है वीर कौन कौन सी जायदाद बाँधी नहीं जा सकती है प्रत्येक उपदफा (अथवा एवथेन) (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे यह स्थिति है कि इस दफा के अंतर्गत का मतलब आवश्यक है ।

उपदफा (१) में बर्द जायदाद बतलाई गई है जो दिवालिये के कर्जखोदानों में नहीं बाँधी जावेगी । यह उपदफा दो व्रजों में विभक्त है पहिले द्वाय अधो व्रत (५) के अनुसार वह जायदाद जो दिवालिया अमानत अर्थात् वतीर इन्हींके लिये हुए होवे उनका नहीं समझा जावेगी और न वह कर्जखोदानों में बाँधी जासकती ।

पक्षज्ञ (बी) के अनुसार दिवालिये की कुछ आवश्यक वस्तुओं को भी कर्जखोदानों में बाँधी जानेसे रोक दिया है अर्थात् उस द्वायके अनुसार व्यापार सम्पत्ती, विस्तार, खाना पकाने के बर्तन तथा आवश्यक लकड़ी बाँध की चीजें छोड़ दो गई हैं परन्तु उसी द्वायके यह भी बतलाया गया है कि इन चीजोंके कुछ क्रॉपड मिलकर (३००) रुपयेसे अधिक नहीं होना चाहिये अर्थात् ऊपर बतलाये हुए क्रियका सामान हीन सौ रुपये की वीमान तक का होना आवश्यक है । गृहसज्जोंका एक फर्मे एक इन्सुरेंस कम्पनीका ऐजेंटरी तथा खजाना भी । उस इन्सुरेंस कम्पनीके डायरेक्टर्सने कम्पनी का कुछ रुपया गवर्नमेन्ट प्रोमिसरी नोट्समें लगा देने का हुक्म दिया और गृहसज्जोंके फर्मेने कुछ देर करके वह रुपया प्रोमिसरी नोट्समें लगा दिया परन्तु उसके बाद फौज ही वह फर्मे दिवालिया करार दे दिया गया तो यह तब हुआ कि वह सामान्ते (अर्थात् गवर्नमेन्ट प्रोमिसरी नोट्स) उस फर्मेके पास बतौर अमानत (Trust) के भी और हम लिये इस दफाके अनुसार कर्जखोदानों में नहीं बाँधी जासकती थी, देखो—गवर्नमेन्ट आफिशल एसायनी 35. Mad 712. यदि कोई सोना जेवरा बचानेके लिये किसी स्थिति की दिया गया हो और वह उसके बाद दिवालिया करार दिया जाय तो वह सोना यदि उसका ठीक तौरसे पता न लगना हो उस स्थिति का जायदाद समझा जावेगा देखा— 28 Mad. 403.

उपदफा (२) में वह तकसील बतलाई है जिसके होने पर जायदाद कर्जखोदानों में बाँधी जाने योग्य समझा जावेगी ।

पक्षज्ञ (ए) के अनुसार दिवालियेकी कारवाइके प्रारम्भमें तथा बहाल होनेसे पहिले जो जायदाद दिवालिये की होने या उसकी मिल सके वह सब दिवालियेकी समझा जावेगी और वह उसके कर्जखोदानों में बाँधी जासकती है । वह रुपया जो दिवालियेकी मजियमें किसी समय मिलने वाला होवे आफिशल एसायनी की मिलेगा जो कि वह रुपया उसी समय अदा किया जाने वाला नहीं है । देखो—26. Mad. 440 इस दफाके अनुसार किसी पुआइदेके वह अधिकार आफिशल एसायनी की प्राप्त हो सके जो दिवालिये की उसके अनुसार मिल सकते हैं, देखो—अ ननाम वाकर 40 Cal 253. आफिशल एसायनीने एक दिवालियेकी रिस्पोन्स पॉलीसी (Policy of Inshorenance) नौनामकी ओर एक खर्चदारने उस दिवालियेकी ताकते खरीद लिया । इसके बाद दिवालिया पर गया उसके मरने पर खरीदारने पॉलिसी का रुपया वसूल किया आर उसे एडमिनिस्ट्रेटर जनरल को दे दिया । यह तब किया गया कि आफिशल एसायनीके प्रचारिके वह रुपया दिवालियेके वॉरिंसीको ही मिलना चाहिये । देखो—18. Mad. 24 एक कर्जखोदाने कुछ नौनाम कान का हुक्म एक जर्मनके निम्नत हमिल लिया और इनके बाद दिवालिया करार दिया जानेका हुक्म हा गया तो यह तब किया गया कि आफिशल एसायनीका हक उस जर्मन पर होगा, देखो—42 Cal. 72 29, Mad. 903. यदि किसी पुआइदेके रुपया पुआइदेके मिलसिलेमें जमा किया गया हो और कारमें डिम्बी दी गई हो तो उस रुपये पर कर्जखोदाने अधिकार का हक गहूवेगा, देखो—35. Mad 355. यदि जेवरा बचानेके

क्रिये सोना दिया गया हो और दिवालिया करार दिये जाने पर उस सोने का ठीक ठीक पता न लगा सके तो वह सोना दिवालियेरी जायदाद सम्पत्ति जावेगी और सोनेके मालिकका कोई ज्यादा हक न सम्पत्ति जावेगा अर्थात् वह माफूली कर्जद्वाराहोती तरह अपना कर्ज साबित कर सकता है, देखो—28 Mad.L. I. 403. तनस्वाद भी पैदा की हुई जायदादमें शामिल की जासकती है, देखो—34. Mad 183. मद्रास हाई-कोर्टने यह तय किया था कि किसी समुक्त हिन्दू परिवारके कर्तों को उस परिवारकी जायदाद को अन्वदा करभैके जो अधिकार है वही अधिकार आफिशल एसायनीके उस जायदादके सम्बन्धमें सम्पन्नना चाहिये। देखो—26. Mad. 214.

यदि काम होनेके समयमें (During business hours) किमी गोरामकी चार्ज निममें माल भर हो दिवालियेके सम्बन्धमें रहती हो परन्तु उसके बादके वक्तमें वह चार्ज उस शक्त्तके पास रहती हो नितके पास गोराममें रखा हुआ माल देहन हो हो वह माल दिवालियेकी हिकानजमें रहने वाला माल सम्पत्ति जावेगा, देखो—22 Mad. L. I. 441. यदि दिवालियेके नक्कर हपुरदार या किरानेदारके वक्तमें कोई माल होवे तो वह दिवालिये ही के सम्बन्धमें सम्पत्ति जावेगा क्योंकि दिवालियेकी तरफमें वह माल उसके सम्बन्धमें रहता है। इस दफाकी प्रत्येक उपदफा का मानना आवश्यक है अर्थात् उनकी अवदेकना नहीं की जाना चाहिये जैसा कि अंग्रेजी एक्ट की इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है।

पिछले सौदों पर दिवालिया होने का प्रभाव

दफा ५३ इजरायके सम्बन्धमें डिक्रीदारोंके अधिकारोंमें रुकावट

(१) यदि किसी कर्जदारकी जायदादके विरुद्ध डिक्री जारी कर्गई गई हो तो उस इजरायसे फायदा कोई भी व्यक्ति आफिशल एसायनीके मुकामिले नहीं उठा सकेगा परन्तु यदि उस कार्वार्थके चालू करनेसे पहिले उसको दिवालिये की दरखास्त दी जाने की कोई सूचना न रही हो और वह दिवालिया करार दिया जाने का हुक्म होनेसे पहिले नैलीतामसे अथवा अन्य किसी प्रकारसे बसूली की जाचुके तो उसके पाने का वह व्यक्ति अधिकारी होगा।

(२) इस दफा का कोई प्रभाव महफूज कर्जद्वाराहके उन अधिकारों पर नहीं पड़ेगा जो उसे महफूज जायदादके सम्बन्धमें प्राप्त की हुई डिक्री की इजरायके लिये प्राप्त है।

(३) यदि कोई व्यक्ति नेकनीयतीसे इजरायके सम्बन्धमें नैलीताम की हुई किसी जायदाद को खरीद करे तो उसको आफिशल एसायनीके विरुद्ध हर प्रकारके अधिकार उस जायदादके सम्बन्धमें प्राप्त होंगे।

ट्याग्या—

इस दफाके अनुसार दिवालिया करार दिया जाने का हुक्म होनेके पश्चात् सब जायदाद आफिशल एसायनीकी सम्पत्ति जावेगी और उसे खदामाना तौर पर कोई कर्जद्वाराह नहीं प्राप्तकेगा।

उपदफा (१) में यह बतलाया गया है कि यदि इजराय करने वाले डिक्रीदार की दिवालियेकी दरखास्त दिये जाने की कोई सूचना न रही हो और दिवालिया करार दिये जाने का हुक्म होनेसे पहिले कुछ जायदाद बसूली की जाचुके तो वह डिक्रीदार उसके पाने का हकदार होगा अन्यथा नहीं किन्तु उस सब जायदाद का हकदार आफिशल एसायनी सम्पत्ति जावेगा।

इस प्रकार यदि लौदा रुपयेके डिप्रीके इनायतमें कोई जायदाद कुर्क होकर नीलाम पर खर्दाई गई हो परन्तु नीलामसे पहिले मद्रियून दिवालिखा क्रार दे दिया जावे और उसके बाद नीलाम होने पर कोई व्यक्ति दिवालिखेकी जायदाद को खर्दाई तो ऐसे खर्दाईदारको कोई हक नहीं पहुंचता है, देखो—31. Mad. 493. यदि हिस्सा रखी पानेके लिये किसी इनायतमें दरखास्त दी गई हो तो वह दरखास्त इस दफ्तेके अनुमार इनायती दरखास्त नहीं समझी जासकती है, देखो—39 Mad. 25. यदि मद्रियून अदालतमें खर्जा न होवे विन्दु उसकी हाकिमीके लिये कोई खर्चा जमा किया जावे तो वह खर्चा डिप्रीदार पाने का अधिकारी है, देखो—39. Cal. 1048.

उपदफा (२) में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि इस दफा का कोई प्रभाव मद्रियून कर्तव्योंके अधिकारों पर नहीं पड़ेगा अर्थात् वह दिवालिखेकी जायदादके सम्बन्धमें प्राप्त की हुई डिप्री को नियम पूर्वक इनायत करा सकता है ।

उपदफा (३) के अनुसार नेम्नीयतीके साथ जायदाद खर्दाई बचत कर दी गई है अर्थात् यदि किसी व्यक्तिने किसी इनायतके सम्बन्धमें नीलामकी हुई जायदाद को खरीदा हो तो वह व्यक्ति उस जायदादके पाने का पूर्ण रूपसे अधिकारी समझा जावेगा और आफिशल एसायती उसके अधिकारोंमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा । इस दफाके नियमों की भी अवहेलना नहीं की जाना चाहिये जैसा कि अंग्रेजी एक्ट की इस दफा की प्रत्येक उपदफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे साबित है ।

दफा ५४ इजराय करने वाली अदालतोंके दिवालिखे की जायदाद सम्बन्धी कर्तव्य

यदि नीलाम की जाने योग्य जायदादके अधिक डिप्री जारी कराई गई और उसके नीलाम होनेसे पहिले अदालत को यह नोटिस दे दिया जावे कि मद्रियून दिवालिखा क्रार दे दिया गया है तो इजराय करने वाली अदालत दरखास्त दिये जाने पर जब कि वह जायदाद अदालतके कब्जमें होवे जायदादको आफिशल एसायतीके सुपुर्दे किये जाने का हुकम दे देगी परन्तु इजराय का खर्च उस जायदादसे सबसे पहिले घसूल किया जायेगा और आफिशल एसायती को अधिकार है कि वह कुल जायदाद को या उसके किसी हिस्से को बँच कर उस खर्च को चुका देवे ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार यदि नीलाम होनेसे पहिले इनाय करने वाली अदालत को मद्रियूनके दिवालिखा क्रार दे दिये जाने की सूचना मिल जावे तो वह इनायती आगदा कारवाही को रोक देगी और दरखास्त खान पर अदालत यह हुकम दे देगी कि वह जायदाद आफिशल एसायतीके सुपुर्दे कर दी जावे । इस नियमकी अवहेलना नहीं की जाना चाहिये जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है इसी प्रकार इजराय का खर्च भी उस जायदादसे सबसे पहिले घसूल किया जासकेगा अर्थात् वह उस पर सबसे पहिले बारा माना जावेगा । इस दफामें आफिशल एसायती को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह इस नारके उद्देशके लिये सब जायदाद या उसके किसी हिस्से को बँच सकता है परन्तु आफिशल एसायती ऐसा करनेके लिये बाध्य नहीं है जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट होता है ।

दफा ५५ स्वयं किये हुए इन्तकाल जायदाद की मसूखी

यदि किसी इन्तकाल जायदाद होनेके पदचात् दो सालके अन्दर इन्तकाल करने वाला व्यक्ति दिवालिखा क्रार दे दिया जावे और वह इन्तकाल जायदाद पहिले तथा किसी विवाहके

पक्षमें अथवा किसी खरीदार या चार रखने वाले मूल्यवान मुवाविजा लेकर नकनीयतीके साथ न किया गया हो तो वह इन्तकाल जायदाद आफिशाल पसायनीके विरुद्ध रह समझा जावेगा ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार केवल वही इन्तकाल जायदाद जो दिवालिया करार दिये जानेके दो साल पहिले किये गये हों भले प्रकार सुरक्षित समझना चाहिये । दो सालके अन्दर किये हुए वही इन्तकाल जायदाद सुरक्षित होंगे जो नैकनियतीके साथ पर्याप्त कीमत लेकर किये गये हों । विवाहके सम्बन्धमें तथा पहिले किये हुए इन्तकाल भी सुरक्षित समझना चाहिये । इसके विरुद्ध यदि दो सालके अन्दर कोई इन्तकाल जायदाद दिवालिया करार किये गये हों तो वह अफिशाल पसायनीके विरुद्ध रह समझ जावेगे । इस दफाके नियम माननाय समझना चाहिये जैसा कि अंग्रेज एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है । इस दफामें जो नैकनीयतीसे इन्तकाल जायदादके किये जाने की व्यवस्था बतलाई गई है उसका अभिप्राय यह है कि जिस ब्यक्तिके हकमें इन्तकाल जायदाद लिया गया हो उसने नैकनीयतीसे इन्तकालको किया हो यही धुन 16 Mad. 397. से निकलती है । यदि कोई प्रतिदिन किसी रेटननामे को जो दो सालके अन्दर किया गया हो पेश करे तो यह उसका कर्तव्य होगा कि वह साबित करे कि रेटननामा नैकनीयतीके साथ मुआविजा देकर लिखाया गया था, देखो—43 Mad. 739-

दफा ५६ कुछ मामलोंमें तरजीह का रद्द किया जाना

(१) यदि कोई कर्जदार जधकि वह अपने कर्जोंको अपने रुपयेसे न चुका सकता हो किसी एक कर्जख्वाहके हकमें कोई इन्तकाल जायदाद करे या कोई अदायगी करे या कोई ज़िम्मेदारी लेवे और कोई अशालती कार्रवाई करे या होने देवे और उसकी यह नियत होवे कि उस कर्जख्वाह को और कर्जख्वाहोंके मुकाबिले तरजीह मिल जावे और ऐसे सौदेके होनेसे तीन माहके अन्दर दिवालिये की वरख्वास्त दीजाने पर यदि वह कर्जदार दिवालिया करार दे दिया जावे तो वह सब सौदे आफिशाल पसायनीके लिये घोखादेहीसे किये हुए सौदे माने जावेंगे तथा वह समझ जावेगे ।

इस दफा का कोई प्रभाव ऐसे ब्यक्तिके अधिकारों पर नहीं पड़ेगा जिसने नैकनियतीसे दिवालियेके किसी कर्जख्वाहसे मूल्यवान मुआविजा देकर किसी अधिकारको प्राप्त किया हो ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार वह सब सौदे जो दिवालिया किसी एक कर्जख्वाह को और कर्जख्वाहोंके मुकाबिले तरजीह देनेके लिये करे ता वे रद्द समझ जावेगे किन्तु इस दफाके अनुसार रद्द समझे जाने वाले सौदे उसी समय रद्द होंगे जब कि सादा करने वाला व्यक्ति दिवालिया करार दे दिया जावे और दिवालिया करार दिये जाने की दुरख्वास्त उस सौदेके होनेसे तीन माहके अन्दर दी गई हो । उपदफा (१) के नियमों का मानना आवश्यक है जैसा कि अंग्रेज एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है इसी प्रकार उपदफा (२) के नियमों की भी अवहेलना नहीं की जासकता है ।

उपदफा (१) के लिये इस बात का भा ध्यान रखना चाहिये कि सादा होते समय दिवालिया अपने कर्जों को अपने रुपयेसे न चुका सकता हो । मद्रास हाईकोर्टने यह तय किया है कि अंग्रेजी एक्टमें इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्द का तात्पर्य (Viedable) शब्दसे समझना चाहिये और सौदा हाा का तात्पर्य हा से वह सादा रद्द नहीं है किन्तु उस समयसे रद्द है जब कि आफिशाल एमान्यरी का हक उस पर पहुँचगा । देखो—25 Mad. 308. महानगरका एक कर्म एक इनरारसे कम्पनीके जारेक्टरीने उस कर्मके पास बच हुए रुपयेसे उसे सरकारा बांगन खरीदने का हुकम दिया । कुछ देर होनेके पश्चात् वह कायब खर्गदि गये और उसका बाद फौरन ही वह महानगर दिवालिया करार दिया गया तो यह तय किया

गया कि कोई धोखारेहीसे तर्जौह ऐसे मामलेमें नहीं दी गई थी. देखो—35 Mad. 712. यदि दिवालिया करार दिये जानेसे कुछ ही पहिले कोई इतकाल जायदाद दिवालियेने अपनी सौ के हकमें किया हो तो उसकी सौ को चाहिये कि वह साबित करे कि सौदा कायम रखा जाना चाहिये अर्थात् वह रद्द नहीं होना चाहिये, देखो—24.I. C 518.

इस दफाके लिये यह भी ध्यान रखना चाहिये कि वही सोदे जो एक कर्जखवाह को दूसरे कर्जखवाहके मुकाबिले तर्जौह देनेके लिये दिये गये होंगे रद्द समझे जायेंगे। कर्जदार की नीयत केवल उस ही बातमें नहीं समझ लेना चाहिये कि किसी सोदेके एक कर्जखवाह को लाभ पहुंच गया है व दूसरे कर्जखवाह यांही रद्द गये हैं। इसके लिये सब मामलों पर ध्यान करना चाहिये तथा इसके लिये इच्छाशुद्धके बन्धन तथा बदाके फैसलों पर भी ध्यान दिया जासकता है अर्थात् उनके आधार पर यहांके फैसले किये जा सकते हैं, देखो—42 Mad. 510. इसी मामले में यह भी तय किया गया था कि दिवालियेने अपने स्वामके लिये तथा अपने बरग नार की बालू रखनेके लिये किसी सोदेको मिया इ तो बद्द सौदा दरमज धोखारेहीसे तर्जौह देने वाला सौदा नहीं समझा जायेगा। तीन माइनों को अत्रिये इस उद्देश्यमें नतर्जौह गई है उससे यह तर्क नहीं है कि सौदा होनेसे तीन माइने अदर सौदा करने वाला व्यक्ति दिवालिया करार दे दिया गया है किन्तु उसका तर्जौह यह है कि सौदा होनेसे तीन माइने अदर उसके विरुद्ध दिवालिये की दायबाल दे दी गई है। इस उद्देश्यके अनुसार केवल इतकाल जायदाद ही रद्द नहीं समझें जायेंगे किन्तु दूसरे प्रकारके सोदे भी जैसे कि अदायगी या कोई जिम्मेदारी जो दिवालियेने किसी एक कर्जखवाहके लिये की हो।

उपदफा (२) में उन लोगोंके बचतकी व्यवस्था बतलाई गई है जिन्होंने नेकनीयतासे कोई अधिकार दिवालियेके किसी कर्जखवाहसे या उसके मार्फत प्राप्त किया हो। इस बातका भी ध्यान रखना चाहिये कि वह सौदा केवल दिवालिया सौदा ही न होवे किन्तु वह मूल्यवान मुकदमोंके दिये जाने पर किया गया हो।

दफा ५७ नेकनीयतासे किये हुए सौदों की बचत

कुछ इन्तकालात (Transfers) तथा तर्जौहात (Preferences) के लिये जाने तथा उनको रद्द किये जानेके सम्बन्धमें जो नियम उपर दिये जाचुके हैं उनका ध्यान रखते हुए नीचे दिये हुये सौदों दिवालियेकी कार्यवाहीके सम्बन्धमें इस दफाके अनुसार किसी बाल से रद्द नहीं होंगे :—

- (ए) यदि दिवालिये ने अपने किसी कर्जखवाह को कोई अदायगी की हो,
- (बी) यदि कोई अदायगी या सुपुर्दगी दिवालिये को की गई हो,
- (सी) यदि दिवालिये ने कोई इन्तकाल जायदाद पर्याप्त मुआधिजा लेकर किया हो,
- (डी) यदि कोई मुवाहिदा या सौदा दिवालिये के साथ कौमती मुआधिजा लेकर किया गया हो।

परन्तु यहाँ यह भी है कि ऊपर बतलाया हुआ सौदा, दिवालिया करार दिया जानेका हुकम होनेसे पहिले हुआ हो तथा जिस व्यक्ति के हाथ सौदा किया गया हो उसको सौदा किये जाते समय कर्जदार के विरुद्ध या उसके द्वारा दिवालिये को दरखवास्त दिये जाने की सूचना न रही हो।

व्याख्या—

इस दफा के अन्वयात् नेकनीयता से किये हुए सौदों की रक्षा वा प्रबन्ध किया गया है। इस दफा में उन्हीं सौदों की रक्षा वा विधान है जो दिवालिया करार दिये जाने का हुकम होने से पहिले किये गये हों तथा यह भी बात ध्यान में रखना

चाहिये कि सौदा होते समय उस व्यक्ति का जिसके हक में सौदा किया गया हो कर्जदार के विरुद्ध दिवालिये की दरखास्त दिये जाने की सूचना न हो अर्थात् यदि कर्जदारने दिवालिये की दरखास्त दे रली हो अपना उसके विरुद्ध दिवालिये की दरखास्त ही गई हो और इसके बाद कर्जदारने कोई सौदा किया हो तो उस सौदेके किये जाते समय उस व्यक्ति को दिवालिये की दरखास्त की सूचना न होना चाहिये निरुक्त हकमें सौदा किया गया हो वरना उस सौदे की रक्षा इस दफा के अनुसार नहीं हो सकेगी ।

इस दफा के नियमों की भी अवहेलना नहीं की जा सकती है जैसा कि अंग्रेजी एक्ट में प्रयोग किये हुए 'Shall' शब्द से प्रकट है । नेकनीयतीसे किये हुए सौदेही इस दफाके अनुसार सुश्रित हैं वह सौदे जो वायून दिवालियाते केना व्याम उठाने की नीयतसे किये गये हो अपना जो स्वयंही दिवालिये का काम समझे जा सकते हैं इंगिन तथा के पात्र नहीं हो सकते हैं देखो—39 Mad. 250 यदि कोई कर्मा सौदा किया गया हो तो उससे किसी व्यक्ति को हक नहीं पहुंच सकता है चाहे दस्तावेज लिखकर रजिस्ट्री भी कर दीगई हो, देखो—34 I. C. 435 जिन सौदाकी रक्षाका उल्लेख इस दफामें किया गया है वह चार भागोंमें विभक्त किये गये हैं तथा उनका बर्णन क्रम (ए), (बी), (सी) व (डी) में किया गया है ।

फ्लॉज़ (ए) में उस अदायगी का जिक्र है जो दिवालिया ने अपने किसी कर्जलवाह की की हो ।

फ्लॉज़ (बी) में यदि दिवालिये को कोई अदायगी की गई हो या कोई कर्मा दिया गया हो तो उनकी भी रक्षा इस दफा के अनुसार की जा सकती है ।

फ्लॉज़ (सी) के अनुसार यदि दिवालिये ने क्रीमत पर्याप्त लेकर कोई इन्तकाल ब्यायदाद किया हो तथा वलाज (डी) के अनुसार यदि कोई सौदा या प्रवाहिया पर्याप्त धन लेकर किया गया हो तो ऐसे सौदे इस दफा के अनुसार सुश्रित समझना चाहिये । इस दफा से पहिले जो नियम किसी सौदे के रह किये जाके सम्बन्ध दिये जा चुके हैं उनका ध्यान रखना आवश्यक है अर्थात् दफा ५३, ५४, ५५ व ५६ में बतलाये हुए नियमों का ध्यान रखने हुए इस दफा के नियमों का प्रयोग समझना चाहिये ।

जायदाद का वसूल किया जाना

दफा ५८ आफिशल एसायनी द्वारा जायदाद पर कब्जा लिया जाना

(१) जितनी जग्दी हो सकेगा आफिशल एसायनी दिवालियेके कांजुता, कितायी तथा दस्तावेजों पर कब्जा करेगा तथा उस सब जायदाद पर भी कब्जा करेगा जिस पर दस्ती कब्जा लिया जासकता है ।

(२) दिवालिये की जायदाद पर कब्जा लेने तथा उस पर कब्जा रखनेके सम्बन्धमें आफिशल एसायनीके वही अधिकार होंगे जो रुन् १९०० ई० के ज़ाबता दीवानीके अनुसार किसी जायदादके सम्बन्धमें नियुक्त किये हुए रिस्वीवरके होते हैं और अदालत उसकी दरखवास्त पर इस प्रकार का कब्जा दिलाने तथा कायम रखने की कार्रवाई कर सकती है ।

(३) यदि दिवालिये की कोई जायदाद स्टॉक (Stock), जहाजके शेअर्स (Shares in Ships), अथवा अन्य किसी प्रकार की किसी जायदाद होवे जो किसी कम्पनीके दफ्तर अथवा किसी व्यक्तिके कागज़ातमें एकसे दूसरेके नाममें की जासकती हो तो आफिशल एसायनी इस

प्रकारकी जायदादके इतकालके सम्बन्धमें वही अधिकार बरत सकता है जो दिवालिया स्वयं इस अवस्थामें जब कि वह दिवालिया नहीं हुआ था बरत सकता हो ।

(४) जब कि दिवालिये की कोई जायदाद दांचे की शकलमें होवे तो इस प्रकारकी बातोंके लिये यह मान लिया जावेगा कि वह बाकायदा आफिशल एसायनीके हुकूम कर दी गई है ।

(५) यदि किसी खजाञ्ची या दूसरे अफसरके अथवा किसी महाजन पटारों या पजेंटके कर्जमें दिवालिये की तरफसे कोई रुपया या जमानतें होवें जो कि वह दिवालिये या आफिशल एसायनीके विरुद्ध नहीं रोक सकता है तो वह रुपया आफिशल एसायनी को अदा कर देगा अथवा उसको आफिशल एसायनीके सुपुर्द कर देगा यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसके लिये यह माना जावेगा कि उसने अदालत की तै हीन की है और इसके लिये आफिशल एसायनी की दरखास्त आने पर बूड का भागो होगा ।

व्याख्या—

इस दफ्ते दिवालिये की जायदाद पर आफिशल एसायनी द्वारा कर्जा लिये जाने का उल्लेख है । उपरका (१) के अनुसार आफिशल एसायनी का कर्तव्य है कि वह जिनकी जन्मी हो सके दिवालिये की ऐसी जायदाद पर कर्जा ले लेवे जिस पर दस्ती कर्जा लया जासकता है उसमें दस्तावेजों व हिस्सों की किताबें भी शामिल है । अंग्रेजी एकटमें (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रकट है कि आफिशल एसायनी को ऐसी वस्तुओं पर कर्जा लेनेमें देर नहीं बताना चाहिये और न इस उपदशके नियमों की अवहेलना ही करना चाहिये ।

उपदफ्ता (२) में आफिशल एसायनीके कानूनी अधिकार का वर्णन है । इस उपदफ्तेके अनुसार आफिशल एसायनीके बड़ा अधिकार सम्पन्न चाहिये जो कानून दीवानीके अनुसार जायदादके लिये नियुक्त किये हुए सिविलके होते हैं और आफिशल एसायनीके दरखास्त देने पर अदालत कर्जा लेन तथा कर्जा वापस रखनेके लिये दूधोंके मतभूत कर सकती है ।

उपदफ्ता (३) में शरसें (Shares) आदि ऐसी जायदाद का वर्णन है जो किसी कम्पनी आदि की क्रियामें एकके नामसे दूसरेके नामों की आसक्त हैं । उनके बारेमें यह बतलाया गया है कि आफिशल एसायनी वही अधिकार बरत सकता है जो दिवालिया होनेसे पहिले बरत सकता था । इस नियम की पाबंदीके लिये आफिशल एसायनी बाध्य नहीं है जैसा कि अंग्रेजी एकट की इस उपदफ्ता में प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है क्योंकि वह आवश्यकतानुसार कार्य कर सकता है ।

उपदफ्ता (४) के अनुसार आफिशल एसायनी को दिवालियेके मामलोंके सम्बन्धमें दावे आदि दायर करनेके पूर्ण अधिकार हैं ।

उपदफ्ता (५) में बतलाया गया है कि यदि किसी व्यक्तिके पास जो खनाची महानत, एग्री या एजेन्ट होवे इस हिसाबसे दिवालिये का कोई रुपया या दस्तावेजें होवें जो बायदेसे दिवालिये को वापिस मिलना चाहिये तो उन लोगों का यह कर्तव्य होगा कि वह रुपया या दस्तावेजों आफिशल एसायनी को द देने अथवा वह अदालतकी ताहीन करनेके दोषी समझे जावेंगे और उसको आफिशल एसायनीके दरखास्त देने पर उस जुर्मे का दंड दिया जासकता है अथवा एकटमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि इस उपदफ्ताके नियमों की अवहेलना नहीं की जासकती है ।

दफ्ता ५९ दिवालियेकी जायदाद पर कब्जा लेना

(१) अदालत को अधिकार है कि वह दिवालिये की किसी जायदादके लिये जो दिवा-

लिये अथवा अन्य किसी ध्यक्तिके कब्जे या देखरेखमें होवे कब्जा लेने का वारण्ट नियत किये हुए अफिसरके नाम अथवा कानिस्टेबिलसे ऊपरके ओहदे वाले पोलिस अफसरके नाम दे देवे और इस प्रकार कब्जा लेनेके लिये दिवालियेके मकान इमारत या कमरे का दरवाजा तोड़ने का अधिकार दे सकती है जहां कि दिवालियेकी मौजूदगी का अनुमान होवे अथवा जहां पर उसकी जायदाद होने का अनुमान होवे ।

(२) जब कि अदालत को विश्वास हो जावे कि दिवालियेकी जायदाद किसी ऐसे मकान या जगहमें छिपाई गई है जो कि दिवालियेकी नहीं है तो अदालत उचित समझने पर ऊपर बतलाये हुए अफसरके नाम तलाशी का वारण्ट जारी कर सकती है जो उस वारण्ट की मंशाके अनुसार कार्रवाई कर सकता है ।

ध्याःया—

मैत्री एक्ट की १४ धारामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दके प्रकट है कि इस धाराके नियमों की पारदर्शिके लिये अदालत बाध्य नहीं है किन्तु वह अपनी इच्छानुसार समयोचित कार्रवाई कर सकती है ।

उपधारा (१) में दिवालियेके मकान या कमरेमें घुमकर तलाशी लेने व कब्जा लेने का श्रेष्ठ है तथा उपधारा (२) में दिवालियेके मकानके अतिरिक्त अन्य जगहमें घुमकर तलाशी लेने तथा कब्जा करनेके अधिकार का वर्णन है । इस धाराके अनुसार वारण्ट इस एक्टके अनुसार कार्रवाई करनेके लिये नियत किये हुए अफसरके नाम दिया जाना चाहिये अथवा ऐसे पुलिसके अफसरके नाम दिया जाना चाहिये जिसका ओहदा कानिस्टेबिलसे बड़ा होवे अर्थात् जो यानेदार, इन्स्पेक्टर आदि उच्च उद्योगों का पुलिस अफसर होवे । वारण्ट केवल कब्जा लेने ही के लिये नहीं दिया जा सकता है किन्तु इमारत या कमरेका निबाड तोड़ कर घुमने व उसके अन्दर कब्जा लेने का अधिकार दिया जा सकता है । उपधारा (१) के अनुसार वारण्ट मामूली तौर पर हर मामलेमें दिया जा सकता है क्योंकि दिवालियेके मकान या कमरेमें उसी की चीजोंके होने का अनुमान किया जा सकता है किन्तु उपधारा (२) के अनुसार वारण्ट इसी वक्त दिया जासकेगा जब कि अदालत को विश्वास हो जावे कि दिवालियेकी जायदाद दरअसल किसी अन्यके मकान आदिमें छिपाई गई है वारण्ट दोनों उपधाराओंके अनुसार वहाँ अफसरके नाम दिये जावेंगे जिनका उद्देश्य ऊपर दिया जा चुका है तथा वह अफसर वारण्ट की मंशाके अनुसार ही कार्रवाई करेंगे अर्थात् मन्सानी न कर सकेंगे वही यह आवश्यक नहीं है कि वारण्ट की अग्रगण्य ताथील की जावे अर्थात् वारण्ट की मंशा को संप्रति ही समयोचित काम करेंगे इस प्रकार इस धाराके अनुसार अदालत दिवालियेकी जायदाद पर कब्जा उसके मकान तथा अन्य जगहमें बत्रिये वारण्टके मकान का ताला आदि अथ वस्तुओं की दूर करके दिया सरती है ।

धारा ६० दिवालियेकी तनख्वाहका कर्जख्वाहके लिये लिया जाना

जब कि दिवालिया फौज या जहाजी पेड़े का अफसर होवे या शाहशाह की हिन्दुस्थानी सामुद्रिक नौकरी में होवे या केशरीहिन्द की नौकरी में अफसर फलक या अन्य किसी प्रकार से काम करता होवे तो अक्रिशल पसायनी उसकी तनख्वाहका वह हिस्सा जो किसी डिक्रीमें कुर्क किया जा सकता हो तथा जिसके लिये अदालत हुकम देवे कर्जख्वाहों में बांटे जाने के लिये ले लेंगा ।

(२) यदि ऊपर बतलाये हुए मामलों के अतिरिक्त दिवालिया कोई तनख्वाह या आमदनी पाता होवे तो अदालत को अधिकार है कि वह दिवालिया करार दिये जाने का हुकम होने के पश्चात् किसी समय भी और उस समय पर जिस प्रकारका हुकम मुनालिब समझे अक्रिशल

पसायनीकी अदायगीके लिये दे सकती है जिसमें दिवालिये की आमदनी या तनख्वाहका वह हिस्सा जो किसी डिर्कामें कुर्क किया जा सकता हो अथवा उसका कोई हिस्सा कर्जवाहकोंमें बाँटे जानेके लिये आफिशल पसायनी वसूल कर सके ।

व्याख्या—

इस दफामें दिवालियेकी तनख्वाह तथा अन्य आमदनी के कुर्क किये जाने तथा उसके कर्जवाहानमें बाँटे जानेकी व्यवस्था बतलाई गई है ।

उपदफा (१) में कौनी या नहानी बेचेके अफसर तथा सरकारी सिविल सर्विसेके अफसर या क्लर्क या दूसरे प्रकारसे काम करने वालोंके दिवालिया करार दिये जाने पर उनकी तनख्वाहके कुर्क किये जानेका उल्लेख है । इस उपदफाके अन्तर्गत इन अफसरोंकी तनख्वाहका वही हिस्सा कुर्क किया जासकता है जो किमी डिर्कामें वसूल कुर्क किया जा सकता है परन्तु यह भी आवश्यक नहीं है कि उतना हिस्सा अवश्य कुर्क किया जाना चाहिये उससे कम भी कुर्क किया जासकता है किन्तु उसके अधिक कुर्क नहीं किया जाय चाहिये । अदालत जिस हिस्सेके लिये हुक्म देने वही हिस्सा कुर्क होगा अदालत अपनी इच्छानुसार इसके लिये हुक्म देसकती है ।

छेत्रीजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे यामित होता है कि इसके नियमों की अवज्ञा नही की जाना चाहिये अर्थात् इस उपदफामें बतलाये हुए अफसरोंकी तनख्वाहका कुर्क किया जाने योग्य अथवा कोई हिस्सा कुर्क होकर कर्जवाहानमें अवश्य बाँटा जाना चाहिये ।

उपदफा (२) में उपदफा (१) के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की तनख्वाह तथा आमदनीके कुर्क किये जानेका बर्णन है इसके लिये हुक्म देना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है इस प्रकारका हुक्म दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म होनेके पश्चात् दिया जा सकता है और उनसे सम्बन्धके लिये दिया जा सकता है निम्नके लिये अदालत सुनासिन समझे इस उपदफाके अन्तर्गत भी उतनी ही तनख्वाह या आमदनी कुर्क की जासकती है जितनी किमी इन्दाय डिर्कामें कुर्क की जासकती है उससे अधिक नहीं किन्तु उससे कम कुर्ककी जासकती है यह आमदनी या तनख्वाह कुर्क होकर आफिशल पसायनी को इस्तिये मिलेगी कि वह कर्जवाहानमें बाँटी जासके । इस दफाका अभिप्राय यह है कि दिवालिया स्वयं ही अपनी दिवालियेकी दशा होने पर पूरी आमदनी या तनख्वाहसे लाभ न उठा सके सिधमें कि उसके कर्जवाहान परदे से रहे किन्तु कर्जवाहानमें भी उसके अफसर आफसरोंसे जो तनख्वाह आदिका शकल में दिवालिया पावे लाभ पहुँच सके । अदालतकी इच्छा पर उस दफाके अनुसार बर्तवई करना निर्भर है ।

दफा ६१ जायदादका एकके पाससे दूसरेके पास जाना या एकमे दूसरेको मिलना

दिवालिये की जायदाद एक आफिशल पसायनीके पाससे दूसरे आफिशल पसायनीके पास पहुँच जावेगी और आफिशल पसायनी जब तक कि वह उस हैसियतसे काम करेगा दिवालिये का जायदादका अधिकारी होगा तथा इसके लिये किसी इन्तकाल किये जानेकी व्यवस्था न होगी ।

व्याख्या—

इस दफामें यह बतलाया गया है कि आफिशल पसायनी बिला किसी इन्तकालके अर्थात् बिना दस्तावेज आदि लिखे व रजिस्ट्री कराये दिवालिये की जायदाद का अधिकारी होगा । यदि दिवालिये की जायदाद किसी आफिशल पसायनीके अधिकारमें रहे और वह आफिशल पसायनीके स्थानमें दूसरा आफिशल पसायनी नियुक्त किया जावे या अर्थात् रूपसे कम करे तो पहिले आफिशल पसायनीके पाससे दिवालिये की जायदाद दूसरे आफिशल पसायनीके पास पहुँच जावेगी । अधिकृत पसायनी

दिवालिये की जायदाद का अधिकारी उस समय तक रहेगा जब कि वह उस दिवालिये की जायदाद को लिखे आफिशल एसायना रहेगा अमेजी एक्टकी इस दफा में (Shall) शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रकट है कि इस दफाके नियमों की आवश्यकता आवश्यक है ।

दफा ६२ बिला लाभकी व भारी बार वाली जायदादका छोड़ दिया जाना

(१) यदि दिवालिये की कोई जायदाद ऐसी ज़मीन होवे जिस पर भारी बार होवे या जो किसी कम्पनीके शेयर अथवा ग्टाफ (Stock) होवे या जो बिला मुनाफे वाले मुवाहिदे होवे या इस प्रकार की जायदाद होवे जो बेची न जासकती हो या जल्दी इस कारण न बेची जासकती हो कि बेचनेवाले पर भारी कामके करने का अथवा किसी रूपके अदा करने का भार आजाता हो तो आफिशल एसायनी दिवालिया करार दिये जाने का हुक्म होनेके बाद महीनेके अन्दर ऐसी जायदाद को, उन नियमों का ध्यान रखते हुए जो आगे दिये हुए हैं छोड़ सकता है बिला इस बात का खयाल रखते हुए कि वह उस जायदाद को बेच सकता था या उस पर क़ब्ज़ा लेसकता था या मालिकाना कायम करने की कोई कार्रवाई कर सकता था परन्तु शर्त यह भी है कि यदि दिवालिया करार दिये जाने का हुक्म होनेके एक माहके अन्दर आफिशल एसायनीको ऐसी जायदाद का इल्म न हुआ हो तो वह उस समयसे जब कि उसको इल्म होवे बाद महीनेके अन्दर उस जायदाद को छोड़ सकता है ।

(२) जिस तारीखसे जायदाद छोड़ी जावेगी उस तारीखसे दिवालिये तथा उसकी जायदादका सम्बन्ध हक व जिम्मेदारी उस छोड़ी हुई जायदादसे समाप्त हो जावेगी और आफिशल एसायनी भी उस जायदादके सम्बन्धमें उस वक़्तसे जाती जिम्मेदारीसे बरी हो जावेगा जबसे कि जायदाद उसको मिली थी । परन्तु किसी दूसरे व्यक्तिके हक पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा केवल उतनाही असर पड़ सकता है जितना सम्बन्ध दिवालिये उसकी जायदाद तथा आफिशल एसायनी को जिम्मेदारीसे बरी करनेके लिये आवश्यक होगा ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार आफिशल एसायनी को अधिकार प्राप्त है कि वह इनके जो अबदा भारी बार वाली जायदाद को छोड़ देवे इस प्रकार वह स्वयं जाती जिम्मेदारीसे बच सकता है तथा दिवालिये व उसकी जायदाद को भी बचा सकता है । इस दफाके अनुसार कार्रवाई करनेके लिये बारह महीने की अवधि बतलाई गई है परन्तु साथ साथ यह भी शर्त लगा दी गई है कि यदि दिवालिया करार दिये जाने का हुक्म होनेके एक माहके अन्दर आफिशल एसायनी को ऐसी जायदाद का इल्म न होवे तो वह इल्म होने पर उसके १२ माहके अन्दर उस जायदाद को छोड़ सकता है अमेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दमें प्रकट है कि इस दफाके अनुसार कार्रवाई करना न करना आफिशल एसायनीकी इच्छा पर है । यदि आफिशल एसायनी इस दफाके अनुसार कार्रवाई करे तो वह इस बातना दोषी नहीं ठहराया जासकता है कि उसने जायदाद को बेचा नहीं या उसने उस पर क़ब्ज़ा लेने या मालिकाना हक कायम करनेकी कांशिश नहीं की ।

उपदफा (२) में बतलाया गया है कि जिन तारीखमें ऐसी जायदाद छोड़ी जावेगी उस तारीखसे दिवालिये या आफिशल एसायनी अथवा दिवालिये की जायदादसे उसका सम्बन्ध छूट जावेगा और इस सम्बन्धका छूटना उसी तारीखसे माना जावेगा जब कि जायदाद आफिशल एसायनी को मिली हो । इस उपदफामें यह भी उक्त कर दिया गया है कि इस दफाके

अनुसार कार्रवाई होने पर किसी दूमे व्यक्ति के अधिग्रहों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा केवल उतनाही प्रभाव पड़ सकता है जितना कि आफिशल एसायनी, डिवायलिये या उसकी जायदाद को बर्त करनेके लिये आवश्यक होगा अंग्रेजी एक्टकी इस उप-दफामें (Shall) शब्द का प्रयोग किया गया है जिन्हे यह तावित है कि इस उपदफाके नियमों की अवहेलना नहीं की जाना चाहिये ।

दफा ६३ ठेकेंका छोड़ा जाना

इस सम्बन्धमें बनाये हुए नियमों का ध्यान रखते हुए आफिशल एसायनी द्वारा अदालत की आज्ञा लिये हुए किसी ठेकेके हक को नहीं छोड़ सकेंगा और अदालत को अधिकार है कि वह इस प्रकारकी आज्ञा देनेसे पहिले अथवा आज्ञा देते समय सम्बन्धित ध्यक्तियोंको जैसा नोटिस चाहे दे सकती है या आज्ञाके साथ जो शर्तें चाहे लगा सकती है और न हटाई जाने योग्य चीजों कायत्कारकी बढाई हुई चीजों तथा कायत्कारीसे पैदा हुई और वारोंके सम्बन्धमें जैसा हुक्म मुनासिब समझे दे सकती है ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार आफिशल एसायनी अपनी इच्छानुसार किसी ठेके की या पट्टेके हक को नहीं छोड़ सकता है उसे ऐसा करनेके लिये अदालत को आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक है जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है । इस दफाके अनुसार अदालत की अधिकार है कि वह आज्ञा देनेसे पहिले या आज्ञा देते समय जो शर्तें चाहे अपनी आज्ञाके साथ लगा सकती है तथा साथ ही साथ जिस ध्यक्तीके ठेके का मामला हो उस ध्यक्ती पर वास्तुकार द्वारा बढाई हुई धोकों तथा न अवहता की जान योग्य चीजों तथा इसी प्रकारकी अन्य बातोंके लिये जो हुक्म मुनासिब हो दे सकती है । अदालत इस दफाके अनुसार कार्रवाई करनेके लिये नाथ नहीं है जैसाकि अंग्रेजी एक्ट की इस दफामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है परन्तु वह अपनी इच्छाके अनुसार जसा चाहे वैसा हुक्म दे सकता है ।

दफा ६४ आफिशल एसायनी द्वारा जायदादका छोड़ा जाना

यदि किसी जायदादसे सम्बन्ध रखने वाले किसी व्यक्तिने लिखकर आफिशल एसायनीक पास यह दरखवास्त दी हो कि वह सय करे कि जायदादको छोड़ेगा या नहीं और उसने दरखवास्त खाने के २८ दिनोंके अन्दर अथवा अदालतकी आज्ञानुसार बढाई हुई अवधिके अन्दर इसयातका नोटिस देनेसे इनकार किया हो कि वह जायदाद को छोड़ेगा या लापरवाही की हो तो आफिशल एसायनी को दफा ६२ के अनुसार उस जायदादको छोड़नेका हक नहीं होगा । और मुवाहिदेके मामलेमें यदि आफिशल एसायनीने इसी मियादके अन्दर या अदालतकी आज्ञानुसार बढाई हुई अवधिके अन्दर मुवाहिदे को नहीं छोड़ा हो तो यह मान लिया जावेगा कि उसने मुवाहिदे को मान लिया है ।

व्याख्या—

इस दफामें यह प्रकट है कि बंधों जाने योग्य जायदादसे सम्बन्ध रखने वाला व्यक्ति आफिशल एसायनीके पास इस बातके पाननेके लिये दरखवास्त दे सकता है कि वह जायदाद को छोड़ेगा या नहीं और ऐसी दरखवास्तके आने पर आफिशल एसायनी का कर्तव्य होगा कि वह कुछ न कुछ जवान देवे और यह जवान २८ दिनोंके अन्दर दिया जाना चाहिये परन्तु यदि

जवाब देनेके लिये आफिशल एसायनीने अदालतसे कोई माहलत ले ली हो तो उस माहलतके अन्दर जवाब देना चाहिये । यदि ऊपर नतलाई हुई माहलतके अन्दर आफिशल एसायनी जायदाद को लेखनेसे इन्कार करे या जवाब देनेमें लगरबाई करे अर्थात् कोई टीकजवाब न देवे तो वह आपनदा उस जायदादकी नहीं छोड़ सकेगा इसी प्रकार यदि दरखास्त किंसा मुवाहिदेके सम्बन्धमें भी गई हो और वह ऊपर नतलाई हुई मियादके अन्दर छोड़ न दिया जायें तो यह मान लिया जावेगा कि वह मुवाहिदा आफिशल एसायनी को मजूर है अर्थात् उसे उस मुवाहिदे को पूरा करना होगा । अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि इस दफाके नियमों की अवहेलना नहीं की जासकती है आफिशल एसायनी अदालतसे २८ दिनों की बतलाई हुई मियादको बढ़वा सकता है परन्तु मियादके अन्दर या नबवाई हुई मियादके अन्दर उचित उत्तर दिया जाना चाहिये ।

दफा ६५ अदालत द्वारा मुवाहिदोंके तोड़े जानेके अधिकार

यदि विधालियेके साथ किये हुए किसी मुवाहिदेके अनुसार कोई व्यक्ति आफिशल एसायनीके विरुद्ध किसी लभके उठाने का अधिकारी होवे या किसी मुवाहिदेके बरखे अनुसार उस लभके उठाने का अधिकारी होवे, तो ऐसे व्यक्तिके दरखास्त देने पर अदालत जैसा कि उसे उचित समझ पड़े उस मुवाहिदेके तोड़ने का हुकम ऐसी शर्तोंके साथ दे सकती है कि किस फरीक को मुवाहिदेके अनुसार काम न करने की वजहसे कितना हर्जा देना चाहिये और इस प्रकार दिये हुए हुकमके अनुसार जो हर्जा दिया जाने को होगा वह बतौर क्लर्कके विधालिये की कारवाईके सम्बन्धमें साबित किया जासकता है ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार क्लर्कके करनेके लिये अदालत बाध्य नहीं है किन्तु उसका करना न करना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है । इस दफाके अनुसार मुवाहिदा पूरा न करनेके कारण अदालत हर्जा दिलवा सकती है और इस प्रकार दिलवाया हुआ हर्जा बतौर क्लर्कके साबित किया जासकता है । इस दफाके अनुसार क्लर्कके अदालत अपने आप ही नहीं करेगी किन्तु ऐसे व्यक्तिके दरखास्त देने पर करेगी जिसे उस मुवाहिदेके लाभ पट्टता हो । मुवाहिदे को तोड़ने तथा हर्जा दिलाने का हुकम समर्पित तथा फरीकके लाभ हानि का विचार रखते हुए दिया जाना चाहिये ।

दफा ६६ छोड़ी हुई जायदादके सम्बन्धमें सुपुर्दगीका हुकम देना

(१) यदि कोई व्यक्ति जो किसी छोड़ी हुई जायदादमें अपना हक जाहिर करता हो या छोड़ी हुई जायदादके सम्बन्धमें जिसकी जिम्मेदारी न पूरी की गई हो, अदालतमें दरखास्त देवे तो अदालतको अधिकार है कि वह जिन लोगोंके ध्यान लेना इस सम्बन्धमें मुनासिब समझे उन्हें सुननेके बाद जायदादकी सुपुर्दगी अथवा उस पर कब्जा लेनेका हुकम किसी व्यक्तिके हकमें कर सकती है जिसे वह उसका अधिकारी समझे, या जिसे ऊपर नतलाई हुई जिम्मेदारीके कारण वह जायदाद बतौर मुआवितेके मिलना चाहिये । यह जायदाद उस व्यक्तिके ट्रस्टीको भी दी जासकती है और अदालत जो शर्तें चाहे अपने ऐसे हुकम होनेके साथ लगा सकती है । और ऐसे हुकम होने पर वह जायदाद बिला किसी इन्तकालके उस व्यक्तिकी हो जावेगी जिसके हकमें हुकम दिया गया हो । परन्तु शर्त यह है कि यदि जायदाद ठंके (पटे) के योग्य होवे तो अदालत उस जायदादकी सुपुर्दगीका हुकम किसी ऐसे व्यक्तिके हकमें नहीं देगी जो विधालियेकी शर्तसे

उसके शिकमी ठेकेदारकी हैसियतसे या मुतंहिनकी हैसियतसे उस जायदादके लिये अपना हक़ जाहिर करता हो । लेकिन ऐसा हुकम उन जिम्मेदारियोंके साथ दिया जासकता है जिनकी पाबन्दी दिवालिये पर उस वक़्त लाज़िमी रही हो जय कि दिवालियेकी दरखास्त ही गई हो और यदि कोई शिकमी ठेकेदार या मुतंहिन उन शर्तोंके साथ जो अदालत लगाना मुनासिब समझे जायदाद को लेनेसे इन्कार करे तो उसका उस जायदाद पर कोई हक़ या जमानत नहीं रह जायेगी । और यदि कोई ऐसा व्यक्ति न मिले जो दिवालिये की तरफसे अपना हक़ तो जाहिर करता हो परन्तु अदालत द्वारा लगाई हुई शर्तोंके साथ जायदाद को लेनेके लिये तैयार न होवे तो अदालत उस जायदादको किसी ऐसे व्यक्तिको दिये जानेका हुकम दे सकती है जो ज्ञाती तौरसे या वारिसकी हैसियतसे अकेले या दिवालियेके साथ उस पट्टेके सम्बन्धमें पट्टेदारीके इकरारनामको पूरा करने का जिम्मेदार होवे और वह जायदाद ऐसे व्यक्तिको दिवालिये द्वारा पैदा किये हुए सब वार व हक़ोंसे साफ़ मिलेगी ।

(२) अदालत यदि मुनासिब समझे तो ऊपर बताई हुई शर्तोंको संशोधित कर सकती है जिसमें कि उस व्यक्ति पर जिसके हक़में जायदाद मिलनेका हुकम हुआ हो वही जिम्मेदारियाँ लागू हों जो उस वक़्त होतीं जय कि पट्टा उसके हक़में दिवालियेकी दरखास्त दिये जाते समय लिखा गया हो और जैसे कि पट्टेमें बही जायदाद दिखालाई गई हो जिसका उल्लेख सुपुर्दगीके हुकममें किया गया है (यदि ऐसा अवसर होवे) ।

व्याख्या—

इस दफा के अनुसार कार्य करनेके लिये अदालत बाध्य नहीं है किन्तु वह अपनी इच्छाके अनुसार हुकम देसकती है जैसा कि अंग्रेज़ा एक्टका । इस दफामें प्रयोग किये हुए (May) शब्द स प्रकट है इस दफाकी योजना इस कारण की गई है कि यदि छोड़ी हुई जायदादके मिलनेके लिये कोई व्यक्ति दरखास्त देवे और उस पर अपना हक़ या अपनी कोई जमानत आदि द्वारा पैदा हुआ अधिकार जाहिर करे तो अदालत उचिन तदक़ावतके बाद उसकी सुपुर्दगीका हुकम उस व्यक्ति या अन्य किसी इकरारके हक़में कर सकती है । वह जायदाद इकरारके दुरहीरी भी दी जासकती है । अदालत इस प्रकारका हुकम देते समय उचित शर्तें भी लगा सकती है । इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि ऐसा हुकम होने पर जिस जायदादना बिक हुकम में होवे तथा जिसके हक़में जायदाद मिलने का हुकम होने उसे वह जायदाद मिल जायेगी व इसके लिये किसी सुदागना इतकाल जायदादके किये जानेकी आवश्यकता नहीं है ।

उपदफा (१) के साथ में यह भी शर्तें लगायी गई हैं कि इस प्रकार जायदाद दिये जानेका हुकम दिवालियेके शिकमी पट्टेदार या मुतंहिनके हक़में नहीं किया जावेगा जो ऐसा हुकम उस दशामें दिया जा सकता है जब कि शिकमी पट्टेदार या मुतंहिन उन सब जिम्मेदारियोंको अदालत करे जो कि दिवालिये पर दिवालियेकी दरखास्त दिये जाने समय लागू थीं । इसी शर्त में यह भी बतला दिया गया है कि यदि शिकमी पट्टेदार या मुतंहिन ऐसी शर्तोंके साथ जायदाद न लिया चाहता हो तो उसके सब हक़ उस जायदादसे जाने रहेंगे । यदि कोई व्यक्ति अकेले ही या दिवालियेके साथ उस पट्टेके किसी इकरारनामको पूरा करनेका पाबन्द होवे तो अदालत ऐसे व्यक्तिके हक़में उस जायदादको, मिलनेका हुकम दे सकती है और उस व्यक्ति को वह जायदाद सब जिम्मेदारियों व बारासे पाक व साफ़ मिल जायेगी ।

उपदफा (२) के अनुसार अदालत को ऊपर बतलाई हुई शर्तोंके संशोधित करने का अधिकार भी प्राप्त है और संशोधन द्वारा जायदाद उस दशामें सबको भिन्ने ही जैसे कि दिवालियेकी दरखास्त दिये जाने समय वह जायदाद उतरे हक़

में करदा गई हो अर्थात् केवल उसी समयकी जिम्मेदारियां व नारकी पावकी उत पर लागू समझी जावेगी ठोकी हुईं जायदाद के सम्बन्धमें इस दफाके अनुसार अदालत समयानुकूल हुक्म निधी भी ऐसे व्यक्तिके हुक्मों दे सकती है जो दरअसल उस जायदादकी पान का अधिकारी समझा जावे तथा शक्ति शर्त भी अपने हुक्मके साथ लगा सकती है और ऐसा हुक्म होने पर इतकाल जायदादकी कार्रवाई अर्थात् दस्तावेजोंके लिखे जाने पर उनके रजिस्ट्री किये जानेकी आवश्यकता भी जाती रहेगी।

दफा ६७ छोड़ा हुई जायदादसे जिसे हानि पहुंचती हो वह साबित कर सकता है

यदि ऊपर बतलाए हुए नियमोंके अनुसार किसी जायदादके छोड़े जाने पर किसी व्यक्ति को हानि पहुंचती होवे तो वह व्यक्ति दिवालियेका कर्तव्यवाह उस तादादके लिये समझा जावेगा जिसकी उसे हानि हुई हो और इसीलिये वह उस तादादको बतौर कर्जके दिवालियेकी कार्रवाई के सम्बन्धमें साबित कर सकता है।

व्याख्या—

अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि इस दफाके नियमोंकी अवहेलना नहीं की जाना चाहिये। यदि किसी जायदादके छोड़े जानेसे किसी व्यक्ति को हानि पहुंचती हो तो वह अपनी हानिके दिवालिये की जायदादसे उसी प्रकार वसूल कर सकता है जैसे कि और कर्जों उस जायदादसे वसूल किये जासकते हैं और वह और कर्जोंवालों की भांति अपने इस कर्जों को साबित कर सकता है।

दफा ६८ जायदादकी वसूलीमें आफिशल एसायनीके कर्तव्य व अधिकार

(१) इस एक्टमें बतलाये हुए नियमोंका ध्यान रखते हुए आफिशल एसायनी सहायितयत्क साथ जितनी जल्द हो सकेगा दिवालियेकी जायदादको वसूल करेगा और उस सम्बन्धमें वह निम्नलिखित कार्यों को कर सकता है:—

(ए) दिवालिये की सब जायदाद या उसके किसी हिस्से को बेंच सकता है।

(बी) जो रुपया वह वसूल करे उसकी रसीद दे सकता है तथा वह अदालतकी आज्ञा लेकर नीचे दिये हुए सब फार्मोंको या उनमेंसे किसी कार्यको कर सकता है।

(सी) दिवालियेके कारोबारको उस हद तक चालू रख सकता है जिस हद तककि दिवालिये के कामको समेटनेके लिये आवश्यक प्रतीत होवे।

(डी) दिवालियेकी जायदादके सम्बन्धमें मुकदमा या कोई दूसरी क्रानून कार्रवाई चालू कर सकता है या उसमें अजायबदेही कर सकता है या उसे चालू रख सकता है।

(ई) अदालत द्वारा इजाजत दिये हुए काम या कार्रवाई को करनेके लिये किसी वकील या दूसरे एजेंट को नियुक्त कर सकता है।

(एफ) किसी जायदादकी कीमतमें भविष्यमें मिलने वाला वह रुपया मंजूर कर सकता है जो किसी लिमिटेड कम्पनीके पूरे अदाकिये हुए शेअर्स अथवा डिबेंचरके सम्बन्धमें या डिबेंचर स्टाकके सम्बन्धमें मिलना चाहिये परन्तु उन शर्तोंके साथ जो अदालत लगाना मुनासिब समझे ऐसे सौदेको कर सकता है।

(जी) दिवालियेके कर्जोंको चुकानेके लिये अथवा उसके कारोबारको चालू रखनेके लिये दिवालियाकी जायदादको या उसके किसी हिस्सेको रद्द कर सकता है या गिरवी रख सकता है ।

(एच) किसी भगड़ेको पंच फैसलेके लिये सुपुर्द कर सकता है और सब कर्जों, दावों व डिम्बदारियोंको तय शुद्ध शर्तोंके साथ तय कर सकता है ।

(आई) यदि कोई जायदाद अपनी मृत स्थितिके कारण जल्दी व फायदेके साथ बेची न जासकती हो तो उसको उसी शर्तमें उसकी कीमतका अन्दाजा लगा कर दिवालियेके कर्जकारियोंमें बांट सकता है ।

(२) आफिशल एसयमी अदालतको अपना हिसाब समझावेगा और निर्धारित नियमों के अनुसार अथवा अदालतके आदेशानुसार सब रुपया अदा करेगा तथा सब जमानतोंके सम्बन्धमें कारवाई करेगा ।

व्याख्या—

आफिशल एसयमी उपदको (१) के अनुसार दिवालियेकी जायदादको जितनी जर्त हो सकेगा वसूल करनेके लिये बाध्य है जसा कि अग्रेजी एक्टकी इस उपदकामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है इस उपदकामें यह भी बतलाया गया है कि जायदाद वसूल करनेके लिये वह कुछ काम बिना अदालतकी आज्ञा लिये हुए जिस प्रकार चाहे कर सकता है जिनका उल्लेख क्लॉज (ए) व (बी) में है तथा कुछ काम अदालतकी आज्ञा लेने पर कर सकता है जिनका उल्लेख क्लॉज (सी), (डी), (ई), (एफ), (जी), (एच) व (आई) में है जायदादको या उसके किसी हिस्सेको बेचनेका काम तथा वसूल किये हुए बचपोंकी रसीद देनेका काम वह बिना अदालतकी आज्ञाके कर सकता है परन्तु क्लॉज (सी) के अनुसार वह दिवालियेका कारोबार चालू रखनेका काम आज्ञा लेने पर कर सकता है । इसी प्रकार मुकदमोंका व अदालती काम वह आज्ञा लेने पर कर सकता है । क्लॉज (डी) में सब प्रकारके अदालती कामोंका एक प्रकारसे बर्णन दिया हुआ है अर्थात् यदि कोई कारोबार दिवालिया करार दिये जाने समय कर रहा हो तो आफिशल एसयमी उसे चालू रख सकता है तथा आपर हुए मामलोंमें जवाबदेही कर सकता है व नये मामलोंमें चालू कर सकता है ।

क्लॉज (सी) व (डी) में बतलाये हुए मामलोंके कार्य क्लॉजमें परिष्कृत करनेके लिये वह अदालतकी आज्ञा लेकर क्लॉज (ई) के अनुसार बकील या अन्य एग्जिक्यूटिव नियुक्त कर सकता है ।

क्लॉज (एफ) के अनुसार किसी जायदादकी उन श्रेणियों आदिके एवजमें भी बेच सकता है जिनका बचपान प्रतिपत्तमें मिलने वाला होवे परन्तु ऐसा करते समय अदालत द्वारा बतलाई हुई जमानत आदिभी शर्तोंका प्यान रखना चाहिये ।

क्लॉज (जी) के अनुसार अदालतकी आज्ञा लेने पर दिवालियेकी जायदाद रद्द करी जा सकती है तथा वह गिरवी रखी जा सकती है जिसमें बचपान वसूल होने पर कर्जें चुकाये जातेके वा कारोबार चालू रखा जायके ।

क्लॉज (एच) के अनुसार पंच फैसला व बाइको तारते तरफिया कनेम अधिकार प्राप्त है लेकिन अदालतकी आज्ञा लेने पर ही ऐसा किया जावेगा ।

क्लॉज (आई) के अनुसार अदालतकी आज्ञा होने पर न बेची जाने योग्य जायदादको उसकी मौजूदा शर्तमें रूईल्वारोंमें बांट सकता है ।

उपदफा (२) में यह बतलाया गया है कि निर्धारित नियमोंके अनुसार अथवा अदालतके आदेशके अनुसार आफिशल एसायनी अदालतमें हिसाब समझावेगा न रुपये जमा करेगा तथा जमानतोंमें बन्दूक करेगा । अमेजी एक्टमें किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि इस उपदफाके नियमोंकी पारबन्दी आवश्यक है उनमें अवहेलना नहीं की जा सकती है ।

जायदादका बांटा जाना

दफा ६९ हिस्सा रसदीका ऐलान व उनका बांटा जाना

(१) आफिशल एसायनी जितनी जल्दी सहूलियतके साथ हो सकेगा हिस्सा रसदीका ऐलान करके उसे उन कर्जखवाहोंमें बांटेंगा जो अपना कर्ज साबित कर चुके हैं ।

(२) पहिला हिस्सा रसदी (यदि कोई होगा) दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म होनेके पश्चात् एक सालके अन्दर ऐलान करके बांटा जावेगा यदि आफिशल एसायनीने पर्याप्त कारण दिखला कर अदालतको यकीन दिलाकर समय ऐलानके लिये बढ़ाया न लिया हो ।

(३) इसके बाद धले हिस्सा रसदी यदि कोई बचह इसके विरुद्ध न दिखलाई गई हो तो वह छः छः महीनेसे ज्यादाका बीच न डालकर बांटे जावेंगे ।

(४) हिस्सा रसदीका ऐलान करनेसे पहिले आफिशल एसायनी इस इच्छाका नोटिस निर्धारित ढंग पर प्रकाशित करेगा और उसका उचित नोटिस दिवालियेकी फेडरिस्टमें दिखलाये हुए उन हर एक कर्जखवाहोंके पास भेजेगा जिन्होंने अपना कर्ज साबित नहीं किया है ।

(५) जब कि आफिशल एसायनीने किसी हिस्सा रसदीका ऐलान किया हो तो वह उन कर्जखवाहोंके पास जिन्होंने अपना कर्ज साबित कर दिया हो इत बातकी सूचना भेजेगा कि उनको कितना हिस्सा रसदी भिलेगा और कब व किस प्रकार दिया जावेगा और यदि कोई कर्जखवाह चाहेंगा तो उसको निर्धारित रूपमें दिवालियेकी जायदादका ब्योरा भेजा जावेगा ।

व्याख्या—

अमेजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि इस दफाके नियमोंकी पारबन्दी आवश्यक है तथा उनकी अवहेलना आफिशल एसायनी की नहीं करना चाहिये ।

उपदफा (२) में छ. महीनेके अन्तर्गत एक सालकी अवधि कर दी गई है यह संशोधन प्रेसिडेंसी टाउन्स इन्स्टीट्यूट एक्ट सन् १९२९ ई० एक्ट नं० ३ के अन्तर्गत किया गया है जिसको गवर्नर जनरल हिन्दकी स्वीकृति २२ मार्च सन् १९२९ ई० को प्राप्त हुई थी । इस संशोधित एक्टके अन्तर्गत दिवालिया करार दिया जाने का हुक्म होनेके पश्चात् एक सालके अन्दर पहिला हिस्सा रसदी घोषित किया जावेगा जब तक कि अदालतमें कोई पर्याप्त कारण इस अवधिके बढ़ावके लिये न दिलाया जावे तबसे पहिले मूल एक्टके अन्तर्गत पहिला हिस्सा रसदी छ. महीनेके अन्दर बांटा जावे नियम था । हिस्सा रसदी उन्हीं कर्जखवाहोंमें बांटा जावेगा जिन्होंने अपना कर्ज साबित कर दिया हो दूसरे कर्जखवाहों को नहीं चाहे उनका नाम कर्जखवाहों की फेडरिस्टमें दिखलाया गया हो ।

दिवालिया करार दिया जाने का हुक्म होनेके पश्चात् पहिले हिस्सा रसदी का ऐलान छः महीनेके अन्दर किया जाना आवश्यक है यदि इसके विरुद्ध अदालतकी कोई आज्ञा न ले ली गई हो पश्चात् आफिशल एसायनी पर्याप्त कारण दिखलाकर

अदालतसे समय बढाया सम्ना है । इनके बाद बाजे हिस्सा रसदी भी छ छ महिनिके अवकाशमे बाटे जावा चाहिये इसमे अधिक अवकाश उनक बाटे जानमें न पटना चाहिये जब तक कि इसके विरुद्ध कोई अज्ञा अदालत द्वारा न दी गई हो ।

उपदफा (४) में आर्किशक एसायनोंके लिये यह बाम आवश्यक है कि वह हिस्सा रसदीके ऐलानकी सूचना निरूपित रूपसे प्रकाशन कर देवे तथा एसे कर्जालाओं को भी उचित रूपसे सूचना दे देवे जिनका नाम कर्जालाहोका फिहरिमें आया हो परतु जि होने अगना कर्ज तामिन न दिया है ।

उपदफा (५) के अनुसार आर्किशक एसायनी वा यह कर्तव्य होगा कि वह हिस्सा रसदी का ऐलान करने पर उन कर्जालाहों को जिन्होंने अपना कर्ज साबित कर दिया हो इस बातकी सूचना देने कि उनको कितना हिस्सा रसदी मिलेगा तथा वह कब व किस प्रकार दिया जावेगा इसी उपदफामे यह भी बतलाया गया है कि यदि कोई कर्जालाह पाई तो वह आर्किशक एसायनोंसे दिवालियेके जायदादकी तफर्माल माम सकता है और उसके मगने पर निर्धारित रूपमें वह तफर्माल उसको मिल जावेगी ।

दफा ७० संयुक्त तथा अलगकी जायदाद

यदि किसी कर्म का एक शरीकदार दिवालिया करार दिया जावे तो वह कर्जालाह जिसका कर्ज दिवालियेको कर्मके सब शरीकदारों अथवा उनमेंसे किसी शरीकदारके साथ चुकाना हो, उस वक्त तक दिवालियेकी अलहदाकी जायदादसे अपना कर्जवसूल करनेका हकदार नहीं होगा जबतक कि दिवालियेकी अलहदाकी जायदादसे उसके जुदागाना कर्ज पूर्णरूपसे न चुकाय गये हों ।

व्याख्या—

इस दफाके अन्तर्गत हर व्यक्तिके जुदागाना कर्ज पड़ेके उसकी जुदागाना जायदादमे चुकिये जावेगे तब उसकी जायदाद बेचने पर उनको मयुक्त कर्ज चुकाने जा सकेगे । इस प्रकार कर्मका कर्जालाह उस वक्त तक कमर एक शरीकदार का जुदागाना जायदादम कर्जका कर्ज वसूल नहीं कर सकता जब तक कि उसके जुदागाना कर्ज पूर्ण रूपसे न चुकिये जा चुके हों । अग्रेकी एन्ट्री दस दफा में (Shall) शब्दका प्रयोग पया जाता है जिनमे यह अर्थ है कि इसके नियमोंकी पारबन्धी आवश्यक है ।

दफा ७१ हिस्सा रसदीका अन्दाजा लगाया जाना

(१) हिस्सा रसदी लगाने व उनको बाँटनेसे पहिले आर्किशक एसायनी निम्नलिखित कामोंके लिये पर्याप्त धन अपने हाथमें रोक लेवेगा:—

(ए) उन कर्जोंके लिये जो दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें साबित किये जासकते हैं तथा जिनके लिये दिवालियेके बयानों अथवा अन्य प्रकारसे यह साबित होव कि वह एसे लोगोंके हैं जो इतनी दूरकी जगह पर रहते हैं कि मामूली तौर पर खबर भेजे जाने पर उनको पर्याप्त अवसर अपना कर्ज साबित करनेके लिये न मिल सकाहो ।

(बी) वह कर्ज जो दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें साबित किये जासकते हैं तथा जिनका दावेका मसला तय नहीं हुआ है ।

(सी) यह सुझत व दावे जिनका विरोध किया गया हो ।

(डी) जायदादके प्रबन्ध तथा दूसरे मामलोंके खर्चके लिये जो आवश्यक पुरव होवे ।

(२) उपदफा (१) के नियमोंका ध्यान रखते हुए वह सब रुपया जो हाथमें होगा बतौर हिस्सा रसदीके बांटा जावेगा ।

व्याख्या—

उपदफा (१) में बतलाया गया है कि हिस्सा रसदी बांटेसे पहिले आफिशल एसायनी क्राज (ए), (बी), (सी) व (डी) में बतलाये हुए कामोंके लिये रुपया रोक कर हिस्सा रसदी बांटेगा । अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि आफिशल एसायनीमें उक्त क्राजोंमें बतलाये हुए कामोंके लिये पर्याप्त धन रोक लेना आवश्यक है ।

फलाज (ए) के अनुसार यदि किसी कर्जखवाहको अपना कर्ज साबित करनेके लिये पूर्ण अवकाश न मिला हो तो उसे कर्जखवाहके कर्जके अन्दाजेसे रुपया रोक लेना चाहिये ।

फलाज (बी) व (सी) के अनुसार झगड़ेके कर्जोंके सम्बन्धमें भी रोक लेना चाहिये । जायदादका इतनाम करनेमें जो खर्च आवश्यक पड़े उसके लिये भी रुपया रोकना आवश्यकता है ।

उपदफा (२) के अनुसार ऊपर बतलाये हुए कामोंके लिये रुपया रोक लेनेके पश्चात् बाकी जो रुपया बचे वह सब हिस्सा रसदीके तौर पर कर्जखवाहोंमें बांट दिया जाना आवश्यक है अर्थात् उसमेंसे और कुछ नहीं रोका जासकता है ।

दफा ७२ उस कर्जखवाहका हक जिसमें हिस्सा रसदीके ऐलानसे पहिले, अपना कर्ज साबित न किया हो

यदि किसी कर्जखवाहने किसी हिस्सा रसदीके ऐलानसे पहिले अपना कर्ज साबित न किया हो तो वह उस बाकी बचे हुए रुपयेसे हिस्सा पावे था जो उस समय आफिशल एसायनीके हाथ में होवे तथा जिससे भविष्यमें हिस्सा रसदी बांटा जानेको होवे तथा जो पहिले उसको नहीं मिल सकता था परन्तु उसका कर्ज साबित किये जानेसे पहिले जो रुपया बांटा जा चुका हो उसमें किसी तरहकी गड़बड़ी उसके कारण नहीं पड़ सकेगी ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार उन कर्जखवाहों को भी हिस्सा रसदी मिल सकता है जो बादमें अपना कर्ज साबित करें परन्तु इस सम्बन्धमें यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि एंग्रे कर्जखवाह का कर्ज मान्य होनेसे पहिले जो हिस्सा रसदी बांटा जा चुका हो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं की जासकती है किन्तु उसका कर्ज साबित होनेके बाद जो रुपया बांटा जावेगा उसमें उसको हिस्सा रसदी मिलसकेगा । इस दफा का तात्पर्य यह समझना चाहिये कि यदि कोई रुपया बांटा जानेसे पहिले किसी कर्जखवाहने अपना कर्ज साबित कर दिया हो तो वह उस रुपयेमें हिस्सा रसदी पाने का हकदार होगा । इस दफाकी धारणा भी आवश्यक है ।

दफा ७३ अन्तिम हिस्सा रसदी

(१) जब कि आफिशल एसायनीने दिवालियोंकी सब जायदाद वसूल करली हो या उसका उसना हिस्सा वसूल कर लिया हो जितना उसकी रायमें, बिला फिजूलकी वेर कार्रवाईमें किये हुए, वसूल किया जा सकता है तो वह अदालतकी आज्ञा लेने पर अन्तिम हिस्सा रसदीका ऐलान करेगा परन्तु ऐसा करनेसे पहिले वह निर्धारित ढंग पर उन लोगोंको नोटिस देवेगा जिनके कर्जखवाह होनेकी सूचना उनको दी जा चुकी है लेकिन उ-होंने अपना कर्ज साबित नहीं किया है कि

यदि वह अदालतको सम्मुख संतोष जनक रूपमें अपना कर्ज नोटिसमें दी हुई मियादके अन्दर साबित न कर दूँगे तो उनके दावेका बिलालिहाज्ज किये हुए अन्तिम हिस्सा रसदी बांट दिया जावेगा ।

(२) इस प्रकारकी दी हुई मियादके समाप्त होने पर अथवा यदि किसी दावेदारकी दरखास्त पर उसके अवकाश दे दिया गया हो तो उस अवकाशके समाप्त होने पर दिवालियेकी जायदाद उन कर्जखवाहोंके दामियान बांट दी जावेगी जिन्होंने अपना कर्ज साबित कर दिया है और अन्य लोगोंके दावोंका उस समय कोई भी ख्याल न रखता जावेगा ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार अन्तिम हिस्सा रसदी बांटे जानेसे पहिले उन कर्जखवाहों को जिन्होंने अपना कर्ज साबित नहीं किया हो एक मौजा किरासे अपना कर्ज साबित करनेके लिये दिया जावेगा और यदि उससे भी वह लॉग एप न उठाया चाहे अर्थात् नोटिसमें दी हुई मियादके अंदर कर्ज साबित न करें तो वह किसी हिस्सा रसदीके पानेके हुक्का नहीं देंगे । अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि इस दफाके नियमों की अवहेलना नहीं की जाला चाहिये ।

उपदफा (१) से यह भी प्रकट है कि नोटिसमें दी हुई मियादके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति मोहलत लिया चाहे तो उसे अत्यन्त मोहलत दे सकती है परन्तु मियाद या मोहलतके अन्दर यदि कोई कर्ज साबित न किया जावे तो बिलाल उक्त लिहाज किये हुए अन्तिम हिस्सा रसदी उन कर्जखवाहोंके दामियान बांट दिया जावेगा जिन्होंने अपना कर्ज साबित कर दिया है । इस दफाके अनुसार किये हुए नोटिसमें यह दिखला देना चाहिये कि इस मियादके अंदर तुमको कर्ज साबित कर देना चाहिये वरना बिना लिहाज तुम्हारे कर्जके अन्तिम हिस्सा रसदी बांट दिया जावेगा ।

उपदफा (२) में यह साफ कर दिया गया है कि मियादके या बढ़ाये हुए समयके अंदर कर्ज साबित न किया जाने पर अन्तिम हिस्सा रसदी बांट दिया जावेगा ।

दफा ७४ हिस्सा रसदीके लिये कोई दावा नहीं हो सकता

आफिशियल एसायनीके विच्छेद हिस्सा रसदीके लिये कोई दावा नहीं किया जावेगा परन्तु यदि आफिशियल एसायनी किसी हिस्सा रसदीके लुकनेसे इनकार कर दूँगे तो उस कर्जखवाहके दरखास्त देने पर जिसे इस इनकारसे हानि पहुंचती हो अदालत आफिशियल एसायनीको उसके अर्वा करनेके लिये हुक्म दे सकती है और उससे रोक हुए समयके लिये निर्धारित की हुई दरसे सूद तथा दरखास्तके सम्बन्धमें किया हुआ खर्च दिलवाया जावेगा ।

व्याख्या—

आफिशियल एसायनीके विच्छेद हिस्सा रसदीके लिये कोई उदात्ताना दावा नहीं किया जायता है किन्तु अदालतमें दरखलास्त इस नामकी सूत्र प्राप्त होती है कि उसने हिस्सा रसदी नहीं दिया है ऐसी दरखलास्तके आने पर अत्यन्त आफिशियल एसायनीके वह कथना दिलवा सकती है तथा वेके हुए समयका सूद व दरखास्तका खर्च भी इत्यादि सकती है । अदालत इस प्रकार का हुक्म देनेके लिये शक्य नहीं है जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है किसी प्रकारका हुक्म देना न देना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है ।

दफा ७५ दिवालिये द्वारा जायदादका इन्तज़ाम कराया जाना तथा उसे उसके एवज़में श्रम फल मिलना

(१) निर्धारितकी हुई शर्तोंका ध्यान रखने हुए आकिशल एसायनी स्वयं दिवालियेको उसकी जायदाद या उसके किसी हिस्सेका प्रबन्ध करनेके लिये नियुक्त कर सकता है या उसके द्वारा उसका व्यापार कर्जद्वाराहानके लाभार्थ करा सकता है या उससे उसकी जायदाद के प्रबन्धमें और तरहसे सहायता अपनी वतलाई हुई शर्तोंके अनुसार ले सकता है ।

(२) ऊपर लिखी हुई शर्तोंका ध्यान रखते हुए अदालत समय समय पर उस जायदादसे जैसा उसे नुनासिब समझ पड़े दिवालियेको गुज़ारा उसके तथा उसके परिवारकी परधरिशके लिये या उसके कामके मुधाविजेके तौर पर दिला सकती है यदि उससे उसकी जायदादके समेटनेमें सहायता ली जावे परन्तु इस शिस्तका गुज़ारा किसी समय भी बढ़ाया घटाया या बन्द किया जासकता है ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार दिवालियेसे स्वयं आवश्यकता पड़ने पर उसकी जायदाद या रोजगारके प्रबन्धमें सहायता ली जासकती है अदालत उसकी इस कामके एवज़में बेतौर गुंभारा उसकी जायदादसे कुछ रुपया दिला सकती है परन्तु इसका दिला न न दिखाना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है तथा वह जब चाहे उसे बंद कर सकती है अथवा घटा बढ़ा सकता है दिवालियेस जो काम लिया जावेगा वह उसके कर्जद्वाराहानके लाभार्थ किया जावेगा वह स्वयं केवल अदालत द्वारा दिल्वाय हुए उजारे ही के पाने का हकदार होगा । आकिशल एसायनी की इच्छा पर दिवालियेसे काम लेना न लना निर्भर है जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है ।


दफा ७६ बचे हुए हिस्सेके पानेका हकदार दिवालिया है

यदि कर्जद्वाराहोंका सब रुपया मय सूदके जैसा कि इस एक्टमें वतलाया गया है चुका दिया जावे तथा इसके अनुसारकी हुई कार्रवाइयोंका खर्च चुका दिया जावे तो दिवालिया धन्य हुआ रुपया पानेका हकदार होगा ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार यदि सब कर्जद्वाराहोंका रुपया मय सूदके अदा हो चुके तथा दिवालियेके सम्बन्धमें भी हुई कार्रवाइयोंका खर्च भी चुकाया जाचुके आर इसके बाद भी दिवालियेको जायदादमें कुछ बचे तो वह बचा हुआ हिस्सा दिवालिये को मिलेगा अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि इस दफाक नियमकी आवश्यक है तथा उसकी अवहेलना नहीं की जावेगी ।

चौथा प्रकरण



आफिशल एमायनी

दफा ७७ दिवालियेकी जायदादके लिये आफिशल एसायनीकी नियुक्ति तथा उसका हटाया जाना

(१) फोर्ड पिलियम (कलकत्ता), बन्वाई व मद्रास हाईकोर्टके चीफ जस्टिस तथा लोअर वर्माके चीफ कोर्टके चीफ जजको अधिकार है कि वह अपनी अपनी अदालतके लिये मुस्तफिल तौरसे अथवा कायम मुकाम तौरसे दिवालियेकी जायदादके लिये उपयुक्त व्यक्तिको आफिशल एसायनी नियुक्त कर देवे और यदि कोई पर्याप्त कारण मालूम हो तो और जजके एहमलके साथ किसी व्यक्तिको जो उस जगह काम करता हो अलहदा कर देवे।

(२) प्रत्येक आफिशल एसायनी निर्धारितकी हुई जमानत देवेगा तथा उसको उन नियमों की पाबन्दी करना पड़ेगी व वह काम करना पड़ेगे जो उसके लिये निर्धारित किये गये हों।

(३) यदि इन्डियन इन्साल्वेन्सी एक्ट १८५८ के अनुसार कलकत्ता बन्वाई और मद्रासमें कोई व्यक्ति कर्जदारोंके हुदकारके लिये मुस्तफिल तौरसे या कायम मुकाम तौर पर आफिशल एसायनीकी जगह पर काम करता हो वा लोअर वर्माके चीफ कोर्टमें सन् १९०० ई० के लोअर वर्मा कोर्टके एक्टके अनुसार उक्त प्रकारसे काम करता हो तो वह व्यक्ति विला दुबारा नियुक्तिके मुस्तफिल या कायम मुकाम आफिशल एसायनी जैसा कि मामला हो इस एक्टके अनुसार कलकत्ता बन्वाई व मद्रास हाई कोर्टों तथा लोअर वर्माके चीफ कोर्टके लिये हो जावेगा और उस वक्त उपदफा (१) से कोई छकावट न पड़ेगी।

ट्यारया—

कलकत्ता, बन्वाई व मद्रास हाईकोर्टके चीफ जस्टिसों तथा लोअर वर्माके चीफ कोर्टके चीफ जजों इत दफाके अनुसार आफिशल एसायनी की नियुक्तिके सम्बन्धमें अधिकार प्राप्त हैं। पातु इस दफाके अनुसार कार्य करनेके लिये यह लोग बाध्य नहीं हैं किन्तु उसका करना न करना उनकी इच्छा पर निर्भर है। जैसा कि अपरती एक्का उपदफा (१) में प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है। इस उपदफाके अनुसार आफिशल एसायनी की नियुक्ति मुस्तफिल तौरसे ही नामकती है अपत्त वह कायम मुकाम तौर पर ही नियुक्त किया जासकता है इस उपदफाके अनुसार नियुक्ति किया हुआ आफिशल एसायनी अलहदा भी किया जासकता है परन्तु इस सम्बन्धमें यह बात बर्दाबल ध्यानमें रखने की है कि चीफ जस्टिस या चीफ जज अपेक्षा ही उसे अपने आप अलहदा नहीं करेगा किन्तु वह अपनी अदालतोंके और जजों का मत लेवेगा और उनके नहपनसे सहमत होकर आफिशल एसायनी को अलहदा कर सकता है किसी पर्याप्त कारणके उपरिगत होने पर ही नियुक्ति किये हुए आफिशल एसायनीका हटाया जाना चाहिये।

उपदफा (२) में बतलाया गया है कि आफिशल एसायनी का कर्तव्य होगा कि यदि उसमें ज्यादातर पानी जाने तो वह मर्गी हुई जमानत दाखिल करे इसी प्रकार उस निर्धारित किये हुए नियमोंकी पाबन्दी करना पड़ेगी तथा निर्धारित

किये हुए काम करना पड़ेगे। इस दफ्तेके नियमोंकी अवहेलना नहीं की जाना चाहिये किन्ता कि अग्रेकी एकटकी इस उपदफ्तेमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है।

उपदफा (३) के अनुसार पेशतसे कानूनन नियुक्त किया हुआ आफिशल एसायनी अपनी जगह पर बद्रसूर काम करता रहेगा अर्थात् उसके द्वारा नियुक्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इस दफ्तेमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि इस उपदफ्तेके नियमों की भी अवहेलना नहीं की जाना चाहिये।

दफा ७८ हलफ देनेके अधिकार

आफिशल एसायनीको अधिकार है कि वह हलफनामोंके लिये व सुवूस पिटीशन तथा इस एपटकी अन्य कार्यवाहियोंके सम्बन्धमें ठस्ट्रीक इवारतके लिये हलफ दे सकता है।

व्याख्या—

इस दफ्तेके अनुसार आफिशल एसायनी को हलफ देनेके अधिकार प्राप्त है। अंग्रेजी एकटकी इस दफ्तेमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है कि उसका देना न देना उसकी इच्छा पर निर्भर है तथा हलफ अदायत व अन्य अधिकार प्राप्त व्यक्तियों द्वारा भी की जासकती है।

दफा ७९ दिवालियेके व्यवहारके सम्बन्धमें कर्त्तव्य

(१) आफिशल एसायनीके कर्त्तव्य दिवालियेके व्यवहारके सम्बन्धमें तथा उसकी जायदादके प्रबन्धके सम्बन्धमें होंगे।

(२) आफिशल एसायनीके कर्त्तव्य विशेष कर निम्न लिखित होंगे :—

(ए) यह कि दिवालियेके व्यवहारके सम्बन्धमें तहकीकात कर और बहाल किये जानेकी दरखास्त आनेपर रिपोर्ट दाखिल करे जिससे मालूम होसके कि आया दिवालियेने इस एपटके अनुसार अथवा ताजीरत हिन्दकी दफा ४२१ से लगाकर ४२४ तकका कोई जुर्म तो दिवालियेकी कार्यवाहीके सम्बन्धमें नहीं किया है या कोई ऐसा काम तो नहीं किया है कि जिसकी वजहसे अदालत बहाल किये जानेका हुक्म देनेसे इनकार कर देवे, रोक देवे, या उसके साथ कोई शर्तें लगा देवे।

(बी) दिवालियेके व्यवहारके सम्बन्धमें उन बातोंकी रिपोर्ट दाखिल करे जो अदालत मांगे या जो निर्धारितकी गई हों।

(सी) धोखा देने वाले दिवालियेके चालानके सम्बन्धमें भाग लेवे तथा वह काम करे जिसके करनेके लिये अदालत हुक्म देवे या जो निर्धारित किये गये हों।

व्याख्या—

इस दफ्तेके अनुसार आफिशल एसायनी का कर्त्तव्य केवल दिवालिये की जायदादके प्रति नहीं है किन्तु उक्त कर्त्तव्य दिवालियेके व्यवहार पर भी ध्यान रखने का है तथा दोनोंके लिये बरिवादे करने का है। अंग्रेजी एकटकी इस दफ्तेमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि इस दफ्तेके नियमों की अवहेलना नहीं की जाना चाहिये।

उपदफा (२) में आफिशल एसायना द्वारा ज्ञात काम विशेष रूपसे उचित जाना चाहिए उनका वर्णन राज (ए), (बी) व (सी) में लिया गया है ।

दफा (ए) व अनन्त आफिशल एसायनी को चाहिये कि वह विवालयके व्यवहारका तदनुसार करे और जब उनका बहाल किये जानका दूरवाला आये तब वह उसके व्यवहारक काममें अपना नियम अंगुलीमें दाला करे जिससे बाहिर हो कि उसने कोई काम ता नहीं किया हुआ वार्ड ऐसा काम तो नहीं किया है जिसके कारण वह बहाल न किया जाये या उसका बहाल किया जाना सुनवी कर दिया जान अथवा वार्ड दौरे नहालक हकमेंके साथ लिया जा जाये ।

दफा (बी) के अनुसार यदि अगलत चाह तो आफिशल एसायनीमें दिवालयके व्यवहारके सम्बन्धमें और बाह्यक काममें रिसाल गम सकता है ।

दफा (सी) में बताया गया है कि यदि दिवालयका घोषाद्वारासे काम करने का दोष हो और उसका विरुद्ध कोई कार्यवाही कीजाय तो आफिशल एसायनी का उत्तर नही लना चाहिए तथा अदालत विषय प्रसारका सहायता इस सम्बन्धमें उससे चाही ल सकती है ।

दफा ८० कर्जखाहोंकी फिहरिस्त दाखिल करनेका कर्त्तव्य

यदि कोई कर्जखाह दाखिल करता है तथा वह निर्धारितकी हुई फीस दाखिल करे तो आफिशल एसायनी उस कर्जखारहको कर्जखाहोंकी फिहरिस्त देना तथा उसे बज्रिये डाक रवाना करेगा और उस फिहरिस्तमें यह कर्ज भी दिखलाये जावेगे जो प्रत्येक कर्जखाहको मिलना चाहिये ।

व्याख्या—

अधेजी एकर भी इस दफा (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे यह समित है कि आफिशल एसायनी का कितना कर्जखाहना दूरवाला जान पर तथा उचित फीस दाखिल कर देने पर कर्जखाहोंका फिहरिस्त अवश्य दाता चाहिये तथा इस दफाके नियमकी अवहत्या न की जाना चाहिये । जिसमें कर्जखाहोंके कर्जोंकी भी तफसाल दी जाना चाहिये ।

दफा ८१ श्रमफल (मेहनतकी फीस)

(१) आफिशल एसायनी उस श्रमफल (Remuneration) को पावगा जो उसके लिये निश्चित किया गया हो ।

(२) आफिशल एसायनी उपदफा (१) में दिखलाये हुए श्रमफलके अतिरिक्त और कोई श्रमफल इस रूपमें नहीं पावगा ।

व्याख्या—

इस दफाके नियमोंका भी अर्थ लना नहीं हो जाना चाहिये जसा कि अगली एकरमें प्रयोग किया हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है । आफिशल एसायनीका श्रमफल फलका उसका लिय प्रथम अदालत अपनी अपना अधिकार शीघ्रके लिये दफा ११० क अनुसार नियम बनावे । आफिशल एसायनीके श्रमफलके लिये नियम दफा ११२ की उपदफा (२) के शाल (ब) क अनुसार बनावे जावगा ।

दफा ८२ आफिशल एसायनीकी बेलनवानी

यदि आफिशल एसायनीने दिवालयमें या दूसरे प्रकारसे उसकी बेलनवानी लापरवाही या

किसी काम का न करना मालूम हो तो अदालत उसके समझानेके वारेमें कहेंगी और यदि उसकी बंउनवानी लापरवाही या काम न करने की वजहसे दिवालिये की जायदाद को कोई नुक़सान पहुँचा हो तो उससे उस नुक़सान को पूरा करा सकती है ।

व्याख्या—

अदालतका कर्तव्य है कि वह आफ़िशल एसायनीमें उसकी शक्तीके बाग़में पूछे जैसा कि हम सभ्यमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दमें प्रकट है तथा अदालत यदि चाहे तो आफ़िशल एसायनीसे उसके द्वारा किये हुए नुक़सान की पूर्ति करा सकती है अर्थात् दफ़ाके इस हिस्सेके अनुसार कार्रवाई करनेके लिये अदालत बाध्य नहीं है किन्तु उसके अनुसार करना न करना उसकी इच्छा पर निर्भर है जैसा कि अंग्रेज़ एक्टमें मयाग किये हुए (May) शब्दमें प्रकट है ।

दफ़ा ८३ किस नामसे दावा दायर किये जाना चाहिये या दावा उसपर होना चाहिये

‘दिवालिये की जायदाद का आफ़िशल एसायनी’ (The Official Assignee of the property of an insolvent.) इस नामसे आफ़िशल एसायनी को दावा दायर करना चाहिये तथा इसी नामसे उसके विरुद्ध दावे किये जाना चाहिये और उसमें दिवालियेका नाम दिखला देना चाहिये । और इसी नामसे हर प्रकार की जायदाद पर कब्ज़ा रखा जा सकता है, मुवाहिदे किये जा सकते हैं, अपने ऊपर तथा अपने उत्तराधिकारियोंके ऊपर ज़िम्मेदारी लेने वाले वादे किये जा सकते हैं तथा अपने झोहदके कामों को पूरा करनेके लिये, जिन कामोंका किया जाना आवश्यक तथा अनिवार्य प्रतीत हो उनको किया जा सकता है ।

व्याख्या—

आफ़िशल एसायनी अपने नामसे कोई कार्रवाई नहीं करेगा किन्तु वह ‘दिवालियेकी जायदादका आफ़िशल एसायनी’ इस नामसे घुसहमे दायर कर सकेगा तथा इस नामसे उसके विरुद्ध भी दावे किये जाना चाहिये जिस दिवालियेकी जायदादके सम्बन्धमें कार्रवाई हो रही हो उसका नाम दे देना चाहिये । आफ़िशल एसायनी इसी नामसे जायदाद पर कब्ज़ा रख सकता है तथा इसी नामसे मुवाहिदे या अथवा कर्षणों का आवश्यक प्रतीत हो कर सकता है और इसी नामसे किये हुए कार्योंके वह स्वयं तथा उसके उत्तराधिकारी या उसके आहूद पर काम करें भविष्यमें पाव द किये जा सकते हैं । अंग्रेज़ी एक्टकी इस दफ़ामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दमें प्रकट है कि ऊपर बतलाये हुए नामसे कार्रवाई करनेके लिये कोई व्यक्ति बाध्य नहीं है किन्तु कार्रवाई आर भी नागस की जा सकती है अर्थात् ऐसे नामसे भी जा सकती है जिससे इसी प्रकारका अर्थ निकलता हो तथा जिससे भासत हो जावे कि कार्रवाई किसी दिवालियेके आफ़िशल एसायनी की ओरसे बनकर आफ़िशल एसायनीके की जा रही है या उसके विरुद्ध की जा रही है ।

दफ़ा ८४ दिवालिया होने पर आफ़िशल एसायनी अपनी जगहसे हट जावेगा

यदि आफ़िशल एसायनीके विरुद्ध दिवालिया करार दिये जानेका हुकम हो जावे तो ऐसे हुकमके होनेसे वह आफ़िशल एसायनीके पदसे हट जावेगा ।

व्याख्या—

इस दफ़ाके अनुसार दिवालिया आफ़िशल एसायनी नहीं रह सकता है अंग्रेज़ी एक्टकी इस दफ़ामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दमें प्रकट है । क इस दफ़ाके नियमोंमें अत्रेदेना नहीं हो जावेगी किन्तु आफ़िशल एसायनीके खुद दिवालिया करार दिये जातेही वह अपने पदसे च्युत हो जावेगा ।

दफा ८५ मीटिंग आदि करनेके कर्तव्य तथा उसकी पाबन्दी

(१) इस एक्टके नियमोंका ध्यान रखते हुए तथा अदालत द्वारा दी हुई आज्ञाओं को मानते हुए आफिशल एसायनी दिवालिये की आयदादके प्रबन्ध तथा उसके कर्जखवाहोंमें बाँटे जानेके सम्बन्धमें कर्जखवाहों द्वारा किसी मीटिंगमें पास किये हुए प्रस्ताव पर ध्यान रखेगा ।

(२) आफिशल एसायनी को अधिकार है कि वह समय समय पर कर्जखवाहों की मंशा जाननेके लिये उनकी मीटिंग करे तथा उसका कर्तव्य होगा कि वह कर्जखवाहों द्वारा किसी मीटिंगमें पास किये हुए समय पर या अदालत की आज्ञा दिये हुए समय पर या कर्जों साबित किये हुए कर्जखवाहोंके चौथाई कर्जों वाले कर्जखवाहोंके लिख कर कहने पर मीटिंग अवश्य करे ।

(३) दिवालिये की कार्रवाईके सम्बन्धमें पैदा हुए किसी मामलेके लिये आफिशल एसायनी अदालतसे सलाह मांग सकता है ।

(४) इस एक्टके नियमों का ध्यान रखते हुए आफिशल एसायनी आयदादके प्रबन्ध तथा उसके कर्जखवाहोंमें तकनीम किये जानेके सम्बन्धमें अपनी रायका प्रयोग करेगा ।

व्याख्या—

उपदफा (१) में बतलाया गया है कि यदि कर्जखवाहोंकी मीटिंगमें कोई प्रस्ताव दिवालियेकी आयदादके प्रबन्ध अपना उसका बाँट जानेके सम्बन्धमें पास किया गया है और प्रस्ताव इस एक्टके नियमोंके विरुद्ध अपना अदालतकी आज्ञाके विरुद्ध न पड़ता हो तो आफिशल एसायनी का कर्तव्य होगा कि वह ऐसे प्रस्तावको कार्यरूपमें परिणित करनेकी वाशिश कर तथा उसे एसे प्रस्तावकी अवदलना नहीं करना चाहिये जैसा कि अर्सेजी एक्टकी इस उपदफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दमें प्रकट है ।

उपदफा (२) में आफिशल एसायनीके लिये बतलाया गया है कि वह समय र पर कर्जखवाहोंकी मीटिंग किया करे परन्तु ऐसा करनेके लिये वह बाध्य नहीं है जैसा कि अर्सेजी एक्टकी इस उपदफामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दमें प्रकट है परन्तु यदि कर्जखवाहोंने अपनी किन्ही कार्यके निर्णयके लिये मीटिंग करना पास किया हो अपना अदालत मीटिंग करनेके लिये कर्जों साबित किये हुए कर्जों वाले कर्जखवाहोंमें से चौथाई कर्जों वाले कर्जखवाह लिख कर दें तो आफिशल एसायनी का कर्तव्य होगा कि वह मीटिंग अवश्य करे जैसा कि अर्सेजी एक्टमें इस सम्बन्धमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दमें प्रकट है ।

उपदफा (३) में बतलाया गया है कि आफिशल एसायनी यदि चाहे तो वह अदालतमें दिवालियेके किसी मामलेके सम्बन्धमें राय ले सकता है इसके लिये वह बाध्य नहीं है जैसा कि अर्सेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दमें प्रकट है ।

उपदफा (४) के अनुसार आफिशल एसायनी को पूर्ण स्वतन्त्रता आयदादके प्रबन्ध करने तथा उसके बाँटनेमें प्राप्त है केवल उसको इस एक्टमें बतलाये हुए नियमोंकी अवदलना ऐसा करनेमें नहीं करना चाहिये ।

दफा ८६ अदालतमें अपील

यदि आफिशल एसायनीके किसी काम या फैसलेसे किसी कर्जखवाह, दिवालिया या अन्य किसी व्यक्तिको हानि पहुँचती हो तो वह अदालतमें अपील कर सकता है । और अदालत शिकायत किये हुए काम या फैसले को मजूर कर सकती है, पलट सकती है अथवा संशोधित कर सकती है जैसा कि उसे उचित प्रतीत होवे ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार आफिशल एसायनोंके किसी कार्य या पैगलेके विरुद्ध अपील अदालतमें की जासकती है अदालत को अधिकार है कि वह अपील होने पर आफिशल एसायनीके कार्य या पैगलेको जैसे का तैसा बना रहने दे अथवा उसे रद्द कर देवे या उसमें उचित संशोधन कर देवे । यदि अपीलमें जन हांग एक दूसरे की रायसे सहमत न हो तो दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें लेटर्स पेटेंट अपील (Letters patent appeal) दाखिलकी जासकती है, देखो—34 Mad. 121.

दफा ८७ अदालतका दवाव

(१) यदि कोई आफिशल एसायनी बफादारीके साथ अपने कर्तव्य का पालन न करे और वह कानून, कूल या अन्य प्रकारसे अपने लिये बतलाये हुए नियमोंका जो उनके कर्तव्यके पालनके लिये बनाये गये हों ध्यान न रखे या उसके धारमें किसी कर्जरवाह द्वारा शिकायत कीगई हो तो अदालत उस मामलेमें सहकीकात करेगी तथा उसके लिये आवश्यक कार्रवाई करेगी ।

(२) यदि अदालत आफिशल एसायनीसे किसी समय उस दिवालिये की कार्रवाईके सम्बन्धमें कुछ दुर्याप्त किया चाहे जिसमें वह आफिशल एसायनी होवे तो वह पूछ सकती है तथा दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें उसके अथवा अन्य किसी व्यक्तिके हलफत बयान ले सकती है ।

(३) अदालत आफिशल एसायनी की किताबों व पत्रों (Vouchers) की जांचके लिये हुकम दे सकती है ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार अदालतका कर्तव्य होगा कि वह ऐसे आफिशल एसायनीके मामलोंकी तर्हीजात करे जो अपना कर्तव्य पालन न करना हो या जो किसी कानूनकी अवहेलना करता हो जिसकी पाबंदी उसके लिये आवश्यक होवे । केवल सहकीकात ही की आवश्यकता नहीं है निजु यथोचित कार्रवाई भी उसके विरुद्ध की जाना चाहिये । कर्जरवाहकी शिकायत पर भी ऊपर बतलाई हुई कार्रवाई आफिशल एसायनीके विरुद्ध की जावेगी ।

उपदफा (२) के अनुसार अदालत आफिशल एसायनीसे दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें कोई भी बात दर्शान कर सकती है तथा उसका या अन्य किसी व्यक्ति का बयान हलफते ले सकता है ।

उपदफा (३) के अनुसार आफिशल एसायनीकी किताबों व पत्रोंके सम्बन्धमें भी जाच बचाई जासकती है । अदालतकी इच्छा पर ऐसा करना न करना निर्धार है जैसा कि अमेरिजी एक्टकी इस उपदफामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है ।

पांचवां प्रकरण

जांच कमेटी

दफा ८८ जांच कमेटी

अदालतको अधिकार है कि मुनाखिब समझने पर वह उन कर्जखवाहों को जो अपने कर्ज साबित कर चुकें हैं इस बातका अधिकार दे देवे कि वह कर्जखवाहोंमें से या उनके प्रोफसी (Proxies) अथवा उनके मुस्तारआममें से एक जांच कमेटी आफिशल एसायनी द्वारा दिवालियकी जायदादके प्रबन्ध का नीरीक्षण करनेके लिये नियुक्त कर सके। परन्तु शर्त यह है कि जो कर्जखवाह जांच कमेटी का मेम्बर बनाया गया हो वह उस वक्त तक उसमें कार्य करने योग्य नहीं होगा जब तक कि वह अपना कर्ज साबित न कर देवे।

व्याख्या—

ऑमेजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दमें प्रकट है कि अदालत इस दफाके अनुसार बरिवाह करनेके लिये बाध नहीं है किन्तु इसके अनुसार हुकम देना न देना उसकी इच्छा पर निर्भर है इस दफाके अनुसार अन्य कमेटी बनानेके अधिकार केवल उन्हीं कर्जखवाहोंको प्राप्त हो सकते हैं जो अपना कर्ज साबित कर चुके हैं परन्तु कमेटीके मेम्बर वाई भी कर्जखवाह बनाये जासकेंगे चाहे उन्होंने मेम्बर बनाये जाते समय तक अपना कर्ज साबित किया हो या न किया हो कर्जखवाहोंके अतिरिक्त उनको औरते बोट देनेका अधिकार पाये हुए व्यक्ति तथा उनके मुस्तार आम भी कमेटीके मेम्बर बनाये जासकते हैं यह बात ध्यानमें रहना चाहिये कि कर्ज न साबित किया हुआ कर्जखवाह कमेटीका मेम्बर तो बनाया जासकेगा परन्तु कमेटीमें काम करना अधिकारी उन्ही समय होगा जब कि वह अपना कर्ज साबित कर देवे। इस उप नियमकी अवहेलना नहीं की जाना चाहिये केसाकि ऑमेजी एक्टमें इस सम्बन्धमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दमें प्रकट है।

दफा ८९ जांच कमेटीके आफिशल एसायनीकी जांचके सम्बन्धमें अधिकार

आफिशल एसायनी की कार्यवाहियों पर जांच कमेटीको नियन्त्रणके चही अधिकार प्राप्त होंगे जो इस सम्बन्धमें निर्धारित किये जायें।

व्याख्या—

जांच कमेटी निर्धारित किये हुए जांचके नियमोंकी पाबन्द होगी अर्थात् उनके विपरीत नहीं कर सकेगी जैसा कि ऑमेजी एक्टमें किये हुए (Shall) शब्दका तात्पर्य है।

दफा ९२ एकके स्थानमें दूसरे कर्जस्वाह द्वारा कार्रवाईका किया जाना

यदि दरखास्त देने वाला व्यक्ति उचित मेहनतके साथ दरखास्तकी परची न करता हो तो अदालतको अधिकार है कि वह किसी दूसरे कर्जस्वाहको उसकी जगह पर दरखास्त देने वाला मानले परन्तु इस दूसरे कर्जस्वाहके कर्जेकी लादाद वही होना चाहिये जो दरखास्त देने वाले कर्जस्वाहके लिये इस एक्टमें यत्नाई गई है।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार अदालत किसी मामलेकी परचोंमें न्यूनता देखकर उसकी उचित परचीके लिये अमरी दरखास्त देने वाले व्यक्तिके स्थान पर दूसरे कर्जस्वाहकी मान सकता है परन्तु ऐसा कर्मके लिये अदालत बाध्य नहीं है जैसा कि अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है। इस दफाके अनुसार कार्रवाई वरत समय इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि दूसरा शामिल किया जाने वाला कर्जस्वाह भी कर्जदारसे कमसे कम ५०० रुपयेका कर्ज पतिका हकदार होवे।

दफा ९३ कर्जदारके मरजाने पर भी कार्रवाईका चालू रहना

यदि कोई कर्जदार जिसके विरुद्ध दिवालियेकी दरखास्त दी गई होवे अथवा जिसने दरखास्त दी होवे मर जावे तो उसके मामलकी कार्रवाई जारी रखी जावेगी जब तक कि अदालत इसके विरुद्ध कोई हुक्म न देवे।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार कर्जदारके मर जाने पर भी दिवालियेकी कार्रवाई चालू रखा जावेगा व इस नियमकी अवहेलना नहीं की जासकती है जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे भासित है। परन्तु अदालतको अधिकार है कि इस नियमके विरुद्ध भी वह आज्ञा दे सकती है यदि कोई आज्ञा उक्त नियमके विरुद्ध न दी गई हो तो इस नियम की पाबन्दी अवश्य की जावेगी।

दफा ९४ कार्रवाईको रोकनेके अधिकार

अदालत किसी समय भी उचित कारणके उपस्थित होने पर दिवालियेकी दरखास्तके सम्बन्धमें होने वाली किसी कार्रवाईके स्थान पर या कुछ समयके लिये किन्हीं शर्तोंके साथ वह स्थगित कर सकती है।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार कार्रवाई करना न करना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है। इस दफाके अनुसार अदालत दिवालियेकी कार्रवाईका किसी नियत समयके लिये अथवा सर्वत्रके लिये रोक सकती है जैसा कि उसे उचित प्रतीत होवे। जैसा कि दिवालियेके मरने पर या दिवालियेके विरुद्ध किन्हीं दूसरी अदालतमें कार्रवाई होने पर अथवा अन्य किसी ऐसे ही अवसरके उपस्थित होने पर अदालत मुन्तजा का हुक्म दे सकती है।

दफा ९५ किसी शारीकदारके विरुद्ध दिवालियेकी दरखास्तका दियाजाना

यदि किसी कर्जस्वाहका कर्ज किसी फर्मके विरुद्ध दिवालियेकी दरखास्त देनेके लिये फार्मा होवे तो उस कर्जस्वाहको अधिकार है कि वह उस फर्मके किसी एक या अधिक हिस्से-

द्वाराके विरुद्ध दरखास्त उस कर्जेके आधार पर दे सके अर्थात् यिला सब कर्जेंद्वाराको उस दरखास्तमें शामिल किये हुए वह दरख्वास्त दे सकता है ।

व्याख्या—

यदि किसी हिन्दू म्बन्धी नामाभियाँ आनदला वगैरामें लिये कोई कर्ज लिया गया हो तो बालिया होने पर वह व्यक्ति ऐसे कर्जेके आधार पर दिवालिया करार नहीं दिया जा सकता है देखो—41 Mad 821. इस दफाके अनुसार सयुक्त कर्जोंके लिये सयुक्त कर्जेके जिम्मेदार वा लिखित लिये एक साथ या अलग-अलग दरखास्त दिवालिया दी जा सकती है व अलग-अलग दरखास्त दिये जाने पर वह व्यक्ति पूरे सयुक्त कर्जेके लिये कर्तदार समझा जायेगा अर्थात् हिस्सा रसदके हिस्साबदे उस पर उस कर्जेकी जिम्मेदारी नहीं समझी जायेगी ।

दफा ९६ कुछ रिस्पान्डेन्ट्सके विरुद्ध दरखास्तका खारिज किया जाना

यदि किसी दिवालियेकी दरखास्तमें एकसे अधिक रिस्पान्डेन्ट्स हों तो अदालत उनमेंसे किसी एक या अधिक रिस्पान्डेन्टके विरुद्ध दरखास्तको खारिज कर सकती है और इस प्रकार खारिज किये जानेका कोई प्रभाव बाकी बचे हुए रिस्पान्डेन्ट या रिस्पान्डेन्ट्सके विरुद्ध दिये हुए पिटीशन पर नहीं पड़ेगा ।

व्याख्या—

इस दफाके नियमोंका प्रयोग अदालतकी इच्छा पर निर्भर है जैसे कि अंग्रेजी एजमेंट प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है । इस दफाका प्रयोग उसी समय हो सकेगा जब एकसे अधिक व्यक्तियोंके विरुद्ध कोई दरखास्त दी जावे । यदि ऐसी दरखास्त पर अदालत किसी एक या एकसे अधिक व्यक्तियोंका बर्ग कर देवे तो बाकी बचे हुए व्यक्तियों पर इस बर्ग किये जानेका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उनके विरुद्ध वह दरखास्त बदलना नरना सकेगी ।

दफा ९७ शरीकदारोंके विरुद्ध जुदागाना पिटीशनोंका दिया जाना

जब कि फर्मके किसी शरीकदारके विरुद्ध या उसके द्वारा दी हुई दरखास्त पर दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म हो जावे तो उसी फर्मके किसी दूसरे शरीकदार या शरीकदारोंके विरुद्ध या उनके द्वारा दी हुई दिवालियेकी दरखास्त उसी अदालतमें दी जायेगी या उसी अदालतमें भेज दी जायेगी जहाँ कि पहिले बतलाई हुई दरखास्तकी सुनवाई हो रही हो । और वह अदालत उन दरखास्तोंको शामिल कर दिये जानेके लिये वह हुक्म दे सकती है जो उसे उचित प्रतीत होयें ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार यदि एक ही मामलेमें सगंध रखने वाले एकसे अधिक मामले हों तो उनको एक ही अदालत द्वारा सुना जाना उचित बतलाया गया है जिसमें उचित प्रतीत होने पर यह एक साथ शामिल कर दिये जायेंगे । जैसे कि यदि फर्मका एक शरीकदार किसी अदालत द्वारा दिवालिया करार दिया गया हो तो उसी फर्मके अन्य शरीकदारोंके विरुद्धकी जाने वाली दिवालियेकी बार्डरार्ड उसी अदालतमें ही जाना चाहिये और यदि किसी दूसरे अदालतमें दरखास्त दी गई हो तो वह भी उसी अदालतमें भेज दी जाना चाहिये ।

दफा ९८ आफिशल एसायनी तथा दिवालियेके शराकदार द्वारा चलाये जाने वाले मुकदमें

(१) यदि फर्मका कोई शरीकदार दिवालिया करार दिया गया हो तो अदालत आफिशल एसायनीको उस दिवालियेके नामसे तथा उस दिवालियेके शरीकदारके नामसे कारवाईके जारी रखने या शुरू करने व उसकी परधी करनेका अधिकार दे सकती है। और जिस मामलेके सम्बन्धमें कारव है चल रही हो यदि उस सम्बन्धमें कोई शरीकदार कुछ छोड़ देवतो पंसा छोड़ा जाना रह होगा।

(२) यदि उपदफा (४) के अनुसार मुकदमा जारी रखने या शुरू करनेकी आवा देने के लिये दरखवास्त दी जाये तो उसकी सुचना दूसरे शरीकदारको दी जावेगी जिसमें कि वह उसका विरोध कर सके और उसकी दरखवास्त पर अदालत यह हुकम दे सकती है कि उसे उस मामलेसे उसका मुनासिब भाग मिल सके और यदि वह उससे कोई लाभ न उठाया चाहे तो उसको उस सम्बन्धमें दिलाये जाने वाले उस खर्चका मुवाचिजा मिलेगा जिसके लिये अदालत हुकम देवे।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार फर्मके कितना एक शरीकदारके दिवालिया करार दिये जाने पर आफिशल एसायनीकी वस शरीकदारके नामसे तथा उसके दूसरे शरीकदारके नामसे मामला जारी रखने या नया मामला दायर कराना अधिकार दिया गमकता है। अदालत ऐसा करनेके लिये मजबूत नहीं है किन्तु इसका करना न करना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है नैसा कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है। यदि उपदफा (१) के अनुसार किसी बच्चे या मांगके सम्बन्धमें कोई मामला चल रहा हो और फर्मका कोई शरीकदार उस बच्चे आदिकी संरक्ष देवे तो इस प्रकारका छोड़ा जाना अनुचित होगा तथा वह रह सम्पन्न जावेगा।

उपदफा (२) में बतलायागया है कि फर्मके दूसरे शरीकदार इनाजतकी दरखवास्तका विरोध कर सकते हैं तथा अदालत द्वारा उनको उनका हिस्सा मामलेकी कामगामी पर दिलाया जासकता है और यदि वह शरीकदार मामलेसे कुछ सम्बन्ध न रखता चाहे तो दफा ही वह उस मामलेके खर्चसे भी नहीं लादा जावेगा। जो अदालतकी मुनासिब हुकम देनेका अधिकार इस प्रकारके मामलोंमें है कि तु फिर भी विरोध करनेका अवसर तथा खर्च आदिमें बचानेकी आज्ञा अदालतकी अवश्य देना चाहिये नैसा कि अंग्रेजी एक्टकी इस उपदफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है।

दफा ९९ साझेके नामसे मामलेका चलाया जाना

(१) यदि दो या दो से अधिक साझीदार हों, अथवा कोई व्यक्ति साझेके नामसे कारो धार करता हो, तो वह लोग इस एक्टके अनुसार फर्मके नामसे कारवाई कर सकते हैं परन्तु शर्त यह है कि ऐसे मामलेमें किसी सम्बन्धित व्यक्तिके दरखवास्त देने पर फर्मके शरीकदारोंका नाम अथवा उस व्यक्तिका नाम जो फर्मके नामसे काम करता हो जाहिर करनेका हुकम अदालत दे सकती है और यह उस प्रकार धतलाये जावेगे तथा हलफसे उनकी तस्दीक उस प्रकारकी जावेगी जिस प्रकार अदालत हुकम देवे।

(२) यदि किसी फार्मका कोई शरीकदार नावालिया होवे तो दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म उस नावालिया शरीकदारके अतिरिक्त फार्मके विरुद्ध दिया जासकता है।

व्याख्या—

जिस नामसे वातवार होता हो उस नामसे दिवालियेके सम्बन्धमें फार्मकी जासकती है चाहे उस नामसे करीबार कोई भूत अथवा हो कता हो अथवा उसमें कोई शरीकदार होवे। मालु यदि कोई सम्बन्धित व्यक्ति यह जानता चाहे कि उस फार्मके नामसे कान ब्रान्ति कानाई कर रहा है अथवा फार्मके सद शरीकदारोंके क्या नाम हैं तो अद्यतन उन लोगोंके नाम बतलाये जानना हुक्म देसकता है और जब समय अदानतमें आशके अनुसार उन लोगोंके नाम बतलाये जावेंगे तथा उनही तस्दाक हुक्म की जायेगी।

उपदफा (२) के अनुसार किसी फार्मका नावालिया शरीकदार दिवालिया करार नहीं दिया जायेगा परन्तु वह फार्म अथवा उसके दिवालिया करार दिया जासकता है इस दफाके अनुसार फार्म कानके लिए कोई व्यक्ति बाध्य नहीं है जहा कि अमनी एवम् प्रयोग किये हुए (May) शब्दने प्रयुक्त है नारालिया उल्लेख दफा ९ में किया जासकता है।

दफा १०० अदालत दिवालियाके बाराण्ट

(१) अदालत दिवालिया द्वारा जारी किये हुए वारण्टों की तामीन उसी प्रकार की जासकती है जिस प्रकार सन् १८६८ ई० के ज्ञाबता फौजदारीके अनुसार जारी किये हुए वारण्टोंकी जाती है।

(२) दिवालियेकी जायदादके किसी हिस्से पर कब्जा लेनेके लिये दिया हुआ वारण्ट जो दफा ५६ की उपदफा (१) के अनुसार दिया गया हो निर्धारित फार्ममें होगा और ऊपर बतलाये हुए एक्ट की दफाओं ७७ (२), ७६, ८२, ८३, ८४ तथा १०२ जहा तक होगा ऐसे वारण्ट की तामीलके सम्बन्धमें लागू होंगी।

(३) यदि दफा ५६ (२) के अनुसार तलाशीका वारण्ट जारी दिया गया हो तो उसकी तामील उसी प्रकार होगी व वही शर्तें लागू होंगी जो ऊपर बतलाये हुए एक्टके अनुसार चोरी की जायदादके लिये जारी किये हुए तलाशीके कारण वारण्टमें लागू होती हैं।

व्याख्या—

इस दफाके बाराण्टकी तामीलके नियम बतलाये गये हैं। कोई नये नियम इस एक्ट के लिये इस सम्बन्धमें नहीं बनाये गये हैं। उपदफा (१) में यह बतला दिया गया है कि सन् १८९० ई० के समय कानून फौजदारीकी जा नियम नारण्ये की तामीलके लिये दिये हुए हैं व ही का प्रयोग इस एक्टके अनुसार जाग किये हुए वारण्टोंके सम्बन्धमें किया जायेगा। उक्त समय जबका फौजदारीके अन्तर्गत फार्ममें यह नियम दिये हुए हैं और वह दफा ७५ से लेकर दफा ९३ तक मिलेगा तथा इसके बाद दफा ९६ से दफा १०३ तक भी सातवें प्रकरणमें कुछ नियम बतलाये तलाशी आदिके सम्बन्धमें दिये हुए हैं।

उपदफा (२) में बतलाया गया है कि दिवालियेकी जायदाद पर कानून लेने वाले वारण्टकी तामीलमें वह नियम लागू होंगे जो समय कानून फौजदारी की दफाओं ७७ (२), ७९, ८२, ८३, ८४ और १०२ में दिये हुए हैं।

ज्ञाबता फौजदारीकी दफाओं ७७ (२) के अनुसार यदि बाण्ट एक्टके अधिष्ठ पुलिस अफसरों या दूसरोंके नाम जारी किया गया हो तो उसकी तामील सब लोग मिलकर या उनमेंमें कोई भी व्यक्ति कर सकता है।

जायता फौजदारीकी दफा ७६ के अनुसार यदि वारण्ट किसी पुलिस अफसरके नाम जारी किया हो तो उसकी तामील कोई दूसरा पुलिस अफसर भी कर सकता है जिसका नाम पहिले पुलिस अफसरने वारण्ट पर लिख दिया हो।

जायता फौजदारीकी दफा ८२ के अनुसार गिरफ्तारी का वारण्ट ब्रिटिश भारतके किसी भी हिस्सेमें तामील किया जासकता है।

जायता फौजदारीकी दफा ८३ के अनुसार यदि वारण्ट जारी करने वाली अदालतके अधिकार सीमासे बाहर तामील किया जानको हवे तो अदालत ऐसे वारण्टको बजाय किसी पुलिस आफीसरकी देनेके उस डिस्ट्रिक्ट मागिस्ट्रेट सुपरि-ण्डेंट पुलिस या पुलिस कमिश्नरके पास भेज सकती है जिसके अधिकार सीमामें उस वारण्टकी तामील दरकार हवे और इस प्रकार वारण्टके भेजे जाने पर पाये वाला व्यक्ति अपने दलखत करके जहा तक हो सकेगा उसकी तामील करावेगा।

जायता फौजदारीकी दफा ८४ के अनुसार यदि किसी पुलिस आफीसरको कोई ऐसा वारण्ट तामीलके लिये दिया जावे जिसकी तामील भाँटा करत वाली अदालतके अधिकार सीमामे बाहर की जाने की हवे तो वह उस वारण्ट पर उस मजिस्ट्रेट या थानेदार या उससे ऊंचे किसी पुलिस आफीसरके दस्तखत करावेगा जिसके हल्केमें उस वारण्टकी तामीलकी जाने की हवे और ऐसे अफसरके दस्तखत होने पर तामील करने वाले पुलिस आफीसरको उसके तामील करने का अधिकार प्राप्त हो जावेगा तथा वह की छोड़ल पुलिस भी आवश्यकता पड़ने पर उसे मदद देगी यदि दस्तखत आदि करनेमें देर होनेकी सम्भावना हो जिसके कारण फिर वारण्टकी तामीलही नामुमकिन हो जाती हो तो पुलिस आफीसर बिना दस्तखत करायेही तामील कर सकता है।

जायता फौजदारीकी दफा १०२ के अनुसार यदि किसी बन्द जगह की तलाशी ली जाने की हवे तो उस जगह का मालिक या क्वाबिज उस जगहकी तलाशी वारण्ट दिखलाये जाने पर लेने देवेगा, यदि वह उसकी तलाशी नहीं लेने देवे तो जबन उसकी तलाशी ली जावेगी और यदि कोई आदमी किसी चीजको अपने जिसमें बिगये हुए हवे तो उसके जिरमनी भी तलाशी ली जासकती है।

उपदफा (३) के अनुसार तलाशाके वारण्ट भी समग्र जायता फौजदारीमें बतलाये हुए चोरीके मालकी तलाशी वाले नियमोंके अनुसार तामील किये जावेंगे तलाशीके वारण्टका जिक्र दफा ९६ से लेकर दफा १०३ तक किया गया है दफा ९८ में चोर की जायदाद वाले मजानकी तलाशी। जिक्र है अर्थात् हर प्रकारके वारण्टकी तामील जायता फौजदारीमें बतलाये हुए नियमोंके अनुसार ही जासकती है।

सातवां प्रकरण

मियाद

दफा १०१ अदालतके लिये मियाद

आफिशल एसायनीके किसी काम या फैसलेकी अपील अथवा अदालतके किसी अपसर के हुक्मकी अपील जिसे दफा ६ के अनुसार अधिकांश दिया गया हो उस कामसे अथवा हुक्म या फैसलेसे जैसा कि मामला होवे बीस दिनके अन्दर की जावेगी।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार आफिशल एसायनीके किसी काम या फैसलेकी अपील उस काम या फैसलेके हुक्मके बाद २० दिनके अन्दर की जासकती है। उस अपसरके नाम अथवा फैसलेकी अपील भी इसी मियादके अन्दर की जासकती है जो इस एक्टकी दफा ६ में बतलाये हुए नियमके अनुसार नियुक्त किया गया हो—देखो पिछली दफा ६ व उसकी व्याख्या यदि दिवालिये का काम करने वाले जनके हुक्मकी अपील की गई हो तो अदालत अपीलकी अपेक्षा है कि वह खर्चों अमानत लिये जानेके सम्बन्धमें दो हुई दरन्दास्तकों ले सके तथा उस पर विचार कर सके देवी—43 Cal 243 इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि अदालतकी दफा १० (५) के अनुसार मियाद बढ़ाने का अधिकार अदालत है अपील अदालत मियाद समाप्त होनेके बाद अथवा उसमें पहिले यदि वह उचित समझे तो जिन चीजोंके साथ चाहे उस एक्ट अथवा कृष्के अनुसार नियमकी हुई मियादसे बढ़ा सकती है—देखो पिछली दफा १० (५) इस दफामें बतलाई हुई २० दिवसी मियाद काम या फैसला होनेके समयमें सुनार की जावेगी इस प्रकार यदि आफिशल एसायनीके किसी सुनारी न माना हो तो इसके अपीलकी मियाद उस वनसे समझी जावेगी जबकि आफिशल एसायनीके वजह लिखकर सुनारी नामकर किया हो जैसा कि उसे दूसरी सूचीके पचासवें क्लकके अनुसार करना आवश्यक है।

आठवां प्रकरण

दण्ड

दफा १०२ बिला बहाल हुआ दिवालिया यदि कर्ज लेवे

यदि बिला बहाल हुआ दिवालिया किसी व्यक्तिसे बिला उसको यह बतलाये हुए कि वह बिला बहाल किया हुआ दिवालिया है पचास रुपये या इनसे अधिकका कर्ज लेवे तो मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी निर्धारित किये जाने पर उसको छः महीने तकके कारावासका दण्ड या जुर्मानेका दंड अथवा दोनों प्रकारके दंड साथ साथ दिये जासकेंगे।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार कोई दिवालिया मग तक कि वह बहाल न कर दिया जाने पचास रुपये या इससे अधिकका कर्ज

नया कं सफ़ता है यदि वह ऐसा बरगा तो दण्डन भागी होगा परन्तु इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि जिस व्यक्तिने कर्ज लिया गया हो उसको नया कं न होनेका हाल न बननाया गया हो अर्थात् यदि कर्ज लेते समय दिवालियाने कर्ज देने की शक्ति से यह बातला दिया हो कि वह बिना बहाल हुआ दिवालिया है तो ऐसी दशामें किसी कर्पणरा उधार गिया जाना उचित नहीं समझा जावेगा मनिस्ट्रेट इस दफ्ताके अनुसार दिवालियेको दोषी निर्धारित कर सकता है और दोषी निर्धारित किये जाने पर उ गद्दीने तर्कके कारावासका दण्ड या जर्मानेका दण्ड अथवा दोनों प्रकारके दण्ड साथ साथ दिये जावेंगे। कारावासके दण्डके सम्बन्धमें इस दफ्तामें यह नहीं बतलाया गया है कि वह कटोर कारावासका दण्ड होया अथवा साधारण पण्डु इसका मतलब यह समझना चाहिये कि दोना प्रकारके कारावासका दण्ड मनिस्ट्रेटकी आज्ञानुसार दिया जासकता है। अंग्रेजी पुराण प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकटके कि इस दफ्ताके नियमोंकी अवहेलना नहीं की जाना चाहिये अर्थात् दोषी निर्धारित किये जाने पर वह किसी न किसी दण्डको अवश्य पावेगा जैसा कि दोषी निर्धारित करने वाली अदालत उसके विषये उचित समझे।

दफा १०३ कुछ जुर्मोंके लिये दिवालियेको दण्ड दिया जाना

यदि कोई व्यक्ति जो दिवालिया करार दिया जाचुका हो नीचे दिये हुए जुर्मोंसे कोई जुर्म करे तो वह दोषी निर्धारित किये जानेके कारावासका दंड पासकंगा : -

(ए) यह कि उसने अपने मामलोंकी हालत छिपानेकी भंशासे अथवा इस एक्टके अनुसार होने वाले कार्यको न होनेकी भंशासे या धोखादेहीसे -

(i) किसी किताब, कागज़ या सहरीरको जिसका सम्बन्ध उसके उन मामलोंसे होवे जो इस एक्टके अनुसार जेर तजवीज हैं बरबाद कर दिया हो अथवा किसी दूसरे प्रकारसे जानते हुए रोका हो या जानबूझ कर उसको पंग न होने दिया हो, या

(ii) झूठी किताबें रखी हों या रखवाई हों, या

(iii) किसी किताब, कागज़ या सहरीरको जिसका सम्बन्ध उसके उन मामलोंसे होवे जो इस एक्टके अनुसार जेर तजवीज हैं गलत इन्टरज किया हो या उसमें कोई इन्टरज न किया हो अथवा जान बूझ कर उसे तजवीज किया हो या गलत किया हो, या

(धी) यह कि उसने धोखादेहीसे तथा इस नीयतसे कि उसके कर्जदवाहोंमें घटि जाने वाला रपया कम हो जावे या उसके किसी एक कर्जदवाहको और कर्जदवाहोंके मुकाबले बेजा तर्जिह दी जासके :-

(1) उससे लेने या देने वाले कर्जको चुका दिया हो या छिपाया हो, या

(2) अपनी किसी प्रकारकी जायदादको लेकर भाग गया हो या उस पर धार पैदा कर दिया हो या उसे रेहन कर दिया हो अथवा छिपा दिया हो।

व्याख्या—

इस दफ्तामें वह जुर्म बतलाये गये हैं जिनके स्थित होने पर दिवालियेको दण्ड दिया जासकता है।

उपदफा (५) में दिसावना किताबों तथा अन्य तद्गामी बापनातका उल्लेख है यह उपदफा तब ज्ञानमें विभक्त का नहीं है । (१) पहिले ज्ञानके अनुसार किताबों आदि का न पता किया जाना जब कि उक्त पेश किये जानेका आवश्यकता इस एक्टके अनुसार होने दृष्टनीय बनलाया गया है (११) दूसरे ज्ञानके अनुसार यदि छुटी दिसावनी किताबें गवती गई हों तो वह दृष्टनीय है (१११) तसारे ज्ञानके अनुसार यदि छुटे इन्दान किये गये हों या चाहे इन्दान किये ही न गये हों तो ऐसे काम भी दृष्टनीय मतलबिये गये हैं ।

उपदफा (बी) में किसी कर्जालाहकी बेजा तर्जिह देनेके लिये अथवा कर्जालाहोंमें बांधी जाने योग्य बापदादकी कृम करनेकी मशरते यदि कोई कर्ज लिखाया गया है या चुका दिया गया हो अथवा कोई बापदाद लिखाई गई हो या उस पर बार पढ़ा गया हो तो ऐसा काम जर्ब समझा जायगा यह उपदफा भी दो ज्ञानोंमें विभक्त है पहिले ज्ञानके अनुसार कोई वा उक्त मशरति लिखाया जाना या चुकाया जाना जर्ब है दूसरे ज्ञानके अनुसार बापदादना इत्या देना उसे रद्द कर देना या उस पर बार पढ़ा कर देना जर्ब है । इस दफाके अनुसार जर्ब साबित होने पर दो साल तककी सजा दी जायगी इस दफामें यह नहीं बतलाया गया है कि सजा सारी कैद हागी या सरल कैद इसलिये यह समझना चाहिये कि सारी व सरल दोनों प्रकारकी सजाएँ दी जासकेंगी । यदि किसी रेलवे प्राविडेंट फण्डस दिवाल्यका कुल रूपका भिलने वाला होने और वह उस रूपके लडा लेवे तो वह जर्ब नहीं समझा जायगा क्योंकि प्राविडेंट फण्डसका रूपका बरीफस है और उसका उठालना धाजकी बर्तावई नहीं है वगैरे कि बर्तावहादानका बस पर एक नहीं होता है देखो—45 Bom 694 मशरत धारै बर्तने यह तय किया था कि दफा १०३ के अनुसार १५ रुपये जर्बसे सुनानका बार्दे अधिनार प्रसीडेंसी मजिस्ट्रेटको नहीं है यह जर्ब एक्टके अनुसार जर्ब मतलबिये गये हैं और इनका फेरला करनेका अधिनार करल अदालत दिवाल्यका है जो कि ऐसे मामलोंकी सुननेके लिये एक विश्व अदालत है व उसका कार्यक्रम भी भिन्न है देखो—लकाी बनाप नरसिंहापारी 25 Mad L. I 577 इस दफाके अनुसार दोषी निर्धारित करनेके लिये सुदरईका बर्तव्य होगा कि वह दिवाल्यके नियतको साबित करे । और जब तक कि किये हुए बाममें स्वाभाविक परिणाम यहा न निकला हो तब तक नीयत नहीं मानी जायगी देखो—अद्वुलहीम बनाम आफिशल एमायना 27 I. C 753, किसी कर्जदाल दिवाल्यका दरखास्त दी इसक बाद उसके किसी कर्जालाहने प्रेसी-डे ही मेजिस्ट्रेटके यहा धोलादहा (Cheating) का मामला दायर किया तो यह तय हुआ कि दिवाल्यके दरखास्त दे दिये जाने ही से प्रेसीडेसी मजिस्ट्रेटके अधिनार बर्तव्यके विरुद्ध मामला सुननेके नहीं जाते रहते हैं दफा १७ में जो सखी बागुनी बर्तव्यका निक है वे दावाना बर्तव्यका समझना चाहिये 25 Bom 63 पल्लु इस बापका ध्यान रहना चाहिये कि ऐसे मामलोंमें जब कि बापका अदालत दिवाल्यके दाखिल किये गये हैं और उसके सम्बन्धमें कोई बर्तव्यकी जानेकी होने तो अदालत दिवाल्यके आज्ञा देना उचित मनीत होता है देखो—37 Mad. 107. इस दफामें जर्बाना किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है और इसलिये यदि इस दफाके अनुसार जर्ब किये जाने पर जर्बाने का बर्द दिया जाय तो वह साफ तौरसे गलत है, देखो—मोदालाल विश्वास बनाम सरकार बहादुर 32 C W N, 1140.

यदि दफा १०३ (बा) (११) क अनुसार कोई बर्तव्य खासिग हो गई हो तो सबसे ताजातद् इन्दकी दफा ४२१ व ४२४ के अनुसार बर्तव्य किये जानेमें रुकावट नहीं पडगी, देखो 61 Rang 664 वह धर्मिक जो दिवाल्यका बरार दिया जायगा हो तथा जिसकी बापदाद आफिशल एमायनाकी सुदरईमें अगई हो तो वह ऐसी ठिकनेके बर्तव्यमें जेल नहीं बना जाना चाहिये निसमें कि वह पहिले ही शागो की जमानत दे चुका हो चाहे उतने अरती किताबें पेश न की हों या रक्षाका हुकम (Protection Order) उमका न मिया हो । किताबें न पेश करने पर उसके विरुद्ध कानून दिवाल्यके अनुसार बर्तव्यकी जासकता है, देखा—नगरिमल मोदी बनाम लक्ष्मीनारायण गुप्ता A. I. R. 1929. Cal 1144.

दफा १०४ दफा १०३ के जुर्मोंके लिये कार्य क्रम

(१) जब कि आफिशल एमायनी अदालतमें इस बातकी रिपोर्ट करे कि दिवाल्यके

दफा १०३ के अनुसार कोई जुर्म किया है या तय कि अदालतको किसी क्रमरचाहके कहने पर यह विश्वास हो जावे कि दिवालियेने कोई ऐसा जुर्म किया है तो अदालत इस बातका हुकम दे सकती है कि दिवालियेके पास नोटिस निर्धारित किये हुए ढंग का भेजना चाहिये कि जिसमें वह बजह जाहिर करे कि उसके विरुद्ध जुर्म क्यों न लगाया जावे ।

(१) नोटिसमें जुर्म की असलियत दिखलाई जावेगी और एक ही नोटिसमें अनेकों जुर्म दिखलाये जासकते हैं ।

(३) ऐसे नोटिसके सुने जानेमें तथा इस नोटिसके अनुसार अदालत द्वारा लगाये हुए जुर्मके सुने जानेमें जहां तक मुमकिन होगा वही तरीका अमलमें लाया जावेगा जो सन् १९६८ ई० के जायदा फौजदारीके इक्कीसवें चैप्टरमें मजिस्ट्रेटों द्वारा धारण कसेज करनेके लिये बतलाया गया है और उस कोर्टके तईसवें चैप्टरमें बतलाया हुआ हाईकोर्ट तथा सेशन्स कोर्टमें होने वाले मामलों का तरीका ऐसे मामलोंमें लागू नहीं होगा ।

(४) इस दफाके साथ अनेकों जुर्म एक साथ लगाये जासकते हैं ।

व्याख्या—

इस दफामें दफा १०३ के अनुसर किये हुए जुर्मकी वरिवाई निये जानेके नियम बतलाये गये हैं वरिवाई उरी वक्त चाहू की जासकेगी जब कि आफिशल एसायनी इस बातकी रिपोर्ट करे कि दिवालियेने दफा १०२ में बतलाये हुए किसी जुर्मके बिया है अथवा किसी कर्मख्वाहके दरखास्त देने पर अदालतको विश्वास हो जावे कि दिवालियेने दफा १०३ में बतलाये हुए जुर्मकी बिया है इस प्रकार आफिशल एसायनी की रिपोर्ट तथा किसी कर्मख्वाहके दरखास्त देने पर यानी दोनों शक्तोंमें अदालत मामला चाहू कर सकती है ।

उपदफा (१) के अनुसार अदालत निर्धारित ढंगमें एक नोटिस दिवालियेको इस बातका दे सकती है कि वह बजह जाहिर करे कि उसके विरुद्ध जुर्म क्यों न लगाया जावे ?

उपदफा (२) में बताया गया है कि ऐसे नोटिसमें जुर्म लगाये जानेका कारण दिखलाया जावेगा तथा एक ही नोटिसमें बहुतसे जुर्म एक साथ दिखलाये जासकते हैं अर्थात् अनेक जुर्मके लिये अलग-अलग नोटिसकी आवश्यकता नहीं है ।

उपदफा (३) में बताया गया है समझ जायदा फौजदारीके इक्कीसवें चैप्टरके अनुसार वरिवाई की जावेगी परन्तु यह दफा सन् १९२६ ई० के संशोधित एक्टके अनुसार बदल गई है और अब अदालत दिवालिया बनाय इसके कि वह स्वयं मामलोंको सुने प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेटोंके पास भेज सकती है परन्तु ऐसा वह उसी समय करेगी जब कि उसको प्रायः रूपमें यह मान्य हो कि दिवालियेने दफा १०३ के अनुसार किसी जुर्म की बिया है व उसके विरुद्ध वरिवाई की जाना चाहिये । अदालत दिवालिया यदि वचिन समझे व मिस प्रकार वचिन समझे मामला भेजेसे पहिले प्राथमिक जाच भी कर सकती है । यह संशोधन इसलिये किया गया था कि जिसमें हाईकोर्टके जनों का मुख्यतः समय छोटे मोटे मामलोंकी तहकीकात व सुनवाईमें बुरा नष्ट न होवे व वरिवाई फौजदारीक अन्य मामलों की भांति नियम पूर्वक सुननेके बाद की जासके अर्थात् जुर्म साबित होने पर अदालत फौजदारी दिवालिये की दण्ड दे सके । सन् १९२६ ई० के संशोधन एक्टके जारी होनेसे पहिले दिवालियेकी वरिवाई चाहू हो चुकी थी परन्तु इसके जारी होनेके पश्चात् जनने इस्तयासा मजिस्ट्रेटके पास भेजा तो यह तय हुआ कि तहकीकात संशोधन एक्टके अनुसार होना चाहिये इसी मामलोंमें यह भी तय हुआ था कि दफा २७ के अनुसार दिये हुए दिवालियेके बयानों पर बिचार किया जासकता है । देखो—मोतीवाल विश्वास बनाम सरकार नं० ३२, C. W. N. 1140 (The Yearly Digest 1928 P. 1141.)

दफा १०५ बहाल होनेके बाद या तस्फीहा होनेके बाद भी जिम्मेदारी

जब कि दिवालिया दफा १०२ या दफा १०३ में बतलाये हुए किसी जुर्माने की निर्धारित किया गया हो और वह बहाल हो चुका हो अथवा उसका तस्फीहा या स्वीकार करती गई हो तो इन कारणोंसे उसके विरुद्ध कार्रवाई रोकती नहीं जावेगी अर्थात् बहाल होने पर या तस्फीहा हो जाने पर भी उसके विरुद्ध फौजदारीकी कार्रवाई चालूकी जावेगी ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार यदि किसी व्यक्तिके बहाल हो जानेके बाद अथवा उसके द्वारा पेशकों द्वारा रफीम या तस्फीहाके खाता बिये जानेके बाद-उसके विरुद्ध कोई जुर्माने जिसका उल्लेख दफा १०२ व १०३ में किया गया है माहित होने हो उसके विरुद्ध उस जुर्माने कार्रवाई अस्तरकी जावेगी अर्थात् मामला चालू किया जावेगा और वह जमाने की नहीं समझा जावेगा । अर्थात् हुए दिवालियेके अथवा उस दिवालियेके निमन्त्रा तस्फीहा स्वीकार कर लिया गया हो अपनेकी की नहीं समझना चाहिये अर्थात् उन जुर्माने सम्बन्धमें उनकी जिम्मेदारी उस समय भी बनी रहेगी ।

नवां प्रकरण

दिवालियेकी छोटी कार्रवाइयां

दफा १०६ छोटे मामलोंमें सरसरी की कार्रवाइयां

(१) जब कि अदालतको हज़फनामेसे अथवा अन्य किसी प्रकारसे यकीन हो जाये या आफिशल एसायनी अदालतमें रिपोर्ट दे देवे कि दिवालियेकी जायदादकी कीमत तीन हज़ार रुपयेसे या इससे कम नियतकी हुई तादादसे अधिक न होगी तो अदालत दिवालियेकी जायदाद का प्रबन्ध सरसरी तौरसे करनेका हुक्म दे सकती है और तब इस एक्टके नियमोंमें निम्नलिखित संशोधन होगा :—

- (५) अदालतके किसी हुक्मके विरुद्ध बिला उसकी आज्ञा लिये हुए कोई अपील नहीं की जावेगी ।
- (६) बिला आफिशल एसायनीके अथवा किसी कर्तृपत्राहके दरपवास्त दिये हुए दिवालियेका बयान नहीं लिया जावेगा ।
- (७) जब कि मुमकिन होगा जायदाद एक ही हिस्सा रसदीमें बांट दी जावेगी ।
- (८) उर्ख कम करने तथा कार्य कामको सुगम बनानेके लिये जो दूसरे संशोधन निर्धारित किये जावें परन्तु शर्त यह है कि इस दफा की किसी बातसे दिवालियेके बहाल होनेके सम्बन्धमें दिये हुए नियम संशोधित नहीं किये जावेंगे ।

(२) अदालत किसी समय भी यदि उसे उचित प्रतीत हो दिवालिये की जायदादके सम्बन्धमें सरसरीके इन्तज़ाम का हुकम दे सकती है ।

न्याय्या—

इस दफ़ामें दिवालियेके छोटे मोटे मामलोंमें अधिक समय न लगाने तथा फिज़ूल खर्चों की बचानेकी नीयतसे उनकी कार्रवाई को सरसरी तौर पर करनेके नियम बताये गये हैं सरसरीकी कार्रवाई वसी समय की व्यासंगी अथ कि आफिशल एसायनीने रिपोर्टकी हो कि दिवालियेकी जायदाद तीन हज़ारसे अथवा अथ किसी निश्चितकी हुई रकमसे अधिककी नहीं होगी अथवा अदालतकी हलफनामासे अन्य किसी प्रकारसे विश्वास हो जावे कि जायदाद उक्त क़ीमतसे अधिककी नहीं है । अदालत सरसरीकी कार्रवाई करनेके लिये माग्य नहीं है । इसका करना न करना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है तथा उपदफ़ा (२) से यह भी प्रसट है कि अदालत जब चाहे तो सरसरीकी कार्रवाई किये जानेके हुकमसे मसूख भी कर सकता है और उस वर्क मामूली कार्रवाई अमलमें लाई जावेगी । सरसरीकी कार्रवाई किये जाने का हुकम होने पर मामूली कार्रवाई जो इस एक्टमें बतलाई जा चुकी है किसी हद तक सशोधित होकर सरसरी वाले मामलोंमें लागू होगी । सशोधनों का उद्देश्य उपदफ़ा (१) के क़ाज (ए), (बी), (सी) व (डी) में किया गया है ।

फ़लाज़ (ए) के अनुसार बिना अदालतकी आज्ञा लिये हुए अदालतके किसी हुकमकी अपील नहीं की जावेगी जो एक्टके अनुसार अपील विद्या आज्ञाके की जासकती है ।


फ़लाज़ (बी) के अनुसार दिवालियेके बचानकी आवश्यकता नहीं है परन्तु आफिशल एसायनी या कर्जकवाइके दस्तावेज देने पर अदालत सरसरीके मामलोंमें भी दिवालियेके बचान ले सकती है ।

फ़लाज़ (सी) के अनुसार दिवालियेकी जायदाद एक ही बार हिस्सा रसदीमें बांटी जासकेगी यह आवश्यक नहीं होगा कि कोई हिस्सा रसदी होवे व अन्तिम हिस्सा रसदीके लिये बतलाई हुई नोटिस आदि की कार्रवाई अमलमें लाई जावे, देखो—दफ़ा ७३ खर्च कम करने तथा कार्रवाई को सादा बनानेके लिये ।

फ़लाज़ (डी) के अनुसार और भी सशोधन जो इस सम्बन्धमें बताये गये हैं प्रयोग किये जावेंगे ।

उपदफ़ा (१) के अन्तमें यह भी बतला दिया गया है कि ऊपरके सशोधनका कोई प्रभाव बढ़ाव होने की कार्रवाई पर नहीं पड़ेगा अर्थात् बढ़ाव होनेके सम्बन्धमें वह सब नियम उसी प्रकार प्रयोग किये जावेंगे जिन प्रकार इस एक्टमें मामूली कार्रवाइयोंके लिये बतलाये गये हैं अर्थात् दफ़ा ३८ से लेकर ४५ तकमें बतलाये हुए नियम बद्दस्तूर लागू समझना चाहिये ।

दसवां प्रकरण



विशेष नियम

दफा १०७ कारपोरेशन आदिका दिवालियेकी कार्रवाईसे बरी होना

दिवालियेकी दख्खास्त किसी प्रचलित एक्टके अनुसार रजिस्ट्री की हुई किसी कम्पनी, सम्प्रदाय (Association) या कारपोरेशन (Corporation) के विरुद्ध नहीं दी जावेगी ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार रजिस्ट्री हुआ कम्पनी व सम्प्रदाय (Association) दिवालियेकी कार्रवाईसे बचने गये हैं इसी प्रकार कारपोरेशन (Corporation) भी बचने गये हैं चूंकि अगली एक्टमें (Against) एक्ट कारपोरेशन के लिये एक मर्तवा तथा बादमें एंजोमियेशन व कम्पनीके लिये एक साथ दूसरी मर्तवा इस्तेमाल किया गया है व (Registered) शब्दका प्रयोग कम्पनी व एंजोमियेशन ही के सम्बन्धमें किया हुआ मादूम होता है इसके यह श्रुत है कि कारपोरेशनके रजिस्ट्री होनेका कोई चिह्न नहीं है किन्तु कम्पनी व एंजोमियेशनका किसी प्रचलित कानूनके अनुसार रजिस्ट्री होना आवश्यक है तब वह बरी हो सकेते हैं अर्थात् उस समय उनके विरुद्ध दिवालियेकी दख्खास्त नहीं दी जा सकेगी । रजिस्ट्री हुआ ऐसी कम्पनी आदिके लिये कम्पनी एक्टके अनुसार लिक्विडेशन (Liquidation) की कार्रवाई अमठमें आवेगी ।

दफा १०८ दिवालियेकी हालतमें मरनेवाले कर्जदारकी जायदादका दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें प्रबन्ध

(१) यदि किसी मरे हुए कर्जदारके कर्जदख्खाइका इतना कर्ज होवे कि जिसके आधार पर वह कर्जदारकी जिन्दगीमें उसके विरुद्ध दिवालियेकी दख्खास्त दे सकता हो सो घड़े उस अदालतमें जिसकी अधिकार सीमामें कर्जदार मरनेसे छ माह पहिले अधिकतर रहा हो, या व्यापार करता रहा हो निर्धारित किये हुए ढंग पर एक दख्खास्त इस बातका हुकम होनेके लिये दे सकता है कि उस मृतक कर्जदारकी जायदादका प्रबन्ध इस एक्टके अनुसार किया जावे ।

(२) मरे हुए कर्जदारके कानूनी वारिसको निर्धारित नोटिस दिये जानेके बाद पिटीशनरके कर्ज साधित होने पर अदालत मृतक कर्जदारकी जायदाद का प्रबन्ध दिवालियेके सिलसिलेमें करनेका हुकम दे सकती है अथवा बजह ज़ादिर किये जाने पर पिटीशनरको मय खर्चके या बिला खर्चके खारिज कर सकती है परन्तु यदि अदालतको इस बातका विद्वान हो जावे कि मृतक कर्जदारके कर्जोंके उसकी जायदाद द्वारा चुका दिये जानेकी उचित सम्भावना है तो वह उसकी जायदादका प्रबन्ध दिवालियेके सिलसिलेमें किये जानेका हुकम नहीं दे सकती है ।

(३) इस दफाके अनुसार जायदादके प्रबन्धकी दख्खास्त अदालतमें उस समय नहीं दी जावेगी जब कि किसी दूसरी अदालतमें मृतक कर्जदारकी जायदादके प्रबन्धके लिये कार्रवाई चालू की जा चुकी हो, परन्तु यह दूसरी अदालत ऐसे मामलोंमें इस बातका सुवृत्त होने पर कि

मृतक कर्जदारकी जायदाद उसके कर्जोंको चुकानेके लिये अर्पयित है उस दरखास्तकी कार्यवाही को उस अदालतके पास भेज सकती है जिसे इस एक्टके अनुसार दिवालियेकी कार्यवाही करनेके अधिकार प्राप्त हैं और तब अन्तमें प्रस्ताव है अदालत (अदालत दिवालिया) मृतक कर्जदारकी जायदादके प्रबन्धका हुक्म दे सकती है और यही नतीजा उस समय होगा जो किसी कर्तृकृपाद्वारा दी हुई दरखास्त पर प्रबन्धका हुक्म होने पर होता है।

व्याख्या—

इस दफ्तेके अनुसार मरे हुए कर्जदारकी जायदादके विक्रम दिवालियेकी कार्यवाही बीनासक्ती है। वह कर्जदारकी ऐसी दरखास्त दे सकता है जो कर्जदारकी जिन्दगीमें अपने कर्जके आधार पर दिवालियेकी दरखास्त दे सकना ही ऐसी दरखास्त के आने पर मरे हुए कर्जदारके कानूनी उत्तर धिकारियोंको नोटिस दिया जावेगा तथा उनका विशेष मुनेषा व इस बातमें विश्वास होने पर कि मृतक कर्जदारके सब कर्जें उसकी जायदादसे नहीं चुकये भा सकते हैं अदालत दिवालियेकी कार्यवाही निये जानेका हुक्म दे सकती है। अदालतको यदि यह यकीन होमावेगा कि मृतक कर्जदारके सब कर्जें उसकी जायदादसे चुकये जासकते हैं अथवा कर्जदारके वारिष्ठोंकी उन्नतरी किसी अन्य कारणसे बरकी समझ पड़े तो अदालत दरखास्तको खारिज कर सकती है अर्थात् ऐसी दशामें अदालत मृतक कर्जदारकी जायदादका प्रबन्ध दिवालियेकी कार्यवाहीके सम्बन्धमें नहीं होने देवेगी। यदि किसी दूसरी अदालतमें मृतक कर्जदारकी जायदादके प्रबन्धके सम्बन्धमें कार्यवाही चालू की जा चुकी हो तो अदालत दिवालियेमें इस दफ्तेके अनुसार प्रबन्ध निये जानेकी दरखास्त नहीं दी जावेगी अर्थात् ऐसी दरखास्त दिये जाने पर वह हार्जिस वाहू नहीं होगी।

उपदफा (३) में यह भी बतला दिया गया है कि यदि अदालत दिवालियेके अतिरिक्त अन्य किसी अदालतमें उपर बतलाये अनुसार प्रबन्धकी कार्यवाही की जा रही हो आर उस दूसरी अदालतको यह मालूम पड़े कि मृतक कर्जदारकी जायदाद उसका कर्जा चुकानेके लिये पर्याप्त नहीं है तो वह दूसरी अदालत अपने यहारी कार्यवाहीके अदालत दिवालियेमें भेज सकती है। इस प्रकार भेजे जाने पर अदालत दिवालिया अपने अधिकारोंके अनुसार उस जायदादके प्रबन्धको कार्यवाही करेगी व इस एक्टके नियम लागू होंगे। यदि मृतक कर्जदारका लड़ना उनके कर्जोंमें कम भी होने तो लेटर ऑफ़डिस्ट्रिब्यूशन (Letters of administration) भिज सकते हैं क्यों कि ऐसी हालतमें केवल अभी दफ्तेके अनुसार कार्यवाही अमलमें नहीं लाई जाभा चाहिये अर्थात् कर्जदारका या अन्य व्यक्ति दूसरे कानूनोंके अनुसार आ जाय होवे होंगे कार्यवाही कर सकते हैं देखो—15 Cal. W. N 350

दफा १०९ जायदादका मिलना तथा उसके प्रबन्धका तरीका

(१) दफा १०८ के अनुसार मृतक कर्जदारकी जायदादके प्रबन्धका हुक्म होने पर जायदाद अदालतके आफिशल एसायनरोंके प्रबन्धमें आजावेगी और यह इस पर इस एक्टके नियमोंके अनुसार जायदादको बसूल करेगा व चाउरेगा।

(२) आगे दिये हुए संशोधनोंके साथ तीसरे भागके सब नियम जिनका सम्बन्ध दिवालियेकी जायदादके प्रबन्धसे है उस हद् तक लागू होंगे जहा तक यह लागू होसकते हैं तथा इस प्रकारका हुक्म उसी प्रकार माना जावेगा जैसा कि इस एक्टके अनुसार दिया हुआ दिवालिया क्रार दिया जानेका हुक्म।

(३) आफिशल एसायनी, प्रबन्धका हुक्म होने पर मृतक कर्जदारकी जायदादका प्रबन्ध करते समय मृतकके कानूनी वारिष्ठोंके उस दिक्का ध्यान रखेगा जो वह उचित मृतक संस्कार

करनेके सम्बन्धमें तथा मृतक कर्जदारकी जायदादकेलिये कानूनी खर्च करनेके सम्बन्धमें करेगा। और यह द्वावे इस हुक्मके अनुसार तर्जोह वाले कर्जे समझें जावेंगे और दूसरे कर्जोंके मुकाबिले सबसे पहिले पूर्ण रूपसे चुकाये जावेंगे।

(४) यदि मृतक कर्जदारकी जायदादका प्रबन्ध करने पर उसके सब कर्जें पूर्ण रूपसे चुकाये जानेके पश्चात् आफिशल एसायनीके पास कुछ रकम फाजिला बचे तथा प्रबन्धका खर्च या दिवालियेके सम्बन्धमें इस एन्टमें बतलाया हुआ खर्च भी अदा कर दिया गया हो तो बचत मृतक कर्जदारकी जायदादके कानूनी वारिसको दी जावेगी अथवा अन्य किसी निर्धारित ढंग पर उसका प्रयोग किया जावेगा।

व्याख्या—

दफा १०८ के अनुसार दाखलानेके मज्जु किये जाने पर अर्थात् मृतक कर्जदारकी जायदादका प्रबंध दिवालियेकी वारिसोंके अनुसार किये जानेका हुक्म होने पर मृतक कर्जदारकी जायदाद आफिशल एसायनीके प्रबन्धमें आजावेगी और वह उस जायदादको नितनी लब्ध हो सकेगा बसूत करेगा तथा बाद बसूती कानूनके अनुसार उसी कर्जकारियोंमें बांट देगा।

उपदफा (२) के अनुसार इस एन्टके तालरे भागमें बतलाये हुए नियम जहां तक कि उनका तात्कुक समझा जावेगा इस दफाके अनुसार वारिसों किये जानेमें लागू होंगे।

उपदफा (३) में यह बतलाया गया है कि यदि मृतक कर्जदारके किसी वारिसने मृतक संस्कारमें अथवा मृतक कर्जदारकी जायदादके सम्बन्धमें कोई कानूनी खर्च किया हो तो आफिशल एसायनीका कर्तव्य होगा कि वह ऐसे खर्चोंको समझे पहिलेका कर्ज माने तथा उसको पूर्ण रूपसे मृतककी जायदादसे सबसे पहिले चुका देवे। इस प्रकार इस उप दफाके अनुसार उन वारिसोंके खर्चोंको रक्षाई गई है जो वारिस होनेके कारण उनको मृतक कर्जदारके सम्बन्धमें करना पड़े हों।

उपदफा (४) में बतलाया गया है कि यदि मृतककी जायदादसे उसके सब कर्जें पूर्ण रूपसे चुकाये या चुके तथा मृतक जैसा कि इस एन्टमें बतलाया गया है चुकाया जा चुका हो और प्रबंधके लिये किये हुए खर्चें भी अदा किये जा चुके हों और इसके बाद कोई जायदाद या रूपया बचे तो वह मृतक व्यक्तिके कानूनी वारिसोंको दिया जावेगा या किसी अन्य निर्धारित किये हुए ढंग पर लगाया जावेगा। जायदादका प्रबंध आफिशल एसायनी इस दफाके अनुसार उसी प्रकार कर सकेगा जिस प्रकार कि किसी ब्याक्तिके दिवालिया कारर किये जाने पर उसकी जायदादका प्रबन्ध वह इस एन्टके अनुसार कर सकता है।

दफा ११० कानूनी वारिस द्वारा रुपयेकी अदायगी या जायदादका अलहदा किया जाना

(१) दफा १०८ के अनुसार दी हुई दरखास्तके दिये जानेकी सूचना होनेके पश्चात् कानूनी वारिसने यदि कोई अदायगीकी हो या उसने कोई इन्तकाल जायदाद किया हो तो उससे यह कोई छुटकारा नहीं पावेगा जहां तक उसका व आफिशल एसायनीका एक दूसरेसे सम्बन्ध है।

(२) ऊपर बतलाई हुई बातको छोड़ कर दफा १०८ दफा १०६ या इस दफाकी कोई बात कानूनी वारिस द्वारा नकनीयतासे किया हुआ कोई काम कोई बात अथवा कोई अदायगी रह नहीं करेगी यदि यह काम प्रबन्धका हुक्म होने से पहिले किया गया हो इसी प्रकार यदि डिस्ट्रिक्ट जज ने दि एडमिनिस्ट्रेटर जनरलसे एन्टकी दफा ६४ के अनुसार दिये हुए अधिकारोंका प्रयोग करते हुए कोई अदायगी का काम या बातकी हो तो वह भी रह नहीं होगी।

व्याख्या—

उपदफा (१) के अनुसार यदि मृतक कर्जदारकी जायदादके प्रबंधके लिये दफा १०८ के मुक्त शिक्क दस्खास्त दीगइ हो और ऐसी दस्खास्तकी सूचना ही जानेके पश्चात् उन कर्जदारकी कानूनी वारिस कोई अदायगी करे या कोई इन्सुल्ट जायदाद करे तो उससे वह आकिशक एसायनके विरुद्ध लाम नहीं उठा सकता है अर्थात् ऐसी अदायगोमें उसे दृष्टकता नहीं मिलेगा।

उपदफा (२) में बतलाया गया है कि प्रबंधका एवम होनेमें पहिले यदि नेन्नीपतीमें मृतक कर्जदारके वारिस ने कोई अदायगीकी हो या अन्य कोई काम किया हो तो वह अदायगी या काम ठीक समझा जावेगा और इन दफाके अन्वयात् अथवा दफा १०८ व १०९ के अनुसार वह गइ नहीं हो सकेगा। इस दफामें यह भी बतलाया गया है कि यदि डिस्ट्रिक्ट जजने अपने कानूनी अधिकारोंके बर्तते हुए कोई अन्वयगीकी हो या काम किया हा तो वह भी रइ नहीं समझा जावेगा किन्तु वह ठीक माना जावेगा। अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए 'Shall' शब्दसे प्रकट है कि इस दफाके नियमोंकी अवहेलना नहींकी जावेगी किन्तु उसकी पाबन्दी आवश्यक है। एडमिनिस्ट्रेटर जनरल एक्ट १८७४ जिसका शिक्क उपदफा (२) में है रइ किया जा चुका है और उससे स्थान पर एडमिनिस्ट्रेटर जनरल एक्ट ३ तन् १९१३ चाट्ट है।

दफा १११ एडमिनिस्ट्रेटर जनरलके अधिकारोंकी रक्षा

यदि एडमिनिस्ट्रेटर जनरलको किसी मृतक कर्जदारकी जायदादके प्रबंधके लिये किसी मामलमें प्रोचेड या लैटर्स आफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया हो तो उस मामलमें दफा १०८, १०९ व ११० के नियम लागू नहीं होंगे।

व्याख्या—

इस दफाके अन्वयानुसार मृतककी जायदादका प्रबंध एडमिनिस्ट्रेटर जनरलके हाथ आने पर उन जायदादका प्रबंध दिवा-लियेकी बर्तवईके अनुसार नहीं किया जावेगा पण्तु इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि एडमिनिस्ट्रेटर जनरलने उस जायदादका प्रबंध प्रोचेड (Probate) अथवा लैटर्स आफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) के सिन्सिलेमें मिला हो। इस दफासे यह भी प्रकट है कि जब जायदादका प्रबंध प्रोचेड या लैटर्स आफ एडमिनिस्ट्रेशनके आगार पर एडमिनिस्ट्रेटर जनरल द्वारा किया जागइ है तो दफा १०८, १०९ व ११० के कोई नियम लागू नहीं होंगे अथवा कानूनी वारिस द्वारा की हुई अदायगी या इन्सुल्ट आदिवा रइ होना या उनका ठीक माना जाना इन दफाओंमें बतलाये हुए नियमोंके अनुसार नहीं समझा जावेगा अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि इस दफाके नियमोंकी पाबन्दी आवश्यक है।

न्यायहस्ता प्रकरण

नियम (सख्त)

वर्षा ११२ सख्त

(१) इस एक्टके उद्देशों को धार्यग्यमें परिमित करनेके लिये यह अधालने जिनकी इस एक्टके अनुसार अधिकाय प्राप्त हैं समय समय पर नियम (सख्त) बनायेगा ।

(२) इन नियमोंमें ग्रामहा तथा उपर बन्वाये हुए अधिकायोंमें बिना क्वाषट टाले हुए निम्नलिखित बातोंकी ध्याप्या तथा उनका नियन्त्रण किया जायकता है:-

(ए) यह कि इस एक्टके अनुसार कयापीस या कया कीमती लिया जाना चाहिये और किस प्रकार यह इकट्ठा की जायेगी व उक्त हिमाय दिया जायेगा और किस हिमायमें यह अदा की जाना चाहिये ।

(बी) यह कि ऐसे हिजाय रसीदोंका जाल लिया गया हो बलहदा थलहदा या इकट्ठि की काममें लगाना या दिननिषेधे जायदालोंका बचा हुआ रुपया व उसमें सम्बन्ध रखने वाला और रुपया चाहि दिवालिया इस एक्टके अनुसार अधका पित्रने किसी कानूनके अनुसार दिवालिया जगार दिया गया हो कर्म लगाना चाहिये ।

(सी) यह कि दिवालिपके कर्नेदालोंकी जायदाद पर अतिगत धम यनी हाग किस प्रकार जगता लेना चाहिये तथा उने किस प्रकार बगुद करना चाहिये ।

(डी) यह कि अतिगत एसायनीका कया अधकत (पंग) होना चाहिये ।

(ई) यह कि अतिगत एसायनी हाग दी जाते व ती मीदि, अदायगी तथा हिमाय किस प्रकार हो ।

(एफ) अतिगत धम यनीके हिमायकी जाल (Adm) किया जगा ।

(जी) अतिगत एसायनीके अधकतका अदा किया जाना, मुने मुदरमेंका अदा किया जाना, अतिगत एसायनीके इन्जामका मुने तथा उसके हिमायकी जालका मुने इन सबका उम्के हायमे लयाये हुए मुनेकी आदरनीमे अदा किया जाना ।

(एच) ऊपर बतलाई हुई आदरनीमे अदातकी आमानुसार अतिगत एसायनी हाग योखलिने वाले, दिवालिपके विदल पिरी करने तथा अदातकी कार्वारमें मुने करना

(आई) अदातके हुन अधका आदेशके अदुमार कार्वार करने वाले अतिगत एसायनी हाग पैसा की हुई किसी दीवानके मायलेकी जिम्मेदारीका अदा किया जाना ।

(जे) दिवालिप कर्नेदालों तथा कर्नेदालोंके हागियान मन्नेये या मन्नेके प्रसायोंके सम्बन्धमें कार्वारकी किया जाना ।

- (के) दिवालये तथा उनकी जायदादके सम्बन्धमें ही हुई दरखास्तों तथा उनके मामलों क सुने जानेमें आफिशल एसायनी द्वारा हस्तक्षेप किया जाना ।
- (एल) बिला बहाल हुए दिवालयेके हिस्सायकी किताबों व कागजातकी आफिशल एसायना द्वारा जांच की जाना ।
- (एम) इस एक्टके अनुसार हांगे वाली कार्रवाईयोंमें नॉटिसकी तामील
- (एन) जांच कमिटीकी नियुक्ति उनकी मीटिंग तथा उनके कार्य करनेका तरीका
- (ओ) इस एक्टके अनुसार किली फर्मके नामसे कार्रवाईका किया जाना
- (पी) इस एक्टके अनुसारकी जाने वाली कार्रवाईयोंमें जो फार्म प्रयोग किया जाना चाहिये ।
- (फ्यू) जो जायदाद सरसरी तौर पर देखी जाना चाहिये उनके प्रबन्धमें किस प्रकार कार्रवाई करना चाहिये ।
- (आर) भरे हुए कुर्ज़दारों की जायदादका प्रबन्ध जो इस एक्टके अनुसार किया जायेगा किस प्रकार किया जाना चाहिये ।

व्याख्या—

उपदफा (१) के अनुसार इस एक्टके कामोंके कार्यरूपमें परिणत करनेके लिये अदालतें समय समय पर नियम (रूलस) बना सकती हैं ।

उपदफा (२) में उपदफा (१) के अनुसार बनाये जाने योग्य रूलसका वर्णन किया गया है । इस उपदफामें यह नहीं बताया गया है कि कौन २ से रूलस होंगे किन्तु यह बतलाया गया है कि किन किन कामोंके सम्बन्धमें ऐसे रूलस बनाये जाना चाहिये यह उपदफा १८ प्रायोंमें विभक्त है तथा उन सब बातोंका उल्लेख इन प्रायोंमें कर दिया गया है मिनके सम्बन्धमें कुछ नियमोंके बनाए जानेकी आवश्यकता है जैसे कि कर्पोरनाइजोंकी मीटिंग किस प्रकार होना चाहिये, नोटिस किस प्रकार जाना चाहिये, उसकी जांच किस प्रकार होना चाहिये, आफिशल एसायनी को क्या अधिकार मिलना चाहिये इत्यादि २ बातें ।

दफा ११३ रूलसके लिये स्वीकृति मिलना

इस भागके नियमोंके अनुसार बनाये हुए रूलसके लिये स्वीकृति, कलकत्ता हाईकोर्टके लिये अपरिषद गवर्नर जनरल हिन्दुसे हासिलकी जाना चाहिये तथा अन्य अदालतोंके लिये उनकी प्रांतिक सरकारसे हासिल की जावेगी ।

व्याख्या—

कैमिजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दमें प्रकृत है कि इस दफाके नियमों की अवहेलना नहीं की जाना चाहिये । सिवाय कलकत्ता हाईकोर्टके अन्य अदालतों द्वारा बनाये हुए रूलसके लिये स्वीकृति प्रांतिक सरकारों द्वारा ली जावेगी । कलकत्ता हाईकोर्टके रूलसके लिये स्वीकृति अपरिषद गवर्नर जनरल हिन्दु द्वारा दी जाना चाहिये । ऐसी स्वीकृति मिलनेके पश्चात् वह रूलस कार्यरूपमें परिणत नियम जासकेग अन्वयात् वह पूर्ण समर्थ जावेगे ।

दफा ११४ रूलसका प्रकाशित किया जाना

इस प्रकार बनाये हुए तथा स्वीकृति प्राप्त किये रूलस गज़ट आफ इण्डिया या प्रांतिक

सरकारी गजटमें प्रकाशित किये जावेंगे जैसाकि मामला होयें और इन्में यह उक्त अदालतमें जिसने द्वारा वह बनाये गये हैं इन्में एक्टकी कार्रवाईके लिये वही प्रसर रखेंगे जैसे कि मानो वह इन्में एक्टके साथ बनाये गये हों ।

व्याख्या—

अपेक्षा एक्टकी इस दफामें भी (Shall) शब्दका प्रयोग है निम्ने यह एक्ट है कि इन्में सरकारी गजटमें प्रकाशित किया जाना आवश्यक है । इन्में सरकारी गजट में प्रकाशित किया जावेगा और प्रकाशित होनेके पश्चात् यह कम्प्यूटिबल अदालत द्वारा बनाये गये होंगे उनमें लिये वही प्रकार प्रयोग किये जायेंगे जिन प्रकार इस एक्टके नियम अर्थात् उनका एक प्रकारसे इस एक्टके साथ बनाया हुआ कानून मान लिया जावेगा ।

वारहवां प्रकरण



दफा ११५ इस एक्टके अनुसार किये हुए इन्तकाल आदिका स्टाम्प या करसे वरी होना

(१) अदालतके सामने तथा अदालतके हुक्मके अनुसार किये हुए हर एक इन्तकाल जायदाद, रेंटन नामा, जायदादका किसीके नाम किया जाना मुस्तारनामा, सादीका कागज (Proxy Paper), सर्टीफिकेट, हलफनामा दस्तावेज या दूसरी कार्रवाई दस्तावेज या तहरीर या इनकी कोई नकलमें स्टाम्प या दूसरे किसी प्रकारका कर नहीं लगगा ।

(२) इस एक्टके अनुसार आफिशल एसायनी द्वारा ही हुई दरफुवास्तमें कोई स्टाम्प ड्यूटी या दूसरी कीस नहीं ली जावेगी या अदालत द्वारा ऐसी दस्तावेज पर दिये हुए कि " आदिके लिये जाने या जारी करने पर भी स्टाम्प, ड्यूटी या कोई फीस नहीं ली जावेगी ।

व्याख्या—

आफिशल एसायनी की तरफसे काम करनेवाले एसायनी भी वही सुविधा प्राप्त होगी जो आफिशल एसायनी के सामने इस दफाके अनुसार प्राप्त है । इस कारण यह जजने दिवायिके अधिकारका प्रयोग किये हुए किसी आदिके लिये ही ठहराव नकलके लिये कोई स्टाम्प नहीं देना पड़ेगा, दफा 43 Mad 747.

उपदफा (१) के अनुसार दिवायिके कार्रवाईके समयमें अदालतके हुक्म द्वारा किये हुए इन्तकाल जायदाद आदि दस्तावेजों पर स्टाम्प नहीं लगवाया जावेगा । इसी प्रकार इन दस्तावेजोंकी नकलमें भी कोई स्टाम्प आदि नहीं लग

उपदफा (२) के अनुसार आफिशल एसायनी द्वारा ही हुई दरफुवास्तों तथा उनके अनुसार दिये गये बिलोंके हुक्म अदालत द्वारा जारी किया जावेगा ।

दफा ११६ गज़ट, शहादत होगा

(१) वह सरकारी गज़ट जिसमें इस एक्टके अनुसार दिया जाने वाला नोटिस प्रकाशित हुआ हो नोटिसमें दिखलाई हुई बातोंका शहादत होगा ।

(२) वह सरकारी गज़ट जिसमें विधालिया करार दिये जाने वाले हुक्मका प्रकाशन किया गया हो विधालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके लिये तथा उसकी तारीखके लिये पूरी शहादत माना जावेगा ।

व्याख्या—

अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रफ है कि इस दफते नियमोंकी अवहेलना नहीं की जाना चाहिये तथा उनकी पाबंदी की जावगी । यदि नोटिसमें दिखलाई हुई बातोंका सुत्र देना हो तो उपर्युक्त (१) के अनुसार वह सरकारी गज़ट जिसमें नोटिस प्रकाशित किया गया हो काफी शहादत माना जावगा ।

उपदफा (२) के अनुसार विधालिया करार देनेका हुक्म देनेकी बातें तथा उसके दिये जानेकी तारीख उस सरकारी गज़टके अनुसार मानी जावेगा जिसमें विधालिया करार दिये जानेका हुक्म प्रकाशित किया गया हो । इस प्रकार इस दफामें अदालतक अर्ली हुक्मके पेश करने अथवा किरा नोटिसमें दी हुई बातोंके साबित करनेके लिये मिश्रित व छितने वाले को तलब करनेकी आवश्यकता नहीं है किन्तु सरकारी गज़ट सूत्रमें पेश किया जावकता है ।

दफा ११७ हलफनामेकी तस्दीक

निम्न प्रकारसे तस्दीक किये हुये हलफनामे इस एक्टके अनुसार अधिकारोंको धरने वाली अदालतोंमें प्रयोग किये जासकते हैं:—

(ए) ब्रिटिश इण्डियामें

(१) किसी भी अदालत या मजिस्ट्रेट, या

(II) जायता दीवानी सन् १६०८ ई० के अनुसार हलफ देनेका अधिकार पाया हुआ कोई अफसर या दूसरा व्यक्ति द्वारा तस्दीक किये हुए ।

(बी) इंग्लैंडमें किसी भी ऐसे व्यक्तिके सामने जिस शाहंशाहके हाईकोर्टमें हलफ देनेका अधिकार प्राप्त हो, या लैंकास्टर की काउण्टी पैलेटाइनके चान्सेरी अदालतमें, या किसी बैरफ्थी अदालतके सामने, या बक्रफ्थी कोर्टके किसी अधिकार प्राप्त अफसरके सामने जिसे लिग्जका उस अदालतके किसी जजने इसके लिये अधिकार दिया हो या किसी ऐसे काउण्टी अथवा जगहके जस्टिस अफ दि पीसके सामने जहा कि वह हलफनामा तस्दीक किया गया हो ।

(सी) स्काटलैण्ड व आयरलैण्डमें किसी आरटिंगरी जज मजिस्ट्रेट या जस्टिस आफ दी पीसके सामने, और

(डी) किसी दूसरी जगहमें किसी मजिस्ट्रेट जस्टिस आफ दी पीस या अन्य किसी ऐसे व्यक्तिके सामने जिस उन स्थानमें हलफ देनेका अधिकार प्राप्त हो (ऐसे व्यक्ति

लिये किसी ब्रिटिश मिनिस्टर या ब्रिटिश कौन्सल या ब्रिटिश पोलिटिकल एजेण्ट या नोटरी पब्लिकको इस बातका सर्टीफिकेट देना चाहिये कि वह मजिस्ट्रेट, जस्टिस आफ दी पीस या उक्त प्रकारसे अधिकार प्राप्त व्यक्ति है) ।

व्याख्या—

इस दफामें इल्फनामोंके तस्दीक किये जानेकी व्यवस्था नतीर्ह गई है । हर जगह इस दफामें बतलाये हुए नियमोंकी पाबंदी कलें हुए इल्फनामोंके तस्दीक किये जासकते हैं । ब्रिटिश भारत इन्डियन, एक्टिण्ड व आपरलैण्डके लिये अदालत या अन्य व्यक्तिके नाम बतला दिये गये हैं जो इल्फनामा तस्दीक कर सकते हैं । इनके अतिरिक्त अन्य स्थानोंमें भी अधिकार प्राप्त व्यक्ति या अदालतें इल्फनामा तस्दीक कर सकती हैं पन्तु ऐसे व्यक्ति या अदालतोंको तस्दीक ऊपर उपदफा (६) के अन्तमें बतलाये हुए ब्रिटिश आकिततों द्वारा ही जाना चाहिये ।

दफा ११८ व्यवहारिक गलतीके कारण कार्रवाईयां रद्द नहीं होनी चाहिये

(१) दिवालियेके सम्बन्धमेंकी हुई कोई कार्रवाई किसी व्यवहारिक गलती या वेतर्तीवीके कारण उस चक्र तक्र रद्द नहीं होगी जब तक कि वह अदालत जिसके सामने किसी कार्रवाईके लिये एतराज किया गया हो यह राय न कायम करे कि उस व्यवहारिक गलती या वेतर्तीवीके कारण बड़ी वेइन्साफी हो गई है और वह वेइन्साफी अदालतके किसी हुकम द्वारा नहीं सुधारा जासकती है

(२) आफिशल एसायनों या जांच कमेटीके किसी मेम्बरकी नियुक्तिमें यदि कोई गलती या वेतर्तीवी हुई हो तो किसी ऐसी गलतीसे उसके द्वारा नेकनीयतीसे किया हुआ कोई काम रद्द नहीं होगा ।

व्याख्या—

यदि कोई व्यवहारिक गलती या वेतर्तीवी हो जावे जेमे कि लिखने आदिमें कुछ रद्द जावे परतु उत्तमें कोई विशेष वेइन्साफी न होती हो अथवा जो बेह साफी होती हो वह अदालत अपने हुकम द्वारा ठीक कर सकती हो तो ऐसी गलती या वेतर्तीवीके कारण अदालतकी कार्रवाई उपदफा (१) के अनुसार रद्द नहीं होगी । ऐसा कार्रवाई उसी समय रद्द होगी जब कि एतराज सुनने वाली अदालतकी रायमें उक्त गलती या वेतर्तीवीसे बड़ी बेह साफी हुई हो या वह बेह साफी बिना दूसरे हुकम से न सुधारा जासकती हो ।

उपदफा (२) के अनुसार यदि आफिशल एसायनोंकी नियुक्ति या जांच कमेटीके किसी मेम्बरकी नियुक्तिमें कोई गलती या वेतर्तीवी हुई हो और इस प्रकार नियुक्ति किये हुए व्यक्तने नेकनीयतीसे कोई काम किये हैं तो उसके द्वारा किये हुए काम रद्द नहीं होंगे अर्थात् ठीक सपसे जावेंगे । अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दमें प्रकट है कि इस दफा के नियमकी पाबंदीकी जावेगी तथा उक्तकी अरहेल्ला नहीं की जाना चाहिये ।

दफा ११९ ट्रस्टीके दिवालिया होने पर दूसरे एक्टका लागू होना

यदि इंग्लिश ट्रस्टीज एक्ट १८६६ के अनुसार कोई ट्रस्टी होवे और वह दिवालिया कारार दिया जावे तो उस एक्टकी दफा ३५ लागू होगी जिससे आवश्यकता प्रतीत होने पर उस दिवालिये के स्थान पर नया ट्रस्टी नियुक्त किये जानेका अधिकार दिया जासकता है (चाहे वह दिवालिया स्वयं इस्तीफा देवे या न देवे) और उस एक्टके तथा उस एक्टसे सम्बन्ध रखने वाले दूसरे एक्ट के सब नियम इसके पश्चात् लागू होंगे ।

व्याख्या—

इस दफ्तरे इंग्लियन ट्रस्टीज एक्ट १८९६ के अनुसार ट्रस्टी होने वाला यदि कोई व्यक्ति दिवालिया करार दिया जावे तो ट्रस्टीज एक्ट की दफा ३५ का लागू होना मतलब गया है अर्थात् उसका स्थान पर दूसरे ट्रस्टीकी नियुक्त होना चाहेये ट्रस्टीज एक्ट (Trustees Act 1896) की दफा ३५ इस प्रकार है :—

“ उन सब मामलोंमें जिनमें नये ट्रस्टी या ट्रस्टियोंका नियुक्त किया जाना आवश्यक हो और ऐसा करना निम्न ट्रस्टी-बोर्डकी मददके उचित न मान्य होता हो अथवा कठिन हो या किया ही न जा सकता हो तो अदालत वाचमन नये ट्रस्टी या ट्रस्टियोंको नियुक्त कर सकती है चाहे ऐसा हुकम दिये जावे समय कोई ट्रस्टी होवे या न होवे और यदि कोई ट्रस्टी होवे तो नये ट्रस्टी उनके स्थान पर अथवा उनके अतिरिक्त बनाये जासकते हैं। ऐसे हुकमके अनुसार होने वाले ट्रस्टी या ट्रस्टियोंकी वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उनको किसी बाकायदे दायर किये हुए मामलोंकी डिक्री होने पर प्राप्त हो सकते थे” । इस दफ्तरे यह प्रकट है कि किसी ट्रस्टीके दिवालिया करार दिये जाने पर उसके स्थानमें दूसरा व्यक्ति क्राउन नियुक्त किया जासकता है ।

दफा १२० सरकारकी पाबंद करने वाले कुछ नियम

केवल उन बातोंको छोड़ कर जो बतलाई गई हैं इस एक्टके नियम जो किसी दिवालियेकी जायदादके विरुद्ध कार्रवाईके सम्बन्धमें होंगे, कर्जोंका एक दूसरेसे पहिले श्रदा किया जाना, तरफिया या तय होनेकी स्कीमका प्रभाव और वहाल होनेका प्रभाव इन सब बातोंकी पाबन्दी सरकार पर होगी ।

व्याख्या—

अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए शब्द (Shall) ज़रूरी प्रकट है कि इस एक्टके नियमोंकी अवहेलना नहीं की जावेगी तथा बहाल होनेका प्रभाव आदि अन्य दितलाई गई बातोंकी पाबन्दी सरकार पर भी होगी ।

दफा १२१ मुलाकातके अधिकारोंकी बचत

इस एक्टकी कोई बात या इसके अनुसार किये हुए अधिकार परिवर्तनके होने पर कोई बात किसी व्यक्तिके मुलाकातके अधिकारोंको जो उसे इस एक्टके प्रारम्भ होनेसे पहिले प्राप्त हों नहीं लागू होगी या यदि दिवालिये कर्जदारोंके हुदकारके लिये दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें इस प्रकार का अधिकार प्राप्त न रहा हो तो वह अधिकार वहाँ दिया जावेगा ।

दफा १२२ उन हिस्सा रसदीका, जिनका कोई दावेदार न होवे सरकारको मिलना

यदि आफिशल एसायनीके हाथमें कोई ऐसा हिस्सा रसदी हों जो एलानसे १५ साल तक या इससे कम नियत किये हुए किसी समय तक न लिया गया हो तो वह उस स्थानको गवर्नमेंट आफ़ प्रोपर्टीके हिस्साके उसके नाम जमा कर देवेगा अगर इसके विरुद्ध अदालत कोई दूसरा हुकम न देवे ।

व्याख्या—

हिस्सा रसदीका मरदा एलानके बाद १५ सालके अंदर अथवा अन्य निर्धारितकी हुई मरदाके अन्दर न लिया जाने पर इस दफ्तरेके अनुसार सरकारी हो जावेगा परन्तु अदालतकी अधिपता है कि वह इसके विरुद्ध भी कोई आज्ञा दे देवे व एमे हुकमके होने पर वह स्थान नयाय सरकारी हो जानेके उस हुकमके अनुसार लपटा जावेगा ।

दफा १२३ दफा १२२ के अनुसार सरकारमें दिये हुए रुपये पर दवे

यदि दफा १२२ के अनुसार कोई रुपया भारत सरकारके हिसाबमें दे दिया गया हो और कोई व्यक्ति उस रुपये पानका अधिकारी अपनेको बतलावे तो वह उस रुपयेके मिलनेके लिये अदालतमें दरखास्त दे सकता है और अदालत जब कि उसे विश्वास हो जावे कि दावा करना वाला हक उन रुपये पर पहुचता है उस रुपयेके दिये जानेका हुज्जत देवेगी परन्तु शर्त यह है कि भारत सरकारमें जमा किये हुए रुपयेके दिये जानेका हुज्जत देने में पहिल अदालत गवर्नर जनरल हिन्दु द्वारा इसी लिये नियुक्त किये अफसर पर इस बातका नोटिस तामील कोमी कि वह अफसर एक महीनेके अन्दर बजह जाहिर करे कि रुपयेके दिये जानेका क्यो न हुज्जत दिया जावे ।

व्याख्या—

यदि कोई राजा न लिये जानेके कारण भाग सरनाफे दफा १२२ के आभार पर मिल गये हों और इसके बाद उन राजाका दावेदार बच ही तो वह अदालतमें दरखास्त देकर तथा अदालतको जमाने हकका यकान दिलाकर उस रुपयेके वापिस पानेका हुज्जत अदालतसे ले सकता है परन्तु अदालतका कर्तव्य होगा कि वह एसा अज्ञा दनेसे गडिल भात सरकार द्वारा नियत किये हुए अफसरको रुपये पानेकी दरखास्तेके विरोध करनेका अवसर दवे तथा नागिसकी तामाल पर १ माहका मोका दिय जानेके बाद रुपये बसिनाका हुज्जत देवेगी रुपय वापिसका हुज्जत दनेके लिये अदालत हर हालतमें बाध्य नहीं है किन्तु हकका यकीन हूने पर रुपये वापिसका वह हुज्जत देवेगी ।

दफा १२४ दिवालियेकी कितायोंका मुआयना व कब्जा

(१) आफिशल एसायनीके विरुद्ध किसी व्यक्तिको दिवालियेकी कितायोंको रोकनेका अधिकार नहीं होगा और न उन पर उनका कोई बार ही होगा ।

(२) दिवालियेका कोई भी कर्जदार अदालतकी आज्ञाके अनुसार तथा इस सम्बन्धमें निर्धारितकी हुई फीसके अज्ञा करने पर स्वयं या अपने एजएटके जरिये उचित समयों पर आफिशल एसायनीके कर्जमें होने वाली एसी कितायोंका मुआयना कर सकता है ।

व्याख्या—

इस दफासे यह प्रकट है कि दिवालियेके हिस्साकी किताय पर सबसे पहिले आफिशल एसायनीका हक होगा और वही दूसरीके पुराबान उन किताय पर करना पानस हकदार होगा । अफसी एक्थम (Shall) शब्दके प्रयोग किये जाने से यह समझना चाहिये कि इस उपदफाके नियमना जबरदस्ती नहीं की जायेगी ।

उपदफा (२) के अनुसार बसिनासे दिवालियेके हिस्साकी कितायना जो अकिताय एसायनीके कर्जमें होने लीत हूने पर मुआयना करना अधिकार प्राप्त है परन्तु अदालत इस सम्बन्धमें इतना कर सकता है ।

दफा १२५ फीस व..... फी सैकड़ा

वह फीस व . . . फी सैकड़ा इन एक्टके अनुसारकी जाने वाली कार्रवायोंके सम्बन्धमें लिखा जावगा जो निर्धारित किया गया हो ।

दफा १२६ अदालतें एक दूसरेकी सहायक होंगी

इस एक्टके अनुसार अधिकार रखने वाली नया अदालतें ऐसे हुकम देंगी व ऐसे काम करेंगी जिससे बैंकप्ली एक्ट १८८३ (विक्टोरिया ऐक्ट ४६ व ४७) की दफा ११८ तथा प्रांतिक कानून दिवालिया १६०७ (एक्ट ३ सन् १६०७ ई०) की दफा ५० कार्य रूपमें परिचित की जा सकें ।

व्याख्या—

सन् १९०७ ई० का प्रांतिक कानून दिवालिया (एक्ट ३ सन् १९०७ ई०) बदल गया है अब उनके स्थानमें सन् १९२० ई० का प्रांतिक कानून दिवालिया (एक्ट ५ सन् १९२० ई०) प्रचलित है । पिछले एक्टकी दफा ५० जिसका हवाला इस दफामें है नये एक्टकी दफा ७७ के रूपमें बदल गई है व वह इस प्रकार है—“ वह सब जदालों जिन्हें दिवालियेक मामले मुननेका अधिकार है तथा उनके हाथमें एक दूसरेकी दिवालिने मामलोंमें मदद देंगे और अगर कोई जदालद दूसरी अदालतकी मदद चाहनेके लिये कोई हुकम देगा तो उस दूसरी अदालतमें उस मदद चाहने वाले मागलके लिये जिसका शिक हुकममें होगा वही अधिकार प्राप्त होंगे जो इस एक्टके अनुसार ऐसे मामलोंमें उन अदालतोंकी हो सकते हैं । ” बैंकप्ली एक्टकी दफा ११८ जिसका शिक इस दफामें है वह भी इसी आशय की है अब पहले बैंकप्ली इस एक्टके स्थानमें बैंकप्ली एक्ट १९१४ (Bankruptcy Act 1914) प्रचलित है और नये एक्टकी दफा १०२ में वह बतौ दी गई है जो पिछले एक्टकी दफा ११८ में थी । इस दफाके पांच दफाकी भी आवश्यकता है जिसे कि अग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है ।

दफा १२७ कानूनोंकी मंजूरी

(१) तीसरे शिड्यूल्में दिखलाये हुए कानून उस हद तक मंजूर किये जाते हैं जिस हद तक उसके चौथे कालमें दिखलाये गये हैं ।

(२) इस एक्टके अनुसार की हुई मंजूरीके होते हुए भी दिवालियेकी उन दफावाम्तों की कार्रवाइयां जो इण्डियन इन्साल्वेंसी एक्ट १८४८ (विक्टोरिया ऐक्ट २१ के ११ व १२) के अनुसार इस एक्टके प्रारम्भ होते समय चल रही हों जारी रहेंगी अगर इस एक्टका कोई नियम साफ तौर पर चालू कार्रवाइयोंके लिये न दिया गया हो । और उस हुकमके सब नियम ऊपर बतलाई हुई बातोंकी छोड़कर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि यह पास हो न हुआ हो ।

व्याख्या—

उपदफा (१) में बतलाया गया है कि तीसरे शिड्यूल्में दिखलाये हुए एक्ट मंजूर किये गये हैं तथा उनकी मंजूरी उस हद तक समझना चाहिये जित हद तक कि उस तीसरे शिड्यूल्में चौथे काठम (खाने) में दिखलाया गया है ।

उपदफा (२) के अनुसार पिछले कानून दिवालियेके अनुसार होने वाली कार्रवाइयां बदलू रानी रहेंगी परन्तु यदि इस एक्टमें खास तौरसे दे दिया है कि किसी विरमकी कार्रवाइई मंजूर समझी जायेगी या वह दूसरे दफासे की जायेगी तो इस प्रकार बतलाये हुए नियमकी पारसीकी जायेगी । अर्थात् यदि कोई खास बात इस एक्टमें न दी जावे तो पिछले एक्टके अनुसार होने वाली कार्रवाइई वही प्रकार होती रहेंगी तथा उसी एक्टके नियम भी लागू होंगे इस एक्टमें उस कार्रवाइईमें कोई बकाइत नहीं पड़ेगी ।

पहिली सूची

(The First Schedule.)

कर्जखाहोंकी मीटिंग

१ कर्जखाहोंकी मीटिंग

आफिनल एसायनी जब चाहे कर्जखाहोंकी मीटिंग कर सकता है और यह कर्जखाहोंकी मीटिंग बय वक्त जरूर करेगा जब कि ऐसा करनेके लिये अदालत कहे या कर्जखाहानने ऐसा करनेके लिये किसी मीटिंगमें प्रस्ताव पास किया हो या जब कि कर्जा साबित कर चुकने वाले कर्जखाहोंमेंसे इतने कर्जखाह मिल कर मीटिंग करनेके लिये कहे जिनके कर्जे कुल कर्जेके एक चौथाई कीमतके बराबर होने होंगे ।

व्याख्या—

तीन दशाओंमें आफिशल एसायनी कर्जखाहोंकी मीटिंग करनेके लिये बाध्य है— (१) यह कि जब अदालत मीटिंग करनेका हुक्म देवे, (२) यह कि जब किसी मीटिंगमें कर्जखाहोंने मीटिंग बिये जानेके लिये बीस प्रस्ताव पास किया हो (३) यह कि जब एक चौथाई कीमत वाले कर्जखाह जिनके कर्जे साबित हुये हों मिल कर किसी मीटिंगके करनेकी प्रार्थना करें । इसके अलावा आफिशल एसायनी जब चाहे कर्जखाहोंकी मीटिंग आवश्यकता समझने पर कर सकता है ।

२ मीटिंगका बुलाया जाना

मीटिंग किये जानेके समय तथा स्थापकी सूचना सब कर्जखाहोंके पास भेजी जावेगी, कर्जा साबित कर चुकने वाले कर्जखाहोंके पास यह सूचना उस पतेसे भेजी जावेगी जो उन्होंने कर्जा साबित करनेमें बतलायाहो दूसरे कर्जखाहोंको उस पतेसे भेजी जावेगी जो दिवालियेने कर्जखाहोंकी सूचनामें दिवालियाहो या किसी दूसरे पतेसे जो आफिशल एसायनीको मालूम हो ।

व्याख्या—

मीटिंगकी सूचना सब कर्जखाहोंके पास भेजी जावेगी चाहे उन्होंने बर्जे सम्बन्ध किया हो या न साबित किया हो । सूचनामें मीटिंगकी जगह तथा उसके किये जानेका समय बतलाया जावेगा । सूचना उस पतेसे दी जावेगी जो कर्जा साबित करने में कर्जखाहोंने अपना र पता बतलाया हो परन्तु जिन्होंने कर्जा साबित हा न किया हो उनको उतरी पतेसे भेजा जावेगा जो दिवालियेने अपनी किहारिलमें दिखलाया हो अथवा जो आफिशल एसायनीको अन्य किसी प्रकारसे मालूम हो सके ।

३ मीटिंगके नोटिस

मीटिंगके लिये नियत किये हुए दिनोंमें, कमसे कम सात दिन पहिले नोटिस भेजे जावेंगे और वह या तो स्वयं कर्जोंकी दिये जासकते हैं या स्टाम्न लगाये हुए छुत्तोंसे भेजे जासकते हैं जैसेमें सुभीता होजे । आफिशल एसायनीको यदि अधिक प्रतीत होवे तो वह स्थानीय अखबार अथवा प्राम्पतिक आफिशल मज्दमें मीटिंगके समय व स्थानकी सूचना प्रकाशित कर सकता है ।

व्याख्या—

मीटिंगके होनेसे कमसे कम सात दिन पहिले नोटिस जारी करनेकी आवश्यकता है नोटिस जाती तौर पर दिये जा

सन्ने हैं अथवा टिकट लगाकर खतके तौर पर भेजे जासकते हैं अपार् वरग नहीं भेज जाना चाहिये। आन्ड्रिल एसायनारी इन्ज पर निर्भर है कि वह यदि सुनासिव समझ तो मीटिंगके समय व स्थानकी सूचना स्थानाय अत्रवारमें अथवा प्रातिक सरकारी गजटम प्रकाशित कर देवे। ऐसा उसी समय आवश्यक हो सकता है जब कि बहुतेमे कर्जेवाद् हानें या आधुनतर कर्जेवाद् एवही स्थानों होवें अथवा एक ही प्रांतके होवें अथवा आन्ड्रिल एसायनारीकी अन्य किसी पर्याप्त कारणोंत एसा करना उचित प्रदान हव।

४ यदि आवश्यकता हो तो दिवालियेके हाजिर होनेका कर्तव्य

यदि आफिशल एसायनारी किसी मीटिंगमें हाजिर होनेकी सूचना दिवालियेको देवे तो वसका कर्तव्य होगा कि वह उस मीटिंगमें अथवा यदि वह किसी तारीखके लिये बका दीगई हो तो उस बड़ी हुई तारीख पर हाजिर हवै। इस प्रकाका नोटिस या तो स्वयं उल्ले ही दिया जावेगा या मीटिंगसे कमसे कम तीन दिन पहिले डाकके जरिये उसके पतेसे भजा जावेगा।

व्याख्या—

दिवालियेको मीटिंगमें हाजिर होनेका नोटिस जारी होने का तारीखसे कमसे कम तीन दिन पहिले दिया जाना चाहिये। नोटिसकी जारी तारीख बीनासकती है अथवा वह डाकके जरिये उसके पतेसे भजा जासकता ह वुछाय जाने पर मीटिंगमें उन दिन तथा बड़ी हुई तारीख पर हाजिर होना दिवालियेका कर्तव्य है।

५ नोटिस न पहुंचने पर मीटिंगकी कार्यवाहीका रद्द न होना

यदि किसी कर्जेवाद्का भेजा हुआ नोटिस उसको न भी मिला हो तो किसी मीटिंगमकी हुई कार्यवाहीका व उसमें पास किये हुए प्रस्ताव ठीक माने जावगे जब तक कि अदालत इसके विरुद्ध कोई हुक्म न देव।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार यदि किसी कर्जेवाद्को नोटिस भेजा गया हो परन्तु उसे न मिला हो और मीटिंग होकर कोई प्रस्ताव आदि पास किय गय हों तो नोटिसकी तारीख हुए बिना मीटिंगकी कार्यवाहीका किया जाना रद्द नहीं समझा जावेगा परन्तु यदि अदालत चाहे ता ऐसे मीटिंगकी कार्यवाही या उसमें पास किये हुए प्रस्तावका रद्द कर सकता है।

६ नोटिसके जारी होनेका सुबूत

यदि आफिशल एसायनारी इस बातका सर्टीफिकेट दे देवे कि किसी मीटिंगका नोटिस बाकायदा दिया गया है तो वह कानूनी शहादत इस बातकी मांगी जावगी कि नोटिस जिसके पतेसे भेजा गया है उसका ठीक तौर से भेजा गया ह।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार आफिशल एसायनारी जिस पतेसे नोटिस भेजा होगा उस पतेसे उसका भेजा जाना पर्याप्त माना जावगा अर्थात् नोटिसके बाकायदा भेजे जानका बात आफिशल एसायनारीके तस्दीक करने पर ठीक माना जावेगी और वह नतीर शहादत इस्तेमाल व जासकेगी।

७ मीटिंगका खर्च

जब कि कर्जेवाद्की प्रार्थना पर आफिशल एसायनारी कोई मीटिंग करे तो तद्विरी प्रार्थनाके साथ हर बीस कर्जेवाद्की हिस्सावसे पांच रुपये मीटिंग किये जानेके खर्चेके तौर पर जमा किये जावंग जिसमें सब खर्चे शामिल समझना चाहिये, परन्तु शत यह भी है कि आफिशल एसायनारी मीटिंगके खर्चेके लिये जो उसकी रायमें सुनासिव मालूम पडे और भी अधिक रुपयाजमा करा लगा।

व्याख्या—

कर्मिन्वाह जब मागिंग वराना चाहे तो उनसे पांच रुपया की बीस कर्मिन्वाहके हिमावते बतोर खर्चके दरख्वास्त से साथ जमा करना चाहिये । आफिण्ड एसायनी से हुनामिष मासूम पडनेपर और भा अधिक रुपया बतोर खर्च पर जमा पध्या जासकता है ।

८ खयरमेन

भाणिशल मुसायनी हर मीटिंगरा खयरमेन (सभापति) होगा ।

९ वोट देनेके अधिकार

कोई कर्मिन्वाह जब तक कि वह अपना कर्म जो दिवालयकी कार्रवाईके सम्बन्धमें भाषित किया जा सकता हो आकायदा साबित न कर देवे मीटिंगम वाट देनेका अधिकारी न होगा और कनका सुबुत मीटिंग होनेके लिये नियत किय हुए समयसे ठीक एक दिन पहिले हो चुकना चाहिये ।

व्याख्या—

कर्मों साबित कर चुकने वाले कर्मिन्वाह ही वोट दे सकेग। इस बातका भी ज्ञान रहना चाहिये कि मीटिंगके लिये नियत किये हुए समयसे ठीक एक दिन पहिले कर्मों साबित हो जाना चाहिये अर्थात् कर्मिन्वाह मागिंगक १५८ कर्त साबित किया चाहे वह वोट देनेका अधिकारी नहीं होगा । जिन कर्मिन्वाहोंका कर्मों सभिन नहीं किया गया है वह वोट नहीं देसकेंगे ।

१० कुल कर्मोंके सम्बन्धमें वोट नहीं दिये जासकेंगे

किसी मीटिंगम कोई एसा कर्मिन्वाह वोट नहीं दे सकता जिसका कज निश्चित भनराशिके रूपम न होय या जिसका कर्म किसी बातके होन पर निर्भर हाने अथवा कोई एसा कर्म होव जिसकी कीमत तय न हुई हो ।

११ महसूज कर्मिन्वाह

यदि किसी महसूज कर्मिन्वाहने अपनी जमानत न छोड़ दी हाने और वह वोट देना चाहे ता वह अपने सुबुतमें अपनी जमानतकी तफसील बतलायना वह तारीख जस कि जमानतकी गइ हा और उसकी अदाना लगाई हुई कीमत और वह अन्दाजा लगाई हुई कीमत कर्मिने घटानक बाद जा कर्मों बचगा उपाक क्रिय वाट दे सकगा । यदि वह अपने पूर कर्मोंके सम्बन्धमें वोट देवे तो यह मान लिया जावगा कि उसन जमानत छोडु दी इ जब तक कि अदालतको इसके दरख्वास्त देने पर यह यकीन न हो जावे कि वह गलती से अपने जमानतकी कीमत नहीं दिसला सका है ।

व्याख्या—

महसूज कर्मिन्वाह अपने पूरे कर्मोंके सम्बन्धमें जमानत छोड़ देने पर वोट दे सकत हैं तथा वह जमानतका क्रापव अदालत के जेम्स से घाबर बाकी कर्मोंके लिये वोट दे सकता है ।

१२ उन दस्तावेजोंका सुबुत जो कायिल मय थे तवादलेके होवें

यदि कोई कर्मिन्वाह किसी बिल आक एक्सचेंज (Bill of Exchange) प्रोमिसरी नोट (Promissory Note) या अन्य किसी एसी दस्तावेजको जो बयनामा, हवालगी या किसी इबारतपे बन्नी जा सकती हो (Negotiable Instrument) या किसी जमानतका जिसके लिये दिसगलवा पावरन्ट हा साबित किया चाह तो वह बिल आक एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट, निगाशियेबिल इन्स्ट्रुमेंट या जमानत आफिण्डल मुसायनीके सामन पराधी जागा चाहिये माइल इसके कि उसका सुबुत वाटक लिये माना जावे परन्तु अदालत इसके विरुद्ध कोई विशेष हुकम भी दे सकती है ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार जिन दस्तावेजोंका कर्ज वसूलाया जाता हो वह आफिशल एसायनीके सामने पेशकी जाना चाहिये और उनके पेश होनेके बाद कर्जका सुपूत बोट देनेके लिये पर्याप्त माना जावेगा। अदालतकी अधिकार हैं कि वह इसके विरुद्ध कोई विशेष आज्ञा दे देवे और ऐसा होने पर अदालतकी आज्ञाके अनुसार किया जावेगा।

१३ कर्जस्वाहसे जमानत छोड़ देनेके लिये कहनेका अधिकार

यदि किसी महफूज कर्जस्वाहने अपनी जमानतकी कीमतका अन्दाजा देनेके बाद किसी मीटिंगमें बोट देनेके अधिकारका प्रयोग किया हो तो आफिशल एसायनीको अधिकार होगा कि वह उस सुपूतसे २८ अट्टादस दिनके अन्दर उस महफूज कर्जस्वाहसे अन्दाजा लगाई हुई कीमत लेकर सब कर्जस्वाहोंके लाभार्थे जमानत छोड़ देनेको कहे।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार आफिशल एसायनी महफूज कर्जस्वाह द्वारा जमानत लगाई हुई कीमतको अदा करने पर उसके उसकी जमानतको अपन सब कर्जस्वाहोंके लाभार्थे ले सकता है परन्तु ऐसा २८ दिनके अन्दर ही किया जाना चाहिये। इस दफाका तात्पर्य यह है कि यदि कोई महफूज कर्जस्वाह अपनी जमानतकी कीमत कम लगाकर बेना फायदा उठाया चाहे यानी अपने बर्तनीया बर्जेरो और कर्जस्वाहोंके साथ बसूल किया चाहे तो उसके अन्दाजा लगाई हुई कीमत पर उसकी जमानत आफिशल एसायनी द्वारा ली जा सकती है इस प्रकार जमानत कम कीमतमें ले लिये जानेके बरते कोई महफूज कर्जस्वाह कम कीमत लगाकर बेना फायदा उठानेकी हिम्मत नहीं कर सकेगा।

१४ शरीकदारका सुवूत

यदि किसी फर्मका एक शरीकदार दिवालिया करार दिया गया हो तो उस शरीकदारका कोई कर्जस्वाह जिसका कर्ज उस फर्मके अन्य शरीकदार या शरीकदारोंके साथमें दिवालिये से लेना होवे अपना कर्ज मीटिंगमें बोट देनेके लिये साबित कर सकता है और ऐसा करने पर वह बोट देनेका अधिकारी होगा।

व्याख्या—

फर्मका कर्जस्वाह या एक से अधिक शरीकदारोंका सुवूत कर्जस्वाह अपने बर्जेरो उन शरीकदारोंमें से किसी एक के दिवालिया करार दिये जाने पर अपना कर्ज उसके विरुद्ध साबित कर सकता है तथा उसके आधार पर कर्जस्वाहोंकी मीटिंगमें बोट दे सकता है।

१५ आफिशल एसायनीके कर्ज साबित मानने या न माननेके सम्बन्धमें अधिकार

आफिशल एसायनीको बोट देनेके सम्बन्धमें दिये हुए सुवूतको मानने या न माननेका अधिकार हमिल होगा परन्तु उसके फैसलकी अपील अदालतमें की जा सकेगी। यदि आफिशल एसायनीको इस बातका शक होवे कि आया सुवूत माना जाना चाहिये या खारिज कर देना चाहिये तो वह उस सुवूतमें यह लिख देवेगा कि सुवूतमें प्रतराज है और कर्जस्वाहको बोट देनेका अधिकार प्राप्त हो जावेगा परन्तु यदि यह रहेगी कि अगर प्रतराज कायम बना रहेगा तो उसका बोट ग़ुलब करार दिया जा सकेगा।

व्याख्या—

बोट देनेके सम्बन्धमें सुवूतका मानना या खारिज कर देना आफिशल एसायनी पर निर्भर होगा परन्तु उसके फैसलेकी अपील अदालतमें की जा सकेगी। शक वाले मामलोंमें बोट देनेका अधिकार कर्जस्वाहको इस शर्त पर प्राप्त रहेगा कि उसके विरुद्ध नये हुए एनगानके ठीक साबित होने पर उसका बोट रद्द माना जावेगा।

१६ प्रोक्सी

कर्जवाह स्वयं वोट दे सकता है तथा वह किसी कायम मुकाम (मोक्सी) के जरिये भी वोट दे सकता है ।

व्याख्या—

मोक्सी तात्पर्य उस व्यक्तिसे समझना चाहिये जिसे किसीने अपनी तरफसे वोट देनेका अधिकार दिया हो ।

१७ मोक्सी की दस्तावेज

अपनी तरफसे वोट देनेका अधिकार (मोक्सी) देने वाली दस्तावेज निर्धारित किये हुए ढंग (फार्म) पर होगी और आफिशल एसायनी द्वारा जारीकी जावेगी ।

१८ प्राक्सी का आम अधिकार (General Proxy)

कर्जवाहको अधिकार है कि वह अपने सुत्तारको, मैनेजरको, क्लर्कको अथवा अपनी वाफायदा नौकरिमें कसबे हुए किसी मुनीम या अन्य व्यक्तिको आम अधिकार वोट देनेका (General Proxy) दे देवे । ऐसे मामलेम प्रोक्सीकी दस्तावेजमें यह दिखलाना आवश्यक होगा कि वोट देने वाले ब्यक्तिका कर्जवाहसे क्या सम्बन्ध है ।

व्याख्या—

इस प्रकार अग्रसार कर्जवाह अपने किसी आदमीको आम इतिवार वोट देनेका दे सकता है परन्तु ऐसी हालतमें प्रोक्सीके कायजों यह दिखला दिया जावेगा कि वोट देने वालेका असली कर्जवाह से क्या ताल्लुक है ।

१९ मीटिंगकी तागिरतसे एक दिन पहिले प्रोक्सीका दाखिल किया जाना

यदि उम मीटिंग होनेसे जितने कि प्राक्सी इस्तैमालकी जानेको होवे कमसे कम एक दिन पहिले मोक्सी का कागज आफिशल एसायनीको न दे दिया जावे तो वह प्रोक्सी इस्तैमाल नहीं की जा सकेगा ।

व्याख्या—

मीटिंग होनेसे कमसे कम एक दिन पहिले वोट देनेका अधिकार देने वाला कायज आफिशल एसायनीको दे दिया जाना चाहिये तबला वोट देनेका अधिकार उस कायजके जिये प्राप्त नहीं माना जावेगा ।

२० आफिशल एसायनीका स्वयं प्रोक्सी होना

केई भी कर्जवाह आफिशल एसायनीको अपनी ओरसे वोट (Proxy) देनेके अधिकारको दे सकता है ।

२१ मीटिंगका वहा दिया जाना

आफिशल एसायनीको अधिकार है कि वह किसी मीटिंगको एक समयमे दूसरे समयके लिये तथा एक स्थानसे दूसरे स्थानमें किये जाभेके लिये हटा सके और ऐसे बहाये जानेका नोटिस दिये जानेकी अनुरयकना नहीं है ।

व्याख्या—

मीटिंग ही में समय या स्थानके बहाये जानेकी सूचना ही जानेके कागज उसके लिये नोटिसकी आवश्यकता इस प्रकार नहीं रखी गई है ।


२२ कार्रवाईका विवरण

आफिशल एसायनी मीटिंगमें कार्रवाईका विवरण तैयार करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा ।

दूसरी सूची

(The Second Schedule)

कजोंके सुवृत



मामूली मामलोंमें सुवृत

१ सुवृत दाखिल करनेका समय

दिवालिया करार दिया जानेका हुक्म होनेके पश्चात् जितनी जल्द हो सकेगा हर एक कर्जस्वाह अपना अपना सुवृत दाखिल करेगा ।

२ सुवृत दाखिल करनेका तरीका

कर्जोंकी तस्दीक करने वाला हलफनामा आकिशाल एसायनीकी देवेसे या उसके पास बजरिये रजिस्ट्री खत के टाक द्वारा रवाना करनेसे सुवृत दाखिल किया जा सकता है ।

व्याख्या—

इस दफ्तेके अन्तसार कर्जोंकी तस्दीकमें निम्ना हुआ हलफनामा आकिशाल एसायनीके पाम पहुचनेसे कर्जोंका सुवृत करना माना जावेगा । यह हलफनामा हाथमें भी दिया जा सकता है व रजिस्ट्री बक द्वारा भी भेजा जा सकता है ।

३ हलफनामा दाखिल करनेका अधिकार

कर्जस्वाह स्वयं या अपनी ओरसे इस कामके लिये अधिकार दिये हुए किसी व्यक्ति द्वारा हलफनामा दाखिल कर सकता है यदि वक्त प्रकारसे अधिकार दिये हुए व्यक्ति द्वारा हलफनामा दाखिल किया गया हो तो उसमें यह बतलाया जावेगा कि वह किस अधिकारसे हलफनामा पेश कर रहा है तथा उसे मामलेका इत्तम किस प्रकार हुआ है ।

व्याख्या—

यह आवश्यक नहीं है कि स्वयं कर्जस्वाह ही हलफनामा पेश करे उसकी ओरसे अन्य व्यक्ति भी हलफनामा दाखिल कर सकता है परन्तु उस व्यक्तिके चाहिये कि वह अपने जविनाके बतलावे तथा यह भी दिखलावे कि उसे मामलेका हाल कैसे माहूम हुआ है जैसे कि मुनीम या मुहताजाम अधदा दुतरमें काम करने वाला व्यक्ति निजके सामने कर्ज दिया गया था जिसने कामजातमें इदराज किया हो हलफनामा दाखिल कर सकता है ।

४ हलफनामामें क्या बात दिखलाई जाना चाहिये

हलफनामामें कर्जोंकी तफसील जाहिर करनेके लिये हिसाब या हिसाबका हवाला दिया जावेगा और उसमें वक्त कामजातका हवाला होगा निजके अरिये उस हिसाबकी पुष्टिकी जा सकती है । आकिशाल एसायनी किर्सी समय भी वक्त कामजातको पेश करा सकता है ।

व्याख्या—

हलफनामामें एक तो हिसाब दिखलाया जाना चाहिये या उसका हवाला दिया जाना चाहिये जिससे कि कर्जोंकी

तत्कालीन मादम हो सके दूसरे यदि कोई कायजात उस दिमावकी पुष्टिमें कर्जगवाहके पास होवे तो उनका भी हवाला उस हल्कनाममें दे दिया जाना चाहिये । साथ ही साथ आदिशुभ एशायनीके अधिनष्ट प्राप्त है कि जब वह चाहे वन कायजात को विनष्ट हवाला हल्कनाममें दिया गया हो पेश करा लेवे ।

५ हल्कनाममें जमानतका जिक्र होना चाहिये

हल्कनाममें यह भी दिखलाया जावेगा कि आया कर्जगवाह महफूज कर्जगवाह है या नहीं ।

व्याख्या—

सादा रूपसे की जिक्री रद्दनामके तौर पर लिखी जा सकती है । और इससे यह तात्पर्य निकलता है कि मुहूर्तिनकी महफूज कर्जगवाह समझना चाहिये । 38 Bom. 359.

६ कर्ज साबित करनेका उर्च

कर्ज साबित करनेका उर्च स्वयं कर्जगवाह बर्नास्त करेगा जब तक कि अदालत इसके विरुद्ध कोई खाल हुक्म न देवे ।

७ सुवृत्त देखने व उसका मुशायना करनेका अधिकार

- वह कर्जगवाह जो अपना सुवृत्त दाखिल कर चुका है दूसरे कर्जगवाहों द्वारा दाखिल किये हुए सुवृत्तको हमेशा उचित समय पर देख सकता है ।

८ सुवृत्तसे घट्टका घटाया जाना

कर्जगवाह अपना सुवृत्त दाखिल करते समय अपने कर्जेमसे तिजाराती घट्टेको घटा देवेगा परन्तु वह अपने खाय कर्जेके पंच रुपये सेकडे तकका घट्टा घटानेके लिये उस समय मजबूर नहीं होगा जब कि वह नफ़्त दागमें उसे घटानेके लिये तैयार रहा हो ।

व्याख्या—

५ रुपये सेकडे तकका घट्टा वह अपने कर्जेमें नग रत्ने दे सकता है जब कि नफ़्त दागमें घट्टा दिया जाता हो ।

महफूज कर्जगवाहोंका सुवृत्त

६ जब कि जमानत बसूलकी जाचुकी हो तबका सुवृत्त

यदि कोई महफूज कर्जगवाह अपनी जमानत बसूल कर चुका हो तो वह बसूल किये हुए रूपयेको घटाने के बाद जा कर्ज दस्तका बचे उसे साबित कर सकता है ।

व्याख्या—

इस दफ़्ते अनुसार वह महफूज कर्जगवाह भी अपना कर्ज साबित कर सकते हैं जो अपना जमानत बसूल कर चुके हों परन्तु ऐसा वह उकी समय कर सकेगे जब कि जमानत बसूल रूपया बसूल न हुआ हो और जमानत बसूल किये जानेके बाद भी उसका कर्ज कुछ नही बच रहे । इस सम्बन्धमें इस बातका भी ध्यान रहना चाहिये कि ऐसे कर्जगवाह जबल बचे हुए कर्जे के सम्बन्ध ही में मागित पर सक्त हैं अपन पूरे कर्जेके लिये नहीं । जमानत रद्दनामकी शकलमें अपना अथ किता कारकी शकलमें हो सकती है ।

१० जब कि जमानत छोड़ दी गई हो उस समय सुदूत

जब कि आफिशल एसायनीके हकमें किसी महफूज कर्जस्वाहने अपनी जमानत तब कर्जस्वाहके लामने छोड़ दी हो तो वह अपने पूरे कर्जेके लिये साबित कर सकता है।

व्याख्या—

जमानत छोड़ देनेके बाद महफूज कर्जस्वाह भी अन्य कर्जस्वाहोंकी भांति अपने पूरे कर्जेके लिये साबित कर सकता है।

११ दूसरे मामलोंमें सुदूत

यदि कोई कर्जस्वाह न तो अपनी जमानतको छोड़े और न तबसे अपनी जमानतको वसूल ही किया हो तो वह हिस्सा रसदी पानेमें पहिले सुदूतमें अपनी अन्दाजा लगाई हुई जमानतकी कीमत तथा जमानतकी तर्फील और धनके किये जानेकी तारीख बतलायेगा और अन्दाजा लगाई हुई कीमत घटानेके बाद जो कर्ज बचेगा उन्के लिये वह हिस्सा रसदी पासकेगा।

व्याख्या—

जमानत वाले कर्जस्वाह जमानतकी कीमत घटाकर अपने बाकी कर्जेके सम्बन्धमें हिस्सा रसदी ले सकते हैं।

१२ जमानतकी कीमतका लगाया जाना

(१) जब कि जमानतकी कीमतका अन्दाजा उक्त प्रकारसे लगाया गया हो तो आफिशल एसायनीके अधिकार होगा कि वह अन्दाजा लगाई हुई कीमत कर्जस्वाहको अदा करनेके बाद उस जायदादको छुड़ा लये।

(२) यदि किसी जमानतकी अन्दाजा लगाई हुई कीमतसे आफिशल एसायनी सन्तुष्ट न होव तो वह जमानतकी जायदाद को उन शर्तों व नियमोंके साथ तथा उन समयों पर नीलाम पर चढ़वा सकता है जो उसके और कर्जस्वाहके दमियान तथा होयें या ऐसा कोई समझौता न होने पर जैसा अदालत हुकम देवे। यदि जायदाद नालाम जाममें बेची जाने को होवे तो कर्जस्वाह या आफिशल एसायनी दिवालिये की जायदादकी तरफसे बीछी बोल सकता है व जायदादको खरीद सकता है। परन्तु शर्त यह है कि कर्जस्वाह किसी समय भी आफिशल एसायनी को लिखकर नोटिस दे सकता है कि वह जायदादको छुड़ाना चाहता है या नहीं अथवा उसको वसूल कराना चाहता है या नहीं और यदि ऐसा होनेसे छ महानेके अन्दर आफिशल एसायनी लिखकर कर्जस्वाहको अपने इस प्रकारके अधिकारके प्रयोग त्रिये जाने की सूचना न देवे तो वह फिर इस अधिकारका प्रयोग नहीं कर सकेगा। और हक हुनफकाक या अन्य कोई हक जो आफिशल एसायनी का पहुँचता होगा कर्जस्वाहको प्राप्त हो जावेगा और उसके कर्जे की सादादने जमानतकी अन्दाजा लगाई हुई कीमत कम कर दी जायेगी।

व्याख्या—

उपदशा (१) के अनुसार आफिशल एसायनी कर्जस्वाहसे उमने जमानतका जायदाद अदाजा लगाई हुई कीमत पर ले सकता है तथा उपदशा (२) के अनुसार वह कीमतसे अक्षमता होने पर जमानत वसूल करनेके लिये कर्जस्वाहको मजदूर कर सकता है। इस प्रकार जमानत वसूल करनेमें नीलाम आम किये जाने पर कर्जस्वाह व आफिशल एसायनी दोनों ही जायदाद की खरीद कर सकते हैं। दफ्तरमें जो शर्तें लगाई गई हैं उनके अनुसार छ महानेके अदर कर्जस्वाह आफिशल एसायनीके निश्चयको मादूम कर सकता है अथवा न मिलने पर आफिशल एसायनीके हक कर्जस्वाहको प्राप्त हो सके हैं तथा उसकी अदाजा लगाई हुई कीमत मान कर बाकी कर्जेके लिये वह हिस्सा रसदी ले सकता है।

१३ कीमतमें संशोधन

यदि कर्जवाहने अपनी जमानतकी कीमत ऊपर बतनाये हुए दग पर लगाई हो तो वह उसकी कीमत तथा अपने सुदुनका संशोधन किसी समय भी कर सकता है जब कि वह आफिशल एसायनी या अदालतको हम बात का विश्वास दिला देवे कि कीमत व सुदुन गलतीसे कीमत का अन्दाजा लगाये जानेके कारण नैकनीयतीसे गलत हो गये हैं । या कीमतके अन्दाजा लगाये जानेके बाद आयदादकी कीमत बढ़ या घट गई है । परन्तु इस प्रकारका संशोधन कर्जवाहके खर्च पर होगा तथा इन दातोंके अनुसार होगा जो अदालत अपने हुक्मके अनुसार लगाने में उस समय इसकी बचत हो जायेगी जब कि आफिशल एसायनीने बिला अदालतमें दरखास्त दिये हुए संशोधनकी आज्ञा दे दी हो ।

व्याख्या—

इस दफके अनुसार क्रीपतज्ञ सद्गंधन अदालत तथा आफिशल एसायनी दोनों ही पक्षोंत कान बतलाये जानि पर काम करते हैं । जब कि आफिशल एसायनी बिला अदालतमें दरखास्त दिये हुए संशोधन की आज्ञा दे देवेगा तो कर्जवाहकी खर्च बच जानेवा बला अदालत द्वारा लगाई हुई शर्तों की पाबन्दा बताने करना पड़ेगा तथा शर्तों भी उभे बतना करना पड़ेगा । संशोधन की आज्ञा आयदादकी कीमत घटाने या बढ़ाने पर दा जातरती है इसी प्रकार यदि किसी घलतीसे आयदादकी कीमतका गलत अन्दाजा लगाया गया हो तो क्रीपतज्ञ संशोधन हो सकता है ।

१४ ज्यादा रुपया वसूल हो जाने पर उसका लौटाया जाना

जब कि ऊपर बतलाये हुए नियमके अनुसार कोई कीमत तुरुन्त की गई हो तो कर्जवाह उस अधिक वसूल किये हुए हिस्सा रसदी को लौटा देगा जो कि उसको सराफित कीमतके हिसाबसे न मिलना चाहिये था अथवा वह हिस्सा रसदीके किये बचे हुए रूपयोंसे अधिकके हिस्सा रसदी बाँटे जानेसे पहिले उस रूपयोंको पाने का अधिकारी होगा जो उसे ठीक की हुई कीमतके अनुसार हिस्सा रसदीमें उपादा मिलना चाहिये और जिसे वह गलत कीमतकी वजहसे न पासका हो परन्तु संशोधनसे पहिले बाँटे हुए हिस्सा रसदीमें वह किसी प्रकारकी गड़बड़ी नहीं कर सकेगा ।

व्याख्या—

संशोधनसे पहिले यदि कोई हिस्सा रसदी बाँटे चुका हो तो उसमें कोई रद्दोदल नहीं दिया जावेगा परन्तु संशोधनके समय यदि कोई रुपया हिस्सा रसदीके लिये बचा हो तो उनमेंसे आयदाद का हिस्सा रसदी मागनेसे पहिले उस कर्जवाहकी रुपया दिया जावेगा जिसे संशोधनके अनुसार कुछ अधि मिलना चाहिये । यह भी ध्यानमें रदना चाहिये कि यदि संशोधनसे पहिले कोई कर्जवाह अपने हिस्सेसे अधिक रुपया बतौर हिस्सा रसदीके वसूल कर चुका हो तो उसे बाद संशोधन वह रुपया वापस पड़ेगा और उस प्रकार लौटाया हुआ रुपया सब कर्जवाहोंको दिरहा रसदीके तौर पर मिल सकेगा ।

१५ जब कि जमानत बादमें वसूल की गई हो तब संशोधन

यदि जमानतकी कीमत का अन्दाजा लगाये जानेके पश्चात् कोई कर्जवाह अपनी जमानत वसूल कर लेवे अथवा वह रूल १२ के अनुसार वसूल की गई हो तो वसूल किया हुआ रुपया अन्दाजा लगाई हुई कीमतके स्थान पर समझा जावेगा और यह दर प्रत्येकसे कर्जवाह द्वारा संशोधित किया हुआ मूल्य समझा जावेगा ।

व्याख्या—

कीमत का अन्दाजा लगाये जानेके बाद चाहे कर्जवाह स्वयं जमानतकी वसूल कर लेवे अथवा वह रूल १२ के

अनुसार वसूल की जावे वसूलवा हुई कीमत ही अतली कीमत माना जावेगा और उसको अदादा लगाई हुई कीमत की जगह पर समझना चाहिये ।

१६ हिस्सा रसदीसे वंचित रहना

यदि कोई मजबूज कर्जखवाह पिछले रूस (नियमों) की पाबन्दी न करे तो वह हिस्सा रसदीसे हर प्रकार वंचित रखा जावेगा ।

१७ पानेकी हद

रूल १२ के नियमोंका ध्यान रखते हुए कोई भी कर्जखवाह रुपयेमें १६ भागसे अधिक तथा इस एकटमें यतलयये हुए सूदको छोड़ कर और कुछ नहीं पावेगा ।

व्याख्या—

इस रूलके अनुसार कोई भी कर्जखवाह अपने कर्जेसे अधिक नहीं पासकेगा । हा वह इस एकटमें बनलाये हुए नियमों के अनुसार सूद अलगता मासकता है यदि रूल १२ के अनुसार कोई कर्जखवाह स्वयं जायदादकी सस्तेमें खरीद लेवे वा उसकी कम अदादा लगाई हुई कीमत मान ली जावे तो ऐसी बातोंसे वह फायदा उठा सकता है ।

रेहनकी हुई जायदादका हिसाब लिया जाना तथा उसका बेचा जाना

१८ रेहननामे आदिकी तहकीकात

अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनेको दिवालियेकी किसी खास जायदाद या ठेके पर ली हुई जायदादका मुतहिन बनलाता हो और चाहे वह मुतहिन किसी दस्तावेजके जरिये होवे अथवा किसी और प्रकारसे होवे और चाहे वह कानूनी हो वा कानूनीके तौर पर (Equitable) होवे अदालतमें दरखास्त देवे वा आफिशल एपायनो एक प्रकारसे मुतहिन जादिर करने वाले व्यक्तिकी रजामन्दारी दरखास्त देवे वा अदालत इस बातकी तहकीकात करेगी कि आया वह व्यक्ति उस प्रकारका मुतहिन है वा नहीं और किस मुआविके एवजमें तथा किस हालतमें है और अगर यह मालूम पड़े कि वह व्यक्ति उस प्रकारका मुतहिन है तथा उस रेहननामेके अनुसार नतलाई रकम के लिये उसके हकके विरुद्ध कोई क़ाफी बजह न मालूम हो तो अदालत उस रेहननामेके असली रुपये सूद व खर्चे का हिसाब लेने या तहकीकात करनेका हुकम जो उसे मुनासिब समझ पड़े देवेगी तथा किराये, गुनाफे, हिस्सा रसदी, सूद या दूसरी आमदनी जो उस व्यक्तिको या उसके हुकमसे अथवा उसके लिये किसी दूसरे व्यक्तिकी हुई हो जब कि रेहनकी हुई कुल जायदाद या उसका कोई हिस्सा उसके कर्जेमें रहा हो तो उसका भी हिसाब व तहकीकात करनेका मुनासिब हुकम देवेगी । और यदि अदालतको यकीन हो जावे कि जायदाद बेची जाना चाहिये तो इस बातकी सूचना उन अहलबारोंमें निकालनेका हुकम देगी जो उसे मुनासिब मालूम पड़े कि कब कहा किस व्यक्ति द्वारा किस प्रकारसे रेहनकी हुई किस इमारत या जायदाद अथवा उसके किसी हकको बेचा जावेगा और फिर उसी प्रकार वह जायदाद बेची जावेगी और आफिशल एपायनो अगर इसके विरुद्ध कोई हुकम न दिया गया हो उस नीलामकी कारायेगा परन्तु उस मुतहिनके लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह ऐसी दरखास्त अवश्य देवे । ऐसे नीलाममें मुतहिन भी बोल सकता है तथा जायदादको खरीद सकता है ।

व्याख्या—

इस दफ्तेके अनुसार मुतहिन दरखास्त देनेके लिये बाध्य नहीं है उसका देना न देना उसकी इच्छा पर निर्भर है ।

यदि कोई मुर्तद्दिन दिवालियेको निधी जायदादका हकदार उस हेतियतसे अपनेको समझता हो तो वह अदायतमें दरखास्त दे सकता है या आफिसल एसायनी द्वारा ऐसी दरखास्त दिला सकता है। दरखास्तके पहुचने पर अदालतका कर्तव्य होगा कि वह उसके हककी तहकीकात को कि वहा तक व रिस प्रभारका हक उसका दिवालियेकी किस जायदादके सम्बन्धमें पहुचता है और यदि अदालतको उसके हकका यकीन हो जाने तो वह दिसान लिये जाने तथा तहकीकात किये जानेका हुक्म देवेगा कि जिससे मादम हो सके कि असल व सूद रितना है तथा खर्चक तौर पर रितना मिलना चाहिये। इस दफ्तरमें यह भी बतला दिया गया है कि यदि उक्त प्रकारका मुर्तद्दिन देहबंदी हुई जायदाद या उसके किमी हिस्से पर काबिज रहा हो अथवा उसकी ओरसे अज कोई व्यक्ति कब्रिया रहा हो तो उस क बसे जिस कदर फायदा मुर्तद्दिनने या उसकी आरसे किसी अज ब्याप्तने उदाया हो वह असली मुआविजेते मुजरे लिया जावेगा। जायदाद उचित प्रकात होने पर नीलाम भी कराई जा सकेगी मुर्तद्दिन स्वयं भी गोल्ड कोल सरना ह तथा नीलापनी मुसहरी अलशरोंमें काराई जा सकती है व नीलामका मार व निमसनी आफिसल एसायनीकी होगी। इस दफ्तरमें अनुमार होने वाली क्वारंटी एक प्रकारसे सरसगीको काराई समझना चाहिये क्यों कि इसमें कोई किसी इन्वार्ड नवने आदिनी व्यवस्था नहीं है और न उसमें कोई फ्रक रहने बगिये जानेका हो जिक है केवल पीछे दिये हुए रूल १२ के अनुसार आफिसल एसायनी जायदादको छुड़ा सकता है दरखास्त पहुचने पर तहकीकातना करना अमुक्तका कर्तव्य है परन्तु और वाने एफ प्रकारसे उसकी इच्छा पर निर्भर है क्यों कि उनका करना यकीन हो जाने पर निर्भर है।

१९ दस्तावेज इन्तकाल

खुदीदारके हकमें लिखी जाने वाली दस्तावेजोंमें वह सब फरीकेन शामिल होने निकले लिये अदालत हुक्म देवे।

२० विक्रीका रुपया

इस प्रकार बेचे जाने पर जो रुपया भायेगा वह पहिले उस खर्चकी अदायगीमें लगाया जावेगा जो कि अदालतमें दरखास्त देनेके सम्बन्धमें हुआ हो या किया गया हो तथा जो नीलामके सम्बन्धमें हुआ हो और इससे आफिसल एसायनीका कमीशन भी यदि उसे कुछ मिलना चाहिये पहिले ही दिलाया जावेगा। और इसके बाद मुर्तद्दिनका वह रुपया जहाँ तक हो सकेगा दिलाया जावेगा जो उसे असल सूद व खर्चमें दिलाया जाना बरामद हो और यदि इसके बाद बिक्रीका कोई रुपया बचे तो वह आफिसल एसायनीको मिलेगा। परन्तु यदि विक्रीके रुपयसे मुर्तद्दिनके निकलने वाले रुपयकी पूरी अदायगी नहीं हो सकेगी तो वह अपने बकीया रुपयके लिये बतौर कर्नेक और कर्जबवाहोंकी भांति साभित कर सकेगा तथा उसके साथ हिस्सा रसदी पानेका अधिकारी होगा परन्तु उसस पहिले बाटे हुए हिस्सा रसदीमें किसी प्रकारकी गटबन्दी नहीं कर सकेगा।

व्याख्या—

रूल १८ में जायदादके बेचे जानेका उल्लेख है उसी सम्बन्धमें इस रूलमें बतलाया गया है कि विक्रीके रुपयसे पहिले तीन प्रकारके खर्चें चुगये जावेंगे (1) एक तो वह खर्च जो अदालतमें दरखास्त दानके सम्बन्धमें किये गये हों (2) दूसरे वह खर्च जो जायदादके बेचे जानेमें किये गये हों (3) तीसरे वह कमीशन जो आफिसल एसायनीको इस सम्बन्धमें मिलना चाहिये। इसके बाद मुर्तद्दिनका रुपया अदा किया जावेगा अगर मुर्तद्दिनका पूरा कर्त उससे न पूरे तो वह बाकी कर्चों को और कर्जबवाहोंकी भांति साभित कर सकता है तथा हिस्सा रसदी ले सकता है परन्तु हिस्सा रसदी जा नउ चुका है इसमें कोई गटबन्दी उसके इस बकीया बन्नेगी वजदसे नदो पडेगी आगेव व्यापन्दा यदि जाने वाले रुपयमें ही वह हिस्सा रसदी पासकेगा। नीलामका रुपया मुर्तद्दिनका कर्जा चुगये जानेके बाद बचने पर आफिसल एसायनीको हिस्सा रसदीके तौर पर बाटे जानेके लिये मिलेगा।

२१ तहकीकात पर कार्रवाई

इस प्रकारकी तहकीकात अच्छे ढंगसे किये जानेके लिये तथा हिंसापके अच्छे ढंग पर लिये जानेके लिये और खरीदारको ठक पहुंचानके लिये सब फरीकेंका बयान मवालात दाखिल करके या अन्य प्रकारसे जैसा अदालत मखित समझे लिया जासकता है धार सब फरार्केंत अदालतके हुक्मके अनुसार दिवालियेकी जायदादस सम्बन्ध रखने वाली सब दस्तावेजों, कागजात, किताबों या अन्य तहरीरकी हलकिया पेश करेंगे ।

व्यारया—

अदालत इस हलके अनुसारफरीकेंके बयान जिस प्रकार चाहे ल सकती है तथा उनमें जायदाद सम्बन्धी सब कापकात दाखिल कर सकती है जिससे कि तहकीकात ठाक प्रचारत हो सके और खरीदारमें जायदादक खरादने पर इक पहुंच सके ।

२२ समय समय पर रुपयेकी अदायगी

यदि कोई किराया या दूसरी अदायगी किसी नियतकी हुई मुद्दत पर होना चाहिये और दिवालिया करार दिया जानेका हुक्म उस मुद्दतके अलावा किसी और समय पर किया गया हो ता वह व्यक्ति जिसे किराया या वह अदायगी मिलना चाहिये उस हुक्मके होनेकी तारीख तकके आसपासे साबित कर सकता है जैसे कि वह किराया या अदायगी रोजानाके हिंसापसे मिलनेको हाव ।

व्याख्या—

किसी मियादके समाप्त होनेसे पहिले दिवालिया करार दियागानेका हुक्म होने पर हुक्म होनेकी तारीख तकका हिंसाप लगाया जासकता है जैसे कि यदि छाद्दी बंधाहाना किराया किया जानेका होवे और केवल दो ही महीने चलने पर दिवालिया करार दिया जानेका हुक्म हो गया हो तो दो महानास किराया आर कर्जोंकी भाति बसूल किया जासकना है या जायदाद छ महीने समाप्त होने पर किराया वाणिज्यल अदा होगा । इस प्रकार दूसरी किसीके बागमें समझना चाहिये ।

सूद

२३ सूद

(१) यदि किसी निश्चित कर्ज या धनके लिये सूद न रखा गया हो या तय न हुआ हो और जो दिवालिया करार दिया जाने का हुक्म होनेसे पहिले वाणिज्यल अदा हो चुका हो तथा वह कर्ज या धन इस एक्टके अनुसार साबित किया जासकता हो तो कर्जराह निम्न प्रकारसे छै रुपया सैकडा सालाना तकके हिंसापसे सूद साबित कर सकता है—

(ए) यदि वह कर्ज भधवा धन किसी तहरीरी दस्तावेजके आधार पर किसी निश्चिन समयमें अदा किया जाने को होवे तो बस अदायगी की तारीखसे दिवालिया करार दिया जाने का हुक्म होने तकका सूद लगाया जावेगा ।

(बी) और यदि कर्ज किसी अन्य प्रकारसे निकलना हो तो उस तारीखसे जबसे कि तहरीरी तौर पर रुपया मांगा गया हो और कर्जदारको इस बातका नोटिस दिया गया हो कि उससे बस तारीखके बादसे अदायगी तकका सूद लिया जावेगा । यह सूद भी दिवालिया करार दिया जाने का हुक्म होने वाली तारीख तक मिलेगा ।

२ यदि दिवालियाकी कार्रवाईके सम्बन्धमें साबित किये हुए किसी कर्जेमें सूद या सूबके हवातमें और कोई रकम लगीया गया हो ता वह सूद या रकम हिस्सा रसदीक लिये केवल छ रकम देना साह्या ही क तौर पर जोडा जावेगा परन्तु साबित किये हुए सब कर्जोंक अदा हो जानेके बाद यदि कोई रकम बचे तो समय उस कर्जवाहका बचीया तथ शुदा सूद या सुनाया दिलाया जावेगा ।

व्याख्या—

इस कलने अनुसार बिना तब हुए सूदके स्थानमें छ रकम सेना माना तबका सूद दिवाया जातरता है उरर लिये वा सूदके बलाई गई है एक ता उस बत अब कि रकम रमी दमनेके आधार पर बाजिबुल अदा हो ओर दुतर बिना दरवावेनी कर्जों पर उस समयसे सूद मिलगा जन कि रकम बाजिबुल अदा हो ओर बिना दरवावेना कर्जों पर उस समयसे सूद मिलेगा जन कि रमके लिय कर्जदारको नोटिस दिया गया हा दमों हातरमें सूद उस तारा तबका मिल सगा जब कि दिवालिया करार ददा जानका हुबम हुआ है ।

उपरुल (२) में यह बताया गया है कि हिस्सा रसदी कवल छ रकम सेना माना हिस्साके लिये हुए सूद पर हा मिल मनेगा चाहे इससे अधिक सूद या मनाका क्यों न तब हुआ हा परतु माय ही साथ यह भा दिया हुआ है कि अगर साबित न्य हुए सब कर्ज पूर्ण रूपसे बुजाय जायुके व कुछ कालिब बच ता उसम तब शुदा बकाया सूद अदा निया जावगा ।

वह कर्जें जो भविष्यमें अदा किये जाना चाहिये

२४ भविष्यमें बुकाये जाने वाले कर्जें

कर्मववाह बन्धनोंके लिये भी जो दिवालिया करार लिये जाते समय अदा किया जानेको न होने इमी प्रकार साबित कर सकता है तौने कि वह कर्जें उभी समय अदा किया जान का होने केवल उसमेंसे छ रकम देना साह्या दिलावये सूद हिस्सा रसदी बाद जानेके समयसे रकमके बाजिबुल अदा होने वाले समय तकके लिये जन शर्तके हिस्सासे रकम जावेगा जिनके अनुसार कर्ज लिया गया हो ।

व्याख्या—

इस कलने अनुसार यदि कोई कर्ज दिवालिया करार लिये जान वागी तारीखके बाद किया समय अदा किया जानवी होने तो भी वह साबित निया जानतरता है उसम हिस्सा रसदा बाबक समयसे कर्जें बाजिबुल अदा होने वाली तारीख तकका सूद छ रकम देना साह्या हिस्सासे रकम दिया जावगा ।

सुवृत्तका मान लिया जाना या उसका खारिज होना

२५ सुवृत्तका मान लिया जाना या उसका खारिज होना

आफिदाल एमायमी हर एक सुवृत्त तथा कर्जके बन्धुहातको समझेगा और लिखरर पूरे कर्ज या उमक किमी हिस्से का मजूर या नामजूर करेगा या उमका ताईदमें और अधिक सुवृत्त मानगा । यदि वह किमी सुवृत्त खारिज कर तो वह उसका खारिजकी जाकी बन्धु कर्जवाहका लिखरर बतलावेगा ।

व्याख्या—

इस कानूनके अनुसार किसी सुवृत्तके प्राणिक निये जान की वनह कर्जस्वाहको टिलरर बताई जाना चाहिये। सुवृत्त बाह्यको माहूम पडने पर अधिक सुवृत्त भी मागा जासकता है। पूरा कर्ज अथवा उसका कोई हिस्सा साभिन माना जासकता है। सुवृत्तकी मानना न मानना आफिशल एसायनीके हाथ है वही सुवृत्तकी सुतेगा व मधुरी अथवा खारिज करनेका हुकम दगा भी अदान्तमें इसकी अगल इन एकमे बताए हुए नियमोंके अनुसार की जासकती है।

२६ बेजायदा लिये हुए सुवृत्तको अदालत खारिज कर सकती है

यदि आफिशल एसायनीको माहूम पड़े कि कोई सुवृत्त बेजायदे ले लिया गया हो तो अदालत आफिदाल एसायनीके दरखास्त देने पर कर्जस्वाह को नोटिस देनेके बाद उस सुवृत्तको निकाल सकती है अथवा उसकी तादाद कम कर सकती है।

व्याख्या—

इस कानूनके अनुसार यदि गन्तव्ये कोई सुवृत्त मान लिया गया हो तो अदान्त उसे कदमें रद्द कर सकती है। यदि कसरे कर्जे का सुवृत्त घात हो तो पूरा कर्ज रद्द कर दिया जावेगा अथवा यदि कर्जेके किसी हिस्से का सुवृत्त ठीक न हो तो वह हिस्सा कर्जेसे निकाल दिया जावेगा। अदालत इस कानूनके अनुसार कर्जवाह करनेमें पहिले उस कर्जस्वाहको निम्नका कर्ज रद्द किया जाने की हानि सूचना देवेगी। यदि कोई मुर्तदिन दिनालिया करार दिया जावेगा हुकम होनेसे दो सालके अन्दरका पिला हुआ रेहननामा पेश करे तो इस बातका वार सुवृत्त मुर्तदिन पर होगा कि वह रेहननामा काफ़ी मुआविकके लिये नेकनापनाके साथ लिया गया था और यदि आफिशल एसायनीने एक बार इस कर्जे की मान भी लिया हो तो उससे बाग सुवृत्त बदल नहीं जावेगा तथा आफिशल एसायनी अदान्तमें उस कर्जे को रद्द कर देनेकी दरखास्त देसकता है। देखो आफिशल एसायनी मद्रास बचाम सम्बद्ध मुदानियर 43 Mad 739

२७ किसी सुवृत्तको रद्द कर देने या उसे घटा देनेके लिये अदालतके अधिकार

यदि आफिशल एसायनी किसी मामलेमें दहतन्दाजी करनेसे इन्कार कर देवे तो अदालत किसी कर्जस्वाह के दरखास्त देने पर किसी सुवृत्तको रद्द कर सकती है या कम कर सकती है अथवा तर्फीया या स्कीयाके मामलेमें विवालियेके दरखास्त देने पर किसी सुवृत्तको निकाल सकती है या कम कर सकती है।

व्याख्या—


आफिशल एसायनीके अधिकृत किसी कर्जस्वाह या दिवालियेके दरखास्त देने पर भी अदान्त किसी सुवृत्तको खारिज कर सकती है या एभित शुद्धा कर्जेकी तादादको कम कर सकती है। कर्जस्वाह एसी समय इस नियमके अनुसार कर्जवाह करनेकी दरखास्त दे सकता है जब कि आफिशल एसायनी दस्त दासी करनेसे इन्कार कर देवे। दिवालिया तर्फीये या स्कीया बाले मामलेमें दरखास्त देसकता है अर्थात् यदि कोई कर्जवाह उसके विशुद्ध साभिन किया गया हो तो उसकी रद्द निये जानेवा दरखास्त या कर्ज एतद्वे हुए कर्ज को कम निये जानेकी दरखास्त दे सकता है।

तीसरी सूची

(The Third Schedule.)

मंसूख किये हुए एकट

साल	नम्बर	नाम	मंसूख किये जानेकी हद
१८४८	११, १२ विद्यो रिया चैप्टर २१	I स्टैट्यूट दी इन्डियन इन्फालवेन्सी एकट १८४८	वतना जो कि मंसूख न किया जा चुका हो
१८४१	२६	II. सपरिपद गवर्नर जनरल हिन्द द्वारा बनाये हुए एकट दी इन्फालवेन्ट इस्टेब्ल (अग्लेन्ड डिवीडेन्ट) एकट, १८४१	वतना जो मंसूख न किया जा चुका हो
१८९८	१०	दी इन्डियन इन्फालवेन्सी रुल्स एकट, १८९८	दफायें २ व ३
१९००	४	दी लोभर वर्मा कोर्टेन एक्ट	दफा ८ के उपदफा (१) का शब्द (डी) और उपदफा (२), तथा दफा १० के उपदफा (२) के शब्द "Official assignee" और उप- दफा (२) व (४) में यह शब्द "Official assignee"
१९०८	५	१९०८ का संशुद्ध जाफ़ा दीवानी	दफा १२० की उपदफा (२)



हिन्दू-लॉ

दूसरी बार छपा हुआ

पहलेसे चौगुना बड़ा

हिन्दूओंमें कानूनना सबसे बड़ा ग्रन्थ



आज तक कानूनका ऐसा सर्वोत्तम पूर्ण ग्रन्थ हिन्दूओंमें नहीं छपा। पढ़तेही चित्त खुश होगा और विना प्रशंसा किये मान न रहेंगे। पहिलेका चौगुना बड़ा, चौगुनी नतीरों व सब नये कानून, तथा चौगुना पाषाणदेस है, तिम पर भी मुख्य नहीं बढ़ाया गया। अद्भुततम होने वाले न्याय को घरहीमें समझ लेनेके लिये यह वृद्धग्रन्थ छपा गया है। १० संस्कृत ग्रन्थों, १०२

दूसरे कानूनों, हजारों नजीरों, उदाहरणों व रीकडों तकसे परिपूर्ण है। यानी शामिलशरीक या बड़े हुए परिवारमें मर्दों, स्त्रियों, लड़कों, गर्भमें बच्चोंका, जायदादमें कितना हक है, किसके मरने पर कौन वारिस कब होगा, विवाह कैसे कर-करवाने साथ किम उमरमें, कब जायज है, कैसे विवादके लड़के वारिस होंगे, पति, पत्नीको कैसे, कब, किस तरह अपने पास रख सकते हैं, नाबालिगका बली कौन होगा, बलीक हक, पाश्चान्दिया, व जि.मेदागिया, वीन हैं, कैसे बली निकाला जायगा, उस पर छिदरी होगी, गोदका पूरा कानून क्या है, ३२७ वारिसों को किसके बाद किसे व किस हंगसे कब हक मिलता है, अथे, व अन्न भद्र वारिसों का नया कानून क्या है; शिष्टों व वध्याओं की जायदादका कानून क्या है, उनके वारिस कौन, कब व किस तरह होते हैं, भिठलाई औरताका हक क्या है, कौन धन ली धन है, उसके वारिस कौन, कब किम तरह होते हैं, स्त्रियोंके हकका पूरा कानून क्या है, फकी रहन, वय वाली जायदादक झगडोंका कानून क्या है, दान व दयायत कैसे कब किम जायदादकी होगी कैसे हक देकर लिखी जायगी कैसे नाजायज हागी, मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला वारिमें जायदाद कैसे लगाई जाय, दूर कैसे मुतार हो, जामी गलतीम कैसे मसुम होगा, साथ सन्यासी गहन, गद्दाघरोंक हक क्या है, बेला, पुजारी, शिवायतक हक, अधिकार कब, किस तरह, किस जायदादम कैसे होते हैं, दवस्थानका पूरा कानून क्या है, भावी वारिसोंक हक कब कबे होंगे, इत्यादि हजारों बातका आपका पूर्ण ज्ञान होगा। सन् १९२२ ई० तकके सब नये कानून हजारों नजीरों व व्याख्या माहित दिख गय हैं। आप कानूनके पण्ट हा सकय। मुख्य १२) टा० १॥)

मिलनेका पता:—कानून प्रेस, कानपुर